A.I.V.V. पर लगाए गए झूठे केसेस और उनकी न्यायालय द्वारा मिली हुई क्लीन चिट

अनुक्रमणिका

1. षड़यंत्र का पहला चरण : कोनिका बर्मन
2. षड़यंत्र का दूसरा चरण :बिजली केस
3. दस षड़यंत्रकारियों ने षड़यंत्र की योजना बनाई
4. कुछ असंभव बातें, जिनकी ओर से जाँच अधिकारियों ने आँखें मूँद लीं
5. कम्पिल आ.वि.वि. का भौगोलिक स्थान और शिकायतों की अजीबोगरीब प्रकृति
6. शतरंज की अगली चाल में मोहरा बनी रेणुका
7. दूसरा मोहरा-जया भारद्वाज
8. तीसरा मोहरा-तारा देवी
9. चौथा मोहरा- मीनाकुमारी, जिसने षड़यंत्र की गुत्थियों को खोलने की पहल की
10. सच्चाई के अड्डे पर, कांपते हुए कदम आयकर विभाग के
11. षड़यंत्र के अगले पन्ने पर खड़ी कुमारी सविता कबाडे
12. सविता के पिता नारायण टी कबाडे के बयान से षड़यंत्र का पर्दाफाश
13. न्यूज़ मीडिया वालों का अनोखा त्योहार
14. रवीन्द्र नाथ दास को झूठे केस में फँसाकर कलकत्ता पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण व्यवहार का प्रकोप
15. दिल्ली पुलिस ने गुमनाम शिकायतों को अधिक महत्व नहीं दिया
16. एक और छलछिद्र कपटपूर्ण सामूहिक हमला : कमला देवी
17. भागवत कथा -:

1. मंजरी जयसवाल (B.Sc.)
2. हर्षा कपाड़िया (B.Sc. in Microbiology, D.M.L.T.)
3. सविता सिंह (M.com.)-सरिता सिंह (B.Ed.)
4. रूपिन्दर कौर
5. योगमाया भंज [12th, CTT (certified teachers training)]
6. अन्वरसि एस (MCA)
7. पूर्णिमा कुमारी साहू (M.A.)

8. **रजनी यादव (B.com.)**
9. **नीलिमा गुप्ता (BCA)**
10. **उर्मिला देवी, श्वेता (B.com.) और प्रियंका जयसवाल (12th)**
11. **वैशाली परमार (B.com.)**
12. **गीतांजलि अनुरागी (B.Tech.)**
13. **मीना सिंह-बांदा**
14. **भवानी माता, दिव्या (B.com.), निकिता मेंडन (BBM)**
15. **तारा कुशवाहा (B.com.)**
16. **पार्बती मण्डल**
17. **संतोषरूपा डुम्पाला (PHD)**
18. **पल्लवी पाण्डे**
19. **नेहा जयसवाल**

False cases charged against AIVV and their clean chit from the court

INDEX

1. The first phase of conspiracy : Konika Varman
2. The first phase of conspiracy : Electricity Case
3. Conspiracy by the Ten Headed – The Ten Conspirators
4. Improbable mismatching allegations: The blind eyed and deaf Investigating Officers
5. **The Geographical Location of Kampil Adhyatmik vidyalaya and the improbable mismatching allegations:**
6. **The next move on the Chess board: Renuka:**
7. **The Second Pawn on the chess : Jaya Bharadwaj:**
8. **The Third Pawn on the chess : Tara Devi**
9. **The fourth Pawn : Meena Kumari: First to Untie the the knots of the conspiracy**

10. The shivering Steps of Income Tax on the Land of Truth:

11. Miss Savita Kabade on the Next page of the Conspiracy:

12. Savita's Father opening the curtains of Conspiracy:

13. The spicy festival of absurdities by the News Media:

14. The Unfounded Fury of the Calcutta Police: on Ravindranath Das :

15. The appreciable attitude of Delhi Police on baseless Hearsays:

16. Another malicious group Conspiracy on Kamla Devi :

<u>NOW A LOOK INTO BHAGAWAT STORY:</u>

1. Manjari Jaiswal ; B.Sc.,

2. Harsha Kapadia: B.Sc., (Microbiology), D.M.L.T

3. Savita Singh: M.Com-Sarita Singh: B.Ed

4. Rupinder Kaur:

5. Yogmaya Bhanj 12th: C.T.T

6. Anbarasi S: M.C.A

7. Poornima Kumari Sahu : M.A:

8. Rajani Yadav: B. Com

9. Neelima Gupta: B.C.A

10. Urmila Devi, Sweta (B.Com), Priyanka: 12th

11. Vaishali Parmar: B.Com:

12. Gitanjali Anuragi: B.Tech

13. Meena Sinh: Banda:

14. Bhavani Mata, Divya: B.com., Nikita: BBM

15. Tara Kusuvah: B.com:

16. Parvati Mandal

17. Santoshrupa: Ph.D

18. Pallavi Pande

19. Neha Jaiswal

आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, (आ.वि.वि. परिवार)

कम्पिल, जिला-फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश-**207 505**, भारत।

ए-1/351-352, विजयविहार, रिठाला, दिल्ली, भारत।

ADHYATMIK Vishwa Vidyalaya, (AVV family)

Kampil:Dist: Farrukhabad, U.P.-207 505.

A1/351-352-Vijaya Vihar, Rithala, Delhi :

तारीख : 16-10-2017

आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय : ऐतिहासिक ग्राम - कम्पिला, उत्तर प्रदेश।

आ.ई.वि.वि. परिवार - वसुधैव कुटुंबकम् का बीज

**** सारी दुनियाँ के अपनों के समक्ष ****

ADHYATMIK VISHWA VIDYALAYA-Historical Village – Kampil, UP.

A.V.V., The seed of Universal Family (Vasudhaika Kutumbakam:)

….. IN THE PRESENCE OF OUR OWN OF THE UNIVERSE ….

हम एक आध्यात्मिक परिवार के सदस्य हैं, जिसमें बहनों और भाइयों की कुल संख्या 20,000 के ऊपर है और इसमें भी सिर्फ कन्याओं-माताओं की संख्या लगभग 80% है।

We are the members of One Spiritual Family with more than 20000 in number among which the percentage of sisters and mothers account for 80.

हम देश के विभिन्न स्थानों से, ईशान कोण से लेकर वायव्य कोण तक, भारत और विदेशों के कोने-2 से आए हैं। भले आपस में हमारा खून का रिश्ता नहीं है; परंतु एक बेहद के बाप के संबंध के आधार पर हमारे बीच एक अटूट रिश्ता बन गया है। न हिंदू, न मुसलमान, न क्रिश्चियन, न सिक्ख, कहने मात्र नहीं; हैं हम सबके एक ही माँ और बाप, लेकिन एक ही अर्धनारीश्वर स्वरूप व्यक्तित्व में। सुनने अथवा विश्वास करने के लिए है तो विचित्र बात। हाँ, सत्य को साबित करने की आवश्यकता भी क्या है ? खुद आकर प्यार से मिलें, तो पता चले । हम अटूट शक्ति के साथ एकता के सूत्र में बँधे हुए हैं। यह असंभव बात केवल परमात्मा शिव के दिव्य अवतरण से जगतपिता और जगदम्बा के रूप में ऐतिहासिक गाँव कम्पिल में संभव हो सकी। वास्तव में यह है ही एक आश्चर्य कि कैसे देश के कोने-2 के लोग इस दार्शनिक सिद्धांत में, इस छोटे-से गाँव में एक होकर खड़े हैं, जिसका भारत के नक्शे में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है और जहाँ के लोगों को पेट भरने के लिए दो वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। हम आपको भी अपने परिवार का ही एक सदस्य मानते हुए इस रहस्य से अवगत कराना चाहते हैं।

We came from different parts of the country; from all corners of India and abroad, right from North East to North West. Well, we do not have a blood relation among us; still there emerged an unbreakable relation based on the connection with One Unlimited Father. Notwithstanding whether it be a Hindu, a Muslim, a Sikh or a Christian; we all do have a single mother and father in a combined personality as “Arth Naareeshwar”. It’s a matter of wonder; sounds unbelievable; yes, what is the necessity for the Eternal Truth to prove itself! Have a visit to us and ascertain. We stand united on single thread of Unity and with indivisible power. And the impossibility, with the eternal descendance of Supreme God Father Shiv could be made possible at the village “Kampilya Nagari”, a well-known Historical shrine in the epics as well by ethics, in the form of Jagatpita and Jagadamba, the father and the mother of the Universe respectively. It is a wonder of the planet, how people belonging to different corners of the country as well abroad, stood united on a visible

principle, that too at a very small dirty village Kampil towards Farrukhabad in Uttar Pradesh, which finds no visible importance on the MAP of India and where not even two rotis could be afforded two times a day to address their hunger for the residents of the village.

वास्तव में, हम ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, माउंट आबू, राजस्थान और विश्व भर में स्थित अपने सेवाकेन्द्रों के द्वारा प्रतिपादित ईश्वरीय ज्ञान से प्रभावित और जुड़े हुए थे; किंतु आश्चर्य है कि परमपिता शिव के दादा लेखराज ब्रह्मा के माध्यम से माउंट आबू में सन् 1951 से 1969 तक सुनाए गए महावाक्यों, जिन्हें ज्ञान-मुरलियाँ कहा जाता है और सन् 1969 से आज तक ब्रह्माकुमारी गुल्ज़ार मोहिनी जी द्वारा सुनाई जा रही अव्यक्त-वाणियों के गहन अध्ययन व मनन-चिंतन के आधार पर हमें पता चला है कि तथाकथित ब्रह्माकुमार-कुमारियों ने हम जिज्ञासुओं को कई रहस्यों से छुपाए रखा है और उन रहस्यों के प्रमाणों को मूल ईश्वरीय महावाक्यों से हटाया है। ज्ञान-मुरलियों और अव्यक्त-वाणियों में जहाँ भी राम की, शंकर की, प्रजापिता की बात आती है और जहाँ खास फर्रुखाबाद की या विश्व के मालिक की बात आती है, वे महावाक्य ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, माउंट आबू द्वारा छपाई जा रही आज की पुनर्मुद्रित(रिवाइज्ड) मुरलियों में ढूंढने से भी नहीं मिलते।

In fact we were impressed and connected with the knowledge imparted at Brahmakumari Ishwariya Vishwa Vidyalaya, Mt. Abu with its number of branches spread over the world. But to our dismay, with a deep study of the eternal knowledge imparted by Supreme Father Shiv Baba through the physical medium of Dada Lekhraj titled as Brahma right from 1951 to 1969 January, 18th, called Murlis and post demise versions of the same Brahma’s soul through Dadi Guljar Mohini called as Avyakta Vanis; we came to understand unequivocally that the so called Brahma Kumars and Brahma Kumaries have comfortably hidden, meddled with, edited and in a number of occasions removed the important secrets of the pearls of knowledge imparted by Supreme Father Shiv, in attempt to save their facial existences in vain. The Murlis and Avyakt Vanis that are being reprinted and circulated in all over their centers universally at present by the Brahmakumari Ishwariya Vishwa Vidyalaya, Mt. Abu now stand devoid of the Sacrosanct versions relating to the existence of Ram, Shankar, Prajapita, the Emperor of the Universe; and the specifications relating to Farrukhabad etc., etc., and a search for such precious versions that were appearing in the Original Murlis and Avyakt Vanis proves futile to be seen in the present releases.

ज्ञान-मुरलियों और अव्यक्त-वाणियों से हटाए गए इन ईश्वरीय महावाक्यों की तुलना श्रीमद्भगवद्गीता के उन श्लोकों से भी की जा सकती है, जो कि श्रीमद्भगवद्गीता से आज भी गायब हैं, जो रचयिता और मनुष्य रचना

के रहस्यों की जानकारी देते हैं। हाँ, इन्हीं छुपे हुए रहस्यों ने हमें ऐतिहासिक गाँव कम्पिल की ओर आकर्षित किया।

The situation arising out of the meddling, editing and removals from the Jnan Murlis and Avyakt Vanis unequivocally resembles with the slokas that stand missing from Bhagavad gita even today, which in fact would have revealed the secrets of the creator and creation of the human generation along with many other secrets merged in the Ocean of Knowledge. True it is; the said hidden secrets have forced our attractions towards this historical village Kampil.

माउंट आबू से शिवबाबा के दादा लेखराज ब्रह्मा द्वारा सुनाए हुए रहस्यों के सार ने कम्पिल में स्थित आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अस्तित्व को उजागर किया है और सारी दुनियाँ में फर्रुखाबाद के महत्व को बताया है।

The essences of the secrets in the Original Mrualies delivered at Mt. Abu imparted by Shiv Baba through the medium of Shri Dada Lekhraj Brahma, have thrown light on the existence of the power concentrated in the Adhyatmik Vishwa Vidyalaya and highlight the rising importance of Farrukhabad District. And may whoever create hurdles; ahead is the revelation of the practical and uncontradictable Divinity of Indian Origin in the entire Universe.

इन्हीं छुपे रहस्यों ने हमें जगतपिता-जगदम्बा को क्रमशः हमारे पिता प्रजापिता ब्रह्मा और माता ब्रह्मा के रूप में पहचानने, स्वीकार करने और अपने-आप को ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित करने के लिए प्रेरित किया है।

The said hidden secrets from the Original Muralis have inspired us to identify, accept and assimilate the part of the Supreme Father of the humanity as well Mother Nature Jagadamba of the Universe and surrender ourselves for the cause of spiritual service.

इस प्रकार हम देश के विभिन्न प्रदेशों/प्रान्तों के होते हुए भी और आपस में अपरिचित होते हुए भी, एक मन, वचन और कर्म से, जो कि बाप की मत पर आधारित हैं, माता और पिता की छत्रछाया में एक दिव्य ईश्वरीय परिवार के सूत्र में जुड़े हुए हैं।

Despite the fact that we belong to different parts of the world unrelated and unknown to each other; we thus rely upon Shiv Baba’s Shrimath which strengthens us to be one by heart, one by word and one by deed stand stable as one in single thread of unbreakable tie up under the sheltered umbrella of the Spiritual Father and mother thereby forming the divine Ishwariya Family, the "AVV family”.

आ.ई.वि.वि. मात्र एक विश्वविद्यालय ही नहीं, अपितु एक घर भी है, जिस आध्यात्मिक परिवार के कई सदस्य भारत और विदेशों में फैले हुए हैं। जिनका लक्ष्य है- जाति और धर्म के भेदभाव से परे उठकर, वसुधैव कुटुंबकम् की स्थापना करने में भगवान के साकार रूप की भुजाएँ बने रहना अर्थात् सहयोगी बने रहना।

We again reiterate; the AIVV is not merely a university. This is a house as well; wherein all the family members spread over India as well abroad limit themselves as the shoulders of the Bhagwan’s corporeal media irrespective of caste, creed and religion in the formation of the “Vasudhaiva Kutumbakam”. And in turn, turn all the universal humanity towards one shelter of the Supreme Father for a peaceful and prosperous future.

यह एक सत्संग भी है, आध्यात्मिक परिवार का यह संगठन एकमात्र सत्यम् शिवम् शिवबाबा के संग के रंग में रंगा हुआ है और यह संगठन विश्व के सबसे बड़े अटूट पारिवारिक संगठन (वसुधैव कुटुम्बकम्) के रूप में उभर रहा है। यह परिवार इस मायने में विश्व का सबसे बड़ा परिवार है। इस परिवार के सभी सदस्य ‘त्वमेव माता च पिता त्वमेव’ के सिद्धांत को साकार करते हुए, जगतपिता-जगदम्बा की पालना में एक सूत्र में बँधे हुए हैं। इस आध्यात्मिक परिवार की स्थापना ब्रह्मा (दादा लेखराज) के मुख द्वारा परमपिता शिव के उच्चारे गए महावाक्यों के आधार पर हुई है। यह एकमात्र ऐसा परिवार है, जो परमपिता परमात्मा शिव के ईश्वरीय ज्ञान द्वारा इस कलियुगी रावण-राज्य को बदलकर राम-राज्य स्थापन करने की क्षमता रखता है।

Apart from being a university and a house, this AVV family is again a Sath sang, in other words, a divine and auspicious get together which stands immersed in the color of the company of the only one Truth, “Satyam” on the earth indicating only one “Shivam” Shiv Baba and stretching towards higher altitudes emerging as “Vasudhaiva Kutumbakam”, the universal family. This is the world’s biggest family with its foundation strengthened by unbreakable get together on the rise in the sense that all the family members are tied with a single formula with the legendary attribution “thvameva Mata cha Pitha thvameva”, translated as “ You only are the Mother as well Father” under the sustenance of Jagat Pita and Jagadamba. The establishment of this wonderful AIVV family has its base on the divine versions of Shiv Baba through Dada Lekhraj, titled as Brahma imparted at Mt Abu, Rajasthan. This remains the one and only one family and the only way out for the humans on the earth which lifts them away from the sorrows and desperations of this Iron Era (Kali-Yug) under the auspicious knowledge imparted by the Supreme Father Shiv Baba towards the peace and prosperity of Satya Yug.

हाँ! स्वर्गीय स्थिति तक पहुँचने के लिए हर एक को महाभारी महाभारत युद्ध से गुज़रना ही पड़ता है। खुद पांडवों का जीवन ही बताता है- ‘सब दिन होत न एक समान’।

Yes, it is inevitable for each and every one to pass through the Maha Bharat War to attain the heavenly stage. The life of Pandavas itself stands example: All the days are not alike.

सन् 1976 से आध्यात्मिक परिवार की संख्या धीरे-2 बढ़ती गई और यह परिवार काफी समय आत्म-ज्ञान व पवित्रता का पुरुषार्थ करते हुए, अपनी गरिमा और शालीनता को बनाए रखते हुए, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा था, पता ही नहीं चला कि कैसे दो दशक बीत गए और सतोप्रधानता की स्थिति से नीचे उतरकर ईश्वरीय परिवार पर रजोप्रधानता/द्वैतवाद अचानक टूट पड़ा। 26 फ़रवरी, 1998 को बाहरी दुनियाँ में संपूर्ण सूर्य ग्रहण छाया हुआ था और उसी अशुभ घड़ी में षड़यंत्रकारियों के मन में आध्यात्मिक परिवार के खिलाफ षड़यंत्र का बीज अंकुरित हुआ और वह अंकुर कांपिल्य नगरी की तरफ़ झुकने लगा और विष-वृक्ष बनकर टूट पड़ा।

There was a steady growth in the number of family members over a period of time right from 1976. The spiritual family was in the course of acquiring the knowledge of the inner soul in its elevations in their stage while maintaining the essentials of purity and dignity. Nobody could specifically notice as to the lapse of two decades; when the get together was felt suddenly hit; the family experienced a drop down from the higher altitudes of purity and perfection, a stage of Golden era marked by unity; down the hills into the stage of lesser purity, a stage of sudden entrance of copper age, an era of duality, at a stretch. There was a Total Solar Eclipse which stood in the way of the rays of Sun on 26th February, 1998 somewhere in the external world and amongst the dark shadows it was understood; a poisonous seed of conspiracy was sown by some members from within the same family. The rays of the ever piercing knowledge into the hearts of the Ishwariya Family were shadowed. The seed turned into a plant and started bending towards “Kampilya Nagari” and within no time, it has taken the shape of a tree of poison.

जैसे कि भारत के इतिहास से सिद्ध होता है, भारत के ही कुछ असामाजिक तत्वों के कारण भारतीयों को पीड़ा सहन करनी पड़ी। यह एक बार की ही कथा नहीं; अपितु अनेक बार की वास्तविकता है। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सहज राजयोग की साधना करने वाली कन्या-माताओं पर आसुरी तत्वों द्वारा किए गए अत्याचार उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। हैं तो दोनों (बीकेज़ और पीबीकेज़) एक ही शिव परमात्मा के बच्चे। इस विश्वविद्यालय के नियम; जैसे- सादा जीवन, पवित्रता, शुद्ध व युक्त आहार-विहार पालन न करने के कारण जब विद्यालय की वरिष्ठ बहनों द्वारा समझानी दी गई तो इन षड़यंत्रकारियों ने क्रोधित होकर बदले की भावना से अपने-आप को विद्यालय से जबरियन अलग कर लिया।

Just as the Indian History evidences sufferings of Indians due to some anti-social elements from within Indian Territory. This is not a story of one time; it is the reality

getting repeated a number of times. It's a visible proof of repeated factual harassments by the demonic attackers on the innocent girls, mothers (Kanyas and Matas) involved in their regular practice of Rajyog in the "AVV". Astonishingly, both { B.Ks and PBKs; i.e., Brahmakumaris and Prajapita Brahmakumaris) are the children of One Eternal Father Shiv. When the senior sisters of the "AVV" have explained the need of following the divine norms which regulate the normal lifestyle, purity, pure food and sanctity of pure behavior, the conspirators have separated themselves from the "AVV family" out of grudge and anger.

उक्त षड़यंत्रकारियों ने उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन तथा आयकर विभाग के कुछ पदाधिकारियों की मिलीभगत से और धनबल का इस्तेमाल करते हुए, आध्यात्मिक परिवार तथा इसके मुख्य-2 परिवार-जनों का उत्पीड़न करना प्रारम्भ किया। हम उन सारे उत्पीड़नों को क्रमानुसार संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि संसार का भूत-भविष्यगत आध्यात्मिक परिवार निरंतर झेल रहा है।

The above mentioned "Opposition Group" had joined hands with some officials of the U.P State Government and higher ups of Income Tax Department backed by the flow of funds started harassing our Ishwariya Family and leading members fo the family. We opt to place a brief of the harassments in seriatim which are being faced by the "AVV family" on a regular basis, the past, present and of-course in the future.

दशरथ ए.पटेल, जो कि अहमदाबाद के अग्रणी आयकर अधिवक्ता हैं, उनके नेतृत्व में उनके सहित दस लोगों ने एक विरोधी समूह बना लिया और उन्होंने सम्पूर्ण ईश्वरीय परिवार के अस्तित्व को जड़ से मिटाने के लिए एक सोचा-समझा षड़यंत्र रचा, जिसमें उनका पहला लक्ष्य था -हमारे आध्यात्मिक परिवार के मुखिया-जनों और आध्यात्मिक परिवार के अन्य सदस्यों का आध्यात्मिक अस्तित्व समाप्त करना। 1. दशरथ ए. पटेल (मुखिया) और उनके 9 सहयोगी और समर्थक हैं, .2 – दिल्ली के अशोक पाहूजा, सहयोगी रविश सक्सेना के साथ, .3 उत्तर प्रदेश के राम प्रताप सिंह चौहान खुर्जा, .4कलकत्ता के चतुर्भुज अग्रवाल, 5. दिल्ली की जया भारद्वाज, 6. नारनौल-हरियाणा की रेणुका, 7. मथुरा की तारा देवी, .8 गुजरात की मीना कुमारी, 9. मुजफ्फरनगर के कैलाशचंद्र और 10. अग्र आयुध के रूप में इस्तेमाल किया गया कलकत्ता के प्राण गोपाल बर्मन को।

The main heads whose names have been referred in subsequent court cases are 1. Under the leadership of Dasharath A.Patel, a leading Income Tax advocate of Ahmedhabad , ten people have formed an "Opposition Group" specifically aimed to target, harass and eradicate the spiritual existence of the leading family members as well entire Ishwariya Family fuelled by a well-drawn conspiracy. The rest of the nine who have pledged to assist Dasharath A.Patel are 2. Ashok Pahuja assisted by Ravish Saxena of Delhi 3. Ram Pratap Singh Chauhan, of Khurja U.P, 4. Chaturbhuj

Aggarwal of Calcutta, 5. Jaya Bhardwaj of Delhi, 6. Renuka of Narnowl, Haryana, 7. Tara Devi of Mathura 8. Meena kumari of Gujarat 9. Kailash Chandra of Mujaffarnagar primarily armed by 10. Pran Gopal Varman of Calcutta.

चूँकि उपरोक्त षड़यंत्रकारियों ने ईश्वरीय परिवार के उत्पीड़न के लिए एक विरोधी दल बना लिया, जिसे समझने की सुविधा के लिए आगामी लिखत में 'विरोधी दल' के नाम से संबोधित करेंगे; क्योंकि सभी न्यायालयों के न्यायाधीशों ने भी इसी 'विरोधी दल' शब्द को अपने-2 अंतिम निर्णय में उपरोक्त षड़यंत्रकारियों के लिए संबोधित किया है।

Since the above conspirators have formed an "Opposition Group" aiming at the harassment of the "AVV family", we prefer to refer them in the name of "Opposition Group" in our ensuing presentations for the reason that all the judges of the courts have used the same terminology, "Opposition Group" in their respective judgments in respect of the above mentioned conspirators.

भल ऊपर वर्णित दस सिर अपना कार्य तो करते हैं, जो नज़र में भी आते हैं; लेकिन इन दसों सिरों के ऊपर भी एक और दसों सिरों के मुखिया का संगठन है, जो लोग डुप्लिकेट भगवान के द्वारा स्थापन की हुई संस्था में गद्दीनशीन देहधारी धर्मगुरु बनकर बैठे हैं और वे अपने समान समर्थकों को मोहरा बनाकर अपनी धन बल और जन बल की शक्ति द्वारा आध्यात्मिक ईश्वरीय विद्यालय के सम्पूर्ण परिवार व उसके मुखिया-जनों के सम्मान को मिट्टी में मिलाने की गाँठ बाँधे हुए हैं। शास्त्रों से भी साबित होता है कि ब्रह्मा-वत्सों ब्रह्माकुमार-ब्रह्माकुमारियों ने ही ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज नहीं रखी, जिस कारण समूचे 2500 वर्ष के भक्तिमार्ग में ब्रह्मा की न मूर्तियाँ हैं, न मंदिर हैं और न ही कहीं पूजा होती है।

Well, the above mentioned "Opposition Group" with “ten heads” is active and of course is apparently visible before the naked eyes. There is another chief controlling ten-headed group above all the ten heads; similar to the mind that controls the ten bodily elements; the controlling heads behind the curtains of conspiracy, a fraction of the body conscious Gurus despite sitting in the divine institution directly founded and formed by duplicate God Father investing the power of money and man power in favour of the similar minded as their pawns; to fulfill their oath to eradicate the AIVV family. The said to be heirs of Brahma; the self-titled Brahma Kumaris and Brahmakumars as evidenced in the epics (Shasthraas) and ethics, did not leave the charm of Brahma undiluted, and as such; neither the idols of Brahma were designed for worship nor any temples for Brahma are constructed during the entire tenure of 2500 years marked for the line of devotion.

उपरोक्त षड़यंत्रकारियों व गद्दीनशीन देहधारी धर्मगुरुओं ने आज तक भी न जाने कौन-सा विरोधाभास पाल रखा है, जो खास जगतपिता का अस्तित्व मिटाने के लिए उनको इतना दुख दिया। जैसे आबू के ग्रेनाइट पहाड़ से सन् 1973-74 से लेकर जगतपिता के सम्मान के पीछे विरोधाभास भाग-2 कर आ रहा है, उसी प्रकार आज भी वे अपनी प्रतिशोध निभाने की गाँठ बाँधे रखे हुए हैं।

Can’t be imagined as to why the gurus enveloped by body consciousness sitting on the thrones of power at the granite hills of Abu have developed the jealousy antagonism against the dignities of jagatpita, the father of humanity; right from 1973-74; aimed at the complete eradication of his existence, are even today continuing to harass Him as if they are confined to their oath as such.

जो स्वयं कर्ता है, स्वयं ज्ञान-यज्ञपिता है, उनको ही बहिष्कृत किया गया और निरीश्वर यज्ञ आबू के पहाड़ों पर जड़ चित्रों के आधार पर चलता रहा। अगर बहते हुए आँसुओं को रोकना चाहें, तो एक ही मुरली का महावाक्य कानों में गूँजता रहता है- ‘‘भगवान तो एक ही है। भगवान को जितना रुलाया है, उतना और किसी को नहीं।’’ (मुरली तारीख- 30-09-68 पृ.3 मध्य) अब सोचने की बात यह है कि भगवान कौन- ब्रह्मा, कृष्ण, राम या शंकर ? शास्त्रों में किसका नाम शिव के साथ जोड़ा गया ?

He who himself is the igniter of the Vedic Fire, He, who himself is the Forefather of the indestructible knowledge of sacrifice (Yajna) of Rudhra, is dispelled from the very Sacrifice (yajn) and the inert sacrifice (Yajna) in the absence of Ishwar is continued at the Abu Hills on the basis of the physical and inert pictures. If one intends to wipe the flooding tears; the Sacrosanct version of Shiv Baba, starts ringing in the ears, “The Supreme God is only one. No other was so harassed than with Bhagwan (Ram).” (Murali: 30-01-1974 appearing at the central part of page 3). Now it is left for analysis. Who is that Bhagwan (Supreme God Father) ? Is it Brahma, Krishna, Ram or Shankar? Whose name is combined with Supreme Soul Shiva in the epics!

षड़यंत्र का पहला चरण नीचे लिखे अनुसार है :

कलकत्ता के प्राण गोपाल बर्मन ने अपनी पुत्री को सन् 1994 में इस आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के संरक्षण में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए भर्ती किया, जैसे बहुत-से अन्य माता-पिताओं ने भी अपनी कन्याओं को भर्ती किया है। परंतु विरोधी दल के प्रभाव में आकर प्राण गोपाल ने उनसे विशाल धनराशि ले ली और उसके बदले में अपनी पुत्री कुमारी कोनिका को उस विरोधी दल को समर्पित करने की योजना बनाई। अपनी सौतेली माँ द्वारा सही समय पर सावधान किए जाने पर कुमारी कोनिका बर्मन ने उनकी योजना विफल कर दी और उनका आदेश मानने से इन्कार कर दिया।

We shall now revert to the vicious sequence of Conspiracies ignited by the "Opposition Group".

The 1st Phase of the Conspiracy: Konika Berman:

Mr. Pran Gopal Varman of Calcutta has admitted his daughter at this Vishwa Vidyalaya during 1994 for acquiring Ishwariya knowledge under the auspices of "AVV family" as number of other parents did. Having got influenced and fuelled by the group of ten, he planned to get his daughter Miss. Konika Berman surrendered to the "Opposition Group" against receipt of huge money. Having got warned by her stepmother at right time, Miss. Konika Berman has foiled his plan and refused to obey his order.

तब गुस्से में आकर प्राण गोपाल बर्मन ने विरोधी दल की मदद से एस.डी.एम., कायमगंज के सामने कोनिका को नाबालिग़ बताते हुए उसको आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के मुखिया जनों द्वारा बंधक बनाए जाने का आवेदन पत्र झूठे प्रमाण-पत्र के साथ पेश किया। श्री प्राण गोपाल बर्मन और उसके साथी विरोधी दल को एस.डी.एम., कायमगंज से सर्च वॉरंट का आदेश प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। अंततः कुमारी कोनिका बर्मन को ता.7-04-1998 को नारी निकेतन, इटावा में भेजने का निर्देश दिया गया। ऐसा इसलिए हो सका; क्योंकि षड़यंत्र के तहत कोनिका बर्मन की 22 वर्ष की वास्तविक आयु के स्थान पर 16 वर्ष का फ़र्ज़ी आयु प्रमाणपत्र कोर्ट में पेश किया गया।

Having enraged by the reciprocal situation, Mr. Pran Gopal Berman in hands with the "Opposition Group" has lodged a complaint that his daughter was illegally detained by the senior members of the "AVV". Mr. Pran Gopal varman in hands with the "Opposition Group" has succeeded in getting an order of Search warrant from S.D.M., Kayamganj. Ultimately, Miss. Konika varman was directed to Nari

Niketan, Itawa from 7.04.1998 onwards. This could be made possible by showing a false certificate of age as 16 years instead of her correct age of 22 years.

वयस्क होते हुए भी कोनिका को 2 महीने के लम्बे समय तक नारी निकेतन में उसकी इच्छा के विरुद्ध पीड़ा सहन करनी पड़ी। जब तक उसके चिकित्सा प्रमाणपत्र और उसके मूल आयु प्रमाणपत्र ने यह साबित नहीं किया कि वह एक अवयस्क नहीं; अपितु वयस्क है, तब तक निर्दोष कन्या इटावा के नारी निकेतन में आतुरता से स्वतंत्रता की प्रतीक्षा करती रही। परंतु स्वयं न्यायपालिका को भी विभ्रांत करने वाली बात यह है कि कम आयु की बात को लेकर कोनिका बर्मन को उसकी इच्छा के विरुद्ध नारी निकेतन भेजा गया। यह एस.डी.एम. कायमगंज की गलती नहीं; अपितु नेपथ्य में आर्थिक रूप से प्रभावित मीडिया द्वारा किए गए झूठे प्रचार-प्रसार व विरोधी दल के सुनियोजित षड़यंत्र की शक्ति है।

Despite being a major girl, Konica had to suffer hardships at Nariniketan for a period of 2 months for no fault of her. The innocent girl eagerly waited for freedom till the medical certificate in addition to her original date of birth certificate has thrown evidence that she is a major but, not a minor. But, to the surprise of the judiciary itself, her release was not affected immediately. She was held at Nari Niketan still , as if she is a minor. This is not at all the fault of S.D.M., Kayamganj; in the backdrop is the inflated spread of the false news by the media powered by the well-planned conspiracy of the "Opposition Group" behind the scene.

अंततः निर्दोष कन्या की पीड़ा ने इलाहाबाद के माननीय न्यायाधीश के उच्च न्यायालय के दरवाज़े के साथ-2 उनके दिल को भी खटखटाया। आखिर उनका निर्णय उनके दिल और कलम, दोनों से ही निकला- **''यह पाया गया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 97 के अधीन याचिकाकर्ता के खिलाफ मामले के निपटाने में एस.डी.एम. को इतना लंबा समय नहीं लेना चाहिए था। उन्हें सिर्फ यह देखना था कि क्या वह कन्या 18 वर्ष की थी या नहीं, और यदि वह वयस्क थी तो उसे किसी भी बहाने कैद रखने का कोई कारण नहीं हो सकता था। हम यह मानते हैं कि संबंधित न्यायालय को कानून के अनुसार 01-06-98 को (मामला) निपटा देना चाहिए।''**

The innocent girl's suffering could at last not only knocked the doors of the Court but also touched the heart of the Learned Judge of High Court of Judiciary at Allahabad. His Judgment from the heart as well the pen was delivered vide his order dated 26-05-98– "It is observed that the S.D.M. should not have taken such a long time to dispose of the matter as against the petitioner under section 97 Cr.P.C. He was only to see whether the girl was aged about 18 years and if she was a major;

there could be no reason to detain her under any pretext. We treat that the court concerned must dispose of the matter on 01.06.98 in accordance with law".

उच्च न्यायालय के इस फैसले के तहत कुमारी कोनिका को दिनांक 01-06-98 को नारी निकेतन से रिहा कर दिया गया। हालाँकि हम नहीं चाहते थे कि प्राण गोपाल बर्मन जिसे इस षड़यंत्र का मोहरा बनाया गया था, उनको जेल हो; लेकिन धारा 420, 467 IPC के तहत प्राण गोपाल बर्मन के खिलाफ केस दर्ज हुआ और पुलिस ने उनको स्कूल प्रिंसिपल से मिलीभगत कर फर्जी आयु प्रमाण-पत्र न्यायालय में पेश करने के अपराध में जेल में डाल दिया। इस केस से संबंधित कोर्ट जजमेंट के कुछ मुख्य भाग इसके साथ जुड़े हुए हैं।

The result was her release on 01.06.98 in response to the order dated 01-06-98 of S.D.M., Kaimganj. Pran Gopal Varman, who was made instrumental of this conspiracy, though we did not want, had to suffer imprisonment for the sins he had committed in ignorance under sections 420, 467 IPC for the charge that he has produced a faulty birth certificate in hands with the Principal of the School. Some important points of the Judgment of the court as they are, are annexed herewith.

KONIKA BARMAN

(6)

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

CIVIL SIDE

ORIGINAL JURISDICTION

DATED ALLAHABAD THE : 26.5.1998

PRESENT

THE HON'BLE S.K.PHAUJDAR..............JUDGE

THE HON'BLE J.C.MISHRA...............JUDGE

H.C. CIVIL MISC.WRIT PETITION NO. 18911 of 1998

Order on the petition of Kumari Kanika Barman

In re:

Kumari Kanika Barman Adhaitimik Daughter of Baba Virendra Dixit R/o Adhatimik Ishwariya Vishwa Vidyalaya, Kample District Farrukhabad..Detenue petitioner.

Vs.

1. Nari Sarnalaya Greh (Nari Niketan) Etawah, through its Superintendent.

2. Senior Superintendent of Police Etawah. ...Respondents.

BY THE COURT

In this petition the petitioner Kanika Barman (a girl) states that she is a major and has right to choose her own place of residence. It is stated that she is now being detained in a Nari Niketan at Etawah under the order of S.D.M.Kayamganj ina proceeding under Section 97 Cr.P.C. initiated by her father. It is stated that she was produced before the court on at least seven occasions and her age has already been determined medically certifying her to be a major. The learned counsel submits that the girl may be produced here and her statement be recorded and direction for her release be issued. We feel that this exercise may not be necessary and a direction otherwise be given to the concerned court. It is observed that the S.D.M. should not have taken such a long time to ~~dispose~~ dispose of the matter as against the petitioner under Section 97 Cr.P.C. he was only to see whether the girl was aged

about 18 years and if she was major there would be no reason to detain her under any pretext. We are told that the matter is fixed beforethe Magistrate on 1st June, 1998.

We direct that the court concerned or if he is absent on that date any other court before whom the matter is fixed, must dispose of the matter on 1.6.98 inaccordance with law keeping in view of the papers concerning age of the girl. The matter stands disposed of.

Dt/ 26.5.1998

sd/ S.K.Phaujdar
sd/J.C.Mishra

TRUE COPY

7-8-98

S.O.COPYING SECTION 'D'
HIGH COURT AT ALLAHABAD

P.C./-

S.K. Pandey
28/8/98

(38)

-: फोलियो :-

केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना-पत्र देने की तारीख Date on which application is made for copy accompanied by the requiste stamps	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of posting notice on notice board	नकल वापिस दिये जाने की तारीख Date of delivery of copy	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of official delivering copy.
8/20/6/05	24/6/05	1/7/05	1-7-05

WA 41500

A.K. Sharma (Adv.)

A.K.B. Sharma (Adv.)

CANCELLED

10 Rs. COURT FEE INDIA TEN RUPEES

39

न्यायालय सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट करनालगंज ।

(6 ब)

वाद सं0 142/98 धारा 97 द0 प्र0सं0
थाना- कर्नल

सरकार बनाम कोनिका वर्मन

आदेश

प्रस्तुत वाद पुलिस आख्या दिनांक 6-4-98 के आधार पर धारा 97 द0 प्र0सं0 के तहत तलाशी वारण्ट जारी किया गया । दिनांक 7-4-98 को कु0 कोनिका वर्मन को पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय में पेश किया गया । कु0 कोनिका वर्मन पुत्री प्रानगोपाल वर्मन के बयान अंकित किये गये । अपने बयान में उसने अपनी उम्र 22 वर्ष बतायी एवं पिता प्रानगोपाल के साथ जाने से इनकार किया । उसने अपनी बुआ जो दिल्ली में रहती है के पास जाने की इच्छा व्यक्त की । इसी सन्दर्भ में प्रानगोपाल वर्मन पुत्र स्व0 समन्द वर्मन निवासी मो0 श्याम नगर परगना उत्तर चौबिस कलकत्ता (प0बं0) ने अपने बयान में कहा है कि मेरी लड़की कु0 कोनिका वर्मन की उम्र 16 वर्ष है और मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ तथा उसकी शादी कर दूँगा । उक्त बयानों की भिन्नता के कारण कु0 कोनिका वर्मन को बाद (चिकित्सीय उम्र) परीक्षण नारी निकेतन [illegible] में भेज दिया गया । मुख्य चिकित्साधिकारी परीक्षण बाद द्वारा कु0 कोनिका वर्मन की उम्र लगभग 18 वर्ष दर्शाई गयी । इसी के साथ उभयपक्षों द्वारा कु0 कोनिका वर्मन की उम्र के सम्बन्ध में अलग-अलग अभिलेख दाखिल किये गये ।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों/साक्ष्यों का भलीभाँति अवलोकन किया । जिससे स्पष्ट होता है कि कु0 वर्मन ने अपने बयान एवं शपथ पत्र में अपनी उम्र 22 वर्ष बतायी है एवं मुख्य चिकित्साधिकारी परीक्षण बाद ने भी बाद परीक्षण कु0 वर्मन की उम्र लगभग 18 वर्ष दर्शायी है । चूँकि कु0 कोनिका वर्मन ने अपनी बुआ जो दिल्ली में रहती है के साथ जाने की इच्छा व्यक्त की है परन्तु न्यायालय की वाद पत्रावली में कु0 वर्मन की बुआ का पता का कहीं उल्लेख नहीं था इसलिये अधीक्षका नारी निकेतन [illegible] के माध्यम कु0 वर्मन से उसकी बुआ का पता मांगा गया । कु0 वर्मन ने अपनी बुआ का पता श्रीमती संध्या दुबे पत्नी पवन दुबे निवासी खानपुर दिल्ली बताया । बाद में श्रीमती संध्या दुबे पत्नी पवन दुबे निवासी खानपुर सैनिक फार्म दिल्ली ने स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर अपना पूर्ण पता अंकित कराया एवं कु0 कोनिका वर्मन पुत्री प्रानगोपाल वर्मन को अपने साथ

2/---

ले जाने सम्बन्धी सहमति पत्र एवं शपथपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। पत्रावली पर मुख्य चिकित्साधिकारी फर्रुखाबाद की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि कु0 कोनिका वर्मन की उम्र लगभग 18 वर्ष का है एवं उसने अपने बयान में अपनी बुआ जो दिल्ली में रहती है के साथ जाने की इच्छा व्यक्त की है। उसकी बुआ श्री संध्या दुबे उपरोक्त ने भी कु0 वर्मन को अपने साथ ले जाने हेतु सहमति दी है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि कु0 कोनिका वर्मन पुत्री प्रानगोपल वर्मन जो मुख्य चिकित्साधिकारी फर्रुखाबाद की चिकित्सीय जाँच के आधार पर लगभग 18 वर्ष की है, को उसकी इच्छा के विरुद्ध न तो कहीं भेजा जा सकता और न कहीं रोका जा सकता। चूँकि कु0 वर्मन ने अपने पिता के साथ न जाकर अपनी बुआ श्रीमती संध्या दुबे पत्नी पवन दुबे के पास जाने की इच्छा व्यक्त की है अतएव कु0 वर्मन को उसके बयानों के आधार पर उसकी बुआ श्रीमती संध्या दुबे पत्नी पवन दुबे निवासी खानपुर सैनिक फार्म दिल्ली के पास भेजा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने भी रिट याचिका सं0 40363/96 श्रीमती राजकुमारी बनाम अधीक्षिका नारी निकेतन मेरठ व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17-2-97 में यह व्यवस्था की है 17 वर्ष की आयु का व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में हित-अनहित सोच सकता है। अतः उसकी इच्छा के विरुद्ध कहीं जाने/रहने को बाध्य नहीं किया जा सकता है।

अतः कु0 कोनिका वर्मन पुत्री प्रानगोपल वर्मन निवासी 24 परगना कलकत्ता हाल निवासी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कम्पिल को पुलिस अभिरक्षा में उसकी बुआ श्रीमती संध्या दुबे पत्नी पवन दुबे निवासी सैनिक फार्म 29 खानपुर दिल्ली के पास पहुँचाया जाय। थानाध्यक्ष कम्पिल को निर्देश दिया जाता है कि वह कु0 कोनिका वर्मन को अधीक्षिका नारी निकेतन इटावा से प्राप्त कर उसे उसकी बुआ श्रीमती संध्या दुबे पत्नी पवन दुबे निवासी खानपुर सैनिक फार्म-29 दिल्ली को सौंपकर सुपुर्दगीनामा एक सप्ताह के अन्दर न्यायालय में दाखिल करें। आदेश की प्रति थानाध्यक्ष कम्पिल/अधीक्षिका नारी निकेतन इटावा/श्रीमती संध्या दुबे पत्नी पवन दुबे को प्रेषित की जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

(हस्ताक्षर) 1-6-98
सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट
कायमगंज।

दिनांक:- 1-6-98

फोलियो

(1) (2)

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख	नकल वापिस दिये जाने की तारीख	नकल वापिस देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
30 30-10-04 Read Copies Judges	6 NOV 04	17-11-04	17-11-04

6/1000

COURT FEE १० भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय फर्रुखाबाद ।

नं०मु० 2021 /98 Case No [illegible]

कोनिका वर्मन पुत्री प्राणगोपाल वर्मन निवासी आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्व विद्यालय कम्पिल जनपद फर्रुखाबाद ।

बनाम

1- प्राण गोपाल वर्मन पुत्र [illegible] निवासी राहुल पोडा काली मोड़ श्यामनगर जिला 24 परगना (उत्तर) प० बंगाल

2- डा० जे० विश्वास ।। पत्थर रोड कमरा, परगना कलकत्ता वेस्ट बंगाल ।

धारा 467,468,471,182,193,120बी भा०द०सं०

थाना कायमगंज

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थिनी मूल रूप से श्यामनगर कलकत्ता वेस्ट बंगाल की रहने वाली है। तथा वर्तमान मे आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्व विद्यालय कम्पिल जनपद फर्रुखाबाद मे आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण कर रही है। प्रार्थिनी की मां की मृत्यु के बाद प्रार्थिनी के पिता ने दूसरी शादी कर ली है। प्रार्थिनी के पिता प्रार्थिनी को आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्व विद्यालय कम्पिल जनपद फर्रुखाबाद मे आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने हेतु लाये थे । और आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्व विद्यालय कम्पिल में आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने हेतु भर्ती कराया था । प्रार्थिनी उस समय बालिग थी तथा उसकी उम्र करीब 19 वर्ष की थी । प्रार्थिनी व उसके पिता ने विद्यालय मे समर्पण से पूर्व यह लिख कर दिया था कि प्रार्थिनी की उम्र 19 वर्ष है तथा अपनी मर्जी से वह शिक्षा ग्रहण कर रही

-2

पि०नि० ले० कोनिका वर्मन

है।

आश्रम में रह कर प्रार्थिनी को यह मालूम पड़ा कि आश्रम के संचालक बाबा वीरेन्द्र देव दीक्षित की ख्याति से खिन्न होकर आश्रम के संचालक के विरुद्ध अभियुक्तगण कैलाश चन्द्र, अशोक कुमार पाहूजा, चतुर्भुज अग्रवाल तथा प्रार्थिनी के पिता प्राण गोपाल वर्मन से मिल कर षडयंत्र कर रहे हैं और एक नकली संस्था भी उन्होंने अलग से बना ली है। प्रार्थिनी को धोखे से प्रार्थिनी के पिता प्राण गोपाल वर्मन अपने उपरोक्त साथियों की मदद से दिनांक 6-2-99 को यह झूठ बोल कर कि प्रार्थिनी की दादी शरीर छोड़ने वाली है आश्रम से प्रार्थिनी को अगवा कर ले गये। और प्रार्थिनी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। उसके साथ बलात्कार का भी प्रयास किया गया जिसके संदर्भ में प्रार्थिनी द्वारा विधिक कार्यवाही भी की गयी थी। दिनांक 16-3-99 को प्रार्थिनी किसी तरह कम्पिल आश्रम आई और फिर आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने लगी। प्रार्थिनी के पिता प्राण गोपाल वर्मन प्रार्थिनी को किसी न किसी तरह प्राप्त करने तथा प्रार्थिनी का प्रयोग आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्व विद्यालय कम्पिल के संचालक वीरेन्द्र देव दीक्षित के विरुद्ध करने के लिए उपरोक्त दशरथ र पटेल तथा अशोक पाहूजा आदि से मिल कर षडयंत्र करने लगे तथा इसके लिए बहुत सारा रुपया भी प्रार्थिनी के पिता ने उपरोक्त लोगों से ले लिया।

दिनांक 6-4-98 को कम्पिल स्थित आश्रम पर प्राण गोपाल वर्मन व उसके साथियों ने झगड़ा किया जिसके फलस्वरूप थाना कम्पिल पुलिस द्वारा प्राण गोपाल वर्मन तथा उसके साथियों के विरुद्ध धारा 107/116 द0प्र0सं0 की कार्यवाही की गयी लेकिन इस पर भी अभियुक्त प्राण गोपाल वर्मन संतुष्ट नहीं हुआ और यह जानते हुए भी कि प्रार्थिनी की जन्म तिथि 13-2-76 है और प्रार्थिनी श्यामनगर जवाहरलाल नेहरू स्मृति विद्या मंदिर श्यामनगर नार्थ 24 परगनाज की विद्यार्थी रही है। फिर भी एक झूठा शपथ पत्र एवं प्रार्थना पत्र।

-3

न्यायालय उप जिला मजिस्टेट कायमगंज के समक्ष प्रस्तुत किया और प्रार्थिनी का सर्च वारंट निकलवाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया । शपथ पत्र एवं प्रार्थना पत्र में प्राण गोपाल वर्मन द्वारा प्रार्थिनी को नाबालिग बताया गया । न्यायालय को गुमराह करके प्रार्थिनी का सर्च वारंट निकलवाया गया । दिनांक 7-4-98 को प्रार्थिनी गिरफ्तार होकर उप जिला मजिस्टेट कायमगंज के समक्ष प्रस्तुत हुई तथा उसने उप जिला मजिस्टेट कायमगंज को अपना शपथ पत्र एवं प्रार्थना पत्र दिया लेकिन प्राण गोपाल वर्मन द्वारा जानबूझ कर अपना ब्यान झूठा उप जिला मजिस्टेट कायमगंज के समक्ष दिया और उस ब्यान मे प्रार्थिनी को फिर नाबालिग बताया और यह झूठे ब्यान के आधार पर प्रार्थिनी को नारी निकेतन इटावा भेज दिया गया । और उप जिला मजिस्टेट कायमगंज ने प्राण गोपाल वर्मन द्वारा दिये गये झूठे ब्यान के आधार पर प्रार्थिनी का चिकित्सीय परीक्षण कराने का निर्देश दिया । जिसमे प्रार्थिनी की उम्र 19 वर्ष के करीब पायी गयी । और प्राण गोपाल वर्मन का यह ब्यान झूठा साबित हुआ ।

प्राण गोपाल वर्मन अभियुक्त इससे भी संतुष्ट नही हुए उन्होने अभियुक्त डा० जे० विश्वास से मिल कर प्रार्थिनी का एक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र न्यायालय उप जिला मजिस्टेट कायमगंज के समक्ष प्रस्तुत किया और उस सर्टीफिकेट मे तथा सर्टीफिकेट के साथ दाखिल किए गये संलग्न शपथ पत्र में यह दर्शाया कि प्रार्थिनी नाबालिग है और उसका जन्म प्रमाण पत्र दाखिल करने वाले डाक्टर के अस्पताल में हुआ था और इस जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर प्रार्थिनी नाबालिग है। यह फर्जी प्रमाण पत्र प्राण गोपाल वर्मन ने जानबूझ कर तैयार कराया और प्रमाण पत्र को दाखिल करके प्राण गोपाल वर्मन ने न्यायालय को गुमराह किया और न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बाध्य किया कि प्रार्थिनी नाबालिग है । तथा प्रार्थिनी को नारी निकेतन मे रखा जावे ।

[illegible] वर्मन

(6)

प्रार्थिनी की पुत्री संध्या दुबे ने भी उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष प्राण गोपाल वर्मन द्वारा की गयी इस जालसाजी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की लेकिन प्राण गोपाल वर्मन द्वारा पुनः अपने द्वारा की गयी जालसाजी को सही बता कर न्यायालय को फिर गुमराह किया और प्रार्थिनी को नारी निकेतन मे रहने को बाध्य किया और कहा कि अगर प्रार्थिनी उसकी बात नही मानेगी तो प्रार्थिनी को जिन्दगी भर जेल मे सड़ा दिया जायेगा।

प्रार्थिनी ने 28-4-98 को जिलाधिकारी फर्रुखाबाद को प्रार्थना पत्र दिया इससे पूर्व 16-4-98 को उप जिला मजिस्ट्रेट कायमगंज को धारा 340 द० प्र०सं० के अन्तर्गत इस जालसाजी के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया लेकिन कोई कार्यवाही नही की गयी। और न ही प्रार्थिनी को उप जिला मजिस्ट्रेट कायमगंज द्वारा मुक्त किया गया। क्योंकि प्राण गोपाल वर्मन अभियुक्त किसी न किसी बहाने तथा कोई न कोई कागज दाखिल करने के बहाने तारीख बढ़वा लेता था। तब प्रार्थिनी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका दाखिल की गयी और उस याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट निर्देश पारित करने के बाद प्रार्थिनी न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट कायमगंज द्वारा मुक्त की गयी।

अभियुक्तगण ने जानबूझ कर प्रार्थिनी का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बना कर उप जिला मजिस्ट्रेट कायमगंज मे दाखिल किया और उप जिला मजिस्ट्रेट कायमगंज के समक्ष फर्जी बयान दिये। जिसके आधार पर अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय को गुमराह किया गया। जिसका सम्पूर्ण साक्ष्य प्रार्थिनी के पास तथा संबंधित पत्रावली में उपलब्ध है। जिसका निस्तारण श्रीमान जी द्वारा संभव है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि ~~xxxx~~ प्रार्थिनी से साक्ष्य लेकर अभियुक्तगणो को दंडित करने की कृपा करें।

प्रार्थिनी

कौशिकावर्मन पत्नी प्राणगोपाल वर्मन नि०आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्व विद्यालय कम्पिल जनपद फर्रुखाबाद।

दिनांक

प्रमाणित प्रतिलिपि

6/11/04

223

प्रतिलिपि

केवल नकल की फीस के लिए

A.K. Sharma (Adv)

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख	नकल वापिस दिये जाने की तारीख	नकल वापिस देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
31 30/10-04	6 NOV 04	9-11-04	9-11-04

A.K. Sharma (Adv)

3/150

COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(9)

कोनिका वर्मन बनाम प्राणगोपाल वर्मन

26.10.98

यह परिवाद कोनिका वर्मन ने विपक्षीगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 467, 468, 471, 182, 193, 120बी भा०द०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध में विचारण करने हेतु सम्मन करने एवं दण्डित करने हेतु दिनांक 7.7.98 को प्रस्तुत किया। अपने कथन की पुष्टि में स्वयं को अन्तर्गत धारा 200 द.प्र.सं. तथा साक्षीगण [illegible] राजकुमारी, शोभा माता, पुष्पावती शर्मा, श्रीमती सन्ध्या, को अन्तर्गत धारा 202 द.प्र.सं. परीक्षित किया तथा एस.डी.एम. कायमगंज के कार्यालय से धारा 97/98 द.प्र.सं. थाना कम्पिल सरकार बनाम कोनिका वर्मन की पत्रावली तलब करायी। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से एस.सी.सी. (क्रि०) 1998 पेज 60 पर पारित प्रतिपादित सिद्धान्त की छायाप्रति दाखिल की।

मैंने परिवाद पत्र पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तलबिदा पत्रावली संख्या 142/98 धारा 97/98 द.प्र.सं. सरकार बनाम कोनिका वर्मन थाना कम्पिल का अवलोकन किया तथा आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

तलबिदा पत्रावली के अवलोकन से तथा परिवाद पत्र की पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अन्तर्गत धारा 200 एवं 202 द.प्र०सं० के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि प्रथम दृष्टया विपक्षीगण ने अन्तर्गत धारा 467, 468, 471, 182, 193, 120बी भा० द०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है। अतः विपक्षीगण के विरुद्ध उपरोक्त धारान्तर्गत अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाता है। विपक्षीगण को जरिए सम्मन दिनांक 3/12/98 के लिए तलब किया जाय। पैरवी अन्दर तीन दिन की जाय।

पी.पी. के कोनिका वर्मन

प्रमाणित प्रतिलिपि
6-11-04

आर०सी०तिवारी,
स०जे०एम०, फर्रुखाबाद
26.10.98

ईश्वरीय परिवार के खिलाफ षड़यंत्र का दूसरा चरण : बिजली केस

कुमारी कोनिका को दिनांक 07-04-98 से नारी निकेतन, इटावा में भर्ती करवाने के सफल प्रयास के पश्चात् षड़यंत्रकारी चुपचाप नहीं बैठे, पृष्ठभूमि पर बैठे आबू पहाड़ के गद्दीनशीन देहधारी धर्मगुरुओं द्वारा मिल रही धनराशि से उन्होंने बिजली विभाग द्वारा स्थानीय पुलिस वालों से मिलीभगत कर, बिना किसी पूर्व नोटिस के कम्पिल स्थित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय पर छापा डलवाया तथा दिनांक 16-04-98 को प्रातः 9 बजे बिजली की सप्लाई कटवा दी। उनका यह बहाना रहा कि हमारे मुख्य भ्राता द्वारा बिजली की चोरी की गई है। बिजली विभाग को मीटर की आपूर्ति के लिए दिए गए अनुरोध पत्र के साथ-2 अद्यतन भुगतान किए गए बिल आज भी साक्ष्य के रूप में मौजूद हैं। दुनिया के इतिहास में वह एक काली शाम थी, जब कम्पिल, कायमगंज और शमशाबाद थाने की पुलिस के साथ अन्य पुलिस बलों ने कम्पिल पुलिस थाने के प्रभारी के साथ ट्रक भर पी.ए.सी. फोर्स को लेकर आध्यात्मिक विद्यालय की गली में प्रवेश किया और बिना नोटिस के कन्याओं-माताओं से भरे-पूरे आध्यात्मिक विद्यालय में अचानक छापा मारा, दूसरे शब्दों में, भीरु पुरुषों की तरह आक्रमण किया, आध्यात्मिक विद्यालय निवासिनी बुज़ुर्ग महिलाओं सहित कन्याओं पर लाठीचार्ज किया।

The Second Phase of Conspiracy against "AVV family" : Electricity Case:

Soon after the successful attempt in getting Miss. Konika remanded to Nari Niketan, Itawa from 07.04.98 onwards, the masterminds did not keep quiet. With the help of huge inflow of money from the heads behind the scene, they managed the Electrical Department who, in hands with state police, raided the "AVV" at Kampil, without any kind of Notice, disconnected the power supply on 16.04.98 at 9 AM. Their pretext was that there was a theft of Power supply by our Spiritual Brother. The up-to-date paid Bills stand evident even today along with the long pending request for supply of meter placed with Electricity Department.

It was 16-04-98, a black evening in the world History, when the police force from Kampil, Kaimganj and Shamshabad along with the other police personnel along with the Station House Officer of Kampil Police Station, entered into the street with a truck P.C.A., raided the house unnoticed, broke open the doors, attacked and lathi charged mercilessly the girls including elderly ladies of the Adhyatmik vidyalaya.

उन्होंने हमारे मुख्य भ्राता को पीट-2 कर, फाड़ी हुई धोती के साथ, नंगा ही सड़क किनारे वाले नाले में निर्दयतापूर्वक घसीटा, मारा और पुलिस की जीप में खींच कर डाल दिया। भ्राता जी निकल पड़े पुलिस वालों के साथ, आँखें निमीलित थीं। पीछे रह गई सारी कांपिल्य नगरी अचेत, अपनी आँखों में भरे हुए

आँसुओं को बिना पोंछे। कुछ निर्दोष भाइयों को भी इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि उन्होंने पुलिस की कार्यवाही में बाधा डाली।

They have indiscriminately dragged our Divine Spiritual Brother into the roadside canal with his dhoti torn into pieces, beat him mercilessly and pulled him into the Police jeep. The Spiritual Brother simply followed the Police; His eyes are free of feelings. The entire historical village of Kampil was left behind, inert, with tears unwiped. Some other brothers were also arrested on the pretext that they have created obstruction in the duties of the Police on duty.

हमारे निर्दोष कन्याओं, माताओं, भाइयों और मुख्य भ्राता द्वारा कौन-सा अपराध किया गया था? उत्तर यहाँ है। हमारे मुख्य भ्राता की बेल याचिका सं.601/98 के उत्तर में माननीय न्यायाधीश श्रीमती सुधा सिंह ने कहा है, ***''इन परिस्थितियों में बाबा वीरेन्द्र देव दीक्षित द्वारा बिजली की चोरी का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। अतः याचिकाकर्ता बेल मंज़ूर करवाने के लिए योग्य हैं।''***-----वो आँसू जो सारी कांपिल्य नगरी ने बहाए थे, वो आँसू आज भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, जहाँ आज भी 99 प्रतिशत घरों में मीटर नहीं लगे हैं, वहाँ एक धार्मिक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के रहवासियों (कन्याओं-माताओं) पर बिजली बिल अदा करने के बावजूद भी, बिजली चोरी जैसा घटिया और झूठा आरोप लगाकर षड़यंत्रकारी और पुलिस वाले ऐसे कूद पड़े, जैसे कि मानवीय वेष धारण कर इतिहास के पन्नों से राक्षस गण आध्यात्मिक विद्यालय वासियों पर अत्याचार करने के लिए फिर से कूद पड़े हों। बाकी कांपिल्य वासियों के दिल की धड़कनों की आवाज़ ठीक वैसे ही रही जैसे श्री राम अयोध्या से दंडकारण्य (वनवास) की ओर 14 साल के लिए प्रस्थान कर रहे थे।

What was at all the offence committed by our innocent girls, Mothers, Spiritual Brother and other brothers? Amswer is here.

In response to our divine brother’s bail petition No.601/98, Learned Judge Smt. Sudha Singh of Allahabad High Court has stated;

“In the circumstances, there is apparently no evidence of theft of Electricity by Baba Virendra Dev Dixit. Hence, the petitioner stands eligible to get the bail sanctioned”. The tears shed by the entire Kampil Village, wherein 99% of the houses were not supplied with Meters even today, stand wet till now. Despite paying the electricity consumption charges up to date with due evidences, the Police along with the "Opposition Group" has attacked the "AVV family”; as if the Demons have jumped from the pages of the epics behind the uniform of humans causing hurdles intending destruction in the indestructible knowledge of sacrifice (Yajna) being attended by the innocent sisters, mothers and brothers of the "AVV family”. The heart beats of

the residents of the Kampilya Nagari were similar to those of the residents of Ayodhya when Shree Ram was emigrating towards Dandaka Forest for a period of 14 years.

दिनांक 17-04-98 के समाचार पत्रों ने पुलिस विभाग की बर्बरता का स्पष्ट साक्ष्य दिया है और जिस भी व्यक्ति का दिल **पत्थर का नहीं बना है, बिना आँसू बहाए** इस दृश्य का साक्षी नहीं रह सकता है। भ्राता वीरेन्द्र देव दीक्षित जो कम्पिल गाँव में ही पैदा हुए, बड़े हुए, पढ़ाई-लिखाई की और वहीं शिक्षक भी रहे, उनको कंपिल गाँव में 'पंडितजी' के नाम से आज भी पुकारा जाता है।

The News Papers published on the following date, i.e., 17th April, 1998, have given a detailed report on the cruelty of the Police under the guise of discharge of their duties, The Newspapers dated 17.04.98 have given a clear evidence of the brutality of the police department and who ever be the person whose heart is not made of stone, cannot evidence the situation without shedding tears. Our beloved Spiritual Brother Virendra Deo Dixit who was born, brought up, studied at Kampil village itself, is referred and revered as “PANDITJI” in Kampil Village even today.

तीसरे चरण में दस षड़यंत्रकारियों ने नीचे लिखे अनुसार षड़यंत्र की योजना बनाई :

विरोधी दल यह बात अच्छी तरह जानता है कि मात्र बिजली चोरी का आरोप लगाने से भ्राता वीरेन्द्र देव दीक्षित को और आध्यात्मिक परिवार को पूरी तरह मिटाने का उनका लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। पूर्वनियोजित कार्यक्रम के अनुसार कम्पिल थाने में एक एफ.आई.आर. उसी दिन अर्थात् दिनांक 16-04-98 को (क्राइम संख्या 47/98) एक रेप केस भी तारा देवी के नाम से दर्ज करवाया गया। आरोप थे कि भ्राता वीरेन्द्र देव दीक्षित ने तारा देवी (उम्र 35 वर्ष) के साथ अप्रैल, 1997 में बलात्कार किया। पूरे 24 घण्टे भी नहीं बीते, दूसरे दिन ही अर्थात् ता.17-04-98 को एक और रेप केस (क्राइम नंबर 48/98) जया भारद्वाज के द्वारा दर्ज करवाया गया। जया भारद्वाज (उम्र 45 वर्ष) ने शिकायत की है कि भ्राता वीरेन्द्र देव दीक्षित तथा रवीन्द्र नाथ दास ने ता.20-03-97 को उसके साथ बलात्कार किया।

In the third phase, the ten conspirators' plan is appended:

The "Opposition Group" knows well that their aim to eradicate the entire "AVV family" along with Spiritual Brother Virendra Deo Dixit cannot be fulfilled by simply instigating a petty case like theft of Electricity. In execution and strengthening their preplanned conspiracies, they have managed instigation of an F.I.R on the same day, i.e., on 16th April, 1998, with Crime No. 47/98 by Tara Devi, aged 35 years, resident of Mathura with an allegation of rape. The allegation was that Spiritual Brother Virendra Deo Dixit has raped her in April 97, a year before. Not even 24 hours have lapsed, in execution of their conspiracy, another F.I.R with Crime No. 48/98 was lodged by Jaya Bhardwaj of Delhi on 17th April, 98. Jaya Bharadwaj has made an allegation that Spiritual Brother Virendra Deo Dixit as well another brother Ravindranath Das have raped her on 20-03-97.

यह भी आरोप लगाया गया कि हमारी आध्यात्मिक मुख्य बहन कमला देवी दीक्षित और हमारी आध्यात्मिक सहयोगी बहन शान्ता बहन ने उपर्युक्त तथाकथित बलात्कारों में सहायता करने में मुख्य भूमिका निभाई। जबकि काफी लंबे समय, लगभग 16 वर्ष से आध्यात्मिक साधना के लिए आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में रह रहीं कन्याओं में से किसी ने, न ही उनके माता-पिता ने और न ही कंपिल-वासियों ने विद्यालय में किसी के द्वारा ऐसे किसी कदाचार के बारे में सोचा भी था। यह बहुत आश्चर्यजनक और मानव कल्पना से अतीत है कि भ्राता वीरेन्द्र देव दीक्षित, जो कि पवित्रता के मामले में इस धरती पर किसी दूसरे से कम नहीं हैं; उन्होंने उक्त प्रौढ़ महिलाओं के साथ बलात्कार किया होगा।

It was also alleged that a prominent spiritual sister Kamla Devi Dixit and another spiritual sister Shanta of the Ishwariya Family played an important role in the said

to have been occurred rape. While none of the young girls who were staying at Adhyatmik vidyalaya for considerably long time; around 16 years, for their spiritual enlightenment nor their parents nor any residents of Kampil village have ever thought of any such misconduct by anyone in the Adhyatmik vidyalaya, it is a wonder and beyond human probabilities that Spiritual Brother Virendra Deo Dixit , next to none on the earth in respect of purity, has resorted to sexual harassment with these middle aged ladies.

विरोधी दल के हाथों से उपलब्ध धन बल ने दो और महिलाओं - मीना कुमारी और रेणुका, को हमारे मुख्य भ्राता और मुख्य बहन और आध्यात्मिक सहयोगी बहन शान्ता कुमारी के खिलाफ दिनांक 28-4-98 तथा 14-5-98 को क्रमशः पुलिस शिकायत क्राइम संख्या 58/98 तथा 68/98 दर्ज करवाने के लिए उकसाने की हिम्मत दी। आखिर पुलिस और विरोधी दल ने शिकायत कर्ताओं को मनाने में सफलता हासिल की।

With the power of money, the "Opposition Group" could attain success in encouraging and tempting two more ladies and getting two more F.I.Rs registered by Meena Kumari of Gujarat, and Renuka Narkhel of Narnowl, Haryana, on 28th April, 98 and 14th May, 98 with Crime No. 58/98 and 68/98 respectively against Spiritual Brother Virendra Deo Dixit and spiritual sister Shanta Kumari. Finally the police and the conspirators could succeed in convincing the two ladies.

विरोधी दल द्वारा रचा गया षड़यंत्र, जिसमें कुछ महीनों का समय लगा होगा, जिसके परिणामस्वरूप कुछ सुप्रशिक्षित महिलाओं ने ता.16-04-98 से क्रमवार ढंग से पुलिस में शिकायतें दर्ज की थीं। जब कुछ और महिलाओं को इस षड़यंत्र में शामिल होने के लिए राज़ी करने के प्रयास विफल हो गए तब चतुर्भुज अग्रवाल, जो कि विरोधी दल के सक्रिय सदस्य हैं, उसने अपनी ही बेटी रिंकु द्वारा एक और बलात्कार संबंधी मामला दर्ज कराने का प्रयास किया, जो कि विफल हो गया; क्योंकि इन मामलों में सी.बी.सी.आई.डी. भी शामिल थी।

Well a considerable time has lapsed in giving a final shape to the well-drawn conspiracy resulting in sequential allegations right from 16-04-98. When readying some more ladies could not fructify, Chaturbhuj Agarwal, one of the active conspirators had come forward to instigate another rape case by his own daughter Rinku. By that time it was too late to instigate fresh rape cases as C.B.C.I.D has started their investigation in the rape cases.

<u>कुछ असंभव बातें, जिनकी ओर से जाँच अधिकारियों ने अपनी आँखें मूँद ली हैं :</u>

विरोधी दल के नेतृत्व में उक्त याचिकाकर्ताओं ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस घर में आने-जाने के बावजूद, उक्त बलात्कारों की जानकारी, जो कहानी बाद में बैठ गढ़ी गई थी, घर में रहने वाले किसी भी सदस्य को कभी नहीं दी और न ही उन्होंने ठोस षड्यंत्र को अंतिम रूप देने तक तथाकथित आरोपों की शिकायत नज़दीकी पुलिस थाने में की थी। इस बात का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं है कि शिकायतकर्ता महिलाओं ने एक वर्ष से भी अधिक की अवधि तक बलात्कार की शिकायतें क्यों नहीं कीं? बलात्कार की उक्त बनावटी तारीखों के बाद भी शिकायतकर्ता महिलाएँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए सामान्य रूप से आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में क्यों आती रहीं? इन बातों के कारणों को भी जाँच अधिकारियों द्वारा सुविधाजनक रूप से अनदेखा कर दिया गया। जाँच अधिकारियों द्वारा कम्पिल आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में **लेडीज़ पुलिस-जनों के सक्रिय सहयोग से** तत्कालीन उपलब्ध आध्यात्मिक परिवार के कई सौ सदस्यों के बयानों को लगातार दो महीनों तक रोज़ रिकॉर्ड करने के बावजूद भी उन पर कोई महत्व नहीं दिया गया।

<u>A few improbabilities to which the investigating officers have shut their eyes:</u>

The complainant ladies despite the fact that they used to visit the Adhyatmik vidyalaya for acquiring knowledge even after the said to have been designated dates of rapes, the stories of which have been subsequently authored by the "Opposition Group", they had neither intimated about the said to have been occurred rapes either to the inmates of the Adhyatmik vidyalaya nor to the Police till such time when proper finishing touches were compiled to the conspiracies in a comfortable sequence. There also exists no satisfactory reason for the complainant ladies as to why they had not complained about the said to have been occurred rapes till more than a year had been lapsed. The investigating officers did not bother to enquire the reasons as to why the complainant ladies used to visit the "AVV" to acquire spiritual knowledge subsequent to the said to have been made up dates of rape. The factors have comfortably been overlooked by the investigating officers. Despite the fact that the investigating officers along with the Lady Police used to make regular recording of the statements of facts of hundreds of "AVV family" members for a period of two months, no importance has been attributed to the said statements for the reasons best known to them.

शिकायतकर्ता महिलाओं को यह शिकायत करने के लिए कहा गया कि बलात्कार के समय मदद के लिए चिल्लाने और रोने के बावजूद कोई उनकी मदद करने नहीं आया। यह भी आरोप लगाया गया, जिसकी संभावना ही नहीं है कि कमला देवी दीक्षित, जो शारीरिक रीति से उन महिलाओं से आधी ताकत वाली

भी नहीं थी, वह बलात्कार की शिकायत करने वाली महिलाओं को ज़बरदस्ती अपने हाथों से उठाकर भ्राता वीरेन्द्र देव दीक्षित के पास खींच कर ले गई हों, जिससे बलात्कार में आसानी हो।

The complainant ladies were stimulated by the "Opposition Group" members to strengthen their complaints with additional allegations that none out of the people residing in that congested Adhyatmik vidyalaya building have paid any attention during the course of the said to have been occurred rape, despite crying and shouting for help. The complainant women have also been dictated by the "Opposition Group" leaders to add some more absurdities in their statements before the police that spiritual sister Kamla Devi Dixit, who was not even half of the physiques of the complainant ladies; has lifted them with her hands and dragged them to Spiritual Brother Virendra Deo Dixit to facilitate rapes.

सभी मामलों में प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त चिकित्सा रिपोर्ट्स, जिन्हें संलग्न किया गया था, उन रिपोर्ट्स को जाँच अधिकारियों ने ही नहीं, बल्कि कोर्ट के जजों ने भी दरकिनार कर दिया था।

The courts have genuinely discarded the medical reports annexed by the police as well the investigating officers, as they did not support any rapes against the complainants.

यह बात सच्चाई से दूर नहीं कि मीडिया आदि के कई तरीकों से, षड़यंत्रकारियों से प्रभावित होने के कारण सी.बी.सी.आई.डी. जाँच अधिकारियों ने सच्ची रिपोर्ट्स देने के स्थान पर रोचक कहानियाँ गढ़ी हैं, ताकि षड़यंत्रकारियों को विश्व के सबसे बड़े साक्षात् ईश्वरीय परिवार का अस्तित्व समाप्त करने में मदद मिल सके। इसका कारण वे अधिकारी ही बेहतर जानते होंगे।

It is not far from the fact that the investigating officers of the CBCID are well influenced by a variety of creations as spread over by media etc., and of course by the "Opposition Group" leaders; and they, instead of giving a true report, have authored interesting stories for the reasons known best to them, so that abundant support and way out is cleared for the conspirators to harass and eradicate the existence of the Ishwariya Family, the biggest family of the world.

कम्पिल आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का भौगोलिक स्थान और शिकायतों की अजीबोगरीब प्रकृति :

इस संबंध में हमारी ओर से कुछेक शब्द प्रस्तुत करना उचित होगा, जो कि महत्वपूर्ण हैं। यह आध्यात्मिक परिवार, भीड़-भाड़ वाले एक उजड़े हुए ग्रामीण क्षेत्र में, टूटे-फूटे खंडहर-मकानों के बीच स्थित बहुत पुराना

एवं स्वयं भ्राता द्वारा अपने हाथों से निर्मित किया गया भवन था और इसमें ऐसा कोई एकांत कमरा नहीं था जहाँ ऐसे अपराध किए जा सकें।

<u>The Geographical Location of Kampil Adhyatmik vidyalaya and the improbable mismatching allegations:</u>

In this connection, we wish to spell out a few words which are of interest, from our side. This Adhyatmik Adhyatmik vidyalaya was situated in the Kampil village and one among the poor broken houses of the village; constructed by Baba with his own hands over a period of time and for the reason of the congestion of space, there was absolutely no space or a vacant room to carry out any kind of crime alleged herein unnoticed amidst the crowd of spiritual family members gathered for the purpose of spiritual knowledge.

देश के विभिन्न राज्यों के लगभग 150-200 बहनें, भाई और बच्चे कड़ाके की ठण्ड के मौसम को छोड़कर, किसी भी समय, इस ज्ञान-यज्ञ कुंड के **छोटे-से ढाई मंज़िला** मकान में गहन आध्यात्मिक ज्ञान से लाभान्वित होने के लिए अक्सर रहा करते थे। वह कमरा, जो कि बलात्कार का स्थान बताया जाता था, बहुत ही संकरा रसोईघर था, जिसमें घर-गृहस्थी के बहुत सारे सामान रखे हुए थे।

The house often remains filled with more than 150-200 sisters, brothers and children belonging to various parts of the country, during the periods other than winter, live in this two and half floored house belonging to the fire of sacrifice; in pursuance of spiritual knowledge. The small congested room which was said to have been place of rapes always remained tight with a lot of kitchen ware and other food items stored therein.

कमरे के ऊपरी हिस्से में खुले सीमेंट निर्मित रोशनदान और उनके नीचे बिना दरवाज़ों की खुली खिड़कियाँ थीं, जो स्टोररूम जैसा दिखाई देता था। भाई-बहनों से भरी ऐसी भीड़-भाड़ वाली जगह में यह बात संभव नहीं है कि किसी के रोने या चिल्लाने पर किसी भी आध्यात्मिक विद्यालय वासी ने ध्यान न दिया हो। यह भी नोट करने योग्य बात है कि विभिन्न राज्यों से आने वाले लोग ऐसी आवाज़ें आने पर अपने कान बंद नहीं रख सकते।

The upper portion of the said room has an open cemented ventilator and below it were open windows without doors and the room itself looks a store room. It is highly impossible and amazing from all corners of the technicalities to believe the created stories of the complainants that none of the people residing in that congested Adhyatmik vidyalaya building have paid any attention. It is very much absurd that

the people coming from various states have shut their ears during the said to have been occurred rape, despite crying and shouting for help.

इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि ऐसी कोई भी अप्रिय घटना होने पर प्रत्येक आध्यात्मिक विद्यालय वासी संबंधित प्राधिकारियों को सूचित किए बिना शांत बैठा रहेगा, जो कि पवित्रता पर आधारित इस आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में अजीब-सी बात लगती है। दिनांक 16-04-98 के उस काले दिन से कमला देवी दीक्षित के जीवन में एक भी दिन ऐसा न रहा होगा जबकि उनका उत्पीड़न न हुआ हो और वह केवल अपने ईश्वर-प्रदत्त धैर्य के कारण ही सहन कर पाई होंगी।

It cannot even be believed and looks odd that no one has reported the incidents to either senior members of the Adhyatmik vidyalaya as well Police authorities, whereas the "AVV" itself stands on the foundation of purity. There was absolutely no day passed on where Kamla Devi Dixit was not harassed since the black evening of 16th April, 98. It’s only for the reason she could withstand the harassments in the backdrop of the courage accorded by Supreme God Father.

दस सदस्यीय आक्रमक दल ने भ्राता वीरेंद्र देव दीक्षित, शांता बहन और रवीन्द्र नाथ दास को सरकारी तंत्र द्वारा पूरे चार महीनों के लिए कैद में रखवाने में एवं मीडिया द्वारा जन समूह को भड़काने में अल्पकालिक सफलता प्राप्त कर ली, जिस अवधि में निचली अदालतों द्वारा आध्यात्मिक विद्यालय कम्पिल के अधिवक्ता की ओर से बीसियों से भी अधिकाधिक प्रभावशाली दलीलों के बावजूद भी बेल मंज़ूर नहीं की गई। जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने परिस्थिति के गहन व संपूर्ण अध्ययन के पश्चात् भ्राता वीरेंद्र देव दीक्षित, शांता बहन और रवीन्द्र नाथ दास की बेल मंज़ूर कर ली।

The ten headed conspirators could succeed temporarily in provoking the locals through the media against Spiritual Brother Virendra Deo Dixit and sending him along with spiritual sister Shanta Bahan and brother Ravindranath Das to jail for a term of four months during which period the bail could not be obtained at the level of the lower courts despite a host of submissions of the effective legal supports by the learned lawyers. They could get bail from the High Court after a comprehensive study of the cases by the Honorable judge of the High Court of Allahabad.

दिनांक 22-9-98 को उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को दिया गया निर्देश, जिसके अनुसार उस तारीख से एक महीने के भीतर पक्षकारों को सुनने के बाद मुकदमे का निपटारा किया जाना था, निर्धारित अवधि के बीत जाने के बाद भी केसेस निपटाने में 27 अगस्त, 2012 अर्थात् पूरे 14 वर्ष तक सारे केस लम्बित किए जाते रहे।

The High Court of Allahabad in their Order dated 22-09-98 has directed the lower courts to dispose the cases within a period of one month after hearing the parties. However the disposal took 14 years period till 27th August 2012 when the final rape case was disposed against the complainants.

The next phase of the Conspiracy to be highlighted is that of Renuka.

रेणुका

हाँ ! पहले-2 रेणुका के सी.बी.सी.आई.डी. से संबंधित आखिरी केस के संबंध में आगे बढ़ना चाहिए; क्योंकि कु. कोनिका बर्मन को नारी निकेतन भेजने की खुशी को ही षड़यंत्रकारियों ने अगले चरणों की नींव बना डाला।

शतरंज की अगली चाल में मोहरा बनी रेणुका।

'विरोधी दल' के अगले चरण का मोहरा, जो आ.ई.वि.वि. परिवार सहित हमारे मुख्य भ्राता का समूल विनाश करने के लिए आगे बढ़ाया गया था, वह है हरियाणा-नारनौल की रहने वाली कन्या रेणुका, जिसके द्वारा कंपिल थाने में 14 मई, 98 को आरोप पत्र दाखिल करवाया गया था कि भ्राता वीरेंद्र देव दीक्षित ने 7 मई, 97 अर्थात् एफ.आई.आर. दर्ज कराने की एक वर्ष पहले की रात 10 बजे रेणुका के साथ बलात्कार किया और इसमें शांता बहन का सहयोग रहा। रेणुका ने सोचा भी नहीं था और उसको चलाने वालों ने भी सोचा नहीं था कि इस बनावटी कहानी में एक साल का अंतर विश्वसनीय हो सकता है ! आखरीन यह केस निचली अदालतों में होते हुए, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में पहुँचा दिया गया।

RENUKA :

Yes, the last case of Renuka should proceed first wherein the C.B.C.I.D has dealt with it and which case was built on the foundations of their successful celebration of sending an innocent girl Konika varrman to Nari Niketan.

The next pawn moved forward on the Chess Board is Renuka.

In their another step of the conspiracy, the "Opposition Group" has advanced Renuka, Narnowl , Haryana in the direction of destruction of the Ishwariya Family along with Spiritual Brother and an F.I.R was registered on 14th May, 98 with Crime No. 68/98 with allegations that Spiritual Brother Virendra Deo Dixit has raped her with the help of Shanta Kumari, a resident kanya of the Adhyatmik vidyalaya at around 10 PM on 7th May, 97 in the night, i.e., an year before the date of the complaint. Neither Renuka nor the forces behind her have ever thought as to whether concocted story could withstand reason and belief for the delay in complaining after one year. At last the case has reached the Upper District and Sessions Court via lower courts.

जब यह केस जिला जज तक पहुँच ही गया, हम यही उचित समझेंगे कि इस झूठी कहानी का पर्दाफाश कैसे हो गया, हमें उनकी जजमेंट में दी हुई बातों को ही यहाँ पेश करना ठीक रहेगा। क्योंकि, न्यायाधीश

ने खुद हमारी मेहनत को कम कर दिया और सारी साज़िशों का उन्होंने स्वयं ही विस्तार से विवरण दे दिया। इसे स्टडी करने में थोड़ा-सा समय ज़रूर लग गया। अब देखेंगे, जिला जज क्या कह रहे हैं !

In the circumstances where the case itself has reached the District Court, we feel it better to put the facts in the words of Honorable Upper District and Sessions Judge, Farrukhabad as to how the foundation of the concoction of lies is unearthed. There is a valid reason for this. The District Judge himself has reduced our efforts and has made a detailed analysis of the entire conspiracy and the concocted allegations by Renuka at the behest of the "Opposition Group". The drastic situation inevitably forces us to put up the facts a bit in detail and it takes some time to study. Let’s see what the District Judge has said.

‘‘ न्यायालय- अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-8, फर्रुखाबाद ।

राज्य प्रति- 1. वीरेंद्र देव दीक्षित, 2. शांता कुमारी

अपराध संख्याः 68/98 : धाराः 376, 376 ग, 114/376 भा.दं.सं. थाना कंपिल।

जिला- फर्रुखाबाद।

निर्णयः

पृष्ठ-1 पैरा-1

1. अभियुक्त गण वीरेंद्र देव दीक्षित और शांता कुमारी का परीक्षण सत्र परीक्षण सं. 236/2001, अ. सं. 68/98, धारा 376, 376 ग और 114 भा.दं.सं. थाना कंपिल, जिला- फर्रुखाबाद के अंतर्गत किया गया है।

2. संक्षेप मामले का तथ्य है कि वह नारनौल की रहने वाली है। उसका नाम कुमारी रेणुका है। वह अप्रैल, 1996 में कंपिल में वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम में आई।

पृष्ठ-67 पैरा-42

इस प्रकार प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट, घटना घटित होने के एक वर्ष, एक सप्ताह के बाद दर्ज कराया जाना साबित होता है। इस एक वर्ष, एक सप्ताह के विलंब का कोई भी पर्याप्त एवं संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। संपुष्टि साक्ष्य के अभाव में साक्षी पी.डब्ल्यू. 1 (रेणुका) द्वारा उसके साथ अभियुक्त वीरेंद्र देव दीक्षित द्वारा अभियुक्ता शांताकुमारी के सहयोग से बलात्कार किए जाने की पुष्टि नहीं होती है। तथ्य संबंधी साक्षी गण पी. डब्ल्यू. 2 (कैलाश चंद्र) और पी. डब्ल्यू. 3 (गायत्री देवी) बलात्कार की घटना के चश्मदीद साक्षी नहीं रहे हैं ।

पत्रावली पर मौजूद एवं अभिलेखीय साक्ष्य से यह तथ्य साबित होता है कि प्राण गोपाल वर्मन की पुत्री कु. कोनिका वर्मन को अपने कब्जे में लेने के संबंध में इस घटना से पूर्व प्राण गोपाल वर्मन, अशोक पाहूजा, दशरथ ए. पटेल और कैलाशचंद्र तथा वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम के लोगों से विवाद हुआ था, जिसमें प्राण गोपाल वर्मन पक्ष असफल रहा था।

<u>पृष्ठ-68 पैरा-42</u>

***और इसी बात की आध्यात्मिक विद्यालय के पक्षकारों के मध्य** रंजिश रही थी और मुकदमेबाज़ी भी चली थी। इसी रंजिश में चलते यह मुकदमा एक वर्ष पूर्व की फ़र्जी घटना बताते हुए वादिनी (रेणुका) मुकदमा से संस्थित कराया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य तीन महिलाओं से भी बलात्कार की घटना बनाकर मुकदमे दर्ज कराए गए थे, जिनमें अभियुक्त गण (बाबा, कमला देवी दीक्षित, शांता बहन वगैरह) को पहले से ही दोष मुक्त किया जा चुका है। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट से पीड़िता (रेणुका) के साथ बलात्कार किए जाने की पुष्टि नहीं होती है। नक्शा नजरी भी पीड़िता की निशान देही पर बनाया जाना साबित नहीं होता है। पीड़िता साक्षी पी. डब्ल्यू. 1 (रेणुका) की माँ साक्षी पी. डब्ल्यू. 3 (गायत्री देवी) ने भी अभियुक्त गण के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। साक्षी पी. डब्ल्यू. 3 (गायत्री देवी) और पी. डब्ल्यू. 4 (डॉक्टर नीलम रानी) ने भी अपने साक्ष्य में घटना वाली दिनांक और समय पर पीड़िता साक्षी पी. डब्ल्यू. 1 (रेणुका) के साथ अभियुक्त गण द्वारा बलात्कार किए जाने की घटना से इन्कार किया है। घटना के समय घटना स्थल आश्रम पर मौजूद 200-300 लोगों में से किसी भी व्यक्ति को साक्षी नहीं बनाया गया है और न ही अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है। इन समस्त निष्कर्षों के आधार पर यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे सत्य साबित नहीं होता है कि 07-05-1997 को, समय रात्रि 10 बजे घटना स्थल आश्रम अभियुक्त बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित ने अभियुक्ता शांता कुमारी के सहयोग से पीड़िता साक्षी पी. डब्ल्यू. 1 (रेणुका) के साथ बलात्कार किया और इस प्रकार मेरे विचार से अभियोजन पक्ष अभियुक्त वीरेंद्र देव दीक्षित पुत्र स्वर्गीय सोहनलाल दीक्षित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 376 ग तथा अभियुक्ता शांता कुमारी पुत्री नागराज सेठी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 114/376 के अंतर्गत लगाए गए आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे सत्य साबित करना सफल नहीं रहा है और अभियुक्त गण (बाबा और शांता बहन) इन आरोपों से दोष मुक्त किए जाने के योग्य हैं।*

<u>आदेश :</u>

अभियुक्त वीरेंद्र देव दीक्षित पुत्र स्वर्गीय सोहनलाल दीक्षित को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 376 ग के अंतर्गत लगाए गए आरोपों से दोष मुक्त किया जाता है।

अभियुक्ता शांता कुमारी पुत्री नागराज सेठी को भारतीय दंड संहिता की धारा 114/376 के अंतर्गत लगाए गए आरोपों से दोष मुक्त किया जाता है।

दिनांक 27-08-2012 *अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-8, फर्रुखाबाद।''*

हाँ ! यह रेणुका के केस में अंडरग्राउंड हुए भ्राता वीरेन्द्र देव दीक्षित और बहन कमला देवी दीक्षित को बाहर आने के लिए 14 साल का बनवास जैसा वक्त लगा है। इस केस से संबंधित कोर्ट जजमेंट के कुछ मुख्य भाग इसके साथ जुड़े हुए हैं | यह समूचे कांड का पहला चरण मात्र है। अब देखेंगे, अगले चरण में क्या होता है !

<u>In the court of Upper District and Sessions Judge, Court No.8, Farrukhabad:</u>

State vs. 1. Baba Virendra Deo Dixit 2. Shanta Kumari

Crime No. 68/98 Sections 376, 376 A, 114/376 of the Indian Penal Code, Police Station Kampil.

District Farrukhabad.

<u>Order:</u>

<u>Page 1, Para 1.</u>

1. The accused Baba Virendra Deo Dixit and Shanta Kumari-Investigation No. 236/2001, Crime No. 68/98, Under Sections 376, 376A and 114 of Inian Penal Code; Police Station: Kampil, District Farrukhabad.

2. The brief particulars are that she is a resident of Narnowl. Her name is Kumari Renuka. She had come to the Adhyatmik vidyalaya of Virendra Deo Dixit situated at Kampil.

In para 42, page 67, the honorable judge while concluding the facts based on various evidences, has endorsed as under.

In this way, it gets proved in this matter that the F.I.R has been registered after a lapse of one year and one week. No suitable and satisfactory explanation has been submitted for the delay.

It gets proved from the documental evidence produced as well the oral examinations that, in connection with abetting Konica Varman, D/o. Prangopal Varman into their fold, there was a dispute among Prangopal Varman, Ashok Pahuja, Dasaradh A Patel and Kailash Chandra and the people of Adhyatmik vidyalaya.

The Prangopal Varman group faced failure in this dispute and there was enmity on account of this matter between the two parties and cases were instigated in

courts. While the enmity continued, the present case was made filed by the complainant Renuka. Apart from this, cases were filed by three more ladies by creating rape incidents in which Virendra Deo Dixit and Shanta Kumari were already freed by the courts.

The medical reports do not support the incidence of rape. Physical examination also did not prove existence of any marks of injuries on the body of the victim. The site plan does not appear to have been made on the basis of the explanation of the victim.

The prosecution witness P.W.3, Gayatri Devi, mother of the complainant Renuka also did not support the allegations against the respondents Virendra Deo Dixit and Shanta Kumari in her evidences .

The prosecution witness P.W.3, Gayatri Devi, mother of the complainant Renuka as also prosecution witness P.W.4. Dr. Neelima Rani also have refuted the incident of rape by the respondents with the complainant Renuka at the date and time stated thereby.

No person out of the 200 to 300 persons staying at the Adhyatmik vidyalaya at the relevant time and date of incident was produced as evidence before the court nor were examined from the side of prosecution. In view of the above circumstances, the allegation does not get proved beyond doubt that the accused Baba Virendra Deo Dixit has raped P.W.1 , Renuka with the help of Shanta Kumari on 07-05-97 at 10 PM.

Para 42 on Page 69 of the Order:

And as such in my view the allegations made by the Prosecution side on the accused Virendra Deo Dixit under I.P.C. 376 AND 376 GA and the accused Shanta Kumari under I.P.C. 114 /376 were not proved beyond doubt and the respondents are eligible to be discharged from the allegations made.

दिनांक2012-08-27- अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश , कोर्ट संख्या8-, फर्रुखाबाद |

Order: The accused Virendra Deo Dixit, S/o. Sohanlal Dixit is freed from the allegations made under I.P.C. 376 AND 376 GA.

The accused Shanta Kumari, D/o. Nagaraj Sethi is freed from the allegations made under I.P.C. 114/376.

Dt 27-08-12: District and Sessions Judge: Bhairava Lal , Court No. 8, Farrukhabad.

Yes , it took a period of 14 years resembling a stay in the Forests for Spiritual Brother Virendra Deo Dixit and spiritual sister Kamla Devi Dixit to come out of this case from under ground

Some related extracts relating to the judgment are annexed in the immediate pages. This entire episode is the first episode only. Let’s see what happens in the next episode.

रेणुका

फोलियो

केवल नकल की फीस के लिये

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date on which application is made for copy accompained by the requisite stamps	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of Posting notice on notice bord	नकल वापिस दिये जाने की तारीख Date of delivery of copy	नकल वापिस देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of official delivering copy

A. K. Sharma
E.No. 30... Advocate
Court Compound, Fatehgarh

न्यायालय- अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं0-8 फर्रुखाबाद।
उपस्थितः- श्री.भैरवलाल ....एच0 जे0 एस0
सत्र परीक्षण सं0-236/2001
राज्य
प्रति
1- वीरेन्द्र देव दीक्षित ~~पुत्र स्व0 वीरेन्द्रदेव दीक्षित~~ पुत्र स्व0 श्री सोहन लाल दीक्षित निवासी चौधरियाना मोहल्ला -नेहरू नगर- थाना कम्पिल जिला फर्रुखाबाद।
2- शान्ता कुमारी पुत्री नागराज सेठी निवासी दावण गिरी थाना दावण गिरी जिला चित्र दुर्गा कर्नाटक निवासी बाबा वीरेन्द्र देव दीक्षित कम्पिल जिला फर्रुखाबाद।

अ0सं0 68/98
धारा-376,376ग,114/
376 भा0दं0सं0
थाना- कम्पिल
जिला- फर्रुखाबाद।

निर्णय

1- अभियुक्तगण वीरेन्द्र देव दीक्षित व शान्ता कुमारी का परीक्षण सत्र परीक्षण सं0236/2001 अ0सं0 68/98 धारा 376,376ग व 114 भा0दं0सं0 थाना कम्पिल जिला फर्रुखाबाद के अर्न्तगत किया गया है।

2- संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि, वह नारनोल की रहने वाली है उसका नाम कुमारी रेणुका है। उसके पिता का नाम गिरधारी लाल है। वह अप्रैल 1996 में कम्पिल में वीरेन्द्र दीक्षित के आश्रम में आयी। उसकी माता श्रीमती गायत्री देवी भी थी। ~~उसके व साथ~~ भी उनसे कहा गया कि, आपको 7 दिन का कोर्स करना होगा उस ~~दिन के~~ दौरान उन्हें किसी से मिलने की छूट नहीं थी और न ही कहीं बाहर जा सकते थे। करीब 1 वर्ष के पश्चात् मई में प्रीति और ज्योति माता के बुलाने पर वही फिर से गई। 1997 में वह पुनः कम्पिल आश्रम में वीरेन्द्र देव दीक्षित ~~उसे प्यार~~ से मिली।

और बार-बार कहने लगा यह तो भाग्यवान का घर है तुम्हारे अपने बाबा का घर है। जितने दिन चाहो यहाँ रहो। इस प्रकार की फरेबी बातों से प्रभावित होकर वह वहाँ रुक गई। उसके रुकने के 2-4 दिन बाद उसे वीरेन्द्र ने यह दिखाया कि, वीरेन्द्र देव दीक्षित उसके पिता और कमला दीक्षित माता है। यह दोनों शंकर पार्वती है। वह तन-मन-धन से इनको समर्पित है। उन्होंने चिकनी चुपड़ी बातों ने उसे प्रभावित कर दिया। 2-4 दिनों के बाद ही उसे रात करीब 10.00 बजे शान्ता बहन बुलाकर ले गयी कि, बाबा उसे बुला रहे हैं। वीरेन्द्र देव दीक्षित अपने कमरे में पहले से ही मौजूद था उसने उसकी साड़ी खींच दी वह शर्म से बोली बाबा आप क्या कर रहो तो बाबा उर्फ वीरेन्द्र देव ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। छूटने की कोशिश में उसके ब्लाउज के बटन टूट गये वह डर और शर्म के मारे थर-थर काँप रही थी। एक गुरु यह शोभा नहीं देता उसने कहा, बाबा पर कोई असर नहीं हुआ। उसने शान्ता बहन को आवाजें दी, पर दरवाजा शान्ता ने बाहर से बन्द कर रखा था। उसने छूटने की बहुत कोशिश की बीरेन्द्र बहुत शक्तिशालयी था उसने उसके दोनों हाथ मोड़ दिये उसके ऊपर सारा बोझ डाल दिया और उसे बोलना शिव परमात्मा को याद करो। देह अभिमान छोड़ पार्वती ही थे उसकी ताकत के आगे वह लाचार थीं । उसने उसके साथ बलात्कार किया। वह रोती चिल्लाती रही और बेहोश हो गई। सुबह जब उसे होश आया तो मुझे हुआ कि, भगवान के नाम पर वीरेन्द्र देव दीक्षित ने और शान्ता बहन ने धोखा देकर उसकी इज्जत लूट ली। रात में प्रतिदिन औरतों के चीखने की आवाजें आती थी। वह वहाँ से मुक्त होना चाहती थी लेकिन जो वीरेन्द्र दीक्षित के सामने बोलता उसकी डन्डों से पिटाई करता। अब शान्ता बहन, लक्ष्मी कान्ता माता, विजय

Scanned by CamScanner

लक्ष्मी माता, हेता माता द्विती और प्रिया ~~यह सभी~~ यह सभी कम्पिल आश्रम की मुख्य भूमिका निभा रही है और वीरेन्द्र देव के बलात्कार करने में षडयन्त्र शामिल है। यह भी उसे समय-समय पर डराती थी अगर वीरेन्द्र देव की बात किसी से बतायी तो वो मुझे मरवा देंगे। नवम्बर 1997 में उसकी माँ उसे बुलाने आयी तब वीरेन्द्र देव व उसके साथियों ने उसे इस शर्त के साथ भेज दिया उसकी बात किसी को न बताऊँ। जब उसने अखबार में पढ़ा व सुना कि, कुछ बहनों ने वीरेन्द्र के खिलाफ शिकायत की है वो जेल में है तब उसने यह बयान दिया है। कृपया इसे कड़ी सजा दी जाये।

3. इस लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्त वीरेन्द्र देव व शान्ता बहन के विरूद्ध थाने पर अ0सं0 68/98 धारा 376,342,109 व 114 भा0दं0सं0 के अर्न्तगत मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस मामले की विवेचना एस0आई0 धर्म सिंह द्वारा की गयी और इसका इन्द्राज जी0डी0 में किया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता को बरामद किया गया और उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी तथा घटना स्थल का नक्शा नजरी तैयार कर गवाहान के बयान लिये तथा विवेचना पूर्ण होने के उपरान्त अभियुक्तगण वीरेन्द्र देव दीक्षित व शान्ता कुमारी के विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को तलब किया गया तथा मामला सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने के कारण मामले को सत्र न्यायालय के सुपुर्द किया गया तथा सत्र न्यायालय से स्थानान्तरित होकर मामला इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

5. न्यायालय द्वारा अभियुक्त वीरेन्द्र देव के विरूद्ध धारा 376,376ग भा0दं0सं0 व अभियुक्त शान्ता कुमारी के विरूद्ध धारा

Scanned by CamScanner

114/376 भा0द0सं0 के अर्न्तगत आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया एवं विचारण की मॉग की।

6. अभियोजन द्वारा मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0-1 रेणुका, पी0 डब्लू0-2 कैलाश, पी0डब्लू0-3 गायत्री देवी, पी0डब्लू0-4 डाक्टर नीलम रानी, पी0उब्लू5 उपनिरीक्षक धर्मसिंह, पी0डब्लू6 डाक्टर सत्येन्द्र कुमार, पी0डब्लू07 रनवीर सिंह, पी0 डबलू8 उपनिरीक्षक रघुनन्दन पाल व पी0 डबलू 9 सत्यदेव को परीक्षित कराया गया है।

7. अभियोजन द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य में तहरीर प्रदर्शक-1, चिकित्सीय रिपोर्ट पदर्श क-2, क-3, क-4 एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श क-5, आरोपपत्र पद्रर्श क-6, चिक रिपोर्ट प्रदर्श क-7, जी0डी0 की कार्बन प्रति प्रदर्श क-8, आर0 के0 बाबू की रिपोर्ट प्रदर्श क-9, नक्शा नजरी प्रदर्श क-10, एक्स-रे प्लेट वस्तु प्रदर्श-1 दाखिल किये है।।

8. अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 अभिलिखित किए गए। अभियुक्तगण ने झूँठा फँसाया जाना कहा है और दो सस्थानों के बीच झगड़े की वजह झूँठा मुकदमा चलना बताया। तथा सफाई साक्ष्य में मौखिक साक्ष्य के रूप में साक्षी डी0डब्लू01 कोनिका वर्मा, डी0डब्लू02 जयराम, डी0डब्लू0 3 प्रभावती व डी0डब्लू 4 सूर्याप्रभा को परीक्षित कराया गया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची 240ए से 22 प्रपपत्र व सूची 245 ए से 15 प्रपत्र दाखिल किये गये है।

9. मैंने तथा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण सामग्री का अवलोकन किया।

Scanned by CamScanner

10. अभियोजन कथानक को साबित करनेके उद्देश्य से अभियोजन की ओर से वादिनी मुकदमा पीड़िता साक्षी श्रीमती रेणुका पत्नी श्री संजय कुमार गुप्ता पुत्री श्री गिरधारीलाल को बतौर साक्षी पी.डब्लू.1 साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है। जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, मैं बाबा वीरेन्द्र देव व शान्ता बहन को जानती हूँ। इन लोगों को मैं आज से 7 साल पहले से जानती हूँ। मैं बाबा वीरेन्द्र देव दीक्षित के आश्रम में माह मई में आज से लगभग 7 साल पहले आयी थीं मेरे साथ में मेरी माँ गायत्री देवी आई थी। जब हमें बाबा वीरेन्द्र देव दीक्षित ने इससे 7 दिन का कोर्स करवाया था। 7 दिनों में सृष्टिचक का ज्ञान दिया, त्रिमूर्ति का ज्ञान दिया, कल्पवृक्ष चित्र का ज्ञान समझते थें। इन 7 दिनों के कोर्स में हमारी माताजी भी हमारे साथ में रही थीं इन 7 दिनों के कोर्स में हमें किसीसे भी मिलने की छूट नहीं थी। इन 7 दिनों में आश्रम के बाद में कहीं बाहर नहीं गयी थी। इन 7 दिनों के कोर्स के बाद मैं अपनी माँ के साथ अपने घर चली गयीं। पुनः मैं बाबा वीरेन्द्र देव के आश्रम में आई थीं। दुबारा लगभग 7 महीने के बाद वीरेन्द्र देव दीक्षित के आश्रम कम्पिल आई थीं। दुबारा जब आई थी तब तारीख व महीना याद नहीं है, सर्दी का महीना था। यह याद है कि, वीरेन्द्र दीक्षित मुझे आश्रम पर ही मिले थे। दुबारा बुलाये जाने पर मैं अपनी मम्मी के साथ आई थी। मम्मी दुबारा आश्रम पर एक सप्ताह तक रूकी थी। इसके बाद छोड़कर चली गयी थीं। अपने को तथा कमला दीक्षित को शंकर पार्वती का रूप बताया था। इसकी चिकनी चुपड़ी बातों से मैं प्रभावित हो गयी थी। पत्र लिखवाने के 2-4 दिन बाद रात को 10 बजे शान्ता बहन हमारे पास हमें बुलाने आयी थी और हमें बुलाकर वीरेन्द्र

प्रतिलिपि विभाग स्थान फतेहगढ़ जनपद-न्यायालय, फर्रुखाबाद

Scanned by CamScanner

दीक्षित के पास ले गयी। वीरेन्द्र देव दीक्षित उस समय अपने कमरे मे लेटे हुए थे। शान्ता बाई हमें कमरे से भेजकर के वह बाहर आ गयी थी और मुझे कमरे मे कर दिया था। वीरेन्द्र देव दीक्षित ने हमारी साड़ी पकड़कर के खींची उससे उसी समय हमारे ब्लाउज के बटन टूट गये। मेरे चिखा, चिल्लाने पर उस समय हमारी किसी ने मदद नहीं की थीं। मैंने शान्ता बहन और प्रीति बहन को आवाजें दी थी पर कोई भी मदद करने को नहीं आयी। कमरे का अन्दर से किवाड़ बन्द था। मैंने बीरेन्द्र देव से छूटने की कोशिश की थीं। बाबा वीरेन्द्र ने हमारे हाथ मरोड़ दिये और जबरदस्ती हमारे ऊपर लेट गया। बाबा वीरेन्द्र देव ने हमसे कहा कि तुम पार्वती बन जाओगी, सीता माता बन जाआगी। मुझे पार्वती कहकर के मेरे साथ बलात्कार किया। बाबा वीरेन्द्र देव ने बलात्कार मेरी मर्जी के खिलाफ किया था। इस बलात्कार को बाबा वीरेन्द्र देव का सहयोग प्रीति बहन, प्रिया बहन,, शान्ता बहन व लक्ष्मी कान्ता माता ने किया था। मैं इन चारों लोगों का नाम पहले से नहीं जानती थी। कम्पिल जाने के बाद जान गयी थी। मैं आश्रम जब तक रही तब तक वहाँ चीख-पुकार की आवाजें महिला माताओ व कन्याओं की रात व दिन में आती थी। मेरे साथ जो घटना हुई थी, उसका जिक मैंने किसी से नहीं किया था। यह बलात्कार बाबा वीरेन्द्र देव ने दुवारा फिर किया था। इस घटना के 6-7 महीने के बाद मेरी माँ सर्दियों के दिन नवम्बर के महीने में आई थी। पहले तो मुझे मेरी मम्मी से मिलने नहीं दिया था फिर बाद में मिलने दिया। मुझे मेरी मम्मी के साथ भेजते समय कहा था कि, अगर घटना के बारे में किसी से कहोंगी तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को मार दिया जायेगा। घर आने के बाद मेरे पापा ने अखबार पढ़ने के बाद बताया कि, बाबा

Scanned by CamScanner

वीरेन्द्र देव पानी व बिजली का केस है तब मेरी भी हिम्मत हुई तथा मैंने सोचा कि, इसे सजा दिलवायी जानी चाहिए तब मैंने एक प्रार्थनापत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फर्रुखाबाद को लिखा था और पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया था। उसी प्रार्थना पत्र के आधार परा जाँच होने के बाद मेरा मुकदमा पंजीकृत किया था। गवाह ने प्रपत्र 4ए/3 को देखकर कहा कि यहीं वह प्रार्थनापत्र है जो मैंने घटना के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक को दिया था। यह प्रार्थना पत्र मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। इस पर प्रदर्श क-1 डाला गया। मेरा डाक्टरी मुआइना फर्रुखाबाद सरकारी अस्पताल में कराया गया तथा एक्सरे भी लिया गया थां मेरा ब्यान मजिस्ट्रेट न्यायालय में कराया गया था। धारा 164 द.प्र. सं. वादिनी का ब्यान सील्ड मोहर हालत में पत्रावली पर है। गवाह को धारा 164 का ब्यान पढ़कर सुनाया गया था, गवाह ने कहा कि यहीं यह ब्यान है। जो प्रपत्र 41ए/1 लगायत 41ए/2 है। पत्रावली पर उपलब्ध है। मैंने मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया था। इसपर मेरे हस्ताक्षर हैं । दरोगाजी ने इस घटना के समबन्ध में मेरे ब्यान मेरे गाँव में लिया था। दौरान जिरह इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि, मैं कम पढ़ी हुई हूँ, कक्षा 5-6 तक पढ़ी हूँ। मुझे इस बात की जानकारी है कि ब्रह्मकुमार का आश्रम माउण्ट आबू में है और इस माउण्ट आबू वाले आश्रम की शाखाएं जगह-जगह पर है। माण्ट आबू वाला आश्रम पर मैंने शिक्षा ली थी। यह शिक्षा मैंने नारनोल आश्रम हरियाणा में ली थी जो इस घटना के पहले करीब 4-5 वर्ष पहले ली थी। इस आश्रम के प्रमुख रतन भाई थे। यह आश्रम मेरे घर से 7-8 किलोमीटर दूर था मैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रति दिन घर से जाती थी आश्रम में नहीं रहती थीं। आश्रम से अशोक पाहूजा, कैलाश चन्द्र,

प्रतिलिपि विभाग
स्थान फतेहगढ़
जनपद-न्यायालय, फर्रुखाबाद

चतुर्भज अग्रवाल से कोई सम्बन्ध नहीं था। इनका सम्बन्ध दिल्ली वाले आश्रम से था। वीरेन्द्र देव के बारे में अखबार में मैंने पढ़ा था, पर किस अखबार में पढ़ा था, उसका नाम याद नहीं है। मैंने जब अखबार में पढ़ा था, मैंने न तो अखबार का नाम पढ़ा था न देखा था और न ही मेरे पापा ने बताया कि, कौन सा अखबार है। अखबार किस दिन, महीना व सन का था, मुझे ध्यान नहीं है और न ही हमारे पापा ने बताया था। यह कहना गलत है कि, मुकदमा बनाने के लिए मैं अखबार वाली बात बात झूँठी कह रही हूँ। इस अखबार पढ़ने के बाद किस तारीख, महीना व साल में फर्रुखाबाद आयी थी, ध्यान नहीं है। अखबार पढ़ने के बाद मैं अपनी माँ के साथ फर्रुखाबाद आई थी। मैंने फर्रुखाबाद में आकर के प्रार्थनापत्र लिखाया था और मुझे याद नहीं है कि दरख्वास्त लिखने के बाद रिपोर्ट लिखाने कहाँ गयी थीं। यह रिपोर्ट इंस्पेक्टर साहब ने कम्पिल में लिखवायी थी,। मैंने रिपोर्ट जो घटना घटित हुई थी, वैसे ही लिखायी थी। जो मैंने बोला था। वहीं इंस्पेक्टर साहब ने लिखा थां किस दिन, समय, महीना व सन् को इंस्पेक्टर साहब ने लिखा था, मैं नहीं बता सकती। मैं कोनिका वर्मन जो कलकत्ता की कन्या है, मैं जानती हूँ। कोनिका वर्मन व पिता प्राण वर्मन के बीच मुकदमें बाजी हुई थी। यह मैंने सुना था। अशोक पाहुजा, कैलाश चन्द्र, चतुर्भज अग्रवाल व श्रीमती जया, श्रीमती तारा आदि की वीरेन्द्र देव से मुकदमेबाजी हुई थीं मैंने नहीं सुना था। पहली बार कम्पिल आश्रम में, मैं किस दिन व तारीख या महीने में आई थी, मुझे ध्यान नहीं है। पहली बार मुझे इस आश्रम के बारे में जब मैं दिल्ली में मम्मी की रिस्तेदारी में गयी थी तो वहाँ पर सीता माता नाम की एक औरत ने बताया था। शादी किस तारीख,

महीने में थी, मुझे याद नहीं है। इस बातचीत के एक वर्ष बाद मैं कम्पिल आयी थी। यह कम्पिल आश्रम कम्पिल में किस तरफ है, मुझे नहीं मालूम है। इस आश्रम के पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या है, मुझ नहीं मालूम। इस आश्रम का गेट पूरब दिशा में है। मुख्य दरवाजे के सामने क्या है, मालूम नहीं हैं। आश्रम से मैं बाहर कम ही निकलती थी क्योंकि परमीशन नहीं थी। जब निकलती थी तब दिन में निकलती थी। आश्रम के एक दूसरे कमरे में आ जा सकती थी। मैं रोशनलाल सैनी पुत्र लल्ला चौधरी को नहीं जानती हूँ। इनसे हमारी मुलाकात कभी नहीं हुई है। मै अशोक पाहूजा पुत्र मंगलदास को नहीं जानती हूँ। आज तक इनसे मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई है। चतुर्भुज पुत्र गोविन्द दास न ही मैं जानती हूँ और न ही इनसे मेरी मुलाकात हुई है। दशरथ ए0 पटेल पुत्र आत्मा राम पटेल को मैं नहीं जानती हूँ, न ही इनसे मेरी आज तक मुलाकात हुई, हैं। कैलाशचन्द्र पुत्र निवासी कुटाना रोड शामली मुजफ्फर नगर को मैं नहीं जानती हूँ। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि, उक्त डाक्टर अशोक पाहूजा, दशरथ ए0 पटेल, चतुर्भुज और कैलाश इस मुकदमे में गवाह हैं, या नहीं । अभी जो ऊपर गवाही के सम्बन्ध में पूँछा गया था, वहीं बात समझ में नहीं आई थी। अभी मैने जो ब्यान दिया था कि, उक्त गवाह इस मुकदमे में गवाह है, या नहीं, जानकारी नहीं है। इसका जबाव मैंने सोचकर के दिया है। मैंने रिपोर्ट में यही बात सही लिखी है कि, करीब 1 वर्ष के बाद मई में प्रीति और ज्योती माता के बुलाने पर मैं पुनः मई में 1997 में बीरेन्द्र देव के यहाँ आई थी। धारा 164 सी. आर. पी.सी. के यह ब्यान दिया था कि, एक साल बाद माह मई 1997 में अपनी मम्मी के साथ आई थी। यह ब्यान मैंने सही

प्रतिलिपि विभाग न्यायालय, फतेहगढ़

Scanned by CamScanner

दिया था। कल मैने अपनी मुख्य परीक्षा में यह ब्यान सही दिया था कि, "दुबारा मैं लगभग 7 माह के बाद वीरेन्द्र देव के आश्रम में आई थी। मैं इस न्यायालय में कल जो ब्यान दिया था वह सही है। मजिस्ट्रेट के सामने जो ब्यान दिया था वह भी सही ब्यान दिया था और जो रिपोर्ट में लिखा वह भी सही है। यह कहना गलत है कि मैं तीनों ब्यानों को इसलिए सच कह रही रही हूँ कि मेरा झूँठा ब्यान पकड़ गया हो। ज्योती माता और प्रीति से मेरा प्रीचय परिचय जब मैं कम्पिल आश्रम में आई थी तब हुआ था, हरियाणा से कम्पिल आने के लिए किस जगह ट्रेन पकड़ी जाती है, हमें नहीं मालूम। गवाह ने लिखित तहरीर पढ़कर कहा कि, यह बात सही है कि लिखी है कि, " मेरे रूकने की 2-4 दिन बाद वीरेन्द्र देव ने मुझसे यह खिवाया लिखवाया था कि वीरेन्द्र देव मेरे पिता व कमला दीक्षित माता है। धारा 164 द.प्र.स. के ब्यान जो कि, मजिस्ट्रेट के यहाँ दिये थे में, 10-15 दिन, के बाद बाबा वीरेन्द्र देव दीक्षित व कमला दीक्षित ने समर्पण पत्र हमसे लगवाया लिखवाया था, जो सही दिया था। ~~जो सही दिया था~~। यह समर्पण पत्र एक बार लिखाया था। जिस जब समपर्ण पत्र लिखाया था जब तब कमला दीक्षित नहीं थी, वीरेन्द्र दीक्षित थे उपर मैंने जो ब्यान दिया है कि, समर्पण पत्र लिखते समय कमला दीक्षित नहीं थी, भूलवश कह गयी थीं। एफ.आई.आर. में वीरेन्द्र देव ने समपर्ण पत्र लिखा था। एफ.आई. आर. में समर्पण पत्र 2-4 दिन के बाद लिखे जाने वाली बात, भी सही है तथा धारा 164 द0प्र0सं0 के ब्यान में समर्पण पत्र 10-15 दिन लिखे जाने वाली बात भी सही है। यह कहना गलत है कि, समर्पण पत्र लिखाने की झूँठी कहानी को सही बनाने के लिए अपने ब्यानों को बार-बार पलट रही हूँ। मुझे याद नहीं है कि, इस घटना के कितने दिन बाद पुलिस वाले

मेरे गाँव आये थे। पुलिस वाले ने मेरे हम से घटना के बारे मे हमसे पूँछा था, मुझे याद नहीं है। वर्ष 1996 में मम्मी के साथ दिल्ली एक शादी में आई थी। यह बात मैंने अपनी तहरीरी रिपोर्ट में नहीं लिखी है। तहरीर में न लिखने का कोई कारण नहीं बता सकती हूँ। मुझे याद नहीं है कि, उक्त ब्यान दरोगाजी को दिया था, या नहीं । मेरी तहरीरी रिपोर्ट में यह बात कि " वर्ष 1996 में उसी शादी में के ही मिली, जिन्होंने यह ज्ञान दिया कि, वीरेन्द्र देव दीक्षित कमला दीक्षित का परमात्मा पाठ कम्पिल जिला फर्रुखाबाद में चल रहा है। यह बात मैंने अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखी थी, न लिखे जाने का कोई कारण नहीं बता सकती हूँ। उक्त ब्यान मैंने दरोगाजी को दिया या नहीं, याद नहीं है और उन्होंने पूँछा था या नहीं, मुझे यह भी ध्यान नहीं है। उस माता का नाम सीता माता है जिन्होनें मुझे कम्पिल का पता दिया था। सीता माता ने अच्छा ज्ञान समझाया इसलिए मम्मी भी राजी हो गई। यह बातें मेरी तहरीरी रिपोर्ट में नहीं लिखी हैं, न लिखे जाने का कोई कारण नहीं बता सकती हूँ। यह बात मैंने दरोगाजी को बतायी थी। यदि उन्होंने मेरे ब्यान में नहीं लिखी है तो मैं इसका कोई कारण नहीं बता सकती हूँ। इस घटना के बाद मैं पुलिस वालों के साथ मैं बाबा वीरेन्द्र देव के आश्रम पर कभी नहीं गयी। आश्रम में कुल 3 या 4 कमरे हैं। यह आश्रम तीन मंजिला का बना हुआ है। आश्रम में इस खाना बनाने का स्थान किस दिशा में है, ध्यान नहीं है। खाना बनाने का स्थान सबसे ऊपर मंजिला पर था। इस आश्रम में भाई, बहनें व माताए सभी थे। आश्रम में उस समय 2-3 सौ लोग रहते थे, उनमें माताएं , बहनें व भाई सभी थे। यह सही है कि, घटना के समय आश्रम माताएं, बहनें व भाई थे वह जवान अधेड

प्रतिलिपि विभाग स्थान फतेहगढ़ न्यायालय, फर्रुखाबाद

Scanned by CamScanner

व वृद्ध सभी उम्र के थे। यह सभी अलग-2 जगहों से आये हुए लोग थे। आश्रम में महिलाओं का व भाईयों का रहने का स्थान अलग-अलग था। स्वयं कहा कि रहने के कमरे अलग- अलग थे, आश्रम एक ही है। आश्रम में हय सख्त नियम था कि माताएं, बहनें व भाई मिक्सप होकर नहीं रह सकते थे। जब ज्ञान की चर्चा चर्चा होती थी, उस समय भाई , बहन , माताएं अलग-अलग बैठाये जाते थे। उस समय भाई एवं बहनें एक हाथ की दूरी पर बैठाये जाते थे। एक तरफ भाई बैठ्ते थे, दूसरी तरफ माताएं व बहनें बैठ्ती थी। सभी बहनें व भाई सुबह 4 बजे नहा धोकर ध्यान के लिए बैठ जाते थे। यह बात सही है कि सभी लोग तैयार होकर नहा धोकर सुबह 4 बजे ध्यान के लिए बैठ जाते थे। जब तक मैं आश्रम पर रही थी, उक्त नियम का सख्ती से पालन करती रही। आश्रम में बहनें भाइयोंके नहाने धोने व शौंच जाने की व्यवस्था अलग-अलग थी। महिलाओं के लिए बीच में स्थान था, भाईयों के लिए साइड में था, बाबा का कमरा आश्रम के दरवाजे के सामने बड़ा गेट के सामने था। भाईयों के रहने से बाबा का कमरा कितनी दूर था, याद नहीं है। इस आश्रम में बाहर से पार्टी जाने का कोई समय निर्धारित नहीं था। घटना के समय गर्मियों का मौसम था। दुबारा जब आई थी तो गर्मी का ही मौसम था। मैने यह बात अपनी रिपोर्ट में लिखी थी कि, " मैने इस घटना की सूचना अपने घर भेजनी चाही लेकिन, चिट्ठियां फाड़ दी जाती थी।" यह बात मैंने अपनी रिपोर्ट में नही लिखा है, उसका कारण नहीं बता सकती । चिट्ठ्यां 4-5 बार भेजने की कोशिश किया था, किसके माध्यम से भेजने की कोशिश किया था, याद नहीं है। भाईयों से कहा था या बहनों से कहा था, याद नहीं है। घटना के 2-3 माह

Scanned by CamScanner

बाद बताया था कि चिट्ठी भेजने वाली बात व मरवाने वाली बात दरोगाजी को बताने से भूलवश गयी थी। धमकी देने की दिन, तारीख याद नहीं है। 30-40 कन्याओ के लिए धमकी दिया करते थे। इन कन्याओं में किसी का नाम याद नहीं है। मैने रिपोर्ट में यह बात नहीं लिखायी थी कि, जब मम्मी आई थी तो मैने उनसे बताया कि भगवान के नाम पर बाबा ने मेरी इज्जत लूट ली। किन्तु औरतों ने मुझे धमकाया ,नाम याद नही है। मैंने कोशिश किया कि उनके नाम क्या हैं। इन महिलाओं ने किस तारीख, महीने में धमकी दी, याद नहीं है। यह बात दरोगाजी को बताया था, या नहीं, ध्यान नहीं है। मेरे साथ 15 कन्याएं सोती थी। कन्याओं से सोने की जगह बाबा का कमरा 1-2 कदम दूर है। माताओं का कमरा बाबा के कमरे से 10-15 कदम दूर है। भाईयों का कमरा दूर था। उनका कमरा मैंने नहीं देखा था लेकिन आश्रम के अन्दर था। भाईयों का कमरा दिखाई देता था लेकिन दूरी नहीं बता सकती। इस घटना के पूर्व मैंने किसी पुरूष से सहवास नहीं किया था। मैंने बाबा को रोकने की कोशिश किया । मैंने छुड़ाने की कोशिश की, उन्हें मारा नहीं था। मैंने बाबा को नोचा खसोटा था। मुझे हाथ पैर, कमर में चोट आई थी तथा गुप्तांग से काफी खून निकला था। चोट लगने वाली बात व खून गुप्तांगों से निकले वाली बात मेडिकल एक्जामनेशन के समय बता दी थी। यह बात दरोगाजी को भी बता दी थी। कपड़े फाड़ने वाली बात रिपोर्ट में लिखी थी व दरोगाजी को बताया था। या नहीं, लिखी है तो मैं वजह नहीं बता सकतीं। बाबा का कमरा कितना लम्बा चौड़ा है, मैं नहीं बता सकती। किस तारीख व महीने में घटना के आश्रम से चली , याद नहीं है। मैं अपनी माता जी के साथ गयी थी। कम्पिल एक गाँव है, थाना

है, कम्पिल से सीधे फर्रूखाबाद आई थी। फर्रूखाबाद जिला है। मुझे आज तक नहीं मालूम है कि, फर्रूखाबाद में कप्तान बैठते हैं। मैं कप्तान के पास गयी थी। उसी दिन मैंने कप्तान साहब को प्रा. पत्र दिया था जो मैने हाथ से लिखकर दिया था। मैं जिस दिन आश्रम से लौट कर वापस फर्रूखाबद आई थी, उस 2-4 दिन बाद प्रा. पत्र कप्तान को दिया था। 2-4 दिन फर्रूखाबाद में रूकी थी। फटे हुए कपड़े माँ को दिखा दिया था। पुलिस को नहीं दिखाया था। अशोक पाहूजा के घर पर कोई सलाह मशविरा नहीं हुआ था। मैं मम्मी के साथ आई थी तो फर्रूखाबाद में एस.पी. साहब के यहाँ जाकर उसके आदेश पर ही एफ.आई.आर. दर्ज की थी। मैंने दरोजा जी को यह ब्यान दिया था कि, चतुर्भुज गप्ता ने........................... वकील से राय मशवरा करके रिपोर्ट तैयार की गयी थी, कैसे लिख लिया, पता पता नहीं। घटना के बाद मैंने अपनी मम्मी को घर जाने के बाद सारी बात बतायी थी। जानकारी नवम्बर 1997 को दी थी। घर पर जाकर जानकारी दी थीं। यह कहना गलत है कि मैंने घटना की जानकारी अपनी मम्मी को न दी हो। वीरेन्द्र देव दीक्षित के आश्रम पर घटना के बाद मैं अपनी मम्मी के साथ नहीं आयी थीं। घटना के बाद जॉच पड़ताल हुई थी, किसने की थी, मुझे पता नहीं है।

11. अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी पी.डब्लू1 की माँ गायत्रीदेवी पत्नी गिरधारीलाल को बतौर साक्षी पीत्र.डब्लू3 साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है। जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि, रेणुका मेरी बेटी हैं। रामजीलाल मेरे मामा लगते थे। रामजी लाल के लड़के की शादी में, मैं आजादपुर दिल्ली आई थीं। यह शादी वर्ष 1996 में अप्रैल या मई में हुई थी। इस शादी

Scanned by CamScanner

में मेरी लड़की रेणुका भी आई थी। दिल्ली मे आजादपुर में सीतामाता का एक आश्रम है। यह आश्रम कम्पिल वाले आश्रम से सम्बन्धित है। सीता माता से मेरी मुलाकात उपरोक्त शादी मे ही हुई थी। मेरे मामा के यहां से सीता माता मुझे आश्रम ले गयी थी। उन्होंनें मुझे बताया कि, कम्पिल मे शंकर का पाठ चल रहा है। तब मैंने सोचा कि, सीता माता द्वारा बताये कम्पिल आश्रम से भी ज्ञान प्राप्त किया जायें उसी समय सीता माता ने कम्पिल आश्रम का पता मुझे दिया था। मै मई 1996 में अपनी लड़की रेणुका को साथ लेकर कम्पिल में बाबा वीरेन्द्र देव दीक्षित के आश्रम में आई थी। यहाँ आने पर वीरेन्द्र देव दीक्षित व कमला दीक्षित जोकि वीरेन्द्र देव दीक्षित की पत्नी थीं। तथा शान्ता बहन, प्रीति बहन, प्रिया बहन व अन्य तमाम कन्याओं व बहनों से मेरा परिचय हुआ। उस समय आश्रम पर करीब 40-50 कन्याएं व बहने थी। इस पर, हम लोगो ने 7 दिन का ज्ञान प्राप्त किया था तथा मैं व मेरी लड़की रेणुका वापस चले गये। दूसरी बार जब मैं आश्रमपर आई तो 3-4 दिन आश्रम पर रुकी थी तथा अपनी वेटी रेणुका के आश्रम पर ही छोड़ कर चली गयी थी। दूसरी बार जब मैं लड़की को छोड़ गयी थी उसके करीब 4 माह बाद पुत्री की राजी खुशी लेने कम्पिल आंश्रम आई थी। तब मेरी पुत्री मुझसे चिपट कर बहुत राई थी। मेरी पुत्री ने मुझसे रोकर कहा कि, मुझे घर ले चलों 3-4 दिन रुकने के बाद मैं अपनी पुत्री रेणुका को लेकर अपने घर चली आयी। घर आकर लड़की ने मुझे सारी बातें बताई तथा कहा कि, बाबा वीरेन्द्र देव दीक्षित ने जबरदस्ती मेरे साथ बलात्कार किया और शान्ता बहन उसे जबरदस्ती उठाकर बाबा वीरेन्द्र देव के पास ले जाती थी तथा दरवाजा बन्द कर देती थी। करीब 4 माह बाद

सिविल प्रतिलिपि विभाग
स्थान फतेहगढ़
जनपद-न्यायालय, फर्रुखाबाद

Scanned by CamScanner

अपनी पुत्री को लेकर आई तथा रेणुका ने प्रा० पत्र में जिसके आधार पर मुकदमा लिखा गया तथा रेणुका को डाक्टरी के लिए भेजा गया। दौरान जिरह इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि, चतुर्भुज को मैं जानती हूँ, यह मेरी गाँव की बहन का लड़का है। यह कलकत्ता में रहते है। आज न्यायालय से बाहर चतुर्भुज अग्रवाल से मेरी मुलाकात हुई है। यह मेरे साथ नहीं आये, स्वयं आये हैं। इस घटना के कितने दिन बाद दरोगाजी मेरे पास गये नहीं पता। सर्दियों के दिन में गये थे। दरोगाजी अकेले थे। मेरे साथ मेरी लड़की रेणुका का भी ब्यान लिया था। इस घटना के सम्बन्ध में पुलिस वालों ने एक ही बार पूँछतांछ मेरे गांव में आकर की और कहीं नहीं की थी। सन् 96 में पहली बार शादी के करीब 15-20 दिन बाद आश्रम कम्पिल में आई थी। मेरी लड़की साथ में थी। इसके बाद वीरेन्द्र देव दीक्षित से न मुलाकात की और न परिचय था। मेरे पास किसी का कोई पत्र नहीं था। उस दिन बाबा आश्रम में थे। शामको बाबा से मुलाकात हुई। तब मैनें 7 दिन ~का~ ~~के बाद~~ ज्ञान प्राप्त किया। उसी 7 दिन ज्ञान प्राप्त करने को भट्ठी बोलते है। पवित्र जीवन, पवित्र रहना भट्ठी के दौरान आते आवश्यक है। भट्ठी में सभी महिलाएं साथ-2 ज्ञान प्राप्त करती थी। इन7 दिनों में माताएं, भाई, बहिनें कहां खाती है, कहा रहती है, कहां खाना बनता है, कहां सोते है। सब देख लिया था। माताओं, भाइयों, बहनों का आश्रम में अलग-2 निवास है। यह आश्रम कम्पिल कस्बे में जाने वाली मुख्य सड़क पर बना है। आश्रम की दीवाले है उनके अलावा अलग से कोई दीवार या फाटक नहीं है। फाटक के बाहर कोई दरवाजा ~दरबान~ नहीं बैठता था। आश्रम का मुख्य दरवाजे से बाबा के कमरे की दूरी करीब 50 कदम होगी। बीच मे खुला स्थान है। बाबा

72

के कमरे में दो गेट हैं, एक सामने से है एक अन्दर से है। अन्दर वाला गेट कन्याओं के कमरे में खुलता है जहाँ पर माताएं बहनें सभी सामूहिक रूप से निवास करती है। इस कमरे से लगा हुआ बाहर एक कमरा भाईयों का कमरा है। भाइयों एवं बहनों के कमरे के बीच एक खिडकी लगी थी। सुबह प्रातः4बजे से 8 बजे तक चलते थे तथा शाम को क्लास नहीं चलती थी। मेरे रुकने के 7 दिन के दौरान 100-200 माताएं बहने व इतने ही भाई रुके हुए थे। बाहर से लोग आश्रम के किसी भी समय आते थे और किसी भी समय चले जाते थे। मुझे जानकारी है कि, कम्पिल थाना आश्रम से करीब एक फर्लांग की दूरी पर है। इस घटना की एफ.आई.आर. लिखाने के बाद मैं कभी भी किसी पुलिस वाले के साथ आश्रम नहीं आई थी और न ही मेरी लड़की रेणुका आयी। इन 7 दिनों के दौरान मुझे आश्रम में कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट नहीं हुआ और न ही कोई शिकायत आश्रम या बीरेन्द्र देव से हुई। जिन लोगों ने मुझे अखबार दिखाया वे ब्रहमकुमार नारनौल के थे। जिनके साथ मैंने 5 वर्ष शिक्षा ग्रहण की थी लेकिन फिर भी मैं उनके नाम पते नहीं बता सकती। अखबार ब्रहमकुमार ने पढ़कर सुनाया था। उसकी तारीख, समय व महीना व समय याद नहीं हैं , सन् याद है। यह बात मैंने दरोगाजी को बता दी थी कि, अखबार वर्ष 1996 में पढ कर सुनाया। मेरे पति को ब्रहमकुमार ने अखबार पढ़ाया था उसका नाम नहीं मालूम, ये ब्रहम कुमार ही थे। जिनके साथ मैंने शिक्षा ग्रहण की थी। यह कहना गलत है कि, पति ब्रहमकुमार द्वारा अखबार पढ़नेवाली बात आज मैं फिर अदालत मे मुकदमें को रंगत देने के लिए बता रही हूँ। मुझे यह ध्यान नहीं है कि, किस दिन, तारीख, महीना में ब्रहमकुमार ने मेरे पति को अखबार पढ़कर

सिविल प्रतिलिपि विभाग
स्थान फतेहगढ़
न्यायालय, फर्रुखाबाद

Scanned by CamScanner

सुनाया । अखबार का क्या नाम था जिसमें बीरेन्द्र देव की खबर छपी थी, मुझे याद नहीं। इस मुलाकात के बाद सीतामाता से मेरा कोई पत्राचार नहीं हुआ था। आज तक केवल एक बार मेरी मुलाकात सीता माता से हुई। ज्योती माता तथा प्रीति बहन से मेरी मुलाकात कम्पिल आश्रम में करीब 3 बार हुई थी। इन लोगों ने मुझे कम्पिल बुलाने के लिए कोई पत्र नहीं डाला, न हीं कोई संदेश इन लोगो ने कम्पिल आश्रम पर बुलाने के लिए भेजा। ज्योती माता और प्रीति को कभी इस घटना के बारे में कोई जिक नहीं किया। आखिरी बार मैं आश्रम में कार्तिक मास में शायद वर्ष 1996 में आखिरी बार गयी थी। अकेली गयी थी। अपने पति के साथ आश्रम पर गयी थी। उस समय मेरी पुत्री कम्पिल में ही थी। वहाँ 3 दिन में अपने पति के साथ रुकी थी। इन कम्पिल प्रवास के 3 दिनों में मेरी व मेरे पति की मुलाकात वीरेन्द्रदेव दीक्षित से हुई थी। मुलाकात सामान्य शिष्टाचार में हुई थी। कोई मारपीट झगड़ा नहीं हुआ था। रेणुका ने अपनी बीती घटना के बारे में न मुझे घर में और न ही आश्रम में बताया बल्कि घर पर जाते ही बताया था। बाबा वीरेन्द्र देव दीक्षित के कई आश्रम कम्पिल के अलावा दिल्ली, कलकत्ता आदि में है। दिल्ली आश्रम मैंने देखा है। उसमे मैं रही। बाबा वहाँ ज्ञान सुनाते है सभी लोग प्रेम से रहते है, सभी लोग कम्पिल आश्रम में माताएं, बहनें व भाई प्रेम से रहते है। किसी को कोई शिकायत मैंने बाबा की नहीं सुनी है। कम्पिल आश्रम में मैं 4-5 दिन रही। इन 4-5 दिन में बाबा की कोई शिकायत भाईयो, बहनों व माताओं से नहीं सुनी। बाबा पढ़ते पढ़ता थे सभी लोग ज्ञान सुनते थे। आश्रम का वातावरण पवित्र रहता है सब लोग मन से ज्ञान सुनते थे। बाबा ज्ञान सुनाता था माताएं, बहनें भाई सब लोग

सदाचार से रहते थें सब लोग बाबा की इज्जत करते थे। मेरी नजर में कम्पिल का आश्रम पवित्र था और है। सन् 97-98 में मैं दिल्ली आश्रम में लगातार आती जाती थी। ज्ञान सुनने जाती थी। उस दौरान आश्रम का वातावरण पवित्र था आश्रम में जो भोजन बनता था वह भोजन माताएं बहनें बनाती थी और भाई , बहने सारे प्रेम से खाते थे। कहीं भी बैठते उठते, किसी भी माता बहन पर कोई बंदिश नहीं थी। आश्रम में रहने वाले अपने परिवार के लोगो से सम्बन्ध द्वारा फोन या चिट्ठी किसी तरह से बना सकते थो। कोई बन्दिश नहीं थी। बाहर से लोग आते थे व किसी भी समय बाबा वीरेन्द्र देव के आश्रम में आते थे और किसी भी समय ज्ञान सुनकर चले जाते थे। मेरी व्यक्तिगत रूप से बाबा वीरेन्द्र देव से कई बार मुलाकात हुई और मैने ज्ञान सुना था बाबा को मैंनें अश्लील हरकतें करते नहीं देखा था। आश्रम मे मैने किसी को नहीं बताया कि बाबा ने बलात्कार किया है। शान्ता बहन को मैंने कभी ओछी हरकत व गन्दी हरकत करते नहीं देखा था और न मैनें आश्रम के किसी भी आदमी से सुना था। आश्रम में माताएं, बहनें एक साथ रहती थीं कम्पिल आश्रम घनी आबादी के बीच में है। चारों तरफ आबादी है। आश्रम में सामने मुख्य सड़क है। मैं कलकत्ता के प्राण वर्मन से कभी नहीं मिली और न ही मैं उसे जानती है। मेरी जानकारी में कभी नहीं आया कि, बाबा वीरेन्द्र देव ने मेरी लड़की के साथ बलात्कार किया था और न ही मेरी लड़की ने आज तक बताया कि, बाबा ने मेरे साथ बलात्कार किया है। गवाह को प्रदर्श क-1 दिखाया गया तो उसको देखकर कहा कि, यह कब लिखी इसकी जानकारी नहीं है और कहा लिखी, मुझे जानकारी नहीं है। मैंने. यह ब्यान कि, मेरी पुत्री मुझसे चिपटकर

सिविल प्रतिलिपि विभाग स्थान फतेहगढ़ फर्रुखाबाद

Scanned by CamScanner

बहुत रोई थी कि मेरी पुत्री ने मुझसे रोकर कहा कि मुझे घर ले चलो .... मैंने लोकलाज में बदनामी के कारण किसी से नहीं कहा यह ब्यान सिखाने से नासमझी के कारण दिया था

12. अभियोजन पक्ष की ओर से घटना के अन्य साक्षी कैलाश चन्द पुत्र दलेल सिंह को बतौर साक्षी पी.डब्लू2 साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है। जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि, मैं बाबा वीरेन्द्र देव दीक्षित पुत्र स्व. सोहन लाल निवासी चैधरियान मो0 नेहरू नगर पी0एस0 कम्पिल को जानता हूँ तथाा वीरेन्द्र देव को भी जानता हूँ। मैं श्यामली में' ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय'' में रहा। वर्ष 1994 में किसी भाई के बताने पर मैं पी0एस0 कम्पिल में बाबा बीरेन्द्र देव दीक्षित के आश्रम में कम्पिल आया। मैंने प्रारम्भ में 7 दिनका कोर्स किया था तथा 1994 में ही शामली स्थित मकान बेचकर बच्चों सहित दिल्ली आ गया, दिल्ली में मैं बाबा वीरन्द्र देव के आश्रम स्थित सेक्टर 16 रोहणी में, मैं शिक्षा लेने जाता था। इसी बीच तथा बीरेन्द्र देव ने विजय बिहार में एक आश्रम बनवाना शुरु किया। इस आश्रम के निर्माण कार्य की देख-रेख मैं करता था तथा महेन्द्र वहाँ पर कमला दीक्षित का ड्राइवर था जो उनके साथ ही आता-जाता था। महेन्द्र विजय बिहार में रहता था तथा बाकी आश्रमों पर भी आता-जाता था। इसे दशरथ ए पटेल ने नौकरी में करवाया था जो कमलादेवी के साथ आता-जाता था। कमला दीक्षित पर मुझे शक होने होने लगा क्योंकि वहाँ रातों में इधर-उधर आया-जाया करती थी। राजबहादुर ने मुझे बताया कि, जिस रास्ते दुनिया पतित बनी है उसी रास्ते को बीरेन्द्र देव पावन बनाता है। मेरे ज्यादा पूँछने पर उसने बताया कि, सभी लड़कियों के साथ वह शंकर का पाठ अदा

Scanned by CamScanner

करता है तथा सैक्स करता है। महेन्द्र ड्राइवर एक दिन मेरे घर पर शराब पीकर आया तथा कहा कि, वह मुझे घर खर्च के लिए पैसा नहीं देती है तथा कहा कि, बीरेन्द्र देव दीक्षित आश्रम की सभी कन्याओं तथा कमला दीक्षित के साथ भी सैक्स करता है। इसी लिए कमलादेवी बीरेन्द्र दीक्षित से तंग होकर दिल्ली आयी है। मैने कमला दीक्षित व महेन्द्र ड्रावइवर को सीता माता के घर पर आपत्ति जनक स्थिति में देखा था। इसी लिए आश्रम निर्माण की सामग्री के हेर-फेर के सम्बन्ध में मुझ पर आरोप लगाने लगे। इसलिए मैंने विजय कुबहार आश्रम में 30.9.03 जाना बन्द कर दिया इस बीच बीरेन्द्र देव दीक्षित ने 50,000/- रूपये गोल्डन फौरेस्ट में मैंने जमा कराये थे। वह भी बीरेन्द्र देव दीक्षित ने हड़प लिए। डा० अशोक पाहूजा, दशरथ पटेल, चतुर्भुज गुप्ता, रवी सक्सेना व रामप्रताप को मैं आश्रम के जरिये ही जानता था, ये लोग दिल्ली आश्रम में भी आते-जाते थे तथा बीरेन्द्रदेव दीक्षित को "बाबा" तथा कमलादेवी को "जगदम्बा माता" मानते थे तथा उनके बुरे कृत्यों की जानकारी होने पर ये लोग आश्रम से अलग हो गये। कुछ दिनों बाद बीरेन्द्र देव दीक्षित दिल्ली चोरी व पुलिस मुजाहमत में जेल भेजे गये थे। जया भारद्वाज ने बीरेन्द्र दीक्षित आदि के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी। जया के साथ डा० अशोक पाहुजा, तारा बहन व मैं फर्रुखाबाद रिपोर्ट लिखाने आयी थीं तब मुझे जानकरी नहीं थी कि, कु० रेणुका तथा मीना कुमारी ने भी बाबा बीरेन्द्र देव दीक्षित के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई। जब मैं थाने पर आया तब मुझे मालूम हुआ कि, कु० रेणुका तथा मीनाकुमरी ने भी बाबा वीरेन्द्र देव दीक्षित के खिलाफ थाने पर रिपोर्ट लिखाई है। मुझे यह जानकारी है कि, कोनिका वर्मन द्वारा एक मुकदमा फर्रुखाबाद में

लिखाया जिसमें मुझे भी मुल्जिम बनाया गया, जबकि मै कभी कलकत्ता नहीं गया तब मुझे यह अहसास हुआ कि, बाबा वीरेन्द्र व कमलादेवी मुझे किसी झूँठे मुकदमें में फंसा देंगे। तब अप्रैल 1998 में मैं दिल्ली से अहमदाबाद आ गया तथा अपने बच्चों सहित अलग मकान में रहने लगा। तारा, रेणुका, जया, मीना जब मैं आश्रम पर आता-जाता था तब देखा करता था। दौरान जिरह इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि, मेरा माउन्ट आबू के ब्रह्मकुमारी आश्रम से मेरा सम्बन्ध रहा। वहाँ मैं ज्ञान लेता था वहाँ वर्ष 1989 वर्ष 1994 तक ज्ञान लिया। मैंने सुना था कि, बाबा वीरेन्द्र ने माउन्ट आबू आश्रम छोड़कर अपना आश्रम अलग खोला है। यह मैंने वर्ष 1994-95 में सुना था। वर्ष 1994-95 मे मैं बाबा बीरेन्द्र देव के आश्रम में गया था।इस आश्रम में मैंने ज्ञान प्राप्त किया था। मैं दो साल आश्रम में रहा। कभी आता, कभी चला जाता हूँ। मैंने इन दो साल में देखा कि, बाबा वीरेन्द्र देव महिलाओं से बलात्कार करता फिर कहा कि मैंने अपनी आँखों से नहीं देखा, वहाँ पर जो स्टूडेन्ट आते थे, उनसे सुना था। मैंने सत्यता जानने की कोशिश की थी। वहां जो लोग रहते थे उन लोगों से मैंने जानकारी की थी। अशोक पाहुजा तथा राजबहादुर धुव से पूंछा था। अशोक पाहूजा ने डिटेल नहीं बतायी थी, राजबहादुर ने डिटेल बतायी थी, जया भारद्वाज ने बताया था रेणुका ने भी बताया था। आश्रम में मैं बाहर वाले कमरे में रूकाया जाता था, मुझे अन्दर वाले कमरे में नहीं जाने दिया जाता था। इसलिए अन्दर कितनी महिलाएं रहती थी, नहीं बता सकता। 1994 से 1996 के बीच मैंने बीरेन्द्र देव दीक्षित को बलात्कार तथा भ्रष्टाचार की शिकायत किसी से नहीं की। दिनांक 6.4.98 को मुझे, प्राणगोपाल वर्मन, चतुर्भुज गुप्ता पुत्र

प्रतिलिपि विभाग

Scanned by CamScanner

गिरिराज, दिनेश पुत्र मोहनलाल को थानाध्यक्ष कम्पिल द्वारा धारा 107, 116 व 151 सी.आर.पी.सी. में चालान किया था। मैंने 6.4.98 को जब मुझे बन्द किया गया तो मैंने आश्रम के खिलाफ बलात्कार के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई। बन्द होने के बाद मैं जेल गया थी एक रात जेल में, दूसरी रात अस्पताल में रहा, तीसरे दिन मेरी जमानत हुई। जेल से छूटने के बाद मैं दिल्ली चला गया तथा कोई प्रार्थनापत्र पुलिस को बलात्कार के सम्बन्ध में नहीं दिया। झगड़ा इसलिए हुआ था कि, प्राण गोपाल अपनी लड़की को लेने आया था और मैं उसके साथ मदद में आया था। मुझे जानकारी नहीं है कि, मुझे जानकारी नहीं है कि, कोनिका वर्मन को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश पर एस.डी.एम. कायमगंज ने छोड़ा है। मुझे जानकारी नहीं है कि, प्राण गोपाल ने एक फर्जी सर्टिफिकेट एस. डी.एम. कायमगंज के न्यायालय में कोनिका वर्मन के खिलाफ दाखिल किया है। मुझे यह भी जानकारी नहीं है कि, कोनिका वर्मन ने सी.जे.एम. के न्यायालय में फर्जी सर्टिफिकेट पेश करने, उसे बदनाम करने व झूँठी गवाही देने के बावत् किया है। मुझे यह भी जानकारी नहीं है कि, प्राणगोपाल इस मुकदमे में 8 महीने जिला कारागार में रहें। मैंने उस मुकदमें में प्राणगोपाल की जमानत 2004 में करायी थी। फिर प्राण गोपाल की कोनिका वर्मन ने जो मुकदमा प्राणगोपाल पर किया है उसकी जानकारी मुझे है मैंने भ्रमवश उपर अंकित ब्यान दे दिया है। जमानत करने के लिए मुझे प्राण गोपाल ने चिट्ठी भेजी थी। चिट्ठी डाक से भेजा था। मेरी जानकारी में दशरथ पटेल, चतुर्भुज अग्रवाल व अशोक पाहूजा वर्ष 94-95 मे बाबा बीरेन्द्र के कम्पिल आश्रम में भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं की थी। कोनिका वर्मन ने कोई मुकदमा अप0 सं0

सिविल प्रतिलिपि विभाग
स्थान फतेहगढ़
फर्रुखाबाद

Scanned by CamScanner

निल/98 धारा 366/342/323/376/511 दशरथ ए पटेल, मेरे उपर तथा चतुर्भुज अग्रवालच अशोक पाहूजा के खिलाफ किया था। जो हाई कोर्ट से स्टे हो गया। रेणुका से मेरी मुलाकात कम्पिल में ही 1997 के आसपास हुई। दिन, महीना, तारीख नहीं बता सकता। आश्रम में ही मुलाकात हुई थी। रेणुका ने आश्रम के भ्रष्टाचार के बारे में बताया, उसका दिन,तारीख, महीना यात्रा ध्यान नहीं। फरवरी 98 में मै प्राण गोपाल के साथ मैं कम्पिल आश्रम में नहीं गया, कम्पिल थाने में गये थे। मेरे साथ चतुर्भुज गुप्ता, अशोक पाहूजा, दिनेश निवासीगण अहमदाबाद तथा रामप्रताप थे। मैंने उपर जो बयान दिया है कि, गलत बात दिया। बल्कि सही बात यह है कि, में, मै 1996 में प्राण गोपाल, अशोक पाहूजा, दिनेश, रामप्रताप, चतुर्भुज गुप्ता के साथ थाने कम्पिल गया था जहां पर मुझे भी उन लोगों के साथ थाने में बन्द कर दिया था। यह कहना गलत है कि मैं वर्ष 1998 में थाना कम्पिल में बन्द हुआ। ~~यह कहना गलत है कि मैं वर्ष 1998 में थाना कम्पिल में बन्द हुआ।~~ जे.बी. के अन्नता ~~के अनन्ता~~ ने दि0 10.4.98 को दशरथ ए पटेल , अशोक पाहूजा, रामप्रताप सिंह चौहान , चतुर्भुज अग्रवाल, श्रीमती जया शर्मा, दिनेश, एम मजूठिया, विजय राघवन , रवीश कुमार सक्सेना, प्राण गोपाल वर्मन तथा अखबार वालों के खिलाफ कोई मुकदमा किया था या नहीं। इसकी जानकारी मुझे नहीं है। उपरोक्त लिखित अभियुक्तगण से मेरी जान पहचान है। इनमें से अशोक पाहूजा, रामप्रताप सिंह, चतुर्भुज अग्रवाल, दिनेश,रवीश, दशरथए पटेल, प्राण गोपाल, जया को मैं जानता हूँ। विजय को मैं नहीं जानता। मुझे जानकारी नहीं है कि , इस मुकदमे में मुझे व मेरे उपरोक्त साथियों को मजिस्ट्रेट महोदय ने प्रथम दृष्ट्या दोषी पाया हो

14

वह मुकदमा आज भी चल रहा है। मैंने मीना कुमारी को 1996-1997 को आश्रम में एक दो बार देखा था। मीना ने कभी बाबा के भ्रष्टाचार व व्यभिचार के बारे में मुझे नहीं बताया। मैं, मीना कुमारी के साथ रिपोर्ट दर्ज कराने गया या नहीं मुझे ध्यान नहीं। मेरे पास कोई खेती नहीं है और न उसकी कोई आमदनी है। छोटे बैंग फुटकर रूप से बेचने के अलावा और कोई धन्धा नहीं। दो छोटे-2 बच्चें है। इस आमदनी से मेरे घर का खर्चा चलता है। वर्ष 1994-95 में मुझे बाबा के आश्रम की देखरेख का कार्य मिला था। 1995-96 में मैने दिल्ली में 25 गज का प्लाट खरीदा तथा एक कमरा बनवाया। मै अधिवक्ता रामबाबू से 1998 के आसपास मिला था। कुछ मुकदमे बाबा ने झूँठे किये थे। इस कारण मैं अधिवक्ता रामबाबू से मिला था। मुझे ध्यान नहीं कि, कितने मुकदमे किये थे। मु0 नं0 958/98 श्रीमती अनन्ता बनाम अशोक पाहूजा आदि दि013.4.98 को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद के यहाँ दाखिल किया गया है या नहीं मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैं ड्राइवर महेन्द्र को 1995 से जानता हूँ। मेरा उसके साथ 1-2 साल तक रहा, मिलना-जुलना रहा था। वह कमलादेवी के साथ रहकर उनकी गाड़ी चलाता था। महेन्द्र ड्राइवर 1995 में मेरे घर शराब पीकर आया था, तारीख, महीना, समय याद नहीं। यह बात 1995-96 की है। निश्चित वर्ष ध्यान नहीं। मुझे महेन्द्र का अपने घर आने का मौसम याद नहीं, जाड़े का था या गर्मी का। सीता माता का घर आजाद पुर में है। उनके पति स्वर्गवासी हो चुके हैं। मुझे नहीं मालूम कि, उनके बच्चे है या नहीं। आजाद पुर मेरे घर से करीब 10-12 किमी0 दूर है। सीतामाता से मेरा परिचय 1994 से हुआ। मुझे नहीं मालूम कि

सिविल प्रतिलिपि ... फर्रुखाबाद

Scanned by CamScanner

इनके पति कब मरे। सीता माता का घर आजादपुर में है। सीता माता के घर मैं अपने व्यक्तिगत काम से भी नहीं गया। बीरेन्द देव दीक्षित ने मेरे 50,000/- रूपये हड़प लिए। इस बाबत् मैंने किसी थाने में आज तक रिपोर्ट नहीं लिखाई । इसका कारण में कनहीं बता सकता। विजय विहार आश्रम से तथा बीरेन्द्र दीक्षित के प्रत्येक आश्रम में एक इन्ट्री रजिस्टर होता है। उसमें प्रत्येक नये आने वाले व्यक्ति का नाम इन्द्राज किया जाता है। विजय बिहार आश्रम आश्रम में मैंने जब जाता था तब इन्ट्री के दस्तखत किये होंगे। कमला दीक्षित ने बाबा बीरेन्द्र दीक्षित द्वारा स्वयं के उपर अत्याचार के बारे में मुझे नहीं बताया। न ही मैंने इस बाबत् सुना। मुझे नहीं मालूम कि, विजय विहार में इस समय कमलादेवी रहती है या नहीं। मैंने महेन्द्र ड्राइवर के अलावा और किसी से कमलनादेवी के साथ बीरेन्द्र देव द्वारा सेक्स किये जाने के बाबत् नहीं सुना। मैंने महेन्द्र ड्राइवर के उपरोक्त कथन ,की अन्य किसी से पुष्टि नहीं की। दि0 16.4.98 को मैं फर्रुखाबाद में इसी केस के मामले में आया था। मेरे साथ चतुर्भुज अगवाल,अशोक पाहूजा, प्राण गोपाल वर्मन तथा और लोग भी थे जिनका नाम ध्यान नहीं। मुझे ध्यान नहीं है कि 16.4.98 को मेरे साथ दिनेश भाई, रामप्रताप, श्रीमती जया भारद्वाज व श्रीमती तारा देवी थी या नहीं। मुझे नहीं मालूम कि, 16.4.98 को फर्रुखाबाद आने के लिए सभी लोग क्यों इक्ट्ठे हुए थे। 16.4.98 को कम्पिल के दरोगा से किस समय मुलाकात हुई यह भी ध्यान नहीं है। फर्रुखाबाद से हम लोग कब वापस गये, यह भी ध्यान नहीं है। मुझे ध्यान नहीं है कि, दिनांक 28.4.98 को फर्रुखाबाद था या नहीं। मैं मीना कुमारी को आज तक नही जानता। यह कहना गलत है कि, दि0 28.4.98 को मैं मीना कुमारी को साथ

लेकर फर्रुखाबाद आया हूँ। दि0 28.4.98 को हम लोग गिन्नीलाल धर्मशाला में रुके ध्यान नहीं। घटनाा होने के बाद मैं किसी पुलिस वाले के साथ आश्रम नहीं गया। दशरथ ए पटेल एक पैसे वाला बहुत आदमी है। दशरथ ए पटेल का ब्यान मेरे सामने नहीं लिया। उक्त विवेचक ने मेरा एक ही बार ब्यान लिया तथा इस मुकदमे के अलावा बाबा वीरेन्द्र देव से सम्बन्धित अन्य किसी मुकदमे में मेरा ब्यान नहीं लिया। मुझे नहीं मालूम कि, चतुर्भुज अग्रवाल का ब्यान मेरे सामने हुआ, या नहीं। कम्पिल आश्रम से लगी हुई आस-पास घनी आबादी है। आसपास मकान है जिनमे लोग रहते थे। कम्पिल थाना आश्रम से करीब आधा किमी0 से कम दूरी पर है, कम्पिल मे ही है। वीरेन्द्र देव दीक्षित का कमरा आश्रम के मुख्य गेट से15-20 कदम दूर है। मुख्य गेट व बीरेन्द देव के कमरे के बीच आंगननुमा खाली जगह है। जो करीब 10-12 फीट लम्बाई-चौड़ाई में होगी। बीरेन्द्र देव के कमरे के दो गेट है एक सामने से एक कमरे के साइड से। एक दरवाजा आंगन में तथा एक अन्दर कमरे में खुलता है। अन्दर वाले कमरे में लड़कियां व माताएं सोती थी। उससे लगा हुआ बाहर की ओर भाईयों के रहने का स्थान था। ऊपर की मंजिल में क्लास रुम था। जहां जालियों के डिवाइडर से अलग-2 बैठने की व्यवस्था थी। एक तरफ लड़कियां तथा दूसरी तरफ लड़के बैठते थे। तीसरी मंजिल पर भोजन की तथा पानी की व्यवस्था थी। जब मैं वहां था तब आश्रम में करीब 200-300 लोग हर समय रहते थे। प्रथम मंजिल के उपर जाल है तथा तीसरी मंजिल खुली जगह है। केवल भोजन बनाने के स्थानों पर तार लगे थे। वीरेन्द्र देव दीक्षित को बिजली चोरी में बन्द किया गया उसकी जानकारी मुझे अखबार से मिली थी। दिन, महीना, तारीख याद नहीं। जब मैंने अखबार पढ़ा

सिविल प्रतिलिपि विभाग फतेहगढ़ फर्रुखाबाद

Scanned by CamScanner

उस समय मैं फतेहगढ़ में ही था। फतेहगढ़ में प्राण गोपाल के केस में मदद के लिए आया था। उस दिन प्राण गोपाल, अशोक पाहूजा, चतुर्भुज भी थे। मैं दो एक दिन पहले से रूका था। दशरथ ए पटेल मुझे वीरेन्द्र देव के दिल्ली आश्रम में एक दो बार मिले थे। मेरी जानकारी में है कि, बीरेन्द्र देव दीक्षित अपना आश्रम खेलने से पहले माउन्ट आबू वाले आश्रम में प्रचारक थे। मुझे जानकारी नहीं है कि, दशरथ ए पटेल भी माउन्ट आबू वाले आश्रम से जुड़े थे। मुझे जानकारी नहीं है कि, दशरथ ए पटेल "विष्णुपार्टी" नामक संस्था अलग चलाते हैं। यह कहना भी गलत है कि, बलात्कार के मुकदमे दर्ज कराने के पहले मेरे द्वारा व दशरथ ए पटेल के सहयोग से कोनिका वर्मन के पिता प्राण गोपाल वर्मन को भड़काया हो और प्राण गोपाल वर्मन द्वारा बीरेन्द देव दीक्षित के खिलाफ झूँठा मुकदमा दर्ज कराया है। यह कहना भी गलत है कि, जब कोनिका वर्मन ने मेरे षडयन्त्र में ,सहयोग नहीं दिया तो मैंने कोनिका वर्मन का अपहरण किया तथा उसके साथ बलात्कार का प्रयास किया हो। यह कहना भी गलत है कि, जब मैं कोनिका वर्मन के प्रकरण में सफल नहीं हुआ तब बलात्कार के मुकदमे लिखाने के पहले मैं तथा मेरे सहयोगियों द्वारा बीरेन्द्र देव के विरूद्व एक सुनियोजित अभियान फर्रुखाबाद में चलाया गया। यह कहना भी गलत है कि, आज भी मैं, दशरथ ए पटेल, गवाही न देने केलिए बीरेन्द्रदेव दीक्षित से सौदा कर रहे थे तथा जब उन्होंने इन्कार कर दिया जब मैं आज झूँठी गवाही दे रहा हूँ।

13. अभियोजन पक्ष की ओर से मामले के चिकित्सक साक्षी डा0 नीलम रानीको बतौर साक्षी पी.डब्लू.4 साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है। जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि, दिनांक

16

14.5.98 को इ.एम.ओ. के पद पर लोहिया अस्पताल में तैनात थीं उस दिन मैंने कुमारी रेनूका पुत्री श्री गिरधारी लाल निवासी विजय नगर थाना नारोल जिला महेन्द्र गढ़ का डाक्टरी मुआइना 12.15 बजे अपरान्ह को किया था। जो मेरे पास महिला का० सी.बी नं0 889 उषा त्रिपाठी थाना कमिपल फर्रुखाबाद को लेकर आयी थी। मैंने पहचान चिन्ह अंकित किया था। मजरूबा का अंगूठा लगवाया था जिसे मेरे द्वारा प्रमाणित किया गया। **बाह्य परीक्षण** मजरूबा की लम्बाई 155 सेमी. वजन 45 किलो0 तथा दाँत 16/16 थे। बगल तथा गुप्तांग के बाल मौजूद थे। स्तन पूर्ण तथा विकसित थें। शरीर के ऊपरी भाग पर किसी प्रकार का चोट के निशान नहीं था। **आन्तरिक परीक्षण** गुप्तांग पूर्णतया विकसित थे तथा उस पर किसी प्रकार के चोट का निशान नहीं था। हाइमन नहीं था तथा गुप्तांग में दो अंगुलियां आसानी से प्रवेश कर रही थी। मजरूबा को दो दिन से मासिक आ रही थी। मैंने वेजाइनल स्मियर बनाई और उन्हें पैथोलोजी में शुकाणुओं की मौजूदगी जानने हेतु भेजा। मजरुबा रेनुका के ~~एक्सरे~~ आयु निर्धारण के लिए एक्सरे ~~डिपार्टमेन्ट~~ को भेजा। ~~एक्सरे से~~ कोहनी तथा कलाई के एक्सरे हेतु भेजा। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट पेपर नं. 9ए मैंने वरवक्त मुआइना तैयार की थी। जो मेरे लेख व हस्ताक्षर मे है। इस पर प्रदर्श क-2 डाला गया। पैथोलोजी फार्म पेपर नं0 10ए मेरे द्वारा तैयार कर भेजा गया था। इस पर डा0 वाई पी0 सिंह द्वारा दिनांक 15.5.98 को अपनी रिपोर्ट अंकित की गयी। वाई0पी0 सिंह मेरे साथ लोहिया अस्पताल में तैनात थे। मैने उनको लिखते पढ़ते देखा है, मै उनके लेख व हस्ताक्षर को पहचानती हूँ। इस पर प्रदर्श क-3 डाला गयां। एक्सरे रिपोर्ट एवं एक्सरे प्लेट रेनुका आज मेरे

सिविल प्रतिलिपि विभाग कचहरी फर्रुखाबाद

Scanned by CamScanner

सामने है जो एक्सरे प्लेट पेपर नं0 9ए/3 है तथा एक्सरे रिपोर्ट 9ए/2 है तथा डा. सत्येन्द्र कुमार द्वारा तैयार की गयी थी। कु0 रेनका की आयु सम्बन्ध में व बलात्कार के सम्बन्ध में उस समय मेरे समक्ष पैथोलोजी रिपोर्ट व एक्सरे रिपोर्ट न होने के कारण मेरे द्वारा पूरक रिपोर्ट नहीं दी जा सकी थी। आज मेरे समक्ष पत्रावली पर एक्सरे रिपोर्ट, एक्सरे प्लेट व पैथोलोजी रिपोर्ट मेरे सामने है। उसे देखकर मैं सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट तैयार कर दाखिल की है। पैथोलोजी रिपोर्ट पैथोलोजिस्ट द्वारा दि0 15.5.98 को तैयार की थी। जिसका नं034/98 था जोकि उनके द्वारा हस्ताक्षरित की गयी थी तथा जिसमें बेजाइना प्रवेश में शुक्राणु की मौजूदगी नहीं पायी गयी थी। एक्सरे रिपोर्ट रेडियोलाजिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित थी तथा दिनांक 18.7.97 को तैयार की गयी थी तथा उसका नम्बर उधादरी था जिसमें सीधी कलाई के जोड़ में सभी आर्मीफिकेशन सेन्टर जुड़े हुए थे तथा सीधी, कलाई के जोड़ में रेडियस और अल्ना कोन के निचले हिस्से जुड़े हुए थे। मेरी राय जोकि भौतिक परीक्षण और उपरोक्त दर्शायी गयी रिपोर्ट के आधार पर बनी कु0 रेनुका की उम्र 18 वर्ष से ऊपर की थी तथा रेप के बारे में कोई निश्चित ओपीनिशयन नहीं दी जा सकती है। पूरक आंख्या पेपर नं0 83ए मेरे लेख व हस्ताक्षर मे है। इसपर प्रदर्श क-4 डाल गया। दौरान जिरह इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि, जब मैंने डाक्टरी परीक्षण किया था, उस समय कोई एफ.आई.आर. नहीं थी। मुझे मजरूबा ने डाक्टरी परीक्षण के दौरान मुंह, हाथ पैर कमर की चोटों के बारे में नहीं बताया था। यदि बताया होता तो रिपोर्ट में उल्लेख होता। मैं बतायी हुई बातों को न लिखकर परीक्षण के आधार पर रिपोर्ट देती हूँ। विवेचक ने पूरक आँख्या तैयार करने के लिए मेरे

Scanned by CamScanner

पास प्रपत्र नहीं भेजा था। महिला घटना के समय पूर्ण बालिग थी।

14. अभियोजन की ओर से मामले के प्रथम विवेचक सेवानिवृत्त एस.आई. धर्म सिंह को बतौर साक्षी पी.डब्लू.5 साक्ष्य में परीक्षित कराया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि, मई 98 में मैं थाना कम्पिल में तैनात था। दिनाक 14.5.98 को अ0सं0 68/98 धारा 376, 342,109,114 आई.पी.सी. बनाम बीरेन्द्र देव दीक्षित व एक अन्य के विरूद्ध पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना मुझ एस.आई. को प्राप्त हुई। मैंने उसी दिन नकल चिक, नकल रपट प्राप्त कर केसव डायरी में अंकित किया तथा हेड कां0 रघुनन्दन लाल से पूँछतांछ कर उसका कथन अंकित किया। इसकी कार्यवाही के उपरान्त मैं चुनाव के लिए रवाना हो गया था। पर्चा नं0 1ए उसी दिन एस.ओ. साहब ने काटा था तथा वादिनी का ब्यान अंकित किया था। दिनांक 15.5.98 को चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसकी नकल केस डायरी में की तथा अभियुक्तगण बीरेन्द्रदेव दीक्षित तथा शान्ता कुमारी का न्यायालय फतेहगढ़ में आकर न्यायालय की अनुमति लेकर मुल्जिम कारागार फतेहगढ़ मे 30+ द0प्र0सं0 बयान लिया। दि0 25.5.98 को एक प्रा. पत्र प्रमाणित ब्रहमा कुमारी ईश्वरी विश्विद्यालय से सम्बन्धित प्राप्त हुआ। जिसकी नकल केस डायरी में की। दि0 29.5.98 को शासन से मुकदमा सी.बी.सी.आई. डी. से स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुआ। जिसकी नकल केस डायरी में की। दौरान जिरह इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि, दिनांक 14.5.98 को थाना कम्पिल में मौजूद था। दिनांक 6.4.98 को थाना कम्पिल में था या नहीं। परन्तु तैनात था। मुझे यह जानकारी है कि, दिनांक 6.4.98 को तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री विजय सिंह द्वारा प्राण गोपाल वर्मन पुत्र

आनन्द वर्मन निवासी श्याम नगए 24 परगना कलकत्ता, कैलाशचन्द्र पुत्र दिनेश चन्द्र निवासी ममहेन्द्रा फार्म थाना अजायब घर नई दिल्ली, चतुर्भुज गुप्ता पुत्र गिरिराज निवासी जगहल थाना जगहल 24 परगना उत्तर पश्चिम बंगाल एवं दिनेश पुत्र मोहनलाल नि0 गायत्री फ्लेट अहमदाबाद गुजरात को गिरफ्तार करके उनका चालान थाना कम्पिल से एस.डी.एम. कायमगंज के लिए 107, 116 द0प्र0सं0 में किया गया था। दिनांक 6.4.98 के पूर्व बीरेन्द्र देव के कम्पिल आश्रम के बारे में कोई भी शिकायत किसी भी प्रकार की मेरी जानकारी में थाना कम्पिल में नहीं हुई। मैंने वादिनी का ब्यान विवेचक के दौरान कभी नहीं लिया। मैंने इस मुकदमे का मौका मुआइना भी नहीं किया। जब तक मैंने विवेचना की मैंने घटना स्थल नहीं देखा। मैंने इस मुकदमे में मुल्जिम की गिरफ्तारी नहीं की थी। मैंने इस मुकदमे में आरोपपत्र भी प्रेषित नहीं किया। इस मुकदमें में मुल्जिमानों के ब्यान मैंने लिये थे। दौरान विवेचना मुझे रेनुका देवी से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई । यह कहना सही है कि, बाबा बीरेन्द्र देव दीक्षित व शान्ता कुमारी की गिरफ्तारी में, मैं एस0ओ0 महोदय श्री विजय सिंह के साथ गयाथा व गिरफ्तार करके थाना कम्पिल अभियुक्तगण बीरेन्द्र देव दीक्षित व शान्ता कुमारी को लाये थे। पुलिस दबिश के समय दशरथ ए पटेल, अशोक पाहूजा, चतुर्भुज अग्रवाल, तारादेवी, मीना, जया आदि लोग गये थे। दौरान विवेचना मेरी जानकारी में नहीं आया कि, इस मुकदमे के घटनास्थल का मुआइना किस विवेचक ने किया, मुझे याद नही। मुझे यह भी जानकारी नहीं है कि, जनता के किसी भी अधिकारी ने घटना स्थल बीरेन्द्र देव आश्रम का मुआइना किया या नहीं । विवेचना के दौरान मैंने उस समय आश्रम में रहने वाले किसी महिला या पुरुष का

सिविल प्रतिलिपि विभाग, न्यायालय, फर्रुखाबाद

Scanned by CamScanner

/18

ब्यान नहीं लिया। आश्रम के आसपास रहने वालें के भी ब्यान नहीं लिये, कम्पिल के नगर के भी किसी व्यक्ति का ब्यान नहीं लिया। तहरीरी रिपोर्ट थाने में डाक द्वारा प्राप्त हुई थी। तहरीर थाने में किस समय पहुँची मुझे ध्यान नहीं है। यह भी कहना गलत है कि, मुकदमें को रंगत देने के लिए अपने द्वारा की गयी असत्य विवेचना को सही करने के लिए झूँठा ब्यान दे रहा हूँ।

15. अभियोजन पक्ष की ओर से मामले के अन्य साक्षी डाक्टर सत्येन्द्र कुमार रेडियोलोजिस्ट को बतौर साक्षी पी.डब्लू6 साक्ष्य में परीक्षित कराया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि, मैं दिनांक 14.7.98 को लोहिया अस्पताल में रेडियोजिस्ट के पद पर तैनात ~~त्रथा~~ उस दिन ~~म्रेरे~~ एक्सरे संख्या 3489 के द्वारा रेनुका पुत्री गिरधारी लाल के दाहिनी कोहनी एवं दाहिनी कलाई के एक्सरे अपनी ~~द्रेखीरेख~~ देख रेख में एक्सरे टैक्नीशियन द्वारा करवाये थें मजरूबा को एक्सरे के ~~लियो~~ लिए चिकत्सा अधिकारी डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल महिला चिकित्सालय द्वारा रैफर किया गया था तथा सी. पी. 310 गिरीश चन्द्र त्रिपाठी लेकर आये थे। दाहिनी कोहनी के एक्सरे में सभी ओमीफिकेशन सेन्टर जुड़े हुयेपाये गये। दाहिनी कलाई के एक्सरे में रेडिया औरअलना हड्डियों के निचले सिरों के ओसीफिकेशन सेन्टर भी जुड़े हुये पाये गये। एक्सरे रिपोर्ट मैने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में एक्सरे प्लेट के आधार पर तैयार की गयी थी जो कागज सं0 9ए है जिसपर प्रदर्श क-7 डाला गया। सम्बन्धित एक्सरे प्लेट 9ए/3 पर वस्तु प्रदर्श-1 डाला गया। दौरान जिरह इस साक्षी ने अपनी ~~मुख्य परीक्षा~~ साक्ष्य में कहा है कि, मजरूबा की उम्र मैंने निर्धारित नहीं की है। यह महिला चिकित्सक द्वारा बतायी गयी है। मुझे याद नहीं है कि, पुलिस ने कोई मेरा ब्यान लिया

सिविल प्रतिलिपि विभाग न्यायालय फर्रुखाबाद फतेहगढ़

था या नहीं लिया था। उम्र के बारे में मुझसे पुलिस ने कोई सवाल किया या नहीं। यह भी मुझे याद नहीं है।

16. अभियोजन, की ओर से मामले के द्वितीय विवेचक सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक सत्यदेव यादव को बतौर साक्षी पी. डब्लू9 साक्ष्य में परीक्षित परीक्षित कराया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, दिनाक 18.6.98 को मैं सी.बी.सी. आई.डी. कानपुर में निरीक्षक के पद पर तैनात था उस दिनमैने मु0अ0 सं0 68/98 धारा 376, 342, 109, 114 आई.पी.सी. बनाम वीरेन्द्र देव आदि की विवेचना ग्रहण की थी। पूर्व विवेचक एस.आई. एस.आई. धर्म सिंह द्वारा की गयी विवेचना का अवलोकन कियां मुझे विवेचना प्राप्त होने के आदेश का अंकन केस डायरी में कियां दिनाक 24.6.98 को पूर्व विवेचक एस.आई. धर्म सिहं का कथन अंकित किया। थानाध्यक्ष कम्पिल विजय सिंह का कथन अंकित, किया। गवाह अनुराधा का कथन अंकित किया एवं रेणुका का कथन अकित किया। दिनांक 29.6.98 को जवाहर सिंह गंगवार एडवोकेट फतेहगढ़ का कथन अंकित किया। दिनांक 14.7.98 को स्टेशन अधीक्षक कायमगंज का ब्यान अंकित किया। दिनांक .5.7.96 को ओमप्रकाश अग्निहोत्री का कथन अंकित किया। पी.वी.के. अन्ता,प्रीति पुत्री श्यामसुन्दर का बयान अंकित किया। दिनांक 09.07.98 को डाक्टर अशोक पाहूजा का कथन अंकित किया। श्रीमती गायत्रीदेवी का कथन अंकित किया। श्रीमती रेणुका की मेडिकल रिपोर्ट को प्राप्त करने का प्रयास किया। 12.7.98 का श्रीमती जया भारद्वाज जो अन्य मुकदमे में वादिया थी, उनसे पूछतांछ की। दिनांक 13.7.98 को चतुर्भुज गुप्ता का कथन अंकित किया। कुमारी रेणुका की निशान देही पर मौका का निरीक्षण किया गया

Scanned by CamScanner

तथा नक्शा नजरी तैयार किया। नक्शा नजरी पेपर नं0 8ए मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जो बलिहाज मौका सही व खसरा दर्ज है। इसपर प्रदर्श क10 डाला गया। रेणुका को एक्सरे के लिए भेजा था लेकिन उसका एक्सरे नहीं हो पाया था। दिनांक 22.7.98 को न्यायालय की अनुमति से जिला कारागार में अभियुक्त वीरेन्द्र देव दीक्षित व शान्ता कुमारी कथन अंकित किया। श्रीमती ज्योति माता, कोनिका वर्मन आदि महिलाओं से 23.7.98 को पूछतांछ करके उनके ब्यान अकित किये। दिनांक 30.7.98 को श्रीमती उर्मिला राजपूत व तत्कालीन डी0जी0सी0क्रिमिनल विमल वर्मा से पूछतांछ की गयी। इसके बाद विवेचना मुझसे ट्रांसफर हो गयी थी। दौरान जिरह इस साक्षी ने अपनी ~~मुख्य परीक्षा~~ जिरह में कहा है कि विवेचना प्राप्त होने के बाद पहली बार मैं 23.6.98 को विवेचना हेतु कम्पिल आया था। मैंने थाना कम्पिल की जी0डी0 में अपनी आमद नहीं की थी। दिनांक 18.6.98 को सेक्टर ~~अफसर~~ आफिसर सी.बी. सी.आई. डी. कानपुर का आदेश मुझे ~~विवेचना~~ विवेचना करने हेतु प्राप्त हुआ था 18.6.98 को ही मुझे इस इस प्रकरण की केस डायरी कार्यालय सी.आई.डी से प्राप्त हुई थी। मैंने सुशील शाक्य का ब्यान नहीं लिया था उनके पत्र का अंकन केस डायरी में किया था। इस पत्र में लिखी तथ्यों का मैंनें केस डायरी में अंकन किया है और इसपत्र में जो तथ्य लिखे है वह सही लिखे है या गलत लिखे हैं, यह मैं नहीं जान सका था। क्योंकि विवेचना बीच में छोड़कर चला आया था। मैंने सुशील शाक्य से उनका ब्यान लेने का प्रयास किया था लेकिन मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी थीं। यह कहना गलत है कि मैंने सुशील शाक्य से मिलने का कोई प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं एक ग्रुप विशेष के दबाव में काम कर रहा था। इस मुकदमे में

सिविल प्रतिलिपि विभाग फर्रुखाबाद

Scanned by CamScanner

मैं मैंने चिक लेखक रघुनन्दन सिंहका ब्यान नहीं लिया था। दौरान विवेचना यह तथ्य मेरे प्रकाश में नहीं आया कि, एस. आई. धर्म सिंह विवेचना में कब रवाना हुये और कब वापस हुये थे। मैंने उनसे विवेचना करने के दौरान घटना स्थल पर कब गये थे, नहीं पूँछा था। धर्म सिंह उपनिरीक्षक के पास विवेचना दि0 29.5.98 तक रही थी। इस मुकदमे का नक्शा नजरी केवल मैंने बनाया था जो घटना के करीब दो महीने बनाया था, समय ध्यान नहीं है। घटनास्थल का नक्शा नजरी पीड़िता की निशान देही पर बनाया था। पीड़िता का 164 द.प्र.सं. 17.7.98 को कराया गया था। पीड़िता के साथ ब्यान के लिए उसकी माँ भी साथ आयी थी। मैंने एस.आई. धर्म सिंह का ब्यान 23.6.98 को लिया था। मैंने एस.आई. धर्म सिंह से नक्शा न बनाने की बाबत् पूँछतांछ नहीं की थी। घटना स्थल से थाने की दूरी ढाई -तीन फर्लांग होगी घटना के बाद बिना किसी देरी के थाना कम्पिल की पुलिस गयी थी लेकिन कौन-2 गया था मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। मैंने नक्शा नजरी दि0 16.7.98 को तैयार किया था। पीड़िता का ब्यान 17.7.98 को कराया गया था। दि016.7.98 को नक्शा नजरी बनाने के लिए आश्रम के आगन्तुक रजिस्टर पर दस्तखत किये थे, या हीं, ध्यान नही है। कोई रजिस्टर था भी या नहीं भी ध्यान नही है। घटना स्थल का मुआइना करते समय मैंने और किसी का ब्यान नहीं लिया था। इस बात की भी मुझे जानकारी नहीं है कि, घटना के समय आश्रम में कितने लोग आश्रम घटना मौजूद थे। घटना के बावत मैंने किसी और के ब्यान नहीं लिये थे। घटनास्थल का मुआइना करते समय महिलाएं बहुत कम थी, ज्यादातर चली गयी थी। इस बाबत् मैंने स्टेशन जाकर स्टेशन मास्टर का ब्यान

Scanned by CamScanner

लिया था। आश्रम में मौजूद महिलाओं से मैंने पूछ्तांछ नहीं की थी क्योंकि मैंने इस बात की आवश्यकता नहीं समझी थी। इस मुकदमे के अलावा आश्रम में रहने वाली अन्य महिलाओं ने भी बाबा वीरेन्द्र दीक्षित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराये थे वे महिलाएं तारादेवी, जया तथा मीना कुमरी थी। जिहोनें अलग-अलग अभियोग दर्ज कराये थे, जिनकी विवेचनाभी शासनादेश के अनुपालन में की थी। पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में किसी बाहरी चोट का उल्लेख नहीं किया गया है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि, मामले की विवेचना के दौरान किसी विवेचक ने पीड़िता के कपड़े कब्जे मेंलिये थे, या नहीं। मैंने भी कपड़ोंको नहीं देखा था। मैंने विवेचना के दौरान पीड़िता को उसके कपड़ों के बारे में नहीं पूँछा था आज अस्वस्थ कहा कि, मामले की विवेचना मैंने घटना के एक साल बाद की थी। मैंने मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन किया था। मैं इस बारे में नहीं बता सकता कि, मेडिकल रिपोर्ट से बलात्कार का होना साबित होता है। आश्रम मे नीचे पांच -छः कमरे है आश्रम दो मंजिला है । आश्रम में औरतें आदमी दोनों रहते है। बच्चे रहते है या नहीं पता है। नक्शा नजरी तैयार करते समय मैंने आश्रम मेंरुकने वाले किसी आदमी या औरत का ब्यान नहीं लिया था। नक्शा नजरी कुमारी रेनुका की निशान देही पर तैयार किया था। कु0 रेनुका अपनी माता के साथ आयी थी। नक्शा नजरी तैयार करते समय कु0 रेनुका मेरे साथ मौजूद थी, रेनुका थाने मिली थी वहीं से घटना स्थल पर गये थे। इस समय ध्यान नहीं है, कु0 रेनुका ने बताया था कि, वह किसी निश्चित कमरे में नहीं रहती थी बल्कि बदल-बदल कर रहते है। इन सभी कमरों को मैंने देखा था। मैंने मु0 अ0सं0 47,48 एवं 58 एवं 68 की विवेचना की थी। यह

सिविल प्रतिलिपि विभाग फर्रुखाबाद

Scanned by CamScanner

कहना गलत है कि, नक्शा नजरी तैयार करते समय वह मेरे साथ मौका मुआना कराने न गयी हो। इस बात की जानकारी मुझे है कि, कु0 कोनिका वर्मन के सन्दर्भ में उसके पिता उसे आश्रम से लेने आया था तो आश्रम वालों से उसका झगड़ा भी हुआ था तब पुलिस ने दोनों पार्टियों को धारा 151 द.प्र.सं. में बन्द किया था। यह कहना गलत है कि, मैंने बाबा वीरेन्द्र देव दीक्षित के विरोधी पक्ष ने मिलकर झूँठे साक्ष्य एकत्रित किये हो।

17. अभियोजन की ओर से मामले के अन्य विवेचक सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक रनवीर सिंह बोरा को बतौर साक्षी पी0 डब्लू0 7 साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है। जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि, अगस्त 1998 से 29 फरवरी 2000 तक मैं लखनऊ सी.बीसी.आई डी. में निरीक्षक के पद पर तैनात था। दिनांक 11.08.98 को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों (सी.बी. सी.आई.डी.) के आदेशानुसार इस मुकदमे की विवेचना मेरे द्वारा की गयी। इस मुकदमे की प्रारम्भिक विवेचना थाना कम्पिल के सब इंस्पेक्टर धर्म सिंह एवं सी.बी.सी.आई.डी. कानपुर के निरीक्षक श्री सत्यदेव यादव द्वारा की गयी। दिनांक 15.5.98 को वादिनी मुकदमा कु0 रेणुका की पैथोलोजी रिपोर्ट प्राप्त हुई तथा दिनांक 20.03.99 को मेरे द्वारा कु0 रेणुका वादिनी के 164 सी.आर.पी.सी. के ब्यानों के अवलोकन न्यायालय में किया गया। दिनांक 22.03.99 कोवादिनी मुकदमा कु0 रेणुका एवं उसकी माता श्रीमती गायत्री देवी के ब्यान अंकित किए गए। दिनाक 18.03.99 को एस.आई. श्री धर्म सिंह यादव पूर्व विवेचक का एवं हेड मुहर्रिर रघुनन्दन पाल थाना कम्पिल के ब्यान अंकित किए गए। दिनांक 1.9.99 को दशरथ ए पटेल, गवाह कैलाशचन्द्र आदि के ब्यान अंकित किए गए। दिनाक

15.4.99 को डाक्टर अनिल महेश्वरी, श्रीमती सावित्री, महेन्द्र पटेल, कु0 हेमा आदि के ब्यान अंकित किए गए। दिनांक 16.04.99 को अशोक पाहूजा का ब्यान अंकित किया गया। पूर्व विवेचकगण द्वारा की गयी विवेचना के सम्बन्ध में समसत केस डायरी तथा अन्य प्रपत्रों का गहनता से अवलोकन किया तथा पूर्व विवेचकगण द्वारा किए गए गवाहान के ब्यानात दुबारा तस्दीक किए। अभियुक्तगण बीरेन्द्र देव दीक्षित तथ शान्ता कुमारी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाया गया। अतः उनके विरूद्ध अन्तर्गत धारा 376/376ग/114 भा0द0सं0 आरोपपत्र दिनांक 29002.2000 न्यायालय में प्रेषित किया गया। कागज सं0 3ए आरोपपत्र मेरे हस्तलेख तथा हस्ताक्षर में पत्रावली पर संलग्न प्रपत्र मेरे सामने है, जिसकेके हस्तलेख व हस्ताक्षर ही प्रे शिनाख्त करता हूँ। इस प्रपर प्रदर्श क-6 डाला गया। दौरान जिरह इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि, कुल चार मुकदमें मुझे विवेचना हेतु मिले थे। 45/98 अप0 सं0 एवं अपराध सं0 58/98 एवं अप0 सं0 47/98 की भी विवेचना मुझे मिली। यह मेरी जानकारी में नहीं है कि, अपराध सं0 47/98, 48/98 तथ 58/98 झूँठे पाये गये हो और न्यायालय से छूट गए हो, उनकी मुझे जानकारी नहीं है। उपरोक्त तीनों मुकदमों कें अलावा अप0 सं0 68/98 का घटनास्थल एक ही है। इन चारों मुकदमों का मौका मुआयना मेरे द्वारा नहीं किया गया। अपराध सं0 68/98 का मौका मुआना दिनांक 16.07.98 को वादिनी मुकदमा श्रीमती रेणुका की निशान देही पर पूर्व विवेचक सत्यदेव यादव द्वारा किया गया। कु0 रेणुका का ब्यान मेरे द्वारा लिया गया, दिनांक 23.03.99 को लिया गया। कु0 रेणुका से मैंने तारादेवी के बारे में कोई जानकारी नहीं ली थी। मीना पुत्री पुरूषोत्तम भाई पटेल

सिविल प्रतिलिपि फर्रुखाबाद

निवासी बरोजा अहमदाबाद के बारे में भी मैंने रेणुका से कोई पूछ्तांछ नहीं की थी। दया भारद्वाज पत्नी विजय भारद्वाज निवासी शाहदरा शहदरा के बारे में भी मैंने रेणुका से पूछ्तांछ नहीं की। इनके सम्बन्ध में रेणुका नेभी कोई जिक नहीं किया। आश्रम का मैंने मौका मुआयना कभी नहीं किया। रेणुका ने मुझे यह नहीं बताया था कि, उसके कमर, हाथ, पैर, में चोट आयी थी उसने मुझे यह भी नहीं बताया था कि, उसके गुप्तांग से काफी खून बहा था। रेणुका ने मुझसे बताया था कि, बाबा ने मेरे साथ जबरदस्ती बलत्कार किया था और मैं बेहोश हो गयी थी उसने यह नहीं बताया था कि, उसके साथ बेहोशी की हालत में बाबा ने चार-पाँच बार बलात्कार किया है। रेणुका ने मुझे यह नहीं बताया था कि, बाबा ने उसकी साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज फाड़ डाला। रेणुका ने मुझे ये सभी कपड़े भी नहीं दिखाये। रेणुका ने मुझे यह नहीं बताया था कि यह शिलशिला रात दस बजे से लेकर सुबह चार बजे तक चला। गवाह कैलाशचन्द्र ने मुझे यह नहीं बताया था कि, वह मीना कुमारी के साथ थाना कम्पिल थना क्रिम्पल रिपोर्ट लिखाने गया था। कैलाश ने मुझे यह नहीं बताया था कि, महेन्द्र कमलादेवी का ड्राइवर था और उनकी गाड़ी चलाता था। कैलाश ने मुझको कैसेट नहीं दिया था। यह सही है कि, कैलाश का ब्यान मैंने अहमदाबाद में लिया था वहाँ पर न तो मुझे कैसेट दिया और न कोई लिखा-पढ़ी हुई। घटना स्थल वाले दिन आश्रम में कितनी महिलाएं एवं बच्चे थे, विवेचना के दौरान मैंने इस बात की तफतीश नहीं की। आश्रम में घटना के समय, प्रभा माता, कु0 अनुराधा आदि के ब्यान मैंने लिए थे। उन्होंने घटना को सपोर्ट नहीं किया। मुझे गायत्री देवी ने यह ब्यान नहीं दिया था कि, ब्रहकुमारों ने अखबार पढ़कर सुनाया था, अखबार लाने वाले

सिविल ... न्यायालय, फर्रुखाबाद

Scanned by CamScanner

ब्रह्मकुमार नारनौल आश्रम के थे। मुझे गायत्री देवी ने यह ब्यान भी कि, मेरे पति को ब्रह्मकुमार ने अखबार पढ़कर सुनाया था, नहीं दिया था। बाबा बीरेन्द्र का आश्रम दिल्ली में रोहणी में है। इस आश्रम में आगन्तुकों का रजिस्टर मेन्टेन होता है। इस आगन्तुक रजिस्ट्र में आश्रम में कौन आया गया, नोट होता है। रेणुका के पिता गिरधारीलाल एवं माता गायत्री देवी का आश्रम में दिनांक 14.07.98 को आना पाया गया। यह रजिस्टर मेरे सामने आज प्रस्तुत किया जा रहा है वह कम्पिल आश्रम का आगन्तुक रजिस्टर है, उसमें दिनांक 19.09.97 के कम सं0 66 पर रेणुका का नाम दर्ज है। दिल्ली के आश्रम के आगन्तुक रजिस्टर में दिनांक 06.05.98 को गायत्री माता का आना अंकित है और उनके हस्ताक्षर भी रजिस्टर पर अंकित है। कम्पिल का जो आगन्तुक रजिसटर मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उसमें दिनांक 10.09.1997 को रेणुका के पिता गिरधारीलाल का नाम अंकित है तथा हस्ताक्षर गिरधारी लाल के भी बने है। यह मेरी जानकरी में है कि, इस घटना से पहले कोनिका वर्मन बाबा के आश्रम में शिष्या थी, जिसे घर वापस ले जाने, उसका पिता व अन्य लोग आश्रम गए थे। कोनिका ने जाने से मना किया था, इसपर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ और दोनों पक्ष 107/116/116/151 के अन्तर्गत गिरफ्तार हुए। जिसमें एक पक्ष कोनिका के पिता प्राणगोपाल वर्मन तथा कैलाशचन्द्र, चतुर्भुज एवं दिनेश थे और दूसरी पार्टी में रविन्द्रनाथ दास, राजबहादुर, सियाराम व जयराम थे। कोनिका ने फिर भी अपने पिता के साथ जाने से न्यायालय में मना कर दिया। उसे नारी निकेतन भेजा गया। कोनिका को आश्रम भेजा गया था, किसके आदेश से भेजा गया था, यह मेरी जानकारी में नहीं है। मेरी यह

सिविल प्रतिलिपि विभाग फर्रुखाबाद

Scanned by CamScanner

जानकारी में आया था कि, कोनिका वर्मन ने अपने पिता के विरुद्ध उस के सन्दर्भ में न्यायालय में पिता द्वारा झूँठा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के बाबत् अपने पिता प्राण गोपाल पर न्यायालय में धारा 464,468,471 भा0द0सं0 का मुकदमा कायम कराया था। यह बलात्कार के घटना के पहले की प्रहली बात है। यह सही है कि, कु0 रेणुका ने अपने ब्यान में मुझे बताया था कि, चतुर्भुज गुप्ता को मेरी माँ व मैंने सारी बात बतायी तथा मुझे व मेरी माँ को दिल्ली में अशोक पाहूजा के घर ले गया वहां एक वकील से राय मशविरा करके रिपोर्ट तैयार की गयी। अशोक पाहूजा एवं चतुर्भुज तथा कैलाश पहले बाबा बीरेन्द्र देव दीक्षित के समर्थक थे, बाद में उनसे अलग हो गए थे। यह कहना सही है ।

18. अभियोजन पक्ष की ओर से मामले के एफ.आई.आर. और जी.डी. लेखक सेवा निवृत्त उपनिरीक्षक रघुनन्दन पाल को बतौर साक्षी पी.डब्लू. 8 साक्ष्य में परीक्षित कराया हैं, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, दिनांक 14.5.98 को मैं थाना कम्पिल में बतौर हेड मोहर्रिर तैनात था। उस दिन कुमारी रेणुका के प्रार्थना के आधार पर मैंने मु0 अ0 सं0 68/98 धारा 376 आई.पी.सी. 342, 109,114 आई.पी.सी. बनाम बीरेन्द्र देव आदि पंजीकृत किया था। जिसकी चिक एफ.आई.आर. पेपर नं0 4ए/1 व4ए/2 है जिसे मैंने तहरीर के आधार पर शब्द ब शब्द अंकित किया था जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। इस पर प्रदर्श क-7 डाला गया। इस मुकदमे की कायमी का खुलासा मैंने रपट नं0 7 समय 6.40 ए0एम0 दिनांक 14.5.98 का ही किया था जिसकी कार्बन कापी पेपर सनं0 7ए है इसे मैंने मूल के साथ कार्बन लगाकर एक ही प्रतिलिपि में तैयार किया था। जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है इस

पर प्रदर्श क-8 डाला गया। मूल जी0डी0 नष्ट हो चुकी है जिसके नष्ट होने के सम्बन्ध में मैं रिपोर्ट आर0 के0 बाबू पुलिस कार्यालय से लेकर दाखिल कर रहा हूँ जो पेपर नं0 214ए है। आर0 के0बाबू ने मेरे सामने ही अपने लेख व हस्ताक्षर में रिपोर्ट अंकित की। मैं उनके लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ इस पर प्रदर्शक-9 डाला गया। तहरीर वादिनी स्वयं लेकर नहीं आयी थी बल्कि तहरीर डाक द्वारा आई थी। यह कहना गलत है कि, तहरीर स्वयं वादिनी लेकर आयी हो और तहरीर इन्स्पेक्टर द्वारा स्वयं बोलकर दर्ज कराया हो। मूल जी0डी0 नष्ट हो चुकी है। दिनांक 14.05.98 को विवेचक की रवानगी नही है। विवेचक ने मेरा ब्यान थाने पर ही दि0 14.5.98 को लिया था तथा मेरा ब्यान धर्म सिंह विवेचक के अलावा और किसी विवेचक ने नहीं लिया था। मैंने विवेचक से तहरीर के बारे में तहरीर के बारे में पता किया था कि, तहरीर डाक्टर एस0पी0 साहब के यहाँ से आयी थी। चिक तहरीर की नकल वादिनी या उसके घर से कोई आया था बल्कि डाक द्वारा ही भेजी गयी थी। यह कहना गलत है कि, अभियोजन के दबाव में झूँठी गवाही दे रहा हूँ और मैं सही बात न बता रहा हूँ।

19. अभियुक्तगण ने अपने ब्यान अन्तर्गत धारा 313 द.प्र.सं. में अभियोजन कथानक को गलत बताया तथा उसे मामले में रंजिशन झूँठा फंसाये जाने व साक्षीगण द्वारा झूँठी गवाही दिया जाना कहा है। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण ने अपने ब्यान अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 में प्रस्तुत मामले के साक्षीगण के विरूद्ध पूर्व के दर्ज कराये गये मुकदमे का उल्लेख करते हुए एवं विवाद का उल्लेख करते हुए उसे मामले में रंजिशन झूँठा फंसाया जाना कहा है।

20. अभियुक्तगण की ओर से अपनी प्रति रक्षा में

Scanned by CamScanner

दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची 240ए से 22 प्रपत्र तथा सूची 245ए से 15 प्रपत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

21. अभियुक्तगण की ओर से अपनी प्रति रक्षा में कोनिका वर्मन पुत्र प्राणगोपाल वर्मन को बतौर साक्षी डी0डब्लू1 साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है। जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, सन् 1998 में मैं कम्पिल आश्रम में थी। मेरे पिता का नाम प्राण गोपाल वर्मन है। मेरे पिता प्राण गोपाल वर्मन आश्रम पर आये थे। मेरा वारन्ट उन्होंनें निकलवाया था जो एस.डी.एम. कोर्ट से निकलवाया था। उसमें उन्होंने मुझे झूँठा नाबालिग बताया था तथा मेरे जन्म के सन्दर्भ में गलत सर्टिफिकेट दाखिल किया था। मुझे कम्पिल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 6.4.98 को वारन्ट जारी हुआ था। मैं पढ़ी-लिखी हूँ, हिन्दी पढ़ लेती हूँ। वारन्ट की सत्यापति प्रति मेरे सामने है जो पत्रावली में दाखिल है। पुलिस से मिलकर मेरे पिता ने वारन्ट जारी कराया था। मुझे नारी निकेतन भेज दिया था। मैं उस समय बालिग थी तथा 22 वर्ष की थी। मुझे मुक्त करने के आदेश 01.6.98 को जिसकी सत्य प्रतिलिपि दाखिल है। मैंने अपने पिता के खिलाफ अपनी उम्र का झूँठा प्रमाण पत्र दाखिल करने के सम्बन्ध में मुकदमा कायम किया था जो चला था तथा मेरे पिता जेल गये थे। मेरी बुआ संध्या देवी ने भी ब्यान दिया था जिसकी सत्यापित प्रतिलिपि दाखिल कर रही हूँ। मैंने दशरथ ए पटेल, अशोक पाहूजा, कैलाशचन्द्र, चतुर्भुज अग्रवाल के विरूद्ध 156(3) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत 06.2.98 की घटना जो मेरे साथ इन लोगों ने की थी, के सन्दर्भ में धारा 363, 366,342,323,504,506,376/511 भा0द0सं0 का प्रार्थना पत्र दिया था जिस पर कार्यवाही न्यायालय में हुई थी। सत्यापित प्रति

Scanned by CamScanner

दाखिल कर रही हूँ। आश्रम का वातावरण शुद्ध है तथ सभी भाई बहिन बनकर रहते है। इन विरोधी लोगों ने मुझसे भी कहा था कि, बाबा का ग्रुप छोड़ो और हमारे ग्रुप में आ जाओ। मैं सन् 1994 तक आज तक आश्रम में हूँ। जब से आश्रम में हूँ आश्रम पवित्र रहा है और आज तक पवित्र है। विरोधियोंने बाबा को झूँठा फंसाया है। दौरान जिरह इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि मेरी जन्म तिथि 13.2.1976 है। मैं बीच-बीच में दिल्ली आश्रम में भी जाती रहती हूँ। जिस दिन की घटना होना बताया है उस दिन मैं कम्पिल आश्रम में नहीं थी। मुझे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैंने अपने पिता के विरुद्ध मुकदमा लिखाया है तब से पिता मुझसे मिलने नहीं आते- जाते।

22. अभियुक्तगण की ओर से अपनी प्रति रक्षा में जयराम पुत्र गिरधारी लाल को बतौर साक्षी डी0डब्लू2 साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है। जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, प्राण गोपाल वर्मन, कैलाशचन्द्र, चतुर्भुज गुप्ता व दिनेश को मैं जानता हूँ तथा रविन्द्रनाथ, करन सिंह, राजबहादुर और सियाराम को भी मैं जानता हूँ। 06.4.98 को आश्रम पर प्राण गोपाल, कैलाशचन्द्र, चतुर्भुज व दिनेश ने झगड़ा किया था। पुलिस कम्पिल ने दोनों पक्षों को गिरफ्तार किया था। चालानी रिपोर्ट 140ए/5 व 140ए/6 दाखिल है कम्पिल पुलिस ने कोनिका का सर्च वारन्ट प्राप्त करने हेतु आवेदन 06.4.98 को दिया था। प्रार्थना पत्र 140ए/8 व सर्च वारन्ट 140ए/10 सत्य प्रतिलिपि दाखिल है। कोनिका को पुलिस ने गिरफ्तार किया था जिसकी सत्य प्रति लिपि दाखिल है। आश्रम में बाबा ने बलात्कार किया ऐसा मैंने नहीं देखा न सुना। जबकि यह घटना दिखाई गयी है उस समय आश्रम में करीब 200

भी मैं जानता हूँ। 06.4.98 को आश्रम पर प्राण गोपाल

भाई, बहिन रहते थे तथा अन्य का आना जाना रहता था। जिन लोगों ने झगड़ा किया था उनके नाम मैंने ब्यान मे उपर बताये वहीं लोगों ने झूँठे मुकदमे डलवाये तथा मुकदमों के गवाह हुये। ऐसा इन लोगों ने बाबा के विरोधियो से मिलकर बाबा को बदनाम करने के लिए किया था। कम्पिल कस्बे का कोई आदमी इस मुकदमे में गवाह नहीं है। कम्पिल आश्रम मुख्य मार्ग पर है तथा आस-पास लोग रहते है। आश्रम में 100 माता बहिनें हर समय रहती है। आश्रम में कोई अपवित्रता आज तक नहीं हुई है। दौरान जिरह इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि, मैं इस आश्रम से सन् 1985 अप्रैल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं आश्रम में क्लास करके अपने घर चला जाता हूँ तथा आवश्यकता होने पर रूक जाता हूँ। यह मेरी जानकारी में आया था कि, बाबा के खिलाफ मुकदमा लिखाया गया है। सबसे पहले मुझ में व विरोधी पार्टी मे झगड़ा हुआ था और बन्द हुये थे तथा बाबा की पार्टी में था। यह कहना गलत है कि, बाबा की पार्टी में होने के कारण उसे बचाने के लिए झूँठी गंवाही दे रहा हूँ।

23. अभियुक्तगण की ओर से अपनी प्रति रक्षा में प्रभावती पुत्री दत्तात्रेय को बतौर साक्षी डी0डब्लू3 साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है। जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, मैं पहले ब्रह्मकुमारी संस्था में थी तथा सन् 1992 से बाबाजी के आश्रम में आ गयी तथा लगातार बाबाजी के आश्रम में रहकर ज्ञान का प्रसार व प्रचार कर रही हूँ। कम्पिल आश्रम में एन्ट्री रजिस्टर रहता है। जिसमें आने वाला का नाम लिखा जाता है और जाते समय तारीख नोट की जाती है। दिल्ली आश्रम जो विजय बिहार रोहिणी में है उसमें भी एन्ट्री रजिस्टर बनता है। दिल्ली आश्रम का एन्ट्री

रजिस्टर 1987,1998 में मेरे सामने है और क्लास रजिस्टर दिल्ली आश्रम का मेरे सामने है। इसकी मूल मेरे सामने है फोटो स्टेट मैंने दाखिल की है। पेपर सं0 145ए/5 पर जया माता के हस्ताक्षर हैं मैं इनको पहचानती हूँ। 26.4.97 में रेणुका के हस्ताक्षर है। रेणुका जो इस मुकदमे की वादिनी है। उसके हस्ताक्षर भी पहचानती हूँ। कागज सं0 145ए/8 छाया प्रति मेरे सामने है तथा मूल भी मेरे सामने है। 28.4.97 का क्लास रजिस्टर मेरे सामने है इस पर भी रेणुका के हस्ताक्षर है। इस पर भी रेणुका के हस्ताक्षर है। 30.4.97 का क्लास रजिस्टर सामने है इस पर भी रेणुका के हस्ताक्षर है। 01.5.97 का क्लास रजिस्टर मेरे सामने है इस पर भी रेणका के हस्ताक्षर है तथा 02.5.97 को क्लास रजिस्टर भी मेरे सामने है इस पर भी रेणुका के हस्ताक्षर है। 05.5.97 को क्लास रजिस्टर भी मेरे सामने है इस पर भी रेणुका के हस्ताक्षर है। 08.5.97 को क्लास रजिस्टर भी मेरे सामने है इस पर भी रेणुका के हस्ताक्षर है। 10.5.97 को क्लास रजिस्टर भी मेरे सामने है इस पर भी रेणुका के हस्ताक्षर है। 14.5.97 को क्लास रजिस्टर भी मेरे सामने है इस पर भी रेणुका के हस्ताक्षर है। 15.5.97 को क्लास रजिस्टर भी मेरे सामने है इस पर भी रेणुका के हस्ताक्षर है। 19.5.97, 20.5.97, 26.5.97,30.5.97,01.6.97,02.6.97,03.6.97,15.6.97,16.6.97, 29.6.97, 30.6.97, 01.7.97, 02.7.97, 03.7.97, 04.7.97, 05.7.97, 06.7.97, 30.7.97, 31.7.97, 1.8.98, 3.8.97, 4.8.98, 5.8.97, 15.8.97, 16.8.97, 17.8.97, 30.8.97, 31.8.97, 01.9.97, 02.9.97, इन तारीखों पर भी रेणुका के हस्ताक्षर है रजिस्टर की प्रति दाखिल है। दिल्ली आश्रम का क्लास रजिस्टर मूल मेरे सामने है इस पर 18.5.97 पर

पर भी रेणुका के हस्ताक्षर है। 15.5.97 को क्लास रजिस्टर भी मेरे

इस मुकदमे के साक्षी कैलाशचन्द्र के हस्ताक्षर है। 19.5.97 पर भी कैलाशचन्द्र के हस्ताक्षर है। 27.5.97 पर पर कैलाशचन्द्र के हस्ताक्षर है। 30.5.97, 1.6.97 पर भी कैलाश चन्द्र के हस्ताक्षर है। इस प्रकरण के साक्षीगण जया माता, विमलेश जो कैलाश की पत्नी है उसके भी हस्ताक्षर है। कम्पिल आश्रम का एन्ट्री रजिस्टर मेरे सामने है जिस पर इस प्रकरण के साक्षी चतुर्भुज गुप्ता, कैलाश वं चर्तुभुज , जया के हस्ताक्षर है। दिल्ली आश्रम का रजिस्टर एन्ट्री मेरे सामने है जिसमें वादिनी रेणुका की माँ गायत्री माता के हस्ताक्षर दिनांक 06.5.98 के हैं। इस प्रकरण की वादिनी रेणुका को आगे करके व अन्य कुछ महिलाओं को आगे करके दशरथ पटेल, चतुर्भुज, कैलाशचन्द्र, व अशोक पाहूजा ने बाबा को नीचा दिखाने के लिए यह झूंठे मुकदमें कायम कराये थे। मई 1997 से पहले अपले और बाद तक मैं कम्पिल आश्रम में था। उन दिनों आश्रम में 100,130 व 120 श्रद्धालू हर समय रहते थे। माताएं बहनें व भाई आश्रम में रहते थे। मई 1997 व पूरे वर्ष में लगातार आश्रम में रही और ऐसी कोई घटना नहीं हुई। बाबा का कोई कमरा जिसको बाहर से बन्द किया जा सके, ऐसा नहीं था। बाबा खुले में विश्राम करते थे। ऐस कोई कमरा नहीं थ जिसमें बाबा रात्रि विश्राम करते हैं और वह बाहर से बन्द किया जा सके। दौरान ड्रौस्न जिरह इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि मेरी जन्म तिथि 22 जून 1941 है। मैं मूल निवासी हैदराबाद की हूँ। आश्रम में पद माता का है। आश्रम में जो भी श्रद्धालू आजे हैं उनका नामांकन आगतुक रजिस्टर में करती हूं तय जान देती हूं। हमारे पूरे भारत में 30-35 आश्रम हैं उनमें आना जाना रहता है। जिस दिन की घटना बतायी गयी है उस दिन मैं कम्पिल आश्रम में मौजूद थी। पुलिस ने घटना के सम्बन्ध में

Scanned by CamScanner

मेरा ब्यान लिया था। मैं इस आश्रम में सन् 1992 से आयी थी।

23 अभियुक्तगण की ओर से अपनी प्रति रक्षा में सूर्य प्रभा पुत्री नरसिंह राव को बतौर साक्षी डी०डब्लू4 साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है। जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं सन् 1987 से ज्ञान में हूँ। मैं 1997 के पूरे वर्ष कम्पिल आश्रम में रही। 1998 में भी मैं कम्पिल आश्रम में रही। जया माता, मीना, तारा, रेणुका को मैं जानती हूँ। सन् 1997,1998 में इनके साथ कभी कोई दुर्व्यवहार कम्पिल आश्रम में नहीं हुआ। आश्रम में हर समय 150-200 माताएं बहनें रहती है। बाबा के विरूद्ध झूँठे मुकदमें इसलिए लगाये गये क्योंकि बाबा की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी तथा ब्रहम कुमारी आश्रम से टूट-2 कर लोग बाबा के आश्रम में आ रहे हैं। दशरथ ए. पटेल, कैलाश, चतुर्भुज, अशोक पाहूजा, ने ये पूरा षडयंत्र किया। ये लोग दूसरी पार्टी से मिले हुए थे। आश्रम में पूर्ण पवित्रता रहती है। भाई बहिनों को आसन दर्जा दिया जाता है। सभी भाई बहिन पवित्रता से रहते है। कम्पिल आश्रम में बाबा का कोई कमरा नहीं था। जिसमें दरवाजे है और बाबा उसमें रहते रहते है। बाबा जहाँ आकर रहते थे वो किचिन के पास खुले में रहते थे। विवेचना के समय मैंने व अन्य बहिनों ने पुलिस को यह बात बताई थी। दौरान जिरह इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि आश्रम में एक कमरा, एक हाल तथा ऊपर चार कमरे है। मैं ऊपर रहती हूँ। बाबा नीचे रहते हैं। जहाँ बाबा रहते है तथा यहाँ मैं रहती हूँ। उसके बीच 10 सीढ़ियां है। मैं अपने घर आती-जाती हूँ और आश्रमों में भी आती-जाती रहती हूँ। यह कहना गलत है कि घटना वाले दिन मैं आश्रम में नहीं रही हूँ। यह कहना गलत है कि आज मुझे बाबा ने गवाही के लिए भेजा हो।

Scanned by CamScanner

24. अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि घटना की रिपोर्ट एक वर्ष विलम्ब से दर्ज कराई गयी है। विलम्ब का कोई पर्याप्त एवं सन्तोष जनक कारण नहीं बताया गया है। इस आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेखित कथन संदिग्ध हो जाते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का कोई दिनांक उल्लेखित नहीं किया गया है। अभियुक्तगण को मामले में रंजिशन झूँठा फंसाया गया है। साक्षीगण पी.डब्लू2 व पी.डब्लू3 घटना के चश्मदीद साक्षी नहीं है और नहीं उनके द्वारा कोई घटना देखी गयी है। घटना के समय घटना स्थल आश्रम पर दो-तीन सौ लोगों का उपस्थित होना बताया गया है किन्तु उनमें से किसी व्यक्ति को घटना का साक्षी नहीं बनाया गया है और नहीं उसे साक्ष्य में परीक्षित ही कराया गया है। नक्शा-नजरी किसकी निशान देही पर बनाया गया है यह साबित नहीं होता है। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट से बलात्कार किए जाने की कोई पुष्टि नहीं होती है। इसी प्रकार की घटना को ग़लत बनाकर अभियुक्त के विरुद्ध तीन अन्य मुकदमें भी दर्ज कराए गए थे जिनमें अभियुक्त को दोष मुक्त किया जा चुका है। प्रस्तुत मामले की घटना भी संदिग्ध साबित होती है। क्योंकि यदि कोई घटना साक्षी पी.डब्लू1 साथ वास्तव में घटना घटित होती और उसने घटना स्थल पर शौर मचाया होता तो अवश्य ही इस आश्रम में मौजूद लोगों द्वारा सुना जाता। इसके अतिरिक्त पीड़िता इस घटना को आश्रम में उपस्थित लोगों से बताती और तत्काल थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने जाती और ऐसा होने पर तत्काल उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया जाता। जिससे बलात्कार की पुष्टि हो सकती थी। किन्तु पीड़िता द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है और घटना के एक वर्ष बाद यह रिपोर्ट थाने पर दर्ज करायी है।

Scanned by CamScanner

जिसमें कोई सत्यता नहीं है। अभियुक्त को रंजिशन झूँठा फंसाया गया है। पीड़िता के साथ बलात्कार की कोई घटना नहीं हुई है। साक्षीगण की साक्ष्य में महत्वपूर्ण विरोधाभाषा है। अभियुक्तगण दोष मुक्त किये जाने योग्य हैं।

25. इसके विरूद्ध अभियोजन पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, साक्षी पी.डब्लू.1 की साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोपों की पुष्टि होती है। साक्षीगण की साक्ष्य में कोई महत्वपूर्ण विरोधाभाष नहीं है। अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोप सत्य साबित होते है। अभियुक्तगण दोष सिद्ध किए जाने योग्य हैं।

26. अभियुक्तगण वीरेन्द्र देव दीक्षित व शान्ता कुमारी पर यह आरोप है कि, दिनांक 07.05.97 को समय करीब 10 बजे रात्रि घटना स्थल वीरेन्द्र दीक्षित के आश्रम स्थित कम्पिल फर्रुखाबाद में वादी मुकदमा कु0 रेणुका के साथ जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरूद्ध बलातकार किया तथा अभियुक्त शान्ता कुमारी अभियुक्त को इस हेतु दुष्प्रेरित किया। इस प्रकार अभियुक्त वीरेन्द्र देव दीक्षित पर भा0द0सं0 की धारा 376 व 376ग तथा अभियुक्त शान्ता कुमारी पर भा0द0सं0 की धारा 114/376 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप हैं।

27. अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को साबित करने के उद्देश्य से घटना को एक मात्र साक्षी पी.डब्लू.1 कु0 रेणुका को ही साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है। इसके अतिरिक्त, घटना के किसी अन्य चश्मदीद साक्षी को साक्ष्य में परीक्षित नहीं कराया गया है । तथ्य सम्बन्धी साक्षीगण पी.डब्लू.2 व पी.डब्लू.3 घटना के चश्मदीद साक्षी नहीं है। शेष सभी साक्षी अभियोजन साक्षीगण मामले के

औपचारिक साक्षी है। इस प्रकार प्रस्तुत मामले में घटना की एक मात्र साक्षी पीड़िता साक्षी पी.डब्लू.1 ही है।

28. प्रस्तुत मामले मे घटना दिनांक 7.5.97 को रात्रि 10 बजे की बतायी गयी है जबकि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 14.5.98 को अर्थात घटना के एक वर्ष एक सप्ताह गुजरने के पश्चात् दर्ज करायी गयी है।

29. अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में पीड़िता साक्षी पी.डब्लू.1 ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि, " रात के 10 बजे शान्ता बहन हमारे पास हमें बुलाने आई थी और हमें बुलाकर के वीरेन्द्रदेव दीक्षित के पास ले गयी। वीरेन्द्र देव दीक्षित उस समय अपने कमरे में लेटे हुए थे, शान्ता बाई हमें कमरे में भेजकर के वह बाहर आ गयी थी और उसे कमरे में बन्द कर दिया। वीरेन्द्र दीक्षित ने हमारी साड़ी पकड़कर के खींची। उसके उससे उसी समय ब्लाउज के बटन टूट गये। मैंने चींखा चिल्लाया था, पर उस समय हमारी किसी ने मदद नहीं की थी। मैंने वीरेन्द्र देव दीक्षित से यह कहा कि, भगवान के नाम पर यह क्या कर रहे हैं, उसने शान्ता बहन और प्रीति को आवाजें दी थी, पर कोई भी उसकी मदद करने को नहीं आया। कमरे का दरवाजा अन्दर से बन्द था मैंने बाबा वीरेन्द्र देव से छूटने की कोशिश की थी। बाबा वीरेन्द्र देव ने हमारे हाथ मोड़ दिये और जबरदस्ती मेरे उपर लेट गया। बाबा वीरेन्द्र देव ने मुझसे कहा कि, तुम पावर्ती बन जाओंगी, सीता माता बन जाओंगी। मुझे पावर्ती कहकर मेरे साथ बलात्कार किया। बाबा वीरेन्द्र ने बलात्कार मेरी मर्जी के खिलाफ किया था। इस बलात्कार में बाबा वीरेन्द्र देव का सहयोग, प्रीति बहन, प्रिया बहन, शान्ता बहन व लक्ष्मी माता ने किया था। इस प्रकार इस साक्षी ने

प्रतिलिपि स्थान फतेहगढ़ न्यायालय

Scanned by CamScanner

अपनी साक्ष्य में अभियुक्त वीरेन्द्र देव दीक्षित, अभियुक्ता शान्ता देवी, के सहयोग से बलात्कार किया जाना कहा है। चूँकि प्रस्तुत मामले में घटना की रिपोर्ट घटना घटित होने के एक वर्ष पश्चात दर्ज करायी गयी है। अतः प्रश्न विचारणीय है कि, क्या साक्षी पी. डब्लू.1 द्वारा किया गया यह कथन सत्य एवं विश्वसनीय है, साथ ही साथ यह जानना आवश्यक हो जाता है कि, क्या घटना घटित होते समय घटना स्थल पर एवं उसके आसपास कोई व्यक्ति मौजूद था जिसने घटना घटित होते हुए देखा है या सुना है। सामान्यतः बलात्कार जैसा अपराध करते समय अपराधी निर्जन एवं एकान्त स्थान को ही चुनता है। जिससे वह घटना कारित करने में सफल हो सके किन्तु प्रस्तुत मामले की स्थिति भिन्न है। पीड़िता साक्षी पी. डब्लू.1 ने बलात्कार की घटना अभियुक्तगण द्वारा आश्रम के अन्दर किया जाना कहा है और घटना की प्रथम सूचना घटना घटित होने के एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त दर्ज करायी गयी है। अतः घटना की सत्यता को जाँचने के लिए मेरे विचार से सम्पुष्टि कारक साक्ष्य का होना प्रस्तुत मामले में आवश्यक होता है। पीड़िता साक्षी पी.डब्लू.1 ने अपनी प्रति परीक्षा में कहा है कि, आश्रम में कुल 3 या 4 कमरे हैं। यह आश्रम तीन मंजिला का बना है। खाना बनाने का स्थान सबसे ऊपर था। इस आश्रम में भाई, बहन व माताएं भी रहते थे, उनमें माताएं, बहनें, व भाई सभी थे। यह कहना सही है कि, घटनाके समय आश्रम में जो माताएं, बहनें व भाई थे, वह जवान, अधेड़ व वृद्ध सभी उम्र के थे। यह सभी अलग-2 जगहों से आये हुए लोग थे। बाबा का कमरा आश्रम में दरवाजे के सामने बड़ा गेट के सामने था, मेरे साथ 15 कन्याएं सोती थी, कन्याओं के सोने के जगह से बाबा का कमरा 1-2

कदम दूर है माताएं का कमरा बाबा के कमरे से 10-15 कदम दूर है, भाईयों का कमरा दूर था लेकिन आश्रम के अन्दर था। भाईयों का कमरा दिखायी देता था लेकिन दूरीं नहीं बता सकती।''

इस प्रकार इस साक्षी के स्वयं के कथनानुसार घटना वाले दिनांक व समय पर घटना स्थल आश्रम में 2-3 सौ लोग हर समय रहते है, जिनमें पुरूष महिलाएं व लड़कियाँ भी मौजूद थे। यहीं नहीं पीड़िता जिस कमरे में सो रही थी उस समय भी 15 लड़कियां मौजूद थी, जोंकि घटना वाले कमरे से 2-3 कदम की दूरी पर ही रह रही थी। पींड़िता साक्षी पीडब्लू1 ने अपनी साक्ष्य में यह भी कहा है कि, जब उसके साथ अभियुक्त ने बलात्कार करना चाहा तब उसने काफी शौर मचाया था। इस प्रकार यदि पीड़िता के साथ वास्तव में घटना घटित हुई थी और उसने शौर मचाया था तो कम से कम आसपास के कमरों से मौजूद लोंगों द्वारा इसे अवश्य ही सुना जाता है और देखा जाता, है किन्तु अभियोजन पक्ष की ओर से घटना घटित होते हुए घटना स्थल पर मौजूद किसी भी ऐसे साक्षी को साक्ष्य में परीक्षित नहीं कराया गया है जिसने अभियुक्तगण द्वारा पीड़िता के साथ घटना कारित करते हुए देखा हो। इस सम्बन्ध में विवेचक साक्षी पी.डब्लू7 ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि, घटना वाले दिन आश्रम में कितनी महिलाएं थी एवं बच्चे थे? विवेचना के दौरान मैंने इस बात की तफतीश नहीं की थी। आश्रम में घटना के समय प्रभा माता कु0 अनुराधा आदि के ब्यान मैंने लिये थे उन्होनें घटना का नहीं सपोर्ट किया था। इस प्रकार विवेचक द्वारा भी घटना स्थल पर घटना घटित होते समय उपस्थित महिलाओं एवं पुरूषों से घटना की सत्यता के सम्बन्ध में कोई जानकारी एकत्रित नहीं की गयी है, जिन महिलाओं के ब्यान विवेचक द्वारा लिये गये हैं उन्होंने घटना वाले दिन व समय

Scanned by CamScanner

पर अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किये जाने से इन्कार किया है। इस सम्बन्ध में अभियुक्तगण की ओर से अपनी प्रति रक्षा में घटना के समय घटना स्थल पर मौजूद साक्षी डी.डब्लू2 प्रभावती पुत्री दत्तात्रेय को साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है। जिसने अपनी साक्ष्य में कहा है कि, मई 1997 से पहले और बाद तक मैं कम्पिल आश्रम मे थी उन दिनों आश्रम में 100,130 व 120 श्रदालू हर समय रहते थे, माताएं, बहनें भाई आश्रम में रहते थे। मई 1997 व पूरे वर्ष में लगातार आश्रम में रही, पर कोई कमरा जिसका जिसका बाहर बन्द किया जा सके, ऐसा नहीं था। बाबा खुले में विश्राम करते थे, ऐसा कोई कमरा नहीं था जिसमें बाबा रात में विश्राम करते हो और बाहर से बनद किया जा सके। जिस दिन की घटना बतायी गयी है, उस दिन मैं कम्पिल आश्रम में मौजूद थी। पुलिस ने घटना के सम्बन्ध में मेरे बयान लिये थे। मैं आश्रम में सन् 1992 से आई थी। इसी सम्बन्ध में साक्षी डी. डबलू4 सूर्याप्रभा पुत्री नरसिंह राव ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि, मैं 1997 के पूरे वर्ष कम्पिल आस्म में रही। 1998 में भी मैं कम्पिल आश्रम में जया माता, मीना, तारा, रेणुका को मैं जानती हूँ। सन् 1997, 1998 में इनके साथ कभी कोई दुर्व्यवहार कम्पिल आश्रम में नहीं हुआ। आश्रम में हर समय डेढ़ दो सौ माताएं बहनें रहती है। आश्रम में पूर्ण पवित्रता रहती है। सभी भाई बहन, व माताएं पवित्रता से रहते हैं। कम्पिल आश्रम में बाबा का कोई कमरा नहीं था जिसमें दरवाजा हो और बाबा उसमें रहते हों। बाबा जहाँ आकर रहते थे वे किचन के पास खुले में रहते थे। विवेचना के समय मैंने व अन्य बहनों ने पुलिस को यह बात बतायी थी। दौरान जिरह भी इस साक्षी ने कहा है कि आश्रम में एक कमरा, एक हाल

तथा उपर 4 कमरें है। मैं उपर रहती हूँ बाबा नीचे रहते हैं। जहाँ बाबा रहते हैं तथा जहाँ मैं रहती हूँ उसके बीच 10 सीढ़ियां हैं। सीढ़ी खत्म होते ही मेरा कमरा है। मैं उसी में रहती हूँ। यह कहना गलत है कि, घटना वाले दिन मैं आश्रम में नहीं रही हूँ। इस प्रकार इन दोनों प्रतिरक्षा साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में घटना वाले दिन समय व स्थान पर अभियुक्तगण द्वारा पीड़िता साक्षी पी.डब्लू.1 के साथ कोई भी घटना कारित होने से केवल अभियुक्त द्वारा उसके साथ बलात्कार करने से इन्कार किया है। इस प्रकार घटना घटित होते समय घटना के आसपास पर्याप्त संख्या में लोग मौजूद थे, पीड़िता जिस जगह पर लेटी हुई थी और जहाँ से उसे उठाकर अभियुक्त वीरेन्द्र देव दीक्षित के कमरे में ले जाना कहा गया है, उसमें भी उस समय 15 लड़कियां मौजूद थी किन्तु जिनमें से किसी भी लड़की को अभियोजन की ओर से न तो साक्षी बनाया गया है और न ही साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है जिससे ~~घटना घटित होते हुए~~ साक्षी पी.डब्लू.1 द्वारा किये किये गये कथनों की पुष्टि हो सकें।

30. पीड़िता साक्षी पी.डब्लू.1 घटना घटित होने के बाद आश्रम के किसी भी व्यक्ति को यह नहीं बताया है कि, अभियुक्त वीरेन्द्र देव दीक्षित अभियुक्ता शान्ता बहन के सहयोग से जबरन बलात्कार किया। साक्षी पी.डब्लू.1 ने अपनी साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि, उसने अभियुक्तगण उसके साथ की गयी बलात्कार की घटना के बारे में आस्म में किसी भी व्यक्ति को नहीं बताया। जबकि साक्षी पी.डब्लू.1 के कथनानुसार उसे इस बात का पर्याप्त अवसर प्राप्त हुआ था कि, वह साथ हुई घटना को आश्रम में उपस्थित लोगों को घटना घटित होने के बारे में बता सकती

प्रतिलिपि विभाग स्थान फतेहगढ़ जनपद-न्यायालय, फर्रुखाबाद

Scanned by CamScanner

थी। यहीं नहीं उसे आश्रम से बाहर जाने का अवसर प्राप्त होता था। जैसा कि उसने अपनी साक्ष्य में भी कहा है कि, आश्रम से मैं बाहर कम ही निकलती थी जब निकलती थी दिन में निकलती थी। आश्रम के एक दूसरे कमरे में आ जा सकती थी। इस प्रकार पीड़िता को अपने साथ हुई घटना बताने का एवं अभियुक्तगण के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का पूर्ण अवसर प्राप्त था। इसके बावजूद उसकी घटना के तत्काल बाद अथवा 2-4 दिन बाद अपने साथ हुई बलात्कार की घटना के बारे में किसी भी व्यक्ति को नहीं बताया। इस बाबत् पीड़िता पी.डब्लू.1 का यह कथन है कि, उसे जान से मारने की धमकी दी गयी थी, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। किन्तु पीड़िता साक्षी पी.डब्लू.1 अपनी साक्ष्य में यह बताने से असमर्थ रही है कि, उसे किस व्यक्ति द्वारा आश्रम में धमकी दी गयी थी। यह सभी ऐसी परिस्थितियां है जो साक्षी के साथ अभियुक्तगण द्वारा की गयी घटना के बाबत् किये गये कथनों को संदिग्ध बनाती है।

31. पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण भी हुआ है जिसमें चिकित्सक साक्षी के कथनानुसार बलात्कार जैसी घटना घटित होने की पुष्टि नहीं की गयी। इस सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष की ओर से यह कहा गया है कि, बलात्कार की घटना घटित के एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त पीड़िता साक्षी पी.डब्लू.1 का चिकित्सीय परीक्षण हुआ है। अतः इसमें बलात्कार की पुष्टि होना सम्भव नहीं है। इसके विरूद्ध अभियुक्तगण की ओर से यह कहा गया है कि, पीड़िता साक्षी पी.डब्लू.1 का चिकित्सीय परीक्षण घटना घटित होने के एक वर्ष बाद कराये जाने में अभियुक्तगण का कोई दोष नहीं है बल्कि इसके लिए स्वयं पीड़िता साक्षी ही दोषी है। यदि

Scanned by CamScanner

वह समय से घटना घटित होने की रिपोर्ट दर्ज कराती और उसका समय से चिकित्सीय परीक्षण होता तो यदि वास्तव में उसके साथ बलात्कार जैसी कोई घटना घटित हुई तो उसकी पुष्टि चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट से हो सकती थी। मै अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये इस तर्क से पूर्णतया सहमत हूँ क्योंकि पीड़िता साक्षी पी.डब्लू.1 ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि, वह घटना के समय कुंवारी थी और घटना से पूर्व उसने किसी भी पुरूष के साथ सम्भोग नहीं किया था। ऐसी परिस्थिति में यदि पीड़िता साक्षी पी.डब्लू.1 ने घटना घटित होने के तत्काल पश्चात् घटना घटित होने की रिपोर्ट लिखायी होती और उसकी तत्परता से चिकित्सीय परीक्षण हुआ होता तो उसके साथ बलात्कार की घटना की पुष्टि चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर भी हो जाती। जोकि पीड़िता साक्षी द्वारा नहीं किया गया। अतः इस आधार पर मेरे विचार से अभियोजन पक्ष को उसकी ओर से प्रस्तुत किये गये इस तर्क का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है बल्कि इसका लाभ अभियुक्तगण को ही प्राप्त होता है और इस प्रकार मेरे विचार से चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट और चिकित्सक साक्षी के आधार पर भी साक्षी पी.डब्लू.1 द्वारा बलात्कार किये जाने सम्बन्धी किये गये कथनों की पुष्टि नहीं होती है।

32. पीड़िता साक्षी पी.डब्लू.1 ने अपनी साक्ष्य में यह भी कहा है कि, घटना घटित होते समय उसके कपड़े फट गये थे किन्तु उसे फटे हुए कपड़ों को पीड़िता ने तो विवेचक की सुपुर्दगी में दिये है और न उन्हें न्यायालय के समक्ष साक्ष्य में प्रस्तुत किया है। इसी सम्बन्ध में साक्षी पी.डब्लू.1 ने अपनी साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि, उसने फटे हुए कपड़े विवेचक को नहीं दिये थे। विवेचक साक्षीगण

ने भी अपनी साक्ष्य में पीड़िता, पी.डब्लू.1 के फटे हुए कपड़े कब्जा पुलिस में लेने से इन्कार किया है। यदि यह भी आपत्तिजन्य साक्ष्य थी जिससे साक्षी पी.डब्लू.1 के द्वारा उसके साथ हुई बलात्कार की घटना की पुष्टि हो सकती थी किन्तु इसे भी अभियोजन, की ओर से साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया है और इससे भी साक्षी पी. डब्लू.1 द्वारा किये गये कथनों की पुष्टि नहीं होती है।

33. साक्षी पी.डब्लू.1 ने अपनी साक्ष्य में यह कहा कि, वह जब घटना घटित होने के पश्चात् आश्रम से माह नवम्बर 1997 से अपने घर गयी थी तब उसने अपनी माँ से अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ बलात्कार की घटना कारित करने के सम्बन्ध में बताया था किन्तु साक्षी पी.डब्लू.1 द्वारा किये गये इन कथनों की पुष्टि साक्षी पी.डब्लू3 श्रीमती गायत्री देवी जोकि पीड़िता साक्षी पी.डब्लू.1 की माँ है, की साक्ष्य से नहीं होती है। "मेरी जानकारी में नहीं है कि, बाबा बीरेन्द्र देव ने मेरी लड़की के साथ बलात्कार किया था और न ही मेरी लड़की ने बताया कि बाबा ने मेरे साथ कभी बलात्कार किया है। मैंने यह ब्यान कि, मेरी पुत्री मुझसे चुपकर बहुत रोई थी। मेरी लड़की ने रोकर कहा कि घर ले चलो। इन 4 महीनों के दौरान मेरी पुत्री से मेरा कोई सम्पर्क नहीं हुआ। मेरी पुत्री ने मुझसे कहा कि, मुझे घर ले चलो। 3-4 दिन रुकने के बाद मैं अपनी पुत्री रेणुका को लेकर घर चली आई। घर आकर लड़की ने मुझे सारी बातें बतायीं तथा कहा कि, बाबा वीरेन्द्र देव दीक्षित ने जबरन बलात्कार किया और शान्ता बहन, उसे जबरदस्ती उठाकर बाबा वीरेन्द्र देव के पास ले जाती थी तथा दरवाजा बन्द कर देती थी। मैंने लोक लाज व बदनामी के कारण इस बात को किसी से नहीं कहा।" यह ब्यान सिखाने से व ना समझी के करण दिया था। बाबा को मैंने

कभी अश्लील हरकतें करते नहीं देखा था। आश्रम में मुझे किसी ने भी नहीं बताया कि, बाबा बलात्कारी है। ~~क्रान्ता~~ शान्ता बहन को मैंने कभी औंछी हरकतें या गन्दी हरकतें करते नहीं नहीं देखा और न मैंने आश्रम के किसी भी आदमी से सुना था। आश्रम में माताएं, बहन एक साथ रहती थीं।" इस प्रकार इस साक्षी की साक्ष्य के अनुसार साक्षी पी.डब्लू.1 द्वारा किया गया यह कथन कि, आश्रम से घर जाने के पश्चात् उसने सारी घटना अपनी माँ को बतायी थी, सत्य एवं विश्वसनीय साबित नहीं होती है।

34. साक्षी पी.उब्लू.1 द्वारा किया गया यह कथन कि, उसे आश्रम से बाहर जाने व अपने घर से सम्पर्क करने का अवसर नहीं था, भी सत्य एवं विश्वसनीय प्रतीत होता है। क्योंकि इस सम्बन्ध में साक्षी पी.डब्लू.3 जोकि पीड़िता की माँ है, ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि, "कहीं भी उठने-बैठने पर किसी भी माता बहन को कोई बन्दिश नहीं थी। आश्रम में रहने वाले अपने परिवार के लोगों से ~~सम्बनध~~ सम्बन्ध द्वारा फोन या चिट्ठी अन्य किसी तरह से बना सकते थे। बाहर से लोग आते थे व किसी भी समय बाबा वीरेन्द्र देव के आश्रम मे आते थे और किसी समय ज्ञान सुनकर चले जाते थे।" इस प्रकार इस साक्षी के अनुसार भी यह तथ्य साबित होता है कि पीड़िता को अपने साथ हुई घटना के बारे में आश्रम के लोगों को आश्रम के बाहर के लोगो को व अपने घर वाले लोगों को बताने का पूर्ण अवसर प्राप्त था। इसके बावजूद उसने घटना घटित होने के बारे में किसी से भी कुछ नहीं बताया और यह तथ्य भी अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ बलात्कार की घटना कारित किये जाने ~~की घटना~~ को संदिग्ध बनाते हैं।

35. उपरोक्त वर्णित समस्त परिस्थितियों में साक्षी पी.डब्लू.1

Scanned by CamScanner

के द्वारा किये गये इन कथनों की अभियुक्त वीरेन्द्र देव दीक्षित ने अभियुक्ता शान्ता ब्रहन के सहयोग से घटना वाले दिन, समय व स्थान पर बलात्कार किया, को संदिग्ध एवं अविश्वसनीय बनाती है।

36. अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना घटित होने के एक वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त दर्ज करायी गयी है और इस एक वर्ष के विलम्ब का कोई पर्याप्त एवं संतोषजनक कारण नहीं दर्शाया गया है। अतः इस आधार पर अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है और संदेह का लाभ अभियुक्तगण को प्राप्त होता है। अपने इस तर्क के समर्थन में अभियुक्तगण की ओर से विधिक निर्णय 2007(3) सुप्रीम कोर्ट केसेस (क्राइम) 198 नारायन उर्फ नारन बनाम स्टेट आफ राजस्थान, 2010 (1) ए.सी.जे. पेज 228 तमीजुददीन उर्फ तम्बू बनाम स्टेट आफ देलही, 2007 (1) सुप्रीम कोर्ट केसेस (कि0) 546 रामदास व अन्य स्टेट आफ महाराष्ट्रा, 2011 (1)ए.सी.जे. 345 भईयालमियां उर्फ जरदार खान व अन्य बनाम स्टेट आफ मध्य प्रदेश, 2011(1) ए.सी.जे.87 निरमल हलधर बनाम स्टेट भी प्रस्तुत किये गये हैं। जिनमें मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि, यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, विलम्ब का कोई पर्याप्त एवं संतोषजनक कारण नहीं दर्शाया गया है। पीड़िता की साक्ष्य से घटना संदिग्ध होती है तो ऐसी परिस्थिति में अभियोजन कथानक को संदिग्ध माना जायेगा तथा अभियुक्त को सिद्ध नहीं किया जा सकेगा।

37. प्रस्तुत मामले में घटना दिनांक 7.5.97 की रात 10 बजे की बतायी गयी है। जबकि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दि0 14.5.98 को समय 6.40 बजे दर्ज करायी गयी है। इस प्रकार

Scanned by CamScanner

घटना की रिपोर्ट एक वर्ष एक सप्ताह विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। ऊपर यह निष्कर्षित किया जा चुका है कि, घटना होने के तत्काल पश्चात् रिपोर्ट दर्ज कराये जाने का पीड़िता साक्षी पी.डब्लू.1 के पास पूर्ण अवसर था। इसके बावजूद उसने घटना की कोई रिपोर्ट घटना घटित होने के तत्काल पश्चात् दर्ज नहीं करायी है। यहीं नहीं साक्ष्य से यह तथ्य साबित होता है कि, पीड़िता साक्षी माह नवम्बर 1997 में आश्रम से अपने घर चली गयी। इस प्रकार अपने घर पहुंचने पर भी उसने घटना के बारे में न तो कोई रिपोर्ट दर्ज करायी और न ही किसी को बताया। नवम्बर 1997 के पश्चात् तक दिनांक 14.5.98 तक घटना की रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करायी गयी इसका भी कोई पर्याप्त एवं संतोष जनक कारण अभियोजन पक्ष की ओर से नहीं बताया जाता है। ऊपर यह भी निष्कर्षित किया जा चुका है कि, साक्षी पी.डब्लू.1 के द्वारा उसके साथ अभियुक्तगण के द्वारा बलात्कार किये जाने सम्बन्धी किये गये कथन सम्पुष्टि कारक साक्ष्य के अभाव में सत्य एवं विश्वसनीय साबित नहीं होते है। इस प्रकार प्रस्तुत मामले के पीड़िता साक्षी पी.डब्लू.1 द्वारा उसके साथ अभियुक्तगण द्वारा बलात्कार किये जाने से सम्बन्धी किये गये कथन सत्य एवं विश्वसनीय सबित नहीं होते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट को विलम्ब से दर्ज कराये जाने का कोई पर्याप्त एवं संतोषजनक कारण भी नहीं दर्शाया गया है। अतः इस आधार पर मेरे विचार से अभियोजन कथनक संदिग्ध हो जाता है और अभियुक्तगण को उसकी ओर से प्रस्तुत किये गये विधिक निर्णयों एवं संदेह का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है।

38. अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, अभियुक्तगण बीरेन्द्र देव दीक्षित व शान्ता बहन प्रारम्भ में माउन्ट आबू आश्रम से सम्बन्धित थे किन्तु बाद में बाबा बीरेन्द्र देव

Scanned by CamScanner

दीक्षित ने अपने आश्रम कम्पिल व दिल्ली बना लिये और माउन्ट आबू वाले आश्रम से टूट-2 कर लोग बाबा बीरेन्द्र देव दीक्षित के आश्रम से जुड़ने लगे और उनकी ख्याति फैलने लगी जिससे चिड़कर डा0 अशोक पाहूजा, चतुर्भुज गुप्ता, दशरथ ए पटेलव कैलाशचन्द्र ने आश्रम में रहने वाली कोनिका वर्मन को अपने साथ ले जाने का जबरन प्रयास किया और कोनिका वर्मन के पिता प्राण गोपाल से झूठे प्रार्थनापत्र दिलवाये। किन्तु उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई, उल्टे कोनिका वर्मन ने उक्त लोगों के खिलाफ बलात्कार किये जाने का मुकदमा दर्ज कराया। जिसकी रंजिश के कारण उक्त लोगों ने आश्रम में रहने वाली जया भारद्वाज, तारा व मीना कुमारी तथा प्रस्तुत वाद की वादिनी कु0 रेणुका से वर्ष 1998 में ही बलात्कार के ~~मुकदमे में~~ फर्जी मुकदमे कायम करवा दिये। जिनमें से जया भारद्वाज, तारा व मीना कुमारी के द्वारा दर्ज किये गये बलात्कार के मुकदमे में उसे दोष मुक्त किया जा चुका है और प्रस्तुत मामले की घटना भी फर्जी है और उसे मामले में झूँठा फंसाया गया है। अपने इस तर्क के समर्थन में अभियुक्तगण की ओर से कागज सं0 240ए/4 लगायत 240ए/97 भी प्रस्तुत किये गये है। जिनसे अभियुक्तगण की ओर से किये गये इन कथनों की पुष्टि होती है। इस सम्बन्ध में विवेचक साक्षी पी.डब्लू.7 ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि, यह मेरी जानकारी में है कि, इस घटना से पहले कोनिका वर्मन बाबा के आश्रम में शिष्या थी जिसे घर वापस लिये जाने के लिए उसके पिता व अन्य लोग आश्रम गये थे। कोनिका वर्मन ने जाने से मना किया था, इस पर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ और दोनों पक्ष 107/116/151 के अन्तर्गत गिरफ्तार हुए। जिसमें एक पक्ष कोनिका के पिता प्राण गोपाल था तथा कैलाशचन्द्र चतुर्भुज एवं

[illegible]

Scanned by CamScanner

दिनेश थे और दूसरी पार्टी में रवीन्द्र नाथ दास राजबहादुर, सियाराम व जयराम थे। यह सही है कि, इसमें एस0डी0एम0 ने सर्च वारन्ट जारी किया था और कोनिका को न्यायालय में प्रस्तुत किया था। कोनिका ने फिर भी अपने पिता के साथ जाने से न्यायालय में मना कर दिया। कोनिका को आश्रम भेजा था। कोनिका वर्मन बालिग थी। मेरी जानकारी में आया था कि, कोनिका वर्मन ने अपने पिता के विरूद्ध उम्र के संदर्भ में पिता द्वारा प्राण गोपाल पर न्यायालय में धारा 467, 468,471 भा0द.0सं0 का भी मुकदमा दर्ज कराया था। यह ~~बलात्कार की~~ जानकारी में नहीं है कि, कोनिका वर्मन को इस इस घटना के पहले दशरथ ए पटेल, कैलाशचन्द्र, अशोक पाहूजा व उसके पिता प्राण गोपाल आश्रम से बहला-फुसलाकर ले गये थे। जिसके बाबत् जब वह मुक्त हुई तो उसने उपरोक्त लोगों के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराने हेतु मुकदमा किया हो और न्यायालय के आदेश पर दशरथ ए पटेल, कैलशचन्द्र, चतुर्भुज अग्रवाल के विरूद्ध अपराध सं0 निल/98 धारा363,366,342,323,504,376/504, 120बी भा0द0सं0 का मुकदमा पंजीकृत हुआ हो। अशोक पाहूजा एवं चतुर्भुज तथा कैलाश, बाबा वीरेन्द्र देव दीक्षित के समर्थक थे, यह कहना सही है। विवेचक साक्षी पी.डब्लू 5 ने भी अपनी साक्ष्य में कहा है कि, दि0 6.4.98 के पूर्व वीरेन्द्र देव के कम्पिल आश्रम के बारे में कोई शिकायत किसी भी प्रकार की मेरी जानकारी में थाना कम्पिल में नहीं हुई। इस प्रकार इन साक्षीगण की ~~साक्ष्य~~ से अभियुक्तगण द्वारा किये गये इन कथनों की पुष्टि होती है कि, इस घटना से पूर्व प्राण गोपाल वर्मन की पुत्री कोनिका वर्मन कोलेकर अभियुक्तगण के पक्ष से तथा प्राण गोपाल वर्मन व उसके समर्थक चतुर्भुज , कैलाश, दशरथ ए पटेल आदि से विवाद हुआ और

Scanned by CamScanner

इस विवाद में कोनिका वर्मन को अपने साथ ले जाने में प्राण गोपाल वर्मन, चतुर्भुज अग्रवाल, कैलाशचन्द्र व अशोक पाहूजा आदि असफल रहे और इसी के बाद पूर्व की बलात्कार की घटना को आधार बताते हुए अभियुक्त वीरेन्द्र देव दीक्षित के विरूद्ध इस मुकदमे के अतिरिक्त 3 अन्य बलात्कार के मुकदमें भी दर्ज कराये गये है जोकि साक्ष्य अभाव में बरी हो चुके है। इससे यह निष्कर्षित होता है कि प्रस्तुत वाद भी फर्जी घटना के आधार पर कायम कराया गया है और अभियुक्तगण को मामले में झूँठा फंसाया गया है।

39. अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी पी.डब्लू2 कैलाशचन्द्र को साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है किन्तु यह साक्षी घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है और न ही इसने अभियुक्तगण के साथ घटना कारित करते हुए देखा है। इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में अभियुक्तगण दुष्चरित्र होने सम्बन्धी कथन किये गये हैं किन्तु जो घटनाएं इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य मे उल्लेखित की हैं वह सुनी सुनायी बातों पर आधारित है जिन व्यक्तियों से उसने बातों को सुनना बताया है, उन्हें अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं कराया गया है। इस साक्षी द्वारा अपने साक्ष्य में किये गये कथनों का कोई साक्षिक मूल्य नहीं है।

40. अभियोजन की ओर से तथ्य सम्बन्धी साक्षी पी.डब्लू3 भी घटना की चश्मदीद साक्षी नही है और न ही इसने अभियुक्तगण को पीड़िता के साथ बलात्कार की घटना करते हुए देखा है बल्कि इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में यह कहा है कि, "बाबा वीरेन्द्र देव दीक्षित के कई आश्रम कम्पिल के अलावा दिल्ली, कलकत्ता आदि में हैं। दिल्ली आश्रम मैंने देखा है उसमें मैं रही। बाबा वहाँ ज्ञान सुनाते थे सभी लोग प्रेम से रहते हैं, सभी लोग कम्पिल आश्रम

Scanned by CamScanner

की माताओं, बहनों व भाई प्रेम से रहते हैं, किसी से कोई शिकायत मैंने बाबा की नहीं सुनी। कम्पिल आश्रम में 4-5 दिन रही उन 4-5 दिनों में बाबा की कोई शिकायत बाबा की भाई, बहन व माताओं से नहीं सुनी। आश्रम का वातावरण पवित्र रहता है। सब लोग मन से ज्ञान सुनते है। सभी लोग बाबा की इज्जत करते थे। मेरी नजर में कम्पिल का आश्रम एक पवित्र आश्रम था और है। सन् 97-98 में, मैं दिल्ली आश्रम में लगातार आती रही थी। ज्ञान सुनने जाती थी। उस दौरान आश्रम का वातावरण पवित्र था। बाबा को मैंने कभी अशलील हरकतें करते नहीं देखा था। आश्रम मे मुझे किसी ने नहीं बताया था कि, बाबा बलात्कारी है। शान्ता बहन को मैंने कभी औछी हरकतें व गन्दी हरकते करते नहीं देखा था और न मैंने आश्रम के किसी भी आदमी से सुना था।"इस प्रकार इस साक्षी की साक्ष्य से भी अभियुक्तगण द्वारा पीड़िता साक्षी पी.डब्लू1 के साथ बलात्कार की घटना कारित किये जाने की पुष्टि नहीं होती है। पीड़िता साक्षी पी.डब्लू1 ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि, बलात्कार की घटना से उसके मुंह हाथ पैर व कमर में चोटें आयी थी, जबकि इस सम्बन्ध में चिकित्सक साक्षी पी.डब्लू4 ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि, उसे मजरूवा ने डाक्टरी परीक्षण के दौरान मुंह, हाथ-पैर व कमर पर चोट के बारे में नहीं बताया था। यदि बताया होता तो रिपोर्ट में उल्लेख होता। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श क-2 के अनुसार पीड़िता के शरीर पर एवं प्राइवेट पार्ट पर कोई भी चोट अथवा चोट के निशानात नहीं पाये गये हैं। अतः इससे साक्षी पी.डब्लू1 द्वारा किये गये इन कथनों की पुष्टि नहीं होती है कि, बलात्कार की घटना में उसके शरीर पर चोटें आई थी। चिकित्सक साक्षी पी.डब्लू4 ने अपनी साक्ष्य में यह भी कहा है कि, रेप के बारे में कोई डिफिनीट

ओपिनियन नहीं दी जा सकती। इस प्रकार चिकित्सक साक्षी की साक्ष्य व चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट को भी पीड़िता साक्षी पी. डब्लू1. द्वारा बलात्कार किये जाने के कथनों की पुष्टि नहीं होती है।

41. विवेचक साक्षी पी.डब्लू7 ने अपनी साक्ष्य में घटना स्थल का निरीक्षण वादिनी मुकदमा श्रीमती रेणुका के निशानदेही पर पूर्व विवेचक सत्यदेव यादव द्वारा किया जाना बताया। साक्षी पी.डब्लू9 ने भी अपनी साक्ष्य में कु0 रेणुका की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण करके नक्शा नजरी किया जाना कहा है किन्तु इस सम्बन्ध में साक्षी पी.डब्लू1 रेणुका ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि, वह घटना के बाद वीरेन्द्र देव के आश्रम में कभी नहीं गयी। इससे साक्षी पी.डब्लू1 की निशान देही पर विवेचक द्वारा नक्शा नजरी तैयार किये जाना संदिग्ध हो जाता है।

42. इस प्रकार प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना घटित होने के एक वर्ष, ऐक सप्ताह बाद दर्ज कराया जाना साबित होता है। इस एक वर्ष एक सप्ताह के विलम्ब का कोई भी पर्याप्त एवं संतोषजनक स्पष्टीकारण नहीं दिया गया है। सम्पुष्टि कारक साक्ष्य के अभाव के उपरान्त साक्षी पी.डब्लू1 द्वारा उसके साथ अभियुक्त वीरेन्द्र देव दीक्षित द्वारा अभियुक्ता शान्ता कुमारी के सहयोग से बलात्कार किये जाने की पुष्ठि नहीं होती है। तथ्य सम्बन्धी साक्षीगण पी.डब्लू2 व पी.डब्लू3 बलात्कार की घटना के चश्मदीद साक्षी नही रहे हैं। उनके द्वारा साक्ष्य में किये गये कथनों से अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। पत्रावली पर मौजूद मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य से यह तथ्य साबित होता है कि प्राण गोपाल वर्मन की पुत्री कु0 कोनिका वर्मन को अपने-2 कब्जे में लेनें के सम्बन्ध में इस घटना से पूर्व प्राण गोपाल, अशोक पाहूजा,

Scanned by CamScanner

दशरथ ए पटेल व कैलाशचन्द्र तथा वीरेन्द्र देव दीक्षित के आश्रम के लोगों से विवाद हुआ था। जिसमें प्राण गोपाल पक्ष असफल रहा था और इसी बीच पक्षकारों के मध्य रंजिश रही थी व मुकदमें बाजी भी चली थी। इसके चलते यह मुकदमा एक वर्ष पूर्व की फर्जी घटना बताते हुए वादिनी मुकदमा से संस्थित कराया गया है। इसके अतिरिक्त 3 अन्य महिलाओं से भी बलात्कार की घटना बनाकर मुकदमे दर्ज कराये गये थे। जिनमें अभियुक्तगण को पहले से ही दोष मुक्त किया जा चुका है। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट से पीड़िता के साथ बलात्कार किये जाने की पुष्टि नहीं होती है। नक्शा नजरी भी पीड़िता की निशान देही पर बनाया जाना साबित नहीं होता है। पीड़िता साक्षी पी.डब्लू1 की माँ साक्षी पी.डब्लू3 ने भी अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। साक्षी डब्लू3 व डब्लू4 ने भी अपनी साक्ष्य में घटना वाले दिनांक व समय पर पीड़िता साक्षी पी.डब्लू1 के साथ अभियुक्त द्वारा बलात्कार किये जाने की घटना से इन्कार किया है। घटना के समय घटना स्थल आश्रम पर मौजूद 2-3 सौ लोगों में से किसी भी व्यक्ति को साक्षी नहीं बनाया गया है और न ही अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य में परीक्षित कराये गये हैं। इन समस्त तथ्यों के आधार पर यह तथ्य युक्ति युक्त संदेह से परे सत्य साबित नही होता है कि, दिनांक 7.5.1998 को समय रात्रि 10 बजे घटना स्थल आश्रम बाबा वीरेन्द्र देव दीक्षित ने अभियुक्ता शान्ता कुमारी के सहयोग से प्रीडिक्षता पी.डब्लू1 के साथ बलात्कार किया और इस प्रकार मेरे विचार से अभियोजन पक्ष अभियुक्त वीरेन्द्र दीक्षित पुत्र स्वर्गीय श्री सोहन लाल दीक्षित के विरूद्ध भा0द0सं0 की धारा 376 व 376ग तथा अभियुक्ता शान्ता कुमारी पुत्री

Scanned by CamScanner

नागराज सेठी के विरूद्ध भा.द.सं. की धारा 114/376 के अन्तर्गत लगाये गये आरोपों को युक्ति युक्त सदेह से परे सत्य साबित करने सफल नहीं रहा है और अभियुक्तगण इन आरोपों से दोष मुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्त बीरेन्द्र देव दीक्षित पुत्र स्वर्गीय श्री सोहन लाल दीक्षित को भा0द0सं0 की धारा 376 व 376ग के अर्न्तगत लगाये गये आरोपों से दोष मुक्त किया जाता है।

अभियुक्ता शान्ता कुमारी पुत्री नागराज सेठी को भा0द0सं0 की धारा 114/376 के अन्तर्गत लगाये गये आरोप से दोष मुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर है, उनके जमानतनामे व बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभुओं को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

दिनांक 27.08.2012

(भैरवलाल) 27/8/12
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0-8 फर्रुखाबाद।

उक्त निर्णय व आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर, उद्घोषित किया गया।

दिनांक 27.08.2012

(भैरवलाल) 27/8/12
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0-8 फर्रुखाबाद।

प्रमाणित प्रतिलिपि
K. Nagam
प्रधान प्रतिलिपिक
जजशिप न्यायालय
फर्रुखाबाद

Scanned by CamScanner

<u>जया भारद्वाज</u>

षड़यंत्र का अगला मोहरा, जया भारद्वाज (45 साल) को आगे बढ़ाया गया और एक बलात्कार का झूठा आरोप ता.17-04-1998 को कंपिल थाने में दर्ज कराया गया, ताकि भ्राता वीरेंद्र देव दीक्षित जेल के अंदर ही आशाराम बापू की तरह सड़ते रहें। भले भ्राता वीरेंद्र देव दीक्षित को 4 महीने के बाद जमानत तो मिल गई; परंतु कोर्ट में केस 8 साल तक चलता रहा। एक झूठ को कितना भी रंग लगाकर सत्य बनाने की कोशिश करें, कितने भी धन बल, जन बल और बाहुबल का प्रयोग करें, एक-न-एक दिन तो झूठ को सत्य के सामने झुकना ही पड़े।

<u>JAYA BHARADWAJ: PART-2</u>

The next pawn of the conspiracy "Jaya Bharadwaj" has been advanced to initiate an F.I.R in the Police Station, Kampil on 17th April, 98 with baseless charges of rape so that Spiritual Brother Virendra Deo Dixit can be confined to jail for long as is being seen in the case of Asharam Bapu. Well Spiritual Brother Virendra Deo Dixit has got bail after 4 months; but the case remained unsolved for a period of 8 years . May be the lie is fabricated with different colors; may be the power of Money, manpower, physical strengths are used to their level best to focus as the Truth, a fine day definitely stands ahead when the lie has to bow down before the Truth.

अब जो हुआ, फ़रियाद करने वाली जया भारद्वाज खुद कोर्ट के सामने अपनी ही फ़रियाद से कैसे मुकर गई, वह फर्रुखाबाद अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश के शब्दों में ही समझना उचित होगा। उनकी जजमेंट में दी हुई बातों को ज्यों के त्यों यहाँ पेश करना ठीक रहेगा।

Now as to what has happened; how the complainant woman "Jaya Bharadwaj" has taken a "U" turn from her own complaint; simply gets reflected in the judgment of the Honorable District and Sessions Judge, Farrukhabad; A few extracts to the relevant extent are reproduced below.

<u>" न्यायालय- अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-1, फर्रुखाबाद।</u>

सत्र परीक्षण सं.17/2000

राज्य प्रति- 1. वीरेंद्र देव दीक्षित, 2. रवींद्र नाथ दास, 3. शांता कुमारी

अपराध संख्याः 48/98 : धाराः 376, 506, 120 बी-- भा.दं.सं. थाना कंपिल ।

जिला फर्रुखाबाद ।

सत्र परीक्षण सं.237/2001 *अपराध संख्याः 48/98*

धाराः 376, 376 ग व 114 भा.दं.सं. थाना कंपिल ।

राज्य प्रति- 1 . महेंद्र पटेल, 2 . कमला देवी, 3 . वीरेंद्र देव दीक्षित, 4 . शांता कुमारी, 5 . रवींद्र नाथ दास

<u>निर्णय :</u>

पृष्ठ-1 पैरा-1

प्रस्तुत प्रकरणों में, सत्र परीक्षण सं.17/2000 राज्य प्रति वीरेंद्र देव दीक्षित आदि में अभियुक्त गण वीरेंद्र देव दीक्षित, रवींद्र नाथ दास और शांता बहन को धाराः 376, 506, 120 बी-- भा.दं.सं. के अंतर्गत परीक्षित किए जाने हेतु, थाना कंपिल की पुलिस द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है।

पृष्ठ-2

संक्षेप में अभियोजन कथन इस प्रकार है कि दिनांक 17-04-98 को वादिनी जया ने एक लिखित तहरीर दी।

पृष्ठ-6

प्रस्तुत मामले में अभियोत्री वादिनी जया भारद्वाज द्वारा बलात्कार की एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की लिखाई गई है कि जिसके अनुसार बाबा वीरेंद्र देव ने उसके साथ बलात्कार किया है और अभियुक्त शांता, महेंद्र ड्राइवर, रवींद्र एवं कमला दीक्षित ने इस बलात्कार में सहयोग किया । इस रिपोर्ट के अंत में यह भी कहा है कि अभियुक्त रवींद्र दास ने भी उसके साथ बलात्कार किया है ।

अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक के समर्थन में, एकमात्र साक्षी संख्या 1 जया भारद्वाज को पेश किया है ।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा पेश किए गए अग्रसारित प्रार्थना-पत्र पर साक्षी गण दशरथ पटेल, कैलाश चंद्र, चतुर्भुज गुप्ता, डॉक्टर अशोक पाहूजा और रोशनलाल को साक्ष्य से उन्मोचित किया गया है ।’’

<u>हमें कुछ कहना है-</u>

जया भारद्वाज द्वारा अपने ही बयान से मुकर जाने वाली बात सुनते ही उन्हीं षड़यंत्रकारियों ने कहीं अपनी पोल-पट्टी खुल न जाए इस डर से अपना-2 नाम साक्षी गण से हटवा लिया था।

इसके अलावा, न्यायाधीश की ऊपर कही हुई बातें देखने से यह भी पता चलता है कि जया भारद्वाज से रवींद्रनाथ का नाम लिखवाने की सोच षड़यंत्रकारियों की बुद्धि में पहले नहीं आई थी। पूरी रिपोर्ट में रवीन्द्रनाथ दास के खिलाफ कोई भी ख़ास आरोप नहीं था; किन्तु रिपोर्ट लिखवाते-2 अंत में रवींद्रनाथ को भी अभियुक्तगण में शामिल कर जेल में डलवाने की दुष्ट मंसा से प्रेरित होकर वादिनी द्वारा रवीन्द्रनाथ का नाम जोड़ा गया था।

अब आगे बढ़ेंगे, जिला जज ने क्या कहा, यह देखने !

"पृष्ठ-6

डॉक्टरी रिपोर्ट से अभियोजन पक्ष को कोई बल नहीं मिला।

पृष्ठ-7

अभियोजन साक्षी सं. 1 जया भारद्वाज ने शपथपूर्वक मुख्य परीक्षा के दौरान अपने बयान में कहा है कि मार्च, 97 में आश्रम में रहने के दौरान उसे किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हुई। उसे शांता बहन, महेंद्र, रवींद्र दास और कमला दीक्षित, बाबा वीरेंद्र देव के कमरे में पकड़ कर नहीं ले गए और न बाबा वीरेंद्र देव ने उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ बुरा काम किया। उसके साथ रवींद्र दास ने भी बलात्कार नहीं किया, न ही कोई यौन शोषण किया। इस साक्षी को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के द्वारा पक्षद्रोही हॉस्टाइल घोषित कर प्रति परीक्षा की गई।

प्रति परीक्षा के दौरान उस जया ने कहा कि आश्रम में रहने वाले कुछ लोगों के बरगलाने के कारण मैंने यह दरखास्त दी थी और इसने अपनी रिपोर्ट में बाबा वीरेंद्र देव और रवींद्र नाथ द्वारा बलात्कार करने की झूठी बात लिखा दी थी। इन लोगों ने उसके साथ बलात्कार नहीं किया था।

पृष्ठ-8

इस साक्षी को धारा 164 सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत दिए गए बयान पढ़कर सुनाए गए तो उसने कहा कि यह बयान उसने पुलिस वालों के दबाव में दिया था। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि कंपिल आश्रम में दो ग्रुप थे और पुलिस वालों और विरोधी ग्रुप के दबाव में आकर इस साक्षी ने यह कार्यवाही की थी।

पृष्ठ-10

अत: संक्षेप में उपरोक्त विवेचना से इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि अभियोजन पक्ष की ओर से घटना के संबंध में एकमात्र अभियोजन साक्षी सं. 1 जया भारद्वाज को पेश किया है। इस साक्षी ने शपथ पर अपने बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है।

पृष्ठ-10,11

आदेश-

अभियुक्ता शांता कुमारी को भा.दं.सं. की धारा 120 बी और 506 और अभियुक्त गण वीरेंद्र देव और रवींद्र दास पर भा.दं.सं. की धारा 376, संगठित धारा 34, 120 बी और 506 और अभियुक्ता शांता कुमारी और कमला देवी को भा.दं.सं. की धारा 114/376 और अभियुक्त गण महेंद्र पटेल, वीरेंद्र देव, रवींद्र दास को भा.दं.सं. की धारा 376/34 और 376 ग/34 के अंतर्गत लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

10-03-2006 अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-1, फर्रुखाबाद। ’’

यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ‘विरोधी दल’ ने ऐसी प्रथम और घृणित शिकायतकत्री जया भारद्वाज के झूठे आरोपों को मिर्च-मसाला लगाकर सत्य साबित करने, हवा देने के लिए कोर्ट में साक्षी बनकर अपने-2 नामों को लिखवाया और बाद में पीछे हट गए। उनको यह पता चल गया कि जया भारद्वाज ने अपनी गलती का एहसास कर लिया है और वह कोर्ट में सत्य को उगलने ही वाली है। अगर अपने नामों को नहीं हटवाएँगे तो खुद ही फँसेंगे और भ्राता वीरेंद्र देव दीक्षित को आगे भी फँसाने का मौका नहीं मिलेगा।

इस केस से संबंधित कोर्ट जजमेंट के कुछ मुख्य भाग इसके साथ जुड़े हुए हैं|

अब आगे बढ़ते हैं तारा देवी के प्रकरण की ओर :-

In the Court of Upper District and Sessions Judge, Court No.1, Farrukhabad.

Cross Examination No. 237/2001

State vs. 1. Mahendra Patel 2. Kamla Devi Dixit 3. Virendra Deo Dixit 4. Shanta Kumari. 5. Ravindranath Das.

Crime No. 48/98 Sections 376, 376B, 114 of the Indian Penal Code, Police Station Kampil. District Farrukhabad.

"ORDER"

Page-1 Para 1

In the present contexts, cross examination No. 17/2000; A charge sheet has been submitted by the Police Station, Kampil under sections 376, 376B, 114 of the Indian Penal Code in respect of Virendra Deo Dixit, . Shanta Kumari and Ravindranath Das.

Page-2

In brief, the story of the prosecution is that the complainant Jaya has submitted a written report on 17th April, 98.

Page-6

In the present context, the written report of the complainant Jaya Bharadwaj states that Baba Virendra Deo Dixit has raped her and the accused Shanta, Mahendra Driver, Ravindra and Kamala Dixit has assisted. At the end of the report, it was also said that the accused Ravindra Das has also raped her. In support of the prosecution, only one witness No. 1 Jaya Bharadwaj was produced.

At the request of the prosecution, the witnesses Kailash Chandra, Chaturbhuj Gupta, Dr. Ashok Pahuja and Roshanlal were discharged from the witnesses.

Now let us be with you in a few words:

The same conspirators on hearing about "Jaya Bharadwaj" having realized her mistake and become hostile, were left with no way out other than requesting the court to free them from being witnesses to the false rape allegations for the fear of their conspiracy coming into light. Apart from this, the words of the District & Sessions Judge throw abundant light that "Jaya Bharadwaj" had no initial thought of complaining against Ravindranath Das, but in order to further litigate the matter the "Opposition Group" has found pleasure in getting the name of Ravindranath Das also. In result and under their direction, she has made an extra addition of the name of Ravindranath Das at the end of the F.I.R. Let us proceed further to see what the District judge has commented.

Page-10

Hence, in view of the above findings, I have come to the conclusion that the one and only one witness P.w.1 Jaya Bharadwaj was produced by the prosecution in

connection with the incident. This witness has not supported the arguments of the prosecution under oath.

Page-11

The following accused are freed from allegations made under sections 120 B and 506 against Shanta Kumari, sections 376/34, 120 B/34 and 506 against the accused Virendra Deo and Ravindra Das, sections 114/376 against the accused Shanta Kumari and Kamala Devi and sections 376/34 and 376 Ga/34 against Mahendra Patil , Virendra Deo and Ravindranath Das.

10-03-2006 Upper District and Sessions Judge, Court No-1, Farrukhabad.

Nothing is to be wondered as to why the "Opposition Group" has come forward to stand as witnesses to add air to the already ignited foremost malicious complainant "Jaya Bharadwaj" and as to why they have to again adapt the technique of withdrawing from being witnesses. Simple; Jaya Bharadwaj has also realized the blunder committed by her and decided herself to flush out the truth in the court. If not withdrawn, they themselves get trapped for the offence and in addition lose a chance to further strengthen their trap against Spiritual Brother Virendra Deo Dixit and Ishwariya Family in their future conspiracies. Some important extracts from the judgment are annexed in continuation. And let us advance towards the episodes of Tara Devi.

(6)

मु० अ० सं० 48/98 धारा 376/120 बी आई.पी.सी. [illegible]

[illegible]

6

पुलिस प्रपत्र संख्या 341

(द्वितीय सूची : परिशिष्ट)

न्यायालय/थाने/कार्यालय के लिये — पृष्ठ संख्या

प्रथम सूचना का रिपोर्ट — पृष्ठ संख्या

दण्ड प्रक्रिया-संहिता की धारा 154 के अन्तर्गत पुलिस द्वारा हस्तक्षेप किये जाने योग्य अपराध की प्रथम सूचना।

थाना— [illegible]

जनपद— [illegible]

जिला— [illegible]

संख्या— 39/98

C 463233

घटना का दिनांक व समय— 20 मार्च 1997 [illegible]

दिनांक व समय रिपोर्ट की गई	घटनास्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से रवाना होने का दिन
17.4.98 समय 6.30 AM	[illegible]	[illegible]

नोट—प्रथम सूचना की अर्जी के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान होना चाहिए और इसकी … रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होनी चाहिये।

सूचना देने वाले का नाम व निवास-स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास-स्थान	धारा सहित अपराध का संक्षिप्त विवरण (यदि कोई हो)	तहकीकात के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही तथा सूचना देने में देरी का कारण	नतीजा
[illegible]	[illegible]	[illegible] 376/120बी [illegible]	[illegible]	[illegible]

प्रथम सूचना पुस्तकवार में दिनांक [illegible] — हस्ताक्षर [illegible]

[illegible]

-: कोलियो :-

निरस्त

केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना-पत्र देने की तारीख Date on which application is made for copy accompaned by the requisite stamps	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of posting notice on notice board	नकल वापिस दिये जाने की तारीख Date of delivery of copy	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of official delivering copy.
7 20-3-06 Sheet 4 Copies Judges Fee CMA 13/30.00	22 3/06	29 3/06	29-3-06

A. K. SHARMA
Distt. Court, Fatehgarh

A. K. SHARMA
ADVOCATE
Distt. Court, Fatehgarh

निरस्त

निरस्त

3

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट सं0 1 फर्रुखाबाद

उपस्थित- श्री नीरज कुमार सिंगल . . . . एच0जे0एस0

सत्र परीक्षण संख्या- 17/2000

राज्य

प्रति

1- वीरेन्द्र देव दीक्षित

2- रविन्द्र दास

3- शान्ता बहन

मु0अ0सं0 48/98
धारा 376,506 व
120बी भा0दं0सं0
थाना कम्पिल
जिला- फर्रुखाबाद

एवं

सत्र परीक्षण संख्या- 237/2001

राज्य

प्रति

1- महेन्द्र पटेल

2- कमला देवी

3- वीरेन्द्रदेव दीक्षित

4- शान्ता कुमारी

5- रवीन्द्र नाथ दास

स्पे0के0नं0- 359/98
मु0अ0सं0- 48/98
धारा 376, 376ग व 114
भा0दं0सं0
थाना- कम्पिल
जिला- फर्रुखाबाद

निर्णय

प्रस्तुत प्रकरणों में सत्र परीक्षण संख्या 17/2000 राज्य प्रति वीरेन्द्र देव आदि में अभियुक्तगण वीरेन्द्र देव दीक्षित, रवीन्द्र दास व शान्ता बहन को भा0दं0सं0 की धारा 376,506 व 120 भा0 दं0सं0 के अन्तर्गत परीक्षित किये जाने हेतु थाना कम्पिल की पुलिस द्वारा आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं सत्र परीक्षण संख्या 237/01।

राज्य प्रति महेन्द्र पटेल आदि में अभियुक्तगण महेन्द्र पटेल, कमलादेवी दीक्षित, वीरेन्द्र देव दीक्षित शान्ता कुमारी व रवीन्द्रनाथ दास को भा0दं0सं0 की धारा 376, 376ग 7।।4 के अन्तर्गत परीक्षित किये जाने हेतु विशेष अनुसन्धान अपराध शाखा द्वारा आरोप-पत्र दाखिल किया गया है और उक्त दोनों सत्र परीक्षण वाद क्रमशः दिनांक 29.12.99 एवं दिनांक 30.07.01 के आदेश से सत्र सुपुर्द होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुए है ।

चूंकि उपरोक्त दोनों एक ही घटना क्रम से संबंधित है । अतः उक्त दोनों सत्र परीक्षण को दिनांक-21.01.06 के आदेशानुसार समेकित किया गया है, तदनुसार दोनों सत्र परीक्षण का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

संक्षेप में अभियोजनकथान इस प्रकार है कि दिनांक 17.4.98 को वादिनी कटा ने एक लिखित तहरीर प्रदर्श क-। संक्षेप में इस प्रकार दी कि मार्च 1997 को एस0एस0सक्सेना अपनी भाभी के साथ वादिनी के घर स्थित 277 दिलशाद गार्डन में आकर ब्रह्मा, विष्णु महेश के बारेमें कुछ ज्ञान की बात बतायी । इस पर विश्वास कर उसके साथ दिल्ली स्थित केन्द्र विजय विहार ज्ञान प्राप्ति के लिए गयी । कुछ दिन रहने के बाद वहाँ की कमला भभी नाम की संचालिका अपनी गाड़ी से उसे कम्पिल ले आयी । वहाँ पर कई कन्यायें व मातायें थी । वहाँ तीन चार दिन रहने के बाद वादिनी को वहाँ का माहौल अच्छा नही लगा। वहाँ के रहने वाले लोगों को आश्रम से बाहर नही निकलने दिया जाता था । उन्ही दिनो रात के अंधेरे में वहाँ रहने वाली कुछ कन्याओं द्वारा को

गयी बातो के संबंध में खराब बातो को वादिनी ने सुना, जिससे वादिनी का सर चकराने लगा। उसी दौरान वादिनी पानी पीने नीचे किचन मे गयी तो वहाँ पास के कमरे से उसे हँसने की आवाज सुनायी दी। जिसे देखने के लिए वादिनी ने उक्त कमरे का दरवाजा ठेल दिया, जो अन्दर से बन्द नही था। वादिनी ने देखा कि वीरेन्द्र दीक्षित (संस्था का संचालक) पूर्णतः नग्न लेटा था व एक कन्या वहाँ बेहोश पड़ी थी एवं वहाँ पर शान्ता, महेन्द्र, [illegible], रवीन्द्रदास एवं कमला दीक्षित भी मौजूद थी। इन लोगों ने वादिनी को एक दम जकड़ लिया वादिनी द्वारा छूटने का पूरा प्रयास किया लेकिन वह छूट नही पायी और वादिनी का मुँह दबाकर उसके साथ बलात्कार किया गया, जिससे वादिनी बेहोश हो गयी। सुबह जब होश आया तो वह माताओं वाले कमरे में अपने बिस्तर पर थी। वादिनी किसी को भी कुछ बताने मे असमर्थ थी। यह घटना दिनांक 20 मार्च 1997 की थी। वादिनी द्वारा यह भी अपनी तहरीर मे लिखा गया कि आध्यात्मिकता के नाम पर नारी यौन शोषण वहाँ पर होता है। वहाँ की कन्याओं को घर जाने की अनुमति तभी मिलती थी जब वे अपनी गल्तियो को लिखकर व हस्ताक्षर कर दे (जिसे पोल खोल कहते है) वादिनी ने भी अपने गल्तियों को लिखकर दिया। इसी दौरान वादिनी के साथ कई-2 बार बलात्कार किया गया। इसी दौरान वादिनी द्वारा सोसल वर्कर की जागृति उत्पन्न हुई और वीरेन्द्रदेव व उक्त संस्था के खिलाफ प्रमाण एकत्रित करने शुरू कर दिये और यह

प्रार्थना-पत्र वादिनी द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु प्रस्तुत किया गया। वादिनी द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र के आधार पर प्रदर्श क-2 मुकदमा कायम किया गया। विवेचना के दौरान विवेचक ने वादिनी का धारा 164 सी०आर०पी०सी० के अन्तर्गत बयान प्रदर्श क-2ए अंकित कराया गया। मामले का इन्द्राज प्रदर्श क-3 जी०डी० में अंकित किया गया। विवेचक द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क-4 तैयार किया व वादिनी का डाक्टरी परीक्षण कराकर उसकी चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श क-6 प्राप्त की व विवेचक द्वारा घटना सही होने पर व विशेष अनुसंधान अपराध शाखा द्वारा मामला सही पाये जाने पर अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रदर्श क-7 व प्रदर्श क-8 आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किये

अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थित आने पर अभियुक्तगण वीरेन्द्र देव व रवीन्द्र दास पर भा०दं०सं० की धारा 376/34, 120बी/34 व 506 के आरोप व अभियुक्ता शान्तिकुमारी पर भा०दं०सं० की धारा 120बी व 506 के अन्तर्गत आरोप सत्र परीक्षण सं० 17/2000 में व अभियुक्तगण महेन्द्र पटेल, वीरेन्द्र देव रवीन्द्र नाथ दास पर भा०दं०सं० की धारा 376/34 व 376ग भा०दं०सं० में व अभियुक्ता कमलादेवी व शान्तिकुमारी पर भा०दं०सं० की धारा 114/376 का आरोप सत्र परीक्षण संख्या 237/2000 में विरचित किये गये। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये व समझाये गये उन्होंने आरोपों से इन्कार किया गया और परीक्षण की मॉग की। अतः उनका विधिवत परीक्षण किया गया।

उक्त आरोप को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में मात्र एक साक्षी पी०डब्लू०1 ज्याा आरफ़ा को

साक्ष्य हेतु पेश किया गया है ।

अभियोजन पक्ष का साक्ष्य समाप्त होने के बाद अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया, जिसमें उन्होंने अपने बयानों में कहा है कि इस मामले में गलत रिपोर्ट दर्ज करायी गयी और अभियोत्री की ओर से गलत साक्ष्य दाखिल किया गया है तथा यह मुकदमा गलत चला है । इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण की तरफ से एक लिखित बयान भी 97ए/2 दाखिल किया गया है, जिसमें उनका कहना है कि माउन्ट आबू संस्था से बाबा बीरेन्द्र देव से मतभेद होने के कारण कीमाल जनपद फर्रुखाबाद में अलग से संस्था बनायी, जिससे माउन्टआबू वाले नाराज हो गये और उनके ऊपर संस्था बन्द करने हेतु दबाव डालने लगे । इस संस्था में मुकदमा कायम हुआ और अशोक आहूजा चतुर्भुज अग्रवाल रामप्रताप से मिलकर झूठी प्रथमिकी दर्ज कराई और अधिकारियों से मिलकर उसके विरुद्ध झूठा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किये है ।

अभियुक्तगण की ओर से सूची 98ए से एक पत्र 98बी/2 लगायत 98बी/3, सूची 98बी/4 से 98बी/5 लगायत 98बी/12 अभिलेख सूची 98बी/13 से 98बी/14 लगायत 98बी/26 अभिलेख, 98बी/27 सूची से 98बी/28 लगायत 98बी/27, सूची 98बी/27 से 98बी/28 98बी/39 सूची 98/40 से 98बी/41 लगायत 98बी/46, सूची 98बी/47 से 98बी/48 लगायत 98बी/51, सूची 98 बी/52 से 98बी/53 लगायत 98बी/56, सूची 98बी/57 से 98बी/58 लगायत 98बी/60 एवं सूची 98बी/61 से 98बी/62 लगायत 98बी/64 अभिलेख दाखिल किये गये है ।

प्रस्तुत मामले में अभियोत्री ज्या भारद्वाज द्वारा एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की लिखायी गयी है कि बाबा वीरेन्द्रदेव ने उसके साथ बलात्कार किया है और अभियुक्त शान्ता, महेन्द्र ड्राइवर, रवीन्द्र एवं कमला दीक्षित ने इस बलात्कार में सहयोग किया । इस रिपोर्ट के अन्त में यह भी कहा है कि अभियुक्त रवीन्द्रदास ने भी उसके साथ बलात्कार किया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक के समर्थन में एक मात्र साक्षी संख्या -1 ज्या भारद्वाज को पेश किया गया है ।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा आसारित प्रार्थना-पत्र पर साक्षीगण सर्वश्री दशरथ पटेल, प्रकाशचन्द्र, चतुर्भुज गुप्ता, डाक्टर अशोक आहूजा व रोशनलाल को साक्ष्य से उन्मोचित किया गया है ।

~~अभियोजन~~ अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोगिनी के साक्ष्य में अभियोत्री की डाक्टरी रिपोर्ट प्रदर्श क-6 दाखिल की गयी है । प्रदर्श क-6 ~~मस कोई~~ में कोई अन्तिम निष्कर्ष नहीं दिया गया है और यह कहा है कि अन्तिम निष्कर्ष पूरक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद दिया जायेगा, लेकिन पत्रावली पर कोई पूरक रिपोर्ट या बलात्कार के संबंध में कोई निश्चित निष्कर्षित रिपोर्ट दाखिल नहीं की गयी है अतः प्रदर्श क-6 डाक्टरी रिपोर्ट से अभियोजन पक्ष को कोई बल नहीं मिलता है ।

अब पत्रावली पर केवल ज्या भारद्वाज की मौखिक साक्ष्य ही रह जाता है । यह साक्षी इस प्रकरण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण साक्षी है । यह साक्षी वादिनी होने के साथ साथ पीड़िता भी है । अभियोजन पक्ष की ओर से इस साक्षी के साथ बलात्कार किये जाने की बात कही

गयी है । अभियोजन साक्षी सं0। द्वारा भारत जिलापच्छपूर्वक मुख्य परीक्षा के दौरान अपने ब्यान मे कहा है कि विनय विहार संस्था के संचालक कमला मयी से मिली । वहां से वह लोग आध्यात्मिक विश्व विद्यालय कम्पिल आये । वहां पर उसने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया । आश्रम मे बाबा वीरेन्द्र देव दीक्षित, रवीन्द्रदास, शान्ता बहिन, महेन्द्र कमला दीक्षित ज्ञान देने वाले व आश्रम की व्यवस्था मे लगे थे । मार्च 97 में आश्रम मे रहने के दौरान उसे किसी तरह की कोई असुविधा नही हुई । उसे शान्ता बहिन, महेन्द्र, रवीन्द्रदास व कमला दीक्षित बाबा वीरेन्द्रदेव के कमरे मे पकड़कर नही ले गये और न बाबा वीरेन्द्रदेव ने उसके साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध उसके साथ बुरा काम किया । उसके साथ रवीन्द्रदास ने भी बलात्कार नही किया न ही कोई यौन शोषण किया । इस साक्षी को कागज संख्या 4क/3 तहरीर पढ़कर दिखाकर कहा कि यह वही दरख्वास्त है जो पुलिस अधीक्षक फर्रुखाबाद को दी गयी थी यह उसके लेख व हस्ताक्षर मे है । इस साक्षी को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता को द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर प्रति परीक्षा की गयी । प्रति परीक्षा के दौरान जब इस साक्षी को तहरीर प्रदर्श क-1 पढ़कर सुनायी गयी तो उसने कहा कि उसने आश्रम मे रहने वाले कुछ लोगो के बरगलाने के कारण दरख्वास्त दी थी व इसने अपनी रिपोर्ट में बाबा वीरेन्द्र देव व रवीन्द्र दास द्वारा बलात्कार करनेकी बात लिखा दी थी । इन लोगो ने उसके साथ बलात्कार नही किया था ।

दारोगाजी ने इस घटना के संबंध में उससे कोई पूछ ताछ नही की थी जब इस साक्षी को धारा 161 सी0आर0पी0सी0 का बयान पढ़कर सुनाया गया तो इसने कहा कि उसने ऐसा कोई बयान दरोगाजी को नही दिया, कैसे लिखा गया, उसकी वजह नही बता सकी है । इस साक्षी ने यह भी कहा है कि दिनांक 4.4.99 को विशेष अपराध अनुसंधान शाखा के कोई दरोगा उसे नही मिले थे न ही किसी दरोगा ने उससे कोई पूछ ताछ की थी जब इस साक्षी को धारा 161 सी0आर0पी0सी0 का बयान पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि यह बयान उसने नही दिया था, वैसे लिखा दिया । इस साक्षी को धारा 164 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत दिये गये बयान पढ़कर सुनाये गये तो उसने कहा कि यह बयान उसने पुलिस वालों के दबाव मे दिया था । उसे मजिस्ट्रेट साहब ने बयान पढ़कर नही सुनाया था, उससे हस्ताक्षर करा लिये थे । इस साक्षी ने यह भी कहा है कि यह बात सही है कि कोम्पल आश्रम मे दो गुट थे । पुलिस वालों व विरोधी गुट के दबाव में आकर इस साक्षी ने कार्यवाही की थी । उसका यह भी कहना है कि उसे नही मालूम कि मजिस्ट्रेट द्वारा उसका शपथपूर्वक बयान लिया जा रहा है । विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा की गयी प्रति परीक्षा के दौरान इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने धारा 161 सी0आर0पी0सी0 का कोई बयान न तो विवेचक को दिया है और न ही विशेष अपराध जांच शाखा को भी कोई बयान नही दिया । इसके अतिरिक्त इस साक्षी ने यह भी कहा है कि धारा 164 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत जो बयान मजिस्ट्रेट

को दिया था ; वह उसे पढ़कर सुनाया नहीं गया था । इस तरह, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) द्वारा की गयी प्रति परीक्षा मे इस साक्षी ने धारा 161 व 164 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत दिये गये बयानों का खण्डन किया है । किन्तु अपर जिला शासकीय अधिवक्ता इस साक्षी की प्रति परीक्षा मे कोई ऐसी बात नहीं निकाल पाये है, जिसका कोई लाभ अभियोजन को दिया जा सके ।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने इस साक्षी से प्रति परीक्षा की । प्रति परीक्षा के दौरान इस साक्षी ने कहा है कि उसने किसी पुलिस अधिकारी को मौका मोआयना नहीं कराया था आश्रम मे बहुत से पुरुष व महिलाये रहती है । कम्पिल आश्रम से उसे कोई शिकायत नहीं है । उसका यह भी कहना है कि "कि विरोधी गुट के कारण यह सब कार्यवाही की गयी थी" । इस तरह से पी0डब्लू0 1 ब्रा0 भारत जी जैसे महत्वपूर्ण साक्षी ने प्रति परीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि यह सब जो कार्यवाही की गयी थी, वह केवल विरोधी गुट के कारण की गयी थी और उसने मौके का निरीक्षण किसी पुलिस अधिकारी से नहीं कराया था । इस तरह से इस साक्षी के बयान से स्पष्ट होता है कि विवेचक द्वारा जो मामले की विवेचना की गयी है वह अपने विवेक से की गयी है, उपनिरीक्षक के दबाव पर नहीं की गयी है और यह भी स्पष्ट होता है कि बाद मे जो कार्यवाही की गयी है, वह विरोधी गुट के कारण की गयी है । अन्य कोई साक्षी अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथन के समर्थन मे प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

अतः संक्षेप में उपरोक्त विवेचना से मै इस निष्कर्ष पर

पहुँचा हूँ कि अभियोजन पक्ष की ओर से धारा के संबंध में एक मात्र अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्री भारत लाल को पेश किया गया है । यह साक्षी पीड़िता होने के साथ-2 इस प्रकरण की वादिनी भी है । इस साक्षी ने स्पष्ट पर अपने बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है । इस साक्षी के बयान से यह बात साबित नहीं होती है कि अभियुक्तगण द्वारा वीरेन्द्र देव रवीन्द्रदास ने उसके साथ बलात्कार किया है और अभियुक्तगण ने वादिनी को जान से मारने की धमकी दी हो । अभियोजन साक्षी संख्या 1 के साक्ष्य से यह भी साबित नहीं होता है कि अभियुक्तगण कमलादेवी व शान्ताकुमारी ने वादिनी श्री भारत लाल के साथ बलात्संग करने के लिए दुष्प्रेरित किया था । इस तरह से अभियोजन पक्ष अभियुक्ता श्रीमती कमला देवी व शान्ताकुमारी के वि भा0द0सं0 की धारा 114/376, अभियुक्ता शान्ता कुमारी के विरुद्ध भा0द0सं0 की धारा 120 बी व 506, अभियुक्तगण महेन्द्र पटेल, वीरेन्द्र देव व रवीन्द्रनाथ दास पर भा0द0सं0 की धारा 376/34 व 376ग/34 व अभियुक्तगण वीरेन्द्र देव व रवीन्द्र दास व भा0द0सं0 की धारा 376/34, 120/34 व 506 के अन्तर्गत लगाये गये आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है अतः अभियुक्तगण उक्त धाराओं के अन्तर्गत लगाये गये आरोपों से दोष मुक्त होने योग्य है ।

आदेश
=====

अभियुक्ता शान्ता कुमारी को भा0द0सं0 की धारा 120 बी, व 506 व अभियुक्तगण वीरेन्द्र देव रवीन्द्र दास पर भा0द0सं0 की धारा

376 सपठित धारा 34, 120बी/34 व 506 व अभियुक्ता शान्तिकुमारी व कमलदेवी को भा0दं0सं0 की धारा 114/376 व अभियुक्त गण महेन्द्र पटेल, वीरेन्द्र देव व रवीन्द्रनाथ दास को भा0दं0सं0 की धारा 376/34व 376ग/34 के अन्तर्गत लगाये गये आरोपो से दोष मुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर है। उनके निजी बन्ध-पत्र निरस्त किये जाते है तथा जमानत नामे निरस्त कर जामिनदारो को उनके उत्तरदायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

इस निर्णय की एक प्रति सत्र परीक्षण संख्या 237/2001 की पत्रावली मे रखी जाये।

10/3/2006

(निरंजन कुमार संगल)
अपर सत्र न्यायाधीश
फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-1
फर्रुखाबाद

दिनांक 10.3.06,

यह निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

10/3/2006

(निरंजन कुमार संगल)
अपर सत्र न्यायाधीश
फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-1
फर्रुखाबाद

दिनांक 10.03.06

प्रमाणित प्रतिलिपि
22-3-06

<u>तारा देवी:</u>

अब इस 'विरोधी दल' के अगले प्लैन में विरोधियों द्वारा मिली हुई मोटी रकम के आधार पर, उनके बहलाने-फुसलाने में आकर, अपने ही मान-मर्तबे को झुकाने के लिए तारा देवी (उम्र 36 साल) कमर कसकर तैयार हो गई और कम्पिल थाने में भ्राता वीरेन्द्र देव दीक्षित के खिलाफ बलात्कार की झूठी एफ.आई.आर. दर्ज करवा दी। फिर भी एक दिन ऐसा आ ही गया जब तारा देवी को खुद महसूस होने लगा कि झूठ की नैया अब डूबने ही वाली है। तो तारा देवी ने भी निर्णय कर लिया कि कोर्ट के सामने असली बात बता ही दें। जो भी हो, झूठ को फिर एक बार सर झुकाना ही पड़ा, भले देरी से ही सही। इस बात में भी हम मेहनत-मशक्कत करने के बदली, फर्रुखाबाद की अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश की जजमेंट के वाक्यों को ही रिपीट करना चाहेंगे।

<u>Tara Devi:</u>

In course of the next plan by the "Opposition Group"; Tara devi, aged 36 years having got enticed and lured by them, came ready to bow down her self- respects and dignities. In gratitude of the funds received she has got registered an F.I.R at the Kampil Police station in tunes with the "Opposition Group". Alas! Her own day has come; she started repenting for her misdeed; she experienced her boat bundled with lies is going to sink. Result, she decided to put the facts as they are, in the presence of the court and resorted to a "U" turn from her earlier statements made before the Police. Whatever would have happened; the lies were put down, well, be it with a delay. Even in this matter we do not wish to waste our time in narrating the facts; we intend to place the rest in the words of the Honorable District and Sessions Judge, Farrukhabad as they are.

<u>" न्यायालय- अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-1, फर्रुखाबाद।</u>

सत्र परीक्षण सं. 83/2000

राज्य प्रति- 1 . वीरेंद्र देव, 2 . शांता कुमारी, 3. कमला देवी दीक्षित

अपराध संख्याः 47/98 : धाराः 376, 120 बी, 109/114 भा.दं.सं. थाना कंपिल।

जिला फर्रुखाबाद।

सत्र परीक्षण सं. 235/2001 *अपराध संख्याः 47/98*

धाराः 376, 376 ग व 114 भा.दं.सं. थाना कंपिल

।

राज्य प्रति- 1 . वीरेंद्र देव दीक्षित, 2. कमला देवी, 3. शांता कुमारी

निर्णय :

पृष्ठ-2

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी तारा देवी, निवासी गली जन्मभूमि मथुरा ने दिनांक 16-04-98 को पुलिस अधीक्षक फर्रुखाबाद को एक प्रार्थना-पत्र दिया ।

पृष्ठ-5

अभियुक्त वीरेंद्र देव के विरुद्ध यह आरोप है कि उसने वादिनी तारा देवी के साथ उसकी मर्ज़ी के बरखिलाफ बलात्कार किया और उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके अतिरिक्त अभियुक्त कमला देवी और शांता बहन पर यह आरोप है कि उन्होंने वादिनी तारा देवी के साथ उसकी मर्ज़ी के विरुद्ध बलात्कार किए जाने के लिए आपराधिक षड़यंत्र किया और बलात्कार किए जाने के लिए दुष्प्रेरित किया और जान से मारने की धमकी दी ।

इस तरह अभियुक्त वीरेंद्र देव के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 376, 376 ग और 506 और अभियुक्त कमला देवी और शांता बहन के विरुद्ध धारा 120 बी, 114, संगठित धारा 376 और 506 भा.दं.सं. के आरोप विरचित किए गए।

अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त आरोप को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य के रूप में पी. डब्ल्यू.1 तारादेवी को पेश किया गया है ।

साक्षी गण दशरथ पटेल, कैलाश चंद्र, चतुर्भुज गुप्ता, डॉक्टर अशोक पाहूजा को अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य से उन्मोचित करने की प्रार्थना की गई है, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया और उक्त साक्षी गण को साक्ष्य से उन्मोचित किया गया।

पृष्ठ-6

अभियोजन पक्ष की ओर से जो चिकित्सीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, उससे अभियोजन पक्ष को कोई बल नहीं मिलता है । अब पत्रावली पर एकमात्र अभियोजन साक्षी संख्या 1 तारा देवी का साक्ष्य शेष रह जाता है ।''

अब हमारी बात :-

जिला जज के उपर्युक्त कहे गए वाक्यों को देखते हुए हमें कुछ कहना ज़रूरी महसूस होता है । अब साक्षी गण जिन्होंने अपने को साक्ष्य से उन्मोचित करने के लिए कोर्ट से विनती की है और छुटकारा भी पा लिया, वह कोई और नहीं है, यह वही 'विरोधी दल' है जिसके अधिनायक रहे अहमदाबाद के प्रमुख वकील दशरथ ए. पटेल ।

एक बार हम आपको फिर से याद दिलाते हैं कि रेणुका के केस में जिला जज ने क्या कहा ! उन्होंने यही कहा, *''पत्रावली पर मौजूद एवं अभिलेखीय साक्ष्य से यह तथ्य साबित होता है कि प्राण गोपाल वर्मन की पुत्री कु. कोनिका वर्मन को अपने-2 कब्जे में लेने के संबंध में इस घटना से पूर्व प्राण गोपाल वर्मन, अशोक पाहूजा, दशरथ ए. पटेल और कैलाशचंद्र का वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम के लोगों से विवाद हुआ था, जिसमें प्राण गोपाल वर्मन पक्ष असफल रहा था और इसी बात की पक्षकारों के मध्य रंजिश रही थी और मुकदमेबाज़ी भी चली थी। इसी रंजिश में चलते यह मुकदमा एक वर्ष पूर्व की फ़र्जी घटना बताते हुए वादिनी (रेणुका) मुकदमा से संस्थित कराया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य तीन महिलाओं से भी, बलात्कार की घटना बनाकर, मुकदमे दर्ज कराए गए थे। जिनमें अभियुक्त गण भ्राता वीरेंद्र देव दीक्षित), कमला देवी दीक्षित, शांता बहन वगैरहको पहले से ही दोष (मुक्त किया जा चुका है।''*

इन बातों से यह स्पष्ट होता ही है, इस तारादेवी के केस में भी कौन-से विरोधी दल ने अपनी ताकत लगाई थी । अब विरोधी दल के सामने यह मजबूरी रही कि तारा देवी ने भी अपनी गलती महसूस की और कोर्ट के सामने सच्चाई को बताने का प्रण कर लिया, जिस कारण विरोधी दल को फिर से मैदान छोड़कर, पीठ दिखाकर भागना पड़ा ।

हाँ ! अभी फिर चलेंगे, यह देखने, न्यायाधीश ने क्या कहा तारादेवी के बारे में।

''पृष्ठ-6

इस साक्ष्य ने मुख्य परीक्षा के दौरान शपथपूर्वक बयान में यह कहा है कि सन् 1997, माह अप्रैल में वह कंपिल आई थी । वहाँ पर उसकी भेंट वीरेंद्र देव दीक्षित, कमला बहन और शांता बहन से हुई ।

पृष्ठ-7

उसने उनसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया । इस दौरान वीरेंद्र देव दीक्षित द्वारा उसके साथ उसकी मर्ज़ी के विरुद्ध बुरा काम- बलात्कार, शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किया गया । इस साक्षी के द्वारा यह भी कहा गया कि शांता बहन और कमला देवी के द्वारा किसी भी प्रकार का यौन शोषण कराने के लिए कोई सहयोग नहीं किया गया । इस साक्षी को अपर जिला शासकीय अभिवक्ता द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर प्रति परीक्षा की गई है ।

साक्षी को तहरीर पेपर नं. 4 ए/2 पढ़कर सुनाई गई और दिखाई गई तो इस साक्षी ने कहा कि यह प्रार्थना-पत्र अशोक कुमार (अशोक पाहूजा) के द्वारा लिखा गया था, वही उसे बुलाकर लाए थे । वह अशोक कुमार (अशोक पाहूजा) के साथ थाना कंपिल गई थी । वहाँ पर दीवानजी ने एक कागज़ पर हस्ताक्षर करवाए थे ।

पृष्ठ-8

इस साक्षी को धारा 164 भा.दं.सं. का बयान पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि एक दरोगा उनका बयान कराने मैजिस्ट्रेट साहब के पास लाए थे । दरोगा जी ने मैजिस्ट्रेट साहब को सब बातें बता दी थीं । उसने पुलिस के दबाव में मैजिस्ट्रेट साहब के पूछने पर 'हाँ' कर दी थी । मैजिस्ट्रेट साहब ने उसके हस्ताक्षर कराए थे ।

पृष्ठ-9

इसके अतिरिक्त प्रति परीक्षा के दौरान, इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस साक्षी के साथ बाबा वीरेंद्र देव द्वारा कोई घटना घटित नहीं की गई है । इसके अतिरिक्त, अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त गण द्वारा जान से मारने की धमकी देने वाली बात को भी सिद्ध नहीं किया गया है ।

अत: संक्षेप में उपरोक्त विवेचना से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त गण के विरुद्ध जो मौखिक और चिकित्सीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, उससे अभियोजन कथानक की पुष्टि नहीं होती है ।

पृष्ठ-10,11

आदेश :

अभियुक्त वीरेंद्र देव को भा.दं.सं. की धारा 376, 376 ग और 506 और अभियुक्त गण कमला देवी और शांता बहन को भा.दं .सं. की धारा 120 बी, 114, संगठित धारा 376 और 506 के अंतर्गत लगाए गए आरोपों से दोष मुक्त किया जाता है ।

24-03-2006 ***अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-1, फर्रुखाबाद।''***

अब उपर्युक्त जजमेंट को देखते हुए किसी को भी यही समझ में आता है कि दस सदस्यों वाले 'विरोधी दल' में से एक का नाम अशोक पाहूजा है, जिसने तारादेवी के माध्यम से भ्राता वीरेन्द्र देव दीक्षित को फँसाने का बीड़ा उठाया था और इस कार्य में पूरी ज़िम्मेवारी अपने कंधों पर ली थी। वह अपने-आप को साक्षियों के लिस्ट में से हटवाने के बावजूद भी अपनी हरकतों का दाग पूरा न मिटा पाया, न छुपा पाया; क्योंकि तारा देवी ने कोर्ट के सामने स्पष्ट करके बता ही दिया कि अशोक पाहूजा ने ही उन्हें झूठे शिकायत पत्र को तैयार करने से लेकर केस को अंत तक आगे बढ़ाने में सहयोग दिया था।

जब तारादेवी ने कोर्ट के सामने सच्चाई उगलने की जिद्द पकड़ ली तो अशोक पाहूजा को पूरे ग्रुप सहित साक्षियों की लिस्ट में से हटना ही पड़ा। इस केस से संबंधित कोर्ट जजमेंट के कुछ मुख्य भाग इसके साथ जुड़े हुए हैं|

अब इस 'विरोधी दल' का अगला मोहरा हुई 'मीना कुमारी'। अब देखेंगे, मीना कुमारी के साथ क्या हुआ !

<u>In the Court of Upper District and Sessions Judge, Court No.1, Farrukhabad.</u>

<u>Cross Examination No. 83/2000</u>

Crime No. 47/98 Sections 376, 120B, 109/114 of the Indian Penal Code, Police Station Kampil. District Farrukhabad.

State vs. 1. Baba Virendra Deo Dixit 2. Shanta Kumari 3. Kamla Devi Dixit

<u>Cross Examination No. 235/2001</u>

Crime No. 47/98 Sections 376, 376A, 114 of the Indian Penal Code, Police Station Kampil. District Farrukhabad.

State vs. 1. Baba Virendra Deo Dixit 2. Kamla Devi Dixit 3. Shanta Kumari

ORDER:

Page: 2 of the Order:

In brief, the story is that the plaintiff Tara Devi, resident, Gali Janma Bhoomi, Mathura has given an application in the presence of the Superintendent of Police, Farrukhabad on 16-04-98.

Page: 5 of the Order:

The allegation against Virendra Deo Dixit is that he raped the plaintiff Tara Devi against her wish and threatened to kill her. Apart from this, the complaint against Kamla Devi and Shanta Behan is that they have made criminal conspiracy against her wish in forcing her to get raped and threatened to kill her. Accordingly Sections 376, 376 C and 506 against the accused Virendra Deo Dixit and Sections 120B, 114, along with Sections 376 and 506 of I.P.C against Kamla Devi Dixit and Shanta bahan are instigated. P.W.1 Tara Devi was presented before the court from the prosecution side.

The request from the prosecution side to free the group of witnesses consisting Dasharath Patel, Kailash Chandra, Chaturbhuj Agarwal and Ashok Pahuja has been accepted by the court and the said group of witnesses have been discharged from standing as evidences.

Page 6

The medical report has been presented by the prosecution; No strength can be attributed on account of this. Now only one witness No. 1, Tara Devi remains among the witnesses.

Now a few words of our own:

After having a vision towards what the District Judge has said; it appears, we have to say something. Here we can observe that the group of witnesses who stood as witnesses in this case and subsequently withdrawn are none but the same "Opposition Group" whose leader was the eminent lawyer Dasaradh A. Patel.

We can bring into our remembrances as to what has been said by the Honorable District Judge in the case of Renuka.

“” It gets proved from the documental evidence produced as well the oral examinations that, in connection with abetting Konica Varman, D/o. Prangopal Varman into their fold, there was a dispute among Prangopal Varman, Ashok

Pahuja, Dasaradh A Patel and Kailash Chandra and the people of Adhyatmik vidyalaya.

The Prangopal Varman group faced failure in this dispute and there was enmity on account of this matter between the two parties and cases were instigated in courts. While the enmity continued, the present case was made filed by the complainant Renuka. Apart from this, cases were filed by three more ladies by creating rape incidents in which Virendra Deo Dixit and Shanta Kumari were already freed by the courts.'"'

It gets very much cleared as to who are the "Opposition Group" that have used their energies in this case of Tara Devi also. Now the "Opposition Group" was left with no other choice except withdrawing themselves from standing as witnesses for the reason that the complainant woman Tara Devi also started feeling repentance and decided to stand to the truth in the court. Hence the "Opposition Group" had to pack up their beddings of deeds and flee from the scene. Now let us move to what has been said by the Honorable District Judge in this case of Tara Devi.

Page 6

This witness (Tara Devi) in her cross examination on oath said that she has gone to Kampil during April 1997.

Page 7

She got spiritual knowledge from them. No illegal act ; rape, bodily connection was established by Virendra Deo Dixit in this connection. It was also told by this witness that neither Shanta Bahan nor Kamla Devi Dixit has helped in any kind of sexual harassment. This witness has been examined by the Public Prosecutor and was declared as hostile.

She was examined by the District Public Prosecuter and when she was shown the statement given by her as statement paper No. 4A/2, and made her hear, she has said that this request letter was written by Ashok Kumar (Pahuja). He himself has brought her there. She went to Kampil Police station along with Ashok kumar where she was made to put her signature on a paper by the writer of the police station.

Page 8 :

When the statement under Section 164 of I.P.C read and informed to this witness, she has said that the inspector has taken her to the Magistrate for giving statement.

The inspector has told all the matter. When the magistrate has asked her, she has asserted under the pressure of police. The magistrate has got her signature.

Page 9:

Apart from this, this witness has in her statement under cross examination made it clear that that no incident has happened relating to Baba Virendra Deo Dixit with her. Apart from this, the matter relating to threat with murder by the group of accused was not proved by the prosecution.

As such after hearing the arguments, I reached to a clear conclusion that the no strength can be given to the story on the basis of oral and medical report submitted by the prosecution.

Page 10-11

ORDER;

The accused Virendra Deo is discharged from the charges framed against him under sections 376, 376 ga of the I.P.C and 506 and the accused Kamala Devi and Shanta behan are freed from the charges framed against them under sections 120B, 114 read with section 376 and 506 I.P.C.

24-03-2006 Upper District & Sessions Judge,

Court No.1, Farrukhabad.

Our Comments: As seen from the above judgment, it is apparently clear that one of the main members of the "Opposition Group" Ashok Kumar (Ashok Pahuja), who has taken the total responsibility of implicating Spiritual Brother Virendra Deo Dixit through Tara Devi could neither erase nor hide his malicious deeds despite withdrawing his name from the list of the witnesses for the reason that Tara Devi had made it clear before the court that he (Ashok Pahuja) has made strenuous efforts right from drafting the F.I.R, and followed up till the end. When Tara Devi has turned hostile to throw light on the foundations and follow up of the conspiracy drawn by the "Opposition Group", he (Ashok Pahuja) had to move away along with the group from the list of the witnesses. Some important extracts from the judgment are annexed in continuation. The next pawn moved by the "Opposition Group" is Meena Kumari. Let us see what happened with Meena Kumari.

मु. अ. सं. 49/98 धारा 376/120 B IPC थाना कोतवाली

1/11

(Handwritten margin notes: Admitted … / Seen / AC Jm / Filed & checked … 16.4.98)

मूल्य भार फार्म 341

यू० पी० फार्म नं० 13

पो० ई० फो० नं० 122 (?)

रुल्स की पुस्तिका

उत्तर प्रदेश पुलिस

कार्यालय, थाना …

प्रथम सूचना की रिपोर्ट

दण्ड विधि-संग्रह की धारा 154 के अन्तर्गत पुलिस द्वारा हस्तक्षेप किये जाने योग्य अपराध की प्रथम सूचना

थाना — कोतवाली

सर्किल/वृत्त — फर्रुखाबाद नगर

जिला — फर्रुखाबाद

संख्या — 38/98

C 463232

घटना का दिनांक व समय — अप्रैल 1997 से दिनांक 16 तक लगातार

दिनांक व समय जब रिपोर्ट की गई — 16.4.98 समय 23.15 बजे

घटनास्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी — अध्यापक वीरेन्द्र देव दीक्षित आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय कोतवाली कमला नगर फर्रुखाबाद (?)

पुलिस स्टेशन से रवाना होने का दिन — रवानगी डाक

नोट—प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिह्न होना चाहिए और इसको लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होनी चाहिये।

सूचना देने वाले या वादी का नाम व निवास-स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास-स्थान	धारा सहित अपराध व माल का संक्षिप्त विवरण (यदि कोई हो)	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही हो गयी तथा सूचना के दर्ज करने में देरी होने का कारण	परिणाम
श्रीमती तारा देवी पुत्री श्री मूलचन्द नि० मोती कटरा [illegible] मथुरा अशोकपुरा (उम्र … वर्ष)	श्री वीरेन्द्र देव दीक्षित संचालक आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्व विद्यालय कमला नगर, कमला देवी दीक्षित पत्नी उपरोक्त, आज्ञा [illegible] पत्नी उपरोक्त	षड्यन्त्र के कारण इच्छा के विरुद्ध [illegible] लड़कियों के साथ बलात्कार किया जाना। धारा 376/120 B IPC	की गयी [illegible] तहरीर वादिया [illegible] मुकदमा पंजीकृत कर [illegible] विवेचना [illegible] द्वारा [illegible] कोतवाली होगी	विवेचना होगी

प्रथम सूचना पुस्तक भाग में लिखी जायेगी ।

हस्ताक्षर — [signature]

नोट—सूचना देने वाले का हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा लिखने वाले से करवाना चाहिए।

मो० मु० मु० सील-09 दिनांक 14-1-92-- 16 ……

—: फोलियो :—

केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना-पत्र देने की तारीख Date on which application is made for copy accompaned by the requisite stamps	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of posting notice on notice board	नकल वापिस दिये जाने की तारीख Date of delivery of copy	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of official delivering copy.
6 10-4-06 Head Copies Judges Pbd.	15-4-06	17-4-06	17-4-06

3/100

A. K. SHARMA
ADVOCATE
Distt. Court, Faridabad

A. K. SHARMA
ADVOCATE
Distt. Court, Faridabad

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट सं0 1 फर्रुखाबाद

उपस्थित- श्री नीरज कुमार सिंह.........एच0जे0एस0

सत्र परीक्षण संख्या- 83/2000

राज्य

प्रति

1- वीरेन्द्र देव

2- शान्ता कुमारी

3- कमला देवी दीक्षित

मु0अ0सं0 47/98
धारा 376, 120बी, 109/114 भा0दं0सं0
थाना- कम्पिल
जिला- फर्रुखाबाद

एवं

सत्र परीक्षण संख्या 235/2001.

राज्य

प्रति

1- वीरेन्द्र देव दीक्षित

2- कमला देवी

3- शान्ता कुमारी

मु0अ0सं0 47/98
धारा 376, 376ग/114 भा0दं0सं0
थाना- कम्पिल
जिला- फर्रुखाबाद

निर्णय

प्रस्तुत प्रकरण अभियुक्तगण वीरेन्द्र देव दीक्षित व शान्ता कुमारी को भा0दं0सं0 की धारा 376/120बी 109/114 के अन्तर्गत परीक्षित किये जाने हेतु थाना कम्पिल की पुलिस द्वारा लाया गया है और यह मामला दिनांक 14.10.2000 के आदेश से सत्र सुपुर्द होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है ।

अभियुक्तगण कमलादेवी दीक्षित, वीरेन्द्र देव शान्ता दीक्षित को भा0दं0सं0 की धारा 376, 376ग व 114 के अन्तर्गत परीक्षित किये जाने हेतु सी0बी0सी0आई0डी0 द्वारा यह प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया है और यह मामला दिनांक 20.07.01 के आदेश से सत्र सुपुर्द होकर इस न्यायालय में पेश किया गया है ।

उक्त दोनों मामले एक ही घटना क्रम से संबंधित होने के कारण

विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की प्रार्थना पर दोनों मामलों को समेकित करके परीक्षण किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी तारादेवी पुत्री मूल चन्द्र निवासी गली जन्म भूमि मथुरा अर्जुनपुर उ0प्र0 ने दिनांक 16.4.98 को पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना-पत्र दिया। प्रार्थना-पत्र के अनुसार वर्ष 1994 में वादिनी के घर कम्पिल के राजबहादुर तथा सियाराम भाई आये और आकर शंकर पार्वती का ज्ञान सुनाया। वादिनी उनके कहने पर दो दिन के लिए कम्पिल आयी। उसके बाद में अप्रैल 1997 में कंपिल के सियाराम व नवीन मोदी वादिनी के पास आये और उसे कम्पिल ले गये, जहाँ वादिनी को बताया गया कि वीरेन्द्रदेव दीक्षित तथा कमला दीक्षित को, जो कि साक्षात शंकर पार्वती के अवतार है, माता-मम्मी कहा जाता है। दूसरी रात वादिनी को मम्मी जी उठाकर बाबा के पास ले गयी, जहाँ बाबा नंगे खड़े थे। अन्दर मम्मी व शान्ता बहिन थी उन्होंने दरवाजा बन्द कर दिया तथा वादिनी के जबरदस्ती कपड़े उतरवा लिए। वादिनी चिल्लाई, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने वादिनी के साथ जबरदस्ती लिटाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध बाबा से बलात्कार कराया। सुबह वादिनी को जानकारी हुई कि वहाँ पर रहने वाली हर युवती के साथ परमात्मा मिलन के नाम से यौन शोषण हो चुका है। उक्त वादिनी की रिपोर्ट प्रदर्श क-1 के आधार पर प्रदर्श क-3 मुकदमा कायम हुआ, जिसका इन्द्राज जी0डी0 प्रदर्श क-4 में किया गया। विवेचना द्वारा उक्त मामले की जाँच के दौरान घटना स्थल का नक्शा नजरी, प्रदर्श क-7 तैयार किया गया। वादिनी की डाक्टरी कराकर डाक्टरी रिपोर्ट

प्रदर्श क-6 प्राप्त की तथा घटना स्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क-7

तैयार किया गया तथा ~~डाक्टर राममनोहर लोहिया के डाक्टर आरटी से~~

पैथोलोजी रिपोर्ट प्राप्त की गयी

~~पैथोलोजी फार्म की पृष्ठ पर रिपोर्ट प्रदर्श क-9 है~~ तथा विवेचना

पूर्ण होने के बाद घटना सही पाये जाने पर विवेचक द्वारा प्रदर्श क-8

आरोप-पत्र व सी०बी०सी०आई०डी० द्वारा आरोप-पत्र प्रदर्श क-10

न्यायालय मे दाखिल किया गया ।

अभियुक्त वीरेन्द्र देव पर धारा 376, 376ग व 506 भा०दं०सं० व अभियुक्तागण कमलादेवी व शान्ता बहिन पर भा०दं०सं० की धारा 120बी, 114 सपठित धारा 376 व 506 के आरोप विरचित किये गये । उक्त आरोपो से अभियुक्तगण द्वारा इन्कार किया गया अतः उनका विधिवत परीक्षण किया गया ।

अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त आरोपो को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में मात्र एक साक्षी पी०डब्लू०1 तारादेवी को पेश किया गया है ।

अभिलेखीय साक्ष्य में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्श क-1 तहरीरी रिपोर्ट, प्रदर्श क-2 पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 164 प्रदर्श क-3 चिक रिपोर्ट, प्रदर्श क-4 व प्रदर्श क-5 जी०डी० की कार्बन प्रति, प्रदर्श क-6 चिकित्सीय रिपोर्ट, प्रदर्श क-7 नक्शा नजरी, प्रदर्श क-8 आरोप-पत्र, पैथोलोजी रिपोर्ट प्रदर्श क-9 व प्रदर्श क-10 आरोप-पत्र द्वारा सी०बी०सी०आई०डी० दाखिल किया गया है ।

अभियोजन का साक्ष्य समाप्त होने के बाद अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया, जिसमें

अभियुक्तगण ने अपने बयानों में कहा है कि उनके खिलाफ गलत रिपोर्ट लिखायी गयी है एवं गलत अभिलेखीय साक्ष्य दाखिल किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा लिखित बयान दाखिल किया गया, जिसमें अभियुक्त वीरेन्द्र दीक्षित ने अपने लिखित बयान में कहा है कि उसके आश्रम की प्रतिष्ठित महिलाओं व उसके विरुद्ध दशरथभाई पटेल, अशोक आहूजा, चतुर्भुज अग्रवाल, रामप्रताप व कैलाशचन्द्र ने कुछ महिलाओं को खरीदकर अधिकारियों से मिलकर झूठी प्राथमिकी अंकित करायी है। अभियुक्त कमलादेवी ने भी कहा है कि बाबा वीरेन्द्र देव दीक्षित की मदद करने के कारण उससे माउन्टआबू के ब्रह्मकुमारी के आश्रम की संचालिका नाराज हो गयी थी और बाबा वीरेन्द्र देव दीक्षित के साथ साथ उसके विरुद्ध भी झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है। अभियुक्त शान्ताकुमारी ने कहा है कि बाबा वीरेन्द्र देव दीक्षित की मदद करने के कारण ~~मुझसे~~ उससे भी माउन्टआबू के ब्रह्माकुमारी आश्रम की संचालिका नाराज हो और बाबावीरेन्द्रदेव दीक्षित के साथ -2 उसके विरुद्ध भी झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।

अभियुक्तगण की ओर से प्रतिरक्षा साक्ष्य में लिखित साक्ष्य के रूप में सूची 76 बी से 76 बी /2 लगायत 76बी/8, सूची 76बी/9 से 76बी/10 लगायत 76बी/18, 76बी/19 सूचीसे 76बी/20 लगायत 76बी/32 सूची 76बी/33 से 76 बी/34 76 बी/45 ,सूची 76बी/46 से 76बी/47 लगायत 76बी/48 ,सूची 76बी/49 से 76बी/50 लगायत 76 बी/ 53

सूची 76बी/54 से 76बी/55 लगायत 76बी/59, सूची 76बी/60 से 76बी/61 लगायत 76बी/66 व सूची 76बी/67 से 76बी/68 लगायत 76बी/70 कागजात दाखिल किये गये है ।

मैने अपर जिला शासकीय अधिवक्ता एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

अभियुक्त बीरेन्द्र देव के विरुद्ध यह आरोप है कि उसने वादिनी तारादेवी के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ बलात्कार किया और उसे जान से मारने की धमकी दी । इसके अतिरिक्त अभियुक्ता कमलादेवी व शान्ता बहन पर यह आरोप है कि उन्होने वादिनी तारादेवी के साथ उसकी मर्जी के विरुद्ध बलात्कार किये जाने के लिए आपराधिक षडयन्त्र किया और बलात्कार किये जाने के लिए दुष्प्रेरित किया व जान से मारने की धमकी दी। इस तरह अभियुक्त बीरेन्द्र देव के विरुद्ध भा0दं0सं0 की धारा 376, 376ग व 506 व अभियुक्त कमलादेवी व शान्ता बहन के विरुद्ध धारा 120बी, 114 सपठित धारा 376 व 506 भा0दं0सं0 के आरोप विरचित किये गये ।

अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त आरोप को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य के रूप में पी0डब्लू01 तारादेवी को पेश किया गया है । साक्षीगण दशरथ एम पटेल, कैलाशचन्द्र, चतुर्भुज गुप्ता व अशोक आहूजा को अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य से उन्मोचित करने की प्रार्थना की गयी है, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया और उक्त साक्षीगण को साक्ष्य से उन्मोचित

- किया जाना

अब देखना यह है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य से अभियोजन का मामला कहाँ तक साबित होता है। इस संबंध में अभियोजन पक्ष ने अभिलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श क-6 पीड़िता की चिकित्सीय रिपोर्ट व प्रदर्श क-9 पैथालॉजिस्ट परीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। प्रदर्श क-6 चिकित्सीय रिपोर्ट में चिकित्सक द्वारा यह कहा है कि बलात्कार के संबंध में अंतिम राय बजाइना स्मीयर की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद दी जायेगी, लेकिन बलात्कार के संबंध में कोई अन्तिम रिपोर्ट दाखिल नही की गयी है। इसके अतिरिक्त प्रदर्श क-9 पैथालाजी की रिपोर्ट में भी वैजाइनल स्मियर में कोई स्पेयर मैटोजा नही पाये गये। अतः अभियोजन पक्ष की ओर से जो चिकित्सीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, उससे अभियोजन पक्ष को कोई बल नही मिलता है।

अब पत्रावली पर एक मात्र अभियोजन साक्षी संख्या 1 तारा देवी का साक्ष्य शेष रह जाता है। इस साक्षिया के साक्ष्य का महत्व इस प्रकरण की वादिनी होने के कारण और भी अधिक बढ़ जाता है। इस साक्षी द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फर्रुखाबाद को घटना की लिखित तहरीर देकर अभियुक्तगण के विरुद्ध मुकदमा कायम कराया गया इसके साथ साथ यह साक्षी इस घटना की पीड़िता भी है। इस साक्षिया ने मुख्य परीक्षा के दौरान शपथपूर्वक बयान मे कहा है कि सन 1997 माह अप्रैल में सियाराम व नवीन मोदी की प्रेरणा पर वह कम्पिल आयी थी। वहाँ पर उसकी भेंट बीरेन्द्र देव दीक्षित

कमला बहन व शान्ता बहन से हुई। उसने उससे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। इस दौरान बाबा वीरेन्द्र देव दीक्षित द्वारा उसके साथ उसकी मर्जी के विरुद्ध बुरा काम बलात्कार शारीरिक संबंध नहीं स्थापित किया गया। इस साक्षी द्वारा यह भी कहा गया कि शान्ता बहन व कमला देवी द्वारा किसी भी प्रकार का यौन शोषण कराने के लिए कोई सहयोग नही किया गया। इस साक्षी को अपर जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर प्रति परीक्षा की गयी है। साक्षी को तहरीर पेपर नम्बर 4ए/2 पढ़कर सुनायी गयी व दिखायी गयी तो इस साक्षी ने कहा कि यह प्रार्थना-पत्र अशोककुमार द्वारा लिखा गया था। वही उसे बुलाकर लाये थे। वह अशोककुमार के साथ थाना कम्पिल गयी थी, जहाँ पर दीवानजी ने उसके एक कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे। चिक रिपोर्ट पेपर नं0 4ए/1 पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर देखकर कहा कि यह उसके हस्ताक्षर है चिक रिपोर्ट उसे पढ़कर नही सुनायी गयी थी। जब इस साक्षी को प्रदर्श क-1 पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि उसने अशोककुमार से यह लिखाने को नही कहा था " कि दूसरी रात को मम्मी जी उठाकर बाबा के कमरा ले गयी थी जहाँ बाबा नंगे पड़े थे। अन्दर मम्मी और शान्ता बहन थी और उन्होंने दरवाजा बन्द कर दिया तथा उसके कपड़े जबरदस्ती उतरवा लिए तथा उन्होंने उसको जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध बाबा से बलात्कार कराया, अशोककुमार ने कैसे लिखी दी, इसकी वजह वह नहीं बता सकती है।

दरोगाजी या किसी पुलिस वाले ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी । इस साक्षी को धारा 161 सी०आर०पी०सी० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो इस साक्षी ने कहा कि यह बयान उसने कभी किसी विवेचक को नहीं दिया था । इस साक्षी को विशेष अपराध अनुसन्धान शाखा के विवेचक द्वारा अंकित किये गये धारा 161 के बयान को पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि ऐसा कोई बयान उसने किसी विवेचक को नहीं दिया था । उपरोक्त दोनों बयान कैसे लिख दिये, वह नहीं बता सकती है । इस साक्षी को धारा 164 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि एक दरोगा उसका बयान कराने मजिस्ट्रेट साहब के पास लाये थे । दरोगाजी ने मजिस्ट्रेट साहब को सब बातें बता दी थी । उसने पुलिस के दबाव में मजिस्ट्रेट साहब के पूछने पर हाँ कर दी थी " मजिस्ट्रेट साहब ने उसके हस्ताक्षर कराये थे । इस साक्षी ने यह भी कहा है कि उसने मजिस्ट्रेट साहब द्वारा दिये गये बयान को पढ़ा नहीं था और न उसे पढ़कर सुनाया गया था । इस साक्षी का यह भी बयान है कि जिस दिन रिपोर्ट लिखी गयी थी वह अशोककुमार के साथ थाने गयी थी उसके बाद कोई पुलिस वाला उसका बयान लेने अथवा लिखा पढ़ी करने नहीं आया था । इस प्रकार सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा की गयी प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने कहा है कि उसने तहरीर लेकर अशोककुमार को यह बात नहीं बतायी थी । इस साक्षी ने स्पष्टरूप से कहा है कि उसने विवेचक को दौरान विवेचना

वीरेन्द्र देव द्वारा बलात्कार करने की बात नही बतायी थी और शान्ता बहन व कमला द्वारा बलात्कार किये जाने के आपराधिक षडयन्त्र रचने की कोई बात नही बतायी थी । इस साक्षी ने अपने बयान मे कहा है कि उसने किसी को यह बात नही बतायी थी और उसने मजिस्ट्रेट द्वारा लिखे गये कथनो को पढ़ा नही था और न ही उसे पढ़कर सुनाया गया था । इस तरह से इस साक्षी ने, पी.डब्लू. रिपोर्ट व धारा 161, व 164 दं०प्र०सं० के बयानो मे कहे गये अभिकथनो को शपथपूर्वक बयान मे समर्थन नही किया है ।

इस साक्षी से अभियुक्तगण की ओर से प्रति परीक्षा की गयी है । प्रति परीक्षा के दौरान इस साक्षी ने अपने बयान मे कहा है कि किसी पुलिस वाले ने उसकी निशानदेही पर कोई नक्शा नजरी नही बनाया था । इस साक्षी द्वारा दिये गये बयान मे इस बात के बयान पर संदेह उत्पन्न हो जाता है कि विवेचक द्वारा ~~कोई~~ बिना साक्षी की निशानदेही पर नक्शा नजरी बनाया गया था यह भी संदेह होता है कि विवेचक द्वारा ~~किसी मजिस्ट्रेट के सामने इस साक्षी का बयान~~ मामले की स्वतन्त्र व निष्पक्ष विवेचना की नही ~~कराया गया~~ । इसके अतिरिक्त प्रति परीक्षा के दौरान इस साक्षी ने स्पष्ट रुप से कहा है कि इस साक्षियों के साथ बाबा वीरेन्द्रदेव द्वारा कोई घटना घटित नही की गयी है । इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की धमकी देने वाली बात को भी सिद्ध नही किया गया है ।

अत: संक्षेप मे उपरोक्त विवेचना से मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के विरुद्ध जो मौखिक

व चिकित्सीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, उससे अभियोजन कथानक की पुष्टि नही होती है। अभियोजन पक्ष की ओर से घटना के संबंध मे पीडिता। तारादेवी को पेश किया गया है इस साक्षी ने अपने शपथपूर्वक बयान में, तहरीरी रिपोर्ट मे कहे गये अभिकथनो, धारा 161 सीआरपीसी के अन्तर्गत दिये गये बयानो का धारा 164 सीआरपीसी में दिये गये बयानो का खण्डन किया है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नही है, जिससे अभियुक्त बीरेन्द्र देव द्वारा बलात्कार किये जाने व अभियुक्तगण शान्ता बीहन व कमला द्वारा आपराधिक षडयन्त्र भाग लेना सिद्ध होता हो अत: पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप धारा 376, 376ग, 120बी व 506 के आरोप संदेह से परे साबित नही होता है अत: अभियुक्तगण उक्त लगाये गये आरोपो से दोषमुक्त होने योग्य है।

आदेश
=====

अभियुक्त बीरेन्द्र देव को भा0दं0सं0 की धारा 376, 376ग व 506 व अभियुक्तगण कमलादेवी व शान्ता बीहन को भा0दं0सं0 की धारा 120 बी, 114 सपठित धारा 376 व 506 के अन्तर्गत लगाये गये आरोपो से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं, उनके निजी बन्धपत्र निरस्त किये जाते है तथा उनके जमानतनामे निरस्त कर जामिनदारो को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

इस निर्णय की एक प्रति सत्र परीक्षण संख्या 235/2001

की पत्रावली में रखी जाये ।

दिनांक 24.3.06,

(निरंज कुमार संगल)
अपर सत्र न्यायाधीश
फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-1
फर्रुखाबाद

यह निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में

हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया ।

दिनांक 24.3.06

(निरंज कुमार संगल)
अपर सत्र न्यायाधीश
फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-1
फर्रुखाबाद

<u>मीना कुमारी</u>

<u>मीना कुमारी ने ही षड़यंत्र की गुत्थियों को खोलने में पहल की :</u>

षड़यंत्र की गुत्थियाँ तब सुलझने लगीं जब एक शिकायतकर्ता मीना कुमारी ने उस षड़यंत्र के परिणामों को अपनी अंतरात्मा में महसूस किया। मीना कुमारी ने दिनांक 20.6.2002 को फर्रुखाबाद के माननीय न्यायाधीश के समक्ष दिए गए अपने साक्ष्य के बयान में स्वीकार किया है कि उपर्युक्त विरोधी दल के सदस्यों के प्रभाव में आकर भ्राता वीरेन्द्र देव दीक्षित के खिलाफ एफ.आई.आर. सं.58/98 दर्ज की गई और झूठा मुकदमा दायर किया गया। भ्राता वीरेन्द्र देव दीक्षित और कमला देवी दीक्षित को झूठे मामले में घसीटने पर गहरा खेद व्यक्त करते हुए शिकायतकर्ता ने उपर्युक्त दल के सदस्यों का विशेष रूप से नाम लिया है, जिन्होंने उसे ऐसा करने के लिए उकसाया था।

अब मीना कुमारी द्वारा 'विरोधी दल' ने क्या-2 करवाया और आखिर उस सोचे-समझे षड़यंत्र का अंजाम क्या हुआ, उसे फर्रुखाबाद के अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश के शब्दों में ही देखना उचित होगा।

The knots of the conspiracy started untying further with another complainant Miss Meena Kumari realizing the results of the conspiracy to which she was made instrumental from here within. Meena Kumari has focused and accepted in her statement dated 20th June, 2002 before the Honorable Judge, Farrukhabad that she has got registered a fake F.I.R with No. 58/98 at Kampil Police Station against Spiritual Brother Virendra Deo Dixit at the behest of the referred members of the "Opposition Group". Expressing her grief and repentance for her blunder in instigating false and fake complaint against Spiritual Brother Virendra Deo Dixit and Kamla Devi Dixit, the complainant has detailed the names of the members of the "Opposition Group" who have provoked and enticed her to do so.

Now in order to see as to how Meena Kumari was enticed to follow the directions of the "Opposition Group" in the background of the conspiracies and the resultant outcome of their efforts, we prefer to focus the present episode relating to Meena Kumari also in the words of the Upper District and Sessions Judge, Fast Track Court No.1, Farrukhabad.

''न्यायालय- अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-1, फर्रुखाबाद।

सत्र परीक्षण सं. 114/2000

राज्य प्रति- वीरेंद्र देव दीक्षित आदि

अपराध संख्याः 58/98 धाराः 376, 120 बी, 506, 114 भा.दं.सं.

थाना कंपिल, जिला फर्रुखाबाद ।

एवं

सत्र परीक्षण सं. 234/2001
राज्य प्रति- कमला देवी दीक्षित आदि

अपराध संख्याः 58/98 धाराः 376, 376 ग, 114 व 506 भा.दं.सं.

थाना कंपिल, जिला फर्रुखाबाद ।

पृष्ठ-1

प्रस्तुत मामलों में थाना कंपिल के पुलिस द्वारा अभियुक्त बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित, कमला दीक्षित और शांता बहन को भा.दं.सं. की धारा 376, 376 ग, 114 व 506 भा.दं.सं. के अंतर्गत परीक्षित किए जाने हेतु आरोप-पत्र प्रेषित किए गए हैं और यह मामले 19-01-2000 व दिनांक 30-07-2001 के आदेश से सत्र सुपुर्द होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुए हैं ।

पृष्ठ-5

प्रस्तुत मामले में पीड़िता मीनाकुमारी के द्वारा एक लिखित रिपोर्ट दिनांक 28-04-98 को थाना कंपिल पर इस बात की की गई थी कि अभियुक्त वीरेंद्र देव द्वारा वादिनी के साथ बलात्कार किया गया और अभियुक्त गण कमला दीक्षित व शांता बहन के द्वारा इस बलात्कार में सहयोग दिया गया।

पृष्ठ-6

मैंने अभियोजन साक्षी नं. 1 मीना कुमारी द्वारा मुख्य परीक्षा के दौरान शपथ पर दिए गए बयान का अवलोकन किया । पी.डब्ल्यू. नं. 1 मीना कुमारी ने मुख्य परीक्षा के दौरान शपथ पर बयान दिया है कि वह नवीन मोदी के विश्वास पर अहमदाबाद से चलकर कंपिल, फर्रुखाबाद में आ गई। वहाँ पर उसने वीरेंद्र देव और कमला दीक्षित से उसकी मुलाकात कराई। अहमदाबाद से आने के बाद वह कंपिल आश्रम में रहने लगी ।

दिनांक 2/3-04-98 को श्रीमती कमला दीक्षित व शांता बहन ने उसे वीरेंद्र देव के कमरे में बंद नहीं किया और न ही वीरेंद्र देव ने उसके साथ बलात्कार किया था। इस साक्षी को अपर जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है और प्रति परीक्षा की गई।

इस साक्षी ने यह भी कहा है कि यह रिपोर्ट उसने अपने मन से नहीं लिखी थी; बल्कि अशोक पाहूजा, चतुर्भुज अग्रवाल, रामप्रताप सिंह चौहान, कैलाश चंद्र, प्राण गोपाल वर्मन, जया और तारा के दबाव में उनके बोलने पर लिखाई थी। उसने अपने मन से उसमें कुछ भी नहीं लिखा था। इस तरह इस साक्षी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन नहीं किया और स्पष्ट रूप से कहा है कि यह रिपोर्ट उन्होंने अन्य लोगों के बोलने पर लिखाई थी।

पृष्ठ-7

उसने स्पष्ट रूप में कहा है कि यह कहना गलत है कि कमला देवी व शांता बहन जी आश्रम में रहती थीं, उनके सहयोग से वीरेंद्र देव के कमरे में मेरी मर्ज़ी के विरुद्ध बलात्कार किया हो। इस तरह से इस साक्ष्य ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का खंडन किया है व अभियोजन कथानक का भी समर्थन नहीं किया है। डॉक्टर सरोज बाला के साक्ष्य से भी अभियोजन को कोई बल नहीं मिलता है।

अतः संक्षेप में मैं उपरोक्त विवेचना से इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि अभियोजन पक्ष की ओर से अपने समर्थन में घटना के संबंध में, एकमात्र साक्षी मीना कुमारी को पेश किया गया है; लेकिन इस साक्षी ने शपथपूर्वक अपने बयान में तहरीरी रिपोर्ट का समर्थन नहीं किया है।

पृष्ठ-8

और न यह कहा है कि अभियुक्त वीरेंद्र देव ने उसके साथ बलात्कार किया है और न यह कहा है कि कमला दीक्षित व शांता बहन द्वारा बलात्कार किए जाने हेतु आपराधिक षड़यंत्र रचा गया है व बलात्कार के लिए दुष्प्रेरित किया गया है।

अतः अभियुक्तगण पर लगाए गए आरोप भा.दं.सं. की धारा 376, 376 ग, 114 व 506 के अंतर्गत दोष मुक्त होने योग्य हैं।

आदेशः

अभियुक्तगण वीरेंद्र देव दीक्षित, कमला दीक्षित व शांता बहन को भा.दं.सं. की धारा 376, 376 ग, 114 व 506 के अंतर्गत लगाए गए आरोपों से दोष मुक्त किया जाता है।

04-02-2006 ***अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-1, फर्रुखाबाद।’’***

<u>In the Court of Upper District and Sessions Judge, Court No.1, Farrukhabad.</u>

<u>Cross Examination No. 114/2000</u>

Crime No. 58/98 Sections 376, 120B, 506, 114 of the Indian Penal Code, Police Station Kampil. District Farrukhabad.

State vs. 1. Baba Virendra Deo Dixit and others

<u>Cross Examination No. 234/2001</u>

Crime No. 58/98 Sections 376, 376A, 114 and 506 of the Indian Penal Code, Police Station Kampil. District Farrukhabad.

State vs. Kamla Devi Dixit and others

Page- 1

A charge sheet has been filed by the Police Station, Kampil against the accused Baba Virendra Deo Dixit , Kamla Devi Dixit and Shanta bahan under sections 376, 376 C , 114 and 506 of I.P.C and this case has been transferred to this court from the sessions court by order dated 19-01-2000 and 30-07-2001.

Page- 5:

A written complaint has been lodged by the victim Meena Kumari at the Police Station, Kampil, wherein it has been stated that she was raped by accused Virendra Dev and the accused Kamla Devi Dixit and Shanta bahan have given support in this rape.

Page-6

I have gone through the statement under oath of the Prosecution witness Meena kumari. P.W.1 Meena Kumari in her statement given on oath during the course of cross examination having believed Navin Modi she has come to Kampil, Dt.

Farrukhabad. He has arranged meet with Virendra Deo Dixit and Kamla Devi Dixit . She started living at Kampil Adhyatmik vidyalaya after having come from Ahmedabad. Neither Smt Kamla Devi Dixit and Shanta Bahan have locked her in the room nor Virendra Deo Dixit has raped her on 3/4-4-98. This witness was declared hostile by the Upper Ditrict Public Prosecutor and a cross examination was conducted.

She has also said that the report was not written at her own intention, but it was written on the forced enticement of Ashok Pahuja, Chaturbhuj Agarwal, Rampratap Singh Chauhan, Kailash Chandra, Pran Gopal Verma, Jaya and Tara. She has written nothing at her own intention. In this way this witness did not support the First Information Report and made it quite clear that the report was written at the behest of others.

Page-7

She had made it clear that it is wrong to say that Virendra Deo Dixit has raped me against my will in the room with the help of Kamla Devi Dixit and Shanta Bahan, the resident of the Adhyatmik vidyalaya. In this way, this witness has refuted the contents of the F.I.R and she has not supported the story of the prosecution. The evidence of Dr. Saroj Bala also does not give any strength to the Prosecution.

Hence, briefly, in view of the above arguments, I have reached the conclusion that the prosecution could produce only one witness Meena Kumari in their support, but this witness in her statement under oath did not support the F.I.R submitted as exhibit No. 1.

Page-8

Neither had she said that the accused Baba Virendra Deo Dixit has raped her nor she has said that Kamla Devi Dixit and Shanta Bahan had made any criminal conspiracy to inspire rape. The group of the accused are eligible to be freed from the charges framed under sections 376, 376 A, 114 and 506 against them.

The oral and documental evidence produced by the Prosecution do not prove the allegations made against the accused. Hence the group of the accused are eligible to get freed from the allegations made against the accused under sections 376, 376 ga, 114/376, 109/376, 120 B and 506 of I.P.C.

ORDER:

The accused Virendra Deo Dixit, Kamala Dixit and Shanta Behan are discharged from the charges made under sections 376, 376 C, 114/376, 109/376, 120 B and 506 of I.P.C.

04-02-2006 Upper District and Sessions Judge, Court No-1, Farrukhabad.

अब इस मीना कुमारी के संबंध में जजमेंट देखेंगे तो भी उसी विरोधी दल की चाल पूरे तरीके से समझ में आती है। वे लोग भ्राता वीरेन्द्र देव दीक्षित को और आ.ई.वि.वि. परिवार को पूरी तरह मिट्टी में मिलाने के लिए कितना कड़ा प्रण लिए हुए थे। अब इतनी बड़ी सोची-समझी साज़िश ! चाहे कोनिका का पिता प्राण गोपाल वर्मन हो, चाहे रेणुका, चाहे जया भारद्वाज हो, चाहे तारा देवी हो, चाहे मीना कुमारी भी क्यों न हो, इतने सारे लोगों को भ्राता वीरेन्द्र देव दीक्षित के ऊपर और आ.ई.वि.वि. परिवार के ऊपर अपना-2 प्रतिशोध निकालने के लिए 'विरोधी दल' वालों ने मना लिया और फँसा भी दिया। केवल अप्रैल 16 तारीख से ले करके 28 तारीख तक, इन 12-13 दिनों में उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। सारे न्यूज़ मीडिया वालों ने अपने-2 सर्क्युलेशन बढ़ाकर त्योहार मनाए।

स्थितियाँ देखने से यही पता चलता है कि यह 'विरोधी दल', भ्राता वीरेन्द्र देव दीक्षित और आ.ई.वि.वि. परिवार को पूरे तरीके से मटियामेट करने तक साँस लेंगे ही नहीं और कमर कसकर इस लक्ष्य को साधने के लिए कोई कसर छोड़ेंगे भी नहीं। इस केस से संबंधित कोर्ट जजमेंट के कुछ मुख्य भाग इसके साथ जुड़े हुए हैं।

<u>At this juncture, we wish to add some of our words:</u>

When we closely observe the above judgment, we can well understand the methodology of the conspiracy in clear terms as to how the "Opposition Group" with determined intentions to defame and erase the entire "AVV family" along with Spiritual Brother Virendra Deo Dixit were able to convince; may be it Pran Gopal Varman, the father of Konica; may be it Renuka; Jaya Bharadwaj, Tara Devi and Meenakumari into their traps. They have funded them also. Wonder, it could be; they are able to mislead so many pawns in order to take unfounded revenge against Spiritual Brother Virendra Deo Dixit and the Ishwariya Family. Wonder; within a short span of 12 to 13 days, i.e., within April 16th to 28th April of the black year 1998, they could concentrate all their energies to their tunes to harm the "AVV family". And of-course, the News media in turn has celebrated the festival of increased circulation. When we see the circumstances in a nutshell, it comes out; the "Opposition Group" does not even take their breath till they could eradicate the entire "AVV family" along with Spiritual Brother Virendra Deo Dixit. Some important extracts from the judgment are annexed in continuation. Other episodes to continue.

XVI-(अ) 212
पुलिस हिन्दी

1802

प्रतिपूर्ण
पृ. क्रमांक

फार्म नं. 1

प्रथम सूचना प्रतिवेदन (धारा 154 द. प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत).

FIRST INFORMATION REPORT (Under Sec. 154 Cr. P. C.)

1. * जिला रीवा * थाना अमरपाटन वर्ष 2010 * प्र. सू. प. क्र. 228/010 * दिनांक 1/12/10 48
2. (1) * विधान ---- धाराएं ----
   (2) * विधान भा.द.वि. ---- धाराएं 363, 366, 34
   (3) * विधान ---- x ---- धाराएं ----
   (4) * अन्य विधान एवं धाराएं x ----
3. (अ) संदर्भित रोजनामचा क्र. x ....
   (ब) * घटना का दिन शनिवार * दिनांक 23/10/010 * समय 1 बजे दिन
   (स) थाने पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 1/12/2010 समय 14:00 बजे रो. सा. क्र. 24
4. सूचना का प्रकार : * लिखित/मौखिक ----
5. घटना स्थल : (अ) थाने से दिशा व दूरी 5 KM दक्षिण
   (ब) * घटना स्थल का पता बोदाबाग वार्ड क्र. 9 थाना अमरपाटन
   बीट नं. ....
   (स) घटना स्थल अन्य थाना क्षेत्राधिकार है तो थाना x ---- जिला x
6. अभियोगी/सूचनाकर्ता :
   (अ) नाम श्रीमती कुसुम कुली गुप्ता
   (ब) पिता/पति/पालक का नाम भगवानदास गुप्ता
   (स) जन्म दिनांक/वर्ष 46 वर्ष
   (द) पासपोर्ट नं. x जारी दिनांक .... (इ) राष्ट्रीयता भारतीय
   जारी होने का स्थान ....
   (क) व्यवसाय गृह कार्य
   (ख) पता बोदाबाग वार्ड क्र. 9 थाना अमरपाटन
7. ज्ञात/अज्ञात/संदेही/आरोपी का पूर्ण विवरण (आवश्यकतानुसार पृथक पृष्ठ का प्रयोग करें)

   (1) महेश विश्वकर्मा बोदाबाग
   (2) पूजा विश्वकर्मा - बोदाबाग
   (3) पवन कुशवाहा निवासी [illegible] रीवा
   (4) राजाभाई (5) मालती बहन दोनों निवासी
   विन्ध्य विहार कॉलोनी रीवा

8. अभियोगी/सूचनाकर्ता द्वारा सूचना दिये जाने में विलम्ब का कारण पुत्री की तलाश करते रहने व आरोपियों की धमकी के भय से
9. अपहृत/सम्बद्ध सम्पत्ति का पूर्ण विवरण (आवश्यकतानुसार पृथक पृष्ठ का प्रयोग करें)

10. * अपहृत/सम्बद्ध सम्पत्ति का कुल मूल्य ....
11. * मर्ग/अकाल मृत्यु सूचना क्रमांक (यदि हो) ....
12. प्रथम सूचना विवरण (आवश्यकतानुसार पृथक पृष्ठ का प्रयोग करें)

आवेदिका कुसुमकली गुप्ता निवासी बोदाबाग रीवा की लिखित आवेदन [illegible] रजीव गुप्ता [illegible]
निष्कर्ष एक हस्तलिखित आवेदन पत्र [illegible] की [illegible] वास्ते कार्यवाही हेतु थाना [illegible] जिसका
मजमून के अप० धारा 363, 366, 34 IPC का घटित पाए जाने से पूर्णतः [illegible] किया
जाता है। आवेदन पत्र श्री नकल [illegible] है। प्रति, श्रीमान थाना प्रभारी महोदय थाना
अनन्तपुर जिला रीवा (म०प्र०), विषय- मेरी पुत्री नीलिमा गुप्ता (सोनू) उम्र 17 वर्ष को बहला फुसलाकर
अपहरण कर लिए जाने के संबंध में। महोदय, निवेदन है कि प्रार्थिया श्रीमती कुसुमकली पत्नि स्व०
[illegible] गुप्ता निवासी बोदाबाग टिकुरी थाना अनन्तपुर रीवा की रहने वाली हूँ। यह कि प्रार्थी की बच्ची
सोनू गुप्ता उर्फ नीलिमा गुप्ता माई कम्प्यूटर कालेज में डी०सी०ए० की पढ़ाई कर रही थी। यह कि
सोनू [illegible] के लिए घर से चली जाती [illegible] के मिलने के लिए कुछ लोग [illegible]
करते थे। यह कि बोदाबाग में ही एक विश्वकर्मा किराये के मकान [illegible] है जो [illegible]
[illegible] का कर्मचारी बताता है। यह कि [illegible] करीबन एक माह पूर्व 28/10/10 के [illegible]
[illegible] घर [illegible] है। [illegible] बच्ची [illegible]
[illegible] तमाम जगहों पर तलाश करती रही लेकिन कहीं पता नहीं चल सका है। यह
कि प्रार्थिया की लड़की को कुछ लोगों के द्वारा [illegible] भगा ले जाया गया है [illegible]
कि [illegible] इन लोगों से [illegible] कि चिन्ता मत करो [illegible]
[illegible] प्रार्थिया [illegible] है। यह कि बोदाबाग में ही [illegible] विश्वकर्मा [illegible]
है। [illegible] मोबाइल नंबर 9993468801 [illegible]
है और कहता है कि आप चिन्ता मत करो सोनू मिल जाएगी। पुलिस में रिपोर्ट मत करो।
यह कि [illegible] विन्ध्य विहार कालोनी पडरा [illegible]
[illegible] जिसका मोबाइल नं. 9200234148 है। यह कि [illegible]
[illegible] विन्ध्य विहार कालोनी पडरा [illegible]
[illegible] थी। यह कि मेरी पुत्री सोनू गुप्ता का अपहरण करने वाले [illegible] विश्वकर्मा
[illegible] विश्वकर्मा, [illegible]
[illegible] निवासी विन्ध्य विहार कालोनी पडरा रीवा है। अतः श्रीमान जी [illegible]
है कि प्रार्थिया के [illegible] है। [illegible] परेशान है। [illegible]
[illegible] मेरी बच्ची को अपहरण किया गया है जिनके द्वारा धमकी दी जाती है कि पुलिस में
रिपोर्ट करने जाओगे तो तुम्हारी लड़की नहीं मिलेगी। अतः निवेदन है कि उचित वैधानिक
कार्यवाही किए जाने की कृपा की जावे SD- श्रीमती कुसुमकली

13. कार्यवाही जो की गई : उपरोक्त विवरण से धारा 363, 366, 34 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया/नहीं लिया गया तथा * - - - - - - - - - - को प्रकरण विवेचना हेतु सौंपा गया या क्षेत्राधिकार के दृष्टिगत थाना - - - स्वयं T.I. - - - - जिला - - - - - - को स्थानांतरित किया गया या द. प्र. सं. की धारा 157 "ब" के अन्तर्गत कार्यवाही की गई।

अभियोगी/सूचनाकर्ता को प्र. सू. पत्र पढ़वाकर/पढ़कर सुनाया गया, जिन्होंने सही-सही अभिलिखित होना स्वीकार किया. इसकी एक प्रति सूचनाकर्ता को निःशुल्क प्रदाय की गयी.

हस्ताक्षर प्रभारी अधिकारी

*(नाम) [illegible] दुबे

*(पद) HC-410

*(नं. यदि है) PS अनन्तपुर

कु सुम कली गुप्ता

अभियोगी/सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा.

प्रति. माननीय न्यायालय श्रीमान CJM रीवा की ओर प्रेषणार्थ - - - की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

बनिशाक्षेपुरी-245 1-1-2010 फार्म 500 पुस्तक.

FIR Hindi Typed Copy

xvi-(a)-212/पुलिस हिंदी   १८०२   प्रतिपण/पृष्ठ क्रमांक

फाम न. १

प्रथम सूचना प्रतिवेदन (धारा १५४ दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Sec. 154 Cr.P.C)

1. *जिला - रीवा *थाना - अनंतपुर *वष - २०१० *प्र. सू. प. क्र. - २२८/०१० *दिनांक १/१२/१०

२. (१). *विधान...................... धाराएं ....

(२) *विधान - ता. हि. धाराएं - ३६३, ३६६, ३४

(३) *विधान..................... धाराएं............................

(४) *अन्य विधान एवं धाराएं..

३. (अ) संदभित रोजनामचा क्र. ....

(ब) *घटना का दिन - शनिवार *दिनांक - २३/१०/०१० *समय - १ बजे दिन

(स) थाने पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक - १/१२/२०१० *समय - १४:००बजे *रो. सा. क्र. - २४

४. सूचना का प्रकार : *लिखित/मौखिक - मौखिक

५. घटना स्थल : (अ) थाने से दिशा व दूरी - ५ कि.मी. दक्षिण

(ब) घटना का स्थल - बांदा बाग वाड क्र. ९ थाना अनंतपुर *वीट न. ....

(स) घटना स्थल अन्य थाना क्षेत्राधिकार म है तो थाना ....जिला ....

६. अभियोगी/सूचनाकता :

(अ) *नाम - श्रीमती कुसुमकली गुप्ता (ब) पति का नाम - भगवानदास गुप्ता

(स) जन्म/दिनांक/वष - ४६ वष (ड) राष्ट्रीयता - भारतीय (द) पासपोट न. ....

जारी दिनांक ....जारी होने का स्थान ....(क) व्यवसाय - गृहकाय

(ख) पता - बांदा बाग, वाड क्र. ९, थाना अनंतपुर

७. ज्ञात/ अज्ञात/ संदेही/ आरोपी का पूरा विवरण

(१) महेश विश्वकमा - बांदा बाग

(२) पूजा विश्वकमा - बांदा बाग

(३) पवन कुशवाहा, निवासी - नेहरु नगर, रीवा

(४) राजा भाई (५) मालती बहन दोनों निवासी विन्धा विहार कॉलोनी पडरा

८. अभियोगी/सूचनाकता द्वारा सूचना देने म विलम्ब का कारण - पता तलाश करते रहने व आरोपियों की द्वारा दी गई धमकी के डर से

९. अपहृत/संबद्ध सम्पत्ति का सम्पूण विवरण (आवश्यकता अनुसार पृथक पृष्ठ का प्रयोग कर) ....

१०. *अपहृत/संबद्ध सम्पत्ति का कुल मूल्य ....

११ * मग/अकाल मृत्यु सूचना क्र. (यदि हो)...

१२. प्रथम सूचना विवरण (आवश्यकता अनुसार पृथक पृष्ठ का प्रयोग कर)

आवेदिका कुसुमकली गुप्ता निवासी बांदा बाग रीवा की साथ अपने लड़का राजीव गुप्ता के साथ उपस्थित आकार एक गुमशुदा आवेदन पत्र स्वयं की हस्ता. वास्ते कायवाही हेतु थाना म प्रस्तुत की जिसके मजबुन से अपराध धारा ३६३, ३६६, ३४ IPC का घटित पाए जाने से पंजीबद्ध कर विवेचन म लिया जाता है | आवेदन पत्र की नक़ल अक्षाश: जैल नाल्मी है | प्रति, श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, थाना अनंतपुर, जिला - रीवा (म.प्र.) विषय : मेरी पुत्री नीलिमा गुप्ता(सोनू) उम्र १७ वष को बहला फुसलाकर अपहरण कर लिए जाने के सम्बन्ध म | महोदय निवेदन है कि प्राथिनी श्रीमती कुसुमकली पति भगवानदास गुप्ता निवासी बांदा बाग, थाना अनंतपुर, रीवा की रहने वाली है | यह कि प्रार्थी की बच्ची सोनू गुप्ता उफ नीलिमा गुप्ता सांई कंप्यूटर कालेज म डी.सी.ए. की पढ़ाई कर रही थी | यह की सोनू कुछ समय के लिए घर से चली जाती थी तथा उससे मिलने के लिए कुछ लोग भी आया जाया करते थे | यह कि बांदा बाग म ही एक विश्वकमा किराए के मकान लेकर रहता है | जो कि अपने आप को एल.आई.सी. का कमचारी बताता है | यह कि आज से करीबन एक माह पूव २३/१०/१० को एक बजे दिन से मेरी बच्ची सोनू घर से लापता है | प्राथिया अपनी बच्ची को सभी रिश्तेदारियों म तथा उसके आने जाने की तमाम जगहों पर तलाश करती रही लेकिन कोई पता नहीं चल सका है | यह की प्राथिया की लड़की को कुछ लोगों के द्वारा गुमराह करके घर से भगा ले जाया गया है | क्योंकि जब भी म उन लोगों से सोनू के बारे म पूछती हूँ तो कहते ह चिंता मत करो मिल जाएगी | प्राथिया का पूरा घर परेशान है | यह कि बांदा बाग म ही महेश विश्वकमा किराए से रहता ह | पवन कुशवाहा नेहरु नगर बताया जिसका मोबाइल नंबर ९९९३४६८१०१ है जो कि घर आता है और कहता है आप चंता मत करो सोनू मिल जाएगी | पुलिस म रिपोट मत करो | यह कि राजा भाई विन्ध्य विहार कॉलोनी पडरा,

रीवा जो कि कुछ दिन पुत्री फोन करता था और घर भी आता था जिसका मोबाइल न. ९२००२३४१४८ है | यह कि एक बहन जो कि अपने को मालती बहन बताती है तथा विन्ध्य विहार कॉलोनी पडरा, रीवा जो राजा भाई के साथ आती थी | यह कि मेरी पुत्री सोनू गुप्ता का अपहरण करने वाले संदेही महेश विश्वकमा तथा उसकी पत्नी पूजा विश्वकमा, पवन कुशवाहा नेहरु नगर रीवा तथा राजा भाई, मालती बहन दोनों निवासी विन्ध्य विहार कॉलोनी पडरा, रीवा है | अत; श्रीमान जी से निवेदन है कि प्राथिका के पति हाट के मरीज ह | मेरा पूरा परिवार परेशान है | उपरोक्त लोगों के द्वारा मेरी बच्ची को अपहरण किया गया है | जिनके द्वारा धमकी दी जाती है कि पुलिस म रिपोट करने जाओगे तो तुम्हारी लड़की नहीं मिलेगी | अत: विनय है कि उचित वैधानिक कायवाही की जाने की कृपा की जाए | Sd/-श्रीमती कुसुमकली |

१३. कायवाही जो की गई : उपरोक्त विवरण से धारा ३६३, ३६६, ३४ IPC का प्रकरण पंजीबद्ध का विवेचना म लिया गया/नहीं लिया गया तथा स्वयं TI को प्रकरण विवेचना हेतु सौंपा गया या क्षेत्राधिकार के दृष्टिगत थाना........... जिला.......... को स्थानातरित किया गया या द.प्र.स. की धरा १५७ 'ब' के अंतगत कायवाही की गई | अभियोगी सूचनाकता को प्रथम सू.प. पढ़वाकर/पढ़कर सुनाया गया, जिन्होंने सही सही अभिलिखित होना स्वीकार किया | इसकी एक प्रतिलिपि अभिकता को नि:शुल्क प्रदान की गई |

Sd/-

हस्ताक्षर प्रभारी अधिकारी

अभियोगी/सूचनाकता के हस्ताक्षर

नाम- रामविलास दुबे

पद- HC 420

न. यदि है -पुलिस स्टेशन अनंतपुर

प्रति, माननीय श्रीमान JMFC, रीवा की ओर सूचनाकता की ओर सूचनाथ अग्रेषित

....

उनिशाक्षेमुरी -२४५-१-१-२०१०-फासे ५०० बुक्स

ITEM NO.44 Court No.10 SECTION IIA

SUPREME COURT OF INDIA 830970
RECORD OF PROCEEDINGS

Petition(s) for Special Leave to Appeal (Crl) No(s).6395/2012

(From the judgement and order dated 12/04/2012 in MCRC No.10923/2011, of The HIGH COURT OF M.P AT JABALPUR)

PAWAN KUMAR KUSHWAHA & ORS. Petitioner(s)

VERSUS

STATE OF M.P.& ORS. Respondent(s)

(With appln(s) for exemption from filing O.T.,stay and office report))

Date: 02/11/2012 This Petition was called on for hearing today.

CORAM :
HON'BLE MR. JUSTICE T.S. THAKUR
HON'BLE MR. JUSTICE FAKKIR MOHAMED IBRAHIM KALIFULLA

For Petitioner(s) Mr. Shailendra Bhardwaj,Adv
Ms. Aroma S.Bhardwaj, Adv.

For Respondent(s) Ms. Vibha Datta Makhija,Adv

For RR Nos. 3,4 Mr. Vikas Upadhayay, Adv.
Mr. K.K.Shukla, Adv.

Certified to be true copy
Assistant Registrar
12.12.12
Supreme Court of India

UPON hearing counsel the Court made the following
ORDER

Leave granted.

The appeal is allowed and disposed of in terms of the signed order.

sd/-
(Shashi Sareen)
Court Master

sd/-
(Madhu Sudan)
Court Master

(Signed order is placed on the file)

830971

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CRIMINAL APPELLATE JURISDICTION

CRIMINAL APPEAL No. 1829 OF 2012
(Arising out of SLP(Crl.) No. 6395 of 2012)

PAWAN KUMAR KUSHWAHA & ORS. ... Appellant(s)

Versus

STATE OF M.P. & ORS. ... Respondent(s)

Certified to be true copy
Assistant Registrar (Judl.)
12-12-12
Supreme Court of India

ORDER

Leave granted.

This appeal arises out of an order passed by the High Court of Madhya Pradesh at Jabalpur whereby Miscellaneous Criminal Case No. 10923 of 2011 filed by the appellants under Section 482, Cr.P.C. has been dismissed thereby refusing to quash the proceedings pending against the appellants in MJC No. 1 of 2011 pending before the JMFC, Rewa.

On the basis of the report lodged by the mother, Kusumkali Gupta w/o Shri Bhagwan Das Gupta and mother of Ms. Neelima Gupta a case under sections 363 and 366 read with Section 34, I.P.C. was registered at police Station, Anandpur, District, Rewa. Investigation conducted into the allegations made by the complainant culminated in the Investigating officer filing a closure report before the

Judicial Magistrate, Ist Class at Rewa stating that no offence was proved to have been committed by the persons named in the report. The complainant however was dissatisfied with the said report and appears to have filed a protest petition before the Magistrate which was allowed by the Magistrate who took cognizance of the offence mentioned above and issued process against the appellants herein.

Aggrieved by the order of the Magistrate, the appellants filed a petition under Section 482, Cr.P.C. before the High Court at Jabalpur. The case of the appellants in the said petition as also before us is that they are totally innocent and that Ms. Neelima Gupta daughter of Smt. Kusumkali Gupta is and was a major on the date she out of her will left her home and family to join the Adhyatmaik Ishwariya Vishvavidyalaya Ashram, Farrukhabad (U.P.). Reliance in support of that contention was placed upon an affidavit filed by Ms. Neelima Gupta before the High Court stating that she had joined the above organisation on her own and without any duress or inducement whatsoever from any quarter. The High Court notwithstanding the statement of Ms. Neelima Gupta declined to interfere with the ongoing proceedings before the Magistrate and dismissed the petition field by the appellants. The High Court all the same held that the search warrants issued by the Magistrate against Ms. Neelima Gupta cannot be sustained and that a notice ought to be ssued to her in the fist instance to appear

before the Magistrate as a witness to get her statement recorded. In case she failed to respond to the notice the Magistrate could pass fresh orders for a search warrant for her production. The present appeal assails the correctness of the above order to the extent the same refused to quash the proceedings notwithstanding the fact that the alleged victim was a major and had made a statement that she had joined the organisation mentioned earlier of her own free will.

When the matter came up before us on 16.08.2012 Ms. Neelima Gupta also appeared in person and submitted that she is a major being around 24 years old and a student/teacher in Adhyatmaik Ishwariya Vishvavidyalaya, Delhi. She further stated that she was living in the Institute without any restraint or coercion from any quarter. We had on that statement summoned respondent nos. 3 and 4 who happen to be the parents of Ms. Neelima Gupta to appear in person. In response to the said direction, the complainant Ms. Kusumkali Gupta has appeared in person who submits that her daughter has been taken away from her by the appellants without her consent and that no information regarding her whereabouts was made available to her till search warrants are issued for her production in the court. Mr. Shailender Bhardwaj who appears for the complainant Mrs. Kusumkali Gupta however argued that while Ms. Neelima Gupta has made a statement which has been separately recorded by us today to the effect that she has joined the organisation on her own

will and that while she wishes to continue with the organisation, this court could pass appropriate orders directing the Ashram to provide visiting rights to the parents and siblings of Ms. Neelima Gupta so that they remain reassured about her safety and security.

Mr. Shailendra Gupta who appears for the appellants as also the Ashram though not a party in these proceedings submits on instructions that the Ashram authorities will at all time facilitate a meeting between Neelima Gupta and her parents/siblings and also keep the parents informed about her whereabouts. It is submitted by learned counsel that while Ms. Neelima Gupta may be in Delhi Ashram for the present, she can be transferred to some other Ashram for services in which event her latest address and whereabouts shall be duly posted to the parents to enable them to meet her, if so advised at the said centre. That submission should in our opinion suffice especially when we have no manner of doubt that Ms. Neelima Gupta is a major and in terms of the statement recorded by us today she has unequivocally stated that she had left home to join the Ashram aforementioned without any duress or inducement from any quarter whatsoever.

In the circumstances set out above, continuance of the prosecution against the appellants who claim to be workers and devotees of the Ashram do not appear to be serving any useful purpose. we are, therefore, inclined to quash the proceedings with appropriate directions.

In the result we allow this appeal set aside the order passed by the High Court and allow the petition filed by the appellants under Section 482, Cr.P.C. and quash the proceedings pending against the appellants before JMC 1st Class, Rewa. We however direct that in keeping with the statement and assurance given to the court on its behalf the Ashram authorities shall keep the parents of Ms. Neelima Gupta informed about the place of her posting in different centres and also facilitate a meeting between the parents/siblings and Neelima Gupta as and when a request to that effect is made to the Ashram.

Ms. Neelima Gupta submits that she will withdraw the case filed by her against her parents which is presently pending in the court at Rohini court. Needful shall be done by her within six weeks from today.

The appeal is allowed and disposed of with the above observations.

Sd/-
.................................J.
(T.S.THAKUR)

Sd/-
.................................J.
(FAKKIR MOHAMED IBRAHIM KALIFULLA)

New Delhi,
November 02,2012

वैसे भी कांपिल्य नगरी ऐसा गंदा गाँव रहा जहाँ के गरीबों को दो वक्त पेट भरने लिए दो रोटी भी नहीं मिलतीं । ऐसे गंदे गाँव में भगवान को तो आना ही पड़े। इन गरीबों के साथ में, इन गरीबों के बीच में अपनी-2 मेहनत और पसीने से कमाकर आपस में बाँटकर दो वक्त खाने की कोशिश करने वाले पांडवों के मुँह के अंदर जाने वाले वे दो निवाले भी क्यों जाने दें ! इस प्रकार षड़यंत्रकारियों की बुद्धि तीव्र गति से चली, भले स्थापना में बुद्धि नहीं चला सके तो विनाश में ही सही ।

The Kampil village itself is a dirty looking village where not even two rotis to mitigate the hunger of the poor are available twice a day. The Supreme God has to come in such a poor and dirty village. Why should there be any scope left for the Pandavas who stay along with and among the poor and strive to get two rotis twice a day earned and distributed among themselves! The conspiratorial minds of the "Opposition Group" sharpened their intellects further in the route of destruction, well, not in the line of establishment of a world free from vices and sorrows.

<u>गरीबों की नगरी‘ कांपिल्य नगरी ’में आध्यात्मिक परिवार पर, सच्चाई के अड्डे पर, काँपते हुए कदम आयकर विभाग के</u>

षड़यंत्रकारियों के लिए आयकर विभाग को प्रभावित करना कोई मुश्किल नहीं था ताकि वे उसी दौरान अर्थात् अप्रैल, 1998 को अपना पंजा आध्यात्मिक विद्यालय तक भी फैला सकें।

It was not at all a difficult task for the conspirators to influence the Income Tax Department so that this department also can extend their hands towards the "AVV”:

आध्यात्मिक विद्यालय पर शिकंजा कसने के प्रयास में विरोधी दल ने आयकर विभाग के आला अधिकारियों को प्रभावित कर उसी पखवाड़े में अर्थात् अप्रैल, 98 को आध्यात्मिक विद्यालय की तलाशी और ज़ब्ती करवाई। ऐसी परिस्थिति में जबकि हमारे मुख्य भ्राता और मुख्य बहन के पास वकील नियुक्त करने के लिए पैसे भी नहीं रहते थे, उस समय फर्रुखाबाद के आयकर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों की साँठ-गाँठ से और विरोधी दल के पालन-पोषण में भ्राता वीरेंद्र देव दीक्षित के नाम पर 5 करोड़ 12 लाख रुपये तथा कमला देवी दीक्षित के नाम पर 1 करोड़ 12 लाख रुपये की आय का आसानी से आकलन कर दिया, जिससे 5 करोड़ 10 लाख रुपये के कर की मिली-जुली माँग पैदा हो गई।

In their attempts to tighten their hold and fold as to the eradication of the "AVV", the conspirtors could influence the Income Tax authorities resulting in a search and seizure in the in the same fortnight of the April, 98. In the circumstances where there was no money of their own to appoint a lawyer with the prominent Spiritual Brother

and spiritual sister on their behalf, the Dy. Commissioner of the department sitting at Farrukhabad, in hands with their related authorities and under the malicious dictats of the "Opposition Group", has estimated an income of 5.12 crores in the name of Spiritual Brother Virendra Deo Dixit and 1.12 crores in the name of spiritual sister Kamla Devi Dixit and slapped a tax of 5.10 crores on them.

जो भी आकलन आदेश को देखेगा, वह यह कहे बिना चुप नहीं रह सकता कि यह आदेश पूर्णत: भेदभावपूर्ण व अवैध है। सबसे विचित्र और दर्दनाक बात यह रही कि आयकर विभाग के डेप्युटि कमिश्नर विरोधी दल के आर्थिक प्रभाव में आकर भ्राता वीरेंद्र देव दीक्षित को और ईश्वरीय परिवार को पूरे तरीके से मिटाने के लिए इतने उतावले रहे कि सारी माताओं के अपने 2-पैसे जो कि उनके अपने 2-बैंक खातों अथवा प्राइवेट कंपनियों में रखे हुए थे, उन सारे खातों पर लम्बे समय तक रोक लगाए रखे थे ताकि वे अपने बैंक खातों से पैसे निकाल न सकें।

Whoever that sees the assessment, cannot keep quiet without commenting that the entire order is prejudiced and illegal. The most painful shock is that the Dy. Commissioner, under the financial influence of the "Opposition Group" was so anxious to extend his powers to eradicate the entire "AVV family" along with Spiritual Brother Virendra Deo Dixit , that he did not step back to block the entire funds of individual mothers and sisters held with banks and private companies for quite a long time. In result they were deprived of withdrawing their own funds for their needs.

उनके सारे कागज़ात, विद्यालय के मुखियाओं के कहकर ज़प्त कर लिए। जब तक आयकर विभाग ने पूरे तरीके से अपनी हार न मानी, तब तक आयकर विभाग ने सभी माताओं द्वारा अपने सारे पैसों का हिसाब अपने 2-आयकर रिटर्न में स्पष्ट करने के बावजूद भी उनके खातों पर 13 साल के लिए प्रतिबन्ध लगाए रखा था, भले वे सब भूखे मरें या उनकी सारी ज़रूरतें मिट्टी में मिल जाएँ।

All their documents are seized by the department on the pretext that the same belong to the main spiritual brother and the main spiritual sister. Despite the fact that all the mothers and sisters submitted their respective income tax returns with their balance sheets declaring their investments, the accounts were kept blocked and the documents seized, let them die of hunger or let their needs remain unfulfilled; for a period of 13 long years till such time the department did not accept their defeat.

स्वयं गाजियाबाद के आयुक्त (अपील) भी अपने आदेश में यह टिप्पणी करने से नहीं चूके कि *"यह सच्चाई जो कि ये फॉलोअर्स अपनी 2-आयकर रिटर्न्स फाइल कर चुके थे और अपनी 2-पूँजी-निवेश का विवरण उनके बैलेन्स शीट्स में दे भी चुके थे; यह बात फर्रुखाबाद के उप आयुक्त को पहले ही सोचनी चाहिए कि*

पहले ये इन सभी लोगों की जाँच करें और तब कहें कि सारे पूँजी-निवेश अपीलकर्ता (मुख्य भ्राता और मुख्य बहन)के हैं; परन्तु उन्होंने ऐसा कोई एक्शन लिया ही नहीं ।"

Instead continuing what we wish to say further, we put it in the words of the Income Tax Commissioner (Appelas), Ghlaziabad in his judgment dated 28th February, 2002 while cancelling a Tax of roughly 3 crores.

IN THE OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX(APPEALS) GHAZIABAD.

Date of order: 28.02.2002

Appeal Number: 23/2000-01/GZB-FBD

Instituted on 22.5.2000 from the order of the Dy.Commissioner of Income Tax, Circle-1, Farrukhabad (Shri Jayant Mishra)

1. Name and address of the appellant: Shri Virendra Dev Dixit

C/o.Adhyatmic Ishwariya Vishva Vidyalaya. Kampil.

"None of the depositor was ever confronted by the A.O. before coming to this conclusion that the appellant was the owner of the amount deposited by the followers with GFIL. No efforts have been made by the Assessing Officer to cross verify from the holders of the deposits with GFIL as to whether or not the deposits actually belonged to them.

The very fact that these followers have filed their returns and shown these investments in their Balance Sheets should have provoked the learned Assessing Officer to examine these persons, before holding that the appellant was the owner and had disposition power over the deposit made by the followers of the appellant with the GFIL. In view of this, the followers are the owners of the deposits made by

them with GFIL and the appellant was only a joint second holder whose name was included as a mark of respect/reverence. Since the investment by the persons are in their own name wherein the appellants name does not appear at all, these could not treated as the undisclosed income of the appellant.

I have gone through the assessment records and it appears that the appellant was prevented from effectively pleading his case before the Learned Assessing Officer at the time of assessment proceedings because of paucity of time."

गाजियाबाद के आयुक्त (अपील) ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि अपीलकर्ता को अपने मुकदमे को प्रभावी ढंग से पैरवी करने से रोका जाए। माननीय आयकर आयुक्त (अपील) , गाज़ियाबाद ने इस मामले में 3 करोड़ तक राहत देते हुए यह कहा कि फर्रुखाबाद के आयकर उप आयुक्त का निर्देश गलत है।

उनकी जजमेंट ही इस बात का सबूत है कि उपायुक्त आयकर, फर्रुखाबाद द्वारा किया गया आकलन भेदभावपूर्ण है।

The above judgment giving a relief to the extent of Rs.3 Crores stands a clear proof that the Spiritual Brother Virendra Deo Dixit and Kamla Devi Dixit were prevented by the Dy. Commissioner from effectively pleading their case. His order though not specifically; silently speaks about the prejudiced and biased nature of the judgment of the Assessing Officer, i.e., the then Dy. Commissioner of Income Tax, Farrukhabad.

विरोधी दल द्वारा संचालित इस पूरी प्रणाली में उनके नाम ही गुप्त रह गए ; क्योंकि आयकर की नियमावली ऐसे व्यक्तियों के नामों को उजागर करने के विरुद्ध है।

The names of the conspirators were left secret; as the rules and regulations of the Income Tax Department speak as such. Still, the sequence of the conspired attacks during the same fortnight speaks their names clearly without speaking.

फिर भी खोया हुआ टैक्स अनेक पेनाल्टियों सहित वसूल करने के लिए 13 साल तक आयकर वाले विद्यालय के मुखियाओं को तंग करते रहे। ईश्वरीय परिवार के सदस्यों के अपने हाथों से बनाए हुए घरों की नीलामी की धमकी और बार 2-विद्यालय के मुखियाओं को अरेस्ट करने की धमकी देते हुए, साढ़े पाँच करोड़ का टैक्स, पेनाल्टी और ब्याज सहित लगभग 20-25 करोड़ रुपये तक बनता है, वे सारी रकम जमा करने के लिए प्रेशर देते ही रहे। लेकिन आखरीन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सन् 2010 में अपना अंतिम निर्णय देते हुए फर्रुखाबाद आयकर उपायुक्त द्वारा किए गए कर के आकलन को खारिज़ करते हुए उन धमकियों को बंद करवा दिया और आयकर विभाग के भ्रष्ट अधिकारी व विरोधी दल को करारा जवाब मिल गया।

13 साल पूरे हुए, कोर्ट-कचहरी में आयकर विभाग वालों के लाखों रूपये लगे, अंत में विद्यालय के मुखियाओं से ज़ीरो टैक्स वसूल करने का हाई कोर्ट में आदेश हो गया। **सर पटक-2, पग झटक-2** यह कर-वसूली की बात भी 13 साल बाद पूरी हुई । इस केस से संबंधित आयकर विभाग के अंतिम निर्णय के कुछ मुख्य भाग इसके साथ जुड़े हुए हैं|

Still, the Income Tax department continued to harass the prominent brother, sister and the entire "AVV family" for a period of 13 years in their attempt to recover the unstable, concocted and unimaginable figures which lack foundations; with notices amounting to Rs. 5.10 crores; with continued threats of arrests, with auction of the self-made properties of the "AVV" members; and with what not the powers they do have in their hands. Their total demand could have exceeded an unimaginable 20-25 crores with addition of interest and penalties for the entire period of 13 years; had the department could succeed. The harassment continued till 2011 when the department had incurred huge expenditures in attending the courts and finally the Honorable High court of Allahabad, by its order made the threats by the department lay in rest. The episode of recovering the unfounded taxes hav come to an end after a period of 13 long years.

यह कहानी है दीये की और तूफान की.......
बार 2-वार कर, अंत में हार कर, तूफ़ान भागा रे मैदान से ।

This is a story of the glowing light and the storm.
The storm has attacked the glowing light of Truth of the "AVV family" repeatedly, repeatedly and at the end, the storm has resorted to a fine ‘U’ turn from the field of Truth.

Some important extracts from the ultimate results of the Income Tax department raid are annexed hereafter and of-course some more episodes also will follow.

अब हम आगे किसी भी षड़यंत्रकारी का या विरोधी दल का नाम लेने के इच्छुक नहीं रहेंगे; क्योंकि जितने आरोप, ग्लानि और गालियों की संख्या आध्यात्मिक विद्यालय के प्रति बढ़ती जा रही है, उससे दुगुनी संख्या आध्यात्मिक विद्यालय में समर्पित होने वाली कन्याओं-माताओं की बढ़ती जा रही है और ईर्ष्या-द्वेष के कारण विरोधियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इस नेपथ्य में हम प्रूफ़ सहित विरोधियों का नाम वगैरह पेश करने के लिए समय व्यर्थ गँवाना नहीं चाहेंगे।

We do not wish to waste our time to spell the names of the conspirators in the episodes ahead for the reason that to the extent the allegations, defamations, threats and the instigated baseless cases are on increase, and to the extent that the number of enemies to the Truth are on increase, the speed and multiplicative tendency of Matas and Kanyas (the mothers and sisters) surrendering their services to the Adhyatmik Vishwa Vidyalaya is gaining momentum based on Knowledge " Bhagawan Uvacha", in other words the Sacrosanct versions of "Supreme God" . In the backdrop, we do not propose to take the names of the conspirators specifically to avoid waste of time.

<u>अब षड़यंत्र के अगले पन्ने पर खड़ी कुमारी सविता कबाडे</u>

अब सविता बहन की बारी है उन षड़यंत्रकारियों को हिम्मतपूर्वक जवाब देने की, जो कि संपूर्ण ईश्वरीय परिवार को समाप्त करने पर तुले हुए थे। हम इस अवसर पर विरोधी दल के एक और घिनौने कदम की भी जानकारी देना चाहते हैं, जिसमें कुमारी कोनिका वर्मन के मामले के समान षड़यंत्र के तरीके अपनाए गए हैं।

<u>Now it is Miss Savita Kabade standing on the next page of Conspiracy:</u>

Now it is the turn of Savita Bahan to give a befitting reply to the conspirators who are confinhed to completely eradicate the existence of the entire "AVV" family. At this juncture, we propose to present another drastic attempt of the conspirators wherein similar tactics of the conspiracy as that in the case of Miss. Konika Varman have been adopted by the conspirators.

जैसा कि इस लिखत के पृष्ठ-1 में समझाया गया है, कुमारी सविता और श्री गिरीश, जो कि श्री नारायण टी कबाडे के वयस्क बच्चे हैं और कर्नाटक के निवासी हैं, ईश्वरीय ज्ञान के रहस्यों के आधार पर इस आध्यात्मिक विद्यालय में आए और कई अन्य व्यक्तियों के साथ ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करना आरंभ किया। कुमारी कोनिका वर्मन के मामले की तरह विरोधी दल वालों ने दो और षड़यंत्रकारियों ओमप्रकाश अग्निहोत्री और हुबली निवासी अशोक मिस्किन को नया षड़यंत्र प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया। सविता के पिता नारायण टी कबाडे ने (i) सिटी क्लिनिक, हुबली के दो झूठे जन्म प्रमाण-पत्र और (ii) राशन कार्ड की एक फोटोप्रति पुलिस के सामने प्रस्तुत किए, जिसमें उसकी जन्मतिथि 10.01.81 बताई गई तथा उसे अवयस्क बताया गया है और उन फ़र्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर उन्होंने भ्राता वीरेन्द्र देव दीक्षित के खिलाफ कुमारी सविता को अगुआ करने का एक झूठा मामला दर्ज कर दिया।

As it is explained in the first part of this write up, inspired by the secrets of the spiritual knowledge emerging from Kampil Village, Miss Savita along with her brother Mr. Girish, both being major children of Narayana T. Kabade, of Karnatak came to "AVV", and started acquiring the pearls of advanced Ishwariya Knowledge along with many others. As in the case of Miss. Konika Varman, the "Opposition Group" could influence two more people Mr. Om Prakash Agnihotri of Kampil and Ashok Miskin of Hubli, Karnatak State, to initiate a fresh conspiracy. Savita's father Narayan T. Kabade hs filed a complaint that his daughter Savita was kidnapped by our Spiritual Brother Baba Virendra Dev Dixit by creating two false birth certificates of (i) City Clinic, Hubli & (ii) a Photostat copy of ration card showing that her date of birth as 10.01.81 and as such she is a minor.

नारायण टी कबाडे से उनके बयान में यह कहलवाया गया था कि जब दिनांक 25.11.98 को अपनी बेटी की खोज करने के लिए उन्होंने आध्यात्मिक विद्यालय वासियों से संपर्क किया तो आध्यात्मिक विद्यालय के गुण्डों ने उन पर हमला किया। विवेचक द्वारा कुमारी सविता की आयु तथा उसकी पवित्रता के सम्बन्ध में चिकित्सीय जाँच कराने के आदेश देने पर पुलिस वाले कुमारी सविता को ज़बरदस्ती सरकारी अस्पताल, फतेहगढ़ ले गए। कुमारीपन के परीक्षण के विरुद्ध आदेश जारी करने वाली, स्टेटमेंट्स देने वाली, अपना आक्रोश जताने वाली राष्ट्रीय महिला आयोग का अस्तित्व रहा या नहीं रहा, अगर रहा तो कहाँ रहा, ढूँढ़ने पर भी इसका जवाब न मिलने के पश्चात् कुमारी सविता ने खुद मुकाबला करते हुए कहा कि वह एक पवित्र कुमारी है और वह अपनी अंदरुनी चिकित्सीय जाँच नहीं कराना चाहती, किन्तु पुलिस ने उसे कुमारीपन का परीक्षण करवाने की धमकी दी- अन्यथा इसका परिणाम बुरा होगा। इस पर कुमारी सविता द्वारा ज़ोर से चिल्ला-2 कर इन्कार करने पर डॉक्टर को भय लगा, दिल धड़कना बंद हो गया, मिले हुए धन से अन्याय करने की हिमाकत उड़ गई, तो उनका कुमारीपन का परीक्षण रद्द करना पड़ा और हमें अचानक याद आ गई दुर्योधनों-दु:शासनों द्वारा चीरहरण के साथ ही साक्षात् भगवान द्वारा नारियों की लाज बचाई जाने की बात। हाँ, कुमारियों पर सब-कुछ अप्रिय घटित होने के बाद ही तो राष्ट्रीय महिला आयोग अपने आक्रोश को प्रभावित ढंग से जता पाएगी !

Mr. Narayan was trained to give a statement that the rowdies of the Adhyatmik vidyalaya have attacked him when he approached the Adhyatmik vidyalaya inmates in search of his daughter on 25.11.98. As per the enquiry officers verifications under section 161 Cr.P.C. it was suggested that a medical test as to the age as well the virginity be conducted for Kumari Savita. The police accordingly have forcibly taken Miss. Savitha to the Government Hospital, Fatehgarh.

Miss. Savitha affirmed in presence of the Police, that she is a major and stands virgin, but the police have paid a deaf ear and threatened her to get the virginity test conducted, as otherwise she has to face dire consequences.

With doubts in the mind as to how far it is true that the National Commission for Women who passes the orders against virginity test; expresses time to time resentments against such virginity tests; release strong statements in the News Media, actually exists, and if at all it exists, how far it is true that they would come to rescue practically and prove that they simply are not confined to statements and resentments in this connection; and in the absence of a suitable answer to her enthusiasm, Miss. Savita decided to fight it out with her own purity and ability.

It was for the strong protest of Kum. Savitha, backed by the power of purity instilled by the Supreme Father, the doctor had to drop her arrangements for conducting the virginity test being unable to withstand Savita’s strong refutation combined with impregnable courage which resulted in; a change in heartbeat, fear of losing her job as well reputation. She could not justify the funds received by her for the purpose and the police were accordingly informed. It suddenly stuck to our minds the epic; It was the one and only Supreme God Father and none other else coming to the rescue of the woman at the time when Duryodhan and Dussasan were attempting to undress her. Yes, the commission for women, will be able to express their grief and dissent post the untoward incidents against the virgins.

हमने मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में कुमारी सविता की आयु और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक विद्यालय में रहने की उनकी इच्छा के संबंध में एक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया था। हमने कर्नाटक राज्य के लेमिटन गर्ल्स हाई स्कूल द्वारा जारी किया गया स्थानांतरण प्रमाणपत्र (ट्रांसफर सर्टिफिकेट) भी प्रस्तुत किया था, जिसमें कुमारी सविता की जन्मतिथि स्पष्ट रूप से 10.06.1980 बताई गई है। न तो उक्त साक्ष्य और न ही कुमारी सविता एवं श्री गिरीश के मौखिक साक्ष्य को संज्ञान में लिया गया।

We produced in the magistrate court; an affidavit on hand executed by Kum. Savitha as to her age as well her wish to stay at this Ashram for acquiring spiritual knowledge. A Transfer Certificate issued by Lamiton Girl’s High School of Karnataka State was also produced by us wherein the date of birth of Kum. Savitha was clearly stated as 10.06.1980. Neither the evidences produced, nor the oral evidence of Kum. Savitha and hker brother Mr. Girish were taken into cognizance by the said court.

तथापि, उसे इटावा के नारी निकेतन में उसकी इच्छा के विरुद्ध अवैध रीति से रोक कर रखा गया । अतः सविता जो कि मूल एवं सृजित, दोनों प्रकार के प्रमाणपत्रों के अनुसार वयस्क सिद्ध होती है; उसका व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जिसकी भारतीय संविधान में गारंटी दी गई है, उसका हनन किया गया / उससे उसको वंचित कर दिया गया।

यह नारी निकेतन भेजने का निर्णय पूर्ण रूप से मैजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र के बाहर और गैर-कानूनी था। कोई मैजिस्ट्रेट भी सभी अवयस्कों का कानूनी संरक्षक या उचित रूप से नियुक्त संरक्षक नहीं होता है।

In result, she was illegally held in the Nari Niketan for no fault of her. Despite the open fact tht she is proved to be a major according to the original birth certificate, as well the created one, she was betrayed and deprived with the right of freedom accorded by the Indian constitution.

The direction of the Magistrate that she shall be detained at Nari Niketan is absolutely without Jurisdiction and illegal. Even the Magistrate, even though he thinks that the girl is a minor; of-course it is not so in this case, the fact is that he cannot be a material Guardian or a duly appointed Guardian of all Minors.

अब माननीय सत्र न्यायाधीश, फर्रुखाबाद का आदेश जो मार्च, 99 में पारित हुआ, उनके ही शब्दों में स्पष्ट करना उचित रहेगा।

"क्रिमिनल रिविजन नं. 13/99 कुछ अंश तक अनुज्ञात किया जाता है और जजमेंट का आखरी पैरा इस प्रकार बदली किया जाता है कि निगरानीकर्ता रिविजन लिस्ट (कुमारी सविता) कंपिल स्थित बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम या उनकी अन्य कोई शाखाओं के अलावा कहीं भी जा सकती है। यह आदेश आश्रम के गतिविधियों की जाँच पूरी होने तक अमल में रहेगा।

11 मार्च, 1999 ***सेशन्स जज,***
फर्रुखाबाद"

Now we prefer to place some extracts from the judgment of Honorable Sessions Judge, Farrukhabad.

"On an observation of the criminal revision petition No. 13/99, certain parts of the judgment are verified and the order gets changed to the extent that the revisionist (Kum. Savita) can opt to go to any other place except the Kampil Ashram or any other branches maintained by Baba Virendra Deo Dixit. This order will be applicable until the enquiry of the situations in the ashram is completed fully. "

11 March, 1999 Sessions Judge , Farrukhabad.

माननीय सत्र न्यायाधीश, फर्रुखाबाद की दृष्टि में यह रोक लगाने का कारण यह था कि भ्राता वीरेन्द्र देव दीक्षित के खिलाफ कई मुकदमे लम्बित थे। भ्राता जी की सत्यता साबित होकर सारे बलात्कारों वाले आरोपों से उन्हें दोषमुक्त करार करने तक याने लगभग 13 साल तक भ्राता जी के खिलाफ जाँच प्रक्रिया चलती रही और सत्र न्यायाधीश का आदेश परोक्ष रूप में ही क्यों न हो, निरंतर जारी रहा। वे अधिकारीगण, नेता गण जो कि माइक के सामने महिलाओं की स्वतंत्रता, उनके अधिकार, समानता और कल्याण के लिए बरसाती मेढ़कों की तरह चिल्लाते हैं, जिला स्तर पर न्यायालयों द्वारा लगाई जा रही अनिश्चितकालीन रोक के समक्ष नतमस्तक रह गए। कुमारी सविता के लिए लोकतांत्रिक मौलिक अधिकारों का हनन तो हो ही गया।

The reason for imposing the restriction in view of the learned Sessions Judge, Farrukhabad, as felt by him is that investigation was pending in several cases against spiritual brother Virendra Deo Dixit. The lengthy process of the courts in discharging Spiritual Brother Virendra Deo Dixit, Kamla Devi Dixit and "AVV" family members from the fake allegations of rape cooked in the oven of conspiracies went on for a period of 13 years, when the truth has regained its dignities; even indirectly, the orders of restricting Savita from spending her life at Ashram stood applicable for the entire 13 years period.

The authorities and the leaders who speak in high voices regarding the rights and welfare of women; resembling the shoutings of group of frogs in the rainy season stood; bowed before the restrictions imposed by the district level courts for an indefinite period. Alas! The constitutional rights according to a young girl Savita lost their breath under the red tape.

कुमारी सविता को कई दिनों के बाद अचानक नारी निकेतन, इटावा से मुक्त कर दिया गया। अब वह अपनी इच्छा अनुसार कंपिल आध्यात्मिक विद्यालय, जो एकमात्र सुरक्षित स्थान रहा, वहाँ जाने की स्थिति में रही ही नहीं; क्योंकि कोर्ट के द्वारा वहाँ जाने से रोक लगा दी गई थी। 18 वर्ष की छोटी-सी कन्या को निर्दयता से इटावा की सड़कों पर छोड़ दिया गया। जिसके साथ कोई नहीं, उसके साथ शिवबाबा तो होगा ही। वह उसी परमात्मा की छत्रछाया में भाड़े के गुण्डों से बच निकल कर अन्य किसी सुरक्षित जगह पहुँचने में सफल हो सकी, जहाँ शिवबाबा की छत्रछाया उसका आसरा बनी रही। यद्यपि इस दुनियाँ की कोर्ट ने आध्यात्मिक विद्यालय में जाने से उस पर रोक तो लगा दी; तथापि शिवबाबा की अलौकिक कोर्ट ने उसे सुरक्षित स्थान में पहुँचा ही दिया।

It’s after a long, Miss Savita, a young girl of 18, was released to the roads suddenly and mercilessly from Nari Niketan, Itawa. Now, she stood restricted by the court from going to Kampil "AVV" which was the only safety place that she knew. For those who have none on earth; there is Shiv Baba for them. Savita could however and with much difficulty; protecting herself from the arranged rowdies under the canopy of Shiv Baba reach another safer place provided by Shiv Baba; well, this material world has restricted her from going to Kampil "AVV" ; the eternal court has provided a safe shelter where the canopy of Shiv Baba stood in physical.

अब सविता के पिता नारायण टी कबाडे द्वारा सच्चाई की दिशा में छोड़ा गया अगला तीर जो षड़यंत्र का पर्दाफाश करता है

हम बार-2 इस बात पर बल नहीं देना चाहेंगे कि किस प्रकार हमारे आध्यात्मिक विद्यालय के मुखियाओं का दिन-प्रतिदिन उत्पीड़न किया जा रहा है। नारायण टी कबाडे ने दिनांक 26.9.2002 के अपने नोटरीकृत शपथपत्र में स्पष्ट रूप से बताया कि वे मामले को तत्काल वापस नहीं ले सके; क्योंकि उन्हें डर था कि भ्राता वीरेन्द्र देव दीक्षित यह षड़यंत्र रचने के खिलाफ उन पर मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने भ्राता जी के खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया और इस तथ्य की पुष्टि की कि उनके बच्चों ने कम्पिल गाँव के ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क किया है; किंतु किसी के प्रभाव में आकर नहीं। शपथपत्र में भ्राता जी के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करने के लिए भ्राता जी से माँगी गई माफी मामला साफ कर देती है।

आखरीन दिनांक 23-10-2002 को सेशन्स कोर्ट ने इस केस को खतम करते हुए नारायण टी कबाडे के नोटरीकृत शपथपत्र को स्वीकार किया।

Now the arrow in the route of Truth from Narayana T. Kabade, the father of Savita as well the complainant opens the curtains of conspiracy.

We need not again and again impress upon the readers as to how the Ishwariya family along with our Spiritual Brother and the main spiritual sister were harassed day by day. Savita’s father Narayana T. Kabade, in his notarized Affidavit dated 26-9-2002, has categorically stated that he could not withdraw the case immediately out of fear that Spiritual Brother Virendra Deo Dixit may lodge case against him for having made the conspiracy. He has withdrawn the case against Spiritual Brother Virendra Deo Dixit and confirmed the fact that his children have approached the Ishwariya Viswa Vidyalaya at Kampil Village on their own accord but not under anybody’s influence. The affidavit contains his excuses from Spiritual Brother Virendra Deo Dixit for having lodged a false case. At last on 23rd October 2002, the Sessions Court while closing the chapter of this case, has accepted the notarized

affidavit of Narayana T. Kabade. The important extracts of this judgment is annexed in continuation.

वाक् स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के चश्मे के ऊपर काला रंग लगाकर देखने वाली न्यूज़ मीडिया वालों का अनहोना-अनोखा त्योहार :

अब समय की पुकार इस तरफ़ इशारा दे रही है कि हम आपको यह भी बताएँ कि न्यूज़ मीडिया वालों ने कैसे भ्राता वीरेन्द्र देव दीक्षित के और आध्यात्मिक परिवार के ऊपर हो रहे हमलों के नेपथ्य में मिर्च-मसाला लगाकर रंगीन स्टोरी बनाते हुए अपने-2 अखबारों का सर्क्युलेशन (TRP) बढ़ाने का त्योहार मनाया, वह भी भारतीय संविधान के नियमों के तहत दिए हुए वाक् स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की धज्जियाँ उड़ाते हुए।

तारीख	न्यूज़ मीडिया	विभिन्न अखबारों की न्यूज़ हेडलाइंस
13-04-98	सहारा समाचार	कम्पिल आध्यात्मिक केंद्र पर पुलिस का शिकंजा कसा
14-04-98	स्वतंत्र भारत	बचने के तौर-तरीके ढूंढ रहे हैं बाबा
14-04-98	अमर उजाला	आश्रम नहीं, लड़कियों के लिए यातना घर है
18-04-98	सहारा समाचार	शांता बहन व रोबिन दास गिरफ़्तार
22-04-98	भीम लहर	बलात्कारी बीरेंद्र दीक्षित जेल के सींकचों में बंद होने पर जनता में खुशी की लहर दौड़ गई।
22-04-98	भीम लहर	बाबा की अनुयायी आश्रम छोड़कर भाग गए।
18-04-98	सहारा समाचार	स्वयंभू भगवान वीरेंद्र पर दुष्कर्म के दो मुकदमे और
19-04-98	सहारा समाचार	वीरेंद्र देव दीक्षित ने जेल का भोजन लेने से इन्कार किया

20-04-98	आज	ढोंगी बाबा की वकालत करने वाले लोग समाज द्रोही हैं
19-04-98	सहारा समाचार	व्यभिचारी बाबा के आश्रम से 80 लड़कियाँ बरामद
17-04-98	अमर उजाला	ईश्वरीय विश्वविद्यालय चलाने वाला बाबा वीरेंद्र देव गिरफ़्तार।
27-04-98	सामना	बिजली चोर बाबा अब बलात्कारी भी निकला
27-04-98	अमर उजाला	दो और ब्रह्माकुमारियों का बाबा पर यौनाचार का आरोप
23-04-98	सहारा समाचार	'कम्पिल' की ब्रह्माकुमारियाँ ऊहापोह की स्थिति में
05-05-98	दैनिक जागरण	वीरेंद्र देव का समर्थन करना निंदनीय
12-05-98	अमर उजाला	...तो अब जेल का भंडारा संभालेंगे 'बाबा'
11-04-98	दैनिक जागरण	कंपिल के आध्यात्मिक आश्रम की गतिविधियों पर पुलिस की कड़ी निगाह
14-04-98	सहारा समाचार	ख़ुफ़िया विभाग व पुलिस ने कंपिल आश्रम पर छापा मारा ; बाबा वीरेंद्र दीक्षित के नाम लाखों के बैंक खाते मिले
27-05-98	राष्ट्रीय सहारा	स्वयंभू भगवान को अदालत में पेश किया गया
04-05-98	राष्ट्रीय सहारा	स्वयंभू भगवान जेल के खेतों में निराई कर रहे हैं
14-05-98	आज	अदालत ने जेल में बाबा से श्रम न लेने का आदेश दिया

09-05-98	दैनिक जागरण	दुष्कर्म के मामले में आध्यात्मिक केंद्र के संचालक की ज़मानत अस्वीकृत
14-05-98	राष्ट्रीय सहारा	स्वयं भू भगवान वीरेंद्र 26 मई तक पुलिस अभिरक्षा में भेजे गए
25-10-98	राष्ट्रीय हिंदी दैनिक सहारा	लंपट बाबा देश विरोधी कार्यों में लिप्त
17-10-98	राष्ट्रीय हिंदी दैनिक सहारा	कंपिल का ब्रह्मा कुमारी आश्रम पुन: रातें रंगीन हो गईं
01-06-98	समकालीन चौथी दुनीया पत्रिका	आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यौनाचार का पर्दाफाश
24-04-98	राष्ट्रीय सहारा	कंपिल आश्रम के विरुद्ध आयकर विभाग ने जाँच शुरू की
19-04-02	अमर उजाला	आयकर न देने पर वीरेंद्र देव का कंपिल आश्रम कुर्क
26-04-98	दैनिक जागरण	संचालक को चंदा देने वालों पर आयकर विभाग ने शिकंजा कसा
22-02-03	अमर उजाला	आयकर के बकाए में बाबा वीरेंद्र देव के दो आश्रम कुर्क
19-04-02	फर्रुखाबाद जागरण	1 करोड़ 85 लाख आयकर की वसूली के लिए बाबा वीरेंद्र देव का आश्रम कुर्क
20-04-00	अमर उजाला	वीरेंद्र देव के भूमिगत होते ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय उजड़ा ; दबे पाँव खिसक रही हैं ब्रह्माकुमारियाँ
27-08-05	फर्रुखाबाद जागरण	मतदाता सूची में वीरेंद्र देव की 54 पत्नियाँ

<u>कुछ अखबारों ने यह भी छापा:</u>

14-05-98	राष्ट्रीय सहारा	आश्रम की युवतियाँ बाबा के वियोग में पागल
17-05-98	दैनिक जागरण	न्यायालय ने बाबा को विद्युत विभाग के खिलाफ मुकदमा दायर करने की अनुमति दी
03-05-98	आज	बाबा को एक साज़िश के तहत बदनाम किया जा रहा है
01-05-98	अमर उजाला	जिला जेल में बाबा अस्वस्थ
06-05-98	सहारा समाचार	वीरेंद्र देव की रिहाई के लिए युवतियों का प्रदर्शन
07-05-98	अमर उजाला	बाबा के पास मर्ज़ी से आते हैं जिज्ञासु : घोष
23-01-99	दैनिक जागरण	रामप्रकाश ने वीरेंद्र देव के पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ मोर्चा खोला
18-08-98	दैनिक जागरण	उच्च न्यायालय के आदेश पर कंपिल आध्यात्मिक केंद्र के संचालक व सहयोगी जेल से रिहा

जिन अखबार वालों ने हमारे भ्राता और आध्यात्मिक परिवार की बदनामी और उत्पीड़न किया, विरोधी दल द्वारा लगाई गई इस आग में धन के प्रभाव में आकर ईंधन डाला था, क्या वे 13 साल के बाद जब हमारे भ्राता वीरेन्द्र देव न्यायालयों द्वारा निर्दोष साबित हुए, तब इन बदनामियों को मिटा सकते हैं ? अगर नहीं मिटा सकते, तो कम-से-कम आगे चलकर, कोई भी न्यूज़-जिसके प्रति भी क्यों न हो-सही जाँच किए बिना न छापें और संविधान के दिए हुए अधिकारों का मान रखें।

The spicy festival of absurdities by the News Media wearing blackened spectacles under the guise and shelter of right to freedom of speech and expression in derision of constitutional rights :

This is now the call of time and tide to throw light as to how the News Media has celebrated the spicy Festival of absurdities by spreading slanderous and derisive news with a ridiculous and mean ambition of increased circulation and TRP, especially in Uttar Pradesh in the backdrop of the conspirative raids and attacks by the goons and police on the reputations of spiritual brother Virendra Deo Dixit and the "AVV" Family resorting to contempt of right to live with peace.

NEWS MEDIA	**DATE**	**NEWS HEADINGS**
DAINIK SAHARA	13.4.98	The clutches of Police on Kampil Adhyatmik Ashram.
SWATANTRA BHARAT	14.4.98	Baba searching the ways to come out safe.
AMAR UJALA	14.4.98	This is not Ashram; this is punishment house for girls.
DAINIK SAHARA	17.4.98	Shanta Bahan and Ravindranath Das arrested.
BHIM LAHAR	22.4.98	The waves of happiness in public on the occasion of Baba’s arrest behind the bars of the jail.
BHIM LAHAR	22.4.98	Baba’s followers escaped leaving the Ashram.
SAHARA SAMACHAR	18.4.98	Two more rape cases on self-proclaimed God Virendra.
SAHARA SAMACHAR	19.4.98	The rapist virendra Dixit refused to have the food of the jail.

AAJ	20.4.98	The people who stand on behalf of the deceiver Baba are antisocial elements.
SAHARA SAMACHAR	19.4.98	80 girls seized from Ashram of debaucher Baba
AMAR UJALA	17.4.98	Arest of Baba Virendra Deo Dixit running Ishwariya Vishwa Vidyalaya
SAMANA	27.4.98	The thief of Electricity Baba found rapist also.
AMAR UJALA	28.4.98	Two more allegations of sexual harassment by Brahma Kumaris against Baba.
SAHARA SAMACHAR	23.4.98	Brahmakumaris of Kampil inconfusion.
DAINIK JAGARAN	5.5.98	It is an offence to support Virendra Dev.
AMAR UJALA	12.5.98	Now Baba will look after the kitchen of the Jail.
DAINIK JAGARAN	11.4.98	Kampil Ashram under strict observation by the Police.
SAHARA SAMACHAR	14.4.98	on Kampil Ashram by C.B.C.I.D and Police. Bank Accounts with lakhs of Rupees of Baba Virendra Deo Dixit Traced.
SAHARA SAMACHAR	26.5.98	The self proclaimed God was presented in the court.
RASHTRIYA SAHARA	4.5.98	The self proclaimed God in weeding in the lands of the jail.
DAINIK JAGARAN	9.5.98	The bail of the in-charge of Adhyatmic Vidyalaya refused.

Some News papers also published:

RASHTRIYA SAHARA	6.5.98	The self proclaimed God Virendra sent to judicial custody till 26th May.
AMAR UJALA	27.5.98	The house of punishment.
RASHTRIYA SAHARA	25.10.98	The debaucher Baba engaged in anti-national deeds.
DAINIK SWATANTRA SAHAY	17.10.98	The nights in Kampil Brahma Kumari Ashram became colorful again.
FOURTH WORLD	1.6.98	Sexual harassment in Adhyatmik Ishwariya Vishwa Vidyalaya un-curtained.
RASHTRIYA SAHARA	24.4.98	Investigation stared by the Income Tax Department in Kampil Ashram.
AMAR UJALA	19.4.2	Attachment of Kampil Ashram of the Income tax evader Virendra Dev.
DAINIK JAGARAN	26.4.98	Income Tax Department tightened clutches on the persons donating to the Manager.
AMAR UJALA	22.2.3	Attachment of two Ashrams of Baba Virendra Deo Dixit for the dues of Income Tax.
FARRUKHABAD JAGARAN	19.4.2	Attachment of Ashram of Baba Virendra Deo Dixit for recovering Crores of Income Tax.
AMAR UJALA	20.4.0	The eeshvareeya vishva vidhyaalaya unrouted immediately after Virendra Dev goes underground. Brahma Kumaris escaping with silent steps.

FARRUKHABAD JAGARAN	27.8.5	54 wives of Virendra Dev in the voters list.

Will the News media be able to erase the fuel of defamative and derisive news spread over, added to the fire ignited by the conspirators in the hearts of Public the consequential harassments faced by our spiritual brother and the “AVV family" and redress the losses and reputation of the "AVV family" now? If not, atleast in future, take an oath to respect the constitutional rights accorded by the Indian Constitution without blackening and publish only the facts, may be regarding anyone, duly applying reasonable mind as to which is the truth and which is not.

कलकत्ता के आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के सेवाधारी श्री रवीन्द्र नाथ दास को झूठे केस में फँसाकर कलकत्ता पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण व्यवहार का बेबुनियाद और अर्थ रहित प्रकोप

क्या एक मुख्य अभियंता द्वारा अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित करना एक गुनाह है? कलकत्ता पुलिस वालों को अपने-आप रवींद्र नाथ दास के पीछे पड़ने की कोई वजह तो है ही नहीं। तो ज़रूर उनके पीछे कोई धनबल वाले का ही हाथ होगा।

पर्दे के पीछे शरारती तत्वों के अत्याचार उस समय बंगाल में भी नहीं रुके। आध्यात्मिक परिवार को समाप्त करने के एक महत्वपूर्ण अभियान में हमारे भाई रवींद्र नाथ दास को एक और षड़यंत्र के तहत घसीटने का अचानक प्रयास किया गया। जुलाई, 2001 के दौरान कलकत्ता की खादिम शूज़ कम्पनी के मालिक (प्रोप्राइटर) उद्योगपति पार्था राय वर्मन जो ब्रह्माकुमारी आश्रम के भी सदस्य थे, उनके अगुआ होने का लाभ उठाते हुए रवींद्र नाथ दास को उनकी अगुआई के झूठे केस में फँसाया गया। यह बात संदिग्ध ही रही कि श्री वर्मन को सचमुच अगुआ किया गया या नहीं? किंतु इस बहाने रवींद्र नाथ दास को गिरफ्तार किया गया।

The Unfounded Fury of the Calcutta Police on the spiritual brother of the Ashram Ravindranath Das .

Is it a crime for a Chief Engineer to surrender himself for life for the cause of spiritual service? Actually there appears for the Calcutta Police no reason at all to implicate Ravindra Bhai on their own accord into the muds of conspiracies. Definitely there is somebody behind; with overflowing monies allocated for.

The harassments resorted to by evil elements behind the curtains did not confine to Bengal only. As part of the plan of conspiracy in course of eradicating the entire Ishwariya Family, they have pulled down Ravindra Nath Das also in to another case

which has no base at all. Taking advantage of a said to be kidnap of industrialist Mr. Partha Roy Burman Proprietor, Khadim Shoe Co., of Calcutta during July 2001, a false allegation of kidnap on Shri Ravindra Nath Das has been instigated. Evidently, Mr. Partha Roy Burman is a member Brahma Kumari Ashram. It remained doubtful whether Shri Burman had really faced kidnap or not. But under this pretext Shri Das was arrested.

रवीन्द्र नाथ दास मर्चेण्ट नेवी में चीफ इंजीनियर थे, जिन्होंने ईश्वरीय सेवा के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। वे कलकत्ता के आध्यात्मिक विद्यालय सॉल्टलेक कॉलोनी में एक मुख्य सेवाधारी के रूप में ही रहते हैं। बेबुनियाद और झूठे आरोपों के आधार पर कलकत्ता पुलिस ने 200 पुलिस वालों के साथ दिनांक 6.8.01 को मध्यरात्रि के आस-पास कलकत्ता स्थित आध्यात्मिक विद्यालय पर छापा मारा। चूँकि रवीन्द्र नाथ दास कलकत्ते के आध्यात्मिक विद्यालय में मौजूद नहीं थे, कलकत्ता पुलिस ने आध्यात्मिक विद्यालय के 4 निवासियों को गिरफ्तार किया और कुछ दिनों तक कठोर पूछताछ के बाद छोड़ दिया। तत्पश्चात्, उन्होंने कम्पिल और फर्रुखाबाद स्थित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में भी छापा मारा।

Mr. Das was a chief Engineer in merchant Navy who had renounced his job for the sake of Ishwariya Sewa. He remained himself as an ordinary Sewadhari at "AVV" at Saltlake in Calcutta. On the basis of this baseless allegation, the Calcutta Police raided the "AVV" at Saltlake with a huge number of policemen on 6.8.01 at around midnight. As Shri Das was not available there, the Calcutta Police arrested 4 "AVV family" members on service at Saltlake and left them after a few days of hardcore interrogation. Subsequently they raided the "AVV" situated at Kampil & Farrukhabad.

उन पर उक्त उद्योगपति को अगुआ करने और उन्हें छोड़ने से पहले तीन करोड़ रुपये की फिरौती वसूल करने का आरोप लगाया गया। कलकत्ता की पुलिस ने दिनांक 11.08.2001 को रवीन्द्र नाथ दास को गिरफ्तार किया और लगातार तीन महीने तक कलकत्ता की जेल में उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण अमानवीय अत्याचार किए गए। रवीन्द्र नाथ दास के जेब में पुलिस वालों को तीन रुपये भी नहीं मिले थे। हिन्दी समाचार पत्र दैनिक जागरण में दिनांक 20.08.01 को यह समाचार प्रकाशित किया कि अमरीकी एजेन्सी और इन्टरपोल ने दाऊद इब्राहीम के अंडरवर्ल्ड गिरोह के उन सदस्यों की पहचान करने में भारतीय पुलिस की सहायता की है, जो कि फिरौती की माँग के साथ उद्योगपति पार्था राय वर्मन जी को अगुआ करने की उक्त घटना के लिए ज़िम्मेदार थे। इस प्रकार रवीन्द्र नाथ दास-जैसे निर्दोष सेवाधारी को उसकी निर्दोषता के सभी प्रमाणों के बावजूद यातनाएँ दी गईं और उन्हें लगभग तीन महीने बाद यानी 16 नवम्बर, 2001 को जमानत पर छोड़ दिया गया था।

He has been charged with kidnapping the abovenamed industrialist and extracting a ransom of 3 crores before releasing him. They could arrest Shri Das on 11-8-2001 and tortured him in an inhuman procedures in Calcutta Jail for a period of three months. In fact the police could not trace at least Rs.3/- from his pocket. Hindi daily 'Dainik Jagran' on 20.8.01 ultimately published that an American agency and Interpol have helped the Indian Police in identifying the members of the Dawood Ibrahim underworld gang which is responsible for the above abduction against a ransom demand. An innocent Sewadhari like Shri Das was thus tortured despite all the proofs of his innocence and the case still continued while he was released on bail only on 16th Nov, 2001.

रवीन्द्र नाथ दास मधुमेह के रोगी हैं और बढ़ती उम्र के साथ अन्य बीमारियाँ से भी पीड़ित रहते हैं और चार वर्षों तक न्यायालयों और पुलिस वालों के सामने बार-2 उनकी उपस्थिति ज़रूरी पड़ने के कारण उनका उत्पीड़न हो रहा था। यह प्रक्रिया लंबी अवधि तक चलती रही और तब पूरे तरीके से थमी, जब स्पेशल कोर्ट ने दिनांक 20-05-2009 को खादिम शूज़ के मालिक के अपहरण के मामले में दुबई के प्रसिद्ध आतंकवादी आफ़ताब अन्सारी को उनके चार अनुचरों के साथ आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई और रवीन्द्र नाथ दास को दोषमुक्त कर बाइज्ज़त बरी कर दिया। अब उपरोक्त तथ्यों को जानकर कोई भी समझ सकता है कि षड़यंत्रकारियों के हाथ आध्यात्मिक परिवार को समाप्त करने की कोशिशों में कहाँ तक पहुँच सकते हैं। कहाँ दुबई के आतंकवादी और कहाँ भगवान की स्मृति में, सेवा में अपना जीवन व्यतीत करने वाले ईश्वरीय परिवार के सदस्य ! इसके साथ अखबारों में इस संबंध में छपे हुए न्यूज़ जुड़े हुए हैं |

Ravindra Nath Das is highly diabetic with other ailments and he was put to harassment by the police demanding for his presence very frequently in their as well in the presence of courts.

This type of harassment of Ravindra Bhai lasted long and ultimately the verdict by the Special Court inside Alipur Central Jail has awarded life imprisonment to Aftab Ansari, a Dubai based Don and four of his accomplices on the charge of abduction of the proprietor of Khadim Shoes on 20th May, 2009. And finally, Mr. Ravindra Nath Das was relieved of all the allegations with respects.

Now anybody with proper application of mind can easily and fully understand as up to which level the hands of the conspirators can reach in their attempt to extinguish the entire "AVV family". Can anyone even dream that there could be any resemblance or connection of "AVV family" who spend their life in remembrance of Supreme God and compare with the Don of Dubai !

Some news items published by News Media are annexed along with this. The other episodes to continue.

<u>दिल्ली पुलिस ने गुमनाम शिकायतों को अधिक महत्व नहीं दिया :</u>

एक और घटना में शरारती तत्वों ने कानपुर के कुँवर विजय सिंह द्वारा भ्राता वीरेंद्र देव दीक्षित पर अनैतिक संबंध रखने की कपटपूर्ण शिकायत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री तथा किरण बेदी-जैसे अन्य गणमान्य व्यक्तियों को उकसाने के लिए करवाई। इसके परिणामस्वरूप किरण बेदी द्वारा अशोकविहार, दिल्ली के पुलिस थाने के डी.सी.पी. ने विजयविहार, दिल्ली स्थित आध्यात्मिक विद्यालय की सन 2003 में जाँच आरंभ की। तथ्यों के सत्यापन के बाद पुलिस अधिकारियों को भ्राता वीरेन्द्र देव दीक्षित व आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला व कुँवर विजय सिंह द्वारा की गई शिकायत निराधार व झूठी पाई गई।

In another incident, the miscreants instigated one Kuwar Vijay Singh of Kanpur to make another fraudulent complaint of illicit connections on Spiritual Brother Virendra Deo Dixit to mislead the President, Prime Minister, Home Minister and other VIPs like Mrs. Kiran Bedi. As a result, the D.C.P. of Ashok Vihar, Delhi Police Station, started investigation on 8-7-2003 from Vijaya Vihar, Delhi Ashram under the guidance of Mrs. Kiran Bedi. This exercise also proved the complaint to be false after verifying the facts. And the complaint made by Kuwar Vijay Singh proved false.

<u>एक और छलछिद्र कपटपूर्ण सामूहिक हमला :</u>

भ्राता वीरेंद्र देव दीक्षित और कमला देवी दीक्षित के ऊपर बलात्कार करने और सहयोग देने के आरोपों पर एक तरफ़ कोर्ट्स में सुनवाई चलती रही और दूसरी तरफ़ सीता माता जैसी विदुषी माता को इसी संदर्भ में कैद होने का डर दिखाकर, भय पैदा करने की कोशिश करने वाला एक दल अर्थात् कुछ सर उभरने लगे और उन्हें ईश्वरीय परिवार से अलग करने में कामयाब हुए।

<u>The Foxiness of another group attack on "AVV family" :</u>

The hearing of the baseless allegations of rape and assistance for the same are lingering in the courts against the Spiritual brother Virendra Deo Dixit and Spiritual Sister Kamla Devi Dixit respectively on one hand and on the other hand a group of miscreants, in other words some heads could succeed in infusing panic in the mind of the Spiritual Sister by showing the shadows of arrest and consequent police atrocities; separated her from the Ishwariya Family .

जेल से 1998 के भारतीय स्वतंत्रता दिवस व कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अर्थात् 15-08-1998 को छूटे भ्राता वीरेंद्र देव दीक्षित के पीछे, उन्हें मारने के लिए कंस-जैसे आसुरी तत्वों से प्रेरित उनके अकासुर-बकासुर जैसे अनुचर वर्ग पड़े रहे। जिस वजह से भ्राता वीरेंद्र देव दीक्षित को एक तरफ भूमिगत होना ही पड़ा हो और दूसरी तरफ़ भ्राता वीरेंद्र देव दीक्षित की गैरमौजूदगी में कमला देवी दीक्षित को डरा-धमकाकर उन्हें ईश्वरीय परिवार से गायब होने में अर्थात् घूँघट में चले जाने के लिए विवश करने में भी कुछ अन्य विरोधी सफल हो गए। **मुरली महावाक्य ता. 14-10-1972 पृष्ठ-3 के मध्य में आज भी लागू है- "सीता अशोक वाटिका में नहीं, शोक वाटिका में थी। अब भी शोक वाटिका में है ना !"**

कमला देवी दीक्षित और ईश्वरीय परिवार के विरुद्ध जितने वक्त झूठे मुकदमे कोर्ट्स में चलते रहे, उतना ही वक्त गुजरते-2 कन्याओं-माताओं की ईश्वरीय यज्ञ में शामिल होने की भागवत कथा बढ़ती रही। ऐसी परिस्थितियों में कमला देवी दीक्षित तो अंडरग्राउंड हो घूँघट में चली गई।

Soon after Spiritual Brother Virendra Deo Dixit was released on bail on 15th August, 1998, the day of Independence of Bharat which happened simultaneously to be the auspicious day of Krishna Janmastami, the followers like Akasur and Bakasur ordained by the diabolic heads like Kamsa started chasing him and in the circumstances the attempts to harm Spiritual Brother Virendra Deo Dixit made him hide underground. Exploiting the situation, some foxy natured intruders on the other hand could threaten and break off her; spiritual sister Kamla Devi Dixit; differ out from the Ishwariya Family, in other words forced her to hide in veil. The sacrosanct versions of Mruali dated 14-10-72, Page 3 at the middle, stand applicable even today. “Sita was not in Ashok Vatika (Where there is no sorrow), she is in Shok Vatika (Where there is full of sorrow). Even now she is in Shok Vatika. Isn’t’ it!

To the extent the number of fake cases instigated by the satanic rivals to the Truth are on increase to obstruct Kamla Devi Dixit and the spiritual activities of the "AVV family", the story of **Bhagawat, i.e.,** the number of kanyas and Matas joining the sacrifice for Godly Service continued to rise in multiplication. That was the situation when the spiritual sister Kamla Devi Dixit has gone in veil.

अब आध्यात्मिक विद्यालय में ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित होने वाली कन्याओं-माताओं की बढ़ती हुई संख्या को संभाले कौन ? इन सबकी पालना करने की ज़िम्मेवारी अपने कंधों पर उठाने वाली शिव की शक्ति कौन ? अब महाभारत की जननी सत्यवती कौन ?

अब आदि से लेकर अंत तक भागवत की गरिमा रखने वाली और महाभागवत को अंजाम देने वाली, ईर्ष्या-द्वेष से परे रहने वाली अनसूया माता कौन ?

Now who will take the responsibility of looking after the increasing numbered Kanyas and Matas (the sisters and mothers) surrendering themselves for the cause of spiritual service in "AVV" ! Who is that efficient Shakti (Power) of Shiv that can iniate and step ahead to discharge this sensitive responsibility of maintenance of all these ? Who is that Satyavathi (stable on the vow for Truth and Purity), the Mother of Maha Bharat? ! Who is that Virgin Anasuya mata, who is beyond jealousy and spite that can hold the dignities of Bhagavat from the beginning to the end and stand as inspiration and initiation for Mahabhagavat (The great escapade)?

Let us have a look into the foundations of Bhagawat.

<u>भागवत कथा – 1</u>

कुमारी मंजरी (B.Sc.)

धनबल और इन्फ्लुएन्स के आधार पर षडयंत्रकारियों द्वारा सरकारी तंत्र को अपने इशारों पर नचाने के प्रयासों का अंत कब होगा ? यह सवाल है कुमारी मंजरी का :

चूँकि भ्राता वीरेंद्र देव दीक्षित को ऐसे कई झूठे आरोपों का बेअंत सामना करना पड़ा है और अभी भी पड़ रहा है; इसलिए हम भ्राता वीरेंद्र देव दीक्षित और आध्यात्मिक परिवार के सदस्यों के खिलाफ रचे गए एक और षडयंत्र की जानकारी प्रस्तुत करना चाहते हैं।

<u>BHAGAWAT STORY-1</u>

<u>Miss Manjari Jaiswal:</u>

<u>Government Machinery; Dancing to the tunes of powers of money-influence ! Where and when is the end ? An unanswered question before Miss. Manjari Jaiswal :</u>

Since Spiritual Brother Virendra Deo Dixit had already faced a series of false allegations, with the series continuing unending; we prefer to place another foul play drawn against Spiritual Brother Virendra Deo Dixit and our "AVV family".

आदि से लेकर अंत तक ईश्वरीय कार्य में संपूर्ण समर्पित होकर डटे रहने की शक्ति लेकर, अपने मात-पिता और कुछ रिश्तेदारों का आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति विरोधाभास देखते हुए, काशी नगरी से कुमारी मंजरी काम्पिल्य नगरी की ओर भागवत के पहले पन्ने पर अपना नाम रोशन करते हुए भाग निकली। सन 1999 के नवंबर महीने में सारे मोह-माया के बन्धनों को काटते हुए कुमारी मंजरी भ्राता वीरेंद्र देव दीक्षित के प्रति फैले हुए ग्लानि के धुएँ को छेदते हुए आगे बढ़ी।

Assimilating the power of surrendering herself with determination and stability for the cause of spiritual service for lifelong i.e., right from beginning till the end and observing the play off by her father and relatives; Miss Manjari Jaiswal sparked off from Kashi Nagari to Kampilya Nagari to spark her name on the first page and phase of Bhagawat. Dispersing the illusionary physical attachments and simultaneously the smokes of derisions and denigrations against Spiritual Brother Virendra Deo Dixit , Miss Manjari has left her home during November, 99

माउंट आबू से ब्रह्मा बाबा द्वारा चलाई गई शिव की प्रमाणिक ज्ञान-मुरलियों की व्याख्या से पहले ही कुमारी मंजरी अपनी नानी के साथ ज्ञान में चलते-2 प्रभावित हो चुकी थी। लेकिन आशंका थी कि अपने माता-पिता और रिश्तेदार इस ज्ञान-यज्ञ की आहुति में कोई विघ्न न डालें ! इसलिए कुमारी मंजरी ने फर्रुखाबाद के पुलिस अधीक्षक को 13 जुलाई, 2000 को एक पत्र सौंपा, यह स्पष्ट करते हुए कि वह पवित्रता का पालन करते हुए जीवन बिताने का लक्ष्य लेकर अपनी इच्छा से आध्यात्मिक विद्यालय में रह रही है और यह अनुरोध किया कि अगर भविष्य में अपने कोई लौकिक परिवार जन इस ज्ञान मार्ग में अवरोध उत्पन्न करें तो पुलिस सुरक्षा प्रदान करें।

She has already been influenced by the clarifications and proofs thereof, of the Murlis delivered by Supreme God Father Shiv through the medium of Brahma from Mt. Abu along with her grandmother. However, she has her doubts that her father, mother and other relatives may create hurdles in in her surrendering to the Sacrifice of knowledge. Hence, she, while confirming that she was residing at the Ashram at her own will, has addressed a letter duly expressing her firm intentions to lead a life with determined aim of purity; to the Superintendent of Police for according police protection in case of any untoward interventions and hurdles if any that would be caused by her family members and relatives in future.

कुछ ही दिनों में कुमारी मंजरी की यह आशंका सच्चाई में बदल गई और उनके मामा रमाशंकर जायसवाल द्वारा वाराणसी के सिगरा थाने में भ्राता वीरेन्द्र देव दीक्षित के खिलाफ अपहरण, यौन शोषण व दस्तावेजों की कूट रचना का आरोप लगाकर एफ.आई.आर. दर्ज की गई।

Making her fears true, her uncle Ramashankar Jaiswal has lodged an F.I.R in Sigara Police Station at Varanasi, with allegations of kidnap, sexual harassment and creation of illegal documentation.

लेकिन कुमारी मंजरी अपनी स्वेच्छा से कम्पिल ग्राम स्थित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में रह रही है यह जानकर पुलिस भ्राता वीरेन्द्र देव दीक्षित के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर पाई और उसके तुरंत बाद कुमारी मंजरी की माता गीता जायसवाल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में राज्य व भ्राता वीरेन्द्र देव दीक्षित जी के खिलाफ रिट याचिका (संख्या 4833/2002) दायर की और उस याचिका में यह आरोप लगाया कि कुमारी मंजरी को भ्राता वीरेन्द्र देव दीक्षित जी ने अवैध रीति से कम्पिल ग्राम स्थित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में बंधक बनाकर रखा हुआ है।

Having come to know that Miss Manjari Jaiswal was residing at "AVV" at her own volition, the police could not initiate any action against spiritual brother Virendra Deo Dixit. Geeta Jaiswal, mother of Miss Manjari has filed a habeas corpus petition (No. 4833/2002) in the Allahabad High Court with allegation

against Spiritual Brother Virendra Deo Dixit that he has illegally detained her at Adhyatmik Vishwa Vidyalaya, Kampil.

उक्त याचिका में हाई कोर्ट के आदेश पर पुलिस रक्षा में कुमारी मंजरी स्वयं हाई कोर्ट में हाजिर हुई और उन्होंने अपनी माँ द्वारा लगाए गए इन आरोपों को मिथ्या बताते हुए अपने बालिग़ होने का प्रमाण न्यायालय में पेश किया और निडरता से यह बयान दिया कि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में वह अपनी मर्जी से व राजी-ख़ुशी से रह रही है। जिस पर दिनांक 2.12.2002 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना अंतिम निर्णय देते हुए कहा कि *'' कुमारी मंजरी वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम से आई हुई है । उन्होंने अपनी जन्मतिथि 12-08-1983 बताई, जो कि स्कूल रिकॉर्ड्स में दर्ज है। उन्होंने वीरेंद्र देव दीक्षित जी के आश्रम में जाने की इच्छा प्रकट की । उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें वीरेंद्र देव दीक्षित जी के आश्रम में अवैध रीति से बंधक बनाकर नहीं रखा गया है । इन स्थितियों में, हेबिअस कार्पस पिटिशन डिसमिस हो जाती है । कुमारी मंजरी को पुलिस के सेफ़ कस्टडी में वीरेंद्र देव दीक्षित जी के आश्रम में, जहाँ वह जाना चाहती है, भेजा जाए।''*

In honor of the order of the High Court Miss Manjari has made herself present before the High Court; produced the proof of her age; and stated courageously in her statement on oath before the High Court that she was staying at Adhyatmik Vishwa Vidyalaya at her volition and pleasure and that the allegations made by her mother are totally false.

The Allahabad High Court has in their order dated 02-12-2002 expressed; "Miss Manjari has come from Ashram of Virendra Deo Dixit. She has given her date of birth as 12-08-1983 as recorded in the school records. She has expressed her desire to go back to the Ashram of Virendra Deo Dixit. She has also stated that she has not illegally detained by anyone there.

In view of this, habeas corpus petition is dismissed. The petitioner shall be sent back to the Ashram of Respondent No. 3 , where she likes to go, in safe custody of Police."

उक्त निर्णय के बाद पुलिस ने भ्राता वीरेन्द्र देव दीक्षित जी के खिलाफ दर्ज की गई एफ.आई.आर. को निरस्त कर दिया। लेकिन मंजरी के मामा रमाशंकर जायसवाल और अन्य रिश्तेदार इलाहाबाद हाई कोर्ट की इस जजमेंट को सालों पश्चात् भी हजम नहीं कर पाए और उनके अंदर पराजय की आग सुलगती रही और उक्त न्यायालय के इस निर्णय के बावजूद मामा रमाशंकर जायसवाल न्यायालय की अवमानना करते हुए प्रशासन को आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के खिलाफ झूठी शिकायतें करते रहे और सन् 2013 तक विभिन्न सरकारी अधिकारियों को गुमराह करते हुए कुमारी मंजरी को कैसे-न-कैसे वापिस लाने की नाकाम कोशिशें करते रहे। जिसके परिणामस्वरूप बार-2 कुमारी मंजरी द्वारा अधिकारियों को अपनी स्वेच्छा से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में रहने का प्रमाण देना पड़ा। यह

आज के क़ानून की कैसी विडंबना है कि उक्त न्यायालय के फैसले के बावजूद नारी को धार्मिक स्वतंत्रता पर बार-2 बाधा डालने वाले रमाशंकर जैसे आततायियों को कोई सज़ा नहीं मिलती और सीताओं को बार-2 नाहक ही अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है।

इस केस से संबंधित कोर्ट जजमेंट के कुछ मुख्य भाग इसके साथ जुड़े हुए हैं |

In honor of the order of the High Court, the police has withdrawn the F.I.R. registered against Spiritual Brother Virendra Deo Dixit. However, Manjari’s uncle Ramashankar Jaiswal and other relatives could not digest her resistance supported by Allahabad High Court even lapse of some years and the resultant incinerating fire of humiliation.

Despite and in dishonor of the order of the Allahabad High Court; Uncle Ramashankar Jaiswal continued to make denigratory complaints to the Government authorities till 2013, against Adhyatmik Vishwa Vidyalaya while misleading the respective officials in his efforts to get Miss Manjari Jaiswal back home. And in result, Miss Manjari had to take pains of repeatedly apprising the respective authorities as to her volition in respect of her staying with Adhyatmik Vishwa Vidyalaya. How is this irony in the Indian Law that the people like Ramashankar Jaiswal go on creating hurdles in violation of the Freedom to Religion accorded by the Indian Constitution especially in the matter of Women openly escape from the clutches of law unpunished, despite the clarification of the High Courts of the Country and why only Women like Sita had to stand against the test of fire unwanted and undeserved.

An extract from the judgment of Allahabad High Court is annexed in the next pages.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE [illegible] ALLAHABAD

CIVIL SIDE

ORIGINAL JURISDICTION

DATED: ALLAHABAD THE 2.12.2002

PRESENT

THE HON'BLE K.S. RAKHRA .... JUDGE

MISC. HABEAS CORPUS WRIT PETITION NO. 44833 of 2002.

Order on the petition of Km. Manjari Jaiswal.

Inre

Km. Manjari Jaiswal, aged about [illegible] years, daughter of Sri Dobha Ram Gupta.

At present in the illegal custody of:

Virendra Deo Dixit, Mahanth and Manager, Adhyatmic Ishwariya Vishwavidyalaya, Vill & Post Kampil, District Farrukhabad (UP) through her mother, the natural guardian Smt. Gita Jaiswal, w/o Sri Dobha Ram Gupta, R/o Village Mohania,

Bari Bazar, District Bhabhua (Kaimoor) Bihar.

.... Petitioner

Versus

1. State of U.P.
2. Senior Superintendent of Police, Varanasi.
3. Virendra Deo Dixit, 'Mahanth and Manager' Adhyatmic Ishwariya Vishwavidyalaya, Village & Post Kampil, district Farrukhabad. U.P.

.... Respondents.

BY THE COURT

(Photo copy of the judgement attached)

Sudhanshu
S. Tripathi

2148

SKD

Court No.46

Habeas Corpus Writ Petition No.44833 of 2002
Km. Manjari Jaiswal
Vs.
State of U.P. & others

Hon'ble K.S. Rakhra, J.

Heard learned counsel for the petitioner and the learned A.G.A. Perused the record.

In response to the order passed by this Court, Km. Manjari Jaiswal appeared in the Court. She has been produced by Investigating Officer Sri R.R. Yadav in Case Crime No.C-9 of 2000, P.S. Sigra district Varanasi. She has come from the Ashram of Virendra Dev Dixit-respondent no.3. She has given her date of birth as 12.8.1983 as recorded in the School records. She is educated up to Intermediate. She has expressed her desire to go back to the Ashram of respondent No.3 and has stated that she has not been illegally detained by any one there.

In view of this, the Habeas Corpus Petition is dismissed. The petitioner shall be escorted back to the Ashram of respondent No.3, where she likes to go, in safe custody of police.

December 2, 2002
Hasnain

Sd- K.S. Rakhra J.

Photo copy compared by
S.K. Pandey
30/1/2003

True Copy
Prem Chandra
30/1/2003
Section Officer
Copying ...

गुरुवार . 5 दिसम्बर 2002 दैनिक जागरण

वीरेन्द्र देव के आश्रम से पकड़ी युवती स्वेच्छा से लौटी

फर्रुखाबाद, 4 दिसम्बर : नगर प्रति. । बाबा वीरेन्द्र देव दीक्षित के आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय सिकत्तर बाग से छापा मारकर बरामद की गयी युवती मंजरी जायसवाल को आज बनारस पुलिस वापस आश्रम छोड़ गई। उच्च न्यायालय के आदेश पर मंजरी को पुलिस सुरक्षा में यहाँ लाकर आश्रम प्रभारी के सुपुर्द किया गया।

बनारस पुलिस ने रीता जायसवाल पत्नी डी.आर.गुप्ता द्वारा अपहरण के दर्ज कराए गये मुकदमे में आश्रम में छापा मारकर मंजरी को बरामद किया था। सिगरा थाने की पुलिस द्वारा बरामद की गई मंजरी को उच्च न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ उसने अपने बालिग होने एवं स्वेच्छा से आश्रम में रहने का बयान दिया। बयानों के उपरान्त उसे मर्जी के अनुसार जाने के लिये स्वतंत्र कर दिया गया। मंजरी ने खतरा होने की बात कहकर सुरक्षा मांगी, जिस पर न्यायमूर्ति ने सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई।

भागवत कथा-2

हर्षा कपाड़िया (B.Sc. in Microbiology, D.M.L.T.)

यह सच्चाई की राह में ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की टीचर्स द्वारा मिली हुई धमकियों पर ध्यान न देते हुए आ.ई.वि.वि. परिवार से जुड़ी एक और कन्या हर्षा कपाड़िया के वास्तविक कदम की कथा है।

Bhagawat Story-2

This is the true story of another girl Harsha Kapadia stepping towards the heights of Truth for joining in hand with the "AVV family" overlooking the threats and hurdles created by the teachers of Brahmakumari Ishwariya Vishwa Vidyalaya in her way.

पहले हर्षा बहन ब्रह्माकुमारी विद्यालय में ही शिक्षा ग्रहण कर रही थी। ब्रह्माकुमारियों से सुनी हुई काट-पीट वाली थर्ड क्लास कागज़ की मुरलियों से उन्हें संतुष्टता नहीं मिल पा रही थी। अत: सच्चाई की खोज मन को सताने लगी। आजीवन कन्या रहकर पवित्र जीवन बिताने का लक्ष्य मन में दृढ़ हो रहा था।

Initially, Harsha Bahan used to have spiritual education in Brahmakumari Vidyalaya. She was short of satisfaction with the half knowledge residual third class Printed Paper Muralies; censored, edited, meddled; heard from Brahma Kumaris; Her intellect started to search the missing links of the Truth. Her determination to spend a pure life, lifelong was still strengthened in the search for Truth.

हर्षा बहन ने माइक्रो बायोलॉजी में अपना ग्रेजुएशन सन 2002 में कम्प्लीट किया था। वास्तव में उनके सम्बन्धी जन उन्हें अमेरिका में ही शादी कराकर सेटल कराना चाहते थे। यू.एस. में रहने वाली हर्षा बहन के मामा एक तरफ़ और दूसरी तरफ माता-पिता और भाई उनके ऊपर शादी करने के लिए दबाव डालने लगे।

Harsha Bahan was a graduate in micro biology from U.S.A. in 2002. Her parents and relatives wanted her to get married in U.S.A. itself and settle abroad. Her uncle who is a resident of U.S.A, as well her parents along with her brother started pressurizing her for marriage.

अब वक्त गुज़रते-2, ज्ञान-मुरलियों की व्याख्याओं में दिए गए इशारों के आधार पर जब हर्षा कपाड़िया को सत्यता का बोध हुआ, तब उस एकमात्र सच्चाई की राह पर फर्रुखाबाद की ओर कदम आगे बढ़ाने में हर्षा बहन ने देर नहीं की।

In course of time and study of some indications still appearing in clarified Muralies of knowledge, Miss. Harsha Kapadia could find the rays of realization towards the only one eternal Truth; she did not want to wait and waste precious time; she advanced towards Farrukhabad.

लगभग दो साल यू.एस.ए. में रहने के बाद उनकी दृढ़ इच्छा सफल हुई और उनको सच्चाई की राह मिल गई। एम.एस.सी. की लौकिक पढ़ाई भी अधूरी छोड़ दी और दिसम्बर, 2003 में वह फ़र्रुखाबाद आ.ई.वि.वि. परिवार के साथ जुड़ गई। तब राजकोट की ब्रह्माकुमारियों ने हर्षा कपाड़िया को धमकियाँ देनी शुरू कीं; क्योंकि वह अमेरिका जाने से पहले राजकोट की ब्रह्माकुमारियों से ही शिक्षा ले रही थी। उसके बाद हर्षा बहन के सामने आ पहुँचे उनके माता-पिता और भाई, जो उन्हें आ.ई.वि.वि. परिवार से अलग कराकर शादी कराने के लिए अपने साथ ले जाना चाहते थे।

Her search combined with effort came fruitful and she could see the way towards the Truth after a stay in U.S.A for about a period of two years. She left off her M.Sc in U.S.A. She joined the "AVV family" during December, 2003 at Farrukhabad. The Brahmakumaris of Rajkot, from where she used to attend Murali classes earlier, started threatening her. Her parents and brother reached Farrukhabad and started pressurizing her to take her away from the "AVV family" and get her married.

पुलिस वालों के सामने ही उनके ऊपर बहुत दबाव डाला गया, डराया, धमकाया; परंतु हर्षा बहन उस समय तक उन धमकियों पर ध्यान देने की स्थिति से बहुत दूर निकल चुकी थी। हर्षा बहन ता.14 दिसम्बर, 2003 को आ.ई.वि.वि. परिवार के साथ अपने-आप को ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित कर चुकी थी। अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए और पुलिस वालों से सुरक्षा माँगते हुए हर्षा बहन ने 16 दिसम्बर, 2003 को दिल्ली, विजय विहार पुलिस थाने में प्रार्थना पत्र दिया, जिसे पुलिस वालों ने स्वीकार किया। ईश्वरीय ज्ञान संबंधित अपनी इच्छाएँ पूर्ण की हुई हर्षा बहन अब अपने आगे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आ.ई.वि.वि. परिवार से जुड़ी रही।

They mounted up pressures even in the presence of Police; attempted to infuse fears, threatened; But Harsha Bahan has travelled much far away from the stage of caring any kind of threats and pressures. She surrendered herself for the cause of Godly Service and became part of the "AVV family" on 14th December, 2003. Explaining the situation and requesting for police protection from her parents and relatives, she has addressed a letter to Delhi, Rohini Police Station which was duly received by them in good senses. With the fruitfulness

achieved in respect to her spiritual desires and determinations, Harsha bahan's wishes fructified and from then, she stood advancing along with and as part of the "AVV family" towards further higher goals of spiritual enlightenment.

सन 2011 में जब बाँदा की एक कन्या मीना अपनी स्वेच्छा से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में दाखिल हुई, तब तत्कालीन मंत्री महोदय श्री निजामुद्दीन सिद्धिकी द्वारा पुलिस प्रशासन पर डाले गए दबाव से पुलिस अधिकारियों ने बड़ी भरी फोर्स लेकर अवैध रीति से विद्यालय में तोड़-फोड़ किया व कानूनी नियमों का पालन न करते हुए फर्रुखाबाद सेवाकेन्द्र में रहने वाली कन्याओं-माताओं के मौलिक अधिकारों का हनन किया। इसके पूर्व में घटित पुलिस प्रशासन व असामाजिक तत्वों द्वारा भागवत में शामिल हुई बहनों के ऊपर किए गए बर्बरतापूर्ण अत्याचार व जुल्मों से प्रताड़ित होकर हर्षा बहन ने आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटिशन दाखिल की जिसको हाई कोर्ट ने जनहित याचिका के रूप में स्वीकृत किया, जो आज तक भी लम्बित है।

During 2011, when one girl Meena from Banda, U.P., has joined the Adhyatmik Vishwa Vidyalaya at her own volition, the then honorable minister Shri Nizamuddin Sidhdhiki has pressurized the Police higher-ups and in result the police have intruded inside and used their energies in ransacking the house and beating the sisters and mothers of the "AVV" on spiritual service in an illegal way thereby violating all the legal as well police norms and repressing their right to live peacefully and right to religion as accorded by the Indian Constitution. Prior to this, having suffered intense agonies caused by the cruel, brutal, indecent behavior and harassments to the sisters of "AVV" participating in Bhagawat by the police in hands with anti-social elements, Harsha bahan has filed a writ petition in the High Court of Allahabad which was taken as public interest litigation by the High Court. And the said PIL is pending for adjudication as of now.

<u>भागवत कथा - 3</u>

सविता (M.com.)-सरिता (B.Ed.)

यह एक और साहसिक कार्य है दो कन्याओं का- 29 साल की सविता सिंह और उनकी ही छोटी बहन सरिता सिंह उम्र 25 वर्ष। दोनों बी.एड्. पढ़ी हुई हैं। मुरलियों की ज्ञान की गहराई समझ, दोनों बहनों ने अपने पिता को मनाने की बहुत **लंबे समय तक कोशिश की** । आ.ई.वि.वि. परिवार के साथ रहकर ज्ञान के तंत सीखने-सिखाने की उनकी चाहत को उनके पिता ने ठुकरा ही दिया था । **सारी** कोशिशें फ़ेल होने पर दोनों बहनों को सामने कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था । तो उन्होंने अपना ईश्वरीय सेवाओं के लिए आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में समर्पित होने का निर्णय बताते हुए अपने पिता को एक पत्र लिखा और पत्र को घर में छोड़ अपनी राह कांपिल्य नगरी की तरफ़ दिनांक 27-08-2006 को पकड़ ली।

<u>Bhagawat Story - 3</u>

<u>Savita-Sarita:</u>

This is about another adventure of two kanyas (girls); Miss. Savita Singh aged 29 years and her Miss. Sarita Singh aged 25 years. Both completed B.Ed; Having come to know and grasped the depth of knowledge, both the sisters tried their best to convince their father for quite a long time; their intense wish to be at AVV for learning as well teaching the secrets of knowledge was denied outright by their father. With all their efforts having faced failure, no alternative was left before them; they proceeded towards Kampil on 27th August, 2006; leaving a letter addressed to their father at home indicating their intention.

दोनों बहनों के पिता और उनके चाचा कंपिल स्थित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में आ करके उनके ऊपर **अपने साथ अपने शहर सतना (मध्य प्रदेश) ले जाने के लिए दबाव डालने लगे**। उनकी धमकियों और दबावों पर दोनों कन्याओं ने कुछ ध्यान नहीं दिया।
Their father and his brother, i.e., the uncle of the girls have approached the Adhyatmik Vishwa Vidyalaya at Kampil, and resorted to pressurizing their daughters to follow them to Satna in M.P. Both the sisters adhered to their decision while refuting their threats.

उसी दिन देर रात अर्थात दिनांक 31-08-2006 को पुलिस डी.एस.पी. विपुल कुमार श्रीवास्तव ने एस.एच.ओ. आदित्य प्रकाश यादव और ए.एस.आई. सुभाष चंद्र यादव और कंपिल व कायमगंज थाने के 30-40 पुलिस कॉन्स्टेबल्स को साथ ले करके कंपिल आध्यात्मिक विद्यालय पर छापा मारा । पुलिस

वाले कैसे दरवाज़े तोड़कर अंदर घुसे और कैसे कन्याओं-माताओं एवं भाइयों के साथ मार-पीट की, कैसे उत्पात मचाया- ये सारे विवरण बताते हुए शिखा बहन ने न्यायिक मैजिस्ट्रेट, कायमगंज के सामने केस **फ़ाइल** किया।

The D.S.P Vipulkumar Srivastav along with the SHO of the Kampil Poiice station Aditya Prakash Yadav, the A.S.I Subhash Chandra Yadav, along with a 30-40 constables from Kampil and Kaimganj stations, raided the "AVV" Kampil on the same night, i.e., on 31st August, 2006 at the odd hour in the night. Sikha bahan, one of the sisters of the Kampil "AVV" had filed a complaint before the Judicial Magistrate, Kaimganj describing the havoc created by the Police officials in the "AVV" ; as to how the police had broke opened the Main door of the "AVV"; beaten and tortured the girls, mothers and brothers.

पुलिस ने अपना बचाव करने के लिए उक्त छापे के बाद सविता-सरिता के पिता द्वारा सविता-सरिता को बंधक बनाने की व वीरेन्द्र देव दीक्षित द्वारा जान से मारने की धमकी देने की झूठी एफ.आई.आर. थाने में दर्ज करा दी, जो कि बाद में पुलिस को अन्तिम रिपोर्ट दाखिल कर बंद करनी पड़ी; क्योंकि सविता-सरिता अगर कोर्ट में जाकर बयान देती तो पिता का झूठ पकड़ में तो आना ही था।

To make up and save themselves post the raid, the police have got an false FIR registered in the Kampil Police Station against the residents of "AVV" with charges of captivity and threatening to kill the girls by Virendra Deo Dixit. And the police were left with no other alternative to submit a final report and close it down. Otherwise the false report compiled through their father would have to face light if Savita and Sarita submit a true statement before the court.

यह थी सविता-सरिता की पहली जीत।

This was the first victory for Savita and Sarita.

न्यायिक मैजिस्ट्रेट, कायमगंज के सामने शिखा बहन ने जो कम्प्लेंट-पत्र दाखिल किया था, उसे खारिज करने के कारण पुलिस वाले सेफ़ हो गए। अब केस को सत्र न्यायाधीश, फ़र्रुखाबाद के सामने ले जाना ही पड़ा।

The police had found themselves in a safety position when the complaint of sister Shikha was rejected outright by the Judicial Magistrate, Kaimganj. Now the case had to come before the Sessions Judge, Farrukhabad inevitably.

अब इस लिखत को आगे नहीं बढ़ाएँगे; परंतु दिनांक 10-05-2007 के फ़र्रुखाबाद के सत्र न्यायाधीश की जजमेंट के कुछ मुख्य अंश ज़रूर **नीचे पेश करेंगे**, जिससे सारी बातें खुद-ब-खुद क्लीयर हो जाएँगी। इसमें शिखा बहन की कम्प्लेंट भी दी गई है, जिनमें पुलिस वालों की गैरकानूनी हरकतें भी मौजूद हैं और फ़र्रुखाबाद के सत्र न्यायाधीश का आदेश भी मौजूद है।

At this stage, we do not advance this write up; instead, we prefer to directly mention some observations and order of the District and Sessions court, Farrukhabad, in their order 10th May, 2007, the contents are very much self-explicit of the facts and circumstances. The order is very much clear as to the contents of the complaint lodged by Sikha Bahan as to how the Police has created havoc in the Ashram. Extracts from the order of the Sessions Judge are also appended.

''न्यायालय सत्र न्यायाधीश, फ़र्रुखाबाद।

समक्ष : श्री सर्वेश कुमार पांडेय एच.जे.एस.

फौजदारी निगरानी संख्या : 104/2007

कु. शिखा निगरानीकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य विपक्षी

निर्णय

यह निगरानी, निगरानीकर्ता कु. शिखा ने आदेश दिनांकित 21-03-2007 से उत्पीड़ित होकर प्रस्तुत की है। जिसके द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट, कायमगंज ने धारा 156 (3) प्रार्थना-पत्र ख़ारिज करने के संबंध में पारित किया।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि एक प्रार्थना-पत्र धारा 156 (3) जा.फौ. के अंतर्गत शिखा बहन ने अपर न्यायालय के सम्मुख अंतर्गत धारा 147,148,149,452,323, 427, 342, 504, 506 भा.द.सं. व 29 पुलिस एक्ट के अंतर्गत विपुल कुमार श्रीवास्तव, पुलिस उपाधीक्षक, कायमगंज, फ़र्रुखाबाद, आदित्य प्रकाश यादव थानाध्यक्ष कंपिल फ़र्रुखाबाद, सुभाषचंद्र यादव उपनिरीक्षक कंपिल फ़र्रुखाबाद व 30-40

पुलिस कर्मचारीगण जिनको सामने आने पर पहचान सकते हैं, के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 31-08-2006 को रात करीब 7-8 बजे पुलिस उपाधीक्षक विपुल कुमार श्रीवास्तव अपने अधीनस्थ आदित्य प्रकाश यादव, थानाध्यक्ष कंपिल और उपनिरीक्षक सुभाषचंद्र यादव कम्पिल व 30-40 पुलिस कर्मियों को लेकर आए और दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। कारण पूछने पर उपरोक्त पुलिस कर्मियों तथा साथ आए अन्य पुलिस कर्मियों ने कु. सरिता एवं सविता बहन के बारे में पूछा, जिनकी वार्ता विद्यालय के अंदर लगी सीखचों की खिड़की में से उपरोक्त पुलिस कर्मियों से कराई गई तथा सरिता और सविता ने अपने संलग्न प्रपत्र दिखाए और पुलिस कर्मियों से कहा कि वह बालिग हैं और अपनी मर्ज़ी से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर रही हैं; लेकिन उपरोक्त पुलिस कर्मी इस बात पर आमादा हो गए कि कु. ***सविता*** *एवं सरिता रात में थाने में चलें और वहीं निपटारा होगा । कोई महिला उपरोक्त पुलिस कर्मियों के साथ नहीं थी । प्रार्थिनी व कु. सविता, सरिता एवं आश्रम की अन्य माताओं व बहनों तथा भाइयों ने उपरोक्त पुलिस कर्मियों से कहा- रात बीत जाने दो, सुबह थाने आ जाएँगे ।*

लेकिन थानाध्यक्ष कंपिल आदित्य प्रकाश यादव व सुभाष चंद्र यादव उपनिरीक्षक थाना कंपिल व अन्य पुलिस कर्मी, उपाधीक्षक विपुल कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में नहीं माने तथा आश्रम का गेट ज़बरन तोड़ने लगे। सभी पुलिस कर्मी आश्रम का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस आए । सभी पुलिस कर्मियों ने आश्रम की माताओं, बहनों तथा भाइयों को लात-घूसों व डंडों से मारा। बहनों-माताओं तथा भाइयों को आश्रम में ही बंधक बना लिया। पूरे आश्रम की तलाशी ली।

पृष्ठ-2

भाइयों को आश्रम में ही मुर्गा बनाया तथा उनके साथ अमर्यादित व्यवहार किया । यह कार्यक्रम करीब दो घंटे तक चलता रहा । पुलिस कर्मियों ने यह भी धमकी दी कि आश्रम खाली करके चले जाओ; नहीं तो कंपिल कस्बे में बहनों-भाइयों को दौड़ा-2 कर पीटा जाएगा तथा आश्रम खाली करवाया जाएगा तथा 10 से 30 हज़ार रुपये तक नुकसान हुआ तथा माताएँ व बहनें सामूहिक रूप से बेइज़्ज़त हुईं । यह भी कहा है कि पुलिस द्वारा की गई मार-पीट से बहन प्रमिला, शकुंतला, शैला तथा भाई सुनील एवं भाई सिद्धेश घायल हुए थे, जिनका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया । यह भी कहा है कि बहन कु. सविता एवं सरिता ने दिनांक 02-09-2006 को प्रार्थना-पत्र मय शपथपत्र पंजीकृत डाक से पुलिस अधीक्षक, फ़तेहगढ़ व पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र कानपुर, पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र कानपुर को पंजीकृत डाक से भेजे गए; लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा न्यायालय से वाद दर्ज कर विवेचना करने की प्रार्थना की गई तथा प्रार्थना-पत्र के साथ शपथपत्र व अन्य साक्ष्य तथा चिकित्सीय रिपोर्ट प्रमिला, कु. शैला, शकुंतला, सुनील कुमार व सिद्धेश कुमार की प्रस्तुत की गई तथा फोटो आदि भी पेश किए गए ।

विधान अपर न्यायालय ने उक्त प्रार्थना-पत्र पर सुनवाई करते समय यह पाया कि प्रार्थना-पत्र में प्रकरण संज्ञेय अपराध का कारित होना नहीं प्रतीत होता है और प्रार्थना-पत्र खारिज कर दिया तथा अपर न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि पुलिस का यह कार्य ऐसा था जिसे करने के लिए उक्त पुलिस अधिकारीगण विधि द्वारा आबद्ध थे। इस प्रकार पुलिस द्वारा आश्रम में घुसने का कृत्य आपराधिक अतिचार की श्रेणी में नहीं आएगा बल्कि पुलिस अधिकारी अपने कार्य की प्रकृति के अनुरूप उस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत थे अथवा आबद्ध थे।

उक्त आदेश (21-03-2007) से उत्पीड़ित होकर यह निगरानी इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि अपर न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है, वह विधि सम्मत नहीं है और अपर न्यायालय का आदेश अवैधानिक है। अतः निगरानी स्वीकार की जाए।

मैंने उभयपक्ष के विधान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अध्ययन किया।

मेरे समक्ष निगरानीकर्ता की ओर से निम्नलिखित सिद्धांत पर विश्वास व्यक्त किया गया है।

1983 क्राइम्स पृष्ठ-914 शंभू बी.एस. बनाम टी.एस. कृष्ण स्वामी :-

उपरोक्त वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि जब कोई संपन्न किए गए शिकायती कार्य, जो न्यायिक अधिकारी द्वारा किया गया है और उसके सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन के मध्य नहीं है, वहाँ न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के लिए अभियोजन चलाया जा सकता है। इसके लिए धारा 197 जा.फौ. के अंतर्गत कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

पृष्ठ-3---- सर्वप्रथम उल्लेखनीय है कि जो तथ्य वर्णित किए गए हैं, वे किसी भी पुलिस कर्मचारी द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में किए जाने योग्य नहीं माने जा सकते हैं तथा प्रार्थना-पत्र को पढ़कर एक संज्ञेय अपराध कारित होना प्रतीत होता है तथा अपर न्यायालय ने जो निष्कर्ष निकाला है कि पुलिस अधिकारी द्वारा किया गया कार्य जो कि न्यायानुमत है; विधि सम्मत नहीं है और विधि विरुद्ध है तथा मनमाने ढंग से निकाला गया निष्कर्ष है। धारा 156 (3) प्रार्थना-पत्र के लिए न्यायालय को यह देखना है कि क्या कोई संज्ञेय अपराध कारित हुआ अथवा नहीं और पुलिस द्वारा कोई वाद दर्ज किया गया अथवा नहीं

मेरे विचार में अपर न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधि विरुद्ध है तथा अवैधानिक है। अतः निगरानी स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश :

निगरानी स्वीकार की जाती है । आदेश दिनांकित 21-03-2007 निरस्त किया जाता है । अपर न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह पुनः धारा 156(3) के प्रार्थना-पत्र पर पक्षकारों को सुनकर ऊपर दिए गए निर्देशों के प्रकाश में विधि सम्मत निष्कर्ष निकाले।

पक्षकार दिनांक 17-05-2007 को अपर न्यायालय के सम्मुख उपस्थित हों ।

दिनांकः ***10-05-2007*** *सर्वेश कुमार पांडेय*

सत्र न्यायाधीश, फ़र्रुखाबाद ।

उक्त निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर उद्घोषित किया गया ।

दिनांकः 10-05-2007 सर्वेश कुमार पांडेय

सत्र न्यायाधीश, फ़र्रुखाबाद। ''

In the Court of Sessions Judge, Farrukhabad.

In the presence of Shri Sarvesh Kumar Pandey, H.J.S

Appeal No. 104/2007

Miss Sikha Plaintiff

vs

Uttar Pradesh State Respondent

"Aggrieved by the order of the Jujdicial Magistrate, Kaimganj dated 21-03-07, whereby the petition of the appellant has been rejected under section 165 (3), the appellant Miss. Sikha has approached this court. The facts of the case are as under. "A petition u.s. 156(3) has been filed in the presence of Judicial Magistrate, under sections, 147, 148, 149, 452,323, 427,342, 504, 506 of CRPC and 29 of Police Act in respect of Sri Vipul Kumar Srivasta, D.S.P., along with (i) Aditya Prakash Yadav, SHO, Kampil., (ii) Subhas Chandra Yadav, A.S.I., and 30 to 40 other Police Staff who could be identified when they come in presence.

On the night of 31-08-06 Sri Vipul Kumar Srivasta, S.P., alongwith (i) Aditya Prakash Yadav, SHO, Kampil., (ii) Subhas Chandra Yadav, A.S.I., and 30 to 40

other Police Staff with PAC came to Kampil Ashram at around 7-8 P.M., and asked to open the doors.

On being asked for the reason, the above Police officers and other police staff have enquired about Sarita and Sarita. They were produced for a talk through the grilled windows. Sarita and Savita have shown their papers to them and told them that they are majors and getting the Spiritual knowledge as per their will. But the above mentioned Police Officials got annoyed and asked Sarita and Savita to follow them for Police Station during that night at which place the matters would be disposed. No lady police was present in the above mentioned Police staff. The appellant along with Sarita and Savita, other sisters and brothers have requested the police; let the night go and we shall come to the police station in the morning.

But, Aditya Prakash Yadav, SHO, Kampil., Subhas Chandra Yadav, A.S.I., and other Police Staff under the leadership of Sri Vipul Kumar Srivasta, D.S.P., have not accepted and started breaking the doors forcibly. All the Police staff intruded inside and resorted to beating the sisters, matas and brothers with wrists and lathis. The Police have detained the sisters, matas and brothers in the ashram itself. They searched the entire premises.

Page-2: The brothers were made to crawl on the floor and the police have behaved indecently with them. The process continued for more than two hours. The Police also threatened the inmates to vacate the ashram and get away, otherwise they would be chased and thrashed in the village. The devastation caused by the Police amounted to a loss of 10 to 30 thousands in terms of money in addition and the mothers and sisters were subjected to defamation. It was also said that sisters Pramia, Shakuntala, Shaila and brothers Sunil and Sidhdhesh were injured. A medical examination was conducted for them. It was also said that requests and affidavits were sent to S.P. Fategarh, D.I.G., Kanpur range and I.G., Kanpur by registered post on 02-09-2006. The Police remained inactive. The court is requested to pass necessary orders. Affidavits, other evidences and medical reports of Miss Pramila, Shaila, Shakuntala, Sunil Kumar and Sidhdhesh and the photos etc, along with the request were submitted.

While hearing the petition, the Judicial Magistrate Court, Kaimganj has rejected the petition with an observation that the episode described mentioned in the petition does not appear to be a cognizable offence. The court has further ordered that the act of the Police officials in intruding the Ashram forms part of their duties and responsibilities and does not fall in the category of the crime but the police

officials were duty-bound to act in such a way by virtue of the responsibilities entrusted to them and by virtue of Law of land.

Aggrieved with the above order dated 21-03-2007, this appeal has been filed on the ground that the order of the Kaimganj court is not in accordance with law and stands illegal. So, the appeal may please be accepted. ”

I have heard the arguments of the learned advocates and gone through the documents submitted. The undernoted case has been relied on behalf of the appellants in my presence……1983 Crimes Page 914 Shambhu B.S. Vs T.S. Krishna Swamy: In the above case, the Honorable Supreme Court has approved the theory that Where an investigation has been done in the case of crime and if that does not form part of the Government duties, there the allegations framed against the investigating officer can be prosecuted. No authority is required for this purpose under section 197 supra.

Page-3: Firstly it is to be mentioned that the facts stated herein do not warrant to be done by any Police Staff during the course of discharge of his duties and a study of the petition reveals the existence of a cognizable crime and the conclusion arrived at by the kaimganj court that the act resorted to by the Police official is legal, is not legal and against Law and the conclusion arrived at the whims. The court in respect of the petition under section 156(3) has to see whether any one has committed a cognizable crime or not and any dispute has been raised by the police in this regard or not.

In my opinion, the judgment delivered by the Kaimganj Court is fully against law and illegal and hence the appeal is eligible to be allowed.

ORDER: The appeal is allowed. The order dated 21-03-07 is cancelled. The Kaimganj court is ordered to hear the news media in respect of the petition under section 156(3) and arrive at the conclusion according to law in the light of the above order. The news media is advised to be present before the Kaimganj Court on 17-05-2007.

Dated 10-05-2007 Sarvesh Kumar Pandey, Sessions Judge. Farrukhabad.

The above decision and order has been announced in the open court and signed by me. Dated 10-05-2007 Sarvesh Kumar Pandey, Sessions Judge. Farrukhabad.”

फ़र्रुखाबाद के सत्र न्यायाधीश के आदेशनुसार कन्याओं-माताओं के प्रति अमानवीय और राक्षसी हरकतों का संगीन अपराध किए हुए पुलिस वालों की सफ़ेद और रंगीन रूप में पब्लिश की गई न्यूज़ मीडिया की कुछ हेडलाइंस नीचे दी गई हैं।

तारीख	न्यूज़ मीडिया	विभिन्न अखबारों की न्यूज़ हेडलाइंस
01-09-06	अमर उजाला	लड़कियाँ बरामदगी को आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में छापा-मामला संगीन : फ़र्रुखाबाद के कंपिल में काफ़ी नोक-झोंक के बाद पुलिस दरवाज़ा तोड़ अंदर घुसी
01-09-06	अमर उजाला	लड़कियाँ नहीं मिलीं, पुलिस ने घेर रखी है पूरी इमारत ; आश्रम की शिष्या ने कहा- पिता के साथ नहीं जाना चाहतीं ; पिता के जबरन ले जाने की धमकी पर कहीं भाग गईं
02-09-06	अमर उजाला	पलटवार-शिष्याओं ने कराया मेडिकल ; क्या होगा : पुलिस कार्रवाई को देखने के लिए उमड़ी स्थानीय लोगों की भीड़ -फोटो अमर उजाला ; अफ़सरों पर मुकदमा कराया जाएगा-वकील
02-09-06	अमर उजाला	स्वेच्छा से ज्ञान प्राप्त करने आते हैं-शिखा बेन ; छापा मारकर अव्यवस्था फैला दी-प्रमिला बहन ; ज्ञान में बाधा डाली जा रही-सीमा बेन ; बेटे को प्रताड़ित कर रही पुलिस-राजकुमारी ; आश्रम में गलत काम नहीं होता-विपिन कुमार
02-09-06	अमर उजाला	लोहिया अस्पताल में मेडिकल करातीं ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिष्याएँ और शिष्य। फोटो-अमर उजाला
02-09-06	दैनिक जागरण	आश्रम प्रबंधन ने न्यायालय जाने का ऐलान किया ; मानवाधिकार आयोग में भी मामले को उठाएँगे बाबा के चेले ; पाँच घायलों का मेडिकल

पुलिस वालों को फ़र्रुखाबाद के सत्र न्यायाधीश ने उनकी गलती का एहसास तो करा दिया। अब पुलिस कर्मियों को सज़ा दिलाने की बात जहाँ तक रही, भ्राता वीरेन्द्र देव दीक्षित को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है; बल्कि ड्रामा प्लैन अनुसार स्वभावतः सारे कार्य होते हैं।

Some news headings of the news media published in white and colored in respect of the inhuman, indecent, shameful and destructive acts of the Police on innocent girls and mothers of the "AVV" which were declared as cognizable offense by the Sessions Court, Farrukhabad are appended.

Amar Ujala 01-09-2006

The search and seizure of the girls from Adhyatmik Ishwariya Vishwa Vidyalaya. The matter cognizable. The police broke the doors and intruded into the Ashram after a long squabble.

Amar Ujala 01-09-2006

The girls could not be traced. Police surrounded the entire Ashram. The student of the Ashram said; the girls did not want to go along with their father. They escaped for the threats by their father to take them along with him.

Amar Ujala 02-09-2006

In reciprocation-The students got medical test done. What is going to happen? Huge gathering of local people to observe the actions of Police. Photo-Amar Ujala-Case will be filed against the Officers-Advocate.

Amar Ujala 02-09-2006

The students come to ashram at their own will- Said sister Sikha – The system disturbed by search and seizure-Sister Pramila-The knowledge is being disrupted-Sister Seema. The children are harassed by Police-Rajkumari-No untoward deeds happen in the Ashram-Vipul Kumar.

Amar Ujala 02-09-2006

Photo-The girls and other students of Ishwariya Vishwa Vidyalaya getting medical test done.

Dainik Jagaran 02-09-2006

The management of the Ashram declared to approach the Court. The students of Baba will raise the issue before Human rights commission-Medical test of the five injured.

The Sessions Judge of the Farrukhabad Court has made the police realize their blunders. As far the punishment accordable to the Police is concerned, Spiritual Brother Virendra Deo Dixit need not do anything further. Instead, the law will take its own course in respect of all the future happenings.

अब शिखा बहन की कम्प्लेंट को जिस निचली कोर्ट के मैजिस्ट्रेट ने खारिज किया था, उनको फिर फ़र्रुखाबाद के सत्र न्यायाधीश के आदेश का अनुपालन करना ही पड़ा । तो फिर से केस निचली कोर्ट में माननीय न्यायिक मैजिस्ट्रेट, कायमगंज के सामने पहुँच गया।

Now it has become incumbent for the lower court which has rejected the complaint of sister shikha to honour the order of the Higher Court. In the circumstances the case was reverted to the Judicial Magistrate for necessary action.

माननीय मजिस्ट्रेट साहब ने केस में संज्ञान लेकर अभियुक्त/आरोपी विपुल कुमार श्रीवास्तव, आदित्य प्रकाश यादव व सुभाष चन्द्र यादव को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश जारी किया। लेकिन बार-2 सम्मन भेजने के बावजूद उक्त पुलिस गण सारे हथकंडे अपनाते हुए लम्बे समय तक न्यायालय में हाज़िर नहीं हुए। जिसके परिणामस्वरूप माननीय मजिस्ट्रेट साहब ने सभी अभियुक्त पुलिस कर्मियों के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट (गैर जमानती वारंट) जारी कर उनकी सैलरी को भी अटैच करने का आदेश दिया। लेकिन सभी अभियुक्त पुलिस ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से तथ्यों को छिपाते हुए एक पक्षीय स्टे ऑर्डर ले लिया। उक्त स्टे ऑर्डर को खारिज करने के लिए शिखा बहन व सविता-सरिता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में विरोधी पक्ष के खिलाफ लम्बी लड़ाई लड़ी व सन 2016 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीनों पुलिस कर्मियों के स्टे ऑर्डर को खारिज किया व पुलिस कर्मियों के द्वारा दाखिल की हुई स्टे ऑर्डर की याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 20.05.2016 द्वारा खारिज कर दिया।

The Honorable Magistrate having taken the order in to cognizance has summoned the accused Vipul Kumar Srivastav, Aditya Prakash Yadav and Subhas Chandra Yadav, to be present in the court in his presence. Despite summoning repeatedly by the Magistrate, the police group avoided to appear before the court on different pretexts from time to time. In result, the Magistrate had served non-bailable warrant on the respective police staff and ordered to attach their salaries. However, the said accused police staff could obtain stay order from the Allahabad High Court while hiding the facts. And Shikha bahan has fought it out the case in the

Allahabad High Court for long and the Allahabad High Court has in turn cancelled the stay order against the three accused vide their order dated 20-05-2016.

शिखा बहन, सविता-सरिता व विद्यालय के अन्य भाई-बहनों के बयानों के आधार पर यह हुई सरिता-सविता की दूसरी जीत।

Based on the courageous statements of the spiritual sisters shikha bahan, Savita and Sarita and other sisters and brothers, this stood the second victory for Sarita and Savita.

उसके बाद यह सच्चाई की लड़ाई आज भी सरिता-सविता व शिखा बहन द्वारा जारी है; क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते, भले ही उसके लिए प्राण भी क्यों न चले जाएँ। ‘‘देहं वा पातयामि, कार्यं वा साधयामि’’।

And in subsequence, the war for the rescue of Truth is still on through Sarita-Savita and Shikha Bahan, for the Man of high morale do not leave any task unfinished, well the life be lost! The task will be solved ; let the body lose its life. Some extracts relating to the case are annexed.

इस केस से संबंधित कोर्ट जजमेंट के कुछ मुख्य भाग इसके साथ जुड़े हुए हैं |

पुलिस प्रपत्र सं०

मूल/द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि

[illegible]

मुक संख्या

मु. अ. सं.- 329/06 धारा 343-506 I.P.C. थाना - कायमगंज फर्रुखाबाद

प्रथम सूचना की रिपोर्ट

[illegible] अपराध की प्रथम सूचना

कायमगंज

कायमगंज

फर्रुखाबाद 27-8-06 समय कदम तहरीर

[illegible] संख्या 77/06

[illegible] समय जब रिपोर्ट की गई	घटना स्थान और पुलिस स्टेशन से [illegible]	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन
दि - 31-8-06 समय 21-10 P.M.	[illegible]	शुक्रवार

[illegible] सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान होना चाहिए और इसकी गवाही लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा होनी चाहिए।

सूचना देने वाले वादी [illegible] व निवास	अभियुक्त का नाम व निवास स्थान	धारा सहित अपराध [illegible] यदि कोई हो तो [illegible]	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गई [illegible] दर्ज करने में देरी होने का कारण	मुकदमें का परिणाम
[illegible] मो. नं.- 9300938412 [illegible] 31-8-06 [illegible]	[illegible]	[illegible] 27-8-06 [illegible]	[illegible]	[illegible] 29/9/06

[illegible] सूचना [illegible]

[illegible] हस्ताक्षर [illegible]

CO

क्षेत्राधिकारी कायमगंज
[illegible]

[illegible]

नकल तहरीर हिन्दी वादी [illegible] मय तारीख 31-8-06

सेवा में श्रीमान थाना-इन्चार्ज महोदय थाना-कम्पिल फर्रुखाबाद उ.प्र.

दिनांक 31-8-06 निवेदन है कि प्रार्थी की दो बालिग पुत्रियां जिनमें
कु० [illegible] सिंह एम-काम बी.एड. एवंम इससे [illegible]
एम. बी. एड. [illegible] है। ये दोनों [illegible] कु० सारिका सिंह एम.
[illegible] आश्रम रामेश्वर मन्दिर [illegible] जैन मन्दिर कम्पिल में [illegible]
26-8-06 को घर से [illegible] जैन मन्दिर देखने के लिये कम्पिल
पहुंचना था। उन दोनों के न लौटने पर [illegible] तारीख 29-8-06 तक वापस
[illegible] सिंह [illegible] सिंह [illegible] कम्पिल आया यहाँ के जैन
मन्दिर धर्मशाला [illegible] आश्रम रामेश्वर मन्दिर [illegible]
[illegible] आध्यात्मिक [illegible] विद्यालय कम्पिल पहुँचा
[illegible] अपनी दो बेटियों की मौजूदगी की जानकारी मांगी। उनसे
आग्रह करने पर संचालिकाओं ने खिड़की से बात कराई। [illegible]
मिलने पर दोनों बेटियाँ [illegible] व असहाय स्थिति में होने की जानकारी
[illegible] ने कहा कि हमें यहाँ तारीख 28-8-06 से बन्धक बना
कर आध्यात्मिक पूजा के नाम पर रखा हुआ है हमें [illegible]
[illegible]
[illegible] संचालिकाओं [illegible]
[illegible] के लिये [illegible]
[illegible] मेरी दोनों
पुत्री [illegible] बहादुर सिंह [illegible] E.W.S. 27
[illegible] मो- 230093 [illegible] दिनांक 31-8-06

नोट:- [illegible]

[illegible]
थाना- कम्पिल
[illegible]
दि. 31-8-06

मूल

अंतिम रिपोर्ट

NO

जिला [illegible] प्रथम सूचना संख्या 17/06 तारीख 31-8-06 (वादी की [illegible])

थाना [illegible] अंतिम रिपोर्ट संख्या 13/06 तारीख 18/9/06

1- वादी या सूचना देने वाले का नाम और पता	[illegible]
2- शेष अभियोग का स्वरूप	[illegible] 506 [illegible]
3- कुछ गई सम्पत्ति का विवरण (यदि कोई हो)	
4- अभियुक्त या अभियुक्तों के नाम और पते (यदि कोई हो)	[illegible]
[illegible]	[illegible] 31-8-06 [illegible] 3.30 [illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]
18/9/06

Typed Copy

33

जिला– फर्रूखाबाद	प्रथम सूचना रिपोर्ट 77/06	तारीख 31/08/06
थाना– कम्पिल	अंतिम रिपोर्ट संख्या 13/06	तारीख 18/09/06

1– वादी या सूचना देने वाले का नाम पता	श्री अमरेन्द्र बहादुर सिंह S/o श्री वेंकटस्वर प्रताप सिंह R/o बन्धवगढ़ कालोनी E-W-S 24 सतना मध्य प्रदेश।
2– दोष या अभियोग का स्वरूप	धारा 343/506 आई0पी0सी0 P/S कम्पिल
3– चुरायी गयी सम्पत्ति का विवरण यदि कोई हो	
4– अभियुक्त व्यक्तियों के नाम व पता यदि कोई हो	संचालिकाये
5– यदि गिरफ्तारी की गयी है व गिरफ्तारी का दिनांक	श्रीमान जी निवेदन है कि दिनांक 31/08/06 को
6– मुक्त किये जाने का दिनांक व	समय करीब 21.10 पी0एम0 पर मुकदमा वादी खाता

प्र.प्र.कृ. हर्षा

समय क्या जमानत पर या मुचलका पर छोड़ा। 7— सम्पत्ति हथियारों सहित जो पायी गयी हो किसने वहां पायी तथा किस मजिस्ट्रेट के पास भेजी गयी। 8— संक्षेप में प्रथम सूचना या अभियोग पुलिस कार्यवाही या परिणाम सहित विवरण। 9— अन्य विवरण	नं01 ने थाने पर तहरीरी मुकदमा उपरोक्त कायम कराया। विवेचना मुझ एस0आई0 के सुपुर्द की गयी दौराने विवेचना दो लड़कियों कुमारी सविता व सरिता के द्वारा दिये गये शपथ में लड़की हाईस्कूल की मार्कशीट में अंकित जन्मतिथि व बयनों के आधार पर दो लड़की बालिग है। एक की उम्र 28 व दूसरी 25 साल की है। बालिग है। अपनी मर्जी से शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रजापति ईश्वरी विश्व विद्यालय में अपनी मर्जी से आयी थी किसे का दबाव नहीं है। और न संचालिकाओं ने बंधक बनाया है से संबंधित का होना जुर्म खारिज किया जाता द्वारा FR विवेचना समाप्त की जाती है। रिपोर्ट प्रेषित है।

53

न्यायालय श्रीमान जे०एम० महोदय कायमगंज जनपद फर्रुखाबाद

Case No. 597/09.

कु०शिखा बनाम विपुल कुमार

11/02/2010

पत्रावली आज आदेशार्थ पेश हुयी।

यह प्रार्थना पत्र परिवादिनी ने इस आशय का दिया है कि आध्यत्मिक ईश्वरीय विश्व विद्यालय कस्बा कम्पिल में स्थित है। जहां आध्यत्मिक ज्ञान दिया जाता है। दिनांक 03/08/06 को रात्रि 7–8 बजे पुलिस अधीक्षक श्री विपुल कुमार श्रीवास्तव अपने अधीनस्थ थानाध्यक्ष आदित्य प्रकाश यादव व उपनिरीक्षक सुभाषचन्द्र यादव हथियानों के साथ 30–40 पुलिस कर्मियों को लेकर आये और दरवाजा खोलने को कहा कारण पूछने पर पुलिस कर्मियों ने कुमारी सरिता एवं सविता बहन के बारे में पूछा जिनकी वार्ता अंदर से लगी सीखचों की खिड़की में से पुलिस कर्मियों से करायी गयी। और कहा कि वह वालिग है। तथा अपनी मर्जी से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर रही है। उक्त पुलिस कर्मी इस बात पर आमादा हो गये कि कुमारी सरिता व सविता रात में थाने में चले और वही निपटारा होगा। कोई महिला पुलिस कर्मियों के साथ नहीं थी। प्रार्थिनी व कुमारी सविता सरिता एवं आश्रम की अन्य माताओं व बहनों तथा भाइयों ने पुलिस कर्मियों से कहा रात बीत जाने दो सुबह थाने आ जायेंगे। लेकिन उपरोक्त पुलिस कर्मचारीगण ने माने और आश्रम का गेट जबरन तोड़ने लगे और पुलिस कर्मी अंदर घुस आये और लात घुसों व डण्डों से मारा और आश्रम में ही बंधक बना दिया और सभी को बेइज्जत किया यह कार्यक्रम करीब दो घंटे तक चला और कहा कि तीन दिन थे आश्रम खाली करके चलें जाओ और पुलिस की तोड़ फोड़ से करीब 10,000 सें 30,000 रू० का नुकसान हुआ। उस समय केवल पुलिस कर्मी और आश्रम के निर्दोष बहने मातायें ही आश्रम में मौजूद थी सभी का सामूहिक रूप से उत्पीड़न किया गया। पुलिस द्वारा की गयी मारपीट से बहन प्रमीला शकुंतला, शैला तथा भाई सुनील व भाई सिद्वेश घायल हुये थे। जिनका चिकित्सीय परीक्षण अस्पताल फर्रुखाबाद के आकस्मिक चिकित्साधिकारी द्वारा किया गया था। इस सम्पूर्ण प्रकरण के संबंध में दैनिक समाचार पत्र एवं अमर उजाला समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ। परन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं हुयी। तो प्रार्थिनी ने दिनांक 13/09/06 को राष्ट्रीय महिला आयोग भारत सरकार 4 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली को आवेदन किया। फिर भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुयी तब यह प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

Scanned by CamScanner

(56)

परिवादिनी ने धारा 200 द0प्र0सं0 के अंतर्गत स्वयं को परीक्षित किया है। और धारा 202 द0प्र0सं0 के अंतर्गत पी0डब्लू01 सरिता पी0डब्लू02 शैला पी0डब्लू03 प्रासीला पी0डब्लू04 सविता पी0डब्लू05 शकुंतला, पी0डब्लू06 सुनील कुमार को परीक्षित कराया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादिनी ने विपक्षीगण पर घर में घुसकर लात घुसों व डण्डों से मारपीट कर गाली गलौज करने व तोड़फोड़ करने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। परिवादिनी ने अपने बयान अंतर्गत धारा 200 द0प्र0सं0 में परिवाद पत्र के तथ्यों का समर्थन किया है तथा न्यायालय द्वारा अंतर्गत धारा 202 द0प्र0सं0 में की गयी जांच की कार्यवाही में परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत समई साक्षियों के बयानों से परिवादिनी द्वारा रखे गये केस के तथ्यों को बल मिलता है। परिवादनी द्वारा रखे गये केस एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से विपक्षीगण के विरूद्व प्रथम दृष्टया मामला धारा 323,452,427 504 506 भा0द0सं0 के अंतर्गत बनता हुआ प्रतीत होता है। अतः अभियुक्तगण उक्त धाराओं में तलब किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण विपुल कुमार श्रीवास्तव पुलिस उपाधिक्षक कायमगंज आदित्य प्रकाश यादव थानाध्यक्ष कम्पिल सुभाषचन्द्र यादव उपनिरीक्षक कम्पिल जनपद फर्रूखाबाद को धारा 323,452 427 504 506 भा0दं0सं0 के अंतर्गत विचारण हेतु तलब किया जाता है। अभियुक्तगण बजरिये समन तलब हो। परिवादिनी पैरवी अविलम्ब करें। पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक 12/03/2010 को पेश हो।

Sd-

जे0एम0कायमगंज

प्रतिलिपि कर्ता

<u>12/03/10</u>

पुकार करायी गयी। परिवादिनी गैर हाजिर। अभि0गण गैर हाजिर जरिये समन दिनांक 17/04/10 को तलब हों। पैरवी की जाये।

Sd-

जे0एम0कायमगंज

<u>17/04/10</u>

पुकार करायी गयी। परिवादी के अधिवक्ता द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध वारंट जारी करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। पेश होकर आदेश हुआ कि सुना पत्रावली का अवलोकन किया। अभि0गण पर तामीला शुदा समन संलग्न पत्रावली नहीं अब निरस्त किया जाता कि अभि0गण जरिये समन दिनांक 26/05/10 को तलब हो।

Scanned by CamScanner

Mob : 9415360973

Yogendra Kumar Srivastava

Advocate, High Court

Resi. 220 MIG Preetam Nagar, (near Kohli Dhaba), Allahabad.

Seat No. 179
(in front of Chamber No.39)
High Court, Allahabad.

Criminal Misc Application - No.- 15328 - OF 2016

(DISTRICT- Farrukhabad

Vipul Kumar Srivastava ---------------- Petitioner (s)

// Versus //

State of U.P. and others ---------- Respondent (s)

ORDER DATED- 20-5-2016

COURT FEE
Rs.10
INDIA
TEN RUPEES

COURT FEE
Rs.5
INDIA
FIVE RUPEES

Court No. - 55

Case :- APPLICATION U/S 482 No. - 15328 of 2011

Applicant :- Vipul Kumar Srivastava
Opposite Party :- State Of U.P. And Another
Counsel for Applicant :- Siddhartha Srivastava,Rakesh Kumar Upadhyay
Counsel for Opposite Party :- Govt.Advocate,Yogendra Kr.Srivastava

Hon'ble Karuna Nand Bajpayee,J.

This application under Section 482 Cr.P.C. has been filed seeking the quashing of impugned order dated 29.6.2009 passed by Judicial Magistrate, Kayamganj, Farrukhabad as well as entire proceeding in Case No. 597 of 2009 arising out of Case Crime No. 3006 of 2007, under Sections 147, 148, 149, 452, 323, 427, 342, 504 & 506 IPC Police Station Kampil District Farrukhabad pending in the court of Judicial Magistrate,Kayamganj, Farrukhabad.

List has been revised. Despite repeated calls none has appeared on behalf of the applicant to press this application. Shri Amol Kokane and Shri Y.K. Srivastava, learned counsel for the opposite party no. 2 are present along with learned AGA. This application is of year 2011.

Perusal of the ordersheet reveals that on 18.5.2015, as a last opportunity two weeks and no more time was given to the learned counsel for the applicant for filing rejoinder affidavit and it was specifically observed by the Court that no adjournment shall be granted on the ground of illness slip. Today again an illness slip has been sent by the learned counsel for the applicant.

In the wake of heavy pendency of cases in this Court where dockets are already bursting on their seams there is no justifiable reason to further procrastinate the matter. This Court, therefore, deems it fit to proceed in the matter on the basis of the record and with the assistance of the learned AGA representing the State.

The perusal of the grounds taken in the application on behalf of the applicant indicates that mostly relates to the disputed questions of

fact. The impugned order dated 29.6.2009 reflects judicial application of mind. It appears that the final report was submitted by the police but the Protest Petition was filed on behalf of the applicant in which several allegations about the unfair investigation was made on behalf of the complainant. The Court below after going through the relevant aspects of the matter deemed it fit to treat the Protest Petition as a complaint case and took the cognizance in the matter.

It goes without saying that this is very much within the rights of the Court below to treat the Protest Petition as a complaint case and it has been rightly done so by the Court below. There is no reason to take a different view in the matter. The Court below has also rejected the final report and taken cognizance of the matter under Section 190 (1)(a) of Cr.P.C. If in the opinion of the Court the case diary contained sufficient material, the Court below could have proceeded to summon the accused to face trial but that option has not been exercised obviously for the reason that the investigation itself was believed to be highy flawed. Another option of taking cognizance under Section 190 (1)(a) of Cr.P..C. has been exercised by the Court below. In the considered opinion of this Court, the impugned order cannot be faulted with. There is no illegality or abuse of the Court's process reflected in the impugned proceeding.

Therefore, this application is devoid of merit and the same stands dismissed as such.

Order Date :- 20.5.2016

CPP/-

AUTHENTICATED COPY
23-6-16
SECTION OFFICER
COMPUTERISED COPYING SECTION
HIGH COURT ALLAHABAD

Mob : 9415360973

Yogendra Kumar Srivastava

Advocate, High Court

Resi. 220 MIG Preetam Nagar, (near Kohli Dhaba), Allahabad.

Seat No.179
(In front of Chamber No.39)
High Court, Allahabad

Criminal misc application - No: 21395 - OF 2016

(DISTRICT- Farrukhabad

Aditya Prakash Yadav .... Petitioner (s)

// Versus //

State of U.P. and other .... Respondent (s)

ORDER DATED- 20-5-2016

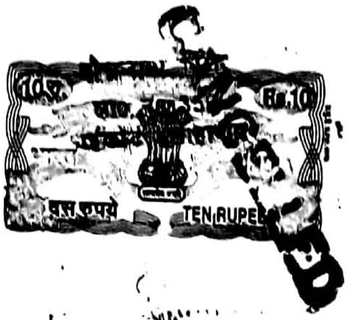

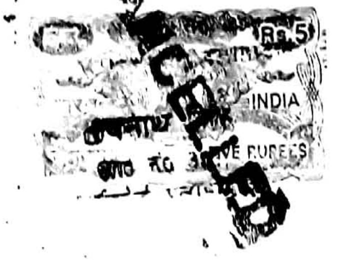

Court No. - 55

Case :- APPLICATION U/S 482 No. - 21395 of 2011

Applicant :- Aditya Prakash Yadav
Opposite Party :- State Of U.P. And Another
Counsel for Applicant :- Rishi Kant Rai,R.K. Upadhyay
Counsel for Opposite Party :- Govt.Advocate,Smt. Anita Srivastava

Hon'ble Karuna Nand Bajpayee,J.

This application under Section 482 Cr.P.C. has been filed seeking the quashing of impugned orders dated 11.2.2010 and 16.6.2011 passed by the Judicial Magistrate, Kayamganj, Farrukhabad as well as entire proceeding in Complaint Case No. 597 of 2009 under Sections 323, 452, 427, 504,506 IPC Police Station Kampil District Farrukhabad pending in the court of Judicial Magistrate, Kayamganj, District Farrukhabad.

List has been revised. Despite repeated calls none has appeared on behalf of the applicant to press this application. Shri Amol Kokane and Shri Y.K. Srivastava, learned counsel for the opposite party no. 2 are present along with learned AGA. This application is of year 2011. In the wake of heavy pendency of cases in this Court where dockets are already bursting on their seams there is no justifiable reason to further procrastinate the matter. This Court, therefore, deems it fit to proceed in the matter on the basis of the record and with the assistance of the learned AGA representing the State.

The perusal of the grounds taken in the application, though not of much help, reveal that many of them relate to disputed questions of fact. The court has also been called upon to adjudge the testimonial worth of prosecution evidence and evaluate the same on the basis of various intricacies of factual details which have been touched upon on behalf of applicant. The veracity and credibility of material furnished on behalf of the prosecution has been questioned and false implication has been pleaded. The submissions raised in the application on behalf of the applicants call for adjudication on pure questions of fact which may be adequately adjudicated upon only by the trial court and while doing so even the submissions made on points of law can also be more appropriately gone into by the trial court in this case. This Court does not deem it proper, and therefore cannot be persuaded to have a pre-trial before the actual trial begins.

The law regarding sufficiency of material which may justify the summoning of accused and also the court's decision to proceed against him in a given case is well settled. The court has to eschew itself from embarking upon a roving enquiry into the last details of the case. It is also not advisable to adjudge whether the case shall ultimately end in conviction or not. Only a prima facie satisfaction of the court about the existence of sufficient ground to proceed in the matter is required.

Through a catena of decisions given by Hon'ble Apex Court this legal aspect has been expatiated upon at length and the law that has evolved over a period of several decades is too well settled. In the case of **Chandra Deo Singh Vs. Prokash Chandra Bose AIR 1963 SC 1430** the Apex Court had observed as follows:-

"The courts have also pointed out in these cases that what the magistrate has to see is whether there is evidence in support of the allegations of the complainant and not whether the evidence is sufficient to warrant a conviction. The learned Judges is some of these cases have been at pains to observe that an enquiry under Section 202 is not to be likened to a trial which can only take place after process is issued, and that there can be only one trial. No doubt, as stated in sub-section (1) of Section 202 itself, the object of the enquiry is to ascertain the truth or falsehood of the complaint, but the magistrate making the enquiry has to do this only with reference to the intrinsic quality of the statements made before him at the enquiry which would naturally mean the complaint itself, the statement on oath made by the complainant and the statements made before him by persons examined at the instance of the complainant."

In the yet another case of **Vadilal Panchal Vs. Dattatraya Dulaji Ghadigaonker AIR 1960 SC 1113** the Hon'ble Supreme Court had expressed the views in the following terms:

"Section 202 says that the magistrate may, if he things fit, for reasons to be recorded in writing, postpone the issue of process for compelling the attendance of the person complained against and direct an inquiry for the purpose of ascertaining the truth or falsehood of the complaint; in other words, the scope of an inquiry under the section is limited to find out the truth or falsehood of the complaint in order to determine the question of the issue of process. The inquiry is for the purpose of ascertaining the truth or falsehood of the complaint; that is, for ascertaining whether there is evidence in support of the complaint so as to justify the issue of process and commencement of proceedings against the person concerned. The section does not say that a regular trial for adjudging the guilt or otherwise of the person complained against should take place at the stage; for the person complained against can be legally called upon to answer the accusation made against him only when a process has issued and he is put on trial."

In the case of **Smt. Nagawwa Vs. Veeranna Shivalingappa Konjalgi 1976 3 SCC 736** the Hon'ble Apex Court had held as follows:

"The magistrate has been given an undoubted discretion in the matter and the discretion has to be judicially exercised by him. Once the magistrate has exercised his discretion it is not for the High Court, or even this Court, to substitute its own discretion for that of the magistrate or to examine the case on merits with a view to find out whether or not the allegations in the complaint, if proved, would ultimately end in conviction of the accused. These considerations, in our opinion, are totally foreign to the scope and ambit of an inquiry under Section 202 of the Code of Criminal Procedure which culminates into an order under Section 204 of the Code. Thus it may be safely held that in the following cases an order of the magistrate issuing process against the accused can be quashed or set aside:

(1) where the allegations made in the complaint or the statements of the witnesses recorded in support of the same taken at their face value make out absolutely no case against the accused or the complaint does not disclose the essential ingredients of an offence which is alleged against the accused;

(2) where the allegations made in the complaint are patently absurd and inherently improbable so that no prudent person can ever reach a conclusion that there is sufficient ground for proceeding against the accused;

(3) Where the discretion exercised by the magistrate in issuing process is capricious and arbitrary having been based either on no evidence or on materials which are wholly irrelevant or inadmissible; and

(4) where the complaint suffers from fundamental legal defects, such as, want of sanction, or absence of a complaint by legally competent authority and the like.

The cases mentioned by us are purely illustrative and provide sufficient guidelines to indicate contingencies where the High Court can quash proceedings."

The Apex Court decisions given in the case of **R.P. Kapur Vs. State of Punjab AIR 1960 SC 866** and in the case of **State of Haryana Vs. Bhajan Lal 1992 SCC(Cr.) 426** have also recognized certain categories by way of illustration which may justify the quashing of a complaint or charge sheet. Some of them are akin to the illustrative examples given in the above referred case of **Smt. Nagawwa Vs. Veeranna Shivalingappa Konjalgi 1976 3 SCC 736.** It was observed by the Hon'ble Apex Court in Bhajan Lal's case as follows:-

"The following categories can be stated by way of illustration wherein the extra-ordinary power under Article 226 or the inherent powers under Section 482 of the Code of Criminal Procedure can be exercised by the High Court either to prevent abuse of the process of any Court or otherwise to secure the ends of justice, though it may not be possible to lay down any precise, clearly defined and sufficiently channelised and inflexible guidelines or rigid formulae and to give an exhaustive list of myriad kinds of cases wherein such power should be exercised:

(1) where the allegations made in the First Information Report or the complaint, even if they are taken at their face value and accepted in their entirety do not prima facie constitute any offence or make out a case against the accused.

(2) where the allegations in the First Information Report and other materials, if any, accompanying the F.I.R. do not disclose a cognizable offence, justifying an investigation by police officers under Section 156(1) of the Code except under an order of a Magistrate within the purview of Section 155(2) of the Code.

(3) where the uncontroverted allegations made in the FIR or complaint and the evidence collected in support of the same do not disclose the commission of any offence and make out a case against the accused.

(4) where the allegations in the FIR do not constitute a cognizable offence but constitute only a non-cognizable offence, no investigation is permitted by a police officer without an order of a Magistrate as contemplated under Section 155(2) of the Code.

(5) where the allegations made in the FIR or complaint are so absurd and

inherently improbable on the basis of which no prudent person can ever reach a just conclusion that there is sufficient ground for proceeding against the accused.

(6) where there is an express legal bar engrafted in any of the provisions of the Code or the concerned Act (under which a criminal proceeding is instituted) to the institution and continuance of the proceedings and/or where there is a specific provision in the Code or the concerned Act, providing efficacious redress for the grievance of the aggrieved party.

(7) where a criminal proceeding is manifestly attended with mala fide and/or where the proceeding is maliciously instituted with an ulterior motive for wreaking vengeance on the accused and with a view to spite him due to private and personal grudge."

Illumined by the case law referred to herein above, this Court has adverted to the entire record of the case.

A threadbare discussion of various facts and circumstances, as they emerge from the allegations made against the accused, is being purposely avoided by the Court for the reason, lest the same might cause any prejudice to either side during trial. But it shall suffice to observe that the perusal of the complaint, and also the material available on record make out a prima facie case against the accused at this stage and I do not find any justification to quash the complaint or the summoning order or the proceedings against the applicant arising out of them as the case does not fall in any of the categories recognized by the Apex Court which may justify their quashing.

The prayer for quashing the same is refused as I do not see any abuse of the Court's process either.

The application is accordingly, dismissed. The interim order, if any, is vacated.

Order Date :- 20.5.2016

CPP/-

AUTHENTICATED COPY
23.06.2016
SECTION OFFICER/A.R.
COMPUTERISED COPYING SECTION
HIGH COURT ALLAHABAD

Mob : 9415360973

Yogendra Kumar Srivastava

Advocate, High Court

Resi. 220 MIG Preetam Nagar, (near Kohli Dhaba), Allahabad.

Seat No.179
(In front of Chamber No.39)
High Court, Allahabad

Criminal Misc Application No:- 26423 - OF 2016

(DISTRICT- Farrukhabad

Subhash Chandra ----------------- Petitioner (s)

// Versus //

State of U.P. and other ------------ Respondent (s)

ORDER DATED- 20-5-2016

Court No. - 55

Case :- APPLICATION U/S 482 No. - 26423 of 2011

Applicant :- Subhash Chandra
Opposite Party :- State Of U.P. And Another
Counsel for Applicant :- Dur Vijay Singh
Counsel for Opposite Party :- Govt.Advocate,Smt. Anita Srivastava

Hon'ble Karuna Nand Bajpayee,J.

This application under Section 482 Cr.P.C. has been filed see quashing of criminal proceedings in Case No. 597 of 2009, u Sections 323, 452,427,504 & 506 IPC Police Station Kampil Di Farrukhabad pending in the court of Judicial Magistrate,Kayam Farrukhabad.

Heard Shri Dur Vijay Singh, learned counsel for the applicant and Amol Kokane and Shri Y.K. Srivastava, learned counsel for the opp party no. 2 are present along with learned AGA. This application is of 2011.

Perusal of the grounds taken in the application on behalf of the appli indicates that mostly relates to the disputed questions of fact, w requires detailed appreciation of evidence which can be done only du the course of trial.

Further submission of learned counsel for the applicant is that the f report has been wrongly rejected and the Court below has wrongly tre the Protest Petition as a Complaint Case, therefore, the impug proceeding going on, against the applicant deserves to be quas Learned counsel for the applicant has tried to show that the appli being government servant should not be prosecuted like this, as the done by him were in discharge of his official duties.

Learned counsel for opposite party no.2 and the learned AGA h opposed prayer made in the application.

It appears that after submission of the final report, the Court be adverted to the facts of the case and as the allegations were made that investigation was not fair, the Court below preferred to treat Pro Petition as a Complaint Case and took cognizance in the matter ur *Section 190(1)(a) of Cr.P.C. In the considered opinion of this Court,* i

course adopted by the Magistrate was perfectly within the permissible limit. If the case diary did not contain enough material on the basis of which the cognizance could have been taken under Section 190 (1)(b) of Cr.P.C. then this option was very much available for the Magistrate to treat the Protest Petition as a Complaint Case and, therefore, the impugned order cannot be faulted with. So far as question of discharge of official duties is concerned, it is settled law that under the grab of discharge of official duties the offences can not be allowed to be committed by the officia. This is not a question of dereliction of duty. The alleged offence committed by the applicant prima facie, does not appear to be under the protection and the same cannot be said to be done in discharge of official duties. Even, this matter has to be finally adjudicated upon after going through the entire evidence and at this stage, a final finding about this aspect of the matter is difficult to arrive at. If after the entire evidence is produced during the course of trial, the Court below comes to the conclusion that the conduct or acts done by the applicant were in discharge of his official duties, then this advantage may be given by the Court below to the applicant at a later stage also. The evidence produced on behalf of the complainant was duly considered by the Court below and it was found by the Court that there were sufficient grounds to proceed against the accused on the basis of evidence that was produced during the course of enquiry. Prima facie, allegations made are sufficient to constitute offence against the applicant and, therefore, the impugned proceeding cannot be faulted with.

It is settled law that the standard of sufficiency of evidence in order to summon the accused to face trial is different from appreciation of evidence which is to be applied at the final stage for deciding the case. This Court in exercise of its inherent jurisdiction can not have a pretrial before the actual trial begins. The impugned order does not reflect any illegality or abuse of the Court's process, therefore, the prayer to quash the same can not be accepted.

The interim order, if any, is vacated.

However, it is observed that if the bail has not been obtained as yet, the accused may appear before the court below and apply for bail within **two** months from today. The court below shall make an endeavour to decide

the bail application on the same day, if possible, keeping in view the observations made by the Court in the Full Bench decision of **Amrawati and another Vs. State of U.P. 2004 (57) ALR 290** and also in view of the decision given by the Hon'ble Supreme Court in the case of **Lal Kamlendra Pratap Singh Vs. State of U.P. 2009 (3) ADJ 322 (SC).**

In the aforesaid period or till the date of appearance of the accused in the court below, whichever is earlier, no coercive measures shall be taken or given effect to.

With the aforesaid observations this application is finally disposed off.

Order Date :- 20.5.2016

CPP/-

AUTHENTICATED COPY
23.6.2016
SECTION OFFICER
COMPUTERISED COPYING SECTION
HIGH COURT ALLAHABAD

भागवत कथा - 4

रूपिन्दर

रूपिन्दर अपनी माँ इन्द्रजीत कौर के साथ 1995 से लेकर आ.ई.वि.वि. में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करती रही और ज्ञान की गहराइयाँ समझते ही उसे लगा कि ईश्वरीय सेवा में अपने-आप को समर्पित करना चाहिए। उसने अपनी माँ के साथ मिलकर अपने पिता राजकुमार को मनाने की बहुत कोशिश की; परंतु पिता ने सुनी-सुनाई बातों के कारण उन माँ-बेटी को आध्यात्मिक विश्वविद्यालय फ़र्रुखाबाद में जाने के लिए विघ्न डालना शुरू कर दिया। बेहद के माँ-बाप को पहचानने के बाद भी कोई दूसरा रास्ता न मिलने के कारण, आजन्म पवित्र रहने के अपने निश्चय को व्यक्त करते हुए और अपनी जिज्ञासा पूर्ति करने के लक्ष्य को लेकर रूपिन्दर दिनांक 29-03-2005 को अपनी माँ के प्रोत्साहन से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय परिवार से जुड़ गई। अपनी बेटी को वापस लाने के प्रयास में विफल होने के कारण कुपित होकर रूपिन्दर के पिता राजकुमार ने दिनांक 15-03-2007 को अमृतसर फर्स्ट क्लास जुडीशियल मैजिस्ट्रेट के सामने भ्राता वीरेंद्र देव दीक्षित और सुकर्मा बहन के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए केस **फ़ाइल** किया। आरोप यह रहा कि वीरेंद्र देव दीक्षित और सुकर्मा बहन ने उनकी पत्नी इन्द्रजीत कौर को और बेटी रूपिन्दर को मारने की धमकी देकर आश्रम में अवैध रीति से बंधक बनाकर रखा है। भा.दं.सं की धाराओं 342, 343, 344, 346 और 347 के अंतर्गत दिनांक **15-03-2007 को** कम्प्लेंट नं. 92/2007 रजिस्टर **किया गया।**

Bhagawat Story-4

Rupinder

Rupinder used to grasp spiritual knowledge along with her mother Inderjeet Kaur since 1995 and when she was able to understand the depth of the spiritual knowledge, she has reached a conclusion that she should surrender herself for the cause of Godly Service.

She along with her mother made strenuous efforts to convince her father in vain ; Based on the hearsays he started creating obstacles and restricted them from going to Adhyatmik Vishwa Vidyalaya Farrukhabad.

In the circumstances, despite identifying the Spiritual Father and Mother on the basis of spiritual knowledge, Rupinder was left with no alternative except to join the AVV family on 29th March, 2005 with undeterred firm belief and decision to maintain purity lifelong as also to fulfil her interest in the knowledge; direct with the support of her mother.

Having upset by their decision, and for the reason he could not bring his daughter back, Rajkumar, the father of Rupinder has filed a case against Sukarma Bahan and Spiritual Brother Virendra Deo Dixit on 15th March, 2007 in the court of Judicial Magistrate, 1st Class, Amritsar, alleging that Sukarma Bahan and Spiritual Brother Virendra Deo Dixit have illegally confined Rupinder and his wife Inderjeet in the Adhyatmik Vishwa Vidyalaya , with threats to kill them.

The complaint No. 92/2007 was filed by Rajkumar and the case was registered under sections 342, 343, 344, 346 and 347 IPC on 15-03-2007.

उक्त केस में जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, अमृतसर ने भ्राता वीरेंद्र देव दीक्षित को दिनांक 02-12-2011 को समन किया और 01-03-2012 को नॉन-बेलेबल अरेस्ट वारंट्स जारी किए। जिसके जवाब में भ्राता वीरेंद्र देव दीक्षित और सुकर्मा बहन को चंडीगढ़ स्थित पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में जुडीशियल मैजिस्ट्रेट की कार्यवाही को रद्द कराने के लिए सेक्शन 482 सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत एक क्रिमिनल रिट पिटिशन (नं.9612/2012) दाखिल करनी ही पड़ी।

In result, the court of Judicial Magistrate has summoned Spiritual Brother Virendra Deo Dixit on 02-12-2011 and also issued non-bailable arrest warrants on 1st March, 2012. Now the traditions are inevitably to be maintained. In the circumstances, Sukarma Bahan and Spiritual Brother Virendra Deo Dixit had to file a criminal miscellaneous petition with No.9612 of 2012 in the High Court of Punjab and Hariyana at Chandigarh under section 482 Crpc in order to differ the proceedings of the Magistrate.

स्थितियों को देखते हुए हाई कोर्ट के सामने सच्चाई को साबित करने के लिए रूपिन्दर की माँ इन्द्रजीत कौर और रूपिंदर ने कोर्ट के सामने दिनांक 01.03.2012 व 07.03.2012 को शपथ पत्र पेश किए, जिसमें कोर्ट को यह क्लीयर किया कि रूपिंदर अपनी स्वेच्छा से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में राज़ी-खुशी से रह रही है व उनके पति/पिता राजकुमार ने भ्राता वीरेंद्र देव दीक्षित व सुकर्मा बहन से ईर्ष्या-द्वेषवश उत्पीड़न करने के लिए और उनकी छवि खराब करने के लिए रूपिन्दर को अवैध रीति से बंधक बनाने की झूठी व बनावटी कम्प्लेंट दाखिल कर दी।

Having observed the situation and in order to prove the truth, the mother of Rupinder; Inderjeet Kaur has filed affidavits in the High court on 01-03-2012 and 07-03-2012; in which she had made it clear that Rupinder was staying in the Adhyatmik Vishwa Vidyalaya at her own volition and with pleasure and her husband Rajkumar has filed a made up and false complaint against Spiritual Brother Virendra Deo Dixit and Sukarma Bahan that they have illegally detained

his daughter Rupinder; The intention of the compliant is out of jealousy, hatred and with an intention to harass them and thereby spoil their fame and dignity .

रूपिन्दर की माँ इन्द्रजीत व रूपिन्दर दोनों ने पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के सामने अपना जवाब भी दाखिल किया व उसमें भी भ्राता वीरेन्द्र देव दीक्षित व सुकर्मा बहन के खिलाफ रूपिंदर को अवैध रीति से बंधक बनाने के अपने पति/पिता द्वारा लगाए गए झूठे आरोप का पर्दाफाश किया।

अब हम पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय के अंतिम आदेश के कुछ मुख्य अंश आपके सामने रखना चाहेंगे।

Rupinder and her mother Inderjeet Kaur have submitted their reply before the High Court of Punjab and Hariyana wherein they have unearthed the false complaint made by their father / husband against Spiritual Brother Virendra Deo Dixit and Sukarma Bahan stating that they have detained Rupinder illegally. And we prefer to append some extracts from the final order of the High Court of Punjab and Hariyana before you.

‘‘ हाई कोर्ट ऑफ़ पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़

क्रिमिनल मिसिलेनिअस नं. 61493/2012 और

क्रिमिनल मिसिलेनिअस नं. एम-9612/2012   आदेश : 22-01-2014

सुकर्मा और अन्य   पिटिशनर्स

बनाम

पंजाब राष्ट्र और अन्य   रिस्पांडेंट्स

कोरमः ऑनरबल जस्टिस इन्दरजीत सिंह

“इस कोर्ट का दिनांक 02-04-2012 का आदेश यह दर्शाता है कि रिस्पांडेंट्स 3 और 4 अर्थात रूपिन्दर और उसकी माँ इन्द्रजीत कौर ने इस कोर्ट में हाजिर होकर बयान दिए कि उनको पिटिशनर्स अर्थात सुकर्मा बहन और वीरेंद्र देव दीक्षित ने कभी भी अवैध रीति से बंधक नहीं बनाया था और इन्द्रजीत कौर ने यह भी कहा कि उसके पति राजकुमार ने बदले की भावना से यह आरोप लगाया। रूपिन्दर ने भी अपनी माँ

की कही हुई बातों को ही दोहराया । रूपिन्दर अपनी स्वेच्छा से उसी आश्रम में रहना चाहती है। यह कम्प्लेंट राजकुमार द्वारा वीरेंद्र देव दीक्षित और सुकर्मा बहन के विरुद्ध भा.दं.सं. की धाराएँ 342, 343, 344, 346 और 347 के अंतर्गत यह मुख्य आरोप लगाते हुए की गई कि उन्होंने रूपिन्दर को अवैध रीति से बंधक बनाकर रखा है ।

किंतु रिस्पांडेंट्स 3 और 4 अर्थात रूपिन्दर और उसकी माँ इन्द्रजीत कौर ने इस कोर्ट में हाज़िर होकर और शपथ पत्र पेश करते हुए कम्प्लेंट में दिए गए आरोप खंडन किए हैं। अत: इस कम्प्लेंट को आगे बढ़ाने का कोई भी आधार नहीं है। यह कम्प्लेंट न्याय व्यवस्था को गलत रीति से इस्तेमाल करने और निंदा करने के लिए की गई है । जबकि रिस्पांडेंट्स 3 और 4 अर्थात रूपिन्दर और उसकी माँ इन्द्रजीत कौर ने खुद स्पष्ट किया कि वे आश्रम में अपनी स्वेच्छा से रह रही हैं और दोनों वयस्क होने के कारण अपनी मर्ज़ी के अनुसार कार्य करने का हर हक उनके पास है, ऊपर की चर्चा से इस पिटिशन में सच्चाई दिखाई पड़ती है; इसलिए अलाउ किया जाता है व दिनांक 15-03-2007 की धारा 342, 343, 344, 346 और 347 भा.दं.सं. के अंतर्गत दाखिल की गई क्रिमिनल कम्प्लेंट नं. 92/2007, दिनांक 02-12-2011 का सम्मनिंग आदेश व दिनांक 01-03-2012 का गैर जमानतीय वारंट और उससे उत्पन्न हुई बाद की कार्यवाही को खारिज किया जाता है ।

जनवरी 22, 2014 *इन्दरजीत सिंह*

जज''

In the High Court of Punjab and Haryana at Chandigarh

......

Criminal Misc. No.61493 of 2012 and

Criminal Misc. No.M-9612 of 2012

Date of decision:22.1.2014

Sukarma and another ...Petitioners

v.

State of Punjab and others...Respondents

Coram: Hon'ble Mr. Justice Inderjit Singh

.....

The order dated 2.4.2012 passed by this Court in this case shows that respondents No.3 and 4 (i.e., Rupinder and her mother Inderjeet Kaur) appeared in this Court and had submitted that they have never been illegally detained and confined by the petitioners. It is also stated by respondent No.4 (Inderjeet Kaur) that her husband had filed complaint out of retaliation. Rupinder Kaur (respondent No.3) also made submissions in the tune of her mother. Respondent No.3 (Rupinder Kaur) also wished to live in the said Ashram with her own free will and consent. The complaint has been filed by Raj Kumar (respondent

No.2) in the present petition against Virendra Deo Dixit and Sukarma (petitioners) under Sections 342, 343, 344, 346 and 347 IPC with the main allegation regarding confining respondent No.3 (Rupinder Kaur) illegally by the petitioners (Virendra Deo Dixit and Sukarma).

As respondents No.3 and 4 (i.e., Rupinder and her mother Inderjeet Kaur) have denied the allegations made in the complaint and stated by appearing in this Court and also by filing affidavits and also denying the allegations of the complainant through counsel for respondents No.3 and 4 (i.e., Rupinder and her mother Inderjeet Kaur), I find that no ground is made out to continue with the complaint. The filing of the complaint is misuse/abuse of the process of the law. When respondents No.3 and 4 (i.e., Rupinder and her mother Inderjeet Kaur) themselves have stated that they are residing in the Ashram with their own consent and they being major have every right to act as per their own wish.

Therefore, from the above discussion, I find merit in the present petition and the same is allowed. The criminal complaint No.92/2007 dated 15.3.2007 filed for the offences under Sections 342, 343, 344, 346 and 347 IPC as well as the summoning order dated 2.12.2011 (Annexure-P.9) and the order dated 1.3.2012 (Annexure-P.10), vide which non-bailable warrants has been issued against petitioner No.2,

passed by the learned Judicial Magistrate Ist Class, Amritsar and all other subsequent proceedings arising therefrom are hereby quashed.

January 22, 2014. **(Inderjit Singh)**

Judge

अब ऊपर दिए हुए हाई कोर्ट ऑफ़ पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ के ऑर्डर को मान्यता देते हुए, अमृतसर की फर्स्ट क्लास जुडीशियल मैजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 05-04-2014 को इस कम्प्लेंट संबंधित सभी कार्यवाही को रद्द करना ही पड़ा।

The orders by the High Court were disposed of by the lower court in obeisance on 05-04-2014.

षडयंत्रकारियों से प्रेरित कन्या के पिता राजकुमार द्वारा रची गई साज़िशों से आध्यात्मिक परिवार को बाहर आने में टाइम तो लगा; फिर भी कन्या रूपिन्दर और उसकी माँ इन्द्रजीत कौर ने भगवान की छत्रछाया में इस लड़ाई में जीत पाई और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय परिवार के प्रति ईर्ष्या-द्वेषपूर्वक रची गई साज़िशें विफल हो गईं। फिर एक बार साबित हुआ कि ज्ञान जल धारण करने वाली कन्या-माता रूपी नदियों को ज्ञान-सागर परमात्मा से मिलन मनाने में विघ्नों एवं ग्लानि के पत्थर डालकर रोक लगाने के बावजूद, वह उन सबको काटकर ज्ञान-सागर परमात्मा से मिलन मनाती हैं।

Considerable time has of-course lapsed for the "AVV family" to come out of the conspiracy drawn by Rajkumar, the father of the girl, fuelled by the conspirators. Still, the girl Rupinder and her mother Inderjeet Kaur have shown their victory under the eternal shelter of Supreme God and the conspiracies planned in the backdrop of jealousy and hatred against Spiritual Brother Virendra Deo Dixit and "AVV family" members had once again faced an utter flap. And it is once again got proved that despite creating hurdles by throwing the stones of derisions, the rivers (sisters and mothers carrying the water of knowledge) break off through them and celebrate their confluence with the Ocean of Knowledge , Supreme God Father.

इस केस से संबंधित कोर्ट जजमेंट के कुछ मुख्य भाग इसके साथ जुड़े हुए हैं |

A copy of the judgment is annexed.

Annexure P-1

Shri Sanjay Agnihotri, Judicial Magistrate First Class, Amritsar

Raj Kumar S/o Baldev Raj, Resident of 1063, Islamabad, Amritsar

.... complainant

VS

1. Virender Dev Dixit, R/o A-1351, Vijay Vihar, Rithala, Delhi-85.
2. Sukarma, Incharge Centre Adhyatmik Ishwariya Vishwa-Vidhalaya, Resident House No.634, Kesho Ram Complex, Sector 45-C, Post Office- Burail, Chandigarh-106.

.... Accused.

Complaint under section 342/343/344/346/347/504/506/379 I.P.C.

Concerned Police Station: B. Division, Amritsar

Respected Sir,

The complainant requests as under:-

1. That complainant reside presently at the above mentioned address, and earlier used to live in a rented house at Chanan Singh Colony, Shaheed Udham Singh Nagar, Opp. Chetak Pakhiwala, P.S.- B.Division, Amritsar and was working as a Property dealer and is still doing the same and I shifted to the above stated address.
2. That the complainant has a daughter named Rupinder Kaur, whose age is 25 years and complainant was married to Inderjeet Kaur D/o Darbara Singh, R/o Islamabad, Amritsar in 1979 and out of this wedlock girl Rupinder Kaur was born at Lal Hospital, Amritsar in 1981 and out of this wedlock 4 Children were born in which, 2 are boys and 2 are girls Rupinder Kaur is also included and is the eldest

daughter, and they all were born and residing at shaheed Udham Sing Nagar, Chaman Singh Colony, Amritsar.

3. That the complainant used to go out in relation to his work and had opened his office at Chandigarh and Delhi also. In year 1994, complainant was residing at Sector 16, Pocket F-8, Flat No.13-B and behind his flat there was Brahma kumari Ashram and members of Brahma Kumari Ashram used to come and use the complainant's telephone and the complainant developed good relations with them. The Complainant offered Brahma Kumari supporters put an extension wire from his house to their Ashram so that they need not to come to his house and can hear the phone from their ashram. Hence Brahma Kumari Ashram people started visiting the complainant's office and house. The complaint was working in Delhi and in year 2000 closed his work and came to Mohali, Phase-II, ground Floor 141, Chandigarh and Brahm Kumar Ashram was in Sector 45, Chandigarh and supporters of this Ashram started visiting complainant's house and complainant's wife and children were living in Mohali and supporters of the Ashram used to come there and started misguiding the complainant's wife & daughter, Rupinder Kaur. The complainant was not conversant about this fact. Virender Dev Dixit, the accused, kept coming and misguiding complaint's wife and daughter and used to say that supreme soul Shiv Baba has come on earth and he used to call himself Shiv Baba and the second girl Sukarma was the coordinator of his Chandigarh Ashram and she used to say that Shiv Baba has come on earth in the form of Virender Dev Dixit and that disaster is about to come and this Shiv Baba will save us. When I saw all this, then I left Mohali and along with my family came to Amritsar and started living in a rented house at Shaheed Udham Singh Nagar, Opposite Chetak Pakhism Wala,

and I started living here with my entire family. But still both the accused did not leave my wife and my daughter, and both the accused provoked complainant's wife Inderjeet against the complainant and caused a fight between them and they also embezzled the money from complainant's wife earned by complainant. Complainant's wife used to tell complainant that money is lost and the complainant's wife stopped talking with the complainant and also stopped sleeping with the complainant and whenever both the accused visit Amritsar they would meet complainant's wife and daughter Rupinder because they had caused conflict at complainant's house and complainant's wife was not talking with the complainant. Whatever the accused Virender Dev Dixit used to misguide my wife, the same was taught by my wife to my daughter Rupinder. I thought that why not to marry my elder daughter and I sold my plot which was at Amritsar and brought money to home.

4. That around 3 years ago, on the day of Shivratri, I came home and found that my daughter Rupinder Kaur was not at home and my wife told me that She had gone to her maternal grandmother's place and would return within 1-2 days. My wife lied to whole family that Rupinder had gone to her Maternal grandmother's place. I had to go to Delhi on that day. When i had just reached station, my son Navkaas called me over phone and told that Rupinder had gone neither to her Nani's place nor her Massi's place, and then I returned back home and enquired from my wife about my daughter and then I began searching the where abouts of my daughter. Then I came to know that in my absence, Virender Dev Dixit and Sukarma had come to Amritsar and had taken my daughter Rupinder with them by misleading her and while going, my daughter took Rs.30,000/- along

with her, which I had kept at home by selling plot. Both the accused are running shamp Ishwariya Vidhyalaya Brahma Kumari. They have no link with the real Brahma Kumari Ashram, whose headquarter is at Mt. Abu and to usurp money from the people, they use such tactics & gimmicks to mislead & misguide the people that Virender Dev has come on earth in the form of Shiv Baba,.

It is worth mentioning here that both the accused along with 45 other people, had been in jail for 90 days, the document of which is with the complainant, whose photocopy is being annexed hereto.

Then, along with Yashpal Sharma S/o Bihari Lal, R/o Ranjitpura, Pullighar, Amritsar and Rajpal Singh S/o Kehar Singh R/o Gurunankpura Street No.7, House No.584-D, I went to Chandigarh Ashram and enquired about my daughter & accused Virender Dev Dixit & Sukarma were Present there. They admitted/said that they have brought Rupinder from Amritsar but now she is not with then and has gone to Delhi. and will send her back to Amritsar soon and I should go back to Amritsar. Then we three went to Delhi and where I came to know that my daughter was not there and the Ashram people said that they will send her to Amritsar as soon as they meet her. I returned back home & found that my wife was also not at home.

5. That I kept on searching my wife and reached Chandigarh where I found that my wife was also at Chandigarh Ashram where I again met accused VDD and Sukarma. They asked me to write that my wife Inderjit kaur & my daughter Rupinder Kaur have come to Ashram on their own wish and VDD threatened me and said that he is a very dangerous man that he has a lot of weapons and he will get me my children killed. Then I received calls from my daughter, and on one day my daughter Rupinder called me over the phone said

that VDD is very dangerous & that I should forget about her & I later found that this call was made from Barabaki which is ahead of Lucknow, the number is still saved with me.

6. That VDD accused Sukarma have kept my daughter & my wife in their illegal & forceful confinement custody for extorting money. The accused take my daughter sometimes to Lucknow, Delhi, Chandigarh & do not allow me to meet her.

7. Then my daughter sent a letter on 14-11-2006 by post which my wife had actually hidden from me and given to my son, but my son gave it to me to read in which it was written that my daughter Rupinder was in illegal forceful custody of accused VDD & Sukarma & she was not even allowed to talk over the phone or write a letter and threatened that whenever her father comes to center create ruckus, & they will kill me. Letter is still with me.

8. That now I have come to know that the accused have kept my daughter in illegal & forceful custody at Chandigarh and I, along with above mentioned Yashpal Sharma & Rachhpal Singh, reached Chandigarh on Dt. 11.03.2007 to enquire about my daughter and wife. Both the accused were present there. I was not allowed to meet my wife or my elder daughter and I came to know that the accused had kept my daughter in illegal & forceful custody since last 3 years and do not allow her to go outside or meet since around last 3 years. I told both the accused that if they do not allow me to meet my daughter, then I will take action against you and file a case in the court, but both the accused started threatening me that I do like this, then they will kill me & my childrenand also abduct my younger daughter and bring her to Ashram and murder me and my family. Both the accused have the weapons and called my names in front of my witnesses and used dirty words like 'Kutta', 'Kanjar', 'Haramzada'

and they told me that if I even look at Ashram then they would kill me and my family. Being afraid and frightened, I came back to Amritsar and also reported to Delhi Police but the Police also did not listen to me.

All proofs are with me. The accused should be summoned and be severely punished and the complainant be given justice.

Complainant
Rajkumar S/o Baldev Raj,
Presently R/o 1063, Islamabad, Amritsar

Dt. 15-3-07

Certified to be True translation

Advocate

ATTESTED
Examiner Judicial Department
High Court of Punjab & Haryana
Chandigarh

Present: Mr.Pardeep Goyal, Advocate,
for the petitioners.

* * *

The petitioners have been summoned to face trial for the offences punishable under Sections 342, 343, 344, 346 and 347, IPC for having illegally detained/confined Rupinder Kaur and Inderjit Kaur, the daughter and the wife respectively of the complainant-respondent. The said Rupinder Kaur and Inderjeet Kaur have been arrayed as respondent Nos.3 and 4 in the present petition. They are present in Court with their counsel Sh.Jastej Singh. Inderjeet Kaur submits that her husband-Raj Kumar was liquor addict and, therefore, she diverted herself towards spiritual courses being run by Brahmkumari Adhyatmik Ishwariya Vishva Vidyalaya while residing at Amritsar. She further submits that her daughter, who is now aged about 29 years, had also joined her in the spiritual courses with her own free will and consent. She further submits that she was never illegally detained/confined by the petitioners. She also states that her husband had filed impugned complaint out of the retaliation. Rupinder Kaur, the alleged victim, has also made submissions in the tune of her mother. Rupinder Kaur also submits that her father wants to solemnize her marriage against her wishes but she has joined Brahmkumari Adhyatmik Ishwariya Vishva Vidyalaya, therefore, does not want to solemnize her marriage. She also states that she is living with the said Ashram with her own free will and consent.

Respondent Nos.3 and 4 have produced their respective

ATTESTED
Examiner Judicial Department
High Court of Punjab & Haryana
Chandigarh

affidavits also, which are taken on record.

Notice of motion for 25.07.2012.

In the meantime, the operation of the impugned summoning order dated 02.12.2011 shall remain stayed.

SD/- NARESH KUMAR SANGHI
JUDGE

02nd April, 2012
Seema-II

TRUE COPY
Certified to be true Copy
Examiner Judicial Department
High Court of Punjab & Haryana
Chandigarh
EXAMINER

For Private Use
Certified to be true copy
Incharge,
Central Copying Agency
(Authorized u/s 76 of Indian Evidence Act, 1872)
High Court of Pb. & Hr., Chandigarh

In the High Court of Punjab and Haryana at Chandigarh

.....

Criminal Misc. No.61493 of 2012
and
Criminal Misc. No.M-9612 of 2012

.....

Date of decision:22.1.2014

Sukarma and another

...Petitioners

v.

State of Punjab and others

...Respondents

....

Coram: Hon'ble Mr. Justice Inderjit Singh

.....

Present: Mr. Pardeep Goyal, Advocate for the petitioners.

Mr. V.P.S. Sidhu, Assistant Advocate General, Punjab for the respondent-State.

Ms. Rakhi Sharma, Advocate for respondent No.2.

Mr. Kokane A.V., Advocate for respondents No.3 and 4.

.....

Inderjit Singh, J.

Cr. Misc. No.61493 of 2012:

For the averments made in the criminal miscellaneous application, reply filed on behalf of respondent No.3 is taken on record.

The criminal miscellaneous application stands disposed of.

Cr. Misc. No.M-9612 of 2012:

Petitioners Sukarma and Virendra Deo Dixit have filed this petition against the State of Punjab, Raj Kumar, P.B.K. Rupinder Kaur and Indrejeet Kaur respondents under Section 482 Cr.P.C. praying for

Parmar Harpal Singh
2014.01.24 16:37
I attest to the accuracy and integrity of this document
Chandigarh

For Private Use
Certified to be true copy
Incharge,
Central Copying Agency
(Authorized u/s 76 of Indian Evidence Act, 1872)
High Court of Pb. & Hr., Chandigarh.

quashing the criminal proceedings in criminal complaint case No.92/2007 dated 15.3.2007 filed for the offences under Sections 342, 343, 344, 346 and 347 IPC pending before the Court of Mrs. Amrita Singh, Judicial Magistrate Ist Class, Amritsar being wrong, illegal, misuse of process of law in the interest of justice, also praying for quashing of summoning order dated 2.12.2011 (Annexure-P.9) and order dated 1.3.2012 (Annexure-P.10) vide which non-bailable warrants has been issued against petitioner No.2.

The brief facts of the case as stated in the petition are that on 15.3.2007, a case has been filed against the petitioners by respondent No.2 (complainant) alleging therein that the petitioners had illegally confined Rupinder Kaur (respondent No.3) and also abused and threatened respondent No.4 for her life. It is stated that petitioner No.1 is the senior female spiritual follower of Adhyatmik Ishwariya Vishva Vidyalaya (hereinafter referred to as 'AIVV') and petitioner No.2 is the spiritual father of the said spiritual family. The activities are based on the maintenance of purity through teaching and meditation. AIVV also provides free boarding and lodging during their stay to attend the spiritual programmes. Respondent No.3 is the elder daughter of respondent No.2 and respondent No.4 and was a major girl aged about 25 years at the time of filing the complaint. Respondent No.4 is wife of respondent No.2. It is stated that respondent No.4 is an active member of AIVV since 1995 and used to visit and attend spiritual discourse in the spiritual centres at Chandigarh and Delhi with her daughter On 29.3.2005, respondent No.3

Parmar Harpal Singh
2014.01.24 16:37
I attest to the accuracy and integrity of this document
Chandigarh

-6-
For Private Use
Certified to be true copy
Incharge,
Central Copying Agency
(Authorized u/s 76 of Indian Evidence Act, 1872)
High Court of Pb. & Hr., Chandigarh.

has voluntarily joined the AIVV for life long. Respondent No.4 had also executed affidavit on 29.3.2005 showing her faith in the spiritual family.

Reply by respondent No.4 has been filed in this case in which, it is stated that respondent No.2 has filed a false, concocted and stage managed complaint case before the Judicial Magistrate Ist Class, Amritsar. It is also stated in the reply that the petitioners are innocent spiritual teachers and the entire story created by respondent No.2 in the criminal complaint is frivolous and false to harass and defame the petitioners.

Learned counsel for respondents No.3 and 4 also appeared today in the Court denying the allegations in the complaint regarding any illegal confinement of respondents No.3 and 4 by the petitioners etc. and requested that this petition be allowed. The order dated 2.4.2012 passed by this Court in this case shows that respondents No.3 and 4 appeared in this Court and had submitted that they have never been illegally detained and confined by the petitioners. It is also stated by respondent No.4 that her husband had filed complaint out of retaliation. Rupinder Kaur (respondent No.3) also made submissions in the tune of her mother. Respondent No.3 also wished to live in the said Ashram with her own free will and consent. The complaint has been filed by Raj Kumar (respondent No.2) in the present petition against Virendra Deo Dixit and Sukarma (petitioners) under Sections 342, 343, 344, 346 and 347 IPC with the main allegation regarding confining respondent No.3 illegally by the petitioners. As respondents No.3 and 4 have denied the allegations made

Parmar Harpal Singh
2014.01.24 16:37
I attest to the accuracy and integrity of this document
Chandigarh

-7-
For Private Use
Certified to be true copy
Incharge,
Central Copying Agency
(Authorized u/s 76 of Indian Evidence Act, 1872)
High Court of Pb. & Hr., Chandigarh.

in the complaint and stated by appearing in this Court and also by filing affidavits and also denying the allegations of the complainant through counsel for respondents No.3 and 4, I find that no ground is made out to continue with the complaint. The filing of the complaint is misuse/abuse of the process of the law. When respondents No.3 and 4 themselves have stated that they are residing in the Ashram with their own consent and they being major have every right to act as per their own wish.

Therefore, from the above discussion, I find merit in the present petition and the same is allowed. The criminal complaint No.92/2007 dated 15.3.2007 filed for the offences under Sections 342, 343, 344, 346 and 347 IPC as well as the summoning order dated 2.12.2011 (Annexure-P.9) and the order dated 1.3.2012 (Annexure-P.10), vide which non-bailable warrants has been issued against petitioner No.2, passed by the learned Judicial Magistrate Ist Class, Amritsar and all other subsequent proceedings arising therefrom are hereby quashed.

January 22, 2014.

(Inderjit Singh)
Judge

hsp

Parmar Harpal Singh
2014.01.24 16:37
I attest to the accuracy and integrity of this document
Chandigarh

भागवत कथा - 5

योगमाया [12th, CTT (certified teachers training)**]**

यह भागवत की कथा का एक और प्रकरण है, 23 साल की योगमाया का। लूंगा, भद्रक जिले की निवासी योगमाया ने भी ब्रह्मा मुख द्वारा माउंट आबू से उच्चारित **ज्ञान-मुरलियों की गहराइयाँ समझ कर आजीवन पवित्र रहने की इच्छा रखी थी** । बेटी के व्यवहार से रूठे उसके पिता उसे ज्ञान से हटा कर शादी करने के लिए बंधन डालने लगे । योगमाया ने अपने पिता को समझाने के जो भी प्रयत्न किए, वे व्यर्थ हुए और अपने-आप को शादी से बचा कर ज्ञान में स्थिर रहने और ईश्वरीय सेवा करने के लिए कोई रास्ता न बचा सिवाय भागवत के। योगमाया को पता था उसके पिता चुप नहीं बैठेंगे । तो योगमाया ने रजिस्टर पोस्ट द्वारा उड़ीसा, कटक और फ़तेहगढ़, फ़र्रुखाबाद के पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजा, जिसमें यह स्पष्टीकरण दिया गया कि वह वयस्क है और ईश्वरीय ज्ञान में अपनी अटूट श्रद्धा के कारण और अपने पिता द्वारा दिए गए शादी करने के दबाव से बचने के कारण घर छोड़ फ़र्रुखाबाद स्थित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय परिवार से जुड़ने और ईश्वरीय सेवा में समर्पित होने के लिए जा रही है ।

This is about another girl (kanya) Yogamaya, aged 23 years , resident of Lunga, Bhadrak who decided to remain pure lifelong after grasping the depth of the Murlaies of knowledge through the medium of Brahma from Mt. Abu. Being averse to the pure intentions and firm attitude of his daughter, her father started pressuring her to get out of the spiritual knowledge and get married. Yogamaya's efforts to convince her father proved futile and no way out was before her except to escape (resorting to Bhagawat) from the proposed marriage and settle in her favorite spiritual knowledge and Godly Service. She knows well, her father would not remain silent.

In anticipation of her father's interference in her interests to be with the AVV family, she has addressed letters by registered post, both to Superintendents of Police at Cuttack, Orissa and at Fategarh, Farrukhabad, intimating them of her firm decision to stay with the AVV Family for her spiritual enlightenment and Godly Service on her own volition and being major by age. She has also expressed therein her firm resentment towards her father's pressure to get her married.

उसके पिता श्रीहरि भंज ने पुरुघ थाने में दिनांक 26-08-2007 को कम्प्लेंट की कि उनकी बेटी उनके सरकारी क्वार्टर्स से गायब हो गई । यह कम्प्लेंट फिर उड़ीसा में, कटक जिले के दारगा बाज़ार थाने में ट्रान्सफर की गई और दिनांक 29-11-2007 को भा.दं.सं. की धाराओं 363 और 365 के अंतर्गत प्रथम

सूचना रिपोर्ट (नं.64/07) दर्ज की गई। कन्या के पिता ने आरोप लगाया कि हरिपुर स्थित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के सदस्य लक्ष्मीधर पात्रा ने उनकी बेटी **का अपहरण किया है**।

Her father Srihari Bhanj, resident of Lunga, Bhadrak has lodged a complaint with the Police Station at Purugh, on 26th August, 2007 that his daughter is missing from his government quarters. The complaint has subsequently been transferred to the concerned Police Station at Darga Bazar, Cuttack District, Orissa. Accordingly the complaint was registered as FIR No. 64/07 on 29th November, 2007 with Darga Bazar Police Station under sections 363 and 365 IPC. The father of the girl (kanya) Yogamaya has alleged that Mr. Lakshmidhar Patra, a family member of the AVV, at Haripur has kidnapped his daughter.

लक्ष्मीधर पात्रा से जानकारी लेकर, विवेचक कन्या के माँ-बाप के साथ फर्रुखाबाद स्थित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में पहुँचे और विवेचक ने योगमाया के माता-पिता **के सामने** योगमाया का बयान लिया। योगमाया ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि वह वयस्क है और अपनी ही मर्ज़ी से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय परिवार के साथ रह रही है और किसी ने उसका अपहरण नहीं किया है। कन्या ने अपने माँ-बाप के साथ घर वापस जाने के लिए मना किया। अंततः विवेचक ने फ़र्रुखाबाद के चीफ जुडीशियल मैजिस्ट्रेट के सामने दिनांक 31-03-2008 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत योगमाया से बयान दिलवाया, जिस बयान में उसने ऊपर कही हुई बातें फिर से दोहराईं। उसके माँ-बाप भी उस समय कोर्ट में मौजूद थे। विवेचक ने इस प्रकरण की अंतिम रिपोर्ट दिनांक 24-06-2008 को कटक पुलिस उपायुक्त को सौंपी और इस तरह यह केस खत्म हो **गया** और फिर से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के सदस्य निर्दोष साबित हो गए।

The investigating officer has, on the information given by Lakshmidhar Patra, proceeded to Farukhabad "AVV" and recorded her statement in the presence of parents of Yogamaya. The girl (kanya) has specifically stated in the said statement given in their presence that she is a major and staying with the AVV at her own will and nobody has kidnapped her. She has refused to follow her parents back home. Ultimately the investigating officer has arranged to get her statement recorded under section 164 Crpc in the presence of Chief Judicial Magistrate, Farrukhabad on 31-03-2008 wherein Yogamaya has reiterated the same facts in her statement as referred above. Her mother and Father were very much present in the Court at the relevant time. The investing officer has accordingly submitted his final report to the D.S.P., Cuttack. And in result, the complaint lodged by the father of yogamaya was closed. And once again the "AVV" family member was proved flawless. However, the news published in the media is given hereunder.

इस संदर्भ में फ़रुखाबाद न्यूज़ मीडिया वालों की वार्ताएँ नीचे दी गई हैं :-

03-01-08	दैनिक जागरण	बेटी की बेरुखी से बैरंग लौटे माँ-बाप ; वीरेंद्र देव आश्रम में दो दिन बाद हो पाई मुलाकात ; पुत्री ने साथ जाने से इनकार किया।
04-01-08	फरुखाबाद जागरण	वीरेंद्र देव आश्रम में भीड़ ने धावा बोला ; कटक की युवती को जबरन रोकने का आरोप ; हंगामे के बाद माँ को आश्रम में जाने की अनुमति ; श्रीहरि भंज ने पुन: पुत्री को समझाया लेकिन वह घर जाने को राज़ी नहीं हुई।

Dainik Jagaran 23-06-2008

Mob surrounded Virendra Deo Ashram. Complaint is that a girl of Katak was forcibly detained. The mother was allowed inside the Ashram after a lot of commotion. Srihari Bharja has once again tried to convince his daughter but she did not accede to go back home.

Amar Ujala 23-06-2008

Mother and father returned for the reason of their daughter’s inflexibility. The could meet her at Virendra Deo Ashram after two days. The daughter refused to follow their parents.

और आगे की प्रकरण...

Further episodes to continue.

91 MR 1453/07

Schedule XLVII—Form No. 173
P.M. Form No. 33

FINAL FORM

200

(Under Section 173, Cr. P. C.)

102677

(P. M. Rule 174/81)

(45)

*Strike out which is not applicable

*IN THE COURT OF S.D.J.M. (S) Cuttack

1. *District Cuttack P.S. Dargha bazar

*Year 2007 FIR No. 64 *Date 27.11.07

2. Final Report/~~Charge-sheet~~ No. 27
M.F.

3. *Date 24-6-08

4. (i)*Act I.P.C. *Section 363/365 I.P.C.

(ii)*Act ✓ *Section ✓

(iii)*Act ✓ *Section ✓

(iv)*Other Acts and Sections ✓

5. *Type of final Form : ~~Charge-sheet~~/~~No clue~~/~~Unoccurred~~/Not charge-sheeted for want of evidence/others

6. *If F. R. unoccurred : False/Mistake of fact/~~Mistake of Law/Non-cognizable~~ Civil Nature ✓

7. Refer Notice--

(a) Served/Not Served ✓

(b) Copy enclosed : Yes/No (if No, reasons thereof) ✓

8. *If Supplementary or Original Original

9. *Name, Rank and Number (if any) of the I. O. (s) S.I. Sarat Ch. Behuria of Dargha bazar P.S.

10. (a) Name of the Complainant/Informant Srikant Bhanja

(b) Father's/Mother's/Husband's Name Late Tirthchandra Bhanja

11. Date on which the Complainant/Informant was informed of the result 24.6.08

18. *Brief Facts of the Case : is that on 29.11.07 at 12 A.m. compl Sri Kori Bhosta of durga, Bhadrak A/P- Choudhury bazar alleging that one Laxmidhar patra has kidnapped his daughter Jogamaya Bhosta age 23 from his Govt qtr located at Choudhury bazar during their temporary absent from his qtr on 26.8.07. Initial he has reported the matter before IIC Purughat PS. as ... he has reported the matter before IIC ... the place of occurrence the SO ASI S.K. Nayak ascertaining the place of occurrence comes under Dargha bazar PS. Hence transferred to this PS on the point of jurisdiction. Accordingly the case was regd vide PS case No 64/07 U/s 363/365 IPC and I have been directed to take up investigation. I visit the spot in the ... the compl govt qtrs the compl residing at Choudhury bazar.

During course of investigation I examined the compl as well as other family members of compl proceeded to the village Haripur the ... Ashram of Adhyatmika ... where I examined the Laxmidhar patra & the other accused who came to the house of compl prior to the occurrence. Seized Affidavit and the declaration form made the victim Jogamaya on production by Laxmidhar Patra.

I proceeding Farukabad. received the victim Jogamaya Bhosta and recorded her statement U/s 161 CrPC she has also produced before the court of CJM Farukabad UP on 31.3.08 for recording her statement U/s 164 CrPC in which she stated that on her own will she has been to spiritual institute Farukabad and nobody kidnapped her and did not agree to returned back her native place. Her parents was also present at Farukabad.

I submitting report praying to D.C.P ... for passing order to stay the case as FR MF.

Under the above fact and circumstances as she is major and aged about 23 and on her own will she has been to religious institute I stay the case after as FR MF after obtaining orders from DCP CTC and submit final report as FR MF U/s 363/365 IPC.

Submitted

Despatched at........................A.M./P.M.

Signature of O.I.C. — [signature] 29/6/08 SI D bazar

Signature of the Investigating Officer submitting the Final Report/Charge-sheet. — [signature] 24/6/08 D. Bazar

Name Sarat Ch. Bolabehary

Rank SI Dargha bazar PS

Personal Number If any........................

Date 24.6.08

Shedule XIVII–Form.No.123

P.M. Form No.33

FINAL FORM

(Under Section 173 Cr.P.C.)

(P.M. Rule 174/61.)

applicable

IN THE COURT OF S.D.J.M.(S) Cuttack

1. District: Cuttack P.S. Dargha bazaar

Year: 2007 FIR NO. 64

Date 29.11.07

2. **Final Report No.27**

3. **Date: 24.6.08**

4. (i)*Act I.P.C.

*Section: 363/365 I.P.C.

(ii)*Act x

*Section x

(iii)*Act x

*Section x

(iv)*Other Acts and Sections x

5. *Type of final Form: Not charge sheeted for want of evidence/others..........

6. *If F.R.unoccurred: False/Mistake of fact / Civil Nature.........

7. Refer Notice–

(a) Served/Not Server..........X............

(b) Copy enclosed: Yes/No (if No. reasons thereof)..X..

8. *If Supplementary or Original: original

9. *Name, Rank and Number (if any) of the I.O.(s) 5% Sarat Ch. Balobarty of Dargha bazaar P.S.

10. (a) Name of the Complainant/informant: Srihari Bhanja

पु.प्र.कृ. हर्षा

(c) Father's/Mother's/Husband's Name: Late Judhisthra Bhanja

11. Date on which the Complainant/Informant was informed of the result....24.6.08

18. Brief Facts of the Case: is that on 29.11.07 at 12 A.M. complainant Srihari Bhanja of Lunga, Bhodrok A/P. Choudhury bazaar alleging that one Laxmidhar patra has kidnapped his daughter Jogamaya Bhanja aged 23 from his Govt. Qtr located at Choudhary bazaar during their temporary absent from his Qtr on 26.8.07. Initially he has reported the matter before HC Paroghat PS. in writing. The I.O. A.S.I., S.K. Nayak ascertained of the place of occurrence comes under Dargha Bazar P.S. Hence transferred to this P.S. on the point of Jurisdiction. Accordingly the case was registered before P.S. with F.I.R No. 64/07 u/s 363/365 IPC and I have been directed to take up investigation. The spot in this case is the OMC Govt. Qtr of the complainant located at Chaudhary bazaar.

During the course of investigation I examined the complainant as well as the family members of the complainant and proceeded to the Village Haripur, the branch ashram of Adhyatmik Ishwariya Vidyalaya Haripur where I examined the Laxmindhar patra ... other associated who came to the house of complainant prior to the occurrence. Seized affidavit and the declaration form made by the victim Jogamaya on production by Laxmidhar patra.

I proceeded Farrukhabad rescued the victim Jogamaya Bhanja and recorded her statement u/s 161 crpc she has also produced before the court of CJM Farrukhabad as on 31.3.08 and recorded her statement u/s 161 crpc, in which she stated that on her own wish, she was been

in spiritual institute Farrukhabad and nobody kidnapped her and did not agree to return back her native place. Her parents were also present at Farrukhabad.

I submitted report to DCP cuttack praying for passing order to stay the case as PRMF.
Under the above facts and circumstances as she is major one aged about 23 and on her own will she has been to religious institute. The case after as PRMF after obtaining orders from DCP Cuttak and submitted as PRMF u/s 363/365 IPC.

Despatched at .... AM /PM
Submitted

Signature of OIC
....

Signature of the investigating officer submitted the final report/charge-sheet

Name... Soraf......

Rank......

Personal Number If any....

Date....24.6.08

प्र.ब्र.कृ. हर्ष

<u>भागवत कथा - 6</u>

अन्वरसि (MCA)

यह कथा है, तमिलनाडू के कथिमारसिंगापुरम् के रहने वाले सीनिपान्डियन की 21 साल की कन्या अन्वरसि की। जब मुरलियों की धुन कांपिल्यनगरी से कथिमारसिंगापुरम्, तमिलनाडू तक पहुँची तो उन्हीं ज्ञान-मुरलियों के आकर्षण के पीछे निकल पड़ी कन्या अन्वरसि। अब अन्वरसि के माँ-बाप अन्वरसि की शादी करने का प्लैन बनाने लगे, अन्वरसि ने उस बात का विरोध किया और पवित्र रहकर ईश्वरीय सेवा में जीवन अर्पण करने की अपनी इच्छा ज़ाहिर की । अन्वरसि के माँ-बाप और अन्य रिश्तेदारों ने उसकी इच्छा का विरोध किया और उसे रोकने की कोशिश की, तो शुरू हुई भागवत अन्वरसि की।

<u>Bhagawat Story-6</u>

<u>Anbarasi:</u>

This is the episode by anbarasi aged 21years, daughter of Seenipandyan of kathimarsingapuram of Tamilnadu. When the tunes of Murali reached kathimarsingapuram down to South from Kampilya nagari, the girl Anbarasi ran behind the depths of Jnaan Muralies. When the parents of Anbarasi started pressurizing the girl to get her married, she refuted their attempts and expressed her firm desire to maintain purity and involve herself in Godly Service for the rest of her life. The escapade (Bhagawat) started when her parents and other relatives started to confine her to their tunes.

अन्वरसि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के परिवार के साथ अगस्त, 2008 में जुड़ गई और वयस्क होने के कारण उसने अपने माँ-बाप और रिश्तेदारों की धमकियों पर ध्यान न देते हुए अपने-आप को ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित किया एवं दिनांक 13-08-2008 को फ़र्रुखाबाद, कोयंबटूर और दिल्ली के पुलिस अधीक्षकों को ऊपर बताई हुई बातें स्पष्ट करते हुए, अपने माँ-बाप और रिश्तेदारों से रक्षण माँगते हुए पत्र सौंपा।

Anbarasi joined the "AVV family" during August 2008 and being major and not caring for the pressures from her parents and relatives surrendered herself for the cause of Godly Service and addressed letters to the S.Ps of Coimbatore as well Farrukhabad on 13-08-2008 making it clear to them that she was a major and joined the "AVV family" at her volition. She has also requested the authorities to provide Police protection from her parents as well relatives.

जब अन्वरसि के माता-पिता ने आध्यात्मिक विश्वविद्यालय परिवार के विरुद्ध आरोप लगाया कि वे उनकी बेटी को बंधक बनाकर मार-पीट कर रहे हैं और गैरकानूनी काम करने के लिए उकसा रहे हैं, इस कारण अन्वरसि को आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से छुड़ाकर उन्हें सौंपा जाए, तब अन्वरसि को अपने कदम फ़र्रुखाबाद के थाने की ओर आगे बढ़ाने पड़े। फ़र्रुखाबाद थाने में ता.05-12-2008 को शपथपूर्वक बयान देते हुए अन्वरसि ने अपने माँ-बाप के सारे आरोपों का खंडन किया और यह स्पष्ट किया कि वह आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में अपनी स्वेच्छा से, बिना किसी के दबाव के राजी-खुशी से रह रही है। तब उसके माँ-बाप को यह बात माननी ही पड़ी और अन्वरसि अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए आध्यात्मिक विश्वविद्यालय परिवार के साथ जुड़ी रही।

When they complained to the police that the "AVV family" members have detained her, subjecting her to harassment and inciting her towards illegal deeds and requested the Police to release her from the clutches of "AVV family" , then Anbarasi had to step towards the Police authorities at Farrukhabad. She has refuted the allegations instigated by her parents before the Police authorities while making it clear in her statement on 05-12-2008 before them that she was a major and residing happily with the "AVV family" at her own volition and without any pressures by anybody. And their parents had no other go except accepting her version. Now Anbarasi is happy with "AVV family" proceeding towards her aims and ambitions.

The rest of the episodes to continue.

मैं अपने घर नहीं जाऊंगी, आश्रम पर ही रहूंगी - अम्वरसि

पत्रकारों को जानकारी देतीं अम्वरसि व कनाडा का एक युवक।

(आज समाचार सेवा)

फर्रुखाबाद 11 सितम्बर (कुछ दिन पूर्व से तमिलनाडु से यहां एक युवती बाबा वीरेन्द्र देव आश्रम पर रहने लगी थी। जब उसके परिजनों को सूचना मिली तो परिजन अपनी पुत्री को लेने के लिये एक दरोगा के साथ आश्रम पर पहुंचे थे। जहां पर वह युवती आश्रम से चली गई थी। आज वही युवती आश्रम पर आ गई। जहां पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं के बीच जनपद तेनी तमिलनाडु निवासी अम्वरसि पुत्री पी.पाण्ड्यान उम्र २२ वर्ष ने आज पत्रकारों को बताया कि मैं एम.सी.ए.की छात्रा हूं। मेरी मुलाकात बाबा वीरेन्द्र देव से दिल्ली मे हुई थी। जब से मैं उन्हें भगवान मानने लगी हूं। इन्टरनेट के जरिये बाबा वीरेन्द्र देव आश्रम सिकत्तर बाग का पता मिला। उस पते के आधार पर मैं यहां आ गई। युवती अम्वरसि ने बताया कि मैं तीन महिने अपने पड़ोस में ब्रम्हाकुमारी आश्रम में भी शिक्षा ग्रहण कर चुकी हूं। उन्होंने बताया कि मेरे पिता एक हास्टल में चपरासी हैं। और मेरी दो बहने हैं जिनका नाम शशि व कोकिला है। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु में महिलाओं को गलत निगाह से देखा जाता है। इसलिये मैं यहां पर चली आई हूं। जब उनसे पूछा गया कि बाबा वीरेन्द्र देव पर कई मामले बलात्कार आदि अपराधों के दर्ज हैं जिस पर युवती का कहना था कि यह मामले गलत हैं। बाबा गलत नहीं हैं, वह भगवान हैं। कनाडा से आये एक युवक ने बताया कि बाबा वीरेन्द्र देव आश्रम बहुत अच्छा आश्रम है। यहां पर बहुत शान्ति मिलती है। वह भगवान की तरह हैं। उन्होंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया है। वह भले आदमी हैं। बताया गया है कि इस समय बाबा विदेश में रह रहे हैं।

इससे पूर्व पल्ला चौकी प्रभारी के.सी.द्विवेदी भी आश्रम पर पहुंचे। जहां पर वह यह कहकर चले आये कि मीडिया के बाद मैं वार्ता करूंगा। अधिवक्ता ए.के.शर्मा, श्यामू पाण्डेय के बीच युवती अम्वरसि ने पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान पुरुषोत्तम दद्दा व केन्द्र की महिलायें मौजूद रहीं।

संत बि

फर्रुखाबाद,
भू-दान आंदोल
किया गया। इ
कार्यों पर प्रका
सर्वोदयी नेता ड
योग्य थे, उन्हों
है। लेकिन बि
स्थापित किये।
हुये हैं। उन्होंने
जिसमें अंग्रेजी
हेतु सक्षम कर
से दान में भूमि
जून की रोटी
परिवार का जी
आज भी आम
काल्पनिक तस
बाबू पुरवार,वी
सहित तमाम

फर्रुखाबाद
यादव अपने
एक ठेके पर
गया। सूचना
आयी। नेतपा
के बाद शिक्ष

से मारने का मुकदमा दर्ज कराया है। थानाध्यक्ष एसके सिंह ने बताया कि अभियुक्तों के घर पर दबिश दी जा रही है।

अधिकारियों को अवगत कराएंगे, जिससे कि जल्द ही ट्रायल के तौर पर गाड़ी चलाई जा सके। इससे पहले जोशी ने जंक्शन की डीजल लाबी का निरीक्षण किया, स्टाक रजिस्टर चेक किए, जिसमें सब कुछ ठीकठाक मिला। जोशी ने यहां आलू व्यापारियों के साथ एक बैठक की और लदान को लेकर आ रही दिक्कतों का समाधान करने का आश्वासन भी

झगड़े में मिली सजा

हिन्दुस्तान संवाद फर्रुखाबाद

लाठी-डंडों से लैस होकर मारपीट करके चुटहिल कर देने के आरोप में न्यायाधीश ने राघवेंद्र सिंह और जुगेंद्रपाल को दोष सिद्ध हो जाने पर एक धारा के अंतर्गत एक वर्ष के कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

वहीं इन लोगों को एक दूसरे आरोप में छह माह के कारावास और 500 रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया गया। तीसरे आरोप में इन लोगों को छह माह का कारावास ओर 500 रुपये जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया।

जुर्माना न अदा करने पर इन दोनों को एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।

तमिलनाडु से आई अंबरसी ने खोला रहस्य

निज संवाददाता फर्रुखाबाद

तमिलनाडु से बाबा वीरेंद्रदेव दीक्षित के अध्यात्म प्रेम में रंगकर यहां आई अंबरसी ने अपने पिता सी पांड्यान की बात को झूठा कर दिया। पिता द्वारा लगाया गया हत्या का आरोप उस समय मनगढ़ंत साबित हो गया, जब बाबा की इस शिष्या ने गुरुवार को देर शाम आश्रम के बाहर निकलकर पत्रकारों और पुलिस के समक्ष दो टूक लहजे में कह दिया कि तमिलनाडु में महिलाओं को हेय दृष्टि से देखा जाता है। इस वजह से उसने उस समूह से निकलकर अध्यात्म की उस गंगोत्री में गोता लगाया है, जहां धर्म, अध्यात्म और सत्संग की अनवरत गंगा बह रही हैं। जहां पुरुष और महिला का भेद मिट गया है। यहां केवल अविनाशी पुरुष ही बचा है। उसने कहा कि बाबा वीरेंद्रदेव के अध्यात्म पर उसे अगाध श्रद्धा है।

पत्रकारों से बात करती अंबरसी

बाबा आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कराते हैं।

उसका कहना है कि अब उसका परिवार और माता-पिता सब कुछ बाबा वीरेंद्रदेव दीक्षित हैं। इस अध्यात्म की नगरी से वह अब उस जगह नहीं पहुंचना चाहती, जहां पुरुष और महिला में भेद माना जाता है। चौकी प्रभारी इस युवती की बात सुनकर वापस लौट गए।

निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेशन अधीक्षक होता है। क्रू नियंत्रक ने बताया कि चालकों

आश्रम से प्रभावित होकर अपनी मर्जी से आई-अनवर्सी

फर्रुखाबाद। नगर के सिकत्तर बाग स्थित बाबा बीरेन्द्र देव आश्रम को लेकर आए दिन कोई न कोई मामला उठ रहा था। पहली बार आश्रम के व्यवस्थापकों ने पत्रकारों के सामने उस युवती को पेश किया। जिसके लिए बीते दिन उसके परिजन अपहरण का आरोप लगा रहे थे। युवती ने साफ कहा कि वह अपनी मर्जी से केंद्र पर आई है और अपनी मर्जी से ही यहां से वापस जाएगी।

तमिलनाडु से आई युवती अनवर्सी ने कहा कि उसके प्रांत में महिलाओं को हेय दृष्टि से देखा जाता है। उच्च शिक्षा लेने के दौरान उसकी मानसिकता में बदलाव आया और वह बाबा बीरेन्द्र देव की इंटरनेट की बेवसाइट से प्रभावित होकर यहां आई है। उसने कहा कि उसकी मुलाकात दिल्ली में बाबा से हुई थी। यहां की संस्कृति से वह बेहद प्रभावित है। इससे उसके मन में

शांति मिलती है। उसने बताया कि उसकी दो बहनें हैं। यहां आने से पहले वह तमिलनाडु में ब्रहमकुमारी आश्रम में भी कुछ समय के लिए रही थी। उसने कहा कि उसके परिवार के लोगों ने आश्रम पर उसके अपहरण करने का आरोप लगाया गया। वह निराधार है। उसने बताया कि जब उसके परिवारीजन यहां आए थे तब वह केंद्र पर मौजूद नहीं थी। जब उसे इसका पता लगा तब वह अपनी बात कहने यहां आई है। इस दौरान केंद्र के श्यामू पांडे के अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता एके शर्मा मौजूद रहे।

भागवत कथा - 7

पूर्णिमा कुमारी साहू (M.A.)

जब भ्राता वीरेंद्र देव दीक्षित को बदनाम करने की और झूठे कलंक लगाने की सारी कोशिशें असफल होने **लगीं** और षडयंत्रकारियों के मुँह पर ही आकर गिरने **लगीं**, उनके पास कुछ और नई चालें **चलने के** सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं रहा।

Bhagawat Story-7

Poornima Kumari Sahoo:

When all the attempts of besmirching Spiritual Brother Virendra Deo Dixit were facing utter flops in series and their spits bouncing back to their own faces, the conspirators are being left with no alternatives except to invent new methods of harassing.

उड़ीसा राज्य के गाँव हरिपुर की गीता-पाठशाला में ज्ञान-मुरलियाँ सुनते-2 पवित्रता की महिमा और शक्ति को समझ चुकी पूर्णिमा साहू (डबल एम.ए.) को **अपने माता-पिता द्वारा रची हुई शादी से अपने-आप को बचाने के लिए / अपनी पवित्रता की रक्षा करने हेतु उनके चंगुल से छूट कर फ़र्रुखाबाद स्थित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की ओर भागना ही पड़ा।**

Having understood the glory and power of Purity in celibacy during the course of hearing murlies at Gita Pathshaala at Haripur in Orissa State, it has become inevitable for Miss. Poornima Kumari Sahoo, a post graduate, (Doule M.A) to resort to escape towards Farrukhabad in her attempt to rescue herself from the marriage arranged by her parents and save her purity.

इस बार हरिपुर निवासी और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय **के सदस्य** प्रकाश प्रभाकर पात्रा के खिलाफ बालंगा थाने में (क्राइम नं. 8) तारीख 28-02-2009 को धाराएँ 366 और 34 भा.दं.सं. के अंतर्गत पूर्णिमा को किडनेप करने का केस **फ़ाइल** किया गया। कम्प्लेंट **करने वाले कन्या के पिता महादेव साहू खुर्दा जिले के झिन्टिपट्ना गाँव के थे।**

पढ़ाई गई पट्टी के अनुसार जाँच-पड़ताल करने वाले ऑफिसर ने एक रंगीन रिपोर्ट बनाई कि पूर्णिमा जब अपनी तय की गई शादी के मुहूर्त के एक हफ़्ते पहले शादी के कार्ड्स बाँटने के लिए हरिपुर गई, तो

मुल्ज़िमों लक्ष्मीधर पात्रा, प्रकाश प्रभाकर पात्रा, गंगाधर पात्रा, मुरलीधर पात्रा और मनोरंजन सारंगी, जिन्हें यह शादी मंज़ूर नहीं थी, उन सबने मिल करके पूर्णिमा को जान से मारने के इरादे से किडनेप किया।

पूर्णिमा को तो पहले से ही शक था कि उसके पिता कुछ-न-कुछ तो गड़बड़ जरूर करेंगे। तो उसने **पहले ही** दिनांक **27-11-2008 को** अपने पिता और रिश्तेदारों से अपने और हरिपुर के आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के सदस्यों की सुरक्षा के लिए पुलिस रक्षण माँगते हुए (1) **एस**.डी.ओ.**, बिधान** नगर, कलकत्ता, (2) **चीफ़** मेट्रोपालिटन मैजिस्ट्रेट, सॉल्ट लेक, कलकत्ता को **रजिस्टर पोस्ट द्वारा पत्र भेजे, जिसमें पूर्णिमा ने** अपने वयस्क होने का सबूत दिया और आध्यात्मिक विद्यालय में रहने की अपनी इच्छा प्रकट की। परंतु, इन लिखित पत्रों पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

A kidnap case was registered in Balanga Police Station under Crime No. 8 dated 28th February, 2009 under sections 366 and 34 IPC against the said to be accused Prakash Pravakar Patra of Haripur, P.S. Balipatna, Dist Puri. The case was registered as per the written report of Mahadev Sahoo, father of Kum. Poornima Kumari Sahoo of village Jhintipatna, Dist Khurda of Orissa State.

The officer investigating the case under the influence of the inspirers has given a false report, with multicolored findings to the extent that on 21st November, 2008, Poornima had been to village Haripur for distribution of cards to her friends and relatives in connection with her ensuing marriage scheduled after a week the accused persons Lakshmidhar Patra, Prakash Pravakar Patra, Gangadhar Patra, Muralidhar Patra and Manoranjan Sarangi, who were not interested in the marriage have kidnapped Poornima from Haripur with intention to kill her.

Poornima had within her, her own doubt; that her father would resort to something untoward deed. As such she has well in advance i.e., on 27th November, 2008 submitted requests to the (i) S.D.O., Bidan Nagar, Calcutta, (ii) Chief Metropolitan Magistrate, Salt Lake, Calcutta, (iii) Officer-in-Charge, Police Station, Bally seeking police protection from her parents and relatives in apprehension of any harassment that may result out of the adverse interference of their parents. She has in her said requests made it very much clear that she is a major and intend to stay at Adhyatmik Vishwa Vidfyalaya at her own volition. She has also submitted solid proof for her being major. However, the police authorities maintained silence.

पूर्णिमा के पिता सिर्फ F.I.R. दर्ज करके आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के सदस्यों को जेल में डलवाने तक नहीं रुके बल्कि उन्होंने **अपनी बेटी के किडनेपिंग व बंधक बनाकर** आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में रखने जैसे संगीन आरोप लगाते हुए **एक हेबिअस कार्पस रिट पिटिशन (पिटिशन नं. 298/2009)**

उड़ीसा हाई कोर्ट में दाखिल कर दी। धनबल और बाहुबल के ज़ोर पर आध्यात्मिक विद्यालय के निर्दोष **भाई लंबे समय तक जेल में सड़ते रहे ।** गंगाधर पात्रा और मनोरंजन सारंगी को जमानत लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक धक्के खाने पड़े। उन दोनों को दिनांक 30-11-2009 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत मिल गई।

The father of Poornima did not confine to simply lodging the F.I.R and getting the members of "AVV" confined in jail; A habeas corpus petition has been filed in the High Court of Orissa under case No. 298/2009 by Mahadev Sahoo, the father of Kum. Poornima Kumari Sahoo as if to rescue the girl and arrest the persons accused with colored alegations that his daughter was kidnapped and detained with Adhyatmik Vishwa Vidfyalaya. The spiritual brothers had to, in the backdrop of muscle and money power, suffer in the jail for long. Gangadhar Patra and Manoranjan Sarangi had to suffer a lot to approach Supreme Court. They could however get interim bail on 30-11-2009;

उड़ीसा हाई कोर्ट ने उपरोक्त रिट पिटिशन में दिनांक 22-06-2009 को पूर्णिमा साहू को ढूंढकर कोर्ट के सामने पेश करने के **आदेश दिए थे ।** पूर्णिमा को यह डर था कि लोक-लज्जा की आड़ में उसके पिताजी गुंडों-बदमाशों का सहयोग लेकर उसको जान से मारने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए उड़ीसा हाई कोर्ट न जाकर हाई कोर्ट के उक्त निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होकर पूर्णिमा ने अपनी स्वेच्छा से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में दाखिल होने का बयान दिया।

The High court of Orissa had by the time has already issued orders on 22-06-2009 to search for and produce Poornima before the court. Poornima has her own fears that her father may resort to kill her out of fears for the society. And for the reason she has challenged the decision of the Orissa High Court and submitted her statement before the Supreme court stating that she was staying at Adhyatmik Vishwa Vidfyalaya at her own volition.

अब इस लिखत को आगे बढ़ाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिनांक **28-01-2011 को जो आदेश दिए थे,** उसमें से मुख्य अंश प्रस्तुत कर रहे हैं ।

‘‘सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया

क्रिमिनल अपीलेट जुरिस्डिक्शन :

क्रिमिनल अपील्स नं. 260-262, 2011 के,

एस.एल.पी. (क्रिमिनल) नं. 7333-7335 (2009) से जनित :

पूर्णिमा कुमारी साहू : *पिटिशनर्स*

बनाम

उड़ीसा राज्य और अन्य : *रिस्पान्डेन्ट्सः*

साथ में

क्रिमिनल अपील्स नं. 263-265, 2011 के,

एस.एल.पी. (क्रिमिनल) नं. 7008-7010 (2009) से जनित

मनोरंजन सारंगी और अन्यः *पिटिशनर्स*

बनाम

उड़ीसा राज्य और अन्य: *रिस्पान्डेन्ट्सः*

‘‘पूर्णिमा कुमारी साहू के पिता महादेव साहू ने एक हेबिअस कार्पस पिटिशन उड़ीसा हाई कोर्ट के सामने दाखिल कर दी, यह कहते हुए कि उड़ीसा राज्य और अन्य को यह डायरेक्शन दिया जाए कि कुमारी पूर्णिमा कुमारी साहू को पेश किया जाए।

दिनांक 22-06-2009 को हाई कोर्ट ने राज्य को आदेश दिया कि गुमशुदा कन्या को ढूंढकर हाई कोर्ट के सामने पेश करें।

अब हाई कोर्ट के इन्टेरिम आदेश को चैलेन्ज करते हुए वादी पूर्णिमा कुमारी साहू ने इस कोर्ट के सामने स्पेशल लीव पिटिशन दाखिल की। उस पिटिशन में याचिकाकर्ता पूर्णिमा कुमारी साहू ने कहा कि वह

'आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय' नाम की आध्यात्मिक संस्था में अपनी स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव के दाखिल हुई और वहाँ अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है।

दिनांक 14-01-2011 को वादी पूर्णिमा कुमारी साहू इस कोर्ट के सामने पेश हुई और कहा कि वह आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपनी स्वेच्छा से रह रही है और अपने माता-पिता के साथ जुड़ना नहीं चाहती।

आज अर्थात ता.28-01-2011 को वादी पूर्णिमा कुमारी साहू और उसके पिता महादेव साहू इस कोर्ट में हाज़िर हैं। आज फिर से वादी पूर्णिमा कुमारी साहू ने बयान दिया कि वह वयस्क है और अपने पिता के साथ जाना नहीं चाहती और वह आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपनी स्वेच्छा से रह रही है। उसके वयस्क होने का तथ्य स्वीकृत है और विरोधी पक्ष के व उड़ीसा राज्य के अधिवक्ताओं ने उस तथ्य को नकारा नहीं है।

इस दृष्टि से वादी पूर्णिमा कुमारी साहू आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, दिल्ली जहाँ वह पढ़ाई पढ़ रही है, वहाँ या अन्य कहीं भी जा सकती है और उड़ीसा हाई कोर्ट द्वारा रिट पिटिशन (क्रिमिनल) नं. 298/2009 के मुताबिक पास किए गए आदेश को अमल करने की ज़रूरत नहीं है।

नई दिल्ली *वी.एस. सिरपूरकर*

जनवरी 28, 2011 *टी.एस. ठाकुर ''*

At this stage, instead of extending the narration, we prefer an extract of the order of Supreme Court of India, dated 28th January, 2011, be incorporated hereunder. However, a copy of the full judgment with full details and is narrated in English is annexed in the ensuing pages.

"Today, i.e., on 28th January, 2011, the appellant Kum. Poornima Kumari Sahoo and her father Mahadev Sahoo are present in the Court. Today again the appellant Kum. Poornima Kumari Sahoo has made a statement that she is major and does not want to go with her father and is living at Adhyatmik Ishwariya Vishwa Vidyalaya on her own will. The fact of her majority appears to be an admitted fact.

In that view, the appellant Kum. Poornima Kumari Sahoo is free to go anywhere including Adhyatmik Ishwariya Vishwa Vidyalaya , Delhi where she is allegedly

taking education and the interim orders passed by the High Court in W.P. (crl.) No.298 OF 2009 are not required to be executed.

New Delhi sd. V.S. Sirpurkar

January, 28, 2011 sd.T.S. Thakur

इस जजमेंट द्वारा भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णिमा को अपनी इच्छा से कहीं भी जाने का जो आदेश दिया, वह एक बार फिर फर्रूखाबाद के जिला कोर्ट ने कुमारी सविता को आश्रम में जाने के लिए मना करके, भारतीय संविधान के द्वारा सबको जो स्वतंत्रता दी गई है, उस पर जो प्रतिबंध लगाया गया था, उसे याद दिलाता है |

The judgment of the Supreme Court in this case allowing Poornima to go to any place as she wishes; once again brings into remembrances as to how the District Court of Farrukhabad has restrained Miss Savita from going to Adhyatmik Vishwa Vidfyalaya and as to how the freedom accorded by the Indian Constitution itself is constrained.

The order of the Supreme Court which is very much in English and brief in expression is annexed.

सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की कॉपी इसके साथ जुड़ी हुई है।

Compt

Annexure - I

Rule XLVII-- Form No. 118
P. M. Form No. 26

24 APR 2014

3950

........................../200

241411

FIRST INFORMATION REPORT

(P.M. Rule 143)

(Under Section 154, Cr. P.C.)

Strike out which is not applicable

1. District Puri P.- S. Balanga

Year 2009 FIR No. 8(62) Date 28.2.09

2. (i) Act IPC Sections 366/34

(ii) Act .... Sections ....

(iii) Act .... Sections ....

(iv) Other Acts and Sections ....

3. (a) Station Diary Reference : Entry No. .... Time ....

(b) Occurrence or Offence : Day Friday Date 21.11.08 Time 7:00 AM (?)

(c) Information received at the Police-Station : Date 28.2.09 Time 11 AM

S.D.E. No. ....

(d) Date of despatch from P.- S. 28.2.09

4. Type of Information : Written/Oral

5. Place of Occurrence : Haripur

(a) Direction and Distance from P.- S. 10 KM towards North of PS

(b) Address At/PO - Haripur PS - Balanga

Dist - Puri Beat No. ....

(c) In case outside limit of this Police-station, then the name of P.- S. ....

District ....

Complainant/Informant:

(a) Name.....Sri Mahadeb Sahu

(b) Father's/Mother's/Husband's Name.....S/o Late Dibakar Sahu

(c) Date/Year of Birth..................(d) Nationality.....Indian (Hindu)

(e) Address.....Vill- Jhintipatana PO- Chintipatana
PS- Balipatna Dist- Khurda

(f) Passport No..................Date of Issue..................Place of Issue..................

(g) Occupation..................S.C./S.T..................

7. Details of known/suspected/unknown/accused (attach separate sheet, if necessary)

(1) Sri Laxmidhar Patra
(2) Sri Prakash Patra } S/o Lakanath Patra
(3) Sri Gangadhar Patra } PS- Balianta Dist Khurda
all of village- Haripur
(4) Muralidhar Patra S/o Late Gouranga Patra
of Vill- Chintipatna PS- Balipatna Dist- Khurda
(5) Sri Manoranjan Sadangi S/o Basudeb Sadangi
of Vill- Mukunda Daspur PS- Balipatna, Khurda

8. Reasons for delay in reporting by the Complainant/Informant..................
Delay due to searching.

9. Particulars of properties stolen/involved (attach separate sheet, if required)..................

10. *Approximate value of properties stolen/involved..

11. *Inquest Report/U.D. case No., if any..

12. F.I.R. Contents (attach separate sheets, if required).

The xerox copy of the written report of the complt, which has been treated as F.I.R. is attached herewith.

Sd/- D. Mishra, SI
28-2-09
O/C Balasore

13. Action taken : Since the above report reveals commission of offence(s) u/s. (as mentioned at item No. 2) registered the case and refused investigation/and look up the investigation/directed*/and P.I. DC Prasad has already taken upto take up/the investigation/transferred to P.S. .... on point of jurisdiction.

F.I.R. read over to the Complainant/Informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the Complainant/Informant free of cost.

Signature of the Officer-in-charge, Police-station

Name Debasish Mishra

Rank SI of Police

Personal Number, if any O/C Nalco

Date 28.2.09

Signature/Thumb impression of the Complainant/Informant

OGP (Forms) DTP--388--5.000 Bks.--08-06-2006

FIRST INFORMATION REPORT **(Typed Copy)**

(Under section 154, Code of Cr.P.C.)

1. District-Puri, P.S.-Balanga, Year-2009 FIR No.8(6) Date:-28.2.09
2. (i) Act-IPC, Sections-366/34.
3. (i) Date and hour of occurrence-Day-Friday, Date:-21.11.08

   Time –Not noted.

   (ii) Information received at P.S.—Date-28.2.09 Time-11 AM.

   (iii) Date of dispatch from P.S.: 28.2.09.
4. Type of information: Written.
5. Place of Occurrence: Aaripur

   (a) Direction & Distance from P.S.:-10 KM towards North to P.S.

   (b) Address: At+PO-Haripur, P.S.-Balanga, Distt.-Puri
6. Complainant/Informant:

   (a) Name:-Sri Mahadeo Sahoo

   (b) S/o-Late Sh. Dibakar Sahoo

   (c) Nationality: Indian

   (d) Address:-Vill-Jhintipatna P.O.-Chintisasan P.S.-Balipatna Distt.-Khurda
7. Details of accused with full particulars:

   1. Sri Laxmidhar Patra S/o-Sh. Lokanath Patra, 2. Sri Prakash Patra S/o-Sh. Loknath Patra 3. Sri Gangadhar Patra S/o-Sh. Loknatha Patra All R/o-Vill.-Haripur, P.S.-Balanga Distt.-Puri 4. Muralidhar Patra S/o-Late Gouranga Patra R/o-Vill.-Ghintipatna, P.S.-Balipatna, Distt.-Khurda 5. Sri Manoranjan Sadangi S/o-Sh. Basudeb Sadangi R/o-Vill.-Mulkunda Daspur P.S.-Balipatna, Distt.-Khurda.
8. Reasons for delay—No delay.
9. ......
10. ......
11. ......

12. F.I.R. contents:-To, The Incharge, Balanga P.S. Sub:-Regarding Kidnapping of Purnima Kumar Sahoo. Sir, It is requested that I am Mahadeo Sahhoo S/o-Late Sh. Dibakar Sahoo, R/o-Vill-Jhintipatna P.O.-Chintisasan P.S.-Balipatna Distt.-Khurd. My daughter Purnima Kumari Sahoo's marriage was fixed with Sh. Udainarayan Patra S/o-Sh. Muralidhar Patra S/o-Sh. Gaurang Patra of my village on 29.11.08 and the marriage cards were also distributed to the relatives. As per the demand of the Bridegroom's father I gave him Rs.1,20,000/- in front of Sridhar Behra S/o-Late Sh. Gopinath Behra R/o-Vill.-jhintipatna, P.S.-Balipatna Disst.-Khurda and Sh. Bhagwan Behra S/o-Sh. Madhav Behra, Vill.-Panikata, P.S.-Balipatna, Distt.-Khurda. This was an inter caste marriage with the consent of Bride and bridegroom but the father and the maternal uncle of the bridegroom were not ready internally for the same.

On 21.11.08 my daughter Purnima with her friend Pushpanjali Nayak d/o-Babaji Nayak R/o-Vill.+P.O.Jhintipatna P.S.-Balipatna Distt.-Khurda went by scooty to distribute her marriage cards to Adhyatmik Ishwariya Vishwavidyalaya, Haripur run by Laxmidhar Patra, Prakash Patra and Gangadhar Patra- Maternal uncles of Uday Patra all S/o-Sh. Lokanath Patra Vill.-Haripur, P.S.-Balanga, Distt.-Puri and Pushpanjali Nayak dropping my daughter over there returned her home. With this intention that this marriage could not be performed and my daughter would go away from me all three persons alongwith one member of the Ashram- Manoranjan Sadangi S/o-Vasudeo Sadangi R.o-Vill.-Mukunddaspur, P.S.-Balipatna, Distt.-Khurda have kidnapped my daughter.

In this regard talks were done in front of some respected persons of Haripur village and Smt. Budhimati Prishti-Zila Parishad of that area in presence of Father and maternal uncles of the bridegroom. It has come out during talks/discussions that they have

sent the girl to Farrukabad and Laxmidhar Patra also accepted the same.

On 28.11.08 Laxmidhar Patra, Smt. Budhimati Prishti-Zila Parishad of that area along with five persons of the village went to Farrukabad to bring the girl but they could not find the girl over there. Laxmidhar Patra (Maternal uncle of the bridegroom) stayed there and within four days on 30.11.08 he gave a letter to the respected persons who went there for bringing the girl to village Haripur.

On 30.11.08 the respected persons leaving Laxmidhar Patra at Farrukabad returned home without bring the girl and I bore all the expenditure for going to Farrukabad but Laxmidhar Patra could not bring the girl.

I have the application to the following officers:

25.11.08 Balanga Police Station Officer

12.12.08 D.C.P. Bhuvaneshwar

The Chairman, Orissa State Women Commission, Bhuvaneshwar

12.12.08 SHO Balipatna

18.12.08 Superintendent, Puri & S.D.P.O. Nimapara

I have requested that Laxmidhar Patra has got the paper notorised in force and has not told the correct address. I have doubts that these Assamese have got my daughter involved in some illegal activities of have killed her.

I am, therefore, requesting you to kindly bring my daughter after doing the proper action in this regard.

I will be grateful for this kind work.

Yours truly

Mahadeo Sahoo

Date 28.02.09

Vill-Jhintipatna

//True Copy//

P.s. Balipatna

IN THE SUPREME COURT OF INDIA

CRIMINAL APPELLATE JURISDICTION

CRIMINAL APPEAL NOS. 260-262 OF 2011
[ARISING OUT OF S.L.P. (CRL.) NOS. 7333-7335 OF 2009]

Certified to be true copy
Assistant Registrar (Judl.)
25-2-11
Supreme Court of India

PURNIMA KUMARI SAHOO ... Petitioner(s)

Versus

STATE OF ORISSA & OTHERS ... Respondent(s)

WITH

CRIMINAL APPEAL NOS. 263-265 OF 2011
[ARISING OUT OF S.L.P. (CRL.) NOS. 7008-7010 OF 2009]

MANORANJAN SARANGI & ORS. ... Petitioner(s)

Versus

STATE OF ORISSA & OTHERS ... Respondent(s)

O R D E R

1. Leave granted.

2. Mahadeb Sahoo, father of the Purnima Kumari Sahoo-appellant herein filed a habeas corpus petition before the High Court of Orissa for issuance of direction to the respondents for production of the appellant.

3. Vide order dated 22.6.2009, the High Court directed the State to file an affidavit indicating the steps taken to

trace out the missing girl and also to produce her before it. Similar orders were passed from time to time by the High Court.

4. In the meantime, challenging the interim orders passed by the High Court, the appellant Purnima Kumar Sahoo approached this Court and sought permission to file Special Leave Petition. It was stated in the petition that the appellant joined a spiritual organisation namely; "Adhyatmik Ishwariya Vishwavidyalaya" in 2007 willingly and without any external threat, coercion or pressure and is pursuing her education there.

5. Vide order date 18.9.2009 passed by this Court, permission to file Special Leave Petition was granted and notice was issued.

6. On 14.1.2011, the appellant was present in the court and stated that she is living at "Adhyatmik Ishwariya Vishwavidyalaya" on her own will and does not want to join her parents. Accordingly, appellant and her father were directed to remain present in court on 28.1.2011 in order to establish the identity of the appellant.

7. Today i.e. 28.1.2011, the appellant Purnima Kumari Sahoo and her father Mahadev Sahoo are present in the court. The appellant has been identified by her father. Today again, the appellant has made a statement that she is major and does not want to go with her father and is living at

"Adhyatmik Ishwariya Vishwavidyalaya" on her own will. The fact of her majority appears to be a admitted fact and was not controverted by the counsel appearing for the parties including the State of Orissa.

8. In that view, the appellant Purnima Kumari Sahoo is free to go anywhere including "Adhyatmik Ishwariya Vishwavidyalaya", Delhi where she is allegedly taking education and the interim orders passed by the High Court in W.P. (Crl.) No. 298 of 2009 are not required to be executed.

9. Since the interim orders passed by the High Court shall not be required to be executed, we direct the disposal of the Habeas Corpus Petition before the High Court in terms of this order.

10. With these directions, the appeals stand disposed of.

....................J.
(V.S.SIRPURKAR)

.....................J.
(T.S.THAKUR)

New Delhi,
January 28, 2011.

ITEM NO.44 Court No.8 SECTION IIA

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Petition(s) for Special Leave to Appeal (Crl) No(s).7333-7335/2009

(From the judgement and order dated 22/06/2009, 24.7.2009 and 11.8.2009 in WPCRL No. 298/2009 of The HIGH COURT OF ORISSA AT CUTTACK)

PURNIMA KUMARI SAHOO Petitioner(s)

VERSUS

STATE OF ORISSA & ORS. Respondent(s)

(With appln(s) for exemption from filing O.T.,stay,exemption from filing c/c of the impugned order and office report)

WITH SLP(Crl) Nos. 7008-7010 of 2009
(With appln. for stay and office report)

Date: 28/01/2011 These Petitions were called on for hearing today.

CORAM :
HON'BLE MR. JUSTICE V.S. SIRPURKAR
HON'BLE MR. JUSTICE T.S. THAKUR

For Petitioner(s) Mr. K.B. Upadhyay, Adv.
Mr. S.P. Singh, Adv. for
Mr. S.R. Setia,Adv.

For Respondent(s) Mr. Radha Shyam Jena,Adv.

Mr. Ajay Choudhary ,Adv

UPON hearing counsel the Court made the following
O R D E R

Leave granted.

The appeals are disposed of in terms of signed order.

D.C.P. (Security), Supreme Court of India is directed to provide security to the appellant - Purnima Kumari Sahoo till she reaches Adhyatmik Viswavidyalaya, Vijay Vihar, Delhi.

sd/ sd/

(Pardeep Kumar)
Court Master

(Shashi Bala Vij)
Court Master

[REASONED ORDER WILL FOLLOW]

IN THE HIGH COURT OF ORISSA : CUTTACK

CRLMC NO. 113 OF 2010

Code No. : 092100

IN THE MATTER OF: An Application under Section 482 of the code of Criminal Procedure Code seeking quashing of the FIR No. 8(6) Dated 28.02.2009 U/s. 366/34 IPC, P. S. – Balanga and G. R. Case No. 114 of 2009 of the Judicial Magistrate Firstclass, Nimapara.

AND

IN THE MATTER OF:

1. Sri laxmidhar Patra, aged about 43 years
2. Sri Pravakar Patra, aged about 38 years
3. Sri Gangadhara Patra, aged about 35 years, Petitioner No. 1 to 3 are Sons of Lokanatha Patra, of Village : Haripur, P.S. Balanga, Dist. : Puri.
4. Muralidhara patra, aged about 54 years, S/o. Late Gouranga Patra, of village : Chintipatana, P.S. : Balipatna, Dist. : Khurda.
5. Sri Monoranjana Sadangi, aged about 43 years, S/o. Basudeb Sarangi, of village : Kukunda Daspur, P.S. Balipatna, Dist. : Puri

.... Petitioners

Vrs.

1. State of Orissa
2. Superident of Police, Puri, Dist. : Puri

2

12 JAN 2010
HIGH COURT OF ORISSA

3. Office-in-Charge, Balanga Police Station, At/P.O. : Balanga, Dist. : Puri

4. Sri Mohadeb Sahoo, aged about 59 years, S/o. Late Dibakar Sahoo, of Vill. : Jhintipatana, P.S. Balipatna, P.O. Jhintisasan, Dist. : Khurda.

.... Opposite Parties

The matter out of

Serial No. of Order	Date of Order	ORDER WITH SIGNATURE	Office note as to action (if any), taken on Order
10.	29.07.2011	Heard Mr.A.C.Sarangi, learned counsel for the petitioners and learned Addl. Standing Counsel for the State. In the present application under Section 482 Cr.P.C., prayer has been made by the petitioners to quash the criminal proceeding in G.R. Case No.114 of 2009 arising out of Balanga P.S. Case No.8(6) dated 28.2.2009 pending in the court of learned J.M.F.C., Nimapara for the alleged offence under Sections 365/34 I.P.C., inter alia, on the ground that the Hon'ble Supreme Court in S.L.P.(Crl.) Nos.7333-7335 of 2009 and 7008-7010 of 2009 filed by the alleged victim, namely, Purnima Kumari Sahoo came to be disposed of with the following directions: "In that view, the appellant Purnima Kumari Sahoo is free to go anywhere including "Adhyatmik Ishwariya Vishwavidyalaya", Delhi where she is allegedly taking education and the interim orders passed by the High Court in W.P.(Crl.) No.298 of 2009 are not required to be executed. Since the interim orders passed by the High Court shall not be required to be executed, we direct the disposal of the Habeas Corpus Petition before the High Court in terms of this order."	

Serial No. of Order	Date of Order	ORDER WITH SIGNATURE	Office note as to action (if any), taken on Order
		2	

On perusal of the record, it appears that on 2.5.2011 when the matter was taken up Sri A.K.Parida, learned Advocate of the High Court Bar Association entered appearance on behalf of Opposite Party No.4 and accepted notice. It is stated by the learned counsel for the petitioner that Opposite Party No.4 had appeared before the Hon'ble Supreme Court through counsel and had identified the victim, namely, Purnima Kumari Sahoo (appellant before the Hon'ble Supreme Court) as his daughter. Although Sri A.K.Parida had accepted notice on behalf of Opposite Party No.4, he remained absent on two consecutive dates in spite of his name being published in the cause list.

The Hon'ble Supreme Court in the aforesaid case came to note that on 14.1.2011, the appellant (Purnima Kumari Sahoo) was present in Court and stated that she is living at "Adhyatmik Ishwariya Vishwavidyalaya" on her own will and does not want to join her parents and accordingly, the appellant's father was directed to remain present on 28.1.2011 in order to establish the identity of the appellant. On 28.1.2011, the appellant-Purnima Kumari Sahoo and her father, namely, Sri Mohadeb Sahoo

Serial No. of Order	Date of Order	ORDER WITH SIGNATURE	Office note as to action (if any), taken on Order

(O.P.4) were present and the appellant was identified by her father in Court. Purnima Kumari Sahoo reiterated her statement that she is a major and does not want to go with her father and is living at "Adhyatmik Ishwariya Vishwavidyalaya, Delhi" on her own will. The Hon'ble Supreme Court also held that the fact of majority is the admitted fact and was not controverted by the learned counsel appearing for the parties including the State of Orissa.

Considering the finding arrived at by the Hon'ble Supreme Court as noted hereinabove, I am of the considered view that end of justice would be best met and the abuse of the process of the Court could be avoided if the criminal proceeding in G.R. Case No.114 of 2009 arising out of Balanga P.S. Case No.8(6) dated 28.2.2009 pending in the court of learned J.M.F.C., Nimapara is quashed and this Court orders accordingly.

Accordingly, the CRLMC is allowed.

Urgent certified copy of this order be granted on proper application.

Sd/- I. Mahanty, J

2-8-11

भागवत कथा - 8

रजनी यादव (B.com.)

यह एक और सत्य–असत्य के बीच हुए धर्मयुद्ध की दास्ताँ है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की रहने वाली 20 साल की रजनी यादव भी ऐसी कन्याओं में से एक है, जो ज्ञान-मुरलियों और अव्यक्त-वाणियों के आधार पर अपने-आप को ईश्वरीय सेवा में समर्पित होने के दृढ़ संकल्प को लेकर फ़र्रुखाबाद के आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की ओर दौड़ पड़ी और दिनांक 14-12-2009 को ईश्वरीय यज्ञ में समर्पित भी हो गई।

फिर कहानी तो हमेशा की तरह वही रही; रजनी के माता-पिता वीर सिंह यादव और विमला देवी रजनी की ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद उसकी शादी कराना चाहते थे। उसके माता-पिता उसकी शादी कराने के लिए अड़े रहे और वह अड़ी रही अपनी पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए। रजनी की अपने मात-पिता को मनाने की सारी कोशिशें नाकाम हुईं। अब बची एक ही राह, वही- 'भागवत' । एक आशा की किरण रहा उसका भाई, जिसने इस भागवत में उसका पूरा साथ दिया।

Bhagawat Story-8

Rajani Yadav:

This is another battlefront on the side of the only one Truth; a battle of the Truth with the lie.

Rajani Yadav aged 20 years from district Raighad of Maharashtra one of such girls who have with firm determinations decided to surrender themselves for Godly Service on the basis and directions of Muralies as well the indications in Avyakta Vanis which have influenced them to resort to escapade towards Farrukhabad. Rajani Yadav surrendered herself for the cause of Godly Service on 14th December, 2009. Again the same story; the same history in repetition. Her father Veer Singh Yadav and her mother Vimala Devi decided to get her married immediately after her graduation. They stood firm to get her married and Rajani stood on the battlefront with her firm decision to maintain purity lifelong. All the attempts of Rajani proved futile to convince her parents. Now remains the only one way. Escapade (The Bhagawat) . There remained only one ray of hope; that is her brother who joined hands with her.

वह भी ज्ञान के आधार पर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से जुड़ना चाहता था और 7 दिन की ज्ञान-योग की भट्ठी भी करना चाहता था। दोनों भाई-बहन ने फ़र्रुखाबाद जाने के लिए अपनी टिकिट्स भी बनाए थे; परंतु बहन मात-पिता के पकड़ में आ गई और भाई फ़र्रुखाबाद के लिए रवाना हो गया। लेकिन

कुछ ही दिन बाद मौका देखकर रजनी अपने भाई के सहयोग से ता.11-12-2009 को घर छोड़ फ़र्रुखाबाद चली गई।

Her brother was also much inclined towards joining with Adhyatmik Vishwa Vidyalaya. He wanted to attend for Bhatti, a seven day course of spiritual enlightenment with specific restrictions in pure atmosphere. Both the brother and sister planned to escape towards Farrukhabad; also got their tickets reserved secretly; but alas! the sister was caught hold of by their parents and the brother could however skip for Bhatti in Farrukhabad. At last, she could find way out to escape and she could leave the house with the help of her brother on 11-12-2009.

दिनांक 11-12-2009 को ही रजनी ने अपनी स्वेच्छा से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय परिवार के साथ जुड़ने की बात को फ़र्रुखाबाद और रायगढ़ के पुलिस अधीक्षकों को स्पीड पोस्ट द्वारा सूचित कर दी तथा अपने माता-पिता और रिश्तेदारों से रक्षण के लिए उनके सामने अपनी विनती भी रखी। फिर भी उसके माता-पिता बार-2 आध्यात्मिक विद्यालय में आकर उसे शादी कराने हेतु घर वापस ले जाने का प्रयास करते रहे, धमकियाँ देते रहे और दबाव डालते रहे। उनका व्यवहार ऐसी स्थिति तक पहुँच गया कि न चाहते हुए भी रजनी के सामने अपने मात-पिता के विरुद्ध महिला घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 18 के अंतर्गत मात-पिता को घरेलू हिंसा करने से रोकने और उसके निवास स्थान पर आने से व किसी भी तरीके से संवाद करने पर रोक लगाने का आदेश माँगते हुए, दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में केस फाइल करने की नौबत आ गई।

It was on 11th December, 2009, she has advised the fact of her joining the "AVV family" to the S.Ps of Raighad as well Farrukhabad, thereby requesting them to provide Police protection from her parents and relatives. Still, her parents started to frequently visit Farrukhabad "AVV" and harass their daughter with pressures and threats in order to take her with them and get her married. The level of their harassment reached to such a stage that Rajani , though not wished to , had to file a petition in Rohini Court at Delhi on 4th February, 2011 under Domestic Violence Act 2005. She requested the court for orders to provide her protection and safety. She had to extend her request with the court to restrain her parents from pressuring her to take her back home.

वक्त गुज़रते-2 रजनी के माता-पिता ने अपनी बेटी की दृढ़ता और सच्चाई पर अडिग रहने के स्वभाव के सामने हार मानी और उसे आध्यात्मिक विद्यालय में निश्चिंत रूप से रहने की अनुमति दे दी। अत: कोर्ट केस विदड्रा किया गया। अब आखिर धर्मयुद्ध की इस लड़ाई में भी सच्चाई की विजय हुई और रजनी यादव आ.ई.वि.वि. परिवार के साथ रहकर आध्यात्मिक शिक्षिका के रूप में आध्यात्मिक ज्ञान का पूरे भारत में आज भी प्रचार-प्रसार कर रही है।

And in course of time the parents of Rajani had to face defeat as to the firm and concrete decision to stand beside the Truth; they finally accepted her to continue her stay in the "AVV" and the case filed in the court was withdrawn. And at last the Truth has won its usual victory and Rajani with "AVV family" happily. Rajani now is with the "AVV family" engaging herself in spreading the spiritual knowledge all over India. The further episodes of Bhagawat Story to continue.

और आगे की प्रकरण...

भागवत कथा - 9

नीलिमा गुप्ता (BCA)

यह भी भागवत का एक और प्रकरण है। रीवा की एक कन्या नीलिमा गुप्ता, जो कि पहले से ही ईश्वरीय **ज्ञान** से प्रभावित थी और अपनी पवित्रता की सुरक्षा हेतु अपने-आप को ईश्वरीय सेवा में समर्पित करने का निश्चय कर चुकी थी। परंतु, शादी करवाने की जिद्द पर अड़े हुए उसके माता-पिता ने **उसके** इस निर्णय को ठुकरा दिया और वे उस पर और भी बंधन डालने लगे, ताकि वह ईश्वरीय **ज्ञान** छोड़ दे और शादी कर ले। 22 साल की नीलिमा गुप्ता दिनांक 23-10-2010 को घर छोड़कर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, फ़र्रुखाबाद से जुड़ गई। घर छोड़ते समय ही उसने महिला थाने की थाना इंचार्ज को एक पत्र भेजा, जिसमें बताया कि उसके माता-पिता उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध शादी करने के लिए दबाव डाल रहे हैं और वह अपनी स्वेच्छा से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में दाखिल हो रही है।

Bhagawat Story-9

Neelima Gupta:

This is another episode of Bhagawat Story in which a girl Neelima Gupta who was already influenced by the Spiritual Knowledge with undeterred foundation has come to conclusion that in order to maintain Purity, it is inevitable that she should surrender herself for the cause of Godly Service. But her parents remained adamant to get her married; they refused to adhere to her decisions; started to confine her at home and pressurize her for marriage against her wish so that she would leave the knowledge and get married. so, she left home and joined with "AVV family” at Farrukhabad on 23rd October, 2010. Simultaneously she has addressed the in-charge of the Women Police Station , a letter wherein she has made it clear that she was being pressurized by her parents for marriage against her wish and that she joining the "AVV family" at her own will .

नीलिमा के माता-पिता और भाई दिनांक 10-11-2010 को आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, दिल्ली में रीवा पुलिस के साथ पहुँचे और नीलिमा को गाली देते हुए, जबरियन उसकी शादी करवाने हेतु अपने साथ घर ले जाने की कोशिश करने लगे। **रीवा** पुलिस जो कि साथ में आई थी, उनके सामने नीलिमा ने अपना बयान दिया कि वह वयस्क है और स्वेच्छा से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से जुड़ी है।

The parents of Neelima and her brother reached "AVV" Delhi along with Rewa Police; started accusing her and tried to grab her for the purpose of taking her

along with them and get her married. Neelima has given a statement before the Rewa Police who has followed her parents that she was a major and joined with Adhyatmik Vishwa Vidfyalaya at her volition.

बेटी को आध्यात्मिक विद्यालय से अलग करके घर वापस लाने की कोशिश में असफल होने **की** वजह से क्रोधित हुए उसके माता-पिता ने **रीवा** जिले के ही आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के सदस्य पवन कुमार कुशवाह और रामराज साहु के ऊपर दिनांक 01-12-2010 को नीलिमा के अपहरण की झूठी एफ.आई.आर. (अ.सं. 228/10) **भा.दं.सं. की धाराओं** 363, 366 **और** 34 **के अंतर्गत फ़ाइल कर दी और दोनों भाइयों को पुलिस द्वारा जेल में डलवा दिया।**

Having annoyed with their failure to get her seperated from Adhyatmik Vidfyalaya and get her back home, her parents lodged a false F.I.R against the AVV family members, Pawan Kumar Kushwah and Ramaraj Sahu (Crime No.228/10) under sections 363,366 and 34 of Crpc on the very first day of December, 2010 claiming that they have kidnapped their daughter. The innocent spiritual brothers were put behind bars.

जिसके प्रतिउत्तर में नीलिमा ने ता.04-12-2010 को रीवा के फर्स्ट क्लास जुडीशियल मैजिस्ट्रेट प्रतिभा सत्वाने के सामने एक ऐफ़िडेविट दिया कि ''वह अपनी स्वेच्छा से आध्यात्मिक विद्यालय की सेवाओं में ता.25-10-2010 से जुड़ी हुई है और वह पवित्रता का पालन करते हुए, **ईश्वरीय सेवा** करना चाहती है। उसके माता-पिता अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी बेटी अपनी इच्छा से आध्यात्मिक विद्यालय के साथ जुड़ी हुई है और शादी नहीं करना चाहती है'' ।

In response, Neelima has filed an affidavit before the Judicial Magistrate Prtibha Satwane, Rewa on 04-12-2010, stating that she has joined the Adhyatmik Vidfyalaya since 25-10-2010 and wishes to extend her services for Godly Service duly maintaining Purity. Her parents know well that their daughter has joined with Adhyatmik Vidfyalaya at her own will and does not want to get married.

नीलिमा के मात-पिता व भाई ने दिनांक 27.11.2010 को विद्यालय में आकर नीलिमा को जान से मारने की धमकी दी व गंदी गाली-गलौज की। अपने माता-पिता व भाई की इन हरकतों से तंग होकर नीलिमा को इस मामले में अपने पिता भगवानदास गुप्ता, माता कुसुम कली गुप्ता और भाई राजीव गुप्ता के विरुद्ध ए.सी.एम.एम. रोहिणी जिला कोर्ट में भा.दं.सं. की धारा 182, 506 और 34 के अंतर्गत ता. 06-12-2010 को कम्प्लेंट केस दाखिल करना पड़ा।

The parents and brother of Neelima came to Vidyalaya on 27-1-2010, abused her and threatened to kill her. Having frustrated by the harassment meted out by her, Neelima was compelled to file a criminal complaint against her own father Bhqawan Das Gupta, mother Kusumkali Gupta and brother Rajiv Gupta on 6th December, 2010 in the court of ACMM, Rohini, Delhi under sections 182 and 506 along with section 34 of Crpc.

ऊपर कही हुई सारी बातों का स्पष्टीकरण देते हुए नीलिमा ने फिर से रीवा के फर्स्ट जुडीशियल मैजिस्ट्रेट प्रतिभा सत्वाने के सामने **ता. 15-03-2011 को एक और पत्र सौंपा**। उसमें यह भी बताया कि उसे उन आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के भाइयों के विरुद्ध बयान देने के लिए उसके माता-पिता जबरियन दबाव दे रहे हैं। उसने यहाँ तक भी निवेदन किया कि उसके बयान को वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा रिकॉर्ड करें; क्योंकि दिल्ली से रीवा आकर कोर्ट में बयान देने में उसके मात-पिता द्वारा उसकी जान को खतरा है।

Making the above said in clear terms, Neelima has again submitted another letter on 15th March, 2011 before the First Class Judicial Magistrate Pratibha Satwane wherein she has affirmed that her parents are pressuring her to give a statement against the spiritual brothers of Adhyatmik Vishwa Vidfyalaya . Neelima has further requested to record her statement by video conference for the reason that there would be threat to her life if she has to attend at Rewa Court coming all the way from Delhi for giving statement.

बेकसूर पवन कुमार कुशवाहा व रामराज साहू को लम्बी अवधि के लिए जेल में कैद होकर रहना पड़ा। अंततः केस सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा। अब आगे की बात नीचे **दिए गए** सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुख्य अंश में मौजूद है।

Alas! the innocent brothers Pawan Kumar Kushwah and Ramaraj Sahu had to remain in jail for long term for no fault of them. And finally, the case reached the Supreme Court. The Supreme Court while accepting the version of Neelima Gupta, has ultimately allowed the appeal of the arrested brothers and released them vide its order dated 2nd November, 2012.

‘‘ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया,

क्रिमिनल अपीलेट जुरिस्डिक्शन

क्रिमिनल अपील नं. 1829 / 2012

एस.एल.पी. (क्रिमिनल) नं. 6395 /2012 से जनित

पवन कुमार कुशवाह और अन्य *अपीलेंट*

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य और अन्य *रिस्पान्डेंट्स*

आदेश सारांश में :-

“यह अपील मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, जबलपुर से पारित हुए आदेश से जनित है, जिस आदेश द्वारा अपीलेंट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत दाखिल किए गए मिसिलेनिअस क्रिमिनल केस नं. 10923/2011 को अपीलेंट के खिलाफ JMFC, Rewa कोर्ट के समक्ष लंबित एम.जे.सी. नं. 1 /2011 की कार्यवाही को रद्द करने से मना करते हुए निरस्त कर दिया।

कुमारी नीलिमा गुप्ता की माँ और भगवानदास गुप्ता की पत्नी कुसुम कली गुप्ता के द्वारा भा.दं.सं. की धाराएँ 363 और 366 सपठित धारा 34 के अंतर्गत आनंदपुर, जिला रीवा के थाने में की गई रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज किया गया है।

विवेचक ने शिकायतकर्ता के आरोपों की विवेचना करके रीवा के जुडीशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दाखिल की जिसमें यह कथित किया है कि रिपोर्ट में जिन व्यक्तियों के नाम लिखे हैं उन्होंने कोई भी अपराध को अंजाम देने की बात साबित नहीं होती। लेकिन शिकायतकर्ता ने उक्त रिपोर्ट से असंतुष्ट होकर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोटेस्ट पिटिशन दाखिल किया जो कि मैजिस्ट्रेट ने संज्ञान लेते हुए स्वीकार किया और अपीलेंट के खिलाफ आदेशिका जारी की गई।

मैजिस्ट्रेट के आदेश से व्यथित होकर अपैलंट्स (पवन कुमार कुशवाह और अन्य) ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत जबलपुर हाई कोर्ट के सामने पिटिशन दाखिल की। अपैलंट्स का केस जो हाई

कोर्ट के समक्ष और हमारे समक्ष भी यही रखा गया कि वे पूरी तरह से बेकसूर हैं और कुसुम कली गुप्ता की बेटी कुमारी नीलिमा गुप्ता ने जिस दिन आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में दाखिल होने के लिए अपने घर-परिवार को अपनी स्वेच्छा से छोड़ा था, उस समय वह वयस्क थी।

*हाई कोर्ट के सामने नीलिमा गुप्ता द्वारा **फ़ाइल** किए गए ऐफ़िडेविट में यह कहा गया था कि वह अपनी मर्ज़ी से, किसी अन्य के दबाव के बिना, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के साथ जुड़ गई है। हाई कोर्ट ने इस बयान को अनदेखा करते हुए अपैलंट्स की पिटिशन को निरस्त किया था।*

जब दिनांक 16-08-2012 को यह केस हमारे समक्ष आया और कुमारी नीलिमा गुप्ता व्यक्तिगत रूप से यहाँ पेश हुई और उसने निवेदन किया कि वह लगभग 24 साल की वयस्क है और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की स्टूडेंट तथा टीचर भी है। उसने आगे यह भी कथन किया कि वह किसी के दबाव के बिना, अपनी मर्ज़ी से आश्रम में रह रही है।

फलस्वरूप, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हैं और अपीलंट ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत दाखिल किए गए पिटीशन को स्वीकार करते हैं और फर्स्ट क्लास जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, रीवा के समक्ष लंबित कार्यवाही को भी रद्द करते हैं।

अपील अलाउ किया जाता है।''

नई दिल्ली *टी.एस. ठाकुर (जज)*

नवंबर 02, 2012 *फ़कीर मोहम्मद इब्राहीम कलीफ़ुल्ला (जज) ''*

इतना सब-कुछ होने के बाद ही आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के भाइयों को उनके ऊपर लगे आरोपों से मुक्ति मिली। इस केस से संबंधित कोर्ट जजमेंट के कुछ मुख्य भाग इसके साथ जुड़े हुए हैं।

Only after facing so many situations, the spiritual brothers of Adhyatmik Vishwa Vidfyalaya could get relieved of the allegations imposed on them.

We do not wish to repeat the order of the Supreme Court for the sake of brevity and simply annex the full judgment of the Supreme Court of India for reference; as the judgment itself is very much in English and is also in a brief manner.

The other episodes to continue.

XVI-(a) 212
पुलिस हिन्दी

1802

प्रतिपूर्ण
पृ. क्रमांक

फार्म नं. 1

प्रथम सूचना प्रतिवेदन (धारा 154 द. प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत).

FIRST INFORMATION REPORT (Under Sec. 154 Cr. P. C.)

1. *जिला रीवा *थाना अमरपाटन *वर्ष 2010 *प्र. सू. प. क्र. 228/010 *दिनांक 1/12/10 48
2. (1) *विधान ---- धाराएं ----
   (2) *विधान भा.द.वि. धाराएं 363, 366, 34
   (3) *विधान x धाराएं ----
   (4) *अन्य विधान एवं धाराएं x
3. (अ) संदर्भित रोजनामचा क्र. x
   (ब) *घटना का दिन शनिवार *दिनांक 23/10/010 *समय 1 बजे दिन
   (स) थाने पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 1/12/2010 समय 14:00 बजे रो. सा. क्र. 24
4. सूचना का प्रकार : *लिखित/मौखिक
5. घटना स्थल : (अ) थाने से दिशा व दूरी 5 KM दक्षिण
   (ब) *घटना स्थल का पता बोदाबाग वार्ड क्र. 9 थाना अमरपाटन बीट नं.
   (स) घटना स्थल अन्य थाना क्षेत्राधिकार है तो थाना x जिला x
6. अभियोगी/सूचनाकर्ता :
   (अ) नाम श्रीमती कुसुम कली गुप्ता
   (ब) पिता/पति/पालक का नाम भगवानदास गुप्ता
   (स) जन्म दिनांक/वर्ष 46 वर्ष
   (द) पासपोर्ट नं. x जारी दिनांक ---- (क) राष्ट्रीयता भारतीय
   जारी होने का स्थान
   (क) व्यवसाय गृह कार्य
   (ख) पता बोदा बाग वार्ड क्र. 9 थाना अमरपाटन
7. ज्ञात/अज्ञात/संदेही/आरोपी का पूर्ण विवरण (आवश्यकतानुसार पृथक पृष्ठ का प्रयोग करें)

   (1) महेश पिता विश्वकर्मा बोदा बाग
   (2) पूजा पिता विश्वकर्मा – बोदा-बाग
   (3) पवन कुशवाहा निवासी नेहरू नगर रीवा
   (4) राजाभाई (5) मालती बहन दोनों निवासी विन्ध्य विहार कालोनी, रीवा
8. अभियोगी/सूचनाकर्ता द्वारा सूचना दिये जाने में विलम्ब का कारण पुत्री तलाश करते रहने व आरोपियों की धमकी के बाद पता चलने के डर से
9. अपहृत/सम्बद्ध सम्पत्ति का पूर्ण विवरण (आवश्यकतानुसार पृथक पृष्ठ का प्रयोग करें)
10. *अपहृत/सम्बद्ध सम्पत्ति का कुल मूल्य
11. *मर्ग/अकाल मृत्यु सूचना क्रमांक (यदि हो)
12. प्रथम सूचना विवरण (आवश्यकतानुसार पृथक पृष्ठ का प्रयोग करें)

आवेदिका कुसुमकली गुप्ता निवासी बोदाबाग रीवा की लिखित आवेदन [illegible] राजीव गुप्ता के साथ उपस्थित
थाना एक लिखित आवेदन पत्र [illegible] की [illegible] वाले कार्यवाही हेतु थाना अनन्तपुर को प्रेषित
मामला जो प्रथम धारा 363, 366, 34 IPC का घटित पाए जाने से प्रथम सूचना विवरण में लिया
जाता है। आवेदन पत्र की नकल अक्षरशः निम्न नकल है। प्रति, श्रीमान थाना प्रभारी महोदय थाना
अनन्तपुर जिला रीवा (म.प्र.), विषय- मेरी पुत्री नीलिमा गुप्ता (सोनू) उम्र 17 वर्ष को बहला फुसलाकर
अपहरण कर लिए जाने के संबंध में। महोदय, निवेदन है कि प्रार्थिया श्रीमती कुसुमकली पत्नि स्वर्गीय
राजेन्द्र गुप्ता निवासी बोदाबाग रीवा थाना अनन्तपुर रीवा की रहने वाली हूँ। यह कि प्रार्थी की बच्ची
सोनू गुप्ता उर्फ नीलिमा गुप्ता माई कम्प्यूटर कालेज में बी.सी.ए. की पढ़ाई कर रही थी। यह कि
सोनू पढ़ाई के लिए घर से चली जाती थी [illegible] मिलने के लिए कुछ लोग आते जाते
रहते थे। यह कि बोदाबाग में ही एक विश्वकर्मा किराये के मकान में रहता है जो किराये आदि
का एल.आई.सी. का [illegible] चलाता है। यह कि [illegible] दिनांक 23/10/10 के दिन
[illegible] घर से निकली है। [illegible] बच्ची [illegible]
[illegible] तमाम जगहों पर तलाश करने पर भी कोई पता नहीं चल सका है। यह
कि प्रार्थिया की लड़की को कुछ लोगों ने [illegible] भगा ले जाया गया है
[illegible] इन लोगों से [illegible] चिन्ता मत करो [illegible]
[illegible] प्रार्थिया [illegible] है। यह कि बोदाबाग में ही [illegible] विश्वकर्मा [illegible]
है। [illegible] मोबाइल नंबर 9993468401 है [illegible]
है और कहता है कि आप चिन्ता मत करो सोनू मिल जाएगी। पुलिस में रिपोर्ट मत करो।
यह कि (राजा) [illegible] विन्ध्य विहार कालोनी [illegible]
[illegible] जिसका मोबाइल नं. 9200234148 है। यह कि [illegible]
[illegible] निवासी विन्ध्य विहार कालोनी [illegible]
[illegible] मेरी पुत्री सोनू गुप्ता का अपहरण करने वाले [illegible] विश्वकर्मा
[illegible] विश्वकर्मा, [illegible]
[illegible] निवासी विन्ध्य विहार कालोनी [illegible] है। [illegible]
[illegible] परेशान है। [illegible]
[illegible] मेरी बच्ची को अपहरण किया गया है जिनके द्वारा धमकी दी जाती है कि पुलिस में
रिपोर्ट करोगे तो तुम्हारी लड़की नहीं मिलेगी। अतः निवेदन है कि उचित वैधानिक
कार्यवाही किये जाने की कृपा की जावे। ह०- श्रीमती कुसुमकली

13\. कार्यवाही जो की गई : उपरोक्त विवरण से धारा 363, 366, 34 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया/नहीं लिया गया तथा * ---------- को प्रकरण विवेचना हेतु सौंपा गया या क्षेत्राधिकार के दृष्टिगत थाना ---- स्वयं T.I. ---- जिला ---------- को स्थानांतरित किया गया या दं. प्र. सं. की धारा 157 ''ब'' के अन्तर्गत कार्यवाही की गई।
अभियोगी/सूचनाकर्ता को प्र. सू. पत्र पढ़वाकर/पढ़कर सुनाया गया, जिन्होंने सही-सही अभिलिखित होना स्वीकार किया. इसकी एक प्रति सूचनाकर्ता को निःशुल्क प्रदाय की गयी.

हस्ताक्षर प्रभारी अधिकारी

कु. सुम कली गुप्ता

अभियोगी/सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा.

*(नाम) [illegible] दुबे
*(पद) HC-410
*(नं. यदि है) PS अनन्तपुर

प्रति. माननीय न्यायालय श्रीमान CJM रीवा की ओर [illegible] की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

बनिशाक्षेपुरी-245 1-1-2010 फार्म 500 पुस्तक.

FIR Hindi Typed Copy

xvi-(a)-212/पुलिस हिंदी　　　　१८०२　　　　प्रतिपण/पृष्ठ क्रमांक

फाम न. १

प्रथम सूचना प्रतिवेदन (धारा १५४ दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Sec. 154 Cr.P.C)

1. *जिला - रीवा *थाना - अनंतपुर *वष - २०१० *प्र. सू. प. क्र. - २२८/०१० *दिनांक १/१२/१०

२. (१). *विधान...................... धाराएं ....

(२) *विधान - ता. हि. धाराएं - ३६३, ३६६, ३४

(३) *विधान..................... धाराएं............................

(४) *अन्य विधान एवं धाराएं..

३. (अ) संदभित रोजनामचा क्र. ....

(ब) *घटना का दिन - शनिवार *दिनांक - २३/१०/०१० *समय - १ बजे दिन

(स) थाने पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक - १/१२/२०१० *समय - १४:००बजे *रो. सा. क्र. - २४

४. सूचना का प्रकार : *लिखित/मौखिक - मौखिक

५. घटना स्थल : (अ) थाने से दिशा व दूरी - ५ कि.मी. दक्षिण

(ब) घटना का स्थल - बांदा बाग वाड क्र. ९ थाना अनंतपुर *वीट न. ....

(स) घटना स्थल अन्य थाना क्षेत्राधिकार म है तो थाना ....जिला ....

६. अभियोगी/सूचनाकता :

(अ) *नाम - श्रीमती कुसुमकली गुप्ता (ब) पति का नाम - भगवानदास गुप्ता

(स) जन्म/दिनांक/वष - ४६ वष (ड) राष्ट्रीयता - भारतीय (द) पासपोट न. ....

जारी दिनांक ....जारी होने का स्थान ....(क) व्यवसाय - गृहकाय

(ख) पता - बांदा बाग, वाड क्र. ९, थाना अनंतपुर

७. ज्ञात/ अज्ञात/ संदेही/ आरोपी का पूरा विवरण

(१) महेश विश्वकमा - बांदा बाग

(२) पूजा विश्वकमा - बांदा बाग

(३) पवन कुशवाहा, निवासी - नेहरु नगर, रीवा

(४) राजा भाई (५) मालती बहन दोनों निवासी विन्धा विहार कॉलोनी पडरा

८. अभियोगी/सूचनाकता द्वारा सूचना देने म विलम्ब का कारण - पता तलाश करते रहने व आरोपियों की द्वारा दी गई धमकी के डर से

९. अपहृत/संबद्ध सम्पति का सम्पूण विवरण (आवश्यकता अनुसार पृथक पृष्ठ का प्रयोग कर) ....

१०. *अपहृत/संबद्ध सम्पति का कुल मूल्य ....

११ * मग/अकाल मृत्यु सूचना क्र. (यदि हो)..

१२. प्रथम सूचना विवरण (आवश्यकता अनुसार पृथक पृष्ठ का प्रयोग कर)

आवेदिका कुसुमकली गुप्ता निवासी बांदा बाग रीवा की साथ अपने लड़का राजीव गुप्ता के साथ उपस्थित आकार एक गुमशुदा आवेदन पत्र स्वयं की हस्ता. वास्ते कायवाही हेतु थाना म प्रस्तुत की जिसके मजबुन से अपराध धारा ३६३, ३६६, ३४ IPC का घटित पाए जाने से पंजीबद्ध कर विवेचन म लिया जाता है | आवेदन पत्र की नक़ल अक्षाश: जैल नाल्मी है | प्रति, श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, थाना अनंतपुर, जिला - रीवा (म.प्र.) विषय : मेरी पुत्री नीलिमा गुप्ता(सोनू) उम्र १७ वष को बहला फुसलाकर अपहरण कर लिए जाने के सम्बन्ध म | महोदय निवेदन है कि प्राथिनी श्रीमती कुसुमकली पति भगवानदास गुप्ता निवासी बांदा बाग, थाना अनंतपुर, रीवा की रहने वाली है | यह कि प्रार्थी की बच्ची सोनू गुप्ता उफ नीलिमा गुप्ता सांई कंप्यूटर कालेज म डी.सी.ए. की पढ़ाई कर रही थी | यह की सोनू कुछ समय के लिए घर से चली जाती थी तथा उससे मिलने के लिए कुछ लोग भी आया जाया करते थे | यह कि बांदा बाग म ही एक विश्वकमा किराए के मकान लेकर रहता है | जो कि अपने आप को एल.आई.सी. का कमचारी बताता है | यह कि आज से करीबन एक माह पूव २३/१०/१० को एक बजे दिन से मेरी बच्ची सोनू घर से लापता है | प्राथिया अपनी बच्ची को सभी रिश्तेदारियों म तथा उसके आने जाने की तमाम जगहों पर तलाश करती रही लेकिन कोई पता नहीं चल सका है | यह की प्राथिया की लड़की को कुछ लोगों के द्वारा गुमराह करके घर से भगा ले जाया गया है | क्योंकि जब भी म उन लोगों से सोनू के बारे म पूछती हूँ तो कहते ह चिंता मत करो मिल जाएगी | प्राथिया का पूरा घर परेशान है | यह कि बांदा बाग म ही महेश विश्वकमा किराए से रहता ह | पवन कुशवाहा नेहरु नगर बताया जिसका मोबाइल नंबर ९९९३४६८१०१ है जो कि घर आता है और कहता है आप चंता मत करो सोनू मिल जाएगी | पुलिस म रिपोट मत करो | यह कि राजा भाई विन्ध्य विहार कॉलोनी पडरा,

रीवा जो कि कुछ दिन पुत्री फोन करता था और घर भी आता था जिसका मोबाइल न. ९२००२३४१४८ है | यह कि एक बहन जो कि अपने को मालती बहन बताती है तथा विन्ध्य विहार कॉलोनी पडरा, रीवा जो राजा भाई के साथ आती थी | यह कि मेरी पुत्री सोनू गुप्ता का अपहरण करने वाले संदेही महेश विश्वकमा तथा उसकी पत्नी पूजा विश्वकमा, पवन कुशवाहा नेहरु नगर रीवा तथा राजा भाई, मालती बहन दोनों निवासी विन्ध्य विहार कॉलोनी पडरा, रीवा है | अत; श्रीमान जी से निवेदन है कि प्राथिका के पति हाट के मरीज ह | मेरा पूरा परिवार परेशान है | उपरोक्त लोगों के द्वारा मेरी बच्ची को अपहरण किया गया है | जिनके द्वारा धमकी दी जाती है कि पुलिस म रिपोट करने जाओगे तो तुम्हारी लड़की नहीं मिलेगी | अत: विनय है कि उचित वैधानिक कायवाही की जाने की कृपा की जाए | Sd/-श्रीमती कुसुमकली |

१३. कायवाही जो की गई : उपरोक्त विवरण से धारा ३६३, ३६६, ३४ IPC का प्रकरण पंजीबद्ध का विवेचना म लिया गया/नहीं लिया गया तथा स्वयं TI को प्रकरण विवेचना हेतु सौंपा गया या क्षेत्राधिकार के दृष्टिगत थाना............ जिला.......... को स्थानातरित किया गया या द.प्र.स. की धरा १५७ ‘ब’ के अंतगत कायवाही की गई | अभियोगी सूचनाकता को प्रथम सू.प. पढ़वाकर/पढ़कर सुनाया गया, जिन्होंने सही सही अभिलिखित होना स्वीकार किया | इसकी एक प्रतिलिपि अभिकता को नि:शुल्क प्रदान की गई |

Sd/-   हस्ताक्षर प्रभारी अधिकारी

अभियोगी/सूचनाकता के हस्ताक्षर   नाम- रामविलास दुबे

पद- HC 420

न. यदि है -पुलिस स्टेशन अनंतपुर

प्रति, माननीय श्रीमान JMFC, रीवा की ओर सूचनाकता की ओर सूचनाथ अग्रेषित

....

उनिशाक्षेमुरी -२४५-१-१-२०१०-फासे ५०० बुक्स

ITEM NO.44 Court No.10 SECTION IIA

SUPREME COURT OF INDIA 830970
RECORD OF PROCEEDINGS

Petition(s) for Special Leave to Appeal (Crl) No(s).6395/2012

(From the judgement and order dated 12/04/2012 in MCRC No.10923/2011, of The HIGH COURT OF M.P AT JABALPUR)

PAWAN KUMAR KUSHWAHA & ORS. Petitioner(s)

VERSUS

STATE OF M.P.& ORS. Respondent(s)

(With appln(s) for exemption from filing O.T.,stay and office report))

Date: 02/11/2012 This Petition was called on for hearing today.

CORAM :
HON'BLE MR. JUSTICE T.S. THAKUR
HON'BLE MR. JUSTICE FAKKIR MOHAMED IBRAHIM KALIFULLA

For Petitioner(s) Mr. Shailendra Bhardwaj,Adv
Ms. Aroma S.Bhardwaj, Adv.

For Respondent(s) Ms. Vibha Datta Makhija,Adv

For RR Nos. 3,4 Mr. Vikas Upadhayay, Adv.
Mr. K.K.Shukla, Adv.

Certified to be true copy
Assistant Registrar (JCC)
12.12.12
Supreme Court of India

UPON hearing counsel the Court made the following
ORDER

Leave granted.

The appeal is allowed and disposed of in terms of the signed order.

sd/-
(Shashi Sareen)
Court Master

sd/-
(Madhu Sudan)
Court Master

(Signed order is placed on the file)

830971

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CRIMINAL APPELLATE JURISDICTION

CRIMINAL APPEAL No. 1829 OF 2012
(Arising out of SLP(Crl.) No. 6395 of 2012)

PAWAN KUMAR KUSHWAHA & ORS. ... Appellant(s)

Versus

STATE OF M.P. & ORS. ... Respondent(s)

Certified to be true copy
Assistant Registrar (Judl.)
12-12-12
Supreme Court of India

O R D E R

Leave granted.

This appeal arises out of an order passed by the High Court of Madhya Pradesh at Jabalpur whereby Miscellaneous Criminal Case No. 10923 of 2011 filed by the appellants under Section 482, Cr.P.C. has been dismissed thereby refusing to quash the proceedings pending against the appellants in MJC No. 1 of 2011 pending before the JMFC, Rewa.

On the basis of the report lodged by the mother, Kusumkali Gupta w/o Shri Bhagwan Das Gupta and mother of Ms. Neelima Gupta a case under sections 363 and 366 read with Section 34, I.P.C. was registered at police Station, Anandpur, District, Rewa. Investigation conducted into the allegations made by the complainant culminated in the Investigating officer filing a closure report before the

Judicial Magistrate, Ist Class at Rewa stating that no offence was proved to have been committed by the persons named in the report. The complainant however was dissatisfied with the said report and appears to have filed a protest petition before the Magistrate which was allowed by the Magistrate who took cognizance of the offence mentioned above and issued process against the appellants herein.

Aggrieved by the order of the Magistrate, the appellants filed a petition under Section 482, Cr.P.C. before the High Court at Jabalpur. The case of the appellants in the said petition as also before us is that they are totally innocent and that Ms. Neelima Gupta daughter of Smt. Kusumkali Gupta is and was a major on the date she out of her will left her home and family to join the Adhyatmaik Ishwariya Vishvavidyalaya Ashram, Farrukhabad (U.P.). Reliance in support of that contention was placed upon an affidavit filed by Ms. Neelima Gupta before the High Court stating that she had joined the above organisation on her own and without any duress or inducement whatsoever from any quarter. The High Court notwithstanding the statement of Ms. Neelima Gupta declined to interfere with the ongoing proceedings before the Magistrate and dismissed the petition field by the appellants. The High Court all the same held that the search warrants issued by the Magistrate against Ms. Neelima Gupta cannot be sustained and that a notice ought to be ssued to her in the fist instance to appear

before the Magistrate as a witness to get her statement recorded. In case she failed to respond to the notice the Magistrate could pass fresh orders for a search warrant for her production. The present appeal assails the correctness of the above order to the extent the same refused to quash the proceedings notwithstanding the fact that the alleged victim was a major and had made a statement that she had joined the organisation mentioned earlier of her own free will.

When the matter came up before us on 16.08.2012 Ms. Neelima Gupta also appeared in person and submitted that she is a major being around 24 years old and a student/teacher in Adhyatmaik Ishwariya Vishvavidyalaya, Delhi. She further stated that she was living in the Institute without any restraint or coercion from any quarter. We had on that statement summoned respondent nos. 3 and 4 who happen to be the parents of Ms. Neelima Gupta to appear in person. In response to the said direction, the complainant Ms. Kusumkali Gupta has appeared in person who submits that her daughter has been taken away from her by the appellants without her consent and that no information regarding her whereabouts was made available to her till search warrants are issued for her production in the court. Mr. Shailender Bhardwaj who appears for the complainant Mrs. Kusumkali Gupta however argued that while Ms. Neelima Gupta has made a statement which has been separately recorded by us today to the effect that she has joined the organisation on her own

will and that while she wishes to continue with the organisation, this court could pass appropriate orders directing the Ashram to provide visiting rights to the parents and siblings of Ms. Neelima Gupta so that they remain reassured about her safety and security.

Mr. Shailendra Gupta who appears for the appellants as also the Ashram though not a party in these proceedings submits on instructions that the Ashram authorities will at all time facilitate a meeting between Neelima Gupta and her parents/siblings and also keep the parents informed about her whereabouts. It is submitted by learned counsel that while Ms. Neelima Gupta may be in Delhi Ashram for the present, she can be transferred to some other Ashram for services in which event her latest address and whereabouts shall be duly posted to the parents to enable them to meet her, if so advised at the said centre. That submission should in our opinion suffice especially when we have no manner of doubt that Ms. Neelima Gupta is a major and in terms of the statement recorded by us today she has unequivocally stated that she had left home to join the Ashram aforementioned without any duress or inducement from any quarter whatsoever.

In the circumstances set out above, continuance of the prosecution against the appellants who claim to be workers and devotees of the Ashram do not appear to be serving any useful purpose. we are, therefore, inclined to quash the proceedings with appropriate directions.

In the result we allow this appeal set aside the order passed by the High Court and allow the petition filed by the appellants under Section 482, Cr.P.C. and quash the proceedings pending against the appellants before JMC 1st Class, Rewa. We however direct that in keeping with the statement and assurance given to the court on its behalf the Ashram authorities shall keep the parents of Ms. Neelima Gupta informed about the place of her posting in different centres and also facilitate a meeting between the parents/siblings and Neelima Gupta as and when a request to that effect is made to the Ashram.

Ms. Neelima Gupta submits that she will withdraw the case filed by her against her parents which is presently pending in the court at Rohini court. Needful shall be done by her within six weeks from today.

The appeal is allowed and disposed of with the above observations.

sd/ ....J.
(T.S.THAKUR)

sd/ ....J.
(FAKKIR MOHAMED IBRAHIM KALIFULLA)

New Delhi,
November 02,2012

भागवत कथा - 10

उर्मिला देवी, श्वेता (B.com.) और प्रियंका (12th)

यह एक और प्रकरण है भागवत का, जिसमें महाराजगंज जिले (यू.पी.) की उर्मिला देवी अपने पति राजेंद्र प्रसाद जयसवाल के अत्याचारों **की** श्रृंखलाओं को तोड़कर, **बजती हुई** ज्ञान-मुरलियों की धुन पकड़ कर, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, फ़र्रुखाबाद की ओर भाग निकली| यही हालत **रही** उनकी बेटियों की भी। सच्चाई **का** साथ देने में पीछे नहीं हटी कुमारी श्वेता और कुमारी प्रियंका।

Bhagawat Story-10

Urmila Devi, Sweta and Priyanka:

This episode again of Bhagawat is about Urmila Devi of district Mahrajganj, U.P, running away from home behind the tunes of Murali towards Farrukhabad breaking away the cuffs of tortures and harassment tightened by her husband Rajendra Prasad Jaiswal. The situation of her daughters is not different that of her. Miss Sweta and Miss Priyanka did not step back in supporting the Truth.

उर्मिला देवी व दोनों बेटियों को पति/पिता राजेन्द्र शराब पीकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे और उनकी नृशंसता इस हद तक पहुँची कि उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को किसी अनजान व्यक्ति को धन अर्जित करने की लालसा से बेचने का सौदा भी कर लिया। अब माँ ने तय कर लिया कि वह अपनी बेटियों को अपने पति राजेंद्र **की** हरकतों से बचाकर ही रहेगी। वह जान चुकी थी कि इस दुनियाँ में अगर कोई है उनकी बेटियों को असुरों से बचाने वाला, तो वह एक **शिवबाबा** ही हो सकता है। अंतत: अपने पिता की जंजीरों को तोड़कर दोनों बेटियाँ- श्वेता और प्रियंका अपनी माँ का हाथ पकड़ कर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में समर्पित हो गईं। आजीवन पवित्र रहने की अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए श्वेता और प्रियंका ने दिनांक 20-09-2010 और 25-09-2010 को आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में अपनी माँ की गवाही में शपथ पत्र सौंपा। केवल शक ही नहीं था, बल्कि वे जानती थीं कि उनके पिता चुप नहीं बैठेंगे। इसी कारण उन्होंने आध्यात्मिक विश्वविद्यालय परिवार से तन-मन से जुड़ने से पहले ही अपने पिता और रिश्तेदारों की हरकतों से बचने के लिए पुलिस से रक्षा की माँग करते हुए कोल्हुई थाने में ता.14-09-2010 को एक विनती पत्र **दाखिल** कर दिया था। समर्पित होने से पहले ही दोनों बहनों ने ता.20-09-2010 को फ़तेहगढ़ के पुलिस अधीक्षक से भी पुलिस रक्षण के लिए **अपनी** माँग रखी थी।

Rajendra, husband of Urmila Devi used to harass his wife and daughters physically as well mentally and his cruelties have reached to the extent that has entered into a deal to sell his daughters to some unknown persons against ransom. Now the mother has decided; to save her daughters from the clutches of

harassment caused by her husband Rajendra Prasad Jaiswal . She came to understand; if at all there is anybody to rescue her and her daughters from the demons, it is only Shiv Baba and none else. In result, the two daughters Sweta and Priyanka reached Farrukhabad in hand with their mother and surrendered themselves in the Adhyatmik Vishwa Vidfyalaya for the sake of Godly Service. They have executed a stamped affidavit of surrender on 20-09-2010 and 25-09-2010 respectively in the "AVV" expressing their wish to remain in and maintain purity for lifelong. The mother of the girls stood witness. Not limited to doubting, they know well that their father does not remain silent. That's why well before joining themselves with the "AVV family" , they have addressed a letter to the Police Station, Kolhui on 14-09-2010 requesting for providing protection from harassment of their father and other relatives. They have made a similar submission before the S.P, Fategarh on 20-09-2010 requesting for Police Protection well before their surrendering themselves for the cause of Godly Service.

अब दोनों कन्याओं के ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित होने के बाद उर्मिला माता की मुश्किलें और भी बढ़ गईं, सहन करते-2 ऐसी स्थिति आ गई कि पति राजेंद्र प्रसाद जयसवाल की **नृशंसता** ने हदों को पार कर दिया, अत: उनके सामने कोई रास्ता ही नहीं बचा था, सिवाय रक्षा देने वाले एकमात्र शिवबाबा के । उर्मिला माता अपने पति के घर को छोड़ अपने पुत्र निखिल को साथ लेकर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, **लखनऊ** में तत्काल शरण के लिए **पहुँच गईं**। अपने पति से आने वाले खतरे की संभावना को देखते हुए, उर्मिला माता ने दिनांक 16-03-2011 को अपनी रक्षा की माँग को लेकर **लखनऊ** के **हाई** कोर्ट बेंच के सामने एक अर्ज़ी भी दाखिल कर दी । अब उनका पति चुप तो बैठेगा नहीं ।

After the surrender of her daughters, the atrocious, cruel and callous behavior of her husband Rajendra Prasad Jaiswal crossed the human limits of bearability and Urmila Devi was left with no alternate rescue except Shiv Baba. Inevitably, she had to take temporary shelter with the AVV Family along with her younger child Nikhil at Lucknow on 21-02-2011. In her anxiety and helplessness and the expected risks from her husband, she has addressed a request letter to the High Court, Lucknow Bench on 16-03-2011 requesting therein for arranging protection from her husband. Now her husband would not keep quiet.

कन्याओं के पिता राजेंद्र प्रसाद जयसवाल को आध्यात्मिक विश्वविद्यालय परिवार पर वार करने के लिए **8 महीनों तक** कोई सहयोगी नहीं मिल रहे थे। जैसे ही शरारती तत्वों ने कन्याओं के पिता राजेंद्र की योजना पर हाथ बँटाया और आर्थिक सहयोग दिया, उन्होंने महाराजगंज की जुडीशियल मैजिस्ट्रेट के सामने अपने ससुर, अपने 3 साले व आध्यात्मिक परिवार के ऊपर अपनी बेटियों के अपहरण का आरोप लगाते हुए **ता.** 01-06-2011 **को** कम्प्लेंट केस दाखिल किया। राजेंद्र ने आरोप लगाया कि

अनैतिक कार्यों के लिए और जान से मार डालने के इरादे से उनकी पत्नी और बेटियों का अपहरण उसके ससुर, 3 साले व आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के मुखियाओं ने दिनांक 23-12-2007 को कर लिया है। षड़यंत्रकारियों ने सोचा कि जितनी पुरानी तारीख डालेंगे उतनी कड़ी सज़ा दिला सकते हैं।

The father of the girls Rajendra Prasad Jaiswal could not get any helper to implicate the "AVV family" until 8 months. When he could gather the help of some miscreants with support of financial assistance, he has lodged a petition before the Judicial Magistrate, District Maharajganj, U.P on 01-06-2011 against "AVV family" members. The complaint flows in the same lines; her wife and daughters were kidnapped for illegitimate deeds by father-in-law, three brothers of Urmila Devi and the leaders of Adhyatmik Vishwa Vidfyalaya with an intention to kill them; the date of kidnap was mentioned to be 23-12-2007, which dates back three and half years prior to the date of the petition. He thought that a maximum possible punishment can be imposed by mentioning a date much before.

महाराजगंज के जुडीशियल मैजिस्ट्रेट साहब ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए एफ.आई.आर. दर्ज करने के निर्देश कोल्हुई थाना प्रभारी को दिए और उक्त निर्देशों का पालन करते हुए कोल्हुई थाने में ता.05-06-2011 को एक एफ.आई.आर. (केस क्राइम नंबर 881/2011) दस अभियुक्तों के विरुद्ध रजिस्टर कर दिया, जिनमें पहला नाम- परमात्मा प्रसाद मिश्रा, जो सारे ईश्वरीय परिवार का गुरु बताया गया और पीछे-2 वीरेंद्र देव दीक्षित, कमला देवी दीक्षित और अन्य 7 में राजेंद्र के ससुरजी, 3 साले व ईश्वरीय परिवार के अन्य सदस्य थे। आखिरीन परमात्मा के नाम को पहला **मुजरिम** बनाते हुए भा.दं.सं. की धाराएँ 419, 420, 364, 342, 504, 506 और 120 बी लागू की गईं, जो कि हत्या करने के इरादे से किडनेपिंग, धोखाधड़ी, अवैध कस्टडी व जान से मारने की धमकी देने के संदर्भ में लागू की जाती हैं। वास्तविकता तो यह थी कि परमात्मा प्रसाद मिश्रा नाम का कोई व्यक्ति आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में था ही नहीं। सिर्फ जैसे-तैसे दबाव बनाकर अपनी बेटियों को आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से वापिस लेने के लिए झूठी व मनगढ़त कहानी रची गई थी।

Seeing the seriousness of the allegations, the Judicial Magistrate of Maharajganj, has passed an order on the Station House Officer, Kolhui Police Station to register an F.I.R and in obeisance of the order of the Judicial Magistrate, an F.I.R has been registered at Kolhui Police station on 05-06-2011 under crime No. 881/2011 against 10 said to be culprits; the top most being Paramatma Prasad Mishra who was stated to be the Guru of the entire Ishwariya Family. The other names include Spiritual Brother Virendra Deo Dixit, Kamla Devi Dixit followed by 7 other spiritual family members. Among the seven are; the father in law of Rajendra, three brothers of Urmila Devi and other members. Finally, mentioning the name of Paramatma (Supreme God Father) as the first culprit the "AVV family" members were charged under sections 419,420,364,

342 , 504, 506 and 120 B of Crpc. which are charged in the cases of kidnap, cheating, illegal custody and threatening to kill . The fact is that no one by name Paramatma Prasad Mishra exists in Adhyatmik Vishwa Vidfyalaya at all. A story of lies bundled has been created to get back her daughters from Adhyatmik Vishwa Vidfyalaya.

समय के अभाव में और स्थल को ध्यान में रखते हुए इस केस से सम्बंधित मीडिया वालों की अंश मात्र वार्ताएँ ही बता पाएँगे।

06-05-11	अमर उजाला	कोर्ट ने आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय कंपिल के कथित तांत्रिक परमात्मा प्रसाद मिश्रा समेत दस लोगों के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया है ।
10-09-11	दैनिक जागरण	ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कैद हैं माँ-बेटियाँ। राजेंद्र जयसवाल की पत्नी और दो बेटियाँ वर्ष 2007 से फ़र्रुखाबाद स्थित आश्रम में कैद हैं।
11-09-11	दैनिक जागरण	महाराजगंज की माँ-बेटी आश्रम में नहीं मिलीं।

Only a few items of the news published by the News media are appended for the sake of brevity and to save time.

Amar Ujala 05-06-11

The court has ordered to file an F.I.R against 10 members of Adhyatmik Ishwariya Vishwa Vidyalaya, Kampil along with the said witchcraft Paramatma Prasad Mishra.

Dainik Jagaran 10-09-11

The mother and daughters are jailed in Ishwariya Vishwa Vidyalaya. The wife and daughters of Rajendra Prasad Jaiswal stand jailed in the Farrukhabad Ashram since 2007.

Dainik Jagaran 11-09-11

The mother and daughters not available in the Ashram.

उर्मिला माता, श्वेता और प्रियंका ने ईश्वरीय परिवार व अपने भाइयों के बचाव के लिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक क्रिमिनल रिट पिटिशन (नंबर 12326 / 2011) दाखिल की, जिसमें कोर्ट के सामने यह स्पष्ट किया गया कि वे राजेंद्र प्रसाद जयसवाल **द्वारा** दी जा रही कठोर यातनाओं को न सह पाने और सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति अटूट निश्चय होने के कारण घर छोड़ आध्यात्मिक विद्यालय में रहने लगीं।

Urmila Devi, Sweta and Priyanka have filed a criminal writ petition in the Allahabad High Court in support and rescue of "AVV family" and the brothers of Urmila Devi; wherein they have made it clear that they preferred to stay at the "Adhyatmik Vidfyalaya inability to bear the cruel harassment resorted to by Rajendra Prasad Jaiswal and by virtue of their undeterred faith in the Adhyatmik Vidfyalaya and to acquire the true spiritual knowledge.

खुद केस की पीड़िता हाईकोर्ट के समक्ष उपस्थित होने के बावजूद फ़ेक्ट्स और आरोपों को जाँच करने के लिए हाई कोर्ट को अधिकार न होने का मिथ्या कारण बताते हुए, इलाहाबाद **हाई** कोर्ट ने ता.11-07-2011 को उक्त रिट पिटिशन को मनमानी तरीके से **ठुकरा** दिया।

Despite the presence of the victims themselves before the High Court, the High Court of Allahabad disallowed the criminal petition on 11-07-2011 mainly on the ground that the writ court is not competent to go into questions of facts and on the allegations.

अब इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना ही पड़ा।

Now this case had to travel to Supreme Court.

हमें अभी यही उचित लग रहा है कि **सीधा** इन क्रिमिनल अपील्स (नं. 1329 और 1330/2012) के संबंध में ता.12-03-2015 के सुप्रीम कोर्ट के फाइनल ऑर्डर्स के कुछ भाग यहाँ प्रस्तुत करें ताकि सच्चाई खुद ही सर पर चढ़कर बोले।

At this stage, we prefer to place a few extracts of the order of Supreme Court dated 12-03-2015, in Criminal Appeal Nos. 1329 and 1330 of 2012, as are, so that the Truth can focus itself.

''सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया:

क्रिमिनल अपीलेट जुरिस्डिक्शन :

क्रिमिनल अपील नं. 1329/2012

ऊर्मिला देवी और अन्यः *अपीलकर्ता*

प्रति

उत्तरप्रदेश राज्य और अन्य *प्रतिवादी*

साथ में:

क्रिमिनल अपील नं. 1330/2012

Supreme Court of India

Criminal Appellate Jurisdiction

Criminal Appeal No. 1329/2012

Urmila Devi and Others Appellant

Vs

Uttar Pradesh State and Others Respondent

Along with

Criminal Appeal No. 1330/2012

<u>आदेश :</u>

अपीलकर्ता नं.1 (ऊर्मिला देवी) ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह कहा कि उन्होंने अपने पति (राजेंद्र प्रसाद जयसवाल) ***द्वारा*** *दी जा रही कठोर यातनाओं को सहन न कर पाने के कारण* ***अपनी*** *स्वेच्छा से घर छोड़ा था। अपीलकर्ताएँ 1 से 3 (ऊर्मिला देवी, श्वेता और प्रियंका) ने कोर्ट के सामने यह स्पष्ट किया था कि वे सन 2011 से विद्यालय में अपनी स्वेच्छा से रह रही हैं। जब उन्हें पूछा गया कि कहीं उनके ऊपर विद्यालय के कोई व्यक्ति ने दबाव बनाया या यातनाएँ दी थीं, तो उन्होंने इस बात के लिए साफ इन्कार किया और कहा कि वे विद्यालय में अपनी स्वेच्छा से राजी-खुशी रह* ***रही*** *हैं।*

Order:

"Appellant No.1 (Urmila Devi) stated before Supreme court that she has left the matrimonial home on her own volition on account of harassment and torture meted out to her by her husband (Rajendra Prasad Jaiswal) . The appellants 1 to 3 (Urmila, Sweta and Priyanka) have made it before the Supreme Court very clear that they have been residing in Vidyalaya right from 2011 on their own volition. To the query as to whether they are under any pressure from any person from the Vidyalaya, or any kind of torture or harassment in inflicted on them, they categorically refuted the same and submitted that they are living at the Vidyalaya happily.

*अपीलकर्ताएँ 2 और 3 (श्वेता और प्रियंका) ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपने बयान में कहा कि वे दोनों अपनी माता के साथ अपनी **स्वेच्छा** से राजी-खुशी विद्यालय में रह रही हैं, प्रतिवादी नं. 4 (राजेंद्र प्रसाद जयसवाल) द्वारा थोपा गया अपहरण वगैरह का आरोप अस्वीकार्य है और न्यायपूर्वक नहीं है।*

The appellants 2 and 3 (Sweta and Priyanka) have stated in their statement before the Supreme Court that they have been residing in Vidyalaya along with their mother on their own volition and that the allegations, kidnap etc., framed by respondent No.4 (Rajendra Prasad Jaiswal) are not acceptable and illegal.

हमारे उद्देश्य में उपर्युक्त बताए गए कारणों से कार्यवाही को रद्द करने का हाई कोर्ट का निर्णय सही नहीं है।

Therefore in our considered view the High Court is not right in quashing the proceedings for the reasons stated supra.

उपर्युक्त को देखते हुए, हम अपील्स को अलाउ कर रहे हैं; अतः अपीलकर्ताओं प्रति की गई कार्यवाही को रद्द किया जाता है।

जस्टिसः वि. गोपाल गौडा

मार्च 12, 2015 *जस्टिसः सी. नागप्पन ''*

इस केस से संबंधित कोर्ट जजमेंट के कुछ मुख्य भाग इसके साथ जुड़े हुए हैं।

In view of above, we allow the appeals and consequently quash the proceedings against the appellants.

March 12 205 Justice V. Gopal Gowda

Some extracts of the judgment relating to this case are annexed.

मु० अ० सं० 081/011 धारा 419/420/364/342/504/506/120B IPC

पुलिस प्रपत्र संख्या 341

मूल/द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि
न्यायालय/पार्टी/कार्यालय के लिए
प्रथम सूचना की रिपोर्ट

कुल संख्या
पृष्ठ संख्या 0463936

दण्ड विधि संग्रह की धारा 154 के अन्तर्गत पुलिस द्वारा हस्तक्षेप किये जाने योग्य अपराध की प्रथम सूचना

थाना — कोल्हुई
पद की नियुक्ति — फरेन्दा
जिला — महराजगंज
संख्या — 70/011

घटना का दिनांक व समय 23/1/07 10:00

दिनांक व समय, जबकि रिपोर्ट की गई	घटनास्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन
5/6/011 15:30	मस्जिद ग्राम कस्बा पहुरी व कोल्हुई 9 Km	डाक से

नोट - प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या निशान अंगूठा लिया जाना चाहिए और इसकी पुष्टि अपराधी लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होनी चाहिए।

सूचना देने वाले या वादी का नाम और निवास स्थान 1	अभियुक्त का नाम व निवास-स्थान 2	धारा सहित अपराध व ले जायी गयी सम्पत्ति (यदि कोई हो) का संक्षिप्त विवरण 3	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी तथा सूचना में दर्ज करने में देरी होने का कारण 4	मुकदमे का परिणाम 5
श्री राजेन्द्र प्रसाद पु० स्व० स्वामीनाथ सा० पहुरी थाना कोल्हुई महराजगंज बनाम 1/ परमात्मा प्रसाद मिश्र [illegible] 2/ [illegible] 3/ [illegible] 4/ कन्हैया [illegible] 5/ [illegible] 6/ [illegible] 7/ [illegible] 8/ [illegible] 9/ [illegible] 10/ [illegible]		धारा [illegible]	[illegible]	SHO विनोद कुमार दूबे

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायगी। राजेन्द्र प्रसाद

हस्ताक्षर
पद 5/6/2011

सूचना देने वाले का हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा रिपोर्ट के अन्त में लगवाना चाहिए।

पी०एस०यू०पी० (या०) 1 पुलिस 3-10-07-65000 (कम्प्यूटर/आफसेट)।

[illegible]

[illegible] 256/2011 [illegible]

[illegible]

[illegible] ① [illegible] ② [illegible] ③ [illegible] ④ [illegible] ⑤ [illegible] ⑥ [illegible] ⑦ [illegible]

[illegible] धारा 156 (3) [illegible] दिनांक 23.12.2005 [illegible] समय करीब 10.0 [illegible] अभियुक्त [illegible] 2 लगायत 10 [illegible]

[illegible] अभियुक्त [illegible] 2 ता 10 [illegible]

[illegible] 80 वर्ष [illegible] 20 [illegible] 15 वर्ष [illegible] 12 वर्ष [illegible] 10 वर्ष [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 18.6.2011 [illegible]

[illegible] 156(3) [illegible]

[illegible] 3/6/11

[illegible]

[illegible]

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

*****

ANNEXURE NO. 1

IN

CRIMINAL MISC. WRIT PETITION NO. OF 2011

(Under Article 226 of the Constitution of India)

DISTRICT – MAHRAJGANJ

Urmila Devi & Others ....Petitioners

VERSUS

State of U.P. & Others ....Respondents

मु0अ0सं0–881/2011

अंतर्गत धारा– 419/ 420/ 364/ 392/ 504/ 506/ 120बी आई0पी0सी0

थाना– कोल्हुई

जिला– महराजगंज

घटना की दिनांक व समय– 23.12.07 समय 10.00 बजे

रिपोर्ट करने की दिनांक व समय– 5.6.11 समय 15.30 बजे

रिपोर्टकर्ता– श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व0 स्वामीनाथ सा0 वहपुरी थाना कोल्हुई महराजगंज

अभियुक्तगण–

1. परमात्मा प्रसाद मिश्र गुरू आध्यात्मीक ईश्वरीय विश्व विद्यालय ग्राम व पोस्ट कपिल जिला फरूखाबाद उ0प्र0
2. विरेन्द्र देव दीक्षित संचालक आध्यात्मिक ईश्वरी विश्व विद्यालय ग्राम पोस्ट कपिल जिला फर्रुखाबाद उ0प्र0
3. कमला देवी दीक्षित आध्यात्मिक ,, ,,
4. कन्हैया लाल पुत्र राम प्यारे सा0 अवधपुरा वनशप्ती नगर थाना गौरी नगर जिला देवरिया
5. लालजी पुत्र रामप्यारे सा0 ,, ,,
6. भोला पुत्र राम प्यारे सा0 ,, ,,
7. विजय कुमार पुत्र राम प्यारे सा0 ,, ,,
8. राम प्यारे पुत्र अज्ञात सा ,, ,,

9. कृष्णा पुत्र प्रहलाद मौर्य सा0 करवी थाना लोटन जिला सिद्धार्थनगर

10. प्रहलाद मौर्य पुत्र अज्ञात सा " "

नकल तहरीर हिन्दी वादी टाइप शुदा

न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट .... जिला महराजगंज तफ्तीश प्रा0पत्र संख्या 256/2011 स्टेट जरिये राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व0 स्व0 स्वामीनाथ निवासी ग्राम बहादुरी बाजार पोस्ट अमटी थाना कोल्हुई जिला महाराजगंज प्रार्थी बनाम (1) परमात्मा प्रसाद मिश्र गुरु आध्यात्मीक ईश्वरीय विश्व विद्यालय ग्राम व पोस्ट कम्पिल जिला फरूखाबाद उ0प्र0 (2) वीरेन्द्र देव दीक्षित संचालक आध्यात्मिक इश्वरी विश्व विद्यालय ग्राम पोस्ट कम्पिल जिला फरूखाबाद उ0प्र0 (3) कमला देवी दीक्षित संचालिका आध्यात्मिक इश्वरी विश्व विद्यालय ग्राम पोस्ट कम्पिल जिला फरूखाबाद उ0प्र0 (4) कन्हैया लाल पुत्र राम प्यारे निवासी ग्राम अवधपुर वनशप्ती नगर, थाना गौरी नगर जिला देवरिया (5) लालजी पुत्र रामप्यारे निवासी ग्राम अवधपुरा वनशप्ती नगर थाना गौरी नगर जिला देवरिया (6) भोला पुत्र राम प्यारे ग्राम अवधपुरा वनशप्ती नगर थाना गौरी नगर जिला देवरिया (7) विजय कुमार पुत्र राम प्यारे निवासी ग्राम अवधपुरा वनशप्ती नगर थाना गौरी नगर जिला देवरिया (8) कृष्णा पुत्र प्रहलाद मौर्य निवासी ग्राम करवी थाना लोटन जिला सिद्धार्थ नगर (9) प्रहलाद मौर्य पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम करवी थाना लोटन जिला सिद्धार्थ नगर (10) राम प्यारे पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम अवधपुरा वनशप्ती नगर थाना गौरी नगर जिला देवरिया अभियुक्तगण प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 156 (3) जा0फो0 उपरोक्त मुकदमा में निवेदन है कि घटना दिनांक 23.12.2007 ई0 को समय करीब 10.00 बजे दिन का है प्रार्थी के घर पर अभियुक्त संख्या 2 लगायत 10 ने अभि० सं० 1 को कम्पिल पर ग्राहक। से लेकर आये और कहे कि यह यह बाबा परमात्मा प्रसाद मिश्र हम लोगों के गुरू है तथा सबके गुरू है। तुम लोग भी शिक्षा दीक्षा ले लो। प्रार्थी अभियुक्तगण 2 ता 10 के बातों पर विश्वास करके अपना व्यवसाय भाड़े हेतु समान लेकर फरेन्दा चला गया। कि इतने में अभियुक्तगण के प्रार्थी पत्नी उर्मिला

देवी को अपने साजिस को करने तथा कुचक्र रचना तथा षड्यन्त्र करके एक गण स्थिति दस्तावेज गलत शपथपत्र तैयार करवा कर सभी अभियुक्तगण मिलकर एक दूसरे के साजिश होकर षड्यन्त्र करके प्रार्थी की पत्नी उर्मिला देवी कि उम्र लगभग 36 की तथा प्रार्थी की लड़की कुमारी श्वेता उम्र लगभग 20 वर्ष तथा दूसरी लड़की प्रियंका जायसवाल उम्र लगभग 19 वर्ष तथा तीसरी लड़की नेहा उम्र लगभग 15 वर्ष तथा बबिता उम्र लगभग 12 वर्ष तथा मेरा पुत्र निखिल जायसवाल उम्र लगभग 10 वर्ष कि अपहरण करके हत्या करने की नियत से लेकर भाग गये। फरजी लिखा पढ़ी के बाद दो लड़की क्रमशः बबीता व नेहा तथा पुत्र निखिल को मेरे पास भेज दिएं आज तक अभियुक्तगण मेरी पत्नी व दो लड़की श्वेता व प्रियंका को तान्त्रिक क्रिया करके रखे हुए है और गलत तरीके से अवरूद्ध किए हुए और उनका गलत तरीके से प्रयोग कर रहे है और इन्हें अवैध तरीके से निरोध किये हुए है तथा सम्पत्ति के लालच में इन्हें अवरूद्ध करने कार्य करवा रहे है और सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए उन्हे उकसा रहे है तथा इन्हें धमका रहें हैं तथा कार्य को ..... कर के गलत ढंग से सम्पत्ति अर्जित कर रहे है और उन्हें अपनी दासी बनाकर क्रियाएं करा रहे है तथा उनका खरीद फरोद करा रहे हैं तथा उनके शरीर का गलत प्रयोग कर रहे है तथा जान बूझ कर अवैध तरीके से संविधा करवा कर सुरक्षित होना चाहते हैं। और धोखाधडत्री करके बिना परेशानी के सम्पत्ति का लाभ अर्जित करना चाहते है और षड्यन्त्र करके अवैध ढंग से ज्ञान सुनाते हैं। प्रार्थी इस समय में अपनी पत्नी और बच्चों को प्राप्त करने हेतु फरूखाबाद उक्त आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्व विद्यालय जो बिलकुल जाली व फर्जी है। महज इसका उद्देश्य धन अर्जित करना है वे तथा कथित गुरु अभियुक्त संख्या एक के द्वारा करवा रहा है। सभी अभियुक्त गण प्रार्थी को बेईज्जत करने के नियत से गन्दी-2 गालियां दिये। तथा जान से मारने की धमकी भी दिये और कहे कि तुम साले माधरचोट तुरन्त यहां से भाग जाओ नहीं तो तुम्हारी हत्या करके तुम्हारे शरीर को इसी जमीन में गाड़ दिया जायेगा और तुम्हारे शरीर कर पता

भी नही चलेगा। प्रार्थी किसी तहर जान बचा कर भाग आया। घटना के दिन से ही रपट दर्ज कराने हेतु अथक प्रयास करता रहा तथा घटना के मुताबिक रपट दर्ज करने हेतु शासन प्रशासन व पुलिस विभाग तथा पुलिस अधीक्षक महाराजगंज व अन्य पुलिस अधिकारियों को घटना की सूचना जरिये रजिस्ट्री तथा इमेल से भेजी। लेकिन आज तक प्राथी की रिपोर्ट दर्ज नही हुई ना ही प्रार्थी के पत्नी व बच्चों की बरामदगी ही हुई। अभियुक्तगण मेरे पत्नी व मेरे बच्चों के उपर तांत्रिक क्रिया भी कर दिये हैं जिसकी पुष्टि रजिस्ट्री संस्थान पं0 बागेश्वरी पाठ्क द्वारा किया गया है। घटना के तमाम गवाह ये सब जानते हैं प्रार्थी का जीवन बर्बाद हो रहा है प्रार्थी इतने दिनों से अनावश्यक रूप से हैरान व परेशन हो रहा है तथा प्रार्थी का समाज में काफी मान व प्रतिष्ठा गिर गई है। अपराध संज्ञेय अपराध है। प्रार्थी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज करवा कर अभियुक्तगण के खिलाफ उचित कार्यवाही करवाया जाना न्यायहित में है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि इस प्रार्थना पत्र व शपथपत्र में दिये गये कथन के आधार पर थानाध्यक्ष कम्पिल को आदेशित किया जाना कि वह मुताबिक घटना संबंधित धारा में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना नियमानुसार करे। प्रार्थी राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व0 स्वामी नाथ निवासी ग्राम वहपुरी नगर थाना...... जिला महाराजगंज दि0 1.6.2011 ... श्रीमान आदेश प्रा0पत्र 156(3) उ0प्र0स0 स्वीकृत करते हुए संबंधित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि आदेश कि रिपोर्ट दर्ज कर नियमानुसार विवेचना में पाई पूर्व में रिपोर्ट दर्ज न होतो थानो द्वारा .... .जैसे .... समय के आख्या प्रेषित की जाए। .... अतः उचित कार्यवाही हेतु हस्ताक्षर अपठित

नोटः- मैं कां0 प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर की नकल चिक पर शब्द व शब्द अंकित की गई है।

हस्ताक्षर अपठित

:: सत्य प्रतिलिपि ::

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CRIMINAL APPELLATE JURISDICTION

170070

CRIMINAL APPEAL NO(S).1329 OF 2012

URMILA DEVI & ORS. ... APPELLANT(S)

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS. ....RESPONDENT(S)

WITH
CRIMINAL APPEAL NO. 1330 OF 2012

Certified to be true copy
Assistant Registrar(Judl.)
20/3/15
..............2015
SUPREME COURT OF INDIA

O R D E R

Appellant No. 1 is the wife of complainant and appellant nos. 2 and 3 are the daughters of the complainant, who are present before this Court. Appellant No. 4 is the Spiritual Father of Aadhyatmik Ishwariya Vishwa Vidyalaya, New Delhi, for short 'the Vidyalaya' and the appellant no.5 is the Spiritual Mother of the Vidyalaya.

The appellants aggrieved of the judgment and order dated 11.07.2011 passed in Criminal Writ Petition No.12326 of 2011 by the High Court of Judicature at Allahabad, whereby it declined to quash the proceedings initiated against them by

respondent No. 4 herein by filing first information report in Crime No.881 of 2011 registered at Police Station Kolhui, District Maharajganj, alleging that the offences under Sections 419, 420, 364, 392, 504, 506 and 120B of the Indian Penal Code, for short 'the Code', have been committed by them, are before this Court. The allegations made in the complaint by the husband of appellant no. 1 is self explanatory.

The appellant nos. 1 to 3 are present in person before this Court.

Since appellant nos. 1 to 3 understand Hindi language only, questions put to them were translated in Hindi by the Court Master. On being asked as to why she left the matrimonial home of her husband along with appellant nos. 2 and 3, the appellant no. 1 submitted that she has left the matrimonial home on her own volition on account of harassment and torture meted out to her by her husband, respondent no. 4 herein. On our query to the appellant nos. 1 to 3 as to whether they are residing in the Vidyalaya on their own volition and desire, they have made it very clear that they have been residing in the Vidyalaya right from the year 2011 on their own own volition. To the query as to whether they

are under any pressure from any person from the Vidyalaya or any kind of torture or harassment is inflicted on them, they categorically refuted the same and submitted that they are living at the Vidyalaya happily.

It is very fairly submitted by learned counsel appearing for the State that appellant nos. 2 and 3 are major.

Learned counsel for respondent no. 4 submitted that appellant no. 1 has filed a notorised affidavit stating that they are residing on their own volition and, therefore, the petition for maintenance by appellant no. 1 against respondent no. 4 under Section 125 of the Code of Criminal Procedure, before the jurisdiction magistrate is not maintainable. We need not delve into this question in the instant appeals for the simple reason that the marriage between appellant no. 1 and respondent no. 4 still subsists and, therefore, appellant no. 1 is at liberty to file an application for maintenance. The concerned jurisdictional magistrate is required to adjudicate the same in accordance with law and on its own merits.

Since appellant nos. 2 and 3 have made

categorical statement before this Court that they are residing happily with their mother, appellant no. 1, in the Vidyalaya, at their own volition and desire, the question of their alleged kidnapping and other offences mentioned in the complaint lodged by respondent no. 4 is wholly untenable and unsustainable in law. Therefore, in our considered view, the High Court was not right in quashing the proceedings for the reasons stated supra.

In view of the above, we allow the appeals and consequently quash the proceedings against the appellants.

....................J.
(V. GOPALA GOWDA)

....................J.
(C. NAGAPPAN)

NEW DELHI,
MARCH 12, 2015

ITEM NO.4 COURT NO.10 SECTION II

170071

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Criminal Appeal No(s). 1329/2012

URMILA DEVI & ORS. Appellant(s)

VERSUS

Certified to be true copy
Assistant Registrar (Judl.)
20/3/15
...............2015
SUPREME COURT OF INDIA

STATE OF U.P.& ORS. Respondent(s)

WITH
Crl.A. No. 1330/2012
(With Office Report)

Date : 12/03/2015 This appeal was called on for hearing today.

CORAM :
HON'BLE MR. JUSTICE V. GOPALA GOWDA
HON'BLE MR. JUSTICE C. NAGAPPAN

For Appellant(s) Aroma S. Bhardwaj, Adv.
Mr. Shailendra Bhardwaj,Adv.

For Respondent(s) Mr. Vivek Vishnoi, Adv.
Mr. M. R. Shamshad,Adv.
Mr. Zaki Ahmad Khan, Adv.

Mr. Sanjay Mani Tripathi, Adv.
Mr. Kamal Kant Tripathi, Adv.
Ms. Anu Gupta,Adv.

UPON hearing the counsel the Court made the following
O R D E R

The appeals are allowed in terms of the signed order.

(VINOD KR. JHA)
COURT MASTER

(MALA KUMARI SHARMA)
COURT MASTER

(Signed order is placed on the file)

भागवत कथा - 11

वैशाली (B.com.)

ज्ञान-मुरलियों के पीछे, ईश्वरीय सेवार्थ और आजीवन अपनी पवित्रता-पालन के लक्ष्य को लेकर लौकिक परिवार वालों के विरुद्ध खड़ी रही एक और कन्या है 'बड़ौदा की वैशाली'।

Bhagawat Story-11

Vaishali Bahan

With the undeterred aim of maintaining purity and ambitions towards Godly Service in the light of spiritual enlightenment through Jnaan Muralies; stood ahead, another girl Vaishali of Baroda.

वैशाली परमार जो कि पहले से ही आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि रखती थी और अपना जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित करना चाहती थी। लेकिन उसकी माँ धीरजबेन व अन्य रिश्तेदार उसकी मर्ज़ी के खिलाफ ज़ोर-जबरदस्ती उसकी शादी करवाना चाहते थे। जिस कारण वैशाली अपनी इच्छा से घर से भाग निकली व मई, 2011 में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में दाखिल हुई। उसे डर था कि कहीं उसके जीजाजी जे.ए. मकवाना जो कि बड़ौदा में वकील हैं, वे उसकी माँ द्वारा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय को व उसके अन्य सदस्यों को किसी झूठे केस में न फँसा दें और उसे ज़ोर-जबरदस्ती विद्यालय से वापिस न ले जाएँ। जिस कारण वैशाली बहन ने दिनांक 14.05.2011 को पुलिस अधीक्षक, फर्रुखाबाद, यू.पी. व पुलिस अधीक्षक, पानी गेट, वड़ोदरा को अपनी स्वेच्छा से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में दाखिल होने की सूचना दी थी।

Right from the beginning, Vaishali Parmar was interested in the spiritual knowledge and wished to surrender herself for the cause of spiritual service and follow lifelong purity. But, her mother Dheerajben and other relatives wanted to get her forcibly married against her wish. For that reason, Vaishali has escaped on her own and joined Adhyatmik Vishwa Vidfyalaya during May , 2011. She feared that her brother-in-law J.A. Makvana, a lawyer in Baroda and her mother may implicate the Adhyatmik Vishwa Vidfyalaya and other members in some or other false case and get her back from Vidfyalaya forcibly. And hence, she has addressed the S.P., Farrukhabad , U.P as well S.P., Pani Gate, Baroda that she has joined the Adhyatmik Vishwa Vidfyalaya on her own volition,.

उसके बावजूद वैशाली की माँ धीरज बेन दिलीप भाई परमार ने आरोप लगाया कि उसी शहर के दीपक बालानी ने आध्यात्मिक विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यों से मिलीभगत करके अवैध काम कराने के लिए उसकी बेटी 'वैशाली बेन दिलीप भाई परमार' को उसकी इच्छा के विरुद्ध दिनांक 16-05-2011 को अपहरण करके बंधक बनाकर रखा है।

And despite that, her mother Dheerajben Dilip Bhai parmar of Gujarat has complained with allegations that one Deepak Balani of the same place has kidnapped and detained her daughter Vaishali Ben against her wish on 16-05-2011 in hands with "AVV family" for the purpose of using her for illegitimate purposes.

उन्होंने ता. 29-06-2011 को एडिशनल चीफ जुडीशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 97 के तहत अर्ज़ी दाखिल की कि जब वे अपने तीन रिश्तेदारों के साथ पुलिस वालों को ले करके दिल्ली आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में पहुँचे तो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय वालों ने उन्हें अपनी कन्या वैशाली के साथ ग्रिल के अंदर से बात कराई। उन्होंने कोर्ट से इस आदेश की माँग की कि सर्च वारंट जारी कर उनकी बेटी वैशाली को आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, दिल्ली से छुड़ाकर कोर्ट के सामने पेश करें।

She has in her petition stated before the Addl. Chief Judicial Magistrate under section 97 on 29-06-2011 that when she reached "AVV" along with three of her relatives and Police, the people of the "AVV" has allowed her to talk with her daughter from behind the grills. She has further requested in her petition that orders may be passed to the extent that her daughter may be released from the Adhyatmik Vishwa Vidfyalaya and be presented before the court.

अब वैशाली बहन को कोर्ट में जाना ही पड़ा। वैशाली बहन ने कोर्ट के सामने ता. 12-10-2011 को यह बयान दिया था कि वह 25 साल की है और जो भी आरोप उसकी माँ ने लगाए हैं, वे सरासर गलत हैं। वैशाली ने यह भी अपने बयान में कहा कि वह अपनी स्वेच्छा से, किसी के दबाव के बिना, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, दिल्ली में रह रही है और किसी ने उसे बहलाया-फुसलाया नहीं है; बल्कि वह आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का प्रण लेकर अपनी स्वेच्छा से ईश्वरीय सेवा में समर्पित हुई है।

Now, it became inevitable for Vaishali Bahan to approach the court on 12-10-2011. In her statement under oath before the court she made it clear that she is

major with 25 years of age and the allegations made by her mother are absolutely false. She has further ascertained before the court that she was staying with the "AVV family" at her volition without pressures by anybody and no one has ever influenced her. She has affirmed, she is aimed at maintaining purity for lifelong and surrendered herself for the cause of Godly Service.

वैशाली ने अपने बयान में यह भी स्पष्ट किया कि उसे आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में किसी ने बंधक नहीं बनाया है और ऐसा आरोप सरासर गलत है। वैशाली ने अपने बयान में अपनी माँ के आरोपों का खंडन करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि विद्यालय में रहने वाली कन्याओं-माताओं की सुरक्षा के लिए ग्रिल्स को अंदर से ताला लगाकर रखते हैं। वैशाली ने अपनी माँ के साथ घर वापस जाने के लिए मना किया और आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, दिल्ली में ही रहने की इच्छा जताई।

She has further clarified that none of the "AVV family" has detained her and such allegations are totally framed false. She has in her statement on oath, while contradicting her mother’s allegations, further made it clear that it was the practice to keep girls and mothers inside the grills locked for security purposes and safety. Vaishali has refused before the court to go along with her mother and has expressed her desire to stay at Adhyatmik Vishwa Vidfyalaya , Delhi.

उक्त बयान सुनकर मैजिस्ट्रेट ने वैशाली को अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, दिल्ली जाने की अनुमति दी। अपना केस झूठा पाया जाने पर भविष्य में वैशाली द्वारा या आध्यात्मिक विश्वविद्यालय द्वारा वैशाली की माँ के खिलाफ कोई क्रॉस केस किए जाने के डर से धीरजबेन दिलीपभाई परमार ने बड़ौदा के एडिशनल चीफ जुडीशियल मैजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में दाखिल किया हुआ क्रि.प.नं.135/11 को विदड्रा कर लिया।

Hearing the statement of Vaishali, the magistrate has allowed her to go to Adhyatmik Vishwa Vidfyalaya, Delhi. Having her case proved false and for the fear that the Adhyatmik Vishwa Vidfyalaya may file cross case against her, Dheerajben Dilip Bhaee Parmar hase withdrawn her Criminal Petition No. 135/11 from the court of Addl. Chief Judicial Magistrate.

लेकिन बात यहाँ तक खतम नहीं हुई। वैशाली बहन, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की सदस्या मंजू बहन व निर्मला माता जैसे ही कोर्ट के मेन गेट से बाहर निकलीं वैसे ही वैशाली के जीजा जे.ए. मकवाना 5-6 गुंडों को साथ में लेकर आए और गंदी गाली-गलौज करते हुए धमकियाँ देने लगे। उन्होंने वैशाली को ज़ोर-जबरदस्ती कोर्ट परिसर से लेकर जाने की कोशिश भी की; लेकिन शिवबाबा की छत्रछाया बनी होने के

कारण जैसे-तैसे वैशाली व आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की अन्य सदस्या उन नराधमों के चंगुल से भाग निकलने में कामयाब हुई।

But the matter did not come to an end here. When Vaishali Bahan, along with the family members of Adhyatmik Vishwa Vidfyalaya came out of the main gate of the court, the brother-in-law, lawyer J.A. Makwana along with 5-6 goondas started abusing and threatening. They have also attempted to drag Vishali by force out of the court area , but for the reason of having the safety support of Shiv Baba, Vaishali and the other members could however escape from the clutches of those criminal minded.

अपने निर्णय पर अडिग रही वैशाली बहन अब भी ज्ञान-मुरलियों की मस्ती में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के साथ है।

Vaishali now on her undeterred courage with "AVV family”, happy on the way to spiritual enlightenment with Jnaana Muralies.

और आगे की प्रकरण...

ફો.ગ્ર. ૧૩૫/૦૨

—1202-2,00,000-10-2010.

Civ. A 27c.

..Cirs. Civil. P. P. 13, 14, Circular
No. 30, Edition 1903]

Exhibit No. ૬૬

DEPOSITION OF WITNESS NO. FOR THE

I do hereby on solemn affirmation state that–

My name is [illegible] Father's Name [illegible]

Religion

Age about ૩૫ Occupation શિક્ષક

Residence [illegible] District

Examination-in-chief

સોગંદ ઉપર લીધા.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

X Parmar [illegible]

તા. ૧૨/૧૦/૨૦૨૨

રીપોર્ટ નંબર ૬૦૦૨૦૧૯
નકલ માંગનાર [illegible]
રીપોર્ટ આપ્યા તારીખ [illegible]
[illegible]

સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ

નકલ તૈયાર થઇ તારીખ [illegible]
[illegible]

સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ

નકલ છોડયા તારીખ [illegible]
[illegible]

સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ

[illegible]	૬-૦૦
[illegible] ફી	૩-૦૦
[illegible] ફી	
[illegible] ફી	૧-૦૦
[illegible] ફી	
[illegible]	૧૦-૦૦

આથી પ્રમાણિત કરવામાં આવે છે કે અસલ ઉપરથી આ ખરી નકલ કરી આપેલ છે.

મુકાબલ કરનાર

સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ

Typed Copy

1202-2,00,000-10-2010 | क्रि.प.नं. 135/11
Cirs.civil.P.P.13, 14, circular | Civ.A 27e.
No.30, Edition 1903] | Exhibit No. 9

DEPOSITION OF WITNESS No. FOR THE

I do hereby on solemn affirmation state that-

My name is- वैशाली बेन Father's Name- दिलीपभाई परमार

Religion

Age about- 25 Occupation- साध्वी

Residence- आध्यात्मिक विश्वविद्यालय District

Examination-in-chief

शपथ पत्र

म आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, मकान नं. 351-352, ब्लाक- ए, रोहिणी सेक्टर- 5 के पास, विजयविहार, दिल्ली म पिछले पाँच महीने से आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ।

मेरी जन्म तारीख 28-11-1985 है और मेरी आयु अभी 25 पच्चीस वष, ग्यारह महीने है।

इस प्रकरण की प्रार्थनी धीरजबेन दिलीपभाई परमार मेरी माता ह। म जानती हूँ कि मेरी माता ने इस आशय का एक निवेदन पत्र कोट म दाखिल किया है कि इस केस के विरोधी पक्ष दीपक बालानी और आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, दिल्ली वालों ने मुझे मेरी इच्छा के विरूद्ध रखा है, जो निवेदन पत्र मने पढ़ा है| निवेदन पत्र म जो बात लिखी गई है कि विरोधी पक्ष वालों ने मुझे जबरदस्ती बंधक बनाकर रखा है, वो सरासर गलत है। म दिल्ली स्थित आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय म अपनी स्वेच्छा से, बिना किसी के दबाव अथवा धमकी के रह रही हूँ। मुझे किसी ने भी अपने कब्जे म नहीं रखा है और

दिल्ली स्थित आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय म रहने के लिए मुझे किसी ने भी बहलाया या फुसलाया नहीं है।

म इस विश्वविद्यालय म घर से बिना बताये इसलिए आ गई हूँ क्योंकि मुझे आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय म समर्पित होना है। घर म बात नहीं की क्योंकि मेरी माँ को समाज का डर लगता है और मुझे लगा कि मेरी माँ मुझे आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय म समर्पित होने नहीं देगी, इसलिए म बिना बताये आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय दिल्ली म दाखिल हो गयी थी।

मने संसार का त्याग करके आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय म विद्यालय के नियम प्रमाण आजीवन ब्रह्मचय व्रत का पालन करने का व्रत लिया है।

निवेदन पत्र म लिखा है कि मुझे आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय के घर के कमरे म ताला लगाकर बंधक बनाया हुआ है, वो बात एकदम गलत है | और हमारे विद्यालय म सिफ कन्याएँ-माताएँ रहती ह, इसलिए उनके बचाव/सुरक्षा के लिए गेट बंद करके ताला लगाते ह।

इसके सिवाय मुझे और कुछ कहना नहीं है, मुझे मेरी माँ के साथ घर नहीं जाना है और मुझे आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, दिल्ली म रहना है।

हमने जो बात शपथ पत्र म बताई है, वह एकदम सत्य है।

Sd/-

वैशालीबेन परमार

Date: 12-10-2011

ક્રિ.પો.નં. ૧૩૫/૧૧

મે. બોટાદના શ્રી ચીફ જ્યુ. મેજી. ફ.ક. સાહેબની કોર્ટમાં

અરજદાર: હરિલાલ ભીખાભાઈ પરમાર

વિરુદ્ધ

સામાવાળા: [illegible]

વિષે પુરસીસ

અમો અરજદાર [illegible] આ વિષે પુરસીસ આપી જણાવીએ છીએ કે

[illegible] અરજદાર [illegible] સામાવાળા [illegible] મુજબ ભીખાભાઈ પરમાર [illegible] ગુજરી [illegible] આ [illegible] અરજદાર [illegible] પુરસીસ આપી [illegible]

હરજીવન ડી પરમાર
અરજદારના વકીલ

અરજદાર [illegible]

તા. ૧૨.૧૦.૧૧
બોટાદ

Typed Copy

क्रि.प.नं. 135/11

न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वड़ोदरा

प्रार्थी:		धीरजबेन दिलीपभाई परमार

विरुद्ध

प्रतिपक्ष:		आध्यात्मिक विश्वविद्यालय

विषय: पुरसीस

हम प्रार्थी नीचे दिए गए विथड्रा पुरसीस के द्वारा यह बताते है कि-

यह कि, प्रार्थी ने प्रतिपक्ष के विरुद्ध आवेदन पत्र दाखिल किया हुआ है, जिसमें प्रार्थी की पुत्री वैशालीबेन दिलीपभाई परमार का बयान ले लिया गया है| अब हम यह केस आगे चलाना नहीं चाहते है और इस पुरसीस के माध्यम से यह स्पष्ट कर रहे है।

दिनांक:- 12-10-2011		Sd/-

वड़ोदरा		धीरजबेन दिलीपभाई परमार

भागवत कथा - 12

गीतांजलि (B.Tech.)

मुरलियों की धुन से आकर्षित होकर, आजीवन पवित्रता का **दृढ़** संकल्प लेकर 21 साल की उम्र में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के परिवार से जुड़ने के लिए आगे बढ़ने वाली दिलशाद गार्डन, दिल्ली की एक कन्या है- गीतांजलि| वह 2010 से ही आध्यात्मिक **ज्ञान** में चलती रही। शादी करने की जिद्द को लेकर **ज्ञान** में चलने के लिए प्रतिबंध लगाने वाले **अपने** ही पिता को मनवाने में असमर्थ रही तो अपनी बी.टेक (Biotechnology) की अंतिम वर्ष की पढ़ाई को अधूरा छोड़ते हुए **गीतांजलि को** घर त्यागकर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की तरफ़ भागना ही पड़ा और अपने-आप को ईश्वरीय सेवा में समर्पित करते हुए दिनांक **18-08-2011 को** गीतांजलि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से जुड़ भी गई थी।

Bhagawat Story-12

Gitanjali:

Owing to the unstinted attraction towards the tunes of Murlis, it is now another girl (kanya) advancing to join the AIVV family with undeterred determination for maintenance of purity lifelong is Gitanjali, aged 21 years, resident of Dilshad Garden, Delhi. She used to be in hands with "AVV family" since the year 2010.

She, having failed to convince her father, inevitably dared to join the AIVV family on 18th August, 2011. She had to leave home and escape towards Adhyatmik Vishwa Vidfyalaya surrendering herself for the cause of Godly Service despite restrictions imposed by her father, who was adamant in getting her marriage done in the usual course.

आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में पहुँचते ही अर्थात दिनांक 18-08-2011 को अपने पिता के विरोधाभास को **दृष्टि** में रखकर, गीतांजलि ने दिलशाद गार्डन के पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर पोस्ट द्वारा एक पत्र अपने जन्मतिथि का प्रूफ़ संलग्न करते हुए भेजा, जिसमें उसने आध्यात्मिक विद्यालय में अपनी स्वेच्छा से रहने का निर्णय **बताया** और अपने माँ-बाप और रिश्तेदारों से **बचाव के लिए** रक्षण भी माँगा।

On the same day of her joining the AIVV family, i.e., on 18th August, 2011, in anticipation of her father’s hostility, she has addressed a letter to the SHO, Dilshad Garden police station, intimating regarding her wilful determination in joining with the AVV family enclosing her date of birth certificate. She has also requested the SHO in her letter to accord police protection from her adamant father and relatives.

इसके अलावा गीतांजलि ने ता.20-08-2011 को चंडीगढ़ के बुड़ैल स्थित थाने में जाकर अपनी स्थिति और संशय को जाहिर करते हुए और उसके मात-पिता से खतरे की आशंका बताते हुए पुलिस रक्षण प्रदान करने की माँग को लेकर उन्हें एक विनती पत्र दिया। लेकिन सुरक्षा प्रदान करने की बजाय पुलिस ने खुद ही कन्या के मात-पिता को फोन करके चंडीगढ़ बुला लिया। गीतांजलि के माँ-बाप तुरंत दिनांक 21-08-2011 को चंडीगढ़ आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में पहुँच गए और धमकी देते हुए, जबरियन उसे खींचकर घर ले जाने के लिए प्रयास करने लगे, **जिससे** आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का शांति भरा वातावरण भी भंग हुआ। बुड़ैल थाने की पुलिस ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया।

Apart from this, Gitanjali has handed over a request letter to the Police Station, Budel situated at Chandigarh duly explaining her difficulties and doubts as to her safety, from her parents, wherein she also requested the Budel Police for Police protection. The police, instead providing her protection, have called her parents to Chandigah over phone. Her parents created nuisance and attempted to grab her with them under threat from Chandigarh "AVV" on 21-08-2011, where she was staying. The peaceful atmosphere of the "AVV" was considerably disturbed. The Budel Police authorities remained inactive.

पवित्र रहने के निर्णय पर अड़ी रही गीतांजलि को बुड़ैल थाने से पुलिस रक्षण प्राप्त करने के लिए **ता. 21-08-2011 को** चंडीगढ़ के पुलिस उप उपायुक्त से निवेदन करना ही पड़ा।

The situation even though not wished for, led Gitanjali who is determined on her stand for maintenance of purity, to request the Deputy Commissioner of Police, South, in Chandigarh for giving direction to the Budel Police authorities to provide police protection; on 21st August, 2011.

चंडीगढ़ के पुलिस उपायुक्त ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कन्या के माँ-बाप को वार्निंग दी कि अपनी मेजर कन्या के प्रति **ऐसा** दुष्ट व्यवहार न करें। फिर भी गीतांजलि के मन में संशय बना रहा कि उसके पिता चुप नहीं बैठेंगे और दिल्ली वापिस जाकर जरूर कोई झूठा केस दाखिल करेंगे। जिस कारण उसने ता. 24-08-2011 को पुलिस उपायुक्त, सीलमपुर, दिल्ली, एस.एच.ओ., झिलमिल पुलिस स्टेशन, दिल्ली व एस.डी.एम., झिलमिल, दिल्ली को यह जानकारी दी कि उसके माँ-बाप उसके और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के मुखियाओं के ऊपर कुछ गलत आरोपों को लेकर झूठी व बनावटी शिकायत कर सकते हैं। गीतांजलि का संशय सही निकला और उसके पिता बालकिशन अनुरागी ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक क्रिमिनल रिट हेबिअस कार्पस पिटिशन (नं. 1438/2011) दाखिल की। उन्होंने आरोप लगाया था कि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय वालों ने उनकी बेटी गीतांजलि को बंधक बना **रखा** है।

The D.C.P of Chandigarh was active and chastened her parents for their unruly behavior with their major daughter against her will. Still, observing the aggressive attitude of her parents, Gitanjali still had doubts that her father would not remain silent and file some or other false case after going to Delhi. In the circumstance, she resorted to address another letter to D.C.P., Seelampur, Delhi on 24th August 2011 wherein she expressed her fears against her parents instigating false cases against her and AIVV family members. Ultimately, the fears of Gitanjali turned true and a criminal writ Habeas corpus petition No. 1438 of 2011 was filed in the High court of Delhi by her father Bal Kishan Anuragi wherein he has made a false allegation that his daughter Gitanjali was kept in the illegal custody of "AVV family" members.

गीतांजलि के पिता बालकिशन ने हाई कोर्ट में बड़े-2 हथकंडे अपनाए। कभी बी.टेक कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को कोर्ट में बुलाकर उनके द्वारा झूठे ढोंग रचे तो कभी गीतांजलि के मामाजी को कोर्ट के सामने खड़ा कर झूठी-2 बातें कीं।

The father of the girl has adopted different tactics in the High Court. He brought the principal of the college of Biotechnology in the court for creating lies and again called the uncle of Gitanjali for giving false witness in the court.

दिल्ली हाई कोर्ट ने गीतांजलि की इच्छा को मान्यता देते हुए, ता.30-03-2012 को आदेश पारित किया कि ''कन्या के माँ-बाप अपनी बेटी से मिलना चाहेंगे तो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा। यह कहते हुए गीतांजलि के ऊपर निर्णय लेने का हक छोड़ दिया कि वह चाहे तो अपने माता-पिता से मिल सकती है या चाहे तो बात कर सकती है।'' वैसे तो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का एक मुख्य नारा ही यह है- ''स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो''। इसी कारण आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की ओर से इस प्रकार के किसी प्रतिबंध का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब भी गीतांजलि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय परिवार के साथ बिना किसी अड़चन के अपनी ज्ञान की मस्ती में रह रही है।

The High Court while according priorities to the wishes of Gitanjali, has ultimately ruled on 30th March, 2012, that the "AVV" shall not create any impediment when her parents wish to meet her, with condition allowing liberty for Gitanjali to decide whether she wishes to meet them or not. And of-course it is a general practice of the "AVV family" to be and let other be at liberty. Hence the question does not arise. Gitanjali could now settle down with the AVV family free of any kind of obstacles in her pleasures of the knowledge. A few relevant extracts of the High Court Judgment dated 30-03-2012 referred herein are annexed and the other episodes stand to continue.

और आगे की प्रकरण...

$-4

* IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI

\+ W.P.(CRL) 1438/2011

BAL KISHAN ANURAGI ..... Petitioner

Through : Mr H.K. Chaturvedi, Adv.

versus

GOVT. OF NCT OF DELHI AND ORS ..... Respondents

Through : Mr Shailendra Bhardwaj, Adv. with Ms A.S. Bhardwaj, Adv.

For Private Use
Examiner Judicial Department
High Court of Delhi

CORAM:
HON'BLE MR JUSTICE BADAR DURREZ AHMED
HON'BLE MS JUSTICE VEENA BIRBAL

ORDER
30.03.2012

%

This writ petition is disposed of with the direction that in case the petitioner and his wife wish to visit their daughter Geetanjali in the *'ashram'* they are welcome to visit their daughter and the institution shall not create any impediment in this regard. However, it will be open to Geetanjali as to whether she wishes to meet with and speak with the parents or not.

The writ petition stands disposed of.

BADAR DURREZ AHMED, J

VEENA BIRBAL, J

MARCH 30, 2012
kb

DIGITALLY SIGNED DATA

VERIFIED / TRUE COPY

THE SEAL OF THE HIGH COURT OF DELHI • NEW DELHI

Certified to be True Copy

Examiner Judicial Department
High Court of Delhi
Authorised Under Section 76 of Indian Evidence Act.

भागवत कथा - 13

मीना-बांदा-उत्तर प्रदेश

यह एक और प्रकरण है, जिसमें बांदा जिले की मीना शिवबाबा की मुरलियों की गहराइयों को देखते हुए अपने-आप को **ईश्वरीय यज्ञ में समर्पित किए बिना** रोक नहीं पाई।

Bhagawat Story-14:

Meena-Banda-From Uttar Pradesh:

This is another episode towards the depth of Murlis emerging from Shiv Baba is all about Miss. Meena of Banda from U.P who could not restrain from surrendering herself for the cause of Godly service and sacrifice.

मीना के पिता राकेश सिंह कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी के साथ बांदा की गीता-पाठशाला में जाते रहे; परंतु अपनी ही बुरी आदतों के वशीभूत होने के कारण न **ज्ञान** में श्रद्धा रख पाए, न अपनी बेटी को प्रोत्साहन दे पाए। मीना **का** ज्ञान में **तीखापन व श्रद्धा-विश्वास उनको** अच्छा नहीं लगा तो वे मीना पर बंधन डालने लगे, ताकि वह **ज्ञान** में न चले। जब मीना को जबरियन **ज्ञान** में चलने से रोकने लगे, तो 19 साल की मीना के सामने आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की ओर भागने के सिवाय और कोई रास्ता बचा ही नहीं। आखरीन, मीना ने अपना निर्णय बताते हुए, बांदा थाने में ता.23-08-2011 को रजिस्टर पोस्ट द्वारा **अपने माता-पिता और अन्य रिश्तेदारों से रक्षण प्रदान करने की माँग को लेकर एक पत्र भेजा।**

Meena's father Rakesh Sinh, resident of Aliganj, Banda used to attend the Murli Versions at Banda along with his daughter for quite some time. However, having unable to pay attention to the knowledge owing to his own accustomed vices, he developed disinterest in the knowledge. He could not even encourage his daughter. He became averse towards the knowledge and did not prefer to allow his daughter involve deep into the knowledge and started imposing restrictions on her. When he started restraining her from attaining spiritual knowledge forcibly, Meena, aged 19 years, was left with no alternative except to flee away towards Adhyatmik Vishwa Vidyalaya from home. While apprising her position and consequent decision, she has addressed a request letter to Banda Police Station by Regd. post on 23-08-2011 with request to provide protection from her parents and relatives.

फ़र्रुखाबाद में पहुँचते ही उसने आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में अपने-आप को ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित करते हुए ता.24-08-2011 को एक ऐफ़िडेविट सौंपा। स्थिति को बताते हुए और पुलिस रक्षण माँगते हुए मीना ने फ़र्रुखाबाद के पुलिस अधीक्षक को उसी दिन एक पत्र भी **रजिस्टर पोस्ट द्वारा** भेजा। मीना ने बांदा पुलिस को और साथ ही फ़र्रुखाबाद पुलिस अधीक्षक को भी यह बात खास स्पष्ट की कि वह बालिग है और स्वेच्छा से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित होकर वहीं रहना चाहती है। जैसे ही उनकी माता विमला देवी और पिता राकेश सिंह ने ता.24-08-2011 को फ़र्रुखाबाद पुलिस वालों को कम्प्लेंट की, दूसरे दिन ही ईश्वरीय परिवार के राजू भाई को बांदा पुलिस वालों ने **बगैर कोई एफ.आई.आर. दर्ज किए अरेस्ट कर लिया**। मीना के पत्रों पर न बांदा पुलिस वालों ने और न फ़र्रुखाबाद पुलिस वालों ने कोई खास ध्यान दिया। तीन दिन गुज़रते ही, ता.28-08-2011 को मीना के माता-पिता बाँदा पुलिस को लेकर फ़र्रुखाबाद आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में **पहुँच गए**। बाँदा पुलिस के सामने मीना ने अपनी जन्मतिथि का प्रूफ़ दिखाते हुए **अपना** निर्णय बता दिया कि वह स्वेच्छा से आध्यात्मिक विद्यालय में रहना चाहती है। बाँदा पुलिस सब इंस्पेक्टर तो देखता रहा; परंतु मीना के माता-पिता ने उसको खींचकर ले जाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी; लेकिन मीना फिर भी **अपने** निर्णय पर अड़ी रही।

While expressing her determined belief in the knowledge, she has also executed an affidavit on 24-08-2011 to the extent that she was surrendering herself for cause of Godly service. Simultaneously, on the same day, as a precautionary measure, she addressed a letter detailing the entire situation and her fears to the Superintendent of Police, Farrukhabad by registered post. Meena has in her letters addressed to the S.H.O., Banda as well to the Superintendent of Police, Farrukhabad made it quite clear that she was a major and wish to stay with the "AVV family" at her own will and without any pressure by anybody. The mother of Meena, Vimala Devi and father Rakesh Singh have approached the Police at Farrukhabad and lodged a complaint on 24th August, 2011.

On the very next day, one of the spiritual brothers Raju Bhai of Banda was taken into the illegal custody by Banda Police in the absence of any FIR having been lodged. Neither the S.H.O., Banda and the S.P., Farrkhabad have given any accord to Meena’s letters of request. And three days after, on 28th August, Meena’s parents rushed to Farrukhabad "AVV” along with a Police of Banda. Despite giving a clear statement as to her intention to stay in the "AVV" and showing her certificate of proof of age in the presence of police, Meena’s parents used all their energies to grab and take her back home, but Meena had stuck to her own decision.

अगर यह बात यहाँ खतम हो जाती, तो यह अनावश्यक लम्बा प्रकरण बनता ही नहीं। चार घंटे पूरे बीते ही नहीं, उसी दिन अर्थात ता.28-08-2011 को लगभग 20-25 कॉन्स्टेबल्स के साथ पुलिस अधिकारी **फ़र्रुखाबाद** आध्यात्मिक विश्वविद्यालय **पर टूट पड़े**। कन्याएँ-माताएँ उस समय आध्यात्मिक विद्यालय में अपनी दिनचर्या के अनुसार **ज्ञान** चिंतन में लगी **हुई** थीं।

If the attempts end here, this episode would not have had a further unnecessary and lengthy walk ahead. Within 4 hours on the same day on 28th August, around 20 to 25 male Police Officers and constables along with the parents of Kum. Meena, forcefully intruded into the Farrukhabad "AVV". It was the time when the mothers and sisters were in regular course of churning of the spiritual knowledge.

पुलिस वाले विद्यालय में कोई औपचारिक पूछताछ किए बगैर जोर-जबरदस्ती, मनमाने तरीके से अपनी वर्दी व पद का दुरुपयोग करते हुए सारे दरवाज़े तोड़ते हुए कन्याओं-माताओं के कमरों में घुस गए। कोई महिला पुलिस (अथवा सर्च वारंट) भी उनके साथ नहीं था।

The police, in sheer disregard of the constitutional rights and formalities of the Vidyalaya; even without any formal enquiry; and in disrespect of their own uniform, intruded into the rooms of mothers and sisters by break opening the shutters and doors of the "AVV". Neither any search warrant nor any lady police are with them.

फ़र्रुखाबाद के गुलाबी गेंग की मुखिया अंजली यादव, सरला पांडे और उस गेंग के बहुत-से अनुचर भी पुलिस वालों के साथ जोर-जबरदस्ती अन्दर घुस आए और तोड़-फोड़ व मार-पीट करने में **अपनी ताकत दिखाने लगे।**

One Gulabi Gang of Farrukhabad with their leaders Anjali Yadav and Sarla Pande followed by a number of their followers also intruded inside simultaneously and used their energies in ransacking the house and beating the brothers, sisters and mothers of the "AVV".

पुलिस वालों ने **गुलाबी गेंग के साथ हाथ बँटाना शुरू कर दिया**। पुलिस वालों को याद ही नहीं आया था कि वे अपने साथ महिला पुलिस नहीं **लाए** हैं। देर से ही सही, उनको महसूस तो हुआ- आखिर क्या गलती हो गई! एक घंटे में ही कन्याओं-माताओं को धक्के देते हुए, मार-पीट करते हुए, शर्मनाक गालियाँ देते हुए **लेडीज़ पुलिस कूद पड़ी**। पुलिस वालों की नृशंसता देखकर उनकी आँखों के सामने ही गुलाबी गेंग भी **गुंडा**गर्दी पर उतर पड़ी।

The Police, all being males joined hands with the Gulabi Gang in harassing the inmates of the "AVV" indiscriminately. There were no lady police at that moment. The male police have noticed their lapse after a while and called for lady police who have joined the mob an hour later. The lady police jumped into action; crossed all the limits of cruelty in abusing, thrashing, beating and misbehaving with the innocent girls and Matas of the "AVV" mercilessly along with the male police using abusive language. Seeing the cruel attitude of the police, the Gulabi Gang also joined hands in harassing the inmates.

कु. मीना ने जिन बड़े अधिकारियों को अपनी रक्षा के लिए पत्र सौंपे थे, वे पत्र तो कचड़े के डिब्बे में फेंक दिए **गए**। जिनसे रक्षण की आशा **रखी थी, वे पुलिस** वाले गुलाबी गेंग के साथ मार-पीट करने में हाथ बँटा रहे थे, जिन चोटों की गहराइयों की साक्षी लोहिया हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट्स खुद बन गईं। विद्यालय के वासी- हर्षा बहन, रोहिणी बहन, वेदावती, मनीषा, मृणाल, पार्वती और सरोज माता चोटों पर मरहम-पट्टी लगवाकर वापस आध्यात्मिक विद्यालय में पहुँचे थे, जिनकी चोटें शांत होने में भी काफ़ी वक्त लग गया था।

The request letters for Police protection addressed by Meena to Police authorities found their destinations in the dustbins. The police from whom safety is anticipated have extended their support to the Gulabi Gang till the limits of cruelty. The havoc created by the joint approach of police and Gulabi gang is evidenced by the medical reports of the girls given by the Ram Manohar Lohiya hospital on the same date. A few names of the innocent girls and Matas who faced severe injuries are; Harsha, Rohini, Vedavati, Manisha, Mrunal, Parvati and Saroj mata. The innocent girls and mothers returned from the govt. Hospital with bandages and it took much time to recover from their injuries.

भीड़ ने विद्यालय के सक्रिय सदस्य वयोवृद्ध शांतिबाबू को भी नहीं छोड़ा। उनको भी मारा-पीटा गया और गुलाबी गेंग व उनके साथ अंदर घुसे हुए 250 गुंडे शांतिबाबू के सिर से बहते हुए खून को देखते हुए आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की वस्तुओं को लूटने में लगे रहे।

Even the senior citizen Shanti Babu, an active member of the "AVV family" was not spared. He was also beaten severely. He received severe major injury on his head causing a lot of bleeding. And the entire mob were engaged in loot of the "AVV". The devastating mob consisted more than 250 intruders.

भले पहले सिनेमा के पर्दे पर अनेकानेक धार्मिक सीरियल्स में यज्ञ विध्वंस के राक्षसी करतब देखे थे और अभी प्रैक्टिकल में भी देख लिए। हर्षा बहन जो कि माइक्रो-बायोलॉजी में यू.एस.ए. से ग्रेजुएट रही है, जब

आततायी पुलिस व गुलाबी गेंग का सच्चाई से सामना करने लगी तो उसे भी उन्होंने काफी प्रताड़ित किया और मेल पुलिस व लेडीज़ पुलिस ने मिल करके हर्षा बहन को बालों से पकड़कर खींचते हुए जीप में डाल दिया।

Well, many might have seen the barbarous deeds of the demons ravaging the sacrifices on the cinema screens and in a number of religious serials; and some might have seen in practical also. The lady police in hands with male police, thrashed spiritual sister Miss Harsha, a graduate in microbiology from U.S.A., caught hold of her hair and dragged her into their jeep when she was trying to face them along with the Gulabi Gang with an explanation of Truth.

यह शर्मनाक कांड **शाम** 5 बजे तक चलता रहा। उसी समय एक सरकारी अधिकारी आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में आ पहुँचे। गुलाबी गेंग की मुखिया अंजली यादव, सरला पांडे व उसके अन्य अनुचर और अन्य गुंडों-बदमाशों के खिलाफ हर्षा बहन द्वारा फ़र्रुखाबाद थाने में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई थी (केस **क्राइम** नं. 332/11)।

The entire havoc continued for four hours and at 5 P.M on the same day, a senior government official came to the "AVV". An F.I.R has been lodged with Farrukhabad police station against the leaders of Gulabi Gang Anjali Yadav and Sarla Pande all those who have resorted such irresponsible behavior under Crime NO. 332/11.

अपने वयस्क होने का प्रूफ़ दिखाते हुए भी और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में रहने की अपनी इच्छा जताते हुए भी, कुमारी मीना के बयान पर ध्यान न देते हुए, उसको भी पुलिस की मदद से घसीटकर **फ़र्रुखाबाद के थाने में ले जाया गया।** अगर पुलिस वालों ने तुरंत मैजिस्ट्रेट के सामने 164 सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत उसका बयान दिलवाया होता और अखबार वाले लोगों का भड़काना बंद किया होता तो शायद ही फ़र्रुखाबाद के लोगों के दिलों में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के प्रति नफ़रत पैदा नहीं हुई **होती**। लेकिन पुलिस वालों ने फर्रुखाबाद लोकल मजिस्ट्रेट के सामने मीना के बयान न करवाकर उक्त मामले को बांदा पुलिस के साथ रफा-दफा कर दिया।

The senior government official have forcibly taken the custody of Kum. Meena with the help of the Police while her statement before the Police as to her own volition of joining the "AVV" and intimating the fact of her being major has gone to winds. Had the police got obtained statement under section 164 Crpc from Meena in the presence of the Magistrate and had the News media stopped adding fire by provoking the public of U.P; perhaps the public would not have developed

grudge in their minds against the "AVV". Despite; the police instead of obtaining the said statement before the local Magistrate of Farrukhabad has handed over the matter to Banda police.

पुलिस वालों का गुलाबी गेंग और अन्य गुंडों के साथ मिल करके किया हुआ अमानुषिक, अनैतिक, असभ्य व्यवहार का विरोध करते हुए, फ़र्रुखाबाद के पुलिस अधीक्षक, जिला मैजिस्ट्रेट व डी.जी.पी., लखनऊ को हर्षा बहन के द्वारा दिए गए कम्प्लेंट्स पत्र **बिना कोई कार्यवाही के** वैसे ही उन-2 दफ़्तरों के कूड़ेदानों में पड़े रहे।

The complaints addressed by sister Harsha to the S.P., Farrkhabad, District Magistrate, Farrukhabad, D.G.P. Lucknow and the so called National Commission for Women, explaining the inhuman, immoral, indecent behavior of the Police in hands with Gulabi Gang have again found their way to the dustbins of their respective offices carried over the trollies of inaction.

आला अधिकारियों के ऐसे व्यवहार ने पुलिस वालों की निष्क्रियता और आसुरी शक्तियों को और **ही प्रो**त्साहित कर दिया। जैसे कि उन्हें कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो। **आबू** पहाड़ों से मिलती रही हिम्मत वा धन प्रवाह की कोई कमी न **रही**। हाँ, गुलाबी गेंग **की मुखिया** अंजली यादव और सरला पांडे के नेतृत्व में फिर एक बार गुंडों ने आध्यात्मिक विश्वविद्यालय **के ऊपर ता.01-09-2011 को** आक्रमण किया। जो कुछ बचा-**खुचा** होगा, उसे भी समाप्त करने के लिए। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की दैनंदिनी विधियों में विघ्न डालते हुए, फिर वही मार-पीट, लूट, तोड़-फोड़ की गई।

The silence under the guise of inaction of the police and Government Officials has given a further strength to the evil elements as if a free license was accorded to them allowing whatever they want to do against the "AVV". There was no shortage of support, whether it be manpower or a financial assistance flowing from the Abu Hills. With these strengths in the backdrop, the Gulabi Gang led by Anjali Yadav and Sarla Pandey in hand with local Goondas attacked and ransacked the "AVV” again on 1st September, 2011; with an aim to destroy whatever is remaining; and to disrupt the daily spiritual activities of the "AVV family"; Again same loot, ransack and devastation was resorted to.

उन गुंडों ने आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के वासियों के ऊपर कितने पत्थर फेंके थे, कितना सामान लूट कर ले गए, कितने लोगों को चोट पहुँचाई थी, कितनी अश्लील और अभद्रतापूर्वक गालियाँ देते रहे- इन सब चेष्टाओं की गिनती कहाँ तक बता पाएँगे ! वह काम तो मीडिया वालों पर ही छोड़ देंगे। हाँ ! पहले वाले 28.08.2011 के आसुरी व्यवहार में और अब के अर्थात ता.01-09-2011 के व्यवहार में खास अंतर

यही रहा कि उस समय उनके साथ पुलिस वालों **का** प्रत्यक्ष सहयोग रहा, जबकि अब परोक्ष। चलो, **अब** न्यूज़ मीडिया वालों को अपना सर्क्युलेशन (टी. आर. पी.) बढ़ाने का त्योहार मनाने दें !

They repeated their cruel actions in the absence of any fear from the police; shouted with indescribable abuses, pelted stones, looted the belongings of the inmates of the "AVV" injuring them seriously. To which extent we can count and put all these shameful incidents in black and white! We shall have a respite and leave the rest to the news media. who are able enough to make such episodes, a source of circulation with the headings of the newspapers highlighting the situation in their own colors. Yes, there is a striking difference between the devilish deeds mentioned herein is that there was a direct hand of the Police in earlier intrusions and harassment on 28-08-2011; whereas there is an indirect support in the latest attacks on 01-09-2011. Let's have a look to some scenes of the festival of circulation (T.R.P)by the news media.

02-09-11	दैनिक जागरण	आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जमकर तोड़-फोड़। सेवादारों को पीटा। गुरुवार को नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराने की माँग के साथ गुलाबी गेंग एवं जनक्रांति पार्टी की महिलाओं ने भीड़ के साथ हंगामा किया।
30-08-11	दैनिक जागरण	आश्रम के मामले में पल्ला झाड़ रही फ़र्रुखाबाद पुलिस

09-02-11	Dainik Jagaran	Loot, torment and torture of resident members in service of Adhyatmik Ishwariya Vishwa Vidyalaya. The havoc created by the women of Gulabi Gang and Janakranti party party on Thursday on the demand of releasing the minor girls.
30-08-11	Dainik Jagaran	Farrukhabad Police on "U" in the matters of Ashram.

सोची-समझी साज़िश के तहत कुमारी मीना को बांदा पुलिस को सौंप **दिया** गया, ताकि उनके माता-पिता वहाँ के पुलिस वालों से कंधे से कन्धा मिलाकर मीना पर मानसिक अत्याचार करते हुए उसके मन में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के प्रति ऑपोजिशन का भाव पैदा करें। **इन उपरोक्त सारे शर्मनाक कांड के बाद** वहाँ आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के सदस्यों के खिलाफ मीना के अपहरण की झूठी व बनावटी एफ.आई.आर. भी **रजिस्टर** की गई थी। मीना के प्रतिरोध पर ध्यान न देते हुए, **कु. मीना का कुमारीपन के परीक्षण के लिए** जबरियन मेडिकल टेस्ट करवाया गया।

Miss Meena was handed over to Banda Police in a preplanned conspiracy and a false and concocted FIR was filed with the police subsequent to the shameful tortures in the name of raid; in order to facilitate her parents torture her, in connivance with Police Officers and to brain wash her and tune her against the "AVV". Meenaa was forcibly subjected to virginity test against her will.

इंतज़ार कर-करके आ.ई.वि.वि. परिवार वालों ने कुमारी मीना को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करवाने की माँग को लेकर ता.01-09-2011 को ही उच्च पुलिस अधिकारियों के आगे एक कम्प्लेंट कर दी लेकिन उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई; क्योंकि मीना के परिवार वालों के और उनके रिश्तेदारों के साथ कंधे से कन्धा मिलाकर मीना को आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के विरुद्ध भड़काने का, यातनाएँ देने का उपक्रम चल रहा था।

The legal demand of the "AVV family" members dated 01-09-2011 with the Higher authorities of Police to produce Meena before the Magistrate was found pale and futile before the inaction of the Police department for the reason that the intermediary time was being used to threaten and torture Meena and provoke her against "AVV family" in hand with the family members of Meena.

मीना को नारी निकेतन भेजने की धमकियाँ भी दे रहे थे। यातनाएँ देते-2, जब पुलिस वालों को कुछ हद तक विश्वास हुआ कि अब उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही पड़ेगा, उसी विश्वास को ले करके पुलिस वाले आखिर पूरे एक हफ़्ते के बाद ता.03-09-2011 को बांदा मैजिस्ट्रेट के सामने मीना को पेश कर पाए। इतने दिन किसी पीड़िता को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बिना **पुलिस हिरासत में रखना और** यातनाएँ देना, क्या यह गैरकानूनी नहीं है ?

Meena was threatened that she will be sent to Nari Niketan if she does no co-operate. In result of repeated tortures, when the Banda police were satisfied that Meena would co-operate with them, then it was an inevitable circumstance for

them to produce her before the magistrate. And they have produced Meena after a week on 3rd September, 2011 before the Magistrate, Banda. Is it not a disregard to the Law in torturing a young girl and producing her after a lapse of a week!

निर्दोष कन्या मीना ने 164 सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत अपने बयान में मैजिस्ट्रेट के सामने यह भी स्पष्ट किया था कि वह वयस्क है और अपनी मर्ज़ी से आ.ई.वि.वि. परिवार के साथ रह रही है। यह बात स्पष्ट थी कि उसको किसी ने किडनेप नहीं किया था, जिस बात को ले करके अखबार वाले हो-हल्ला मचा रहे थे। लेकिन अगर अखबार वाले ये सच्चाइयाँ ज्यों की त्यों, बिना मिर्च-मसाला मिलाए छापेंगे तो वह कोई ब्रेकिंग न्यूज़ थोड़े ही बनेगी और फिर टी. आर. पी. कैसे बढ़ेगी?

The innocent girl in her subsequent statement before Magistrate under section 164 Crpc; has made it clear that she is a major and staying with the "AVV family" at her own will and without being pressured by anybody. It was ultimately clear that no one has kidnapped her. The news media has made a mess of the reputation of the "AVV family" by creating baseless Head Lines "Kidnap" as "Breaking News" as a part of their celebration of circulation. How can a news be a breaking one in the absence of creating and adding some hot and salt to their illegitimate creation! And how can be there an increased T.R.P !

04-09-11	अमर उजाला	बाँदा में किशोरी के कलमबंद बयान हुए, माँ-बाप को सौंपी
04-09-11	अमर उजाला	बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित आश्रम को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ता ही चला जा रहा है। शनिवार को शहर के लोग आश्रम बंद कराए जाने की माँग को लेकर सड़कों पर उतरे।

09-04-11	Amar Ujala	Anger of the people on rise in respect of the ashram of Baba Virendra Deo Dixit . People on roads on Saturday with demand to shut down the ashram.
09-04-	Amar	The statement of the girl obtained in Banda. Handed over

11	Ujala	to parents.

दिनांक 28-08-2011 से ले करके घटित हुई स्थितियों **का** वर्णन करते हुए और अपने माँ-बाप के बंधनों से छूटकर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में वापस जाने **की** अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट से मीना द्वारा लिखी हुई विनतियों का **देर तक** कोई रिज़ल्ट न मिला। अखबारों की उत्तेजनात्मक ब्रेकिंग न्यूज़ का अंत ही नहीं दिखाई पड़ रहा था । फ़र्रुखाबाद के रहवासियों के दिलों में आग भड़क उठने का कारण न्यूज़ मीडिया वालों की आ.ई.वि.वि. परिवार के विरोध में उत्तेजनात्मक और बे-बुनियाद वार्ताएँ नहीं तो और क्या हो सकता है !

The requests made by Meena explaining the sequences of incidences since 28th August, 2011 expressing her deep wish to go back to the "AVV" placed before the Supreme Court and High Court remained unresponsive for quite some time. No end was seen nearby to the frequent series of provocative Breaking News by the News Media. If not the frequent series of baseless Breaking News by the News media, who could it be that were igniting and provoking the fire in the hearts of the residents of Farrukhabad against the peaceful "AVV family"!

03-09-11	दैनिक जागरण yahoo	बाबा के आश्रमों पर ख़ुफ़िया विभाग की नज़र।
04-09-11	दैनिक जागरण	गलत है आश्रम में नाबालिग लड़कियों को रखना
04-09-11	अमर उजाला	युवाओं ने बाबा वीरेंद्र देव का पुतला फूँका
06-09-11	दैनिक जागरण	वीरेंद्र देव का आपराधिक इतिहास तलब
06-09-11	दैनिक जागरण	आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की गतिविधियाँ संदिग्ध : महिला आयोग
04-09-11	अमर उजाला	बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है । शनिवार को शहर के लोग आश्रम बंद कराने की माँग को लेकर सड़कों पर उतरे।

Dainik Jagaran	09-02-11	Loot, torment and torture of resident members in service of Adhyatmik Ishwariya Vishwa Vidyalaya. The havoc created by the women of Gulabi Gang and Janakranti party in huge gatherings on Thursday with demand to release the minor girls.
Dainik Jagaran Yahoo	09-03-11	The eye of C.B.C.I.D on Baba's Ashrams.
Dainik Jagaran Yahoo	09-04-11	The youngsters have burnt the effigy of Virendra. It is wrong to keep minor girls in the Ashram.
Dainik Jagaran Yahoo	09-04-11	The youth women wing of BJP in course of authoring war tactics. "Doubt as to the duties and actions of Adhyatmik Ishwariya Vishwa Vidyalaya ". Women's Commission. "Virendra Deo Dixit be arrested." The Human rights Association.
Amar Ujala	09-04-11	Anger of the people on rise in respect of the ashram of Baba Virendra Deo Dixit . People on roads on Saturday with demand to shut down the ashram.

शांतिपूर्वक चलने वाले आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के सामने उद्वेगपूर्ण वातावरण **बना रहा।** भड़के हुए लोगों की भीड़ जमा हुई पड़ी थी।

There was a violent and climate of anxiety outside the compound of the Ashram. Huge gathering of the people in outrage.

05-09-11	दैनिक जागरण	विवादित (फ़र्रुखाबाद में) आश्रम के सामने दिनभर हुआ बवाल। बाबा के पुतले फूँके।

07-09-11	दैनिक जागरण	धारा 144 लागू होने के बाद आश्रम के बाहर व गली में पसरा सन्नाटा ; बाबा का पुतला फूँका – नारेबाज़ी

Dainik Jagaran	09-05-11	Havoc in front of the Ashram all the day. Baba's effigy set on fire.
Dainik Jagaran	09-07-11	Baba's effigy burnt-Slogans. The guilty history of Baba Virendra Deo Dixit under enquiry. Silence near the Ashram after impose of Section 144.

भ्राता वीरेन्द्र देव दीक्षित की छवि को धूमिल व मलिन करने के लिए और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के वासियों को गलत साबित करने के लिए कई वर्षों से मीडिया वाले लगे हुए थे, आज के दिन, जबकि भ्राता वीरेन्द्र देव दीक्षित के ऊपर, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय-वासियों के ऊपर थोपे गए ढेर आरोप झूठे साबित हो गए, क्या वे मीडिया वाले इन छापे गए झूठे आरोपों को मिटा पाएँगे और क्या वे भ्राता वीरेन्द्र देव व आध्यात्मिक परिवार के सामने बिना किसी शर्त के माफी माँगेंगे ? क्या वे जन प्रवाह के दिलों में जमी ग्लानि रूपी धूल को साफ़ कर पाएँगे ?

Today, in the circumstances where all the major cases instigated against Spiritual Brother Virendra Deo Dixit and other "AVV family" members proved faulty and created in the lines of conspiracies, can the news media which was continuously behind Spiritual Brother Virendra Deo Dixit and "AVV family" members, supporting the evil forces; erase the Braking News against Spiritual Brother Virendra Deo Dixit and the members of the "AVV family"? Can they expect excuses from Spiritual Brother Virendra Deo Dixit and the "AVV family" unconditional ? Will they be able to remove the dusty storms of hatred in the hearts of the people?

09-09-11	आज	बाबा वीरेन्द्र देव दीक्षित की सैकड़ों पत्नियाँ व बेटियाँ
07-09-11	दैनिक जागरण	आध्यात्मिक आश्रम गिरवाने को नोटिस की तैयारी

10-09-11	दैनिक जागरण	बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय संवासिनियों के आश्रम छोड़ने पर प्रशासन ने रोक लगा दी। बाबा के आगे प्रशासन बेबस। बाबा वीरेंद्र देव आश्रम के रहस्य को उजागर करने की माँग को लेकर लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच रहा है। बाबा के खिलाफ़ शहरवासियों ने दिए बयान। रक्षक के बजाय पुलिस ही बन गई भक्षक। बाबा का पुतला फूँका। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विरोध में ब्लाक ब्रिगेड वा अन्य संघटनों से जुड़ी महिलाओं ने केंडिल मार्च निकाला।
11-09-11	दैनिक जागरण	पल-2 की जानकारी ले रहे वीरेंद्र देव। जो एक बार आश्रम से जुड़ गया, वह बाबा का ही हो गया- इसे आस्था कहा जाए या अंध विश्वास !
19-09-11	दैनिक जागरण	ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कार्यकर्ता गिरफ्तार।
10-09-11	अमर उजाला	ब्लैक ब्रिगेड, गुलाबी गैंग ने निकाला कैंडिल मार्च ; युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का आरोप लगाकर बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित का पुतला जलाया और जमकर नारेबाज़ी की ; युवाओं ने वीरेंद्र देव का पुतला फूँका
13-09-11	अमर उजाला	युवा शक्ति ने आश्रम के खिलाफ़ किया प्रदर्शन। आश्रम की सी.बी.आई. जाँच कराई जाएँ। वरिष्ठ नागरिकों की बैठक में उठी आवाज़।
10-09-11	हिन्दुस्तान	महिलाओं ने केंडिल मार्च निकाल जताया विरोध। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के विरोध में बयान देने वालों की भीड़ शुक्रवार को सिटी मैजिस्ट्रेट की न्यायालय में लगी रही। बाबा वीरेंद्र देव के आश्रम में बच्चों को रखने का कोई अधिकार नहीं। आश्रम को एक और नोटिस।
13-09-11	हिन्दुस्तान	युवाओं वा महिलाओं ने कहा कि रहस्य का पर्दाफाश होना चाहिए।

Dainik Jagaran	09-07-11	Hundreds of eternal wives of Baba in the Ashram. The notice to demolish the Ashram ready.
Dainik Jagaran	09-10-11	Prohibitory orders by the Government restricting the moments of the lady saints of the Adhyatmik Ishwariya Vishwa Vidyalaya of Baba Virendra Deo Dixit out of the Ashram premises. Government helpless in the presence of Baba. The anger of the people touching the seventh skies with demand to unearth the secrets of the ashram of Baba Virendra Deo Dixit . The residents of the town has given statements against Baba. Instead of saviors the Police becoming eaters. Baba's effigy burnt. Candle march by women belonging to Black brigade and other groups against Adhyatmik Ishwariya Vishwa Vidyalaya .
Dainik Jagaran	11-09-11	Virendra Deo keeping the news at every moment. Whoever join the Ashram, became of Baba. Can this be a belief or a blind belief ?
Dainik Jagaran	19-09-11	Arrest of the member of Ishwariya Vishwa Vidyalaya
Amar Ujala	09-10-11	The black brigade and Gulabi Gang resorted to Candle march. The member of Yuva Shakti raised slogan and burnt the effigy of Baba on the pretext that Baba Virendra Deo Dixit was promoting damage to the religious feelings.
Amar Ujala	13-09-11	A road show by Yuva Shakti Members against Ashram. "Let C.B.C.I.D investigate the Ashram". The voice of the senior citizens in their meetings.

Hindusthan	09-10-11	The women started candle march and expressed opposition. Crowd gathered at the Court of City Magistrate to give statements against Baba Virendra Deo Dixit on Friday. There is no right to keep children in the Ashram of Baba Virendra Deo Dixit. Another notice to Ashram.

The youth and women said the secrets need to be unearthed.

अखबारों की उत्तेजनात्मक वार्ताओं **का एक और** दर्दनाक नतीजा, यू.पी. में जिनके भी बच्चे गुम हो गए थे या घर छोड़ भागे थे, उनमें से कुछ लोग आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में पुलिस को ले करके अपने गुमशुदा बच्चों को ढूंढने पहुँच रहे थे।

Another painful reaction from public in result of the provocative and inciting news creating furor by the News media spread over the entire U.P and other states is that mothers and fathers of their missing girls, who left their homes for elsewhere for their own reasons, blindly and unconvincingly started approaching the "AVV" in search of their missing children along with the Police of their respective places. Again there was some more fuel to the already spreading fire led to further ravage in farrukhabad.

05-09-11	दैनिक जागरण	बेटी तलाशने आई महिला समेत 6 हिरासत में
07-09-11	दैनिक जागरण	कालपी से अपहृत किशोरी की तलाश में लोग आश्रम पहुँचे
06-09-11	दैनिक जागरण	बेटी की तलाश में इटावा से आई सरोज सहित 6 लोग रिहा
13-09-11	दैनिक जागरण	ईश्वरीय आश्रम : 5 माह से लापता सहेलियों की तलाश : सर्च वारंट जारी। पिता के साथ मिर्जापुर पुलिस ने डेरा डाला।
14-09-11	दैनिक जागरण	सिकत्तरबाग आश्रम में नहीं घुस सकी मिर्जापुर पुलिस।

Dainik Jagaran	09-05-11	Arrest of the woman and 6 others who came in search of her daughter.
Dainik Jagaran	09-06-11	People reached Ashram in search of their girl kidnapped from Kalpi. Release of Saroj along with six others who came from Itawa in search of daughter .
Dainik Jagaran	13-09-11	Ishwariya Ashram: Search of 5 friends (girls) missing since 5 months. Search warrant issued. Mirjapur Police along with the father at Farrukhabad.
Dainik Jagaran	14-09-11	Mirjaur Police could not enter the Sikhaththarbagh Ashram.

अब जो कुछ सत्यानाश होना था, वह हो गया था, तब किसी-2 जर्नलिस्ट लोगों के दिल में छोटा-सा दीया जला।

Now the destruction that is aimed at was done. Then, some kindness entered in the hearts of some journalists to throw some non-sensational news also.

10-09-11	अमर उजाला	बाँदा की मीना ने सी.जे.एम. कोर्ट में दिए कलमबद्ध बयान में बताया कि वह अपनी इच्छा से आश्रम आई थी।
11-09-11	अमर उजाला	किशोरी ने कहा, स्वेच्छा से गई थी फ़र्रुखाबाद। बाँदा की मीना :

Amar Ujala	09-10-11	Meena of Banda has given statement on oath before the court of C.J.M. She told, she has come to the Ashram at her own will.
Amar Ujala	09-11-11	The girl has said, came to Farrukhabad at her own will. Meena of Banda.

कम-से-कम उपर्युक्त न्यूज़ देखने के बाद फ़र्रुखाबाद का वातावरण थोड़ा-बहुत थमना चाहिए था। जनमानस में उद्वेग व विकारों की आग लगाना जितना आसान होता है, उतना ही बुझाना कठिन होता है।

The situation should have cooled down after seeing the above published news. But, to put off the fire is not that easy when seen with the igniting of the fire of vices.

आ.ई.वि.वि. परिवार ने एक तरफ़ पुलिस से और दूसरी तरफ़ अंजली यादव द्वारा संचालित गुलाबी गेंग और शकुंतला शाक्य द्वारा संचालित जन क्रांति मोर्चा के अत्याचारों व दुष्परिणामों से रक्षण हेतु फ़र्रुखाबाद के सिटी मैजिस्ट्रेट के सामने अर्ज़ी भी दाखिल की।

The "AVV family" members have submitted an application before the City Magistrate, Farrukhabad seeking protection from the continued atrocities of the Police, Gulabi Gang led by Anjali Yadav, Jana Kranti Mahila Morcha led by Shakuntala Shakya.

इसके अलावा, आ.ई.वि.वि. परिवार की कुमारी हर्षा बहन के द्वारा अपनी इच्छा के विरुद्ध अपने माँ-बाप के चंगुल में बंधी हुई कुमारी मीना को छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक क्रिमिनल रिट हेबिअस कार्पस **फ़ाइल** भी किया गया था, (रिट पिटिशन नं. 192/2011) ता.09-11-2011 को। फिर उस रिट पिटिशन को **विदड्रा** किया गया था ताकि **इलाहाबाद** हाई कोर्ट से समुचित रिलीफ़ मिल सके।

In addition, Kum. Harsha bahan has filed a writ petition in Supreme Court on 9th September, 2011 to issue a writ of Habeas Corpus to issue direction that Kum. Meena Singh be released forthwith from the unlawful and wrongful confinement from her parents against her wishes and being a major she be allowed to live at a place of her choice. However, the criminal writ petition No. 192 of 2011 has been withdrawn on 26th September, 2011 to move the High Court for appropriate relief.

और इलाहाबाद हाई कोर्ट में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की तरफ से प्रजापिता ब्रह्माकुमारी हर्षा द्वारा दाखिल किए गए रिट पिटिशन (नं. 20359/2011) को पब्लिक इन्टरेस्ट लिटिगेशन के रूप में हाई कोर्ट ने स्वीकार किया।

A criminal miscellaneous writ petition has been filed under case No. 20359/2011 in the Allahabad High Court by Prajapita Brahmakmari Harsha subsequently whereby the said petition was converted by the High Court as Criminal Writ Public Interest Litigation No.20359 of 2011 and is pending with the court even as of now.

फ़र्रुखाबाद में आ.ई.वि.वि. की छवि को बदनाम होते हुए **देख**, देश के कोने-2 से **कन्याओं के माता-पिता और** परिवार के ढेर सदस्य **सिटी मैजिस्ट्रेट कोर्ट** फ़र्रुखाबाद **में अपने-2 बयान देने** पहुँचने लगे। कोर्ट के सामने **ये** सभी लोग यह स्पष्ट करने में जुटे रहे कि हमारी मेजर और माइनर कन्याएँ हमारी और उनकी खुद की इच्छाओं के अनुसार ही ईश्वरीय **ज्ञान की** प्राप्ति के हेतु फ़र्रुखाबाद आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में रह **रही** हैं। उनके बयानों को सपोर्ट करते हुए नोटराइज्ड ऐफ़िडेविट्स भी सिटी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश **कराए गए**। सच्चे ऐफ़िडेविट्स को **झूठा** साबित करने का कोई तंत्र सिटी मैजिस्ट्रेट के पास **है ही नहीं**। झूठे साबित किए बिना ऐफ़िडेविट्स को ठुकरा भी नहीं सकते।

Being hurt at hearts on seeing the defamatory news spread over in respect of the "AVV family", a huge number of AIVV family members, from the nuke and corners of the country rushed to Farrukhabad to give evidences stating that their major and minor daughters are kept at the Farrukhabad "AVV" at their wish and will only for the purpose of acquiring spiritual knowledge. Their statements before the City Magistrate are clearly supported by the written notarized affidavits in which their intentions are duly mentioned. The affidavits cannot be rejected unless they are proved to be false. No machinery is left with the City Magistrate to prove the affidavits are untrue and reject them.

10-09-11	हिन्दुस्तान	आश्रम के बचाव में जुटे नेता-अधिकारी। बाबा के 70 शिष्याओं ने दर्ज कराए बयान। शिष्याएँ बोलीं- सिर्फ़ ज्ञान लेने आती हैं।
05-09-11	दैनिक जागरण	अनुयायी बोले- झूठे हैं लोगों के आरोप।
10-09-11	दैनिक	बच्चों के माता-पिता ने बयान दिया कि बच्चे उनकी मर्ज़ी से आश्रम में हैं

	जागरण	
11-09-11	दैनिक जागरण	बच्चों की डाक्टरी जाँच न की जाएँ, बिना माता-पिता की अनुमति के उन्हें छुआ भी न जाएँ। ऐसा कहना है बाबा के शिष्यों का, जो शनिवार 10-09-2011 को मैजिस्ट्रेट जाँच में बयान देने को पहुँचे थे।
10-09-11	अमर उजाला	आश्रम के पक्ष में आगे आए अनुयायी ; 105 संवासिनियों, प्रजापिता ब्रह्माकुमारों ने दर्ज कराए सिटी मैजिस्ट्रेट कोर्ट में बयान ; बयान दर्ज कराने बाबा के देश भर से शिष्य यहाँ पहुँचे ; माँ-बाप के साथ आए थे बच्चे ; 54 लोगों ने दर्ज कराए बयान
11-09-11	अमर उजाला	बाबा के 50 भक्तों ने दर्ज कराए बयान। झूठा शपथपत्र देने वाले जाएँगे जेल। सिटी मैजिस्ट्रेट।

Some more news headings are reflected hereunder.

Hindusthan	09-10-11	The politicians and the Officers united in favor and rescue of the Ashram. 70 students of Baba have got their statements recorded. The students said, they come only to acquire knowledge.
Dainik Jagaran-Yahoo	09-04-11	The followers said the complaints of the people are false.
Dainik Jagaran	09-10-11	The parents of the children gave statements that their children are in the Ashram at their own will .
Dainik Jagaran	09-11-11	The medical tests for the children should not be done. No one can even not touch them without the permission of the parents. These are the words of the students who reached the Magistrate court to get their statements recorded.

Amar Ujala	09-10-11	The followers came in favor of the Ashram. 105 girls and Prajapita Brahma Kumars have got their statements recorded in court of City Magitrate. Students of Baba from the entire country reached. 54 children came along their parents. The people got their statements recorded.
Amar Ujala	09-11-11	50 devotees of Baba got their statements recorded. People giving false statements will go to jail. City Magistrate .

कुछ जर्नलिस्ट्स सिर्फ़ आ.ई.वि.वि. परिवार के प्रति अफवाहें फैलाने से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने शिवबाबा के ईश्वरीय ज्ञान को भी कुछ इस प्रकार अपमानित किया।

Some journalists did not satisfy by mere spreading defamations and jeering at the "AVV family". Now the knowledge being imparted by Supreme Soul Shiv Baba is also subjected to defamation.

05-09-11	दैनिक जागरण	ज्ञान लेने के लिए शपथपत्र की आवश्यकता क्यों ?
11-09-11	हिन्दुस्तान	क्या है बाबा वीरेंद्र देव का भट्ठी ज्ञान ? सात दिन भट्ठी ज्ञान के बाद साधक दे देता शपथपत्र। सात दिन में माइंड वाश कर बना दिया जाता पक्का शिष्य।

Dainik Jagaran-Yahoo	09-05-11	What is the necessity of affidavit to obtain knowledge?
Hindusthan	09-10-11	What is the Bhatti Knowledge of Baba Virendra Deo Dixit ? The student gives affidavit after getting Bhatti Knowledge for seven days. After brain washing for a period of seven days, they will be made as permanent follower.

अपमान और अपयश के रास्तों से गुज़रते-2, गालियों को नज़रअंदाज करते हुए, धमकियों पर ध्यान न देते हुए आ.ई.वि.वि. परिवार के तरफ़ आगे बढ़ी कु. मीना कुछ ही दिनों में शिवबाबा की छत्रछाया में और **आध्यात्मिक** परिवार से फिर से जुड़ गई, जबकि फ़र्रुखाबाद का और बाकी यू.पी. के अनेक शहरों का वातावरण **सर्दियों में भी** गरमागरमी का ही रह गया।

इस केस से संबंधित कुमारी मीना के मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए गए बयान की प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न की गई है।

Making her travel through the roads of defamations and threats; without caring for the abuses; and with her undeterred determination, Meena joined back the AVV family again under the canopy of Shiv Baba, while the aggravated circumstances remained burning hot in the Farrukhabad and other towns of U.P even during the winter. A copy of the statement by Miss Meena before the Magistrate is annexed.

मु० अ० सं० 2514/2011 धारा 364, 342 IPC पुलिस प्रपत्र सं0 341

मूल/द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि

न्यायालय/वादी/कार्यालय के लिए

प्रथम सूचना की रिपोर्ट

दण्ड विधि संग्रह की धारा 154 के अन्तर्गत पुलिस द्वारा हस्तक्षेप किये जाने योग्य अपराध की प्रथम सूचना

थाना कोत० फर्रुखाबाद

सब डिस्ट्रिक्ट सदर

जिला फर्रुखाबाद

संख्या 326/11

घटना की दिनांक व समय दि० 23.8.2011 1.30 बजे दिन

दिनांक व समय, जबकि रिपोर्ट की गई	घटना स्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिनांक
दि० 28-8-11 13.45 P.M.	कोतवाली क्षेत्र इश्वरीय विद्या विद्यालय सिकत्तर बाग बहद्द ओ पुल्लो दूरी 1 K.M. दिशा पश्चिम दक्षिण	डाक / [illegible]

नोट— प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह लेना चाहिए और इसकी पुष्टि, गवाही लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होनी चाहिए।

सूचना देने वाले व वादी का नाम व निवास स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास स्थान	धारा सहित अपराध व ले जायी गयी सम्पत्ति (यदि कोई हो) का संक्षिप्त विवरण	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी तथा सूचना के दर्ज करने में देरी होने का कारण	मुकदमें का परिणाम
1	2	3	4	5
श्री राजेन्द्र कुमार S/O श्री [illegible] निवासी [illegible] थाना कोतवाली [illegible] जिला [illegible]	बाबा श्री [illegible] आ० ईश्वरीय विद्यालय सिकत्तर बाग थाना [illegible] फर्रुखाबाद [illegible] बाबा के अन्य सहयोगी स्त्री व पुरुष नाम पता [illegible]	अभियुक्त गणों द्वारा वादी की पुत्री का अपहरण कर [illegible] रखना 364, 342 IPC	पीड़िता राजेन्द्र कु० [illegible] तफ्तीश [illegible] [illegible]	तफ्तीश [illegible]

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी।

राजेन्द्र कुमार

हस्ताक्षर [illegible]

पद 28-8-11

नोट— सूचना देने वाले का हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा रिपोर्ट के अन्त में लगवाना चाहिए।

28-8-11

मूल/द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि

न्यायालय के लिये

प्रथम सूचना की रिपोर्ट

पेज सं०

पृष्ठ सं०

धारा 363/366 IPC

खण्ड विधि संग्रह की धारा 154 के अन्तर्गत पुलिस द्वारा हस्तक्षेप किये जाने योग्य अपराध ... जिला

नाम........................

थाना-डिस्ट्रिक्ट....थाना कोत० नगर (बांदा)

पता.... मु०अ०सं० 505/11

घटना का दिनांक व समय.... 23-8-11 को समय 2 बजे दिन

दिनांक व समय जबकि रिपोर्ट की गई	घटना स्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिन
28-8-11 समय 15-35	आश्रम प्रेम कुटी मो० अलीगंज कोतवाली 2 किमी०	[illegible]

नोट-प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह लेना चाहिये और इसकी पुष्टि गवाही लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होनी चाहिये।

सूचना देने वाले या वादी का नाम व निवास स्थान	अभियुक्त का नाम निवास स्थान	धारा सहित अपराध व ले जाई गई सम्पत्ति (यदि कोई हो) का संक्षिप्त विवरण	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गई तथा सूचना के दर्ज करने में देरी होने का कारण	मुकदमें का परिणाम
1	2	3	4	5
वादी राकेश कुमार केसरवानी पु० [illegible] प्रसाद नि० अलीगंज [illegible] बांदा	बनाम ① देवेन्द्र कुमार उर्फ नीरज पुत्र [illegible] शिवहरे ② राजू शिवहरे पुत्र अज्ञात साकिनान मो० अलीगंज कोत० नगर बांदा	अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री मीरा देवी को ले जाना / धारा 363/366 IPC	सूचना पेशी [illegible] वादी की [illegible] आमद [illegible] पंजीकृत किया गया। विवेचना [illegible] द्वारा होगी	तफ्तीश से होगा

आदेश

[illegible]

सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी।

हस्ताक्षर.... [signature]

सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या निशान अंगूठा रिपोर्ट के अन्त में लगवाना चाहिये। पद.... 28/8/2011

बयान अन्तर्गत धारा-164 CrPC

दिनांक-3-9-11

मु०अ०सं० 035/11
अन्तर्गत धारा-363/366 IPC
थाना कोतवाली नगर
जिला-बांदा

नाम-मीना, पुत्री राकेश कुमार, उम्र- बयान कर्ता के अनुसार लगभग 19 वर्ष, निवासी - अली गंज खूंटी चौराहा, थाना कोतवालीनगर जिला बांदा

सशपथ

मैं अपने माता-पिता एवं भाई बहनों के साथ मोदी लाल सर्राफ के मकान पर रहती हूँ। मेरे मकान के बगल में आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्व विद्यालय स्थित है। मैं करीब 2 महीने से उस विद्यालय में जाती हूँ। मेरे माता-पिता को भी यह मालूम था। मैं शुरू से एक महीने रोज एक घंटा उस विद्यालय में जाती थी। उस विद्यालय में ज्ञान के द्वारा आध्यात्मिक कोर्स कराया जाता है। मैंने भी वह कोर्स किया था। वहाँ बहनों के द्वारा कोर्स कराया जाता था। जिन महिलाओं की शादी नहीं हुयी होती थी उन्हें 'बहनें' और जिनकी शादी हो गयी थी उन्हें 'माता' कहते थे। वहाँ मुझे अच्छा लगता था। मैं कक्षा-7 तक पढ़ी हूँ। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। मेरी मामी मुझे वहाँ जाने से मना करती थी। इस कारण एक महीना लगातार जाने के बाद मैं कभी-कभी विद्यालय जाती थी।

दिनांक 23-8-11 को दोपहर में मैं अपने घर से निकली। घर से कुछ दूर मुझे ईश्वरीय विद्यालय की एक माता जी मिली। उन्होंने मुझे एक दिन पहले ही फर्रुखाबाद स्थित आध्यात्मिक ईश्वरीय विद्यालय जाने की इच्छा बताई थी। फर्रुखाबाद के विद्यालय में विस्तार से आध्यात्मिक कोर्स कराया जाता है।

उन माता जी का नाम मुझे याद नहीं है। मैं उनके साथ और माता-पिता के बगैर फर्रुखाबाद के सिकन्दर बाग में स्थित आध्यात्मिक विद्यालय चली गयी। मैंने अपने माता-पिता से फर्रुखाबाद जाने की बात इसलिए नहीं बताई थी कि पहले मेरे माता-पिता मुझे भेजने के लिए टालते रहते थे और कोई स्पष्ट जवाब नहीं देते थे। एक बार मेरे माता पिता ने मुझे फर्रुखाबाद भेजने से इंकार भी कर दिया था। मैं फर्रुखाबाद दिनांक 24-8-11 को पहुंची थी, वहां पहुंच कर मैंने अपने पिता को फोन करके बता दिया था। मैं आध्यात्मिक विश्व विद्यालय फर्रुखाबाद में 28-8-11 तक रही। मैं किसी बृजेश कुमार या राजू सिंह हरि को नहीं जानती हूँ। मेरे पिता ने कथित बृजेश एवं राजू के खिलाफ कोई रिपोर्ट मुझे जबर दस्ती फर्रुखाबाद लिवा ले जाने की लिखाई है वह गलत है। दिनांक 24-8-11 से 28-8-11 तक मैं फर्रुखाबाद में आश्रम में रही। उस आश्रम में मुझे किसी ने परेशान नहीं किया। मैं बालिग हूँ। मैं अपना भला-बुरा समझती हूँ। मैं अपनी मर्जी से फर्रुखाबाद के आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय गयी थी। दिनांक 28-8-11 को मेरे माता-पिता भाई-बहन व अन्य लोग फर्रुखाबाद पहुँचे थे और मुझे वापस ले आये हैं। मैं अपने मां बाप के साथ घर जाना चाहती हूँ।

पढ़कर तस्दीक किया

ह० [illegible]

यह बयान मेरे द्वारा बोले
स्वत लेख में अंकित
किया गया।

[signature]
3-9-11
A-C-J-M I Banda

प्रमाणित प्रतिलिपि
[signature] 8/9/11
प्रधान प्रतिलिपिक
जिला जजी-बाँदा

प्रतिलिपि तैयार कर्ता [signature]
प्रतिलिपि मिलान कर्ता
शब्द 300

न्यायालय ... जनपद-बाँदा

Typed Copy

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बांदा।

मु0अ0सं0 835/11

सरकार बनाम ब्रिजेश कुमार आदि।

धारा 364, 366 आई0पी0सी0

थाना कोतवाली नगर जिला बांदा।

बयान अन्तर्गत धारा 164 सी0आर0पी0सी0

दिनांक 3-9-11

नाम मीना पुत्री राकेश कुमार उम्र बयान कर्ता के अनुसार लगभग 19 वर्ष निवासी अलीगंज खूंटी चौराहा थाना कोतवाली नगर जिला बांदा।

<u>सशपथ</u>

मैं अपने माता पिता एवं भाई बहनों के साथ गोंदी लाल सर्राफ के मकान पर रहते है। मेरे मकान के बगल में आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्व विद्यालय स्थित है। मैं करीब 2 महीने से उस विद्यालय में जाती हूं। मेरे माता पिता को भी यह मालूम था। मैं शुरू के एक महीने रोज एक घंटा उस विद्यालय में जाती थी। उस विद्यालय में चिन के द्वारा आध्यात्मिक कोर्स कराया जाता है। मैने भी यह कोर्स किया था। वहां बहनो के द्वारा कोर्स कराया जाता था। जिन महिलाओं की शादी नहीं हुयी होती थी उन्हें बहने, और जिनकी शादी हो गयी थी उन्हें माता कहते थे। वहां मुझे अच्छा लगता था। मैं कक्षा 7 तक पढी हूं। उसके बाद मैंने अपनी पढाई छोड दी थी। मेरी मम्मी मुझे वहां जाने से मना करती थी। इस लिये एक महीना लगातार जाने के बाद मैं कभी कभी विद्यालय जाती थी। दिनांक 23-8-11 को दोपहर में मैं अपने घर से निकली। घर से कुछ दूर मुझे ईश्वरीय विद्यालय की एक माता जी मिली। उनसे मैने एक दिन पहले ही फर्रुखाबाद स्थित आध्यात्मिक ईश्वरी विद्यालय जाने की इच्छा बताई थी। फर्रुखाबाद के उन माता जी का नाम मुझे याद नहीं है। मैं उनके साथ बगैर माता पिता को बताये फर्रुखाबाद के सिकत्तर बाग में स्थित आध्यात्मिक विद्यालय चली गयी। मैने अपने माता पिता से फर्रुखाबाद जाने की बात

इस लिये नहीं बताई क्यों कि पहले मेरे माता पिता मुझे भेजने के लिये टालते रहते थे और कोई स्पष्ट जवाब नहीं देते थे। एक बार मेरे माता पिता ने मुझे फर्रुखाबाद भेजने से इंकार भी कर दिया था। मैं फर्रुखाबाद दिनांक 24-8-11 को पहुंची थी। वहां पहुंच कर मैंने अपने पिता को फोन करके बता दिया था। मैं आध्यात्मिक विश्व विद्यालय फर्रुखाबाद में 28-8-11 तक रही। मैं किसी ब्रिजेश कुमार या राजू शिवहरे को नहीं जानती हूं। मेरे पिता ने अगर ब्रिजेश एवं राजू के खिलाफ कोई रिपोर्ट मुझे जबरदसती फर्रुखाबाद लिवा ले जाने की लिखाई है यह गलत है। दिनांक 24-8-11 से 28-8-11 तक में फर्रुखाबाद में आश्रम में रही। उस आश्रम में मुझे किसी ने परेशान नहीं किया। मैं बालिग हूं। मैं अपना भला बुरा समझती हूं। मैं अपनी मर्जी से फर्रुखाबाद के आध्यामिक ईश्वरी विश्वविद्यालय गयी थी। दिनांक 28-8-11 को मेरे माता पिता भाई बहन व अन्य लोग फर्रुखाबाद पहुंचे थे और मुझे वापस वापस ले आये थे। मैं अपने मां बा पके साथ घर जाना चाहती हूं।

सुनकर तस्दीक किया।

यह बयान मेरे द्वारा अपने
हस्त लेख में अंकित किया
गया।
ह0अ0

सत्य प्रतिलिपि

एस0डी0 राकेश कुमार

एस0डी0 विमला

मै जितने समय पुलिस के साथ रही मुझे किसी ने परेशान नही किया मुझे पुलिस से कोई शिकायत नही है।

एस0डी0 मीना

एच0जी0 रानी सिहं

(मीना की चाची गीतिका सिहं उर्फ नीलम सिंह शिक्षिका)

एस0डी0

डी0के0सैनी

उपनिरीक्षक थाना कोतवाली नगर बांदा

3.9.2011

मूल/द्वितीय प्रतिलिपि
अन्तिम रिपोर्ट

पुलिस प्रपत्र संख्या–340
116577

प्रथम–सूचना संख्या 505 तारीख 28.8.11 (वादी की सूचना के लिये)
अन्तिम रिपोर्ट संख्या 164 तारीख 03.09.2011

या सूचना देने वाले का और पता	[illegible]
या अभियोग का स्वरूप	[illegible]
गई सम्पत्ति का विवरण कोई हो)	[illegible]
युक्त व्यक्तियों के नाम और (यदि कोई हो)	[illegible]
गिरफ्तारी की गई है तो तारी का दिनांक तथा समय	[illegible]
किये जाने का दिनांक समय, क्या जमानत पर या लके पर छोड़ा गया।	[illेgible]
पत्ति (हथियारों सहित), जो गई हो। किसने, कहाँ पाई मैजिस्ट्रेट के पास भेजी गई नहीं ? विवरण सहित	[illegible]
प में प्रपत्र सूचना या भियोग, पुलिस कार्यवाही का णाम सहित विवरण, जाँच करने का कारण	[illegible]
य विवरण	

दिन/रात दिनांक ______ महीना ______ सन् ______ को यह रिपोर्ट भेजी गयी।

जाँच करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

लय की आज्ञा

हस्ताक्षर मैजिस्ट्रेट प्रमाणित प्रतिलिपि

स0यू0पी0–07 पुलिस–11–9–08–13,000 बुक्स (डी0टी0पी0/आफसेट)।

मु0अ0सं0 835 धारा 363, 366 आई0पी0सी0 थाना कोतावली नगर बांदा जिला बांदा।

अतिम रिपोर्ट

थाना– कोतवाली नगर बांदा

जिला– बांदा

प्रथम सूचना सं0 505/11 दिनांक 28.8.11

अतिम रिपोर्ट सं0 164/11 दिनांक 3.9.11

वादी– राकेश कुमार बेलदार पुत्र कांता प्रसाद निवासी अलीगंज खूटी चौराहा थाना कोतवाली गनर बांदा।

धारा– 363, 366 आई0पी0सी0

पुलिस विवेचना का परिणाम– श्रीमान जी, निवेदन है कि दिनाक 28.8.11 को वादी श्री रकेश कुमार वादी मुकदमा उपरोक्त की तहरीर पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत हुआ विवेचना मुझ एस0आई0

द्वारा की गयी तो कुमारी मीना दिनांक 23.8.11 को बादा से आध्यात्मिक ईश्वरी विधालय फर्रूखाबाद अपनी मर्जी से माता पिता को बताये बगैर चली गयी थी। जिसके पता लगने पर दिनांक 28.8.11 को वादी द्वारा मुकदमा पंजीकृत करवाया गया। दिनांक 28.8.11 को फर्रूखाबाद से कुमारी मीना मिल गयी जिसके 161 व 164 सी0आर0सी0 के बयान से किसी जुर्म का होना नही पाया गया अतः विवेचना द्वारा अतिम रिपोर्ट समाप्त की गयी। अतिम रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है तथा जुर्म खारिजा रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है स्वीकृत करने की कृपा करें।

दिनांक– 3.9.2011

अमर उजाला

विज्ञापन नहीं, ...
क्योंकि सवाल है ...
एन्टी आवमाईज़र ...

नमूने, सबको क्लीनचिट

[illegible]

मीना ने दी फर्रुखाबाद आश्रम को क्लीनचिट

अमर उजाला ब्यूरो

- मां-बाप की रिपोर्ट को गलत बताया
- कहा- उसे आश्रम में परेशान नहीं किया

बांदा। फर्रुखाबाद स्थित आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय से बरामद की गई 10 वर्षीय कुमारी मीना ने आश्रम को क्लीनचिट दे दी है। साथ ही दो लोगों के खिलाफ उसे भगा ले जाने की अपने माता-पिता की रिपोर्ट को भी गलत बताया है। अब वह अपने मां-बाप के साथ रहेगी।

अलीगंज खुंटी चौराहा निवासी कुमारी मीना पुत्री राकेश कुमार ने अदालत में दिए धारा 164 सीआरपीसी के बयानों में कहा है कि वह अपने घर के बगल में स्थित आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में करीब दो महीने तक जाती रही। वहां रोज एक घंटा बिताती थी। आश्रम में चित्रों के माध्यम से आध्यात्मिक कार्य कराया जाता था। वहां यह सीख [illegible] की शादी नहीं हुई है [illegible] बहन और शादीशुदा को 'माता' कहा जाता है। मीना ने कहा कि वह कक्षा 7 तक पढ़ी है और बालिग है। वह अपना अच्छा-बुरा समझती है। मीना ने कहा है कि 23 अगस्त को दोपहर वह अपने घर से निकली तो कुछ दूर उसे ईश्वरीय विद्यालय की एक माता जी मिलीं। [illegible] एक दिन [illegible] फर्रुखाबाद स्थित आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय जाने की इच्छा जताई थी। वहां विस्तार से आध्यात्मिक कोर्स कराया जाता है। उसे उन माता जी का नाम याद नहीं है। उनके साथ वह मां-बाप को बताए बिना फर्रुखाबाद सिकंदराबाद आश्रम चली गई। मां-बाप को इसलिए नहीं बताया कि वह भेजने के लिए स्पष्ट जवाब नहीं देते थे। मीना ने बताया कि 24 से 28 अगस्त तक वह फर्रुखाबाद में रही। मीना ने साफ शब्दों में कहा है वह बृजेश कुमार [illegible] शिवहरे को नहीं जानती। उसके माता-पिता ने इन दोनों के खिलाफ मुझे जबरदस्ती फर्रुखाबाद ले जाने की जो रिपोर्ट लिखाई है, वह गलत है। फर्रुखाबाद आश्रम में उसे किसी ने परेशान नहीं किया। वह बालिग है और अपना भला-बुरा समझती है। अब वह अपने मां-बाप के साथ [illegible] चाहती है।

अरमापुर पी.[illegible]

प्र०सू०रि० 255/11 धारा-147/323/504/506/427/ipc

पुलिस प्रपत्र सं0 341

मूल/द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि

न्यायालय/वादी/कार्यालय के लिए
प्रथम सूचना की रिपोर्ट

दण्ड–विधि संग्रह की धारा 154 के अन्तर्गत पुलिस द्वारा हस्तक्षेप किये जाने योग्य अपराध की प्रथम सूचना

थाना कोतवाली फर्रुखाबाद
सब डिस्ट्रिक्ट सदर
जिला फर्रुखाबाद
संख्या 833/11

घटना की दिनांक व समय 1-9-11 समय 11 बजे दिन

दिनांक व समय, जबकि रिपोर्ट की गई	घटना स्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिनांक
1-9-11 18.35	[illegible]	[illegible]

नोट :– प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह लेना चाहिए और इसकी पुष्टि गवाही लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होनी चाहिए।

सूचना देने वाले या वादी का नाम व निवास स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास स्थान	धारा सहित अपराध न ले जायी गयी सम्पत्ति (यदि कोई हो) का संक्षिप्त विवरण	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी तथा सूचना के दर्ज करने में देरी होने का कारण	मुकदमे का परिणाम
1	2	3	4	5
[illegible] फर्रुखाबाद	[illegible]	[illegible] मु०अ०सं० 147/323/504/506/427 [illegible]	[illegible]	[illegible]

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी।

हस्ताक्षर
पद

सूचना देने वाले का हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा रिपोर्ट के अन्त में लगवाना चाहिए।

38

01

नकल तहरीर हिन्दी वादिनी

सेवा मे, श्रीमान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली फर्रुखाबाद (उ.प्र.)
जी, से निवेदन है कि, आज दिनांक 1-09 2011 करीब दोपहर 1.
सेना की कमाण्डर अंजली यादव एवं सहयोगी गीता सरला पाण्डेय व
50-60 महिलायें व पुरुषों को लेकर, अज्ञात जनरल पब्लिक भीड़
आये और अभद्रता पूर्वक गाली गलौच देकर, और साथ 'आश्रम संस्थापक
वीरेन्द्र बाबा मुर्दाबाद' के भी नारे बाजीया लगाते गये, अभद्रतापूर्वक व्यवहार
किया, पत्थर फेंके, मुख्य बड़ा दरवाजा जिसमें ताले लगे हैं, छड़े लोहे
हथौड़ा आदि हथियारों से धक्का देकर तोड़ डाला। अन्दर रखा हुआ रिक्शा
(साइकिल रिक्शा) कार जिस की वाहन संख्या नम्बर A A 3930 है तोड़
डाला सिलाई मशीन, कुर्सीयां आदि सामानों को, लाखों रुपयों की
का नुकसान कर दिया। सारा सामान बिखरा दिया। आश्रम को बन्द करने की
धमकी दी। यह सारा करते समय आश्रम के सेवा धारी निवासी बहिनें
भाइयों, माताओं को मारा पीटा। यह घटना क्रम-3-4 घण्टे तक चला
इस कारण सभी आश्रम निवासी भय भीत हैं, और प्राण संकट में है
इस घटना क्रम का पूरा आश्रम गवाह है अतः श्रीमान जी से निवेदन
है कि रिपोर्ट दर्ज करके हमें सुरक्षा प्रदान करें तथा उचित कार्यवाही
करने की कृपा करें। प्रार्थी ब्र.कु. हर्ष आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्व
विद्यालय ... सिकन्दरपुर, जिला- फर्रुखाबाद
(उ.प्र.)] कोतवाली फर्रुखाबाद

नोट: मैं HC 46 प्रमोद कुमार मिश्रा प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर की
नकल मिलान मुताबिक शब्द व वाक्य की गयी है

प्रमोद
01/09/11

मु॰ अ॰सं॰ 2550/11 धारा 147/323/504/336/427 IPC PS कोतवाली [illegible] जि॰ [illegible]

आरोप - पत्र (मूल)

पुलिस प्रपत्र संख्या-

जिला [illegible]

थाना कोतवाली [illegible]

प्रथम सूचना संख्या 332/11 तारीख 1-9-11 सन् 201

आरोप पत्र संख्या 324/11 तारीख 22-11-2011 सन् 201

अपराध संख्या 2550/11

1	2				3						4	5	6	7	8	9		
	नाम और पता अभियुक्त जो चालान नही किये गये है। चाहे पकड़े गये हो या न पकड़े गये हो				अभियुक्तों का नाम व पते जिनका चालान किया गया है						माल (हथियार सहित) जो पाये गये हो इस विवरण के साथ कि कहाँ और कब पकड़ा गया और किसने पकड़ा और वह मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया या नही भेजा गया।	आरोप या सूचना अपराधों का नाम और उससे संबंधित परिस्थिति का संक्षिप्त विवरण और विवाद की वह धारा जो अपराधी के सम्बन्ध में लगायी गई हो।	मुकदमा का परिणाम	गवाहों के नाम और पते	विवरण अपराधी	पूर्व सजायें		
	संदिग्ध अभियुक्त		फरार अभियुक्त		गिरफ्तार		जमानत व जारी मुचलके पर		मफरूर									
	नाम	उम्र	नाम	उम्र	नाम व पता	उम्र	नाम व पता	उम्र	नाम व पता	उम्र						दिनांक	स्थान	सजा

Column 1 (written sideways): [illegible]

जमानत व जारी मुचलके पर:

1- श्रीमती [illegible] पत्नी सुनील यादव नि॰ [illegible] थाना कोतवाली [illegible]
2- श्रीमती [illegible] पत्नी [illegible] नि॰ [illegible] PS कोतवाली [illegible]
3- [illegible] PS कोतवाली [illegible]
4- [illegible] PS कोतवाली [illegible]
5- [illegible] PS [illegible]
6- [illegible] PS कोतवाली [illegible]
7- [illegible] PS कोतवाली [illegible]
8- सुनील यादव S/O [illegible] PS कोतवाली [illegible]
9- [illegible]

[illegible] 7-26 / 24-12

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी [illegible]

को भेजा गया।

PS कोतवाली [illegible]

महोदय, निवेदन है कि दि॰ 1-9-2011 को वादिनी [illegible] पुत्री [illegible] नि॰ [illegible] PS [illegible] जिला [illegible] हाल [illegible] PS कोतवाली [illegible] के [illegible] मे अभियुक्त गण श्रीमती [illegible] व 50-60 [illegible] समय 11 बजे दिन [illegible] अभियुक्त गण [illegible] उक्त मुकदमा [illegible] विवेचना [illegible] साक्ष्य आदि से अभियुक्त [illegible] सुनील यादव, [illegible] के विरुद्ध [illegible] धारा 147/323/504/336/427 IPC का अपराध [illegible] साक्ष्य है [illegible] माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के [illegible] रिट पिटीशन नं॰ 2[illegible]/11 तारीख 20-10-2011 [illegible] धारा 147/323/504/336/427 [illegible] अन्तर्गत धारा 41(1) [illegible] न्यायालय प्रेषित किया जाता है।

[illegible] मूल दिनांक .... सन्

जाँच करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

[illegible]

36

<u>गवाहान</u>

① हे० कां० हर्जी D/o [illegible] R/o धोराजी PS धोराजी जिला राजकोट गुजरात हाल [illegible] [illegible]

② फकीरे लाल [illegible] S/o [illegible] PS [illegible] जिला [illegible] हाल पता [illegible]

③ हे० कां० [illegible] D/o [illegible] R/o सरिता [illegible] के सामने रेलवे गेट के पास [illegible] पुलो -34 [illegible]

④ नीलम D/o [illegible] R/o [illegible] RB 4-3/002 [illegible] पुलो -18 [illegible]

⑤ सरोज माला W/o [illegible] R/o जयपुर [illegible] II [illegible]

⑥ [illegible] D/o [illegible] R/o ग्राम [illegible] जिला [illegible]

⑦ विनय सिंह यादव S/o [illegible] R/o ग्राम [illegible] PS [illegible] जि० [illegible] हाल पता [illegible]

⑧ HM 46 प्रवीण कुमार जिला [illegible] (लिखित [illegible])

⑨ SI [illegible] S/o [illegible] PS [illegible] जिला [illegible]

[illegible signature]

To [illegible]

भागवत कथा - 14

भवानी माता, दिव्या (B.com.), निकिता (BBM)

भागवत का जो साप्ताहिक पाठ होता है उसे भारतवासी बड़ी रोचकता से सुनते हैं; क्योंकि स्वयं ईश्वर ने यह भागवत मचाई थी और आज वर्तमान में वही इतिहास के पन्ने फिर से अपने-आप को दोहरा रहे हैं। पति दिनकर मेंडन के विक्षिप्त स्वभाव के कारण भवानी माता का गृहस्थ जीवन नरक बन चुका था। जिस कारण वह सन 2009 में ही अपने पति से अलग हो गई थी। लेकिन भारतीय नारी को सहनशीलता और त्याग की प्रतिमूर्ति माना जाता है; इसलिए भवानी माता ने कोर्ट-कचहरी जाकर पति को डायवोर्स देने की बात कभी सोची भी नहीं।

Bhagawat Story Partg-14:

Bhawani Mata, Divya and Nikita:

The Indians are much interested in hearing the recital of Bhagawat which is usually scheduled for a period of one week for the reason that the said Bhagawat was initiated and authored by Supreme God Father himself. And the same is now being practically repeated on its own accord from the pages of the epics. The family life of Bhawani Mata turned into a hell due to the deranged attitude of her husband Dinkar Mendon. And for the intolerable reasons she has departed herself from him during 2009 itself. However the Indian woman is acceptably a reflective symbol of tolerance and sacrifice. And in this backdrop she never thought of having a divorce through the court.

मुंबई में कम्प्यूटर ऑपरेटर की प्राइवेट जॉब करने वाली भवानी मेंडन जब गृहस्थ की झंझटों से जूझ रही थी और अपनी दो बेटियों- दिव्या (उम्र 24 वर्ष) और निकिता (उम्र 22 वर्ष) को बी.कॉम. और बी.बी.एम. की अंतिम वर्षीय पढ़ाई पढ़ा रही थी, तब भवानी माता और उनकी दोनों बेटियों के जीवन ने अचानक नया और सुनहरा मोड़ ले लिया।

There appeared a turning point all of a sudden when Bhavani Mata

engaged herself as a computer operator in a private firm was facing the toughest scenes of her life while bringing up her two daughters Divya, aged 24 years and Nikita aged 22 years are in their finals of B.com. and B.B.M respectively. The turning point has given a sudden golden mode to Bhavani Mata and her two daughters.

कलवा स्थित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में सहज राजयोग का साप्ताहिक कोर्स करने के बाद उन तीनों ने यह ठान लिया कि आगे का जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ईश्वरीय सेवाओं में अर्पण करना है। उसी निर्णय को अमल में लाते हुए दिनांक 12.11.2011 को भवानी माता व उनकी दोनों बेटियों- दिव्या और निकिता ने आध्यात्मिक शिक्षिका के रूप में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, फर्रुखाबाद में दाखिला ले लिया।

Having powered by the Rajayog course at Adhyatmik Vishwa Vidfyalaya situated at Kalwa for a period of one week, they found pleasure in sticking to lifelong purity while surrendering themselves for the cause of Spiritual Service. Giving life to their firm decision in the way of Truth, Bhawani Mata and her two daughters Divya and Nikita joined the Adhyatmik Vishwa Vidfyalaya, Farrukhabad as educators of the spiritual knowledge.

भवानी माता व उनकी 2 कन्याओं को यह पता ही था कि उनके पिताजी कुछ कानूनी कार्यवाही कर उनको ज़ोर-जबरदस्ती मुंबई वापिस ले जाने की कोशिश ज़रूर करेंगे; इसलिए भवानी माता ने पहले ही अपने पति द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न का पर्दाफाश करते हुए दिनांक 27.09.2011 को मुंबई में एक नोटराइज्ड एफिडेविट बनाया और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में दाखिल होते वक्त उसकी छायाप्रति विद्यालय को सुपुर्द कर दी।

Bhawani Mata and her two daughters know well that their father will definitely resort to some legal course and attempt to get them back home at Bombay. With a view to unearth the harassment that is going to be planned by her husband, Bhawani Mata has executed an affidavit well in advance at Bombay on 27-09-2011 itself. A copy of the affidavit was

handed over to Adhyatmik Vishwa Vidfyalaya when she along with her daughters joined there.

सब-कुछ मालूम होते हुए भी श्री दिनकर मेंडन जी ने कलवा पुलिस स्टेशन, शान्ताक्रुज पुलिस स्टेशन व गृह मंत्रालय में पत्नी व बेटियों के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज की। इस षड़यंत्र के असफल हो जाने के बाद श्री दिनकर मेंडन जी ने दिनांक 17.10.2013 को एक क्रिमिनल रिट पिटिशन (नं. 3823/2013) बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की। हाई कोर्ट की नोटिस के बारे में पता चलते ही भवानी माता व उनकी 2 कन्याएँ खुद ही निर्भयतापूर्वक दिनांक 20.03.2014 को बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने पेश हुए और तीनों ने यह बयान दिया कि उन्होंने अपनी स्वेच्छा से घर छोड़ा था और वे उनके पति/पिता के साथ नहीं रहना चाहती हैं। उक्त बयान के बाद श्री दिनकर मेंडन जी ने उपरोक्त रिट पिटिशन को विदड्रा कर लिया और कोर्ट ने यह अंतिम आदेश दिया कि यह याचिका विदड्रा करने के कारण निरस्त की जाती है।

अंततः भवानी माता व दिव्या, निकिता की भागवत सफल रही और आज भी वे तीनों आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में निरंतर ईश्वरीय सेवा कर रही हैं।

Despite having knowledge of the situation in detail, her husband Dinakar Mendon has lodged a report with the Kalwa and Shantacruz Police stations with copies to Home ministry that his wife and daughters are missing. Having found no positive response for his report, Mr. Dinakar Mendon has filed a criminal writ petition (No. 3823 /2013) at Bombay High Court. On knowing the notice served by the High Court Bhawani Mata and her two daughters presented themselves before the High Court without any fear on 20-03-2014. All the three have given statements on oath that they have left home at their own will and they do not wish to reside with Mr. Dinakar Mendon. In result, Mr. Dinakar Mendon has withdrawn his report leading to the ultimate decision by the High Court for quashing the petition. Ultimately, the Bhagawat (escapade) of Bhavani Mata, Diva and Nikita has become fruitful and even now they are engaged in their regular spiritual service in Adhyatmik Vishwa Vidfyalaya.

cri-wp-3823-13 pdp IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY CRIMINAL APPELLATE JURISDICTION CRIMINAL WRIT PETITION NO. 3823 OF 2013 Shri Dinakar S. Mendon .. Petitioner Vs. 1. The State of Maharashtra and anr. .. Respondents Mr. Sandeep Velkar with Ms. Shakuntala Joshi and Ms. Reshma Kurle for petitioner. Mrs. S. D. Shinde, APP for State. CORAM: P. V. HARDAS & A. S. GADKARI,JJ. January 20, 2014. P.C. 1.

This is a habeas corpus petition, praying for issuance of a writ of habeas corpus for the production of Mrs. Bhavani D. Mendon, wife of the petitioner and Ms. Divya and Ms. Nikita, daughters of the petitioner, who, according to the petitioner, have mysteriously left the house of the petitioner and possibly are being detained against their will. 2. Pursuant to the notice issued by us to the respondents, three ladies have been brought before us. We have recoded their statements individually in the presence of the learned counsel for the petitioner and the learned APP. Three ladies, in their statements, have said that they had voluntarily left the house of the petitioner and do not wish to reside with the petitioner. 3. In the light of the said statement, learned counsel for the petitioner, states on instructions from the petitioner, who is present, that the petitioner may be permitted to withdraw this petition. 4. Accordingly, writ petition is dismissed as withdrawn with no orders as to cost. (A. S. GADKARI, J.) (P. V. HARDAS,J.)

HIGH COURT, BOMBAY 0078921

pdp

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY
CRIMINAL APPELLATE JURISDICTION

CRIMINAL WRIT PETITION NO. 3823 OF 2013

Shri Dinakar S. Mendon .. Petitioner

Vs.

1. The State of Maharashtra and anr. .. Respondents

Mr. Sandeep Velkar with Ms. Shakuntala Joshi and Ms. Reshma Kurle for petitioner.
Mrs. S. D. Shinde, APP for State.

CORAM: P. V. HARDAS &
A. S. GADKARI,JJ.

January 20, 2014.

P.C.

1. This is a habeas corpus petition, praying for issuance of a writ of habeas corpus for the production of Mrs. Bhavani D. Mendon, wife of the petitioner and Ms. Divya and Ms. Nikita, daughters of the petitioner, who, according to the petitioner, have mysteriously left the house of the petitioner and possibly are being detained against their will.

2. Pursuant to the notice issued by us to the respondents, three ladies have been brought before us. We have recoded their statements individually in the presence of the learned counsel for the petitioner and the learned APP. Three ladies, in their statements, have said that they had

"Disclaimer Clause : Authenticated copy is not a Certified Copy"

voluntarily left the house of the petitioner and do not wish to reside with the petitioner.

3. In the light of the said statement, learned counsel for the petitioner, states on instructions from the petitioner, who is present, that the petitioner may be permitted to withdraw this petition.

4. Accordingly, writ petition is dismissed as withdrawn with no orders as to cost.

(A. S. GADKARI, J.) (P. V. HARDAS,J.)

Bombay High Court

AUTHENTICATED COPY

HIGH COURT AT BOMBAY

TRUE COPY

Section Officer 23/1/2014
High Court, Appellate Side
Bombay

भागवत कथा - 15

तारा कुशवाहा (B.com.)

झाँसी की 21 साल की तारा कुशवाहा ने भागवत की एक नई कहानी लिखी। तारा ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी आध्यात्मिक रुचि को पूरा करने का ठान लिया। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय द्वारा दिए जाने वाले सहज राजयोग का साप्ताहिक कोर्स करने के बाद तारा के दिल की धड़कनों से एक ही आवाज़ गुंजी- ''पाना था सो पा लिया'' और तारा ने निश्चय कर लिया कि वह आजीवन पवित्रता का पालन करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार-प्रसार में ही अपना जीवन व्यतीत करेगी। तारा ने अपना यह निर्णय पिता मथुरा प्रसाद व माता रामवती को बताया; लेकिन उन्होंने तारा के आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में रहने के निर्णय का कड़ा विरोध किया।

Bhagawat Story-15:

Tara kushvah:

Tara Kushvaha, aged 21 years has authored a new story of Bhagawat. Tara has aimed at acquisition of spiritual knowledge following completion of her graduation. It was after 7 day course of Rajayog at Adhyatmik Vishwa Vidyalaya the rhythm of her heart resounded; “I have achieved what needed to be achieved”. She concluded affirm, to lead a pure life; lifelong and engage herself in spreading the Spiritual Knowledge. She has conveyed her decision to her father Mathura Prasad and mother Ramvati. However, they bluntly dammed her decision to join Adhyatmik Vishwa Vidyalaya.

अब नदी को बाँध भी डालोगे तो भी एक-न-एक दिन वह अपने आवेग से उसको तोड़कर निकल ही जाएगी, तारा ने भी कुछ ऐसे ही किया। दिनांक 27.07.2012 को तारा ने अपनी स्वेच्छा से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, विजयविहार, दिल्ली में दाखिल होने के निर्णय के बारे में बताते हुए झाँसी पुलिस स्टेशन के पुलिस इन्चार्ज व सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, झाँसी को एक पत्र भेजा और दिनांक 28.07.2012 को तारा ने अपनी स्वेच्छा से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया और एक एफिडेविट भी आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में दिया। तुरंत दूसरे ही दिन तारा के माता-पिता व भाई आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की दिल्ली शाखा में आकर उससे बातचीत करके मिल-जुल कर चले गए।

An erection of dam in the way of fast flowing river ultimately destines a break through to collapse the manmade obstructions at one sometime or other. Tara has

done a similar activity. She has addressed the Station House Officer, Jhansi Police Station and the S.P of Jhansi on 27-07-2012, informing about her decision to join the Adhyatmik Vishwa Vidyalaya, at Vijaya Vihar, Delhi at her own volition. And on the other day, on 28-07-2012, she joined the Adhyatmik Vishwa Vidyalaya and willfully handed the "AVV" , an affidavit executed by her. The next day; the parents and brother of Tara have visited Tara; had a conversation with her at Adhyatmik Vishwa Vidyalaya, Delhi. The returned home.

लेकिन कहते हैं ना- ‘‘सुनी-सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति को पाया है’’। वैसा ही कुछ तारा के परिवार वालों के साथ हुआ। किसी ने तारा के मात-पिता के कान में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के बारे में कुछ उल्टी-पुल्टी बातें डाल दीं और तारा के माता-पिता व भाई बहकावे में आकर 10-12 लोगों को साथ लेकर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में आए और हंगामा करने लगे। उन्होंने आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के बहनों-माताओं के साथ गंदी गाली-गलौज की, विद्यालय पर झूठे आरोप लगाए और विद्यालय को बर्बाद करने की धमकी भी दी।

A famous proverb; the Indians reached a miserable stage by paying attention to hearsays. The family faced the same subsequently. Having got instilled and irritated by provocative and negative hearsays by some miscreants about Adhyatmik Vishwa Vidyalaya, rushed to "AVV" Delhi along with 10-12 people and started shouting. The created nuisance at the "AVV" by using abusive language with false allegations in the background of hearsays against the sisters and mothers of "AVV". They raised shouting that they would eradicate the entire "AVV".

जैसे-तैसे तारा ने अपने माता-पिता को समझाकर वापस भेज दिया। लेकिन दिनांक 27.10.2012 को तारा के माता-पिता 7-8 लोगों को लेकर फिर से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, दिल्ली में आए और फिर से गंदे आरोप लगाते हुए गाली-गलौज करने लगे और विद्यालय को बर्बाद करने की धमकियाँ देते रहे।

Tara could however pacify the entire situation by explaining the truth. In course of time, being unable to assimilate the truth amidst the hearsays, they again intruded into Adhyatmik Vishwa Vidyalaya , at Delhi along with 7-8 irritated people, repeating the nuisance, abuses, and threats to demolish the entire "AVV" ,etc.

जिस कारण पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने तारा के बयान दर्ज कर लिए। जिसमें तारा ने पुलिस को अपनी स्वेच्छा से राज़ी-खुशी आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में रहने की बात को दोहराया और यह भी बताया कि वह अपने मात-पिता के साथ नहीं जाना चाहती। उक्त घटना की शिकायत विद्यालय की

अनीता बहन ने दिनांक 30.10.2012 को S.H.O., Vijay Vihar Police Station, DCP, Outer District, Delhi व राज्य महिला आयोग, दिल्ली को पत्र भेजकर की; लेकिन पुलिस द्वारा न ही कोई पूछताछ की गई और न ही कोई कार्यवाही की गई।

Inevitably, the sisters at "AVV" had to call for police help. A statement of Tara has been recorded by the police officials wherein Tara has reiterated her firm attitude that she was residing with Adhyatmik Vishwa Vidyalaya happily and do not wish to follow her parents back to home. A complaint thereby narrating the entire incident, Anita bahan of the "AVV family" has addressed the Station House Officer, Vijaya Vihar Police Station, DCP, Outer District, Delhi and State Woman Commission. However there was neither any further enquiry by the police nor they have initiated any proceedings in this connection.

उक्त घटना के एक साल बाद दिनांक 22.10.2013 को तारा के माता-पिता, भाई, 15-20 पुरुष गुंडे, असहाय महिला शिशु एवं बाल कल्याण समिति नामक NGO की मुखिया परविंदर कौर व उसके अन्य सहयोगी विजय विहार पुलिस थाने की पुलिस के साथ आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, विजयविहार दिल्ली में, कोई औपचारिक पूछताछ किए बगैर, ज़ोर-जबरदस्ती कन्याओं-माताओं के कमरे में घुस गए।

An year after; on 22-10-2013 , the parents of Tara, her brother along with 15-20 goons followed by one Parvinder said to be the in charge of the NGO named Helpless Woman and Children Savior Society, with some of their followers assisted by the Police of Vijaya Vihar have forcibly intruded in to the rooms of sisters and mothers of Adhyatmik Vishwa Vidyalaya, Delhi in the absence of any formal enquiry or notice.

पुलिस के पास कोई सर्च वॉरंट, नोटिस अथवा शिकायत नहीं थी। इन सबने विद्यालय में हुड़दंग मचाया और कन्याओं-माताओं के साथ निर्दयता व क्रूरता से पेश आए। सबने विद्यालय की कन्याओं-माताओं के सामने अश्लील शब्दों का प्रयोग किया व गंदी गाली-गलौज की। वे सब आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के बारे में झूठी-2 अफवाहें आम जनता में फैला रहे थे। बिना लेडीज़ पुलिस के सारे जेंट्स कन्याओं-माताओं के कमरों में घुसकर धमकियाँ दे रहे थे- ‘‘आशाराम बापू जैसे आपको भी फँसा देंगे, भंडाफोड़ कर देंगे सबका’’।

The Police did’nt have any authorized search warrant with them. Neither there was any notice nor any complaint addressed to them. All these have created a havoc at the Vidyalaya and dealt with the girls and Matas of the "AVV" with haste and outlawed their dignities with abusive language and harsh approach beyond human

tolerance. They were spreading rumors among the public gathered about the Adhyatmik Vishwa Vidyalaya. Having illegally intruded into the rooms of the resident girls and Matas of the "AVV", the police resorted to threaten them that they will project everything about the "AVV" open and implicate in allegations similar to Ashram bapu.

जब गिरिजा बहन ने उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ से आए हैं तो उन्होंने जवाब दिया कि ''शीला दीक्षित को जानते हो? हम लोग वहाँ से आए हैं, समझे''। घुसपैठियों ने विद्यालय में खुलेआम लूट मचाई और विद्यालय की कन्याओं के बारे में अभद्र बातें बोलते हुए उनको अपमानित व बेइज्ज़त किया व आम जनता को आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के खिलाफ भड़काकर विद्यालय की छवि को बदनाम करने की कोशिश की। पुलिस चुपचाप तमाशा देखती रही। गिरिजा बहन ने PCR कॉल करके पुलिस व घुसपैठियों की उक्त हरकतों की सूचना दी। आम जनता गेट तोड़ने पर आमादा हो गई; लेकिन आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के सदस्यों ने निर्भयता से भगवान की याद में आततायियों से डटकर मुकाबला किया।

When one of the sisters of the "AVV family" Girija bahan has questioned their antecedents, they responded; Do you know Sheela Dixit? We are from that place. The intruders have ransacked the in the "AVV”; they used abusive, unbearable and indecent language against the girls and mothers of the "AVV" , they defamed them, insulted them, they started provoking the general public against the "AVV" thereby causing damage to the reputations of the "AVV family". The police simply witnessed the episode with pleasure. Girija bahan has called the police control room for help thereby intimating about the havoc caused by the intruders and the police. A situation has developed to the extent that the general public attempted to break open the main iron doors of the "AVV”. The "AVV family" could however face the intruders as well manage the situation with courage and stability in remembrance of Supreme God Father who always stands beside and rescue the "AVV family".

तारा बहन जो आध्यात्मिक सेवाओं में बाहर गई हुई थी, वह शाम को 4 बजे जैसे ही विजयविहार पहुँची, वह सीधा विजयविहार पुलिस थाने जाकर S.H.O. से मिली व उसने अपनी स्वेच्छा से और राजी-खुशी विद्यालय में रहने की बात को फिर से दोहराया। विजय विहार S.H.O. ने तारा के बयान दर्ज कराकर उसको आध्यात्मिक विश्वविद्यालय छोड़ दिया और इस तरह सारे घुसपैठियों द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन हुआ; लेकिन फिर भी पुलिस ने उन घुसपैठों के ऊपर कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की।

Tara bahan who was out on spiritual service has returned back at 4 PM and immediately she approached the Police Station, Vijaya Vihar and reiterated before

the SHO that she is staying at Adhyatmik Vishwa Vidyalaya happily at her own volition. The SHO has registered her statement and left her back at "AVV" Vijayavihar under police protection. The allegations imposed by the intruders were proved false again. However the police did not initiate any legal proceedings against the intruders who have broken the law and order.

विद्यालय की वरिष्ठ बहन जी प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ज्योति ने पुलिस व घुसपैठों द्वारा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की कन्याओं-माताओं के साथ किए गए उत्पीड़न की शिकायत दिनांक 24.10.2013 को S.H.O., Vijay Vihar Police Station, DCP, Outer District, Commissioner of Police, New Delhi, National Human Right Commission, New Delhi को पत्र भेजकर की; लेकिन बार-2 पुलिस स्टेशन जाकर अपराधियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने का निवेदन करने के बावजूद पुलिस ने एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की।

The senior sister of the "AVV" PBK Jyoti has addressed complaints to the SHO, Vijaya Vihar Police Station, , DCP, Outer District, Commissioner of Police, New Delhi, National Human Right Commission, New Delhi wherein the harassment met out by the girls and mothers of the "AVV" by the intruders and the police have been detailed with pain. And despite repeated requests with the police station for registering F.I.R against the criminals, the police did not accede to the request.

विद्यालय की कन्याओं-माताओं के मौलिक अधिकारों का हनन होने की बात पर व्यथित होकर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय ने प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ज्योति बहन द्वारा पुलिस व NGO के खिलाफ रिट पिटिशन ¼W.P. (Crl.) No. 1923/2013½ दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की व प्रतिपक्ष से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को जनमानस में धूमिल करना व विद्यालय के सदस्यों को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने के एवज में मुआवज़े की माँग की।

Having pained for the infringement of the right to live peacefully afforded by the Indian Constitution by the intruding NGO, PBK Jyoti Bahan has lodged a criminal writ petition ¼W.P. (Crl.) No. 1923/2013½ in the Delhi High Court and claimed compensation for defamation of the reputed Adhyatmik Vishwa Vidyalaya in the eyes of public and harassing the resident kanyas and matas of the "AVV" physically and mentally.

याचिकाकर्ता ने उक्त रिट दायर कर अपराधी पुलिस के खिलाफ कार्यवाही करने की भी माँग की और आध्यात्मिक विद्यालय की कन्याओं-माताओं को सुरक्षा प्रदान करने की भी माँग की। कोर्ट ने उक्त याचिका को स्वीकार कर प्रतिपक्ष को नोटिस जारी किया व पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का

आदेश दिया। जिसमें स्वयं पुलिस ही अपराधी के कटघरे में खड़ा हो, उसमें पुलिस द्वारा सच्चे स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की अपेक्षा भी कैसे कर सकते थे !

The petitioner Jyoti Bahan in her writ petition requested to initiate legal petition against the erring police and extended her request to provide protection for the resident girls and mothers of the "AVV family". The court has accepted the petition and a notice has been served on the opposite party and the police was called for the relative status report. How can one expect a true status report wherein the police itself stood in the place of criminals!

आखिर वही हुआ और जस्टिस हिमा कोहली ने दिनांक 11.12.2013 को आदेश जारी किया, जिसमें बड़ी कड़क आवाज़ में पुलिस को डांट लगाते हुए यह निर्देश दिए कि ‘‘वे विश्वविद्यालय में किस समय घुसे उसका समय बताएँ व यह भी बताएँ कि जिस विद्यालय में सिर्फ कन्याएँ-माताएँ ही रहती हैं क्या वहाँ कोई लेडीज़ पुलिस उपस्थित थी? और क्या पुरुष पुलिस ऑफिसर्स ने महिला पुलिस को साथ में रखते हुए विद्यालय में प्रवेश किया?’’

Justice Hima Kohli has passed orders with warning to the police in a stricter language; “ to advise at which time the police has entered the Vishwa Vidyalaya and whether any lady police were present at the place where only girls and mothers reside ? And did the male police has entered the Adhyatmik Vishwa Vidyalaya along with the lady police !”

इन सब बातों का स्पष्टीकरण माँगते हुए जज साहब ने पुलिस को अतिरिक्त स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के निर्देश दिए।

Asking for clear report as to the particulars asked for, the police was ordered to file an additional status report.

उक्त केस के कारण कुछ समय के लिए पुलिस का आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के प्रति कार्य व्यवहार में कुछ सुधार हुआ। पुलिस व आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के सदस्यों में सौहार्द व प्रेमभाव बना रहे, इस कारण याचिकाकर्ता ने इस पिटिशन को दिनांक 2.6.2016 को विदड्रा कर लिया। लेकिन अतिरिक्त स्टेंडिंग काउंसल को पुलिस की तरफ से यह Undertaking देनी ही पड़ी कि ‘‘पुलिस द्वारा किया गया कोई भी कार्य न्यायसंगत व सूचना देकर ही होना चाहिए’’।

Owing to the case involved there was some betterment in the police in their dealings with the Adhyatmik Vishwa Vidyalaya. The petitioner Jyoti Bahan has however with a view to maintain cordial relations between the police and

Adhyatmik Vishwa Vidyalaya has withdrawn the petition on 02-06-2016. Apart from this, Mr. Ashish Aggarwal, learned Additional Standing Counsel (Criminal) appearing on behalf of the police states that every action taken by the police has to be an informed one and in accordance with law.

हाई कोर्ट का आदेश दिनांक 2.7.2016 इसके साथ संलग्न कर रहे हैं।

An extract of the judgment of the High court is attached.

अंततः झाँसी की तारा ने शरारती तत्वों को करारा जवाब दे ही दिया।

Ultimately, the Tara of Jhansi has given a befitting reply to the miscreants.

$~14 * IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI + W.P.(CRL) 1923/2013 ADHYATMIK ISHWARIYA VISHVA VIDALAYA ..... Petitioner Through : Mr. Shailendra Bhardwaj and Ms. A. Roma, Advs. versus THE COMMISSIONER OF DELHI POLICE & ORS. ..... Respondents Through : Mr. Ashish Aggarwal, ASC (Crl.) with SI Sonu Ram PS Vijay Vihar. CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SIDDHARTH MRIDUL O R D E R % 02.06.2016 Mr. Ashish Aggarwal, learned Additional Standing Counsel (Criminal) appearing on behalf of the police states that every action taken by the police has to be an informed one and in accordance with law. Learned counsel appearing on behalf of the petitioner, after making submissions, seeks leave to withdraw this petition with liberty to institute appropriate proceedings, in accordance with law before the concerned Magistrate. Leave and liberty granted. The present petition is disposed of as withdrawn. SIDDHARTH MRIDUL, J JUNE 02, 2016/dk

Date: 24/10/2013

The S.H.O,

Vijay Vihar Police Station,

Vijay Vihar, Delhi.

Subject: The complaint against Mrs. Parvinder Kaur w/o Prem Chand (Head of Asahay Mahila Shishu Evam BalKalvan Samiti, N.G.O. Ph.no. 9312632513, Address Pocket-1/182, Sector 23, Rohini), her associates including some unknown miscreants, Goondas (around 15-20 male members) and Abdul (members of women helpline) for trespassing in the rooms of ladies (spiritual sisters), creating nuisance in the building of spiritual center, abusing, misbehaving and treating cruelly the innocent spiritual Matas and sisters, provoking the general public by maligning the image of the spiritual members in the premises and defying the law and order and thereby breaching fundamental right to privacy of spiritual sisters in Adhyatmik Ishwariya Vishva Vidyalaya (in short, A.I.V.V.) and thus harassing them.

Respected Sir,

On 22nd October, 2013, at around 12:30 pm, 4-5 police officials namely- Gajender Singh, Ajay Kumar Singh, Sonu Ram, Govardhan, Rampal, along with only one lady constable, and around 15-20 males and around 8-10 ladies entered from the main gate of the spiritual centre(A.I.V.V.) situated at 351/352, Vijay Vihar Phase-I, Pocket A, Delhi-85. Sister Anita sitting at the reception counter, which is just near the main gate politely asked them their reason of arrival in such a big number. However, one of the ladies just pushed sister Anita, abused her and all the crowd climbed the staircase and intruded directly in the rooms of spiritual sisters and Matas (around 100 in Number) in the entire building (As per rules of AIVV, even male spiritual

Contd to Pg.2

followers are not allowed to enter in the residential portion of the female members and it is strictly followed by all the followers.)

When 7-8 Gents intruded in a room at first floor where I was alone and doing some cleaning work, I got scared to see so many males in her room and shouted at them that "bina ladies ke aap sab mahilayon ke kamron mein andar kaise aa gaye, reception pe pahle enquiry karni chahiye thi, ye koi dharamshala nahi hai". In response to that one male intruder assaulted me and shouted that "Ek jhapad lagaunga, to chup ho javogi".

Sister Rohini asked the police that do they have any search warrants against us? and what is the complaint against us? But they kept mum. The police didn't show any copy of complaint to us. They have also not shown any search warrants. One of the lady members in their group wearing black jeans and black T-shirt having dark complexion, caught hold of Lakshmi mata's neck and pushed her forcibly when she was requesting to all the tresspassers to stop their inhuman behaviour.

All the male intruders were spread in rooms of spiritual sisters who were around 30 in number. Many intruders were touching and making Dhakkamukki with the female spiritual members and also kept on threatening them that "Aasaram Bapu jaise aapko bhi fansa denge. Bhanda fod kar denge sabka."

When sister Girija asked them that where you came from? One of the male member replied that "Sheela Dixit ko jante ho? Ham log vahan se aaye hai , samze...." Some of them intruded in the brother's rooms at the ground floor and they have taken a "First Aid Box" lying in one of the room, they broke the lock and took it with them. Some brothers requested them to give it back but those miscreants shouted at them and stolen the box. These intruders were not in control of police and the police was made puppet at the hands of these intruders in the garb of female saviour. Many things were looted from the building. One of the person shouted that " Yaha nashe ki davaiya khilayee jati hai, jeebh par injection lagaye jate hai." The other male intruder

started spreading the rumour that "Yaha drugs mil gaya." Someone shouted before all the spiritual sisters that "Yaha rape hote hai." Hearing these dirty things, all the spiritual sisters got ashamed and humiliated. This all hangama was taking place for 2-3 hours continuously which provoked the general public and the general public started gathering in front of main gate of AIVV. These intruders in the garb of saviours of human rights crossed all the limits and they themselves violated the women's right to privacy and maligned the image of AIVV and its lady members in the general public. General public became so much provoked that they started shouting that " Gate tod denge , deewar tod denge."

Two sisters namely ~~Nilima~~ Nilam and Prashansa who were kept in AIVV by their parents voluntarily were dragged by holding their hair from the spiritual center mercilessly. All the public was watching Tamasha going on. Nilima's father Vijender who is also active member of AIVV reached within 2 hours at AIVV after the said incident but neither AIVV members not her father knew about whereabouts of his child Nilima's father and AIVV members kept on searching them everywhere but no one told them her whereabouts. After a long search, they found them in Child Welfare Committee, Rohini.

The behaviour of all intruders was very much rude and inhuman. They didn't have any fear of law. All the sisters in AIVV were afraid of whole scenario took place at the spiritual center.

These male intruders asked female spiritual followers that did they have any problem in Aashram and many sisters replied that "Aap log hi hamare liye bada problem ho, nikal jayiye yahase, mahilavonke rakshake nampe aap sab dhakosla ho. Ladies ke kamrome ghuske battmiji kiyee hai aapne."

Girija Behan has made a P.C.R call at around 12.45 p.m by phone no. 7428918053 but no police approached for half an hour. Aggrieved by this, Girija behan made another P.C.R. call at round 1.15 p.m. complaining them that some miscreants are beating

and doing Dhakka Mukki with female spiritual followers. One another PCR call was made by Pallavi behan at around 3.00 pm by phone No.9212223906 and complained the misdemeanour of general public and intruders.

Thus, the abovesaid intruders have done a serious offense of breaching fundamental rights of the spiritual lady members in AIVV and defamed them, hence they are liable to be punished for the same.

Applicant

P.B.K. Jyoti Gaikwad

(P.B.K. Jyoti G.

Ph.No. 9891370007

House No. 351/352,

Vijayvihar, Phase-1,

Pocket-A, Delhi-85.

Copy to: 1. Deputy Commissioner of police,

2. Commissioner of Police,

3. National Human Rights Commission.

भारतीय डाक
India Post

SP ROHINI (110085)
ED242102300IN
Counter No:3,OP Code:SK
To:COMMISSIONER POLICE,
INDRAPRASTHA, PIN:110002
From:PRK JYOTI , D-85
Wt:22grams,
Amt:17.00 , 25/10/2013 , 15:43
Taxes:Rs.2.00<(Track on www.indiapost.gov.in)

भारतीय डाक
India Post

SP ROHINI (110085)
ED242102272IN
Counter No:3,OP Code:SK
To:N H R C,
SAROJINI NAGAR, PIN:110023
From:PRK JYOTI , D 65
Wt:22grams,
Amt:17.00 , 25/10/2013 , 15:43
Taxes:Rs.2.00<(Track on www.indiapost.gov.in)>

भारतीय डाक
India Post

SP ROHINI (110085)
ED242102400IN
Counter No:3,OP Code:SK
To:D C P,
SAMAR BAGTI RD, PIN:110054
From:PRK JYOTI , D 65
Wt:22grams,
Amt:17.00 , 25/10/2013 , 15:43
Taxes:Rs.2.00<(Track on www.indiapost.gov.in)>

S-14

* IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI

\+ W.P.(CRL) 1923/2013

ADHYATMIK ISHWARIYA VISHVA VIDALAYA ..... Petitioner
Through : Mr. Shailendra Bhardwaj and Ms. A. Roma, Advs.

versus

THE COMMISSIONER OF DELHI POLICE & ORS. ..... Respondents
Through : Mr. Ashish Aggarwal, ASC (Crl.) with SI Sonu Ram PS Vijay Vihar.

CORAM:
HON'BLE MR. JUSTICE SIDDHARTH MRIDUL

ORDER

% **02.06.2016**

Mr. Ashish Aggarwal, learned Additional Standing Counsel (Criminal) appearing on behalf of the police states that every action taken by the police has to be an informed one and in accordance with law. Learned counsel appearing on behalf of the petitioner, after making submissions, seeks leave to withdraw this petition with liberty to institute appropriate proceedings, in accordance with law before the concerned Magistrate.

Leave and liberty granted.

The present petition is disposed of as withdrawn.

SIDDHARTH MRIDUL, J

JUNE 02, 2016/dk

भागवत कथा - 16

पार्बती मण्डल

यह भागवत की कहानी सिर्फ एक प्रांत से सीमित नहीं है बल्कि पूरे विश्व के कोने-2 से परमात्मा की ज्ञान-मुरलियों की धुन से आकर्षित होकर कन्याएँ खुद ही अपनी भागवत की कहानियाँ लिख रही हैं।

The story of Bhagawat is not confined to from a single area; the girls; virgins from even the corners of the universe get attracted; drawn towards the tunes of Muralis of knowledge set out to write their own stories of Bhagawat.

यह देहभान को लुटाने वाला व आत्मभान को बढ़ाने वाला ज्ञान ही कलकत्ता की 24 साल की कन्या पार्बती मण्डल को आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की ओर खींच कर ले आया।

The knowledge which elates the soul consciousness by putting an end to body consciousness itself has drawn the girl Parbati Mandal , aged 24 years towards Adhyatmik Vishwa Vidyalaya.

पार्बती की माँ विशाखा मण्डल, भाई प्रबास मण्डल, मामा नवन मण्डल, मामी जसोदा मण्डल पार्बती की इच्छा के विरुद्ध ज़ोर-जबरदस्ती उसकी शादी करना चाहते थे। लेकिन पार्बती की दूसरी मामी काजोल मण्डल ने पार्बती को जो आध्यात्मिक मार्ग दिखाया था, उसमें पार्बती की रुचि दिन-प्रतिदिन बढ़ने लगी थी, इसलिए पार्बती ने आखरीन निर्णय ले लिया कि वह शादी न करके आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में आध्यात्मिक शिक्षा के अध्ययन-अध्यापन में अपना जीवन व्यतीत करेगी।

The mother of Parbati, Vishakha Mandal, brother Prabas Mandal, uncle Navan Mandal, aunt jashoda Mandal wished to arrange marriage for Parbati by force and against her will. Fortunately, the way towards the spiritual line shown by her another aunt Kajol Mandal has inspired Parbati in higher spirits day by day; hence Parbati has finally came to an undeterred decision that she remain virgin keeping herself away from the traditional marriage and lead a pure life in learning and teaching the spiritual knowledge emanating from Adhyatmik Vishwa Vidyalaya.

दिनांक 29.04.2015 को पार्बती ने अपनी इच्छा से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, विजयविहार, दिल्ली में दाखिल होने जाने की सूचना ऑफिस इन्चार्ज, बिधान नगर नॉर्थ पुलिस स्टेशन, कोलकाता व डी.सी.पी., बिधान नगर, कोलकाता को पोस्ट के जरिये दे दी थी और दिनांक 2.5.2015 को पार्बती ने अपनी

स्वेच्छा से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, दिल्ली दाखिल होने का शपथ पत्र विद्यालय में सौंपकर दाखिला ले लिया।

Parbati, advancing her step towards the spiritual knowledge has addressed the Officer-in-charge, Vidhan Nagar North Police Station, Calcutta and D.C.P , Vidhan Nagar, Calcutta, as to her joining with the Adhyatmik Vishwa Vidyalaya, Vijaya Vihar, Delhi; by registered post on 29-04-2015. And on 02-05-2015, she has executed an affidavit to the Adhyatmik Vishwa Vidyalaya at Delhi as per her wish and will.

पार्बती के इस निर्णय से पार्बती की माँ व अन्य रिश्तेदार बौखला गए व उन्होंने दिनांक 21.05.2015 को धारा 365 IPC के तहत काजोल मण्डल द्वारा पार्बती को अपहरण किए जाने का F.I.R. बिधान नगर नॉर्थ पुलिस थाने में दर्ज किया।

Having fumed by the decision of Parbati, the mother and other relatives of Parbati have lodged an F.I.R under 365 IPC with Vidhan Nagar North Police on 21-05-2015 alleging that Parbati was kidnapped by Kajol Mandal.

पार्बती का पुलिस को पोस्ट से भेजा हुआ लेटर दिनांक 2.05.2015 को 1:20 PM को ही प्राप्त हो चुका था; लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने लापरवाही बरतते हुए शाम को 5 बजे काजोल मण्डल द्वारा पार्बती के अपहरण की झूठी F.I.R. दर्ज की।

Apparently, the letter dated 29-04-2015 referred above was delivered and received by the Police on 02-05-2015 at 1.20 PM. Despite; the Police has registered the concocted F.I.R at 5 PM on 21st May 2015 wherein the false charges of kidnap of Parbati are framed against her aunt Kajol Mandal.

दिनांक 27.05.2015 को बिधान नगर पुलिस द्वारा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय को एक लिखित संदेश भेजा गया जिसमें पार्बती मण्डल को बिधान नगर नॉर्थ पुलिस थाने या बिधान नगर कोर्ट में उसके बयान दर्ज कराने हेतु हाजिर करने के लिए सूचित किया गया।

On 27-05-2015, a message has been sent to Adhyatmik Vishwa Vidyalaya wherein Parbati Mandal was called for to be present before the Police Station, Vidhan Nagar North or in the court at Vidhan Nagar to get her statement registered.

पार्बती मण्डल को यह डर था कि कहीं उसकी माँ व अन्य रिश्तेदार उसे पुलिस थाने के बाहर या कोर्ट के बाहर ही गुंडों को लेकर ज़ोर-जबरदस्ती अपने घर वापस ले जा सकते हैं या तो जान से भी मार सकते हैं।

Parbati Mandal has her own fears that her mother and other relatives may stay out of the Police station or court along with goons and forcibly grab her in their attempt to take her back home or even kill her.

उक्त डर को बयाँ करते हुए पार्बती ने 04.06.2015 को बिधान नगर नॉर्थ पुलिस थाने के इंस्पेक्टर इंचार्ज से यह आग्रह किया कि वे खुद किसी पुलिस ऑफिसर को दिल्ली भेज उसके बयान रोहिणी कोर्ट के metropolitan magistrate के सामने दर्ज करावें।

Expressing her fears, Parbati has requested the Inspector in charge of Vidhan Nagar Police Station to send any Police Officer to Delhi and get her statement registered at the court of Metropolitan Magistrate.

लेकिन उसके बावजूद कोई भी पुलिस अधिकारी ने दिल्ली आकर पार्बती के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज नहीं कराए। जिस कारण पुलिस द्वारा अरेस्ट किए जाने के डर से अपने पति व बच्चों को छोड़कर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की सदस्या काजोल मण्डल को यहाँ-वहाँ छुपना पड़ा।

Despite; the Police Officials did not come forward to accede to her request. And for the fear of arrest the aunt of Parbati, Kajol Mandal who is simultaneously a member of Adhyatmik Ishwariya Vishwa Vidyalaya, had to inevitably hide here and there leaving her husband and children for some time.

काजोल मण्डल के ऊपर लगाए गए झूठे कलंकों को मूलतः मिटाने के लिए पार्बती मण्डल व काजोल मण्डल ने जुलाई, 2015 में कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने Cr.P.C. की धारा 482 के अंतर्गत क्रिमिनल रिविजन केस (C.R.R. No. 2077/2015) दाखिल किया और न्यायालय से बिधान नगर नॉर्थ पुलिस स्टेशन में दर्ज F.I.R. (केस नं. 6/15 दिनांक 02.05.2015) को खारिज करने के लिए गुहार लगाई। उक्त केस को सुनकर माननीय न्यायालय ने केस को स्वीकार कर प्रतिपक्ष को नोटिस जारी कर दिया।

In order to un-root and wipe out the false allegations framed against her aunt Kajol Mandal, Parbati and Kajol Mandal has filed a Criminal Revision Petition (C.R.R. 2077 / 2015) in the Calcutta High Court under Crpc. 482 with request to quash the proceedings framed in the F.I.R (Case No. 6/15 dated 02-05-2015). The honorable High Court has accepted the petition and a notice has been served on the opposite party.

यहाँ पार्बती की माँ व अन्य रिश्तेदारों ने नागरिक मंच, महिला समिति जैसी सामाजिक संस्थाओं से मिलकर कोलकाता स्थित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के बारे में झूठी अफवाहें फैलाते हुए, पर्चे वितरित

करते हुए, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय व उसके सदस्यों की बदनामी करना प्रारम्भ कर दिया, जिससे समाज के लोग आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के खिलाफ भड़क उठे

In the meantime, the mother of Parbati and other relatives have in hands with some Women societies started defaming the Adhyatmik Ishwariya Vishwa Vidyalaya and its members by spreading rumors ; distributing pamphlets in vulgar and abusive language whereby the general public have reacted heavily against Adhyatmik Ishwariya Vishwa Vidyalaya.

और सही तथ्यों की जाँच-पड़ताल किए बगैर पार्बती की माँ, अन्य रिश्तेदार असामाजिक तत्वों को साथ लेकर कोलकाता स्थित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय को बर्बाद करने की धमकियाँ देने लगे और यह नारेबाजी करने लगे कि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय व उसके सदस्य लड़कियों को बेचते हैं और पार्बती मण्डल को भी आध्यात्मिक विश्वविद्यालय ने बेच दिया है।

And even without even applying mind what could be the truth; the mother of Parbati and other relatives in hands with the evil elements started threatening and raised slogans that the Adhyatmik Ishwariya Vishwa Vidyalaya and its members sell the girls and the "AVV" has sold out Parbati also.

इसी प्रकार की बातें पर्चों में भी छापी गईं जिन्हें पढ़कर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के सदस्यों की धार्मिक भावना को ठेस पहुँची और विद्यालय की छवि को जनमानस में बदनाम किया गया।

They have distributed printed pamphlets with such type of allegations against Adhyatmik Vishwa Vidyalaya and the reputations religious feelings and norms of the Adhyatmik Vishwa Vidyalaya and its members were deeply aspersed in the eyes of public.

जिस कारण आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की प्रणति माता, चन्द्र माता, रूपा माता, अपर्णा माता, रुचि बहन व मुनि बहन द्वारा दिनांक 27.06.2015 को विशाखा मण्डल व उसके अन्य सहयोगी व अन्य असामाजिक तत्वों के विरुद्ध Executive magistrate, Bidhan nagar, DCP, Bidhan Nagar o Commissioner of Police, Bidhan Nagar, Kolkata को शिकायत पत्र भेजे गए।

In result, the "AVV family" members Pranati Mata, Chandra Mata, Roopa Mata, Arpana Mata, Ruchi bahan and Muni bahan have complained about the harm caused by Vishakha Mandal, her other associates as well the other evil elements before the Executive magistrate, Bidhan nagar, DCP, Bidhan Nagar o Commissioner of Police, Bidhan Nagar, Kolkata.

उसके बावजूद पुलिस ने विशाखा मण्डल व अन्य असामाजिक तत्वों के ऊपर कानूनी कार्यवाही नहीं की। जिस कारण विशाखा मण्डल व उसके अन्य असामाजिक तत्वों ने विद्यालय के परिसर में और ही हुड़दंग मचाना चालू कर दिया और विद्यालय के सदस्यों का उत्पीड़न जारी रखा। जिससे व्यथित होकर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के 17 सदस्यों ने विशाखा मण्डल व उसके सहयोगी असामाजिक तत्वों के विरुद्ध दिनांक 09.07.2015 को इंस्पेक्टर इंचार्ज बिधान नगर पुलिस थाना, डी.सी.पी., बिधान नगर को शिकायत पत्र भेजे।

Despite, no action has been initiated by the Police against Vishakha Mandal and other anti-social elements and as such, Vishakha Mandal and her following anti-social elements started to create havoc at the Adhyatmik Vishwa Vidyalaya and harassed the spiritual family members of the Vidyalaya. Having suffered 17 members who are accustomed to peaceful living have sent letters of complaints against Vishakha Mandal and her associates to Inspector in charge, Vidhan Nagar Police Station and D.C.P, Vidhan Nagar .

बात इस हद तक पहुँची कि असामाजिक तत्वों ने व कुछ सामाजिक संस्थाओं ने पुलिस प्रशासन व महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के ऊपर दबाव बनाकर कोलकाता स्थित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में अवैध रूप से प्रचंड पुलिस फोर्स के साथ दिनांक 19.07.2015 को छापा मरवाया। इतनी पुलिस फोर्स देखकर आम जनता और ही आमादा हो गई।

The situation has reached to such a climax that the anti-social elements in hands with some other miscellaneous organizations had pressurized the women and child welfare ministry and a search was enforced by heavy Police force on 19-07-015 in the Adhyatmik Vishwa Vidyalaya , Calcutta. The general public having seen the heavy police force has still turned violent.

दिनांक 19.07.2015 को जब लगभग 180 भाई-बहनें आध्यात्मिक संगठन हेतु सॉल्टलेक स्थित सेवाकेन्द्र में इकट्ठा हुए थे तब लगभग 10 बजे अचानक 30-40 पुलिस कर्मी, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अरविन्द दास गुप्ता व डोलादे मित्रा ज़ोर-जबरदस्ती, कोई औपचारिक पूछताछ किए बगैर, कन्याओं-माताओं के कमरे में घुस गए और उन सबने आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की महिला सदस्यों के साथ मार-पिटाई, गाली-गलौज व दुर्व्यवहार करना चालू कर दिया।

When around 180 brothers, sisters and mothers were participating in the regular gathering of yoga and churning of knowledge at the Adhyatmik Vishwa Vidyalaya , Calcutta, at 10 AM on 19-07-2015, Aravind Das Gupta the Chairman of Child welfare committee along with Doladhe Mitra have intruded by force into the rooms

of sisters and mothers along with a battalion of 30-40 members of Police force without any prior intimation or any formal enquiry and started thrashing, beating the sisters and mothers using abusive language and acted beyond human limitations.

पुलिस और Child welfare committee (CWC) के चेयरमैन के पास कोई भी नोटिस अथवा सर्च वॉरंट नहीं था, पुलिस की वर्दी के ऊपर बैज भी नहीं थे और पुलिस ने अपनी पहचान बताने से मना कर दिया।

There was no notice or any type of search warrant with either the police or with the Chairman of the Child welfare committee (CWC). There were not even badges of identity on the uniform of the Police and the Police refused to reveal their identity.

कुछ महिला पुलिस व Child Welfare committee (CWC) के सदस्यों ने विद्या बहन, मुनमुन बहन, सुप्रीता बहन, मनीषा बहन, सीता बहन, रुचि बहन, रस्मिता बहन के बाल पकड़कर घसीटा व गाली-गलौज कर उनका उत्पीड़न किया।

Some women police and the members of Child Welfare committee (CWC) had caught hold of the hair of Vidya Bahan, Munmun Bahan, Suprita Bahan, Manisha Bahan, Seeta Bahan, Ruchi Bahan and Rasmita Bahan and harassed them with abusive language and indecent approach.

पुलिस कर्मियों ने व CWC के अध्यक्ष व सदस्यों ने यह भी धमकाया कि वे आध्यात्मिक विश्वविद्यालय को बर्बाद कर देंगे और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के सदस्यों को झूठे केसेस में फँसाकर जेल में डलवा देंगे।

The Police staff and the Chairman of the CWC and their other members had threatened that they will completely eradicate and implicate the members of the Adhyatmik Vishwa Vidyalaya in false cases and put them in Jail.

उक्त घटना में कविता माता, शक्ति माता, उर्मिला माता, दीपा माता, गीता माता, मनिमाला माता, काकोली माता, दुर्गा माता, अंजलि माता, रुम्पा माता, ज्योत्सना माता, सोनाली माता, भारती माता, दीपाली माता, माधवी माता, सुमित्रा माता, मिनती माता, सुपर्णा माता और अपर्णा माता को चोटें आईं।

During the havoc created by the police and other miscreants, Kavita Mata, Shakti Mata, Urmila Mata, Deepa Mata, Geeta Mata , Manimala Mata, Kakoli Mata, Durga Mata , Anjali Mata, Roompa Mata , Jyotsna Mata , Sonali Mata , Bharti

Mata, Deepali Mata, Madhavi Mata, Sumitra Mata, Minati Mata, Suparna Mata and Arpana Mata were injured.

मनिमाला माता को दो लेडीज़ पुलिस ने उनके बाल पकड़कर निर्दयतापूर्वक पीटा। जब कुछ बहनों ने पुलिस को गीता श्लोक बताकर जवाब दिए तो पुलिस और CWC के अधिकारियों ने उनका मजाक उड़ाया व आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के सदस्यों की धार्मिक आस्था के बारे में अपमानास्पद शब्दों का प्रयोग किया।

Two Lady Polic have beaten Manila Mata severely and mercilessly while holding and dragging her hair causing severe injuries. When some sisters have tried to reply by narrating some Gita Shlokas relating to the Peace, the Police and the CWC Officers have made fun of the Knowledge of Gita imparted by Supreme God Father and use abusive language about the religious beliefs of the Adhyatmik Vishwa Vidyalaya members and defamed them.

बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष व सदस्यों को पूरे विद्यालय में एक भी नाबालिग कन्या नहीं मिली; लेकिन अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए CWC ने विद्या चौधरी को नाबालिग करार देते हुए सुकन्या होम भेजने का आदेश दे दिया।

No minor girl was traced in the Vidyalaya despite search by the police assisted by Chairman , CWC. But to fulfil their impure allegations, they asserted one girl Vidya Chaudary as minor and passed orders to send to Sukanya Home.

विद्या चौधरी ने अपने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी दिखाते हुए अपने वयस्क होने का प्रमाण CWC के अध्यक्ष को प्रस्तुत किया और विद्या के पिताजी अशोक कुमार जो कि मुंबई के निवासी हैं, उन्होंने फोन करके CWC के चेयरमैन को बताया कि उनकी कन्या की उम्र 18 साल से ज्यादा है और वह अपनी स्वेच्छा से व हमारी अनुमति से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में रह रही है और दो-तीन दिन के अन्दर वह खुद विद्या का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेकर कलकत्ता पहुँचेंगे।

The girl Vidya Chaudary has shown a copy of her Schoole leaving Certificate with proof that she is a major. Apart from this, Mr. Ashok Kumar , the father of Vidya Chaudary, resident of Mumbai has over telephone intimated the Chairman of the CWC that her daughter is above 18 years and she is living at her will and with their permission at Adhyatmik Vishwa Vidyalaya. Mr . Ashok Kumar has affirmed that he will be reaching Calcutta along with the original Schoole leaving Certificate within two three days.

अशोक कुमार जी ने CWC के अध्यक्ष को यह भी अनुरोध किया कि विद्या को किसी सुकन्या होम में उसकी इच्छा के विरुद्ध न भेजा जाए; लेकिन CWC के अध्यक्ष ने मनमानी करते हुए व अपने पद का दुरुपयोग करते हुए विद्या को विद्या और उसके मात-पिता की इच्छा के विरुद्ध सुकर्मा सुकन्या होम भेजने का आदेश दे दिया।

The father of the girl Vidya Chaudary, Mr. Ahok Kumar has further requested the Chairman of the CWC not to send her daughter to Sukanya home. The Chairman of the CWC has paid a deaf ear to his request and disregarding his own Status, and at his own wills and fancies ordered that Vidya Chaudary be sent to Sukanya Home. This order was barely against the wish request of Vidya and her parents.

पुलिस और CWC के चेयरमैन के अत्याचार से प्रक्षोभित हुए आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के सदस्यों ने एक जुट होकर चेयरमैन के इस निर्णय का कड़ा विरोध किया जिस कारण मजबूरी से CWC चेयरमैन को विद्या को उसके माता-पिता आने तक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में रहने की अनुमति देनी पड़ी।

Pained by the indiscriminate acts of the Police and the Chairman of the CWC, the members of the "AVV family" have in one voice opposed the attitude and decision of the Chairman and the Chairman was inevitably compelled to withdraw his order and allow Vidya at Adhyatmik Vishwa Vidyalaya till her parents reach there.

उक्त घटना के बाद पार्वती मण्डल की माँ असामाजिक तत्वों को व अन्य सामाजिक संस्थाओं को सॉल्ट लेक स्थित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के सेवाकेंद्र के बाहर इकट्ठा कर हुड़दंग मचाने लगी। उनमें से कुछ लोग आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की बहनों व अन्य सदस्यों के लिए गन्दी गाली-गलौज का प्रयोग कर रहे थे व कई लोग तो सेवाकेंद्र में रहने वाली बहनों के कमरों में पत्थर फेंककर मार रहे थे।

Subsequent to the above incident, the mother of Parbati Mandal started creating mayhem along with the anti-social elements and other miscellaneous organizations outside the premises of Adhyatmik Vishwa Vidyalaya of Salt Lake. Some of them started to shout with abusive language in respect of resident sisters and mothers and resorted to pelting stones towards the rooms of sisters and mothers.

विद्यालय के भाई लोग अगर विद्यालय में आध्यात्मिक क्लास अटेंड करने या किसी अन्य काम से जाते थे, तो असामाजिक तत्वों द्वारा उनकी मार-पिटाई भी होने लगी। यहाँ तक कि आम जनता आमादा होने के कारण सेवाकेंद्र की बहनों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था और कई दिनों तक बाहर से आने वाला राशन-पानी भी बंद हो गया था।

They started beating, stoning and harassing the brothers of the "AVV family" visiting the vidyalaya for yoga classes and spiritual discourses. The situation to the extent that the sisters and mothers were restricted to their rooms and could not move out even for their medical needs for quite some time as the general public around the Salt Lake area turned violent in the backdrop of these repeated incidents. Even they could not fetch their daily food needs for some time.

जिसकी वजह से उपरोक्त घटनाओं व परिस्थितियों को आध्यात्मिक विश्वविद्यालय सेवाकेंद्र की बहनें पुलिस प्रशासन व न्यायपालिका के सामने तुरंत रख नहीं पा रही थीं।

And for the reason the sisters of Adhyatmik Vishwa Vidyalaya were unable to bring their difficulties resulting out of these frequent violent incidents to the notice of the Court immediately.

कुछ मीडिया चैनल्स व न्यूज़ पेपर चीप पब्लिसिटी के लिए व टी.आर.पी. बढ़ाने के लिए सच्चाई को छुपाकर मनगढ़ंत कहानियाँ व झूठे रिपोर्ट्स को प्रकाशित व प्रदर्शित कर रहे थे। इन सबका फायदा पॉलिटिकल पार्टीज उठाने लगी और विभिन्न राजकीय पक्ष जनता से वोट बटोरने के लिए पुलिस प्रशासन के ऊपर विद्यालय के विरुद्ध कार्य करने के लिए दबाव बनाने लगे व जनता की सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश करने लगे।

Some news media were publishing their own authored stories while setting aside the truth; for the sake of their cheap publicity tactics and increased T.R.Ps. The political leaders of various parties started gaining political benefits and for their voting benefits they started provoking the Government authorities against the Vidyalaya. And they were trying to get the sympathies of the Public for their political advantages.

विद्या बहन के पिता एक साधारण मजदूर होने के कारण पैसे जुटाकर कलकत्ता आने के लिए CWC के चेयरमैन से तीन दिन का समय माँगा था; लेकिन चेयरमैन उनकी विनती को ठुकराते हुए 24 घंटे के अंदर विद्या को ओरिजिनल लिविंग सर्टिफिकेट सहित उनके सामने पेश करने के लिए दबाव बनाने लगे।

The father of Vidya Bahan being a worker on daily wages required three days' time for making up money ; but the Chairman of the CWC denied the request and had only 24 hours' time to produce the original School Leaving Certificate by him.

असामाजिक तत्वों ने पुलिस से मिलीभगत कर 19.07.2015 की घटना को लेकर विद्यालय की महिला सदस्यों के खिलाफ IPC की धारा 186, 353, 324, 34 के अंतर्गत पुलिस को मार-पीट करने व पुलिस

के काम में बाधा डालने का झूठा केस (F.I.R. No. 78/2015) दिनांक 19.07.2015 को बिधान नगर ईस्ट थाने में दर्ज किया और विद्यालय के ऊपर दबाव बनाने के लिए उस फर्जी केस में दिनांक 21.07.2015 को कुछ पुलिस कर्मी विद्यालय में आकर कोई भी कानूनी नियमों का पालन किए बगैर विद्यालय में उपस्थित 7 स्टूडेंट्स- सुभास दास, अजय पाल, विनय राय, बिकास अग्रवाल, सपन मण्डल, शिवशंकर मण्डल आदि को अरेस्ट कर लिया। यहाँ तक कि इसकी जानकारी पुलिस ने न विद्यालय के अन्य सदस्यों को दी, न उनके घरवालों को दी। यहाँ तक कि पुलिस उनको कहाँ लेकर जा रही है यह भी नहीं बताया, जिससे व्यथित होकर ज्योत्सना मण्डल, सुपर्णा राय व दीपा दास ने उसी दिन रात को 12:30 बजे पुलिस के खिलाफ उनके पति को गैर कानूनी तरीके से बंधक बनाने की शिकायत वेस्ट बंगाल मानव अधिकार आयोग व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष दर्ज की।

The Police in hands with the anti-social elements has made a case under sections 186, 353, 324, 34 (IPC) against the ladies of the Adhyatmik Vidyalaya on the pretext that they had beaten the Police and caused obstruction in the duties of the Police and registered a faulty F.I.R (No.78 / 2015) on 19-07-2015 in the Vidhan Nagar Police Station. And to strength their false case, the Police has again visited the Vidyalaya and arrested 7 brothers of the "AVV family" overlooking all the legal formalities which deserved to be observed. The 7 brothers are Subhas Das, Ajay Pal, Vinay Ray, Vikas Agarwal, Sapan Mandal, Shiv Shankar Mandal and another brother. The Police neither informed anyone in the Vidyalaya nor in their respective homes. Even they did not intimate to which Police Station they were being taken to. Having pained with the irresponsible and illegal act of the Police, the family members Jyotsna Mandal, Suparna Roy and Deepa Das have registered a complaint with the Human Rights Commission of West Bengal alleging the illegal detention of their respective husbands by the Police at 12.30 AM early odd hour of the in the night on the next day.

दूसरी तरफ CWC के चेयरमैन ने अपनी मनमानी जारी ही रखी। कभी विद्या को रात को 7 बजे पुलिस स्टेशन आकर मिलने के लिए दबाव बनाया तो कभी चीप पब्लिसिटी हासिल करने के लिए न्यूज़ चैनल्स व प्रिंट मीडिया को झूठे बयान दिए।

On the other hand, the Chairman CWC has at his wills and fancies calls the young girl Vidya Bahan at 7 PM in the night and he also resorted to give false statements in the news channels and other News Media.

दिनांक 22.07.2015 को विद्या के पिता अशोक कुमार व माँ शीला देवी कलकत्ता आकर CWC के चेयरमैन से मिले व उन्होंने अपने आई.डी. प्रूफ दिखाते हुए विद्या के बालिगपने के ओरिजिनल लिविंग

सर्टिफिकेट व अन्य प्रूफ दिखाए; लेकिन उसके बावजूद CWC के चेयरमैन ने विद्या को बालिग करार देते हुए अपनी मर्ज़ी से रहने का आदेश जारी नहीं किया। विद्या के पिता अशोक कुमार व माँ शीला देवी 24.07.2015 को फिर से CWC के चेयरमैन से मिले व उन्होंने विद्या को सुकन्या होम भेजने के आदेश को वापिस लेने की गुहार लगाई;

As promised; the father of the girl Ashok Kumara and her mother Sheela Devi have reported before the Chairman of the CWC and shown the original School Leaving Certificate of Vidya along with their own identity. The Chairman did not withdraw his orders despite the appeal of the parents of Vidya again on 24-07-2015.

लेकिन CWC के चेयरमैन ने जान-बूझकर उस दिन भी कोई आदेश जारी नहीं किया व ढेर सारे मीडिया चैनल्स वालों को अपने ऑफिस बुलाकर चीप पब्लिसिटी के लिए मीडिया में झूठे बयान दिए। विद्या के पिता अशोक कुमार ने देखा कि CWC का चेयरमैन अरविन्द दास गुप्ता ऑफिस में बैठकर बच्चों के व उनके माता-पिता के सामने खुले आम सिगरेट फूँकता रहता है व हर एक व्यक्ति से हुकुमशाह के रूप में पेश आता है।

Moreover the Chairman of the CWC made the parents of Vidya Bahan wait in his office for long; without withdrawing the orders passed earlier in respect of Vidya Bahan; he asked the News Channel operators to his office and continued to give false statements while smoking cigarettes in his own office.

अशोक कुमार व शीला देवी सन 1999 से ही आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के सक्रिय सदस्य हैं। CWC के चेयरमैन ने विद्या के माता-पिता को यहाँ तक धमकाया कि विद्या के बालिग होने के बावजूद हम उसे आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, सॉल्ट लेक में रहने की इजाज़त नहीं देंगे और यह भी धमकाया कि वह ब्रह्माकुमारी संस्था के साथ मिलकर सॉल्ट लेक स्थित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय को 5 दिन के अंदर बर्बाद कर छोड़ेंगे और विद्या के माता-पिता को यह भी चेतावनी दी कि वे अगर विद्या को मुंबई वापस लेकर नहीं गए तो उनके साथ कुछ भी अनहोनी/अनिष्ट हो सकता है।

Ashok Kumar and his wife Sheela Devi are the active family members of the Adhyatmik Vishwa Vidyalaya since 1999. The chairman of the CWC has threatened them that his would not allow Vidya Bahan to stay in the "AVV" even though she is a major. He has also threatened that he will destroy the Adhyatmik Vishwa Vidyalaya of Salt Lake totally joining his hands with Brahmakumaris within 5 days. He has further warned the parents of Vidya Bahan that any

untoward to any extent will definitely happen if they do no accede to his order and take away Vidya Bahan along with them to Bombay.

विद्या के पिता अशोक कुमार ने CWC के चेयरमैन अरविन्द दास गुप्ता की इन हरकतों को देखकर यह ताड़ लिया कि दाल में जरूर कुछ काला है और CWC का चेयरमैन आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के कुछ विरोधी ग्रुप से मिलीभगत कर अपने पद व अधिकारों का दुरुपयोग व मनमानी कर रहे हैं। CWC के चेयरमैन को मीडिया के सामने अपने दिए गए झूठे बयानों पर कायम रहना ही था, इसलिए उन्होंने अपने आदेश दिनांक 25.07.2015 में यह लिख दिया कि विद्या वयस्क है लेकिन Neuro-Psychetric patient है जिसकी वजह से उसकी कस्टडी उसके माता-पिता को सौंपी जाती है।

Observing the vindictive and unstable attitude of the Chairman of the CWC; Mr. Ashok Kumar, the father of the girl Vidya Bahan has come to a conclusion that he has something wrong with him and might have joined hands with some enemies of the Adhyatmik Vidyalaya and misusing his powers and position . To save his actions to some extent; he has again given statements before the News Media that even though Vidya Bahan was a major, she was a Neuro psychiatric patient and hence she is to be handed over to her parents.

CWC के चेयरमैन के उक्त अवैध आदेश से व्यथित होकर अशोक कुमार चौधरी ने CWC के चेयरमैन अरविन्द दास गुप्ता व डोलादे मित्रा को लम्बा-चौड़ा Legal notice भेज दिया और दिनांक 01.08.2015 को वेस्ट बंगाल सरकार के चीफ सेक्रेटरी को उक्त Legal notice की प्रति संलग्न करते हुए धारा 197 Cr.P.C. के अंतर्गत CWC के चेयरमैन अरविंद दास गुप्ता व मेम्बर डोलादे मित्रा के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग चालू करने हेतु sanction जारी करने की गुहार लगाई।

Aggrieved by the illegal and anti-constitutional orders by the Chairman of the CWC, Mr Ashok Kumar Chaudary had issued a legal notice to Mr. Aravind Das Gupta, Chairman of the CWC and Doade Mitra , member of CWC on 01-08-2015. A copy of the legal notice was endorsed to The Chief Secretary of the Government of Bengal with an appeal for sanction to proceed against Mr. Aravind Das Gupta, Chairman of the CWC and Doade Mitra under section 197 CrPc.

यहाँ तक कि विद्या उर्फ दिव्या चौधरी, अशोक कुमार व शीला चौधरी तीनों ने CWC के चेयरमैन के 25.07.2015 के आदेश के विरुद्ध एक रिट याचिका (रिट पिटिशन नं. 21703 (w) of 2015) कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने पेश की जिसमें CWC के चेयरमैन अरबिंद दास गुप्ता व डोलादे मित्रा से

याचिकाकर्ताओं को उत्पीड़ित करना, बदनाम करना, धमकाना व उनके साथ दुर्व्यवहार करना इस अपराध में 10 लाख रुपये मुआवज़े की माँग की।

Inevitably, Vidya alias Divya Chaudary and her parents have filed a writ petition { 21703 (w) of 2015} with the High Court of Calcutta against the orders passed by the Chairman, CWC and simultaneously claiming a compensation of Rs. 10 lakhs from the Chairman , CWC, Mr. Arvind Das Gupta and Dolade Mitra for causing harassment , defamation, threatening and misbehaving with the young girl Vidya Bahan and her parents.

CWC व पुलिस द्वारा विद्यालय पर अवैध छापा मारकर विद्यालय के सदस्यों के साथ मार-पिटाई करना, उनको उत्पीड़ित करना, दुर्व्यवहार करना, धमकाना, इन चीज़ों से व्यथित होकर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के लगभग 46 कन्या-माता व भाइयों ने दिनांक 19.07.2015 को पुलिस व CWC के चेयरमैन के खिलाफ D.C.P., Bidhan Nagar, Commissioner of Police, Kolkata, DGP, West Bengal, DIG, Kolkata, IG, Kolkata, Chairman, National Human Right Commission, Delhi, Chairman, National Commission of Women, Delhi, West Bengal Women commission, Kolkata को शिकायत पत्र भेजा।

Aggrieved by the vindictive attitude of the Chairman of the CWC and illegal search proceedings of the Police who have caused physical and mental harassment, misbehaving, threatening, 46 spiritual family members, girls, mothers, and brothers have lodged written complaint on 19-07-2015 against the acts of the Police and the Chairman of the CWC with D.C.P., Bidhan Nagar, Commissioner of Police, Kolkata, DGP, West Bengal, DIG, Kolkata, IG, Kolkata, Chairman, National Human Right Commission, Delhi, Chairman, National Commission of Women, Delhi, West Bengal Women commission, Kolkata.

इधर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के बाहर विशाखा मण्डल व उसके सहयोगी अन्य असामाजिक तत्वों का कहर बढ़ता ही जा रहा था। जिससे प्रताड़ित होकर आध्यात्मिक शिक्षिका रुचि गुप्ता ने आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की तरफ से Cr.P.C. की धारा 144(2) के अंतर्गत विशाखा मण्डल, पाम्पा दास, नमिता भट्टाचार्या, नीतू मण्डल के खिलाफ Executive Magistrate, बिधान नगर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश किया

On the other hand the violent disturbances at the premises of the Adhyatmik Vishwa Vidyalaya, situated at Salt Lake, Calcutta by Vishakha Mandal by Vishakha Mandal and her associates are continued restlessly. When the violence caused was crossing the limits of patience, Sister Ruchi Gupta, a spiritual teacher

of Adhyatmik Vidyalaya has lodged a complaint with the Executive Magistrate, Vidhan Nagar against Vishakha Mandal, Pampa Das, Namita Bhattacharya, Nitu Mandal under section 144 (2) Crpc.

जिसमें प्रजापिता ब्रह्माकुमारी रुचि गुप्ता ने आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के परिसर में विरोधी पक्ष का अवैध आवागमन, संगठित रूप से इकट्ठा होना, चिल्लाना, नारेबाजी करना व अन्य कार्यों के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए बिधान नगर पुलिस थाने के इंस्पेक्टर इंचार्ज को निर्देश देने की प्रार्थना की और विद्यालय में रहने वालों को उचित सुरक्षा प्रदान करने की भी माँग की गई, जिसमें Executive magistrate साहब ने तथ्यों एवं परिस्थितियों का अवलोकन करते हुए आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के निवासियों को इंटरिम प्रोटेक्शन देने के निर्देश बिधान नगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर इंचार्ज को दिए।

The complaint has within it details as to the as to how the group of Vishakha Mandal are resorting to frequent gathering , shouting, raising slogans, restricting the resident girls and mothers from in and out of the "AVV" at the premises of the Adhyatmik Vidyalaya. The honorable Executive magistrate was requested to pass orders on the Inspector in Charge to provide Police Protection. Looking at the circumstances, the Executive Magistrate has passed orders on the Inspector of the Vidhan Nagar Police Station to provide protection for the "AVV" members.

विद्यालय के वरिष्ठ भ्राता रवीन्द्र नाथ दास को भी असामाजिक तत्वों ने लोकल पुलिस से मिलीभगत कर पुलिस के काम में बाधा डालने व हाथापाई करने के मामले में बाद में शामिल कर लिया, यहाँ तक कि पुलिस रोज़ाना विद्यालय में आकर रवीन्द्र नाथ दास को अरेस्ट करने की धमकी देने लगी। जिससे व्यथित होकर रवीन्द्र नाथ दास ने बारासात कोर्ट के सेशन जज द्वारा अग्रिम जमानत प्राप्त की।

The name of senior brother Mr. Ravindra Nath Das was also added in the case filed by the police in hands with evil forces in charge of attacking the police and causing obstruction in the duties of Police. The Police used to threaten Mr Rvindra Nath Das regularly with arrest. Mr. Ravindra Nath Das was forced to obtain an interim bail from the Sessions Judge of the Barasat Court.

पार्बती मण्डल व काजोल मण्डल द्वारा दाखिल किए गए रिविजन पिटिशन कलकत्ता हाई कार्ट में विचाराधीन होने के बावजूद विशाखा मण्डल ने दिनांक 22.09.2015 को एक हेबिअस कार्पस रिट पिटिशन (WP No. 25148(w)/2015) कलकत्ता हाई कोर्ट में पेश की। जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट में पार्बती मण्डल के बयान विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा दर्ज करने के लिए रजिस्ट्रार जनरल को आदेश दिए।

Even the writ petition by Parbati Mandal and Kajol Mandal was sub judice with the Calcutta High Court, Vishakha Mandal has filed a habeas corpus petition (WP. No. 25148 (w) of 2015) in the same Calcutta High Court. The Registrar General was ordered by the Calcutta High Court to resister the statement from Parbati Mandal over video conference.

पार्बती की तो जीत हो ही गई और शरारती तत्वों की बोलती भी बंद हो गई।

Victory for Parbati and a full stop for the anti-social elements.

16.11.2015
Ct.No.08
Sl. No.01
m.d.

W.P. 25148 (W) of 2015
Smt. Bishakha Mondal
- Vs-
The State of West Bengal and Others

Mr. Suvanil Chakraborty

... for the petitioner

Mr. Sabir Ahamed

... for the State

Mr. G. N. Prasad,
Mr. Amol Kokane

... for the respondent Nos. 5 & 6

By this writ petition, the petitioner seeks issuance of a writ of habeas corpus for production of her daughter. An FIR was filed in May, 2015 alleging that her daughter Parbati had been lured by the private respondent No.5 and is at present residing with the respondent No.6 which is an organisation allegedly engaged in trafficking. The said has been countered by counsel for the private respondent nos. 5 & 6 on the ground that the daughter of the writ petitioner is a major and voluntarily has chosen to reside in the said Ashram. C.R.R. 2077 of 2015 was also filed in June, 2015, much prior to this writ petition being filed for quashing of the FIR. Therefore, this application be dismissed.

Intimation of the date and time of video conferencing be decided by the Registrar Generals, of both Calcutta and Delhi High Courts. Intimation in this regard be also given to the petitioner to enable the presence of the petitioner at the time of such video conferencing for the purpose of identifying Parbati.

Let a copy of the order passed this day be communicated by the Registrar General, High Court, Calcutta to his counterpart at Delhi.

Matter to appear in the list fortnight hence.

Certified copy of this order, if applied for, be given to the parties on priority basis upon compliance of all formalities.

(Patherya, J.)

(Asha Arora, J.)

<u>भागवत कथा – 17</u>

संतोषरूपा (PHD)

निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दीये की और तूफ़ान की........

कुछ ऐसी ही कहानी है, आत्म-ज्ञान की ज्योति से प्रेरित हो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की राह पकड़ने वाली 33 वर्षीय संतोषरूपा की ।

सन 2005 में Jawaharlal Nehru Technological University (आंध्रप्रदेश) से Chemical Engineering में B.Tech करने के बाद संतोषरूपा ने रिसर्च क्षेत्र में अपनी रुचि के आधार पर सन् 2011 में Louis Ville University, U.S.A. से Nano Technology में P.H.D की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद संतोषरूपा ने U.S.A **में स्थित IOWA State University of Science and Technology** में Research Associate के पद की ज़िम्मेवारी संभाली।

Bhagawat Story – 17 :
<u>SANTOSHRUPA:</u> - -

This is a fight of the weak with the giants.
This is a story of the glowing light and the storm.

A similar is the story of Miss Santoshrupa, aged 33 yrs, inspired by the brightness of the spiritual knowledge emanating from Adhyatmik Vishwa Vidyalaya .

Santhoshrupa is a P.H.D Scholar (Yr. 2011) in Nano Technology from Louis Ville University who has joined the said university after her graduation, B.Tech , chemical Engineering (Yr.2005) from Jawaharlal Nehru Technological University, in Andhra Pradesh. While she was with the **IOWA State University of Science and Technology in U.S.A as** a Research Associate, her mind and intellect simultaneously were searching for the Truth, the only one ultimate Truth of the Supreme Father.

रिसर्च की दुनिया में काम करते-2 संतोषरूपा का आंतरिक मन आध्यात्मिकता की खोज में यहाँ-वहाँ घूम रहा था। सन् 2012 में अचानक संतोषरूपा के जीवन में एक सुंदर परिवर्तन आया और उसने New York शहर में ‘Global Harmony House’ नामक ब्रह्माकुमारी सेवाकेंद्र में राजयोग की बेसिक पढ़ाई पढ़ना प्रारम्भ किया। लेकिन किसी भी विषय में रिसर्च करते हुए गहराई में जाने की उसकी विशेषता ने आखिरकार आध्यात्मिक विश्वविद्यालय द्वारा दिए जाने वाले Advance Spiritual ज्ञान को खोज ही लिया।

During 2012 Santoshrupa could find some rays of hope, leading to a change in her life which have inspired her to look into the knowledge, well a basic one, though

not, but styled as Rajyog, at a Brahma Kumari Service Centre named Global Harmony House. The said ill explained basic knowledge remained a flickering light and was short of real satisfaction, for her research brain. At last, she, however could find out the exact answer, for what she was searching about. It was; the answer was Adhyatmik Vishwa Vidyalaya from where the steady bright rays of Advance Spiritual Knowledge emanates.

एडवांस ज्ञान के गहन अध्ययन और गहरे मनन-चिंतन-मंथन के बाद संतोषरूपा ने नौकरी की टोकरी को लात मारकर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, विजयविहार, दिल्ली में दाखिल होकर समर्पित जीवन जीने का निर्णय ले ही लिया।

A study into the depths of Advance Knowledge made her kick off her financially remunerative job of the U.S.A and get herself dedicated to the spiritual service with the Adhyatmik Vishwa Vidyalaya, Vijaya Vihar, Delhi.

संतोषरूपा के माता-पिता, जो कि हैदराबाद में रहते हैं, उसके आध्यात्मिक मार्ग का विरोध करने लगे। जिस कारण दिनांक 09.07.2015 को संतोषरूपा ने पुलिस थाना इन्चार्ज, आसिफ नगर, हैदराबाद व D.C.P., हैदराबाद को पत्र भेजकर यह सूचित किया कि वह अपनी स्वेच्छा से आध्यात्मिक शिक्षिका के रूप में विजयविहार, दिल्ली स्थित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में दाखिल हो चुकी है और उक्त पत्र में संतोषरूपा ने पुलिस को यह अनुरोध किया कि उसके माता-पिता व बड़ी बहन द्वारा उसके उक्त निर्णय के विरोध में कोई भी प्रकार की कार्यवाही करने पर उसे सुरक्षा प्रदान की जाए।

Her parents, residents of Hyderabad, of the present Telengana State could not digest the divine change in the principles of their daughter. They started creating hurdles in her way of spiritualism. Expecting something untoward from her dissatisfied parents, Santoshrupa has sent letters to the S.H.O., Asif Nagar and the concerned D.C.P of Hyderabad, wherein she has stressed her decision that she has joined as a spiritual teacher in the Adhyatmik Vishwa Vidyalaya , Vijaya Vihar, Delhi at her own will and pleasure. She has further extended her request to the Police protect her in case any coercive action is taken from the side of her parents and elder sister against her.

इसी आशय पर आधारित पत्र संतोषरूपा ने S.H.O., Vijayvihar Police Station व D.C.P., Outer District, Delhi को भी भेजा था और संतोषरूपा ने अपने माता-पिता को भी पत्र भेजकर अपने इस निर्णय के बारे में उन्हें अवगत कराया था।

The same communication was sent to the S.H.O., Vijayvihar Police Station and D.C.P., Outer District, Delhi. She has also intimated her firm decision to her parents also.

संतोषरूपा के आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में दाखिल होने के बाद उसके माता-पिता कई बार उससे मिलने के लिए आए और बातचीत करके चले गए; परन्तु कुछ असामाजिक तत्वों के प्रभाव में आकर संतोषरूपा के पिताजी ने उनकी बेटी को बंधक बनाकर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में रखने की झूठी

शिकायतें विजयविहार पुलिस थाना, D.C.P., Outer District, S.D.M., Rohini, महिला एवं बाल-कल्याण मंत्रालय, राज्य महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, Crime Branch व अन्य सरकारी व प्रशासकीय तबक्कों को देना शुरू किया।

Subsequent to her joining the Adhyatmik Vishwa Vidyalaya , her parents visited the "AVV" , met their daughter and returned home very frequently. However, having influenced by some anti-social elements, her father resorted to lodge false complaints with the Vijaya Vihar Police Station, D.C.P., Outer District, S.D.M., Rohini, Ministry of Women and Child Welfare, National Women's Commission, State Women's Commission, Crime Branch and other Government Agencies that his daughter was kept under captivity with the Adhyatmik Vishwa Vidyalaya. He has raised another blame that illegitimate deeds are being conducted in the "AVV".

उक्त शिकायतों में उन्होंने आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में अनैतिक कार्य होने की बात को भी उछाला। संतोषरूपा ने विजयविहार पुलिस थाने में जाकर तत्कालीन S.H.O. को ईश्वरीय ज्ञान व विश्वनिर्माण की अनूठी ईश्वरीय योजना के बारे में परिचय दिया; लेकिन उसके बावजूद दिनांक 01.04.2016 को विजयविहार थाने के S.H.O. ने संतोषरूपा के पिताजी से साथ साँठ-गाँठ कर संतोषरूपा को विद्यालय छोड़ने के लिए धमकाया। जिसकी शिकायत दिनांक 02.04.2016 को संतोषरूपा ने Commissioner of Police, New Delhi, राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग व D.C.P, Outer District को ई-मेल द्वारा की थी; लेकिन पुलिस उच्चाधिकारियों द्वारा S.H.O के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई।

Santoshrupa has approached the then S.H.O Of Vijaya Vihar Police Station, and attempted to educate him about the unique Godly Plan of the "AVV" for World Renewal. Despite, the S.H.O , in connivance with the father of Santoshrupa , has threatened Santoshrupa on 1st April, 2016 to leave the "AVV" . The matter regarding the said threats was reported to the Commissioner of Police, New Delhi, D.C.P., Outer District, National Women's Commission, State Women's Commission, by e mails. No action has been initiated against the S.H.O.

उसके बाद संतोषरूपा के पिताजी द्वारा की गई झूठी शिकायतों को लेकर Executive Magistrate Amit Kumar Srivastava, D.C.P., Outer District, A.C.P Umesh Singh व दिल्ली महिला आयोग की Counsellor अलग-2 समय पर आकर संतोषरूपा से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में मिले व संतोषरूपा से ईश्वरीय ज्ञान का परिचय प्राप्त करते हुए संतुष्ट होकर लौट गए। विजयविहार पुलिस थाने की पुलिस ने उच्च शासकीय व प्रशासकीय अधिकारियों के प्रभाव में आकर कई बार संतोषरूपा के बयान लिए और उक्त शिकायतों को रफा-दफा करते रहे।

However, on the other side, the Executive Magistrate Amit Kumar Srivastava, D.C.P., Outer District, A.C.P Umesh Singh and the Counsellor of Delhi Women's Commission met Santoshrupa at different times in the Adhyatmik Vishwa Vidyalaya. They appeared to have satisfied with the initial spiritual knowledge imparted by Santoshrupa and returned back. Some Police staff from Vijaya Vihar

Police Station, visited Adhyatmik Vishwa Vidyalaya and obtained statements from Santoshrupa and they having found the truth , used to overlook the matters.

किन्तु कुछ खाकी वर्दी पहनने वाले अपने को कानून से भी ऊँचा मानते हैं और कानून के सारे नियम तोड़कर भ्रष्टता व नीचता की हदें पार कर देते हैं। दिनांक 22.11.2016 को कानून के रक्षक बने हुए विजयविहार थाने के A.S.I. वीरेंद्र माथुर व उसके अन्य सहकर्मी संतोषरूपा के जीवन में भक्षक के रूप में सामने आए।

But; some corrupted khakis who feel themselves to be above the law of the land break cross all the limits of the law towards the ends of atrocities. It was on 22nd November, 2016, the A.S.I Virendra Mathur of Vijaya Vihar Police Station, with some other police staff, the so called protectors of the law and order, turned themselves into woman-eaters and intruded into the peaceful life of Santoshrupa.

संतोषरूपा के माता-पिता से मोटी रकम लेकर A.S.I. वीरेंद्र माथुर ने 30-35 हरियाणवी गुंडों-बदमाशों को आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में घुसा दिया। उक्त गुंडों-बदमाशों ने गन्दी व भद्दी-2 गालियाँ देते हुए विद्यालय में रहने वाली कन्याओं–माताओं को धमकियाँ देना चालू कर दिया। कुछ ही देर में A.S.I. वीरेंद्र माथुर व 5-6 पुलिसकर्मी भी विद्यालय के अंदर घुस गए। A.S.I. वीरेंद्र माथुर ने कोई भी Complaint दिखाने से मना कर दिया।

Having bribed stomach-full by the parents of Santoshrupa , the A.S.I Virendra Mathur cleared intrusion to 30-35 hired goons from Haryana into the premises of Adhyatmik Vishwa Vidyalaya, Vijayavihar. The goons ahead started threatening and obtruding the sisters and mothers of the Vidyalaya. They started throwing intolerable, indecent and abusive language over the sisters and mothers. Dramatically, there followed A.S.I Virendra Mathur along with 5-6 Police staff ; intruded into the premises of the Vidyalaya. The A.S.I has refused to show any complaint held with him.

पुलिस के पास कोई भी सर्च वॉरण्ट नहीं था। A.S.I. वीरेंद्र माथुर का विद्यालय की कन्याओं-माताओं के प्रति व्यवहार अत्यंत असभ्य, अशिष्ट व अभद्र था। उन्होंने अंदर आते ही कन्याओं-माताओं को व विद्यालय के सदस्यों को गाली-गलौज देना, मार-पिटाई करना व धमकाना शुरू कर दिया। विद्यालय की वरिष्ठ बहन अनीता द्वारा उनको शांति से बात करने की विनती करने पर A.S.I. वीरेंद्र माथुर ने उनके साथ भी अपना रवैय्या नहीं बदला और भीड़ में जब बहन इन्टरकॉम फोन से बात कर रही थीं, तो वो इन्टरकॉम फोन भी तोड़ दिया और उनकी शॉल भी खींची।

There was no search warrant with the police at the time of intrusion. The arrogant and vindictive behavior of the A.S.I Virendra Mathur was beyond the limits of decency, abnormally intoxicated and insecure. Immediately after unauthorized intrusion, he started to obtrude, abuse and manhandle the sisters and mothers of the vidyalaya. The request by the senior sister Anita with the A.S.I to deal the matter in peaceful manner, was given a deaf ear. Afraid of safety of the sisters and mothers held in between the goons and the police force, Anita bahan tried to talk over the intercom phone with other sisters. The A.S.I rushed forward and broke the phone down the floor. He has even dared to drag her shawl.

लेडीज कॉन्स्टेबल ने भी अनीता बहन को बिना कोई वॉरन्ट दिखाए पुलिस थाने चलने के लिए जोर-जबरदस्ती की; जबकि कानून तो यह कहता है कि अगर किसी स्त्री के बयान लेने हों, तो उसके घर में ही लिया जाना चाहिए; लेकिन यहाँ तो पुलिस ने निर्दोष, अबला बहनों-माताओं को पुलिस थाने चलने के लिए ज़ोर-ज़बरदस्ती की और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की दो माताओं (निपुणा माता, शेवंती माता) को जोर-जबरदस्ती पुलिस थाने लेकर गए।

The lady constable forced Anita bahan to move to Police Station. The law which says that if any statement is to be obtained from ladies , it should be done at home itself. The situation is totally different here. The Police were force dragging the sisters and mothers to the police station. They have taken two mothers, Nipuna Mata and shevanti Mata ultimately to the Police Station by force of the khakis.

A.S.I. वीरेंद्र माथुर शराब के नशे में धुत्त थे व विद्यालय की कन्याओं-माताओं से बत्तमीज़ी से पेश आ रहे थे। A.S.I. वीरेंद्र माथुर ने उन गुंडों-बदमाशों को व जनरल पब्लिक को कन्याओं-माताओं के कमरों में घुसकर कन्याओं-माताओं को मार-पिटाई करके घसीटकर ले आने का आदेश भी दे दिया।

The A.S.I Virendra Mathur was at that time under the influence of liquor on duty , and was clearly appearing as drunkard using abusive, indecent and vulgar language with the sisters and mothers, whom the constitution has given a respectful place. He has openly ordered the hired goons and the public surrounding to intrude into the rooms of sisters and mothers, beat them and drag them out of the premises.

अपनी पद और वर्दी का गैर इस्तेमाल करते हुए ASI वीरेंद्र माथुर ने लोहे की रॉड व हथोड़े से विद्यालय का ग्रिल वाला गेट भी तोड़ दिया। ASI वीरेंद्र माथुर ने जनरल पब्लिक में यह अफवाहें भी फैलाईं कि विद्यालय में नशीली दवाइयाँ दी जाती हैं और कन्याओं-माताओं को 'वेश्याएँ' नामक अश्लील शब्द से संबोधित किया।

The A.S.I Virendra Mathur in the state of intoxication of liquor as well his post covered by the dress code has broken open the safety iron grills of the Vidyalaya with iron rods and hammers. The A.S.I Virendra Mathur has lost his remaining senses if any. He has raised false publicity and rumors among the public surrounding that the sisters and mothers of the "AVV" are drug edicts and debauchers.

अनीता बहन द्वारा पुलिस कण्ट्रोल रूम, वुमेन हेल्पलाइन व D.C.P., Outer District को फोन कर ASI वीरेंद्र माथुर के उक्त गैर कानूनी कारनामों की शिकायत की गई। उसके बाद संतोषरूपा द्वारा फिर से लिखित बयान देकर अपनी स्वेच्छा से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में रहने की अपनी बात को दोहराया गया।

The entire illegal acts and unruly behavior of the A.S.I Virendra Mathur in drunken stage were apprised by Anita Bahan to the Police Control Room, Women Helpline and D.C.P., Outer District over phone. This was followed by reiterating a written complaint again by Santoshrupa as to her staying in the Adhyatmik Vishwa Vidyalaya at her will and pleasure.

पुलिस के उपरोक्त वर्णित दुर्व्यवहार की शिकायतें संतोषरूपा व अनीता बहन द्वारा DCP, Outer District, Commissioner of Police, New Delhi, DCP, Vigilance, दिल्ली महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग व ACP, Rohini को स्पीड पोस्ट, ई-मेल व Fax द्वारा दी गई; लेकिन आज तक उच्च अधिकारियों द्वारा ASI वीरेंद्र माथुर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई।

The complaints in regard to the unruly behavior of the Police were apprised to the Commissioner of Police, New Delhi, D.C.P., Outer District, DCP, Vigilance, National Women's Commission, State Women's Commission and ACP, Rohini by speed post as well emails. Still no action has been initiated by the higher-ups against the so called protector of the law A.S.I Virendra Mathur.

आखिरकार अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता व जीवन जीने के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए संतोषरूपा को माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में गुहार लगानी पड़ी। दिनांक 28.11.2016 को संतोषरूपा द्वारा उसके माता-पिता व दिल्ली सरकार के खिलाफ W.P.(Criminal) No. 3471/2016 दाखिल किया गया।

Having found no response from the higher-ups , the girl Santoshrupa , in order to save her rights to live peacefully with dignity has approached the Honorable High Court of Delhi . A criminal writ petition No. 3471/2016 was filed with the High Court on 28th November, 2016.

संतोषरूपा ने दिनांक 02.12.2016 को माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के सामने पेश होते हुए यह बयान दिया कि "***वह अपनी स्वेच्छा से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में दाखिल हुई है और उसके माता-पिता बलपूर्वक उसे आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।" संतोषरूपा के उक्त बयानों को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश दिया कि "Petitioner ने अपनी स्वेच्छा से यह कदम उठाया है और किसी भी व्यक्ति को Petitioner के ऊपर दबाव बनाकर अपने तरीके से उसे चलाने का अधिकार नहीं है। तदनुसार Petitioner को उसके माता-पिता व उनके अन्य सहयोगियों से सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए जाते हैं। सम्बंधित ACP व S.H.O., विजयविहार पुलिस स्टेशन को यह निर्देश दिया जाता है कि Petitioner के खतरे का परीक्षण करें और उसके माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली धमकी या खतरे से Petitioner को उचित सुरक्षा प्रदान करें।"***

The Honorable High Court of Delhi in their order dated 02-12-2016 observed, " The petitioner has preferred the present writ petition to seek protection from the respondents 3 & 4 who are her parents. The case of the petitioner is that she is post-graduate by qualification and out of her own will and accord , she has joined the Adhyatmik Vishwa Vidyalaya , which is not to the liking of the respondents 3 & 4, the parents.

The petitioner is directed to be granted protection from respondents No. 3 & 4 or any other person at their instance. "

दिनांक 15.05.2017 को माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली ने अपना अंतिम निर्णय देते हुए S.H.O, DCP व Local Beat Staff को Petitioner की सुरक्षा व सलामती को सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में उपयुक्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए।

The honorable High Court of Delhi has in their final order dated 15th May, 2017 has directed the S.H.O., D.C.P., and Local Beat Staff for making suitable arrangements for ensuring the safety and wellbeing of the petitioner in future.

राजधानी दिल्ली-जैसे शहर में भी संतोषरूपा व आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की कन्याओं-माताओं को पुलिसिया अत्याचार का सामना करना पड़ा; लेकिन आखरीन संतोषरूपा ने परमात्मा की छत्रछाया में अपने आत्मा रूपी दीये की ज्योति से पुलिसिया अत्याचार के तूफ़ान से टक्कर लेकर उसे भगा ही दिया।

The girls and mothers of the Adhyatmik Vishwa Vidyalaya had to face frequent atrocities of the Police, the protectors of Law and order in the National Capital Delhi. However, at last, Santoshrupa, an innocent girl, but a glowing light of purity, in the auspices of Supreme Father could fight the stormy persecutions of the Police giants and drive the atrocious gigantic intruders out. And

निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दीये की और तूफ़ान की.........

This is a fight of the weak with the strong.
This is a story of the glowing light and the storm. The storm has attacked the glowing light of
Truth of the "AVV family" repeatedly, repeatedly and at the end, the storm had its own 'U' turn and get off from the field of Truth, deep into the darks again.

$-66.

* **IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI**

\+ W.P.(CRL) 3471/2016 and CRL.M.A. 18855/2016

SANTOSH RUPA DUMPALA ..... Petitioner

Through: Mr. Amol Kokhe & Mr. Yesh Pal Saini, Advocates along with petitioner in person.

versus

GOVT OF NCT OF DELHI & ORS. ..... Respondents

Through: Ms. Richa Kapoor, ASC and Ms.Mallika Parmar, Advocate along with SI Jaspal, PS-Vijay Vihar, for the State.

CORAM:
HON'BLE MR. JUSTICE VIPIN SANGHI

ORDER
% **02.12.2016**

At the outset, learned counsel for the petitioner has pointed out that there is a typographical error in the name of respondent No.3 in the memo of parties. He has been permitted to correct the same under his initials today in Court.

Issue notice. Ms. Kapoor accepts notice on behalf of the State.

Let notice issue to respondents No.3 & 4 returnable on 06.02.2017.

The petitioner has preferred the present writ petition to seek protection from the respondents No.3 & 4, who are her parents. The case of the petitioner is that she is post-graduate by qualification, and out of her own

Digitally Signed Data
Certified to be True Copy
Examiner Judicial Department
High Court of Delhi
Authorized Under Section 76 of
Indian Evidence Act

free will and accord, she has joined Aadhyatmik Vishwavidyalaya, which is not to the liking of respondents No.3 & 4. According to the petitioner, respondents No.3 & 4 are seeking to use force to take her back to the home and she is not interested in the same.

The petitioner is present in Court and the Court has interacted with her. Since the petitioner has voluntarily taken the aforesaid step, no person has the right to dictate his/ her terms upon the petitioner.

Accordingly, the petitioner is directed to be granted protection from respondents No.3 & 4 or any other person at their instance. The ACP concerned and the SHO, PS-Vijay Vihar, are directed to make an assessment of the threat perceived by the petitioner and to provide adequate protection to the petitioner against any threat or harm that she may perceive from the respondents No.3 & 4 or any other person. The mobile phone number of the Beat Constable of the area shall be provided to the petitioner and he shall be sensitised in the matter.

On the next date, respondents No.3 & 4 shall remain present in Court.

Dasti.

VIPIN SANGHI, J

DECEMBER 02, 2016

B.S. Rohella

The Seal of The High Court of Delhi · New Delhi

Digitally Signed Data
Certified to be True Copy
Examiner Judicial Department
High Court of Delhi
Authorized Under Section 76 of
Indian Evidence Act

S-30

IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI

W.P.(CRL) 3471/2016

SANTOSH RUPA DUMPALA ..... Petitioner
Through: Mr. Amal Kokre, Adv. with Mr. Yesh Pal Saini, Advocate

versus

GOVT OF NCT OF DELHI & ORS. ..... Respondents
Through: Ms. Richa Kapoor, ASC for the State. SI Jaspal Singh, PS Vijay Vihar. Mr. D. Ramakrishna Reddy, Adv. for R-3 & R-4.

CORAM:
HON'BLE MR. JUSTICE R.K.GAUBA

ORDER

% **15.05.2017**

Status report has been filed.

Having heard the counsel for the petitioner and the learned Additional Standing Counsel for respondents no.1 and 2, it is agreed that the petition does not call for any further directions expect suitable arrangement for ensuring the safety and well being of the petitioner in future.

In this view, the learned counsel for the petitioner fairly agrees that the contact telephone numbers of the local station house officer, the divisional officer and of the local beat staff shall be made available to her they having been properly sensitized and in turn, she would make her telephone contact number available to them, for contact to be made in the case of any emergent need.

The petition is disposed of with directions to such effect.

R.K.GAUBA, J.

MAY 15, 2017
vk

<u>भागवत कथा – 18</u>

पल्लवी पाण्डे

लखनऊ की 22 वर्ष की पल्लवी पाण्डे ने 12वीं कक्षा पास होने के बाद मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना निश्चित किया था और उस ओर कदम बढ़ाते हुए उसने एन्ट्रेन्स एक्ज़ाम भी दिया था। रिज़ल्ट डिक्लेयर होने से पहले ही पल्लवी पाण्डे अपनी पढ़ाई छोड़कर आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ने आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की तरफ तन और मन से भागी और शुरू हुई एक नई भागवत कथा।

Bhagawat Story -18

PALLAVI PANDEY:

Miss Pallavi Pandey aged 22 years, has appeared for entrance for Medical after completion of her 12th standard in her line of interest. However, prior to the announcement of the results, she left for Adhyatmik Vishwa Vidyalaya with determination to dedicate her body, mind and intellect on spiritual line and there started a new story Bhagawat.

पल्लवी के पिताजी किसी अन्य धार्मिक शिक्षा पर आस्था रखने वाले थे; इसलिए उन्होंने पल्लवी का आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमेशा विरोध किया। जब स्त्री के धर्म-ज्ञान लेने की बात आती है, तब भारतीय संविधान में प्रदान किए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को इस पुरुष प्रधान संस्कृति में हमेशा कुचला जाता है। ऐसा ही कुछ हो रहा था पल्लवी के साथ भी; लेकिन हिम्मत-ए-बच्चे, मदद-ए-बाप(भगवान)।

Her father always stood in her way and interests towards Adhyatmik Vishwa Vidyalaya for the reason that he is interested in some other organization. The culture of male domination, as the history of tradition continues, always crushed the interests of the women in their way towards spiritual advancement and knowledge, despite the fact that the Indian Constitution has accorded various rights to women, religious freedom being one of them.

The same was happening for Pallavi also. The Supreme God Father always stands beside; with helping hand for those who dares.

पल्लवी ने हिम्मत की और अपने माता-पिता के बंधनों को तोड़कर अपनी स्वेच्छा से दिनांक 10.05.2016 को वह विजयविहार स्थित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में दाखिल हुई और अपने उक्त निर्णय को बयाँ करते हुए उसने आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में शपथ-पत्र सौंपा तथा आने से पहले पल्लवी ने दिनांक 09-05-2017 को थाना प्रभारी, गुडंबा पुलिस थाना व SSP, Lucknow को पत्र लिखकर यह सूचित किया कि वह अपनी स्वेच्छा से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में शिक्षिका के रूप में दाखिल होने जा रही है।

Pallavi , has dared to join the Adhyatmik Vishwa Vidyalaya, Vijaya Vihar, Delhi on 10th May, 2016 to fulfill her wish; leaving alone the restrictions imposed by her parents. Still, she was cautious enough to intimate her decision to join the "AVV" at her will and pleasure; on 9th May, 2017 to S.H.O., Gundba Polici Station as well S.S.P, Lucknow. As she joined with "AVV" , she has also intimated the same to the S.H.O., Vijaya Vihar Police Station on the very next day. She has submitted an affidavit indicating her intentions to "AVV".

उसके बाद पल्लवी के माता-पिता व अन्य रिश्तेदारों ने विजयविहार, दिल्ली आध्यात्मिक विश्वविद्यालय आकर पल्लवी के ऊपर दबाव बनाकर व धमकाकर उसे ज़ोर-ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश की; लेकिन पल्लवी अंगद के समान अपने निर्णय पर अचल, अडोल व अडिग रही। पल्लवी के पिताजी के द्वारा बार-2 फोन करके उसे डरा-धमका कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया।

Despite the fact that her parents and relatives used to visit her at "AVV", Vijaya vihar and threaten her to take her back to their home ; Pallavi remained stable like Angad without bending herself before their pressures. Even her father has threatened her frequently and put in all his efforts to cause disturbance in her peaceful living.

दिनांक 27-05-2017 को पल्लवी के पिता रमेशचंद्र पाण्डे, माता, नाना-नानी व भाई-बहन पल्लवी से मिलने आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में आए और पल्लवी के पिता ने पल्लवी को विद्यालय के बारे में झूठी अफ़वाहें सुनाकर उसे ज़ोर-ज़बरदस्ती घर ले जाने का प्रयास भी किया। पल्लवी के पिताजी ने अवांछनीय तत्वों का सहयोग लेकर आध्यात्मिक विद्यालय के ऊपर हमला करने की धमकियाँ भी दीं।

Pallavi’s father Ramesh Chandra Pandey, her mother, her brothers and sisters, grandparents again visited on 27th May, 2017 and attempted to instill rumors in respect of "AVV" where she was staying. Finding no response from daughter, he has threatened to raid the "AVV" with the help of goons.

पिता के उपरोक्त दुर्व्यवहार से पीड़ित होकर मजबूरन पल्लवी ने दिनांक 28.05.2017 को अपने माता-पिता व परिवारजन के खिलाफ SHO, Vijayvihar Police Station व DCP, रोहिणी को शिकायत दर्ज की व सुरक्षा की गुहार लगाई; लेकिन पल्लवी के पिता ने तो हद ही पार कर दी और दिनांक 31.05.2017 को उच्च अधिकारियों को एक झूठी शिकायत दर्ज की, जिसमें आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के लोगों द्वारा उनकी बेटी को अपहरण करने का आरोप लगाया और यह भी आरोप लगाया कि इस विद्यालय में और भी कई लड़कियों को बंधक बनाकर रखा गया है व उन सभी को ब्लैकमेल कर प्रताड़ित किया जाता है।

Frustrated with the attitude of her father, it became inevitable for Pallavi to lodge a complaint on 28th May 207 against her parents and relatives , with the S.H.O., S.H.O OF Vijaya Vihar Police Station, as well with D.C.P ., Rohini and requested for protection. Pallavi’s father in turn crossed all the limits of relations and decencies and made complaints with the higher authorities that her daughter was kidnapped and held under captivity by some persons relating to "AVV". He has also complained that a number of girls were held with the "AVV" in captivity and are being blackmailed and harassed.

उपरोक्त शिकायत पर दिनांक 24.06.2017 को इंस्पेक्टर विप्नेश तोमर द्वारा कार्यवाही करते हुए पल्लवी के बयान दर्ज किए और यह पाया गया कि वह 22 साल की वयस्क कन्या है और उसने अपनी मर्ज़ी से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में दाखिला लिया है व वह अपनी स्वेच्छा से ही विद्यालय में रह रही है और उसे व्यर्थ ही उसके माता-पिता द्वारा परेशान किया जा रहा है।

In response to the complaints made by Pallavi’s father, Inspector Vipnesh Tomar of Vijaya Vihar Police Station, has investigated the matter. Finally, he has recorded statement from Pallavi and found that she is a major aged 22 yrs and is joined "AVV" at her will and pleasure and for no valid reasons her parents were unnecessarily harassing her. And the complaints made by her father remained a futile exercise.

सच में यह समाज की कैसी रीति है, जहाँ नारियों को दिन-रात शोषित किया जाता है, ऐसे कोसघर समाज में पनप रहे हैं; लेकिन उनके ऊपर प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही; लेकिन जहाँ नारियों द्वारा अपने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग करते हुए, नैतिक मूल्यों और पवित्रता के ज्ञान को समाज में फैलाने का अलौकिक कार्य किया जा रहा है, ऐसे शिवालयों को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गंदे और झूठे आरोपों की दलदल में फँसा कर बदनाम किया जा रहा है !

Can’t digest; to which direction, the society, the culture of the society is travelling; where the system remains weak, and the women are harassed day and night and no suitable remedies could be taken by the Government to arrest the degrading moralities. Moreover, the girls and women who are dedicated to revitalize the society by spreading the knowledge of Purity and confinement for a peaceful universe establishing Temples of Shiva; the one and only benefactor; are continuously humiliated and implicated in false rumors and raunchy complaints. Can’t digest; to which direction, the society, the moralities and the culture of the society is travelling.   Despite the rumors, complaints, humiliations and hurdles; whatever may be arising in the way, the Bhagawat continues breaking all the breakers.

Grievance Details

Registration Number	: MINHA/E/2017/03629
Registration Date	: 31 May 2017
Complainant's Name	: Ramesh Chandra Pandey
Grievance Category	: Miscellaneous
Letter No & Date	: ,5/31/2017 12:00:00 AM
Client Status	: General Public
Address	: 2-767 sector H janakipuram lucknow, -226021
State/UT	: Uttar Pradesh
District	: Lucknow
Contact No.	: ,919415080083
E-mail ID	: geniusbiomedical@gmail.com

Grievance Description :

My daughter Pallavi Pandey age 22 yrs was kidnapped from lucknow by people of Ishwariya Adhyatmic Vishwavidyalaya and she is confined in 351,352-phase first block A Vijay Vihar Rithala New Delhi -110085. Not only she but many other girls are confined there,tortured,blackmailed and abused.When we visit her she is only allowed for few minutes in presence of their own people. The people who run this organization has criminal record and many criminal cases are pending against head of this organization. I seek the help so that not only the life and dignity of my daughter but of other girls are protected. These girls first should be rescued from the cluches of these criminals,kept under government supervision,councelled and then restored to their parents. With regrds. Thanking you Your's sincerly Ramesh Chandra Pandey.

V.Vihar

14/6/17

14/6/17

DOCUMENTS RELEASED UNDER RTI ACT-2005

मैं पल्लवी पाण्डेय D/o राकेश चन्द्र पाण्डेय , 351-352 रोहिणी.
Sec.5 दिल्ली विजयविहार रिठाला . उम्र - 22 साल .
मैं ऊपर लिखे पते पर रहती हूँ , आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करती
हूँ। मेरी D.O.B 1.05 1995 है। मैंने अपनी इच्छा से
ईश्वरीय विश्व विद्यालय join किया है। मुझे यहां किसी ने
जबरदस्ती कभी नहीं किया। इस विद्यालय को join करने से
पहले, हमने अपने मात-पिता को सूचित किया था। परंतु वे
against थे। मेरे माता-पिता 3
इस विद्यालय को join करने के
351-352 मे मिलने आए थे
नानी नाना, बहन, भाई मुझसे मैं भी और अपनी इच्छा बताई
तो ही मैंने उनसे मुलाकात की थी। मैं रह रही हूँ,
मैं अपनी इच्छा से 351-352 फेस-I मे
मुझे व्यर्थ ही मेरे माता पिता द्वारा परेशान किया जा रहा है।
ये बयान , मैं बिना किसी दबाव के , अपनी इच्छा से लिख रही हूँ.

पल्लवी
पल्लवी पाण्डेय
२४/6/2017

DOCUMENTS RELEASED
UNDER RTI ACT-2005

विषय - TC द्वारा 15/6/17 के नोटिस के जवाब।

श्रीमान जी,

सविनय निवेदन TC इस प्रकार है

कि शिकायत कर्ता रमेश चन्द पाण्डे ने इस शिकायत अपनी बेटी पल्लवी उम्र 22 साल को [illegible] विरुद्ध [illegible] विद्यालय द्वारा अपहरण करने व A-351, 352 [illegible] में [illegible] करते हुए दी।

Enquiry के दौरान कुमारी पल्लवी पाण्डे ने [illegible] लिखित में दिया है कि उसने [illegible] अपनी मर्जी से join किया है उसकी date of birth 1.5.95 है। पल्लवी ने अपनी date of birth [illegible] की फोटो कॉपी जो [illegible] फाइल की सबूत के [illegible] file करके दाखिल [illegible] है उपरोक्त शिकायत को दाखिल दफ्तर करने की [illegible]

संलग्न कागजात

① ब्यान पल्लवी पाण्डे 1 pp

② फोटो कॉपी age proof 1 pp

DOCUMENTS RELEASED UNDER RTI ACT-2005

[signature]

[illegible]

21/6/17

<u>भागवत कथा- 19 - नेहा जायसवाल</u>

“जिसका साथी है भगवान, उसे क्या रोके आँधी और तूफ़ान”

कुछ ऐसी ही कहानी है नेहा की, जिसने उसके आध्यात्मिक मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले आँधी और तूफ़ानों का डटकर मुकाबला किया।

Bhagawat Story – 19 :

Neha Jaiswal:

“How is it that storms and typhoons can resist the one who has Supreme Father alongside?”

It is again the story of Neha in lines with; challenging the storms and typhoons causing hindrances in her path of religious confidences and spiritual confinements.

नेहा की दो बड़ी बहनें- प्रियंका, श्वेता व माँ उर्मिला देवी अपने पिता राजेंद्र जायसवाल के अत्याचार से तंग आकर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में सन् 2010 में शरण ले चुकी थीं; लेकिन तब नेहा और उसकी छोटी बहन बबिता अपने पिता के साथ ही रह रही थीं। माँ के आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में दाखिल होने के बाद पिता राजेंद्र का कहर नेहा और बबिता के ऊपर और ही बढ़ने लगा और पिता इस हैवानियत पर उतर आया कि धन की लालसा में बच्चियों को ही बेचने के लिए तैयार हो गया।

We can remember once again as to how the elder sisters Neha; Priyanka and Sweta along with their mother Urmila Devi have in their intolerable frustrations caused by their father Rajendra Jaiswal taken shelter in the laps of Adhyatmik Vishwa Vidyalaya ("AVV”) during the year 2010.

The wounds still are wet in a raw state and not completely dried up. And of course, the showers of the rescue by the Supreme God Father through the instrumental Supreme Court of India are still in memories; a bit out of the Apex Court’s order is appended.

“ Criminal Appeal No. 1329/2012

The appellants 2 and 3 (Sweta and Priyanka) have stated in their statement before the Supreme Court that they have been residing in Vidyalaya along with their mother on their own volition and that the allegations, kidnap etc., framed by respondent No.4 (Rajendra Prasad Jaiswal) are not acceptable and illegal.”

And at the relevant times, around 2011-12, Neha and her younger sister Babita continued to live along with their father. In his self-created frustrations after his wife and two daughters joining the "AVV”, his barbarousness had taken a turn towards his younger daughters Neha and Babita and his moralities remaining if any, have touched the grounds to the extent that he made himself ready to sell away his daughters Neha and Babita.

नेहा के उक्त घटना के बारे में फोन द्वारा अपनी माँ को बताने पर माँ उर्मिला देवी ने नेहा व बबिता को दिसम्बर, 2011 में अपने नराधम पति के चंगुल से जैसे-तैसे छुड़ा लिया। उसके बाद नेहा, अपनी माँ उर्मिला देवी के साथ आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में रहने लगी। अपनी बड़ी बहन- श्वेता व प्रियंका के साथ नेहा शांति एवं राज़ी-खुशी से आध्यात्मिक उन्नति कर ही रही थी

When the tortures caused by her father exceeded far beyond her tolerability, inevitably Neha had to inform the situation to her mother Urmila Devi whereby her mother had come into saving her two younger daughters from the clutches of her husband. And her younger daughter Neha started staying with her elder sister Sweta and Priyanka and her mother Urmila Devi in the "AVV" in her peaceful progressiveness towards the heights of the spiritual knowledge.

कि अचानक माँ उर्मिला देवी, जिसने खुद ही अपनी बेटियों को पिता राजेन्द्र के नरक से छुड़ाकर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय रूपी स्वर्ग की राह दिखाई थी, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय को छोड़कर किसी ‘त्रिमूर्ति शिव गौरानाथ धाम’ नामक अन्य संस्था से जुड़ गई और पिता राजेन्द्र, मामा लालजी, सीमा त्रिपाठी व अन्य विरोधी गुट के मुखियाओं के उकसाने पर उर्मिला देवी सन् 2016 से नेहा व उसकी बड़ी बेटी श्वेता व प्रियंका को ज़ोर-ज़बरदस्ती आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से ले जाने का प्रयास करने लगी।

Proving the tendencies of Kaliyug, that all the days do not go alike in peace; the skies of peace started getting covered by the clouds of conspiracies in the shape of Neha’s father Rajendra Jaiswal, uncle lalji, one Seema Tripathee, and some other people. Urmila Devi, the mother of Neha, Sweta and Priyanka owing to her laxities

in observing the principles of the greatest family "AVV" came under the stress and shades of the clouds of conspiracies. Yes, undoubtedly, it is the same Urmila Devi who has liberated her daughters from the vicious clutches of her husband Rajendra Jaiswal and shown a righteous way towards the heavenly family "AVV”;

She had under the influence of the above referred conspirers left the "AVV" down to an institution, not being a family, named " Trimurti Shiv Gowranath Dham” during the year 2016. And it is not the end of the story with Urmila Devi. The coerced influences of the conspirers made her use all her energies to drag her daughters Sweta, Priyanka and Neha from the shelters of "AVV family" towards the clutches of the conspirers.

नेहा पर अगस्त, 2016 से मात-पिता द्वारा सतत दबाव बनाया जाने लगा व उसे Emotionally Blackmail कर धमकियाँ भी दी जाने लगीं; परन्तु उससे नेहा टस से मस नहीं हुई और नेहा ने दिनांक 30.08.2016 को अपने माता-पिता के खिलाफ S.H.O, Vijayvihar Police Station व DCP, Outer District को लिखित शिकायत पत्र भेजा, जिसमें यह शिकायत की गई कि “उसके माता-पिता उसे ज़ोर-ज़बरदस्ती आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से ले जाकर उसकी इच्छा के बगैर उसकी शादी करा सकते हैं व कोई अन्य बर्बरतापूर्ण कार्यवाही कर सकते हैं।” परन्तु पुलिस द्वारा नेहा के उक्त शिकायत पत्रों पर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।

Threats, emotional blackmails and pressures were down poured by her parents and others on the tolerances of Neha; not astonishingly; but by her own strength of determinations and confinement to the only one Truth on the earth, Neha reacted by lodging a written complaint on 30-08-2016 against her father and mother with the S.H.O, Vijaya Vihar Police Station, Delhi as well the Dy. Commissioner of Police, Outer District expressing her concern that her mother and father are likely to drag her out from the "AVV family" and arrange her marriage against her will and resort to other barbarous and heinous acts; and she further requested the police to come to her rescue in the event expected. The police remained and maintained simple silence as to her request.

अपनी बेटियों को आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से ज़ोर-ज़बरदस्ती वापिस ले जाने के सारे प्रयास विफल होने के बाद आखरीन उर्मिला देवी ने 19 जनवरी, 2017 को विजयविहार पुलिस थाने में अपनी बेटियों को आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में बंधक बनाकर रखने एवं उनका यौन शोषण किए जाने की झूठी शिकायत दर्ज की।

As expected to some extent, Urmila Devi has, after facing her failure from getting Neha out of the "AVV family" , has lodged a false and tutored complaint with the Vijaya Vihar Police Station, on 19th January, 2017 stating that her daughter Neha has been detained and sexually assaulted in the "AVV".

विजयविहार पुलिस थाने के कुछ पुलिसकर्मियों के भ्रष्टाचारी व बेकायदे कृत्यों के खिलाफ दिनांक 25.11.2016 को पहले ही आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की अनीता बहन व संतोषरूपा द्वारा उच्च पुलिस अधिकारियों को व राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को शिकायत दर्ज की गई थी। यहाँ तक कि उक्त शिकायत में S.H.O. अभिनेन्द्र जैन के ऊपर भी आरोप लगाए गए थे। जिस कारण पुलिस ने बदले की भावना से उर्मिला देवी द्वारा की गई शिकायत पर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के खिलाफ दिनांक 19.01.2017 को F.I.R नम्बर 88/2017 दर्ज की व इन्स्पेक्टर विप्नेश तोमर द्वारा पक्षपाती कार्यवाही शुरू हुई।

A complaint highlighting the roughshod, illegal and unruly attitudes of some police staff of the Vijaya Vihar Police Station has already been filed with the National Human rights Commission as well with the higher-ups of the Police on 25-11-2016 by Anita Bahan and Santoshroopa Bahan . In particular, the complaint has highlighted the unruly behavior of Abhinendra Jain, S.H.O., of the Vijaya Vihar Police Station. In vengeance, an F.I.R., duly tutored, with F.I.R. No. 88/2017, has been registered in respect of the complaint of Urmila Devi, against "AVV" on 19-01-2017. And Inspector Vipnesh Tomar has started investigation in the backdrop of partiality and revenge.

दिनांक 27.02.2017 को इन्स्पेक्टर विप्नेश तोमर ने नेहा व उसकी बड़ी बहनें- श्वेता व प्रियंका का बयान दर्ज किया, जिसमें नेहा व उसकी बहनों ने यह कहा कि “वे अपनी स्वेच्छा व राज़ी-खुशी से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में रह रही हैं व उनके साथ किसी भी प्रकार का यौन शोषण नहीं किया जा रहा है तथा उनकी माँ उर्मिला देवी द्वारा विद्यालय पर लगाए गए आरोप सरासर झूठ व मिथ्या हैं।” बयान

के साथ-2 नेहा ने रमानाथ उमाशंकर इण्टर कॉलेज द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र इंस्पेक्टर विप्नेश तोमर को सौंपा, जिसमें उसकी उम्र 19 वर्ष अंकित थी।

On 27-02-2017, Inspector Vipnesh Tomar has recorded the statements of Neha, and her sisters Sweta and Priyanka under section 161 Crpc wherein Neha and her sisters have reiterated; They are with their will and pleasure staying in the "AVV" and nothing sort of sexual harassment is being resorted therein and the complaint lodged by their mother Urmila Devi against the "AVV" is absolutely false and motivated. Along with her statement, Neha has produced the certificate issued by the Ramanath Umashankar Inter College before the Inspector Vipnesh Tomar wherein a clear proof making it very much clear that Neha is of 19 years.

परन्तु नेहा की बड़ी बहनों को यह आशंका थी कि उनके माता-पिता उनके गाँव में स्थित मॉडर्न लिटिल फ्लावर चिल्ड्रेन अकादमी नामक स्कूल के प्रिंसिपल से मिलीभगत कर, नेहा का झूठा व फर्जी प्रमाण-पत्र बनवाकर, उसे नाबालिग साबित करते हुए, उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध ज़ोर-ज़बरदस्ती आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से ले जा सकते हैं।

Still the elder sisters of Neha were doubting that their father and mother might resort to manage and in hands with the Principal of Modern Little Flower Children Academy; a school, create a false birth certificate which could show her to be a minor and take her away from the "AVV family" by force against her will.

जिसके कारण नेहा की बड़ी बहनें- प्रियंका व श्वेता ने दिनांक 14.03.2017 को S.H.O, विजयविहार पुलिस स्टेशन, DCP, रोहिणी व कमिश्नर ऑफ पुलिस, नई दिल्ली को अपनी माँ उर्मिला देवी के खिलाफ शिकायत पत्र दर्ज किए और उस पत्र में इन्स्पेक्टर विप्नेश तोमर को निष्पक्ष व न्यायोचित जाँच करने हेतु निर्देश देने की माँग की गई;

In the background of their doubts, the elder sisters of Neha, Priyanka and Sweta have lodged a complaint against their mother Urmila Devi, to the extent of their doubts with the S.H.O., Vijaya Vihar Police Station as well Dy Commissioner of Police of the Rohini along with the Commissioner of Police, New Delhi. In their complaint, they have also made a request to direct the Inspector Vipnesh Tomar to conduct an impartial and legal investigation.

लेकिन दुर्भाग्यवश उसी दिन उर्मिला देवी ने इन्स्पेक्टर विप्नेश तोमर से मिलीभगत कर प्राइमरी स्कूल के फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नेहा को ज़ोर-ज़बरदस्ती आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से घसीटकर ले जाने की चेष्टा की। नेहा द्वारा उसका आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में कोई यौन शोषण नहीं हुआ है, ऐसा बयान देने के बावजूद इन्स्पेक्टर विप्नेश तोमर द्वारा उसे यौन शोषण पीड़िता घोषित कर डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल में मेडिकल जाँच का निवेदन दिया गया व इन्स्पेक्टर विप्नेश तोमर द्वारा नेहा की इच्छा के विरुद्ध, उसकी ज़बरदस्ती मेडिकल जाँच करवाई गई।

Unfortunately, on the very day, Urmila Devi in hands with Inspector Vipnesh Tomar has on the basis of the false and created school certificate attempted to drag Neha out of the Adhyatmik Vishwa Vidyalaya by force. Despite the Statements recorded earlier from Neha and their sisters in clear terms, Inspector Vipnesh Tomar has declared her a minor undergoing sexual harassment and got Neha medically tested for virginity test in the Dr. Baba Saheb Ambedkar Hospital, once again making fun of the repeated Lip Sympathy resentments of the National Women's Commission against such virginity tests in the Hospitals.

नेहा की बहनों- श्वेता व प्रियंका द्वारा पुलिस के उक्त व्यवहार का ज़बरदस्त विरोध किया गया व प्रियंका द्वारा PCR Call करके इन्स्पेक्टर विप्नेश तोमर की शिकायत की गई; लेकिन कण्ट्रोल रूम से भेजी गई पुलिस निकम्मी साबित हुई। मेडिकल जाँच में कुछ निकलना तो था ही नहीं; लेकिन नारी के संवैधानिक, मौलिक अधिकारों का खून तो इन खाकी वर्दी वालों ने कर ही दिया। दिल्ली में नारी शक्ति व महिला संगठन महिलाओं के अधिकारों के बारे में कितना भी चिल्लाती रहें; लेकिन नेहा-जैसी कई मासुम कन्याओं के साथ दिन दहाड़े ज़ुल्म तो होते ही रहते हैं।

On the spot, the sisters of Neha, Sweta and Priyanka has telephoned to the Control Room about the hazardous havoc caused by the Inspector Vipnesh Tomar. The Police staff sent by the Control Room proved inert and inactive and maintained spectatorship. It was certain that nothing odd would come out of the medical test for virginity; and despite, the constitutional rights were made fun of;

the constitution authored by Dr. Ambedkar was simply put to fire in the very hospital named after him at the National Capital and respects accorded to the women and innocent girls were abruptly murdered by the Khakis who are destined and confined to protect the safety, dignity and respect of the Women. "Virginity tests"

have been recognized internationally as a violation of human rights, particularly the prohibition against "cruel, inhuman or degrading treatment" under article 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and article 16 of the Convention against Torture, both of which many countries have ratified. All the shouters in Delhi, shouting about the Powers, Unity and rights of the women are to put a pale face in the backdrop of barbarous virginity tests still being conducted in Independent India. Are not these virginity tests amount to a superlative of "heinous" crimes nothing less than an official sexual harassment?

In other words, the virginity tests in general themselves are sexual harassments under the guise of proving sexual harassments, in particular when the woman concerned resists; and we hope the Supreme Court on one fine day, which can be expected at an early date, will take up these kinds of sexual harassments in the name virginity tests suo moto.

इन्स्पेक्टर विप्नेश तोमर ने बर्बरतापूर्वक 14.03.2017 की रात को ही नेहा को बख्तावरपुर स्थित 'कस्तूरबा गाँधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट' नामक प्रोटेक्शन होम / चिल्ड्रेन होम में ज़ोर-ज़बरदस्ती धकेल दिया। दूसरे दिन 15.03.2017 को नेहा को अवंतिका, रोहिणी स्थित Child Welfare Committee के सामने पेश किया गया। नेहा की बड़ी बहनें- श्वेता व प्रियंका भी वहाँ आ पहुँचीं व उन्होंने नेहा को उनके साथ आध्यात्मिक विश्वविद्यालय भेजने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। नेहा ने भी अपनी बड़ी बहनों के साथ आध्यात्मिक विश्वविद्यालय जाने की अपनी इच्छा बताई; किन्तु Child Welfare Committee के अध्यक्षा व सदस्यों ने नेहा की इच्छा के विरुद्ध उसे Protection Home भेजने के आदेश जारी किए।

Not satisfied with whatever flagitious acts resorted to against the innocent young girl, in the background of something cloudy, Inspector Vipnesh Tomar on the very night of 14th March, 2017, has dumped down the innocent girl Neha in the protection home named Kasturba Gandhi Memorial Trust situated at Bhaktavarpur, again in defamation of the name of Mahatma Gandhi. Gandhi means liberation, not illegal confinement and detention.

It is well settled law that even minor can’t be detained in Children Home / Protection Home against her wishes.

लेकिन विडंबना तो यह थी कि Child Welfare Committee के तथाकथित सदस्यों को कानून के इन बिंदुओं का अंश मात्र भी ज्ञान नहीं था और उनके इस अज्ञान की शिकार हुई बेचारी नेहा; लेकिन इस आदेश के साथ CWC ने नेहा का Ossification Test / Bone Test कराने का आदेश जारी कर थोड़ी-बहुत मेहरबानी की।

For the simple reason that the officials seated in the Child Welfare Committee are unaware and ignorant of the primary laws pertaining to their own profession, the innocent girl was victimized. However, what might be the intention, while passing the orders, the CWC has advised for the Ossification/bone test of the girl to ascertain the age of the girl.

आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में सुख से जीवन-यापन करने वाली नेहा को एक कैदी की तरह Protection Home में रखा गया। यहाँ तक कि उसे आध्यात्मिक किताबें पढ़ना व आध्यात्मिक क्लास सुनने के लिए भी सख्त मना किया गया। नेहा ने दूसरी लड़कियों को आध्यात्मिक ज्ञान सुनाना शुरू किया ही था, तो CWC की अध्यक्षा के आदेश पर, उस पर भी पाबन्दी लगाई गई। अपने हाथ से भगवान की याद में भोजन पकाकर खाने वाली नेहा के ऊपर तो Protection Home में धर्म संकट ही आ पड़ा। नेहा के बार-2 आग्रह करने पर आखिरकार नेहा को अपने हाथ से भोजन पकाने की अनुमति मिल ही गई।

The innocent girl Neha, who was happily leading a peaceful life attaining her goals of heights of spiritual enlightenment, was dumped in the Protection Home as a prisoner for no fault of her. She was abruptly prevented to study the spiritual knowledge and hear the spiritual discourses during her stay there, whereas she was already in course of teaching spiritual knowledge to other sisters. She was deprived of even that right to religion, by the President of the CWC. Neha who was accustomed to self-cooked food, in remembrance of Supreme God Father, was left over in dilemma. And at last after repeated requests, she was permitted to cook food for herself in remembrance of Supreme God.

यहाँ CWC के उपरोक्त आदेश से प्रताड़ित होकर, नेहा की बड़ी बहनें- श्वेता व प्रियंका द्वारा दिनांक 25.03.2017 को Ld. District & Session Judge, Rohini Court के सामने Criminal Appeal No. 42/17 दाखिल किया गया और नेहा को Protection Home से Release करने की माँग की गई।

Aggrieved with the order of the President , CWC , the elder sisters of Neha, Sweta and Priyanka have filed a Criminal Appeal No. 42/17 on 25th March, 2017 before the Ld. District & Session Judge, Rohini Court requesting to direct the President CWC, release Neha from the Protection Home.

यहाँ CWC के उपरोक्त आदेश से प्रताड़ित होकर, नेहा की बड़ी बहनें- श्वेता व प्रियंका द्वारा दिनांक 25.03.2017 को Ld. District & Session Judge, Rohini Court के सामने Criminal Appeal No. 42/17 दाखिल किया गया और नेहा को Protection Home से Release करने की माँग की गई।
इन्स्पेक्टर विप्नेश तोमर ने नेहा के माता-पिता से मिलीभगत कर रोहिणी कोर्ट के Metropolitan Magistrate के सामने नेहा के 164 Cr.P.C के अंतर्गत बयान जान-बूझकर 15 दिनों तक दर्ज नहीं करवाए और इन्स्पेक्टर विप्नेश तोमर व उसके जूनियर पुलिस स्टाफ द्वारा लगातार नेहा को विजयविहार पुलिस स्टेशन के सीक्रेट रूम में ले जाकर दबाव बनाया जाने लगा और कभी उसे Emotionally Blackmail कर व कभी उसे धमकाकर Magistrate के सामने बयान बदलने के लिए दबाव बनाया गया।

In connivance with the parents of Neha, Inspector Vipnesh Tomar has intentionally avoided getting the statement recorded from Neha under section 164 Crpc before the Metropolitan Magistrate of the Rohini Court. Inspector Vipnesh Tomar used to call for Neha in a separate room in the Vijaya Vihar Police Station and pressurize her with threats, tortures and emotional blackmail for changing her statement to his tunes before the Magistrate.

यहाँ तक कि इन्स्पेक्टर विप्नेश तोमर के सामने नेहा की माँ उर्मिला देवी भी नेहा को धमकियाँ देती थी कि "तुम मेरे साथ घर जाने के लिए हाँ कर दोगी, तो जो आश्रम में तबाही मच रही है, आश्रम सील हो रहा है

और एक-एक कन्याओं को आश्रम के बाहर निकाल रहे हैं, मैं उसे रोक दूँगी। सिर्फ तुम हाँ कर दो कि मुझे मम्मी के साथ जाना है, तो मैं आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के खिलाफ सारी कम्प्लेण्ट वापस ले लूँगी। सिर्फ तुम्हारे हाँ करने की देरी है।"

The intensity of threats have reached to the extent that the mother of Neha, Urmila Devi used to repeatedly threaten Neha, " I will put an end to the havoc being caused in the Ashram including sealing of the Ashram and dragging out each and every girl out of the Ashram if you co-operate with me, " Urmila Devi repeatedly assured Neha, "If you accept and give a statement that you have to go to home along with the mother, then I will withdraw the complaint against the Adhyatmik Vishwa Vidyalaya. Only yours would be the delay to say yes."

दिनांक 24.03.2017 को बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल में नेहा का बोन टेस्ट कराया गया व दिनांक 30.03.2017 को Metropolitan Magistrate, Rohini Court के सामने नेहा को उपस्थित किया गया व Magistrate द्वारा नेहा के 164 Cr.P.C. के अंतर्गत बयान दर्ज किए गए, जिसमें नेहा ने यह बयान दिया कि ***"मैं आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रही हूँ.... पुलिस वाले मुझे ज़बरदस्ती आश्रम से ले आए; मैं नहीं आना चाहती थी। पुलिस वालों ने मुझे कहा था कि बस पूछताछ के लिए आपको ले जा रहे हैं और फिर CWC में रखेंगे, पर उन्होंने ज़बरदस्ती मेरा मेडिकल टेस्ट करवाया। मेरे साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं हुआ। मैं आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में अपनी दीदी लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। वहाँ मेरी सगी बहनें, जिनके नाम श्वेता और प्रियंका हैं, रहती हैं और पढ़ाई करती हैं। मैं वहाँ बहुत खुश थी, मैं वहाँ अपनी मर्ज़ी से रहती थी, मैं वहाँ स्वतंत्र थी, मैं वहीं जाना चाहती हूँ।"***

Subsequent to the bone test conducted at the Ambedkar Hospital, on 24th March, 2017, Neha was produced before the Metropolitan Magistrate of the Rohini Court on 30th March, 2017. She was firm in her statement given under section 164 Crpc before the Magistrate. Setting aside all the threats and tortures faced, she has specified before the Magistrate on 30th March, 2017, in clear terms, "I am studying in the Adhyatmik Vishwa Vidyalaya. Despite my protest and resistance, the police has dragged me forcefully to the Police Station under the pretext of interrogation and enquiry and keep in the CWC. They have got medical test conducted forcefully despite my resistance. Nothing untoward has ever happened to me in the Ashram. I

want to stay in the Adhyatmik Vishwa Vidyalaya along with my elder sisters. My own sisters Sweta and Priyanka stay there for getting the education. I am very happy there at my will and pleasure. I am independent there and I wish to go there only. " She has further affirmed her age to be 18.

दिनांक 03.04.2017 को बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल के विद्वान मेडिकल बोर्ड द्वारा यह अंतिम निर्णय दिया गया कि ***"Approximate bone Age of the Patient is more than 22 years (Twenty two) but less than 25 years (Twenty five)".***

Baba saheb Ambedkar Hospital has submitted the final report, on 3rd April, 2017. "Approximate bone Age of the Patient is more than 22 years (Twenty two) but less than 25 years (Twenty five)".

एक के बाद एक, लगातार नेहा की जीत हो रही थी और इन्स्पेक्टर विप्नेश तोमर व नेहा के माता-पिता के सारे षड्यंत्रों पर पानी फिर रहा था।

There was a continuous victory for Neha, in other words for the "Truth" against each and every atrocity by the Police and Waters remained spilling on the efforts of Inspector Vipnesh Tomar in connivance with the parents of Neha.

आखरीन दिनांक 05.04.2017 को माननीय डिस्ट्रिक्ट व सेशन जज, रोहिणी कोर्ट द्वारा अंतिम निर्णय देते हुए यह कहा गया कि ***"चूँकि नेहा की दो जन्मतिथि रिकॉर्ड में आई हैं, जिसमें कुमारी नेहा की उम्र $17^{1/2}$ से $18^{1/2}$ के बीच में दिखाई गई है, जो विवादास्पद है, जिसके कारण कमिटी ने ऑसिफिकेशन टेस्ट कराने के लिए आदेश दिया। उसी दौरान दिनांक 30.03.2017 को विवेचक ने कुमारी नेहा के*** 164 Cr.P.C. ***के अंतर्गत बयान कराए, जिसमें कुमारी नेहा ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह अपनी दोनों बड़ी बहनें- श्वेता और प्रियंका के साथ आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में रहना चाहती है। उसने अपने बयान के अंतर्गत*** 164 Cr.P.C. ***में अपनी उम्र $18^{1/2}$ वर्ष होने का खुलासा किया है।***

कुमारी नेहा को न्यायालय में भी पेश किया गया और उससे पूछताछ की गई और पूछताछ के दौरान उसने स्पष्ट रूप से कहा और अपनी स्पष्ट इच्छा जताई कि वह अपनी दोनों बड़ी बहनों के साथ आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में रहना चाहती है।

कार्यवाही के दौरान विवेचक ने कुमारी नेहा का ऑसिफिकेशन टेस्ट रिपोर्ट फाइल किया और दिनांक 03.04.2017 के ऑसिफिकेशन टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार मेडिकल बोर्ड ने कुमारी नेहा के उम्र के बारे में यह राय दी कि "मरीज की उम्र (bone) *लगभग 22 वर्ष से ज़्यादा और 25 वर्ष से कम है।"*

अतः रिपोर्ट के अनुसार यह स्पष्ट है कि कुमारी नेहा की उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है और वह बालिग है और उसे उसकी इच्छा के बगैर किसी भी प्रोटेक्शन होम में नहीं रखा जा सकता। किसी बालिग को उसकी इच्छा के विरुद्ध डिटेन करने के बारे में क्या कह सकते हैं, उच्च न्यायालयों ने तो अपने विभिन्न अंतिम निर्णयों में यह कहा है कि नाबालिग का प्रश्न अप्रासंगिक है; क्योंकि नाबालिग को उसकी इच्छा या उसके पिता की इच्छा के बगैर प्रोटेक्शन होम में डिटेन नहीं किया जा सकता और किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती के बारे में कोई कानूनी वैधता नहीं हो सकती है। ***Mrs. Kalyani Chaudhari Vs. The State of UP and Ors. 1978 Criminal Law Journal 1003 and Smt. Mala and another Vs. State of UP, Habeas Corpus Writ Petition No. 51294 of 2015,*** *इन निर्णयों का आधार लिया जा सकता है।* ***Pushpa Devi Vs. Sate of UP*** *और* ***1994 HVVD (All) C.R. Vol. Il page.259*** *में डिवीज़न बेंच का यह कहना है कि "किसी भी स्थिति में, हेबिअस कार्पस पिटिशन में उम्र का प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है; क्योंकि यहाँ तक कि नाबालिग को भी अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है और यहाँ तक कि माता-पिता भी नाबालिग को उसकी इच्छा के विरुद्ध डिटेन करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, जब तक कि इसके लिए अन्य कोई कारण न हों।*

अन्य प्रकरण ***Smt. Raj Kumari Vs. Supdt., Women Protection, Meerut and other reported in 1997 (2) A.W.C. 720*** *में यह कहा गया है कि "इस न्यायालय का विचार यह है कि यहाँ तक कि नाबालिग को उसकी इच्छा के बगैर सरकारी प्रोटेक्शन होम में नहीं रखा जा सकता।"*

Balwinder Singh Vs. State of Punjab and others 2008 (3) RcR Criminal and Shamsher Vs. U.T. Chandigarh and others 2011 (5) RCR Criminal 677 प्रकरण में भी उच्च न्यायालय का भी यही विचार है। Neetu Singh Vs. State 1999 (3) RCR (Criminal) 26 में दिल्ली उच्च न्यायालय के डिवीज़न बेंच का यह कहना है कि "नाबालिग को उसकी इच्छा के बगैर नारी निकेतन में नहीं रखा जा सकता। नाबालिग लड़की की शादी........................"

इस मामले में, दिनांक 03.04.2017 के ऑसिफिकेशन टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट है कि कुमारी नेहा की उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है और इस रिपोर्ट पर निर्णय लिया जाना उचित होगा; क्योंकि अलग-अलग उम्र के दो जन्म प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। अतः कुमारी नेहा को प्रोटेक्शन होम बख्तावरपुर में रखने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अतः विवादित आदेश दिनांक 15.03.2017 को रद्द किया जाता है और कुमारी नेहा को कस्तूरबा गाँधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, पी.ओ.-बख्तावरपुर, दिल्ली-110036 प्रोटेक्शन होम से बरी करने का आदेश दिया जाता है और वह अपनी इच्छा अनुसार किसी भी जगह पर रहने के लिए स्वतंत्र है। तदनुसार इस अपील को समाप्त किया जाता है। इस आदेश की एक प्रति को दस्ती किया जाए। इस आदेश की एक प्रमाणित प्रति चेयरमैन, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, अवंतिका, रोहिणी, दिल्ली को भेजा जाए। इस अपील फाइल को रिकॉर्ड रूम में भेजा जाता है।"

It was on 5th April, 2017, the honorable District and Sessions Judge, (North West) Rohini Courts, Delhi has promulgated his order. Only a few extracts from the same is appended and of course the full order has however been attached at the end.

Para 22. Kumari Neha was also produced and inquiries were made from her and during the enquiry she categorically stated and showed her clear desire that she wanted to live along with her two sisters in Adhyatmik Vishwa Vidyalaya.

Para 23. During the course of proceedings the IO had filed Ossification test report in respect of Kumari Neha and as per the ossification test report dated 03-04-2017, the opinion given by the board in regard to the age of Kumari Neha is as follows.

"Approximate bone age of the patient is more than 22 years (22) and less than 25 years (25). "

Para 24. So, clearly as per this report, Kumari Neha is more than 18 years of age and is a major and she cannot be detained in any protection home against her wish. What to say of a major being detained against her wish, the Superior courts in various judgments have held that question of minority is irrelevant because a minor cannot be detained against her will or at the will of her father in a protection home and there can be no legal validity for the curtailment of liberty of a person."

Para 27. In the instant case Kumari Neha is aged more than 18 years as is evident from the ossification test report dated 03-04-2017. There is no question of Kumari Neha being detained in Protection Home , Bhaktawarpur, Accordingly, the impugned order dated 15-03-2017, is set aside and Kumari Neha is directed to be released forthwith from Protection Home. She is free to live in the place of her choice.

आखरीन बख्तावरपुर स्थित उस कैदखाने से छूटकर नेहा अपनी बड़ी बहनों के साथ आध्यात्मिक विश्वविद्यालय वापिस आ गई।

It was Konica Varman , It was Sabita kabade and the third in the series to suffer detention in protection homes is now Neha despite the well settled position of Law promulgating the detention of girls in Protection Homes as illegal. At last, Neha also could with much difficulty, come out of the clutches of the Jail into the peaceful "AVV family" with her elder sisters.

ज़्यादातर लोग तो पुलिस के द्वारा किए गए अत्याचार के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाते; लेकिन नेहा के सतीत्व व पवित्रता का परीक्षण करने की इन खाकी वर्दी वाले नराधमों ने चेष्टा की, तो उसकी सज़ा भी उनको मिलनी ज़रूरी है। शिव की शक्तियों को ऐसे असुरों के प्रति संहारकारिणी बनना ही पड़ता है।

Mostly people compromise with their sufferings and do not raise their voice against the atrocities of the Police, but the ones who disrespect the Police Act and defame their own dress code have to face the legal action for their heinous harassments towards young girls under the guise of virginity tests, threats and tortures in the name of interrogation and at times in the absence of Lady Police. It is for and up to Shiv Shaktis, repeat, only for Shiv Shaktis to destroy the evil forces.

प्रोटेक्शन होम से छूटने के बाद नेहा चुप नहीं बैठी। दिनांक 15.04.2017 को नेहा ने इन्स्पेक्टर विप्नेश तोमर व उसके सहयोगी जूनियर पुलिस स्टाफ के खिलाफ कमिश्नर ऑफ पुलिस, नई दिल्ली, राष्ट्रीय महिला आयोग व राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सामने शिकायत दर्ज की, जिसमें यह स्पष्ट किया कि "नेहा को इन्स्पेक्टर विप्नेश तोमर व अन्य-अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा ज़ोर-ज़बरदस्ती घसीटकर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से ले जाकर, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसकी मेडिकल जाँच कराई गई तथा उसकी माँ से मिलीभगत कर उसे पुलिस थाने के सीक्रेट रूम में ले जाकर, उसे पुलिस द्वारा व उसकी माँ द्वारा Magistrate के सामने अपने बयान बदली करने के लिए धमकाया गया व Emotionally Blackmail व Torture किया गया।"

With the burning heart inside, Neha could not sit mum. She has lodged complaints with facts against Inspector Vipnesh Tomar and his Junior Staff assisting him for the atrocities, with the Commissioner of Police, New Delhi as well the National Human Rights Commission. The complaints within themselves carry the facts, " Inspector Vipnesh Tomar and his assistant staff have dragged Neha to Police station by using coercive measures from the Adhyatmik Vishwa Vidyalaya and got virginity test despite her resistance. Neha was taken forcefully into the secret room of the Vijaya Vihar Police station and pressurized, subjected her to emotional blackmail , threatened and tortured her to change her statement to their tunes before the magistrate. "

इतना ही नहीं, नेहा ने खुद NHRC, NCW व Commissioner of Police, New Delhi के कार्यालयों में जाकर दिनांक 20.04.2017 को फिर से उक्त शिकायत दर्ज कराई; लेकिन तीन-चार महीनों तक राह देखने के बावजूद किसी भी उच्च अधिकारी द्वारा नेहा को न्याय नहीं मिला।

Having not satisfied, Neha has proceeded personally to the offices of Commissioner of Police, NHRC and NCW on 20-04-2017 and got her complaints registered again. And despite a long wait for three to four months there remained no response from any of the officials.

जिस कारण आखरीन नेहा ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में दिनांक 06.08.2017 को W.P.(Criminal No.) 2253/2017 दाखिल किया, जिसमें इन्स्पेक्टर विप्नेश तोमर व उसके जूनियर पुलिस स्टाफ की Enquiry कर उनको सज़ा दिलाने की माँग की गई तथा इन्स्पेक्टर विप्नेश तोमर व दोषी

पुलिस स्टाफ द्वारा नेहा को मुआवजा अदा करने की भी माँग की गई। यही नहीं, नेहा ने उक्त Writ Petition में इन्स्पेक्टर विप्नेश तोमर पर F.I.R नं. 88/2017 में पक्षपाती विवेचना करने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष व स्वतंत्र Investigation Officer (विवेचक) की नियुक्ति करने की भी माँग की।

Lost the hopes on the Police higher ups even, Neha has moved a Writ Petition (Criminal No. 2253/2017) with Delhi High Court wherein she has placed her request to accord suitable punishment to the Inspector Vipnesh Tomar and other culprit Police Staff. A suitable compensation has also been requested for the mental and physical agony that has been undergone by Neha. She has also complained as to the biased and partial investigation adopted by Inspector Vipnesh Tomar in respect of F.I.R No. 88/2017. It was also prayed by Neha that an independent and impartial Investigating Officer be appointed to look into the matter.

उपरोक्त Writ Petition को सुनकर माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 09.08.2017 को प्रतिपक्ष को Notice जारी करने का आदेश दे ही दिया।

After hearing the Writ Petition, the Honorable High Court has ordered to issue notices to the respondents.

नेहा को यह भी पता चला कि पुलिस अधिकारियों द्वारा उपरोक्त शिकायतों को बंद करने के लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है; किन्तु नेहा ने यह ठान लिया है कि चाहे कितने भी आंधी और तूफ़ान उसका मार्ग रोकने की कोशिश करें; लेकिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ शुरू की हुई उसकी जंग को वह पूरा करके ही छोड़ेगी।

Neha has also got information that the efforts are being initiated by the Police authorities to somehow put down the complaints by any means; but for Neha it was the question of dignity, pain, agony, suffering and violation of human rights as accorded by the Indian Constitution. Let any kind of thunderstorms come in her way, she is determined, confined and destined to see the end of her war against the inhuman Police atrocities.

Those devilish creatures who drop down the meat of the body consciousness and the black blood of evil thoughts and implementation, on the indestructible sacrifice of Rudra (Avinashee Rudra Jnan Yajn) at Adhyatmik Vishwa Vidyalaya are destined to face the end of their evils.

The WAR continues. The Bhagawat Story which has already seen 18 parts, (18 Adhyay), still continues. And the series of Victory also continues. This is the indestructible sacrifice at Adhyatmik Vishwa Vidyalaya founded by Supreme God Father. This is beyond the levels of human beings.

RAJNISH BHATNAGAR
Dist[illegible] (N/W)
[illegible]
Rohini Courts, [illegible]

IN THE COURT OF SH. RAJNISH BHATNAGAR
DISTT. & SESSIONS JUDGE (NORTH-WEST)
ROHINI COURTS, DELHI.

Crl. Appeal No. 42/17

1 Shweta Jaiswal (Age 27 years)
D/o Sh. Rajendra Prasad
Ph. : 9891370007.

2 Priyanka Jaiswal (Age 24 years)
D/o Sh. Rajendra Prasad

Both R/o 351-352, Phase-1,
Pocket-A, Vijay Vihar,
Rithala, Rohini, Delhi-110085.

.......Victims / Appellants

Vs.

(1) State of NCT Delhi
Through S.H.O.,
Vijay Vihar Police Station,
Delhi.

(2) Child Welfare Committee
Through her Chairman Kamla Lakhwani
Office at Awantika, Sec.-1,
Rohini, Delhi.

.......Respondents

Date of Institution of Appeal	:	**25-03-2017**
Date when reserved for orders	:	**01-04-2017**
Date of Decision	:	**05-04-2017**

ORDER

1. By this order, I shall dispose of an appeal U/s 101 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 filed by the appellants against the impugned order dated 15-03-2017, passed by Mrs. Kamla Lakhwani, Chairman of Child Welfare Committee, Rohini, Delhi.

2. Briefly stated, it is averred in the appeal that appellant No. 1 and 2 are major girls aged about 27 years and 24 years respectively and are elder sister of Kumari Neha (Detenu). It is further averred that the appellants have been voluntarily residing in Adhyatmik Vishwa Vidyalaya, 351-352, Phase-1, Pocket-A, Vijay Vihar, Rithala, Rohini, Delhi-110085 for the last 5-6 years & Kumari Neha who is detained in protection home against her wish was also voluntarily residing in Adhyatmik Vishwa Vidyalaya with appellants.

3. It is further averred that Adhyatmik Vishwa Vidyalaya is voluntary spiritual family which has been spreading the spiritual education of Sahaj Rajayoga for the last 40 years throughout the world and its teachings are based on Bhagwad Geeta. The appellants have attached with the appeal copies of their affidavits dated 17-02-2017 and copy of affidavit of Kumari Neha dated 03-09-2016, regarding their

voluntary joining Adhyatmik Vishwa Vidyalaya.

4. It is further averred that the appellants have joined the said Adhyatmik Vishwa Vidyalaya alongwith their mother Urmila Devi in the year 2011, so Mr. Rajendra Jaiswal (father of the appellants) lodged false FIR (Case Crime No. 881/2011) on 5-6-2011 against the members of Adhyatmik Vishwa Vidyalaya alleging that the appellants & their mother Urmila Devi were kidnapped and were being sexually exploited in Adhyatmik Vishwa Vidyalaya. It is further averred that appellants & their mother Urmila Devi filed special leave petition (Criminal appeal No. 1329 / 2012) before Hon'ble Supreme Court in the year 2011 and vide its final judgment dated 12-3-2015, Hon'ble Supreme Court quashed the entire proceedings against members of Adhyatmik Vishwa Vidyalaya.

5. It is further averred that Kumari Neha was being tortured by her father in the year 2011and her father also acted inhumanly and left Neha & Babita to some unknown persons house who attempted to rape Kumari Neha & Babita. But fortunately they escaped and informed their mother Urmila who filed complaints against her husband Rajendra Jaiswal with the police.

6. It is further averred that thereafter Urmila Devi rescued her Children Neha & Babita and taken shelter of Adhyatmik

Vishwa Vidyalaya but in the year 2016, Urmila Devi again joined her husband and left Adhyatmik Vishwa Vidyalaya and joined some opponent group of Seema Tripathi, Sharda Prasad Meena and Maniram Bharti who made a complete brainwash of Urmila Devi and thereafter Urmila Devi alongwith her husband in connivance with opponent group, started attempting to abduct Appellant and Kumari Neha from Adhyatmik Vishwa Vidyalaya. It is further averred that Kumari Neha also filed complaint against her mother & father on dated 30-08-2016, to the SHO Vijay Vihar, DCP Outer District, Delhi and requested for adequate protection.

7. It is further averred that the parents of appellants also threatened the lady members of Adhyatmik Vishwa Vidyalaya so spiritual teachers Anita, Tara and others members of Vidyalaya filed a complaint against the parents of appellants on 5-9-16, with the SHO Vijay Vihar, D.C.P Outer, Commissioner of Police, New Delhi.

8. It is further averred that when all the efforts to take back appellants & her sister Neha from Adhyatmik Vishwa Vidyalaya turned futile, Urmila Devi lodged false FIR bearing No. 0088/2017 in connivance with her husband Rajendra Jaiswal on 19-01-2017 in Vijay Vihar Police station U/s 376/344/506 IPC.

9. It is further averred that IO recorded the statements of appellants & Kumari Neha U/s 161 CrP.C. On 27-02-17 & found that they are voluntarily residing and are not illegally confined. It is further averred that Kumari Neha is a major girl of 19 years as per school certificate. However, the appellants had apprehension that their parents would bring some forged school certificate and in connivance with the police they will forcibly take Kumari Neha back from Adhyatmik Vishwa Vidyalaya treating her to be minor. Therefore appellants have instituted complaint against her mother to the SHO, Vijay Vihar Police station, DCP, Rohini, Commissioner of Police, New Delhi on 14-03-2017 and requested to direct IO to do impartial investigation in this case.

10. It is averred that inspite of that complaint IO and other police staff of Vijay Vihar police station on the basis of some forged school certificate obtained from Maharajang UP have dragged Kumari Neha from Adhyatmik Vishwa Vidyalaya and she was subjected to medical examination on 14-3-17 and Kumari Neha was also detained in the protection home, Bhaktawarpur, Delhi at 10 p.m on 14-3-2017 against her wish on the oral direction of Chairman, Child Welfare Committee, Awantika, Rohini.

11. It is further averred that Kumari Neha was produced

before Child Welfare Committee Awantika Rohini on 15-3-2017, at 3:30 p.m where she was enquired by the Chairman and members in the presence of her mother and found that she is voluntarily residing in Adhyatmik Vishwa Vidyalaya and nothing wrong was committed to her. Kumari Neha also stated that she wants to go to Adhyatmik Vishwa Vidyalaya Vijay Vihar, Delhi and wants to stay with the appellants. Inspite of that Child Welfare Committee, Awantika, Rohini and other members arbitrarily and illegally ordered to detain Kumari Neha in protection home at Bhaktawarpur, Delhi.

12. It is averred that Kumari Neha is mature, competent and intelligent girl to select her place of choice. It is further averred that there is a reasonable apprehension to the appellants that Neha will suffer mental torture in protection home against her wishes. On the basis of these facts the present appeal has been filed by the appellants.

13. The appellants have challenged the impugned order on the following grounds interalia contending that : Kumari Neha was voluntarily residing in Adhyatmik Vishwa Vidyalaya with her elder sisters (appellants); that parents of the appellants in connivance with some opponent group of Adhyatmi Vishwa Vidyalaya have lodged this false and

concocted FIR against the members of Adhyatmik Vishwa Vidyalaya; that previous FIR lodged by the father of the appellants against the members of Adhyatmik Vishwa Vidyalaya was quashed by the Hon'ble Supreme Court vide its judgment dated 12-03-15; that Kumari Neha on 15-03-2017 at 3:30 p.m. when enquired by the Chairman Child Welfare Committee, Avantika, Rohini, found to be voluntarily residing in Adhyatmik Vishwa Vidyalaya and she also stated that she wants to stay with the appellants; that the order passed by Hon'ble Chairman & other members of Chairman Committee is completely arbitrarily, perverse, biased and against the principles of law; that detention of Kumari Neha in protection home against her wish is violation of fundamental right of her personal liberty enunciated under article of 21 of Constitution of India & her right to religious freedom under Article 25 of Constitution of India; that appellants have filed application before respondent No. 2 for handing over custody of Kumari Neha stating all facts of the case but inspite of that respondent No. 2 acted arbitrarily and not given any copy of the order passed by them to the appellants.

14. The appellants have prayed that directions be issued to respondent No. 1 & 2 to immediately release Kumari Neha (Detenu) from Protection Home, Bakhtawarpur and allow her to

go at her place of choice during pendency of this appeal. The appellants have also prayed for quashing the part of the impugned order dated 15/03/2017 passed by respondent No. 2 detaining Kumari Neha (Detenu) in protection home, Bhaktavarpur against her wish.

15. The respondent No. 2 has contested the appeal by filing the reply and in the reply it is submitted that the IO had produced the child before the respondent No. 2 on the basis of first school attending date of birth which is 8-6-1999, which was duly verified from the concerned school. It is further stated that another date of birth proof was shown as 12-08-1998 which on verification was found not to be genuine. Therefore, a reasonable doubt was created before the committee. So the committee directed the IO to get the age determination test from B.S.A. Hospital. It is further stated that during the counselling the child expressed her desire not to join her parents so CWC referred her to children home for girls for necessary care and protection.

16. It is further stated that the committee is under statutory obligations to restore the child to her parents if child wants to join them and now since she is a minor in such case the respondent No. 2 is unable to release the child and allow her to join appellants who are backed by religious minded

group.

17. It is further stated that the appellants are not the victims in the terms of Committee order dated 15-3-2017 and the associates of the appellants wants to take revenge from the parents of the said child. It is prayed that the allegations levelled upon respondent No. 2 be disallowed.

18. I have heard the counsel or the appellants and counsel for the respondent No. 2 and also perused the records of this case and more particularly the impugned order dated 15-03-2017.

19. It is urged by the counsel for the appellants that Kumari Neha is a major and she is being illegally detained in Protection Home, Bakhtawarpur. It is further urged by him that even otherwise, even if Kumari Neha is considered to be a minor which she is not, even the minor cannot be detained against her "Will" in protection home. It is further urged by him that as per the ossification test report Neha is opined to be more than 22 years but less then 25 years old.

20. I have perused the impugned order dated 15-03-2017 which reads as follows :

> "Neha is an inmate of Adhyatmik Vishwa Vidyalaya since 2013. She stays alongwith her 2 elder sisters Shweta Jaiswal and Priyanka Jaiswal. Her

mother has filed an FIR to get the custody of her minor daughter Neha. The Age verification is done by the IO issued by Umashankar Inter College has issued two birth dates. In one Neha is 18 ½ and in the other she is 17 ½ years. Under these circumstances, order is issued for age determination test. Until then, Neha to continue under the custody of KGNMT."

21. Since there are two date of birth coming on record in which the age of Kumari Neha varies as 18½ years and 17 ½ years which are contradictory, the Committee ordered for ossification test. In the meanwhile IO also got recorded the statement of Kumari Neha U/s 164 Cr.P.C on 30-03-2017, wherein Kumari Neha categorically stated that she wants to live in Adhyatmik Vishwa Vidyalaya alongwith her two elder sisters. She has also disclosed her age in her statement U/s 164 Cr.P.C as 18 ½ years.

22. Kumari Neha was also produced in the Court and inquiries were made from her and during the inquiry she categorically stated and showed her clear desire that she wanted to live alongwith her two sisters at Adhyatmik Vishwa Vidyalaya.

23. During the course of the proceedings the IO had filed ossification test report in respect of Kumari Neha and as per

the ossification test report dated 03-04-2017, the opinion given by the board in regard to the age of the Kumari Neha is as follows :

> "Approximate bone age of the patient is more than 22 years (22) and less then 25 years (25)"

24. So clearly as per this report Kumari Neha is more than 18 years of age and is a major and she cannot be detained in any protection home against her wish. What to say of a major being detained against her wish, the Superior Courts in various judgments have held that question of minority is irrelevant because a minor cannot be detained against her "Will" or at the "Will" of her father in a protection home and there can be no legal validity for the curtailment of the liberty of a person. Reliance can be placed upon Mrs. Kalyani Chaudhari Vs. The State of UP and Ors. 1978 Criminal Law Journal 1003 and Smt. Mala and another Vs. State of UP, Habeas Corpus Writ Petition No. 51294 of 2015. In Pushpa Devi Vs. Sate of UP and others reported in 1994 HVVD (All) C.R. Vol. II page 259 the Division Bench held as follows :

> "In any event, the question of age is not very material in the petitions of the nature of habeas corpus as even a minor has a right to keep her person and even the parents cannot compel the

detention of the minor against her will, unless there is some other reason for it."

25. In another case titled as Smt. Raj Kumari Vs. Supdt., Women Protection, Meerut and others reported in 1997 (2) A.W.C. 720 it is held as follows :

> "It is well settled view of this Court that even a minor cannot be detained in Government Protective Home against her wishes."

26. Similar is the view of the Superior Court in Balwinder Singh Vs. State of Punjab and others 2008 (3) RCR Criminal 1 and Shamsher Vs. U.T. Chandigarh and others 2011 (5) RCR Criminal 677. In Neetu Singh Vs. State 1999 (3) RCR (Criminal) 26, the division bench of Delhi High Court held that minor cannot be kept in Nari Niketen against her wishes and the marriage of a minor girl is neither void nor voidable".

27. In the instant case Kumari Neha is aged more than 18 years as is evident from the ossification test report dated 3-4-17, and reliance can be placed on this report because there are two date of birth certificates giving different ages, so there is no question of Kumari Neha being detained in Protection Home, Bakhtawarpur. Accordingly, the impugned order dated 15-03-2017, is set aside and Kumari Neha is directed to be

released forthwith from Protection Home, Kasturba Gandhi National Memorial Trust, P.O. Bakhtawar Pur, Delhi-110036 and she is free to live in the place of her choice. The appeal is disposed of accordingly. Copy of this order be given dasti. An attested Copy of this order be also sent to the Chairman, Child Welfare Committee, Awantika, Rohini, Delhi. Appeal file be consigned to Record Room.

Sd/-

Announced in the open Court today i.e. on 05.04.2017

District & Sessions Judge (N/W)

(RAJNISH BHATNAGAR)
Distt. & Sessions Judge (N/W)
Rohini Courts, Delhi

COPY
Bimal Kumar
5.4.2017
(READER)